तरुण भारत संघ का

सफर

कदम-दर-कदम

दशा और दिशा

स्वावलंबन के लिए समाज
को श्रमनिष्ठ व समग्र
विकासोन्मुखी बनाने की
प्रक्रिया भी सतत रूप से
चलती रहनी चाहिए। इसके
लिए कार्यकर्ता, पदाधिकारी
और मार्गदर्शक व्यक्तियों के
समन्वयी विचारों में
सामंजस्यता के आधार पर
रूपरेखा तय करना और
निर्धारित लक्ष्यों को
प्राप्त करने के लिए
विभिन्न प्रकार की कार्ययोजना
बना कर क्रियान्वयन की
प्रक्रिया शुरू करनी होती है
जिससे समाज के पिछड़े और
गरीब वर्ग को
लाभ मिल सके।
ऐसा प्रयास ही सामाजिक
विकास की दशा और दिशा
में एकरूपता को दर्शाता है।

तरुण भारत संघ का
सफर
कदम-दर-कदम

सत्येन्द्र सिंह

तरुण भारत संघ

तरुण भारत संघ का
सफर
कदम-दर-कदम

प्रथम संस्करण
कार्तिक पूर्णिमा, 2009

प्रकाशक
तरुण भारत संघ
भीकमपुरा किशोरी, वाया-थानागाजी
जिला : अलवर-301 022
राजस्थान
फोन : 01465-225043
ई-मेल : watermantbs@yahoo.com

मुद्रक
कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर

मूल्य
रुपये 200/-

समर्पण

संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित और प्रयत्नशील रहे हैं। उनकी रात-दिन की लगनशील मेहनत से तरुण भारत संघ ने सही अर्थों में ग्रामीण समाज के साथ सामाजिक कार्य किए। राष्ट्र हित में तरुण भारत संघ के 25 साल की उपलब्धियों पर यह पुस्तक उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने संस्था के साथ जुड़कर ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है।

जल-जंगल-जमीन-बचाओ
पदयात्रा
आयोजक :- तरुण भारत संघ, भीकमपुरा (अलवर)
कदम-दर-कदम बढ़ते चलो

अनुक्रमणिका

आभार	7
पृष्ठभूमि	8
तरुण भारत संघ ग्रामीण विकास का सफर-एक नजर	9
तरुण भारत संघ की दशा और दिशा	14
पहला कदम	17
दूसरा कदम	41
तीसरा कदम	61
चौथा कदम	107
पांचवां कदम	117
छटा कदम	125
सातवां कदम	137
आठवां कदम	155
नौवां कदम	161
दसवां कदम	171
ग्यारहवां कदम	187

बारहवां कदम	191
तेरहवां कदम	209
चौदहवां कदम	221
पन्द्रहवां कदम	231
सोलहवां कदम	239
सत्रहवां कदम	253
अठ्ठारहवां कदम	297
उन्नीसवां कदम	307
बीसवां कदम	321
इक्कीसवां कदम	331
बाईसवां कदम	345
तेईसवां कदम	359
चौबीसवां कदम	381
पच्चीसवां कदम	403
तरुण भारत संघ पच्चीस साल का सफर-समीक्षा	422
तरुण भारत संघ सामाजिक कार्य और भावी योजना	427
अतिथि	429

आभार

मैं हृदय से आभारी हूं श्री राजेन्द्र सिंह जी का जिनके साथ जीवन के पच्चीस साल सामाजिक कार्य करते हुए बीत गये। समाज के बीच स्वतंत्र और स्वाभिमान के साथ रहना, कार्य करना, देखना-समझना अपने आप में जीवन का सुखद अनुभव है। **'गांव का जीवन कठिनाई भरा जीवन है, ग्रामीण समाज के बीच सामाजिक कार्य करना कांटों भरी राहें हैं।'** फिर भी सामाजिक कार्य करते हुए ग्रामीण जीवनशैली में निराशा का भाव लेशमात्र नहीं था। नई सोच, नई आशा और नये उत्साह से तरुण भारत संघ में रहकर समाज की स्वावलंबी व्यवस्था को बनाने में विभिन्न प्रकार के अच्छे सामाजिक कार्य हुए। जिनसे देश हित में सामाजिक कार्य करने के उद्धरण प्रस्तुत हुए, जिन्हें समाज और सरकार ने देर-सबेर नीतिगत रूप में स्वीकार किया। उन्हीं कार्यानुभवों, मुख्य घटनाओं को संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया है।

मैं आभारी हूं उन सभी स्वजनों का जिन्होंने तरुण भारत संघ में रहकर या दूरस्थ रहकर भी हमेशा तरुण भारत संघ का मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। साथ ही सामाजिक कार्य-यज्ञ में अपनी श्रमशक्ति की आहुति अर्पित की है। आभारी हूं उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का जिन्होंने संस्था के साथ जुड़कर ग्रामीण स्वावलंबी व्यवस्थाओं को बढ़ाने व बनाये रखने में अपनी रात-दिन की मेहनत और श्रमशक्ति से सींचा है।

श्री अरुण तिवारी जी के प्रेरित विचारों से तरुण भारत संघ के बीते समय के घटनाक्रम को लिखने की शुरुआत हुई। फरवरी 2008 में श्री रामधीरज जी से लेखन के संबंध में चर्चा हुई। रामधीरज जी ने समयानुसार परिस्थितियों को देखते हुए वैचारिक दृष्टिकोण का समावेश करते हुए अपनी लेखनी से तराशकर संपादन कार्य किया। साथ ही **'तरुण भारत संघ का सफर कदम-दर-कदम'** नाम दिया।

मैं अरुण जी और रामधीरज जी का बहुत आभारी हूं कि दोनों के सुझाव और सहयोग से तरुण भारत संघ के बीते समय में किये गये समाजोपयोगी कार्यों का दस्तावेज पठनीय बन पाया। मैं आभारी हूं प्रोफेसर मनोहर सिंह राठौड़ जी का जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और उत्साह को बढ़ाया जिससे लेखन कार्य सम्पन्न हुआ है।

'तरुण भारत संघ का सफर कदम-दर-कदम' पच्चीस साल के इतिहास की स्मृतियां आपके हाथों में है। आशा करता हूं कि तरुण भारत संघ के बीते इतिहास से नई युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलेगा।

सत्येन्द्र सिंह
तरुण भारत संघ

पृष्ठभूमि

तरुण भारत संघ के द्वारा किये गए कार्य-अनुभवों से समाज के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दिशासूत्र मिले, ऐसा विचार कर सामाजिक जीवन में घटी सत्य घटनाएं समाज को अर्पित करता हूं।

25 साल पुराना काल आज भी वैसे ही याद है जैसे कल की घटना हो । यहां तारीख, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड व पल का कोई महत्व नहीं है, महत्व है केवल समाज के बीच किये गये काम की घटनाओं का और उससे बनती लोक कथाओं का जो समाज में स्वयं प्रवाहित होती रहती हैं । फिर भी मैं अपनी तरफ से अपनी बात लेखन के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं।

तरुण भारत संघ को ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते हुए 25 साल का एक लम्बा समय हो गया है। सामाजिक जीवन में दिन-प्रतिदिन नयी सोच के साथ समाज की प्रगति के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किये। सामाजिक कार्य वैसे तो अकेला व्यक्ति अपने स्तर से कर सकता है लेकिन समाज में बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को जन्म देना पड़ा है। उसके नियम-उपनियम बना कर एक दिशा तय करके सामाजिक कार्य किया जाता है। तरुण भारत संघ नाम की संस्था का जन्म विधि विधानानुसार 30 मई 1975 को राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 की धारा (28) के तहत हुआ।

अक्टूबर 1985 में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने की योजना बनाई और नवम्बर में योजना को क्रियान्वित किया गया। संस्था के द्वारा क्षेत्रीय समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समाज उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जागृति, पर्यावरण, ग्राम स्वावलम्बन की दिशा में जल-जंगल-जमीन के संरक्षण के रचनात्मक कार्य किए गए। ग्राम स्वावलम्बन की प्रक्रिया को बचाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ा तो वह भी किया। भय मुक्त समाज बनाने के साथ-साथ अन्याय और अनीति के खिलाफ संघर्ष में संस्था शुरू से आज तक सदैव तत्पर रही है। संस्था के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता निर्माण कर सामाजिक कार्य किए। संस्था के कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित और प्रयत्नशील रहे हैं। उनकी रात-दिन की लगनशील मेहनत से तरुण भारत संघ ने सही अर्थों में ग्रामीण समाज के साथ सामाजिक कार्य किए। राष्ट्र हित में तरुण भारत संघ के 25 साल की उपलब्धियों पर यह पुस्तक उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है जिन्होंने संस्था के साथ जुड़कर ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है।

सतेन्द्र सिंह,
तरुण भारत संघ

तरुण भारत संघ
ग्रामीण विकास का सफर

एक नजर

तरुण भारत संघ ने वर्ष 1985 से ग्रामीण क्षेत्र में कार्य शुरू किया और संस्था के उद्देश्य और समाज की जरूरतों को देखते हुए कार्ययोजना बनाई तथा उन्हें क्रियान्वित किया।

संस्था के पास आर्थिक साधन सीमित थे और समाज की जरूरत अधिक थी, फिर भी सीमित साधनों में संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्ययोजना बनाई गई जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की ओर ध्यान दिया गया। यह संस्था के कार्यक्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता थी।

वर्ष 1985 से 1990 तक का समय जनजागृति, शिक्षा-स्वास्थ्य के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी स्वावलंबन की दिशा में प्रगति और संघर्ष का रहा। इससे संस्था की एक दिशा भी तय हुई और अधिक उत्साह से कार्य करने के लिए तैयारी भी बनी। बीते पाँच वर्षों में तभासं के लिए स्थायित्व का एक आधार भी बना। भीकमपुरा गांव में कार्यालय बनाकर समाज के बीच रह कर सभी सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया।

तरुण भारत संघ के अगले सफर 1991 से 1995 की नींव बीते पांच वर्षों के अनुभव के आधार पर ही रखी गई थी। उसे अब अधिक विकासशील और संघर्षशील बनना था। विकास के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, जन जागृति के कार्य करना, रचनात्मक कार्य के आधार पर ग्राम स्वावलंबन की परिकल्पना कर जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के कार्य को बढ़ावा देना मुख्य था। इसके साथ-साथ समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्षशील बनाना भी रहा। जिससे खनन जैसे बड़े आन्दोलन का नेतृत्व गांव के लोगों ने मिलकर किया तथा सरकार, राजनेता और खनन माफिया के विरुद्ध आवाज उठाई। सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी और कामयाब हुए। इस आन्दोलन में संस्था के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर जानलेवा हमले भी हुए। वह सब सहर्ष झेले।

राज्य सरकार, राजनैतिक और खनन उद्योगपतियों के विरोध के बावजूद संस्था के विकास कार्य यथावत् चलते रहे। खनन आन्दोलन के चलते-चलते महसूस हुआ कि गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन की अति आवश्यकता है। इसे बचाने के प्रयास करने चाहिए। इसके लिए समाज में जन जागृति के कार्य तो सतत चलते रहे लेकिन

नई युवा पीढ़ी को इसके प्रति अधिक संवेदनशील बनाना होगा, इसके लिए गांव की युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देने का कार्य किया गया। व्यावहारिक ज्ञान के लिए अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। इसके लिए हिम्मत नगर (गुजरात) से दिल्ली तक 1200 किमी लम्बी पदयात्रा की गई थी। नदी संरक्षण के लिए गलता जी जयपुर से हिमालय में गंगोत्री,यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक यात्राएं की गईं। ग्राम स्वावलंबन के लिए राजस्थान में भरतपुर से पुष्कर तक पदयात्रा का आयोजन किया गया। जल संरक्षण के लिए कार्यकर्ताओं को वैचारिक व तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में जाकर समाज के साथ बातचीत कर सके।

1991 से 1995 का समय बहुत ही संघर्षशील और विकासोन्मुखी रहा। इस दौर में संस्था को देश दुनिया में पहचान मिली और एक आन्दोलनकारी विकासशील संस्था के रूप में तरुण भारत संघ को पहचाना जाने लगा। बीते वर्षों में कहीं सरकार और कहीं राजनैतिक लोगों द्वारा कार्य में व्यवधान भी पहुंचाए गये। उन्हें भी अहिंसात्मक संघर्ष करते हुए आसानी से सुलझा लिया था। इस समय में संस्था के कार्यकर्ताओं का भी शिक्षण-प्रशिक्षण होता रहा जिससे उनकी क्षेत्र में अच्छी पहचान बनी और सम्मान भी मिला। संस्था में अधिकतर स्थानीय कार्यकर्ता रहे।

तरुण भारत संघ का अगला सफर दस साल के अनुभवों के साथ शुरू हुआ।1996 से 2000 तक की समयावधि में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के साथ समन्वय की भावना के साथ ग्रामीण समाज के विकास के लिए सपने संजोये गये और उन्हें साकार रूप दिया गया। सरकारी व्यवस्थाओं के साथ-साथ तरुण भारत संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संपर्क किया और समाज के साथ सतत संवाद चलाया। बहुउद्देशीय दृष्टिकोण से समाज को लाभान्वित करने के कार्य शुरू किये गये। विशेष रूप से अजबगढ़ जलग्रहण क्षेत्र के लिए लोक आधारित कार्यों को गति दी गई। दूसरे किशोरी संकुल में लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा शिक्षण कार्यों को गति दी गई। लेकिन सरकार के साथ सहयोगी भावना को आघात लगा। जल ग्रहणक्षेत्र में विकास के कार्य करते समय के अनुभव अच्छे नहीं रहे क्योंकि समाज के परम्परागत अनुभवों से काम करना सरकार नहीं समझ पाई। बहुत ही जद्दोजहद के बाद संस्था को पीछे हटना पड़ा। शिक्षण के लिए चलाई जा रही परियोजना को राज्य सरकार ने बिना किसी सूचना के बीच में ही बन्द कर दिया। संस्था द्वारा संचालित कार्य यथावत् चलते रहे।

समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते 1996-2000 में संस्था द्वारा किये गये कार्य अब किसी से भी छिपे हुए नहीं थे। देश- विदेश की संस्थाओं के लोग भी संस्था के कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित होते समाज को अपने तौर-तरीके से देखते थे। उसका आकलन,विश्लेषण कर स्वतंत्र रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते। संस्था के कार्यकर्ता

व पदाधिकारी भी इस प्रकार के कार्यों में अपना पूरा सहयोग देते थे। देशी-विदेशी, सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा राजनीति भी अछूती नहीं रही। वर्ष 1996 फरवरी में संसद द्वारा गठित पर्यावरण अध्ययन कमेटी के सदस्य तरुण भारत संघ में कार्य देखने के लिए आये। अप्रैल 1999 में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री सोमपाल शास्त्री जी आये तो नवम्बर 99 में केन्द्र से जल संसाधन राज्य मंत्री विजोया चक्रवर्ती आईं थीं।

28 मार्च 2000 में तो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम स्वर्गीय के.आर.नारायणन आये। इतना ही नहीं मई 2000 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक श्री के.सी.सुदर्शन जी आए और भारत सरकार के कई केन्द्रीय मंत्रीगण आये थे। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से उच्च अधिकारी और वैज्ञानिक लोग आये। राज्य सरकारों से भी केबिनेट मंत्री स्तर के नेताओं ने तरुण भारत संघ के क्रियाकलापों को देखा समझा और अपने अनुभवों को अपने राज्य की सरकार के द्वारा राज्य में लागू किया। इस सब से संस्था के कार्यों को प्रोत्साहन मिला और ग्रामीण समाज को सम्मान मिला, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मिले। इस प्रकार तरुण भारत संघ के लिए वर्ष 1996 से 2000 तक का समय बहुत उपयोगी रहा। इन वर्षों में ग्राम विकास के विविध प्रकार के विकासोन्मुखी कार्य शान्तिपूर्ण तरीके से हुए, जहां संघर्ष के अवसर आए उन्हें भी शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से हल किया गया।

तरुण भारत संघ वर्ष 2001 से 2005 तक की समयावधि में रचना, जन जागृति, संघर्ष और नीति निर्धारण के कार्यों में प्रयासरत और समर्पित रहा। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के आयोजनों से तरुण भारत संघ के दृष्टिकोण और कार्यशैली में व्यापकता आई। नई सोच के अनुरूप कार्यों को देखा समझा जाने लगा। दूसरी ओर तरुण भारत संघ के कार्यों की प्रशंसा राज्य में राजसत्ता, राजनैतिक लोगों और प्रशासन की आंखों में किरकिरी बने। राजसत्ता, राजनैतिक और प्रशासन की तिकड़ी ने हर स्तर पर बहुत ही हेय दृष्टि से देखा और काम को बाधित किया। इन सब के बावजूद तरुण भारत संघ के कार्यों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा, समझा, परखा और सम्मानित किया गया।

तरुण भारत संघ की कार्यशैली में आ रहे बदलाव यूं ही नहीं थे बल्कि समाज की जरूरतों व अपने अनुभव पर आधारित थे। समाज के बीच में किए गए सामाजिक कार्यों का 15 वर्षों का लम्बा अनुभव था। इस सब में संस्था के विरुद्ध सरकार की सोच और कार्यप्रणाली भी सहायक सिद्ध हुई, जिसने नई दिशा में सोचने को विवश किया। समाज के विकास आधारित कार्यक्रमों में केन्द्र और राज्य की नीतियों का मौन धारण किये हुए देखा गया। यह सब तरुण भारत संघ के लिए एक चुनौती पूर्ण कार्य बना। ऊपर से केन्द्र सरकार की नई नीति और परियोजनाओं ने भी तरुण भारत संघ के कार्य में बदलाव की दिशा और सोच को संघर्षशील बनाया।

तरुण भारत संघ समाज के स्वावलंबन के लिए सतत रचनात्मक कार्यों में तत्परता से लगा हुआ था। समाज भी साथ-साथ कदम दर कदम आगे का सफर तय करने में तल्लीन था। तभी तो सत्तर गांव की अरवरी संसद का अपना संसद भवन हमीरपुर गांव में अरवरी के किनारे बन रहा था जिसे नासमझ प्रशासन ने 3 मार्च 2001 को तुड़वा दिया। इतना ही नहीं लाहा का वास बाँध को तुड़वाने के लिए प्रशासन तंत्र, राजनैतिक लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष लामबन्ध दिखाई दिये। लाहा का वास को लेकर पूरे रूपारेल नदी जल ग्रहण क्षेत्र के सभी राजनैतिक लोगों के विचारों में एकरूपता देखी गई। इस सबके बावजूद भी ग्रामीण समाज और तरुण भारत संघ को हर प्रकार से सफलता ही मिली। साथ ही राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित जलनीति, पर्यावरण नीति, नदी जोड़ परियोजना, नदियों में बढ़ता प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण और खाली होते प्राकृतिक जल स्रोतों को लेकर देशव्यापी आंदोलनों में सक्रियता लाने के भरसक प्रयास किए गए। जल बिरादरी जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन खड़े करने में तरुण भारत संघ का हर संभव सहयोग रहा है। इन सब गतिविधियों के परिणाम भी सफल रहे।

नदियों के प्रदूषण में राजस्थान की लूनी नदी और उत्तर प्रदेश की हिण्डन नदी के बहाव क्षेत्र में स्थानीय जनता के सहयोग से जन जागृति के अभियान और नदी प्रदूषण के आन्दोलन हुए जिसके सकारात्मक रूप में आशा और विश्वास के अनुरूप परिणाम सामने आए। दोनों जगह उद्योगपतियों और सरकारी तंत्र की तन्द्रा को तोड़ा। दिल्ली में यमुना के प्रति संवेदनशील होने का अहसास कराया। यमुना संरक्षण के लिए 'सत्याग्रह' आन्दोलन रूप में वर्ष 2007 का पूरा वर्ष निकल गया। अन्ततः यमुना को दिल्ली और केन्द्र सरकार के यमुना संरक्षण के लिए बन्द दरवाजे खुले। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना खादर क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए योजनाबद्ध होकर कार्य करने की अपनी वचनबद्धता व्यक्त की।

यमुना सत्याग्रह से देश की नदी संरक्षण का सवाल प्रबल हुआ। नदी संरक्षण को लक्ष्य मानकर वर्ष 2008 को नदी संरक्षण वर्ष घोषित किया गया। सबसे पहले गंगा के संरक्षण के लिए कार्य करना जरूरी लगा। गंगा को केन्द्र और राज्य सरकारें अस्तित्वहीन करने में लगी हुई थीं। 14 अप्रेल, 2008 से गंगा को संरक्षित कराने के लिए तभासं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय जल बिरादरी के सदस्यों के सहयोग से राष्ट्रव्यापी अभियान चालाया, गंगोत्री से उत्तर काशी तक बनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को बन्द कराने के लिए 13 जून, 2008 से आमरण अनशन किया गया। उत्तराखण्ड सरकार ने अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को बन्द किया। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एन.टी.पी.सी. परियोजना को भी बन्द कराने के लिए प्रयास जारी रहे।

अगस्त से अक्टूबर तक देश के बुद्धिजीवियों, साधु-सन्त, समाज और सरकार के साथ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए देशव्यापी संवाद चलाया। जनता के सुझावों को संकलित करते हुए केन्द्र सरकार से गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए 16 अक्टूबर, 2008 को अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अनुरोध को स्वीकारते हुए अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों की उपस्थिति में 4 नवम्बर, 2008 गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गंगा के राष्ट्रीय नदी घोषित होने पर, गंगा संरक्षण कार्य को पूरा नहीं मानते हुए जल बिरादरी और तरुण भारत संघ ने गंगा को नैसर्गिक रूप में संरक्षित, स्वच्छ और प्रदूषण रहित करने के लिए गंगा मांग पत्र दिया। केन्द्र सरकार ने गंगा के अविरलता को बनाये रखने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किया जिसके उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, बंगाल आदि प्रांतों के मुख्यमंत्री, सदस्य रूप में रहेंगे। ऐसा माना गया है कि गंगा प्राधिकरण के तहत गंगा बेसिन क्षेत्र के विकास कार्य गंगा विकास प्राधिकरण की देख-रेख में ही होंगे।

गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए तरुण भारत संघ व राष्ट्रीय जल बिरादरी ने प्रधानमंत्री को बधाई दी और साथ ही साथ गंगा के संरक्षण के लिए अपने सुझाव भी दिए।

नये वर्ष ने बीते वर्ष के दिखाये रास्ते पर ही चलना श्रेयष्ठकर समझा और अपना हर पल गंगा सेवा में लगाने की प्रतिबद्धता दिखाई। संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदम से कुछ राहत तो दिखाई देती थी लेकिन आत्मसन्तोष नहीं था।

गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद भी गंगा के अस्तित्व से खिलवाड़ दिखाई दे रहा था। क्योंकि उत्तरकाशी के नीचे लोहारी-नागपाला परियोजना का कार्य यथावत चालू था। अगर सरकार की मनसा नेक होती तो पहले वह एन.टी.पी.सी. की परियोजना को बन्द करती बाद में गंगा को राष्ट्रीय नदी की घोषणा करती लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

संस्था के उपाध्यक्ष डॉ.जी.डी. अग्रवाल जी ने 14 जनवरी मकरसंक्रान्ति को दिल्ली में पुनः आमरण अनशन शुरू कर दिया। गंगा के संरक्षण के लिए देश व्यापी अभियान चला और साधु-सन्तों के द्वारा भी सरकार पर दवाव बनाया गया। डी.सी. श्रीवास्तव निदेशक, भारत सरकार के हस्ताक्षरों का पत्र मिला। पत्र में उन सभी बातों का उल्लेख था जिन को लेकर डॉ. अग्रवाल अनशन कर रहे थे। 'भागीरथी नदी पर लोहारी नागपाला बॉध परियोजना का कार्य तुरन्त रोक दिया गया है इसलिए प्रार्थना है कि आप अनशन को तुरन्त रोक दें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।' डी.सी. श्रीवास्तव निदेशक, भारत सरकार के पत्र को देख, सोच विचार कर तथा अपने मित्रों से सलाह मशवरा किया और गंगा ज्ञान आयोग के सदस्यों की सलाह से डॉ. अग्रवाल ने अनशन तोड़ा।

तरुण भारत संघ की दशा और दिशा

स्वावलंबन के लिए समाज को श्रमनिष्ठ व समग्र विकासोन्मुखी बनाने की प्रक्रिया भी सतत रूप से चलती रहनी चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मार्गदर्शक व्यक्तियों के समन्वयी विचारों में सामंजस्यता के आधार पर रूपरेखा तय करना और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्ययोजना बना कर क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू करनी होती है जिससे समाज के पिछड़े और गरीब वर्ग को लाभ मिल सके। ऐसा प्रयास ही सामाजिक विकास की दशा और दिशा में एकरूपता को दर्शाता है।

"तरुण भारत संघ का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण-संवर्द्धन करते हुए समाज स्वावलंबी और प्रगतिशील बने।"

तरुण भारत संघ के 1985 से 2009 तक के काल में ऐसे अनेक मोड़ आये हैं जिसमें समाज की आवश्यकता को देखते-समझते हुए अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ा है। सामाजिक कार्य के लिए कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मार्गदर्शक व्यक्तियों को समाज में कार्य करने के लिए अहिंसक संघर्ष भी करना पड़ा। संघर्षशील सामाजिक कार्यों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का रास्ता प्रशस्त हुआ। इतना ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की स्पष्टता और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन के साथ समझ विकसित हुई है। संस्था और समाज की सहभागिता से किया गया कार्य अब एक गांव का काम न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो गया है। तभी तो तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में प्रतिवर्ष सैकड़ों विदेशी मेहमान आते हैं और अपने देश के परिप्रेक्ष्य में समाज की सहभागिता के द्वारा किये गये सामाजिक कार्यों को देखते व समझते हैं। अपने मापदण्डों की कसौटी पर परखते हुए दुनिया को स्वावलम्बी व्यवस्था का बोध कराने का प्रयास करते हैं।

वर्ष 2004 में वैश्वीकरण का रूप स्पष्ट दिखाई देने लगा था। सरकार द्वारा गांवों की जमीनों को औद्योगिक विकास के नाम पर अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हुई। समाज में विस्थापन की प्रवृत्ति बढ़ी। विस्थापित समाज से गांव की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा। गांव में विभाजित छोटी-छोटी खेती की जमीन ग्रामीण के हाथों

से जाने लगी। जमीनों के भाव आसमान छूने लगे। जिस जमीन को गांव का किसान अपनी इज्जत मानकर अपने बुजुर्गों की धरोहर का संरक्षण करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखता था। वह सब भाव और मानसिकता बदलती नजर आने लगी। जमीनों की बेतहाशा कीमतें बढ़ती गईं और गांव के आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। अब गांव का आदमी अपने गांव में जमीन नहीं खरीद सकता। गांव की जमीनों को बिकवाने में बिचौलिए ही जमीन के मालिक हो गए। जिस वर्ग का किसानी जमीन से दूर-दूर तक का रिश्ता भी नहीं था अब उसके हाथों में जमीन पहुंचने लगी और गांव की जमीन सबसे बड़े व्यापार की वस्तु बन गई। बढ़ती शहरीकरण की प्रवृत्ति के कारण गांव स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि वास्तविक रूप में विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए ?

शहरों से गांव की ओर बढ़ते आर्थिक दबाव को देखते हुए, गांव के अस्तित्व को बचाना दूभर दिखाई देने लगा है। गांव में आये बाहर के सम्पन्न लोग अपने आर्थिक प्रभुत्व का प्रयोग गांव की जीवन शैली को तोड़ने में करते हैं। आर्थिक प्रभाव के बढ़ने से गांव की टूटती जीवन शैली को एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत ही जटिल व चुनौतीपूर्ण कार्य बन कर सामने आया है। गांव में समरसता का भाव व्यक्ति विशेष की आकांक्षाओं तक सीमित होकर आर्थिक बन गया है। आर्थिक दृष्टिकोण के कारण सबसे पहले गांव के लिए सुरक्षित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है। कुछ लोगों तक ही गांव के संसाधन सीमित हो जाते हैं और गांव की सार्वभौमिकता को नष्ट कर अस्तित्व को खत्म करते हैं।

अगर हम राजस्थान में वर्ष 2004 से जून 2008 तक का विस्तृत अध्ययन करें तो एक सामाजिक सहिष्णुता के आधार पर टिका समाज आज के विकासशील समय में भिन्न-भिन्न रूपों में टूटता दिखाई देता है। टूटे हुए समाज को जोड़ने के प्रयास आज के आर्थिक प्रभुत्व, औद्योगीकरण और राजनीति के कुचक्र में फंस कर नष्ट होते मालूम होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के सहारे अपने जीवन को चलाने वाले समाज में रोष और संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वर्ग विहीन समाज की कल्पना को नकारते हुए जाति संघर्ष बढ़ रहे हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में द्वंद्व की खाई चौड़ी हो रही है। राजसत्ता और प्रशासन तंत्र की निष्क्रियता व नाकारापन बढ़ा है। आजादी के 60 वर्षों के बाद भी गुलामी की क्रूरता आज भी हमारी राजसत्ता और प्रशासन में विद्यमान है। गुलामी के समय में सामाजिक कार्य करने में जैसी बाधाएं और संघर्ष करने होते थे, अब उससे भी अधिक बाधाएं और संघर्ष सामाजिक कार्यकर्ता के सामने हैं। समाज हिंसा की आग में झुलस रहा है और विकास के चक्र के नीचे कुचलता हुआ दिखाई दे रहा है।

तरुण भारत संघ ने ग्रामीण समाज के लिए जो भी विकासोन्मुखी कार्य बीते 25 सालों में किये हैं, उससे सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक संसाधनों के विकास के साथ-साथ एक सहिष्णुता का भाव भी समाज के अन्दर बढ़ता दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ आज की दलगत राजनीति समाज को बुरी तरह से बांट रही है। जातीयता को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को छिन्न-भिन्न कर रही है।

समाज और दलगत राजनीति में शायद ऐसे चक्र हमेशा चलते रहेंगे। तरुण भारत संघ जैसी समाज सेवी संस्थाओं को ऐसे विकट रास्तों में से भी सामाजिक समरसता, सहिष्णुता के भाव को जाग्रत करते रहने के लिए आगे आना होगा। इसमें ही सम्पूर्ण प्रकृति के संरक्षण-संवर्द्धन का भाव समाहित है।

''आजादी के 60 वर्षों के बाद भी गुलामी की क्रूरता आज भी हमारी राजसत्ता और प्रशासन में विद्यमान है। गुलामी के समय में सामाजिक कार्य करने में जैसी बाधाएं और संघर्ष करने होते थे, अब उससे भी अधिक बाधाएं और संघर्ष सामाजिक कार्यकर्ता के सामने हैं।''

तरुण भारत संघ

पहला कदम

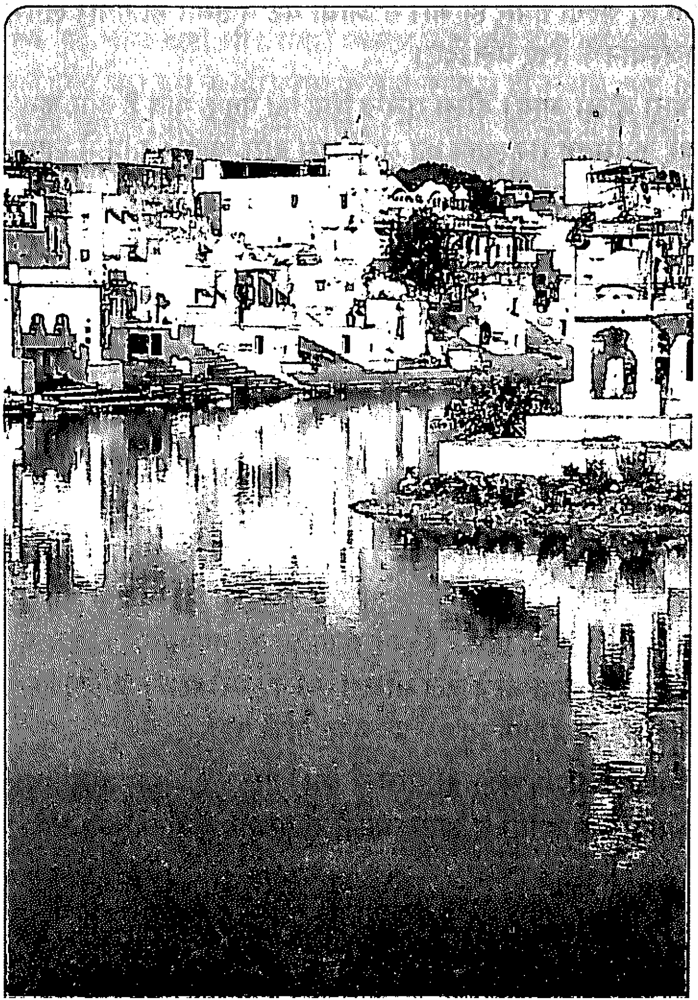

1

मैं 24 अक्टूबर, 1985 को अपने खेत में और दिनों की भांति सुबह गन्ने की कटाई-छिलाई में लगा हुआ था। पिता जी दूध लेकर घर गये हुए थे। पिता जी जब चाय आदि लेकर वापिस खेत पर आये तो उन्होंने कहा कि रात को राजेन्द्र सिंह आये थे। वे कह रहे हैं कि सत्तन को राजस्थान ले जाना है। वहां मैंने आदमी से बात की है उसी के पास लगाना है, अच्छे लोग हैं। पिता जी ने कहा एक बार देख आ, अच्छा लगे तो रुक जाना। देखने में बुराई क्या है? यहां तो मैं जैसा भी होगा, मैं देख लूंगा, तू जा। पिता जी ने मुझे किराये के लिए पैसे दिये, समझाया और गन्ने की छिलाई करने लगे। मैं खेत से घर की ओर चल दिया। घर में राजेन्द्र सिंह से बातचीत हुई। उन्होंने कहा अभी चलना है, जल्दी तैयार हो जा। मैं आधा घंटे में तैयार हो गया। लगभग 10 बजे हम दोनों राजस्थान के लिए चल दिए।

बस द्वारा डौला आये। डौला राजेन्द्र सिंह का पैतृक गांव है और जन्मस्थली भी। 25 अक्टूबर को सुबह राजस्थान का सफर बस द्वारा किया। रात्रि में लगभग 11 बजे मालपुरा पहुंचे। यहां राजेन्द्र सिंह सिकोईडिकोन के साथ गाडूलिया लोहारों का अध्ययन कर रहे थे। वहां उनके कुछ साथी थे जो उनके साथ कार्य करते थे जिनका नाम केदार श्रीमाल, दुर्गा सिंह, नरेन्द्र सिंह, हनुमान जाट था। उन्हें जगाया, कुछ बातचीत हुई और तय हुआ कि सुबह बीकानेर चलना है।

''पुष्कर मेला राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। पुष्कर स्थान पुष्कर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है।''

26 अक्टूबर की सुबह सब तैयार होकर अजमेर जाने वाली पहली बस में सवार हुए। 10 बजे अजमेर पहुंचे। वहां से बीकानेर जाने वाली बस पकड़ी। पुष्कर के रास्ते होते बीकानेर को चल पड़े। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। पुष्कर में मेला लगा हुआ था। रास्ते में काफी भीड़ थी। पुष्कर मेला राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। पुष्कर स्थान ''पुष्कर'' के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यह बह्मा जी की तपोभूमि है। ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहां स्वयं बह्मा जी ने जल संरक्षण के लिए सरोवर का निर्माण किया था। वही सरोवर पुष्कर है जिसकी पद्मपुराण में प्रथम स्तुति की गई है।

कार्तिक पूर्णिमा की वजह से रास्ते में बस चालक को कुछ असुविधा हो रही थी परन्तु वह धैर्यपूर्वक राहगीरों व अन्य वाहनों से बचता-बचाता हुआ धीरे-धीरे अपना

रास्ता तय कर रहा था। मैं उस रास्ते में राजस्थान के जन-जीवन, रीति-रिवाज, पहनावा, परिधान, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, पहाड़ देखता हुआ बस में बैठा सफर कर रहा था। जिस बस में हम बैठे थे, उसमें पुष्कर जाने वाले तीर्थयात्री भी थे। महिलाएं अपनी राजस्थानी भाषा बोली में लोक भजन गीत गा रही थी जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मैं अपने साथियों से भजन गीत की जानकारी करता था। जैसे-जैसे पुष्कर स्थान की दूरी कम होती जाती, लोगों की आवाज में जोश बढ़ता जाता। वह अपने इष्ट देवी- देवताओं के नाम से और उच्च स्वर में जय घोष करते। उस समय मैं भी उनके स्वर से स्वर मिलाता। मेला जाने का मुझे बहुत शौक था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अनूपशहर (मेरे गाँव के पड़ोस का एक कस्बा) का मेला व गंगा स्नान का दृश्य मेरी आंखों के सामने आ-जा रहे थे।

बस पुष्कर पहुंची, तीर्थयात्री उतरे और आगे जाने वाले यात्री सवार हुए। गाड़ी में कुछ गहमा-गहमी हुई। गाड़ी के अन्दर जितने यात्री थे, उससे अधिक गाड़ी की छत पर सवार थे। कुछ लटके हुए भी थे। गाड़ी पुष्कर से अपने गन्तव्य की ओर चलने लगी। बस यात्रियों में मेले की चर्चा थी कि वह अच्छा था या वह ऐसा था, वैसा था। अब की बार एक नई चीज देखी थी। सबसे अच्छा ऊँटों की दौड़ का खेल था। मैंने मेला घूमकर नहीं देखा था। बस के आसपास के वातावरण से ही अंदाज लगा लिया था कि पुष्कर का मेला भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के रूप में है। इस दिन पूरे देश का जनसमुदाय जल की शरण में होता है। जहां जैसी मान्यताएं हैं उसी के अनुसार सागर, नदी, झरने, सरोवर, ताल, कुंड, कुएं, बावड़ी आदि में स्नान कर लोग अपने को पवित्र करते हैं। साथ ही साथ जो भी दान-पुण्य अनुष्ठान करने होते हैं, अपने श्रद्धाभाव से करते हैं। यह बड़ा शुभ दिन होता है।

हमारी गाड़ी मेड़ता शहर होती हुई रात्रि 8 बजे के लगभग देशनोक पहुंची थी। देशनोक भी एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यहां करणी माता का मन्दिर है जिसकी बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली के अलावा पूरे राजस्थान में मान्यता है। यहां बस यात्रियों ने भोजन, चाय-पानी लिया, इधर-उधर घूमे -फिरे। मैं भी घूमते-घूमते मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। बिजली की रोशनी में दरवाजे को निहारा जो एक महलनुमा था। दरवाजे के दोनों तरफ सफेद संगमरमर की सिंह की मूर्तियां थीं। मुख्य दरवाजे पर भी सफेद संगमरमर पर बहुत ही सुन्दर नक्काशी थी जिसमें चित्रकार ने मुख्य रूप से लताओं, फूल-फलों के साथ पशु-पक्षियों की जीवन लीलाओं का चित्रांकन किया था।

मैंने सोचा कि यह किसी का महल है, अन्दर जाना ठीक नहीं है। यह सोच कर चारों ओर घूम कर बस में आ बैठा। बस चलने का भी समय हो गया था। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर हॉर्न की आवाज से सवारियों को गाड़ी में आने का संकेत दे रहा था। कंडक्टर गाड़ी के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर जल्दी-जल्दी चढ़ने के लिए

कह रहा था। हमारे दो साथी नीचे थे और दो अपनी सीटों पर थे। राजेन्द्र सिंह सबके बाद में आये। उन्होंने कहा कि तू मन्दिर देख आया ! मैंने कहा नहीं, मन्दिर कहां है? यही तो मन्दिर है। मैं तो देख कर आ रहा हूं। मन्दिर में चूहे बहुत थे। यहाँ चूहों की बहुत मान्यता है। सफेद चूहे का दर्शन शुभ बताते हैं। मैंने कहा, मैं दरवाजे तक गया था। मैंने समझा कि यह किसी का महल है इसलिए अन्दर नहीं गया। मन्दिर देखने की एक जिज्ञासा हुई परन्तु गाड़ी चलने का समय हो चुका था। देशनोक से गाड़ी लगभग नौ बजे बीकानेर के लिए चलने लगी।

बीकानेर रात्रि 12.30 के आसपास पहुंचे। बस अड्डे से रिक्शा द्वारा राजस्थान गौ सेवा संघ कार्यालय गए। वहां मौजूद व्यक्तियों से राजेन्द्र सिंह ने बात की, उन्होंने हमारे ठहरने की व्यवस्था की। लगभग 1.30 बजे सभी ने रात्रि विश्राम किया।

2

27 अक्टूबर सुबह दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो तैयार हुए। सुबह चाय-नाश्ता लिया। राजेन्द्र सिंह का परिचय उक्त संस्था के मुख्य संचालक सोहन लाल मोदी से था। उन्हीं के कहे अनुसार राजेन्द्र सिंह हमें वहां लेकर गये थे। मोदी जी सुबह 8.30 बजे के लगभग ऑफिस आये। राजेन्द्र सिंह ने उनसे बातचीत की, फिर हमें बुलाया। मोदी जी से हम सब का परिचय कराया। मोदी जी ने हमारे विषय में बहुत सामान्य बातें की थी और फिर कहा कि राजस्थान सरकार के साथ हमारा पशु चारा वास्ते एक परियोजना है। उसके लिए हमें कुछ कार्यकर्ता चाहिए।

"मैं पहली बार अपने घर से इतनी दूर निकला था। कुछ अजीब-अजीब सा लग रहा था। फिर भी हिम्मत करके रहने की पूरी कोशिश की।"

परियोजना कार्य जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर है। वहां बहुत लोग काम कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य व पानी की व्यवस्था हमारी है इसलिए आप में से जो भी वहां जाना चाहे, जा सकते हैं। जैसलमेर में भी हमारी संस्था का कार्यालय है, उसी के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं हैं। आप सब को रहने-ठहरने व भोजन आदि की सभी सुविधाएं वहां मिलेंगी। जैसलमेर के लिए केदार श्रीमाल, दुर्गा सिंह, नरेन्द्र सिंह, हनुमान जाट तैयार हो गए। मुझे बीकानेर ऑफिस में लेखाकार के साथ रहने के लिए कहा, मैंने स्वीकार कर लिया। मैंने ऑफिस में कुछ कार्य देखा-समझा और बताये अनुसार किया। यह दिन मेरे जीवन का एक नया अनुभव था। राजेन्द्र सिंह चारों साथियों को लेकर जैसलमेर चारा परियोजना क्षेत्र देखने के लिए शाम को चले गये।

मैं पहली बार अपने घर से इतनी दूर निकला था। कुछ अजीब-अजीब सा लग रहा था। फिर भी हिम्मत करके रहने की पूरी कोशिश की। मैंने चार दिन बीकानेर ऑफिस में कार्य किया। मन ऊबने लगा। वहां से मैंने जैसलमेर जाने का मन बनाया। मोदी जी से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि रात्रि में चारे वाली हमारी गाड़ियां जाएंगी, उसी से चले जाना। मैंने दिन में कार्यालय में रहकर कुछ काम किया। 31 अक्टूबर रात्रि में जैसलमेर को जाने वाली गाड़ी से रवाना हो गया।

3

1 नवम्बर 1985 की सुबह मैं जैसलमेर पहुंचा, वहां केदार, हनुमान, नरेन्द्र, दुर्गा सिंह आदि सभी से मिला। दो दिन सभी के साथ हंसी-खुशी निकाले। वहां व्यवस्थापक सगरमल जी से मिल कर पूरी कार्ययोजना के विषय में बातचीत हुई तथा काम की जिम्मेदारी को समझा। मैं राजस्थान गौ सेवा संघ के कार्यालय में रहकर चारा परियोजना के कार्य में सहयोग करने लगा। सभी साथी भी अपने-अपने कार्य में लग गए। केदार श्रीमाल ने स्वास्थ्य कार्य देखा और दुर्गा सिंह, हनुमान जाट, नरेन्द्र सिंह ने अलग-अलग क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था देखी।

10 दिन तक सभी ने खुशी-खुशी कार्य किया लेकिन देर-सबेर आने-जाने की वजह से ये लोग परेशान होने लगे क्योंकि चारा कटाई का कार्य भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में हो रहा था। सीमा पर ही सेवण घास थी। वहां रेत के धोरों में होते हुए पहुंचना कठिन होता था। फिर भी इन लोगों ने पानी के टैंकर पहुंचाए थे।

14 नवम्बर को केदार श्रीमाल, दुर्गा सिंह, हनुमान जाट, नरेन्द्र सिंह ने क्षेत्र में से आने के बाद जयपुर आने का मन बनाया। मेरे से भी कहा कि आप भी हमारे साथ चलें। मैंने पहले तो इन लोगों से मना कर दिया। फिर बार-बार कहने पर मैंने भी अपनी ओर से कह दिया कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।

15 नवम्बर को हम सभी ने ऑफिस में कार्यमुक्ति के साथ प्रवास खर्च के लिए निवेदन किया। किसी प्रकार के मानदेय आदि नहीं लिया। शाम चार बजे के करीब हम सब सगरमल जी से मिलने गये। वह पशु आहार की एक बड़ी दुकान भी करते थे। हम वहीं पर गये। अच्छी बातें कीं। उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा था कि तुम्हारे भाई साहब का तो फोन आ गया है। आपको कहीं नहीं जाना है। मैंने भी स्वीकार कर लिया लेकिन अन्य साथियों को अच्छा नहीं लगा। कुछ और बातचीत कर सगरमल जी से अनुमति ली। दुकान से बाहर हम इधर-उधर हुए तो मैं फिर सगरमल जी के पास गया। भाई साहब (राजेन्द्र सिंह) के फोन के विषय में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि फोन तो नहीं आया। मैंने उन लोगों की वजह से कहा था। आप रुकें, अच्छा रहेगा। वहां मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। सभी का मेरे प्रति अच्छा व्यवहार था।

6 बजे के लगभग हमने ऑफिस आकर प्रवास बिलों का भुगतान लिया। अपना छोटा-मोटा जो भी सामान था, लिया। एक जगह रखकर रसोई में भोजन किया।

रसोई बनाने वाले बाबाजी से भी क्षमा मांगी। बाबा कुछ उदास जरूर हुए, यह उनकी आवाज से लग रहा था। संस्था में उपस्थित जनों से मिलकर हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जोधपुर का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गये। 8 बजे के लगभग गाड़ी जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई।

हम पांचों साथी बातचीत करते सोते-जागते 16 नवम्बर सुबह 8 बजे के लगभग जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां सभी ने स्नान आदि कर चाय-नाश्ता किया। जयपुर जाने वाली गाड़ी की जानकारी की। जयपुर जाने वाली गाड़ी दो बजे थी। इसलिए हम सब मेहरानगढ़ देखने चले गये। गाड़ी के समय से पहले ही आ गये और गाड़ी में बैठ गये। राजस्थान का दृश्य देखते हुए जयपुर का सफर तय कर रहे थे। जोधपुर, पाली की सीमा पार करते-करते संध्या हो चली थी। जहां स्टेशन पर गाड़ी रुकती तो भोजन व्यवस्था वाले तुरन्त गाड़ी में चढ़ जाते भूखे की भूख मिटाते, इसके साथ ही अपना रोजगार करते। हमने भी गाड़ी में इनकी सेवाओं का उपयोग किया। गाड़ी में बातचीत करते हुए रात्रि के 10 बजे के लगभग गाड़ी जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। हम सब स्टेशन पर उतरे, वहां से घोड़ा तांगे में बैठ कर केदार श्रीमाल के साथ उनकी बहिन के यहां रामगंज पहुंचे। वहीं पर हम सब ने रात्रि विश्राम किया।

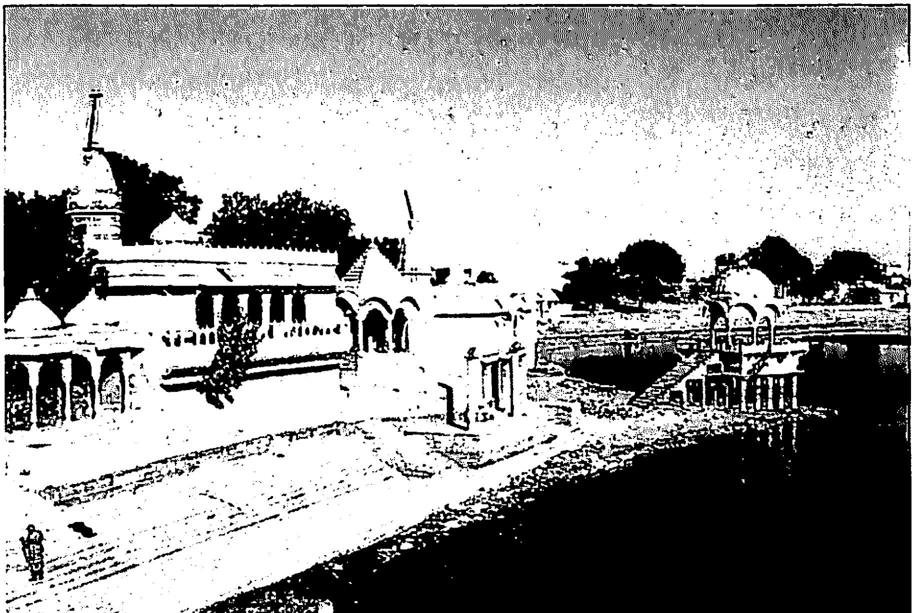

4

17 नवम्बर की सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हमने चाय ली और 9 बजे के लगभग किशोर निवास पहुंचे। वहां राजेन्द्र सिंह के बारे में पूछा। पता लगा कि वे यहीं पर हैं। थोड़ी देर के इन्तजार के बाद राजेन्द्र सिंह आ गए। किशोर निवास में ही बातचीत हुई। जैसलमेर से वापिस आने की सभी बातें विस्तार से बताईं।

राजेन्द्र सिंह ने अन्य साथियों के साथ बात की, अब क्या करना है? दो विकल्प हैं। एक तो किसी संस्था के साथ जुड़कर अभी कुछ दिन काम करें। दूसरा तरुण भारत संघ को खड़ा करें, दोनों में से एक करना है। तरुण भारत संघ में अभी कोई साधन नहीं है। सभी को अपने खर्चे वहन करने होंगे। सभी ने अपनी ओर से एक से दो साल का पूरा समय देने के लिए कहा। फिर मुझसे भी राजेन्द्र सिंह ने पूछा कि तेरा क्या विचार है? मैंने कहा कि मेरे लिए यह सब नया है। मैं आपके साथ रह सकता हूं, जो कुछ मेरे स्तर का होगा, करता रहूंगा। किशोर निवास में ही तरुण भारत संघ के नाम से कार्य करने का सभी का मन बना। 19 नवम्बर को 2.30 बजे चलने का कार्यक्रम बनाया।

''साथियों के साथ बात की, अब क्या करना है? दो विकल्प हैं, एक तो किसी संस्था के साथ जुड़कर अभी कुछ दिन काम करें। दूसरा तरुण भारत संघ को खड़ा करें। दोनों में से एक करना है।''

17 नवम्बर को जयपुर में बाबा आम्टे 'भारत जोड़ो अभियान' यात्रा के नायक के रूप में आये हुए थे। उनका शाम पांच बजे स्वागत समारोह होना था। सभी छोटे-बड़े कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। मैं भी राजेन्द्र सिंह के साथ उस समारोह में गया। वहां की चर्चाएं सुनीं, गांधीयन लोगों के एक साथ दर्शन किए। अच्छा लगा। वहां से लक्ष्मीनारायण वर्मा के घर गये। चाय ली। फिर तांगे से किशोर निवास आये। रात्रि विश्राम किया।

18 नवम्बर को दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर मैं किशोर निवास में रहकर कुछ किताबों को देखता रहा। राजेन्द्र सिंह अपने परिचितों से मिलने चले गए। मैं किशोर निवास में आने वाले लोगों की वैचारिक बातें सुनता रहा। शाम 4 बजे राजेन्द्र सिंह आये, कुछ बातचीत की और अगले दिन जाने की सामान्य तैयारी की। जो कुछ भी उस समय आवश्यक लग रहा था, लगभग सब पैक कर दिया था। एक बोरी में रसोई के कुछ बर्तन थे और एक बोरी में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व गांधी विचारधारा का कुछ साहित्य था। दो छोटे बक्से जिनमें कुछ स्टेशनरी, फाइलें व आवश्यक कागजात थे।

किशोर निवास त्रिपोलिया बाजार में मुख्य पुरानी हवेली है। इसमें घुसते ही सामने दूसरी मंजिल पर राजस्थान के गांधी विचारों की संस्था 'राजस्थान समग्र सेवा संघ' का कार्यालय था। जहां गोकुल भाई, रामेश्वर विद्यार्थी, सवाई सिंह एवं चौथमल, कागदी जी रहते थे। राजस्थान समग्र सेवा संघ में बहुत से गांधी विचारधारा के लोग प्रतिदिन आते थे। अच्छा संगम स्थल था। एक मुख्य कारण यह भी था कि यह बाजार के बीचोंबीच था। मैं भी तभासं के कार्य से जयपुर जब भी आता, वहीं रुकता।

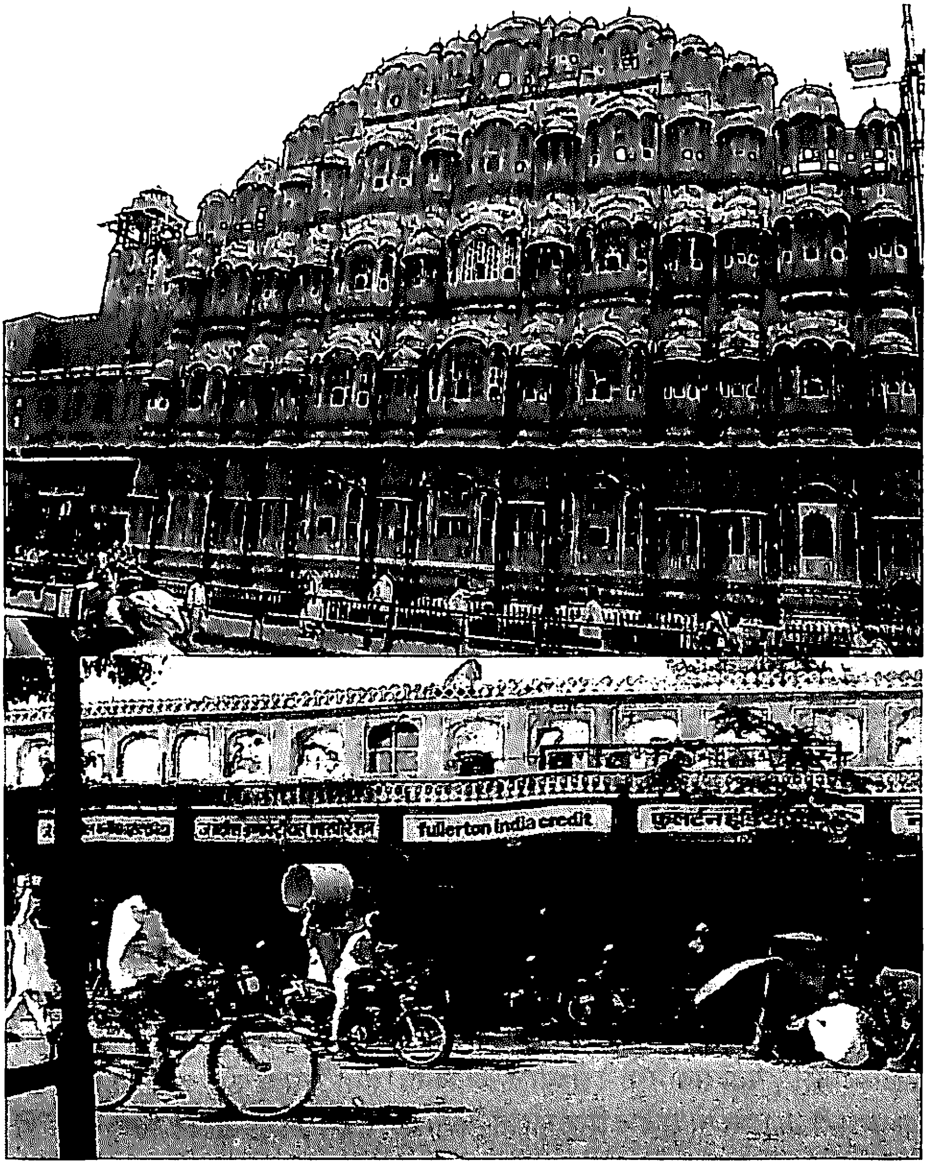

5

19 नवम्बर की सुबह उत्सुकतावश उठे। दैनिक कार्यों से निवृत्त हो, कुछ नाश्ता लिया और सवाई सिंह व अन्य लोगों के साथ बातचीत की। कुछ वरिष्ठ लोगों से भी मार्गदर्शन लिया। 12 अंक की ओर घड़ी की सुई बढ़ रही थी। तब तक हमारे साथी आ नहीं पाये थे। 1 बजते-बजते केदार, नरेन्द्र सिंह व हनुमान जाट आ पहुंचे। 2.00 बजे हम किशोर निवास से घोड़ा तांगे में बैठकर बस अड्डे पहुंचे। क्यारा जाने वाली बस में बैठ गये।

राजेन्द्र सिंह के साथ आपसी बातचीत करते हुए तथा नये रास्तों को निहारते हुए यात्रा पर चल रहे थे। राजस्थान के इस क्षेत्र की भाषा बोली में और बीकानेर-जैसलमेर की भाषा बोली में बहुत अन्तर नजर आता है। यहां के लोग हिन्दी में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग करते हैं। वैसे तो राजस्थान की अपनी भाषा बोली है। भारत के पूरे परिदृश्य में राजस्थान हिन्दी भाषी क्षेत्र में आता है। बस में अधिकतर ग्रामीण लोग ही बैठे हुए थे। बस धीरे-धीरे बस-स्टैंडों पर यात्रियों को उतारती और कुछ एक-दो नये यात्रियों को लेती हुई 4 बजे दौसा पहुंची। दौसा में बस आधा घंटे रुकी। दौसा से कुछ नई सवारियों को लिया।

"राजेन्द्र सिंह ने पांच टिकट लिए, कहां के थे? मुझे पता नहीं। 2.30 बजे राजस्थान रोडवेज की बस में अनभिज्ञ कार्यक्षेत्र की ओर यात्रा आरम्भ हुई।"

शाम के 4.30 बज चुके थे। सूर्य नारायण भी अस्त होना चाहते थे। इसलिए उनके अस्त होने से पहले सब अपने घर जाने की उत्सुकता में थे। बस अपने गन्तव्य स्थान की ओर चली। चलती गाड़ी सभी को अच्छी लगती है। ऐसा ही दृश्य लोगों के चेहरों से झलक रहा था। बस जयपुर-दौसा सड़क से सैंथल रोड पर चलने लगी।

अब बस की गति पहले से धीमी हो गई थी। रास्ते कच्चे-पक्के खारखड़े वाले थे। जैसे सवारियों का उतरने का स्थान आता, सवारी अपने स्थान के बारे में जोर से कहती, भाय्या रुक जा। बस रुकती सवारी आराम से उतरती। यहां कोई जल्दबाजी नहीं थी। इसी तरह जगह-जगह बस रुकती, सवारी उतारती, चल देती। यह उसका रोज का कार्य था। सूर्यदेव अस्ताचल में समा चुके थे। अब उनके स्थान पर अन्धकार का साम्राज्य था। बस में लाइट जली, बैठी सवारियों ने संध्या वन्दन किया। हमारी यात्रा का पड़ाव कहां है? हमें मालूम नहीं था। वह तो राजेन्द्र सिंह को ही मालूम था! बस उबड़-खाबड़ कच्चे रास्तों से

होती हुई किशोरी गांव पहुंची। राजेन्द्र सिंह ने कहा, यहीं उतर जाते हैं। हम सब उतरे, जो भी सामान था, वह सब उतारा। सामान एक ओर करके हम भी खड़े हो गए।

राजेन्द्र सिंह गांव में किसी से बात करने चले गए। गांव में से किसी व्यक्ति को साथ लेकर आये। उस व्यक्ति ने हमें साथ लिया और गांव के एक छोर पर बने; हनुमान जी के मन्दिर में रहने के लिए कहा। मन्दिर छोटा था, मन्दिर के गर्भगृह के साथ एक बरामदानुमा जगह, उसके दोनों ओर दो छोटी कोठरी थी। हमने कुछ सामान अन्दर रख; सोने की व्यवस्था कर रात्रि विश्राम किया।

6

20 नवम्बर की शुभ बेला में हमारी आंखें मन्दिर के पुजारी द्वारा हनुमान जी की पूजा के लिए बजाई जाने वाली घंटी की आवाज से खुली। पुजारी ने पूजा कर हमें प्रसाद दिया। हमारे बारे में भी जानने की जिज्ञासा की। राजेन्द्र सिंह ने पुजारी को अपनी बात बताई। पूजा के समय कुछ बच्चे, महिलाएं मन्दिर में आती थीं। वे भी हमें कौतुहलवश देख रहे थे। दो-तीन महिलाएं अपनी गोद में नवजात शिशुओं को लेकर खड़ी थीं। उनके एक हाथ में दांतली थी। पुजारी जी ने एक बालक से कहा कि एक नीम की टहनी ला। नीम का पेड़ मन्दिर परिसर में ही था। बालक तुरन्त मन्दिर की चारदीवारी पर चढ़ा, नीम की दो-तीन टहनी तोड़ कर दे दी। पुजारी जी ने गोद में शिशु को पकड़े महिला को मन्दिर के चबूतरे पर बैठाया और स्वयं भी बैठे, सूर्य की ओर देख बच्चे को नीम की टहनी-पत्तियों से छूते हुए ऊपर से नीचे करने लगे व साथ ही होठों में कुछ बुदबुदा रहे थे जो स्पष्ट नहीं था। अन्य बच्चे व महिलाएं शांत थे।

हम भी यह सब देख रहे थे। पुजारी जी ने महिला से कुत्ते, गाय को पहली रोटी देने के लिए कहा। महिला ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। अब दूसरी महिला के बच्चे की बारी थी। पहली जैसी प्रक्रिया की गई। सबने पुजारी जी को धोक दी। उसके बाद सब चले गए। पुजारी जी ने इन सब झाड़ फूंक का कोई पैसा नहीं लिया।

''हमारे पास कुछ लोग आए, परिचय हुआ। जिज्ञासावश उन्होंने भी तरह-तरह के प्रश्न किए। कौन हो? कहां से आये हो? क्या काम करते हो? आदि।''

हमारे पास कुछ लोग आए, उनसे परिचय हुआ। जिज्ञासावश उन्होंने भी तरह-तरह के प्रश्न किए। कौन हो? कहां से आये हो? क्या काम करते हो? आदि। अच्छा लगा। इनमें हनुमान शर्मा पोस्टमैन, मूलचंद पोस्टमास्टर थे। पोस्टमास्टर परचूनी की दुकान भी करते थे। हमने भी इन्हीं की दुकान से दो दिन भोजन सामग्री खरीदी, बाद में ये अच्छे मित्र बन गए। हम भी अपने सुबह के खाने-पीने की व्यवस्था में लगे। गांव में जो छोटी-मोटी दुकानें थीं, उनसे कुछ भोजन सामग्री ली। चूल्हे की व्यवस्था की। दीवार के पास छोटा सा खड्डा किया। तवा और भगोने के आकार के अनुसार। यह सब काम नरेन्द्र और हनुमान कर रहे थे। मैं उनके काम में कुछ सहयोग कर रहा था। यह काम भी मेरे लिए नया था। खाना बनाना नहीं आता था। न ही घर पर कभी ऐसा मौका

आया कि खाना बनाना पड़े। हमने मिलजुलकर सुबह के खाने की व्यवस्था कर ली। सभी ने भोजन किया।

राजेन्द्र सिंह और नरेन्द्र ने कुछ पत्र लिखे। मैं और हनुमान कपड़े धोने पास के कुएं पर चले गए। कुएं से बैल द्वारा चड़स से पानी निकाला जा रहा था। कुएं में पानी भी बहुत नीचे था। मैंने पहली बार चड़स देखा था। कृषि की किताबों में सिंचाई के पुराने साधनों के नामों में तो पढ़ा था लेकिन देखा पहली बार था। मेरे गांव में मेरे होश से पहले चड़स से पानी निकाला जाता था। पिता जी व अन्य बड़े बुजुर्गों से सुना करते थे। मैंने केवल रहट और परोए द्वारा तो पानी निकलते देखा था। बाद में डीजल- इंजन और बिजली व्यवस्था हो गई थी। इसलिए चड़स से पानी निकालना देख; अच्छा लगा। हमने कपड़े धोये और चड़स से पानी निकालना भी देखते रहे। राजेन्द्र सिंह ने पत्र लिखने का कार्य पूरा किया और कहा कि मैं एक आदमी से मिलकर आ रहा हूं। राजेन्द्र सिंह और नरेन्द्र सिंह दोनों पास के ही गांव सूरतगढ़ में मिलने के लिए चले गए।

शाम को 4-5 बजे राजेन्द्र सिंह वापिस आए, उनके साथ थे सूरतगढ़ के मास्टर जी श्री सुमेर सिंह, श्री कल्याण सहाय शर्मा, श्री मातादीन शर्मा। राजेन्द्र सिंह ने हम सबका परिचय कराया और बताया कि पास के गांव भीकमपुरा में एक मकान देखा है। मकान राधेश्याम जी के बड़े भाई नाथूलाल सेठ जी का है।

सुमेर सिंह जी ने कहा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हमें बताना, चिन्ता की कोई बात नहीं है। कल तक आपके रहने की परेशानी दूर हो जायेगी। हमारे साथी राधेश्याम गुप्ता जी हैं। कल दोपहर तक तुम्हें बता देंगे। हम सब भी मिलते रहेंगे। एक अनजान जगह ऐसे भावनात्मक व अपनत्व के भाव अच्छे लगे। कुछ देर रुके, फिर अपने-अपने गांव को चले गए।

7

21 नवम्बर सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त हो खाने की व्यवस्था में लगे। मन्दिर से लगते खेत मालिक ने कहा कि सब्जी आदि की जरूरत हो तो खेत से ले लेना, उसने हमें बहुत सी हरी सब्जियां दीं। मिलकर खाना बनाया, खाया, फिर मन्दिर की सफाई की और अपने कार्य में लगे।

"सूर्यदेव अस्त होने के लिए अग्रसर थे, हमारे पड़ाव की दूरी भी कम होती जा रही थी।"

एक-डेढ़ बजे के लगभग मास्टर राधेश्याम गुप्ता जी आए, कहा कि मकान मिल गया है। आप आज ही आ जाना। हमने कहा ठीक है। शाम को लगभग 5 बजे हमने एक ऊंट गाड़ी 20 रुपये में किराये पर ली। हमारे पास जो भी सामान था; सब लाद लिया। हनुमान जी को प्रणाम करके हम भी बैठ गए। गाड़ीवान के साथ बातचीत करते हुए पास के गांव भीकमपुरा की ओर चल रहे थे। सूर्यदेव अस्त होने के लिए अग्रसर थे। हमारे पड़ाव की दूरी भी कम होती जा रही थी।

गाड़ीवान की जिज्ञासा हमारे बारे में जानने-समझने की हुई तो उसने पूछा, तुम क्या करते हो? कहां से आ रहे हो? यहां क्या करोगे? तुम किस जात के हो? एक साथ इतने सवाल। राजेन्द्र सिंह ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? गाड़ीवान ने कहा बद्रीप्रसाद मीणा। गांव पास में गोपालपुरा है। राजेन्द्र सिंह ने कहा, हम यहां पानी की समस्या के लिए बांध बनवायेंगे और शिक्षा के लिए स्कूल चलवायेंगे। उसे कैसा लगा ? पता नहीं। वह हंसा और बोला कि ऐसे काम करवाने वाले तो चील गाड़ी में आते हैं, ऊँट गाड़ी में क्यों चलते? हमने कहा कि ऊंट गाड़ी में क्यों नहीं चल सकते, इसमें क्या बुराई है? वह थोड़ा मुस्कराया, अपनी गर्दन को झटका दिया और ऊंट की गति बढ़ा दी। शायद उसने अपने मन में हमारी बात का उपहास किया। हम भी उसकी इस अदा पर चुटकी लेते और जानकारी करते हुए भीकमपुरा आ पहुंचे।

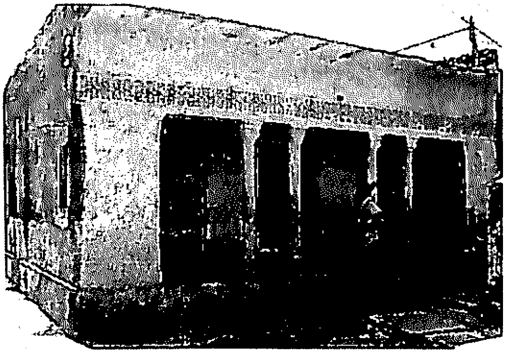

भीकमपुरा की गलियों में होते हुए नाथूलाल जी के मकान पर

आ गए। सब सामान उतारा, भीकमपुरा के लोगों के साथ राम-राम, दुआ-सलाम हुआ। मकान मालिक से भी बातचीत हुई। सामान मकान में रखा। रात्रि भोजन, विश्राम की व्यवस्था में लगे। दीये-बाती के साथ-साथ खाने-पीने की सामग्री की व्यवस्था में नाथूलाल जी ने अपनी दुकान से सहयोग किया। हमने मिलकर भोजन बनाया। एक साथ खाया, कुछ बातचीत की और सो गए।

22 नवम्बर की सवेरे हम लोग जल्दी उठ गए। सुबह के समय में नये गांव में; नए वातावरण में; नए परिचय हुए। भीकमपुरा में पहला दिन व्यस्त रहा, मन को अच्छा लगा। कुछ आस-पड़ौस के लोगों से भी बातचीत हुई। बोली-भाषा समझने का प्रयास किया। गांव की स्थानीय बोली के कारण कुछ शब्दों के बोल और उनके भावार्थ को समझने में मुझे कठिनाई होती थी। बाकी किसी को नहीं होती थी। सब राजस्थान के ही थे। वैसे यहां हिन्दी ही मुख्य भाषा है। राजेन्द्र सिंह भी राजस्थानी बोली समझ लेते और बोल भी लेते थे क्योंकि ये पिछले पांच साल से राजस्थान में कार्यरत थे।

नवम्बर महीने का अन्तिम सप्ताह का प्रारम्भ चल रहा था। ठंड कुछ अपने तेवर दिखा रही थी। इसलिए राजेन्द्र सिंह नरेन्द्र सिंह को साथ लेकर धूप में छत पर चले गए। वहीं अपने मित्रों को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने की सूचना देने के लिए या यों कहें कि एक प्रकार से स्थाई पते के लिए पत्र लिखने लगे। मैं और हनुमान अन्य आवश्यक कार्यों में लगे।

पत्र-व्यवहार का क्रम बढ़ता गया। प्रति दिन 40-50 पत्र लिखे जाते। नवम्बर के अन्त तक देश के सभी मित्रों को भीकमपुरा में ग्रामीण विकास के कार्य करने की सूचनाएं दे दी। अब जिस क्षेत्र में थे, वहां के बारे में जानकारी करना भी जरूरी था। आठ दिनों में सामान्य सामाजिक जानकारी की। भीकमपुरा में राजपूत, ब्राह्मण, महाजन, मीणा, खटीक, नाई, मुसलमान, कलाड़, बलाई, हरिजन आदि परिवारों की बस्ती थी। सभी बहुत मिलनसार थे। धीरे-धीरे हमारा परिचय कुछ परिवारों से हुआ। बाद में गांव के सभी लोगों से परिचय बढ़ता गया।

मोटे-मोटे तौर पर पूरे क्षेत्र का जो परिदृश्य दृष्टिगोचर हो रहा था। उसी से एक अन्दाज होता था कि क्षेत्र की कैसी परिस्थिति है? यहां का जीवन स्तर कैसा है ? सामाजिक व्यवस्था कैसी है ? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, खेती-पशुपालन, रोजगार के साधन आदि अभावों के साथ ही यहां प्रकृति का कोप भी कम न था। फिर भी नैसर्गिक विश्वविख्यात सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य जैसी ऐतिहासिक धरोहरों से परिपूर्ण यह क्षेत्र अपने में अतीत की गाथाएं संजोये हुए आज भी पवित्रता का प्रतीक है। ये क्षेत्र पौराणिक काल, भारतीय इतिहास और लोक जीवन संस्कृति का भी मार्गदर्शक रहा है। यह सब जानकारी मैंने आठ दिनों में लोगों की जुबानी सुनी।

8

दिसम्बर का महीना आस-पास के गांवों में सम्पर्क के साथ-साथ अलवर के 1981 के सेंसस-बुक को समझने में लगा जिसमें पूरे जिले की विस्तार से जानकारी थी। प्रत्येक गांव के बारे में भी विस्तार से सरकारी आंकड़े थे। गांव से ली गई जानकारी और सेंसस-बुक के आधार पर एक तस्वीर स्पष्ट हुई कि समाज के लिए अभी कैसी आवश्यकता महसूस हो रही है जो यहां के विकास में सहायक सिद्ध हो सकती है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी शारीरिक मेहनत और जीवन उपयोगी सीमित साधनों में से समाज के बीच कार्य करने की योजना बनाई। अब आगे योजनाबद्ध तरीके से कुछ न कुछ कार्य करने की जरूरत है।

"अपनी शारीरिक मेहनत और जीवन उपयोगी सीमित साधनों में से समाज के बीच कार्य करने की योजना बनाई।"

इसलिए जो जैसा कार्य कर सकता था, उसने अपनी स्वेच्छा से चुना। मैंने बच्चों की शिक्षा का काम लिया तो केदार श्रीमाल ने स्वास्थ्य का। हनुमाट जाट ने भीकमपुरा की व्यवस्था संभालने का काम लिया। राजेन्द्र सिंह ने क्षेत्रीय और बाहर के लोगों से संपर्क करने के साथ-साथ पत्र-व्यवहार करने का कार्य लिया। नरेन्द्र सिंह ने राजेन्द्र के कार्यों में सहयोग करने का कार्य लिया। इस प्रकार हम सबने अपने काम की जिम्मेदारी स्वयं स्वेच्छा से ली। सबसे पहले हमने इस क्षेत्र में क्यारा व किशोरी पंचायत के गांव में कार्य करने की रूपरेखा बनाई। जो निम्नवत् थी।

क्यारा पंचायत के गांव :

1. ग्राम भीकमपुरा में आवासीय-कार्यालय के साथ-साथ स्वास्थ्य का कार्यक्रम।
2. गोविन्दपुरा में बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करना।
3. गोपालपुरा, सूरतगढ़, क्यारा, दौलतपुरा, निमला, बांकाला आदि गांवों में जन जाग्रति के कार्यक्रम करना।

किशोरी पंचायत के गांव :

1. रायपुरा, भाल में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कार्य करना।

उक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित लोक ज्ञान और सरकारी आंकड़ों के आधार पर क्षेत्र को समझने में जैसे-जैसे समय मिलता, उसका अध्ययन करते, आपस में चर्चा भी करते। मेरी समझ में इस क्षेत्र की जैसी तस्वीर बनी, उसकी एक झलक इस प्रकार है:

भौगोलिक परिस्थिति : यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विश्व मानचित्र पर एशिया महाद्वीप में भारत के उत्तर-पश्चिम में विश्व की प्राचीनतम अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहां की पहाड़ियां 300-400 मीटर की ऊंचाई वाली हैं। कुछ पहाड़ नंगे हैं तो कुछ पर छितरे और घने जंगल। यहां का पूरा क्षेत्र घाटीनुमा है और इन घाटियों में ही यहां की सभ्यता संस्कृति समाहित है। यहां की नैसर्गिक पहाड़ी वादियों के कुछ भाग में जंगल है जिनमें वन्यजीव एवं पशु-पक्षी निवास करते हैं। जमीन की प्राकृतिक बनावट ऊंची-नीची पथरीली है। कहीं-कहीं पीली है।

जलवायु : यहां का तापमान 05 से 45 सेंटीग्रेड रहता है। (शीत ऋतु में लगभग 05 से 20 सेंटीग्रेड और ग्रीष्म में 20 से 45 सेंटीग्रेड रहता है।) वर्षा औसत 600 मि.मी. के लगभग प्रतिवर्ष होती है।

जल स्तर : इस क्षेत्र का जल स्तर 70-80 फीट तथा इससे भी नीचे था।

पौराणिक युग में यह क्षेत्र मत्स्य देश की सीमा में रहा है जिसकी स्मृतियों का प्रतीक विराटनगर है। आज के विराटनगर का नाम पौराणिक युग में विराट था। जो मत्स्य देश की राजधानी रहा है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की धरोहर हमारे पुराणों में मत्स्य देश का नाम सम्मानपूर्वक लिया गया है। महाभारत काल में इस क्षेत्र का अपना विशेष महत्व था। जहां महाभारत कालीन चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रोपदी सहित अज्ञातवास के दिन बिताये थे। यह भीकमपुरा से उत्तर-पश्चिम में 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

ऐतिहासिक काल : विराट नगर पर सम्राट् अशोक का भी आधिपत्य रहा है जिसका प्रमाण यहां का संग्रहालय देता है। अशोक द्वारा बनाये गये बौद्ध स्तूप के अवशेष और यहां पाये गए शिलालेख हैं। इसके अलावा आज के सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के अन्दर अपने समय के ऐतिहासिक काल की विस्मृतियों में राजौरगढ़ यहां की समृद्धि का प्रमाण है। इस क्षेत्र का गौरव कांकवाड़ी किला और आसावरी गेट व कावेरी गेट हैं। आज भी जर्जर अवस्था में अपना मस्तिष्क ऊंचा उठाये हुए हैं। यहां प्रतिहारों का राज्य था। उनकी जीवन शैली धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थी। यहां का जीवन अपने समय में कभी एक उत्कृष्ट धार्मिक सभ्यता का प्रतिबिम्ब रहा होगा। यहां के मन्दिर आज भी इस बात के गवाह हैं। यहां के मन्दिर पर की गई नक्काशी विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मन्दिरों की तरह ही है। इसके साथ-साथ यहां बौद्ध और जैन मन्दिरों के अवशेष आज भी विद्यमान हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि कितना सौहार्द्रपूर्ण जीवन रहा होगा। भूमिगत मन्दिरों की खोज में पाई गई बहुमूल्य मूर्तियां इस क्षेत्र के अतीत की विरासत के रूप में हैं। यहां से बेशकीमती मूर्तियां तो जयपुर पुरातत्व के राज्य संग्रहालय में पहुंचा दी गईं। हजारों मूर्तियां एकमात्र बचे नीलकंठ के मन्दिर में बने संग्रहालय में जमा हैं। मन्दिर पर पुरातत्व विभाग

द्वारा सुरक्षा का प्रबन्ध रहता है। ये लगभग 5-6 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत है जहां सैकड़ों मन्दिरों के अवशेष हैं।

गुर्जर समाज की गाथाओं का अतीत आज भी यहां की लोक स्मृति में समाहित है। रामू गुर्जर की कहानी यहां के घर-घर में व्याप्त है। रामू गुर्जर यहां का सबसे बड़ा चरवाहा था। उसके लाख से अधिक गाय-भैंस रहती थीं। यहां का राजा भी उसका सम्मान करता था। उसके एक पुत्री थी जिसका नाम एहलादे था। वह एक वीरांगना थी और तपस्विनी भी। कहते हैं, उसने अपने रास्ते में आए हाथी जैसे भीमकाय जानवर को भी अपने पैर की ठोकर से ही हटा दिया था। एक बार वहां के राजा ने रामू को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि अपनी लड़की हमें दे दो या यहां से निकल जाओ। रामू ने एहलादे को राजा को देना अस्वीकार किया। गौधन और अपना आवश्यक सामान साथ लेकर अपनी जन्म स्थली (राजौरगढ़) हमेशा के लिए छोड़ दी। बुन्देलखण्ड में चम्बल के किनारे अपना डेरा डाला। वहां के राजा ने रामू गुर्जर को अपना सहयोग दिया। रामू के कोई लड़का न था। इस बात से वह चिन्तित रहता था। पिता को चिंतित देख एहलादे ने शिव की तपस्या की और भाई के रूप में कारस देव को पाया। कारसदेव शक्ति से बड़ा चमत्कारी बालक था। उसने बाल्यकाल में ही चम्बल से चलकर राजौरगढ़ के राजा से युद्ध किया और उसे हरा दिया। अपने पूर्वजों की जन्म स्थली-कर्मस्थली को पुनः आबाद करके वह फिर चम्बल क्षेत्र चला गया। राजौरगढ़ भीकमपुरा से पूरब दिशा में 6 कि.मी. पैदल पड़ता है। एक पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है।

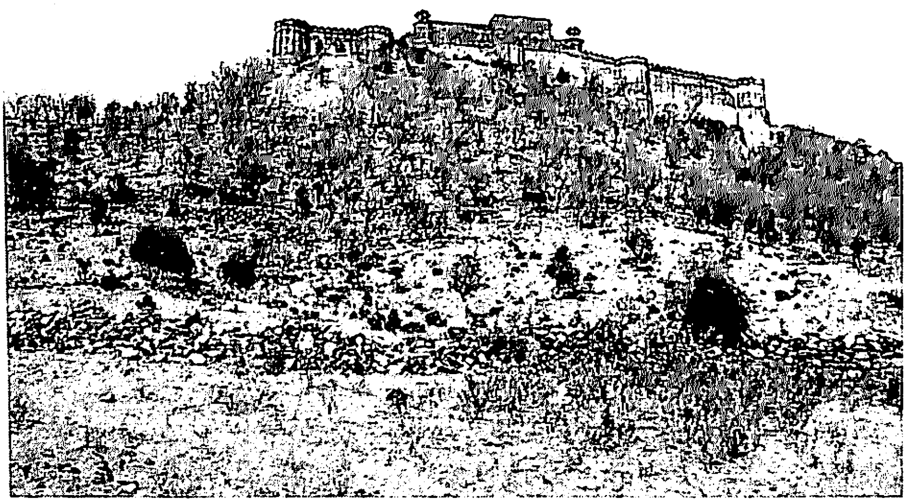

इतिहास के पन्नों में: भीकमपुरा से दक्षिण दिशा में 25 कि.मी. की दूरी पर भानगढ़ है जो कभी इस क्षेत्र की राजनैतिक व्यवस्था का केन्द्र रहा है। आज भी यहां का महल, उसके ऊंचे लंबे-चौड़े प्राचीर और इमारतों के अवशेष, मुख्य बाजार की बनावट व बसावट, मन्दिर आदि इस बात के गवाह हैं कि तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के समय यहाँ की वास्तुकला बहुत उन्नत थी। यहां का अन्तिम राजा माधोसिंह था जिसने आमेर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया था। भानगढ़ में प्राकृतिक जल स्रोत, जंगल, जंगली जीव -जन्तुओं से परिपूर्ण पेड़ों से लिपटी लताओं का प्राकृतिक सौन्दर्य बरबस अपनी ओर खींचता है। अब भानगढ़ की देखरेख पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है।

क्यारा गांव जो भीकमपुरा की पंचायत है। जन समुदाय की स्मृतियों में कभी मीणाओं की राजधानी का केन्द्र रहा है। ऐसा लोक मानस में व्याप्त है।

रियासतकालीन : यह क्षेत्र अलवर रियासत के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में था जो जयपुर की सीमाओं से लगा था। इस क्षेत्र की सीमाओं की सुरक्षा अजबगढ़, जगन्नाथपुरा, प्रतापगढ़, थानागाजी के ठिकानों की जिम्मेदारी होती थी। गांव की व्यवस्थाओं के लिए जागीरदार व पटेलों की जिम्मेदारी होती थी। इस क्षेत्र को नेहड़ा क्षेत्र कहते हैं। नेहड़ा क्षेत्र से अलवर के तत्कालीन नरेश जयसिंह जी को बहुत लगाव था। वे अपने जीवन काल में कई बार आये। आज भी उनकी स्मृतियां समाज में व्याप्त हैं। राजा जयसिंह जी गांव में अपनी ग्रामीण प्रजा के बीच जाते दुख-सुख की बात पूछते। उनकी समस्याओं का समाधान भी करते। अजबगढ़ बांध इस बात का साक्षी है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो इसकी देख-रेख वे स्वयं कर रहे थे।

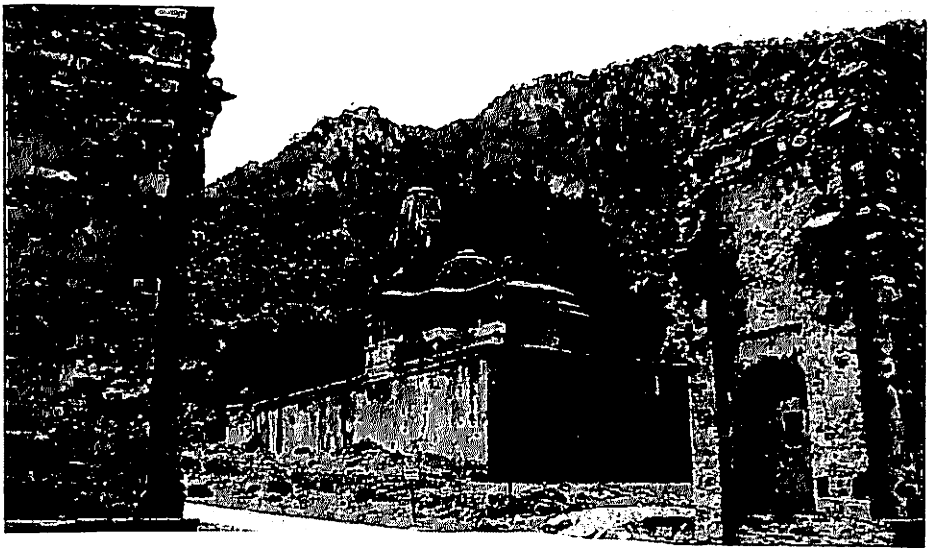

कहते हैं कि एक बार जब राजा जयसिंह जी अजबगढ़ बांध निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे और वह क्षेत्रीय सभासदों के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे तभी अलवर में अंग्रेज अदालत ने उन्हें देश-निकाले की सजा घोषित कर दी। अंग्रेजी सेनाएं राजा जयसिंह को गिरफ्तार करने अजबगढ़ पहुंच गईं। जयसिंह को गिरफ्तार कर वहीं से इंग्लैंड ले गये। देश-निकाले की सजा उन्हीं लोगों को दी जाती थी जिनसे अंग्रेज भयभीत रहते थे।

राजा जयसिंह जी एक बुद्धिमान, स्वाभिमानी, निर्भीक, कुशल प्रजापालक, प्रकृति प्रेमी, राज ऋषि की उपाधि से सम्मानित थे। जब कोई राजा या व्यक्ति उक्त गुणों को संजोये हुए जीवन जीता है तो वह किसी की अधीनता और दमनकारी चक्र को सहन नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से अंग्रेज भी भयभीत रहते थे और इन्हीं गुणों के कारणों से उन्हें भी अंग्रेजों की बर्बरता का शिकार होना पड़ा।

चार साल उपरान्त अलवर को उसके राजा का शव मिला। राजा जयसिंह अलवर के लोक मानस में सदैव के लिए अमिट स्मृतियां बन गये जो युगों-युगों तक लोक कहानियों के रूप में सुनाई देती रहेंगी। आज पूरा भारतवर्ष राजा जयसिंह पर गर्व करता है। इसमें प्रत्येक वह नागरिक जो अलवर की माटी से प्यार करता है, वह भी सम्मान का पात्र है।

सदियों-सदियों से सभ्यताएं बनती-बिगड़ती रही हैं। इसलिए यह क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा, जिसका असर यहां के समाज के इतिहास ने न देखा हो। समय के साथ-साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं। बदलती परिस्थिति में जीवन जीना नई सभ्यता और संस्कृति को जन्म देता है। यह चक्र सतत चलता रहता है। यही प्रकृति का नियम है।

भारत के मानचित्र पर स्थिति : भारत के मानचित्र में देश के सबसे बड़े राज्य, राजस्थान के उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित जिला अलवर की तहसील थानागाजी से दक्षिण दिशा में 20 कि.मी. दूरी पर स्थित है। जिला मुख्यालय से 65 कि.मी., राज्य की राजधानी जयपुर से 100 कि.मी. और देश की राजधानी दिल्ली से 225 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

सरकारी स्तर पर सुविधाएं

सड़क : 25 साल पहले पूरे क्षेत्र में सड़क नाम से कुछ भी नहीं था। गांव में जाने के लिए पगडण्डी थी। ऊंटगाड़ी, बैलगाड़ी के लिए कच्चे रास्ते थे।

यातायात के साधन: तीन प्राइवेट बस थानागाजी से गोला का बास तक 24 घंटे में एक बार आना तथा एक बार जाना होता था। एक बस राजस्थान रोडवेज की। जयपुर

घाटगेट से क्यारा एक चक्कर करती थी और दूसरी प्राइवेट बस चांदी की टकसाल से एक चक्कर करती थी। उस समय बस यही साधन थे।

बिजली: इस क्षेत्र में बिजली केवल थानागाजी और प्रतापगढ़ तक ही सीमित थी।

डीजल पंप: थानागाजी में एक डीजल पंप के अलावा दौसा, अलवर तक कोई व्यवस्था नहीं थी।

स्वास्थ्य सुविधाएं : किशोरी गांव में प्राथमिक उपचार के लिए डिस्पेंसरी थी जिसमें एक कम्पाउंडर और एक नर्स नियुक्त थे। इसके अलावा थानागाजी में ही अस्पताल था जो 20 कि.मी. दूर था।

नर्स : भीकमपुरा में एक नर्स की नियुक्ति थी जो गोपालपुरा-गोविन्दपुरा में भी जाती थी।

पशु अस्पताल: थानागाजी से गोला का बास तक 40 कि.मी. लम्बे क्षेत्र में थानागाजी के अलावा किशोरी में एक पशु स्वास्थ्य केन्द्र था।

शिक्षा व्यवस्था : पूरे क्षेत्र में शिक्षा के प्रति उदासीनता थी। 45 गांवों में 15 स्कूल के आसपास थे। 3 सेकण्डरी, 2 मिडिल, 10 प्राथमिक स्कूल थे, जिनमें 30-35 प्रतिशत लड़के तथा 3 प्रतिशत लड़कियां पढ़ती थी। स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति रामभरोसे थी।

बैंक : 40 कि.मी. लंबे क्षेत्र में 2 ग्रामीण बैंक थे। पूरे क्षेत्र में महाजन पद्धति का बोलबाला था। खेतिहर वर्ग और मजदूर वर्ग पूरी तरह से इनके जाल में था।

रोजगार : अकाल राहत के नाम पर कभी-कभी मिट्टी का कार्य करना जिसमें भी मजदूरी का पूरा चुकारा नहीं।

सरकारी नौकरी : 5 प्रतिशत से अधिक नहीं थी। जिसमें अधिकतर अध्यापक, राजस्व में, बैंक, पुलिस, रोडवेज में कार्यरत थे।

स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग: इस क्षेत्र में स्वैच्छिक स्तर पर किसी प्रकार का कार्य नहीं था और न कोई संगठन या संस्था कार्यरत थी।

मुख्य व्यवसाय

खेती और पशुपालन था। 90 प्रतिशत ग्रामीण इसी में कार्यरत थे। 3 प्रतिशत ऐसे लोग थे जिनका पशु व्यवसाय ही मुख्य काम था।

खेती: रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मेथी, सरसों, तरा, तम्बाकू आदि। खरीफ की फसल में मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, तिल, कालाजीरा आदि। जायद की फसल के नाम पर कहीं-कहीं सब्जी - बैंगन, प्याज, भिण्डी, लौकी आदि। फल के नाम पर पपीता, नींबू, करौंजा आदि।

पशु पालन : भैंस, गाय, बकरी, भेड़, बैल, ऊंट आदि।

सिंचाई के साधन : 90 प्रतिशत कुओं से लाव, चड़स द्वारा तथा 5 प्रतिशत डीजल इंजन द्वारा सिंचाई होती थी।

अजबगढ़ जल ग्रहण क्षेत्र : यह क्षेत्र अजबगढ़ जलग्रहण क्षेत्र में आता है। पूरे क्षेत्र का वर्षा जल अजबगढ़ बांध में जमा होता है। अजबगढ़ बांध इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। एक छोटा बांध जैतपुर में बना है, यह भी इसी जल ग्रहण में आता है। ये बांध रियासतकालीन हैं। इन्हीं दो बांधों के भराव से बांधों के नीचे वाले गांव में धरती का जल स्तर ठीक रहता था तथा अन्य गांवों में अच्छी पैदावार भी होती थी।

कुटीर उद्योग: मार्बल की मूर्तियां बनाना, चर्म उद्योग में ग्रामीणों के लिए जूतियां व चड़स बनाना तथा चमड़े को पका कर आगरा, कानपुर, जयपुर में बेचना। गलीचा, बढ़ई, लुहारी,कुम्भकार, इंजन चक्की, घी, मावा आदि।

सामाजिक व्यवस्थाएं

पूरी घाटी क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत मीणा जाति और 15 प्रतिशत गुर्जर जाति की आबादी है। शेष 15 प्रतिशत में अन्य सभी जातियों की आबादी है जिसमें खटीक, बलाई, नाई, कुम्हार, हरिजन, बनिये, ब्राह्मण, राजपूत, मुसलमान, रैगर, लुहार, कलाड़, सब अलग-अलग होते हुए भी एक हैं।

त्यौहार : होली, दीपावली, रक्षाबन्धन, दशहरा, बासोड़ा मुख्य हैं।

मेला : भर्तृहरि और पांडुपोल हनुमान जी का मेला प्रसिद्ध है।

व्रत: शिवरात्रि, जन्माष्टमी, चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि आदि।

तीर्थ स्थल: नारायणी धाम, नीलकंठजी, पाण्डुपोल, भर्तृहरि, तालवृक्ष।

सिद्ध तपोभूमि स्थल: पाराशर ऋषि की तपस्थली, जहाज-यक्ष का स्थान, भर्तृहरि-उज्जैन के राजा भर्तृहरि का तपस्या स्थल, उदयनाथ जी की तपस्थली, अंगिरा धाम- अंगिरा ऋषि तपस्या स्थली।

स्थानीय देवता : प्रत्येक गांव में अपने-अपने स्थानीय देवता होते हैं। किसी में भैंरु की मान्यता है तो किसी में वीर तेजाजी की। कहीं शिवालय होता है तो कहीं नारायण देव, कहीं हनुमान की प्रतिष्ठा। किसी में पठान देवता की मान्यता है तो अन्य कहीं पीर बाबा की। गांव में कोई न कोई नाम का देवता जरूर होता है जिसमें समाज की आस्था होती है। अपने धार्मिक अनुष्ठानों में उनका भोग लगाया जाता है।

धार्मिक आस्था: इस क्षेत्र में हिन्दू धर्म और मुस्लिम धर्म के मानने वाले हैं। बहुतायत हिन्दुओं की है।

सामाजिक रीति-रिवाज: अपनी जाति धर्म-कर्म के अनुसार एक-दूसरे के कार्यों में सहयोग करना। प्रत्येक अलग-अलग जाति समुदाय समाज में अपनी जाति प्रथा के अनुसार कार्य करना। अपने-अपने समाज में एक-दूसरे को सहयोग करने का भाव अच्छा था। विवाह या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता तो तन-मन-धन से एक-दूसरे की सहायता करते। मेहमानों के प्रति आदर भाव भी अच्छा था।

सामाजिक वैवाहिक प्रथा: अपनी-अपनी जाति समाज में वैवाहिक रिश्ते-सम्बन्ध होते हैं। अन्य जाति में वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं हैं।

सामाजिक कुप्रथाएं : इस पूरे क्षेत्र में कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं जो एक कलंक के रूप में व्याप्त हैं जैसे- बाल विवाह। इस क्षेत्र में राजपूत, महाजन, ब्राह्मण को छोड़ शेष सभी जातियों में बाल विवाह की प्रथा है जिनका प्रतिशत स्तर 95 से भी अधिक है। यह एक जटिल समस्या है। एक घर में अगर पांच लड़कियां हैं, बड़ी लड़की 9 साल की और सबसे छोटी लड़की 3 महीने की तो माता-पिता और समाज को एक साथ विवाह करने में कोई संकोच नहीं होता, कोई शर्मिंदगी नहीं होती क्योंकि यह पूरे समाज में व्याप्त है।

मृत्युभोज : मृत्यु भोज प्रथा भी यहां के समाज की गरीबी-हालत का एक मुख्य कारण है। कर्ज लेकर झूठी प्रतिष्ठा के लिए मां-बाप, दादा-दादी का मृत्युभोज अपनी आर्थिक स्थिति को नजरअन्दाज करके किये जाते हैं। जिससे पीढ़ी-दर-पीढ़ी महाजन के कर्ज में ही जन्म लेती और कर्ज चुकता होने से पहले ही स्वर्ग सिधार जाती। यही जिन्दगी थी, यहां के खेतिहर समाज की। यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति समय पर मृत्युभोज नहीं कर पाता था या बाल्यकाल की अवस्था के कारण व्यवस्था नहीं हो पाती तो उसके बालिग होने पर 20 साल बाद भी मृत्युभोज करना अनिवार्य हो जाता था। अगर किसी कारण वह मृत्युभोज न भी करना चाहे तो समाज के लोग ताने-फब्तियों के द्वारा उसे मजबूर कर देते थे जिसके कारण उसे कर्ज लेना पड़ता था। फिर उसे ताजिन्दगी उतारने में लगा रहता।

झाड़-फूंक टोने-टोटके में विश्वास : यह सब जगह देखा गया है कि जहां गरीबी होती है वहां का समाज इनमें विश्वास करता है। यहां भी वैसी ही स्थिति थी। गांव-गांव में एक दो ओझा होता, वही सब बीमारियों का इलाज करता। सौ लोगों में से किसी एक को किसी कारण से थोड़ा बहुत फायदा हो जाता तो वह हमेशा-हमेशा के लिए उसका भक्त बन जाता और दूसरे लोगों में उसकी चर्चा करता। इस क्षेत्र में सिल्ली बावड़ी और रायपुरा, डेरा में ऐसे कुछ लोग थे जो बड़े स्तर पर यह सब करते थे। इनके पास दिल्ली, जयपुर से लोग आते थे। यह देखा गया कि झाड़-फूंक कराते-कराते मरीज के प्राण पखेरू उड़ जाते थे। फिर भी समाज में

यह अफवाह फैला दी जाती कि देवता ने तो अपनी पूरी-पूरी कोशिश की थी, देवता का क्या दोष?

महाजनी प्रथा: महाजनी प्रथा की पकड़ इस क्षेत्र में इतनी थी कि उसके चंगुल से निकलना मुश्किल था। महाजन एक बार कर्ज देता तो कर्जदार साल में जो भी कुछ कमाता, महाजन के घर पहुंचा देता फिर भी उतना कर्ज बाकी रह जाता जितना उसने पहले दिन लिया था। यहां के महाजन ऐसे पढ़े-लिखे भी नहीं थे फिर भी अपने जाल में फंसाना तो अच्छा जानते थे। वे समाज में व्याप्त गरीबी और अशिक्षा का भरपूर लाभ उठा रहे थे। कर्जदार की हालत एक गुलाम से भी बदतर होती थी। उसे दिन को चैन न रात को चैन, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी कर्जदार बना देता। महाजन के ऋण से ऋण-मुक्त होने के लिए सारी जिन्दगी अपने से लड़ता रहता। अन्त में हारकर मृत्यु के आगोश में समा जाता, फिर भी ऋण-मुक्ति के लिए आत्मा बेचैन रहती। महाजन का कर्ज अपनी गति से चलता हुआ अगली पीढ़ी को पकड़ता। फिर वह इतिहास.......

तरुण भारत संघ

दूसरा कदम

1

नये वर्ष की शुभ वेला में जो भी परिचित-अपरिचित मिले, सभी के साथ नयी वर्ष की शुभ कामना की। दिसम्बर माह में बनाई गई कार्ययोजना को समाज के बीच क्रियान्वित करने का भी नए साल का पहला दिन था।

मैं सुबह कलेवा आदि लेकर 9 बजे के लगभग पास के गांव गोविन्दपुरा में बच्चों को पढ़ाने के लिए गया। पहले दिन दस-पन्द्रह बच्चे आये। पहले दिन की यह पहली उपलब्धि थी और गोविन्दपुरा गांव में बच्चों के लिए शिक्षा का पहला अवसर। मेरे जीवन की भी पहली घटना थी। इससे पहले मैंने कभी छोटे या बड़े बच्चों को एक कक्षा के रूप में नहीं पढ़ाया था। मन में एक अजीब सा था। अपने गांव में परीक्षा के दिनों में यदाकदा दो-एक बड़े लड़के-लड़कियां गणित या कला में कुछ प्रश्न पूछते तो उन्हें बता देता था। कक्षा में बच्चों को पढ़ाना तो गोविन्दपुरा में पहला ही अनुभव था।

ठंड की अधिकता कहें या गरीबी की मार या फिर शिक्षा ज्ञान की कमी, जो भी हो लेकिन तीनों कारणों की तिकड़ी का गठजोड़ था बहुत मजबूत। मैं बच्चों को लेकर पहले तो दीवार की ओट में बैठा। फिर सबके बारे में जानकारी की। जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो बच्चे कुछ झिझक रहे थे। कुछ मेरी समझ में उनकी बोली के भावार्थ स्पष्ट नहीं होते थे। जब मैं बताने की कोशिश करता तो बच्चे मेरी बोली पर हंसते-मुस्कराते। हम दोनों के सामने बोली भाषा की समस्या होते हुए भी एक मत थे। मैं पढ़ाना चाहता था बच्चे पढ़ना। मैंने पहले दिन उपस्थित बच्चों के नाम अपने उपस्थिति-रजिस्टर में लिखे। बच्चों को अच्छी कहानी सुनाई, मैंने भी बच्चों से उनके गीत सुने। 12 बजे के आसपास बच्चों को छोड़ दिया कि अब तुम अपने-अपने घर जाओ और गर्म पानी से नहाना, मुंह, हार्थो व पैरों को अच्छी तरह धोकर आना। बच्चों ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। मैं पहले दिन का अनुभव लिए भीकमपुरा लौटा।

भीकमपुरा में केदार श्रीमाल ने स्वास्थ्य का कार्य संभाला। उन्होंने पहले ही दिन 40-45 मरीज देखे और जो दवाइयां उपलब्ध थी, नि:शुल्क दी। नये साल का पहला दिन समाज कार्य के नाम किया, सुखद अनुभव रहा।

राजेन्द्र सिंह ने नवम्बर-दिसम्बर में भीकमपुरा के पते से पत्र लिखे थे, अब उनके जवाब नई साल की बधाई के साथ मिल रहे थे। राजेन्द्र सिंह और नरेन्द्र सिंह ने मिलकर हिन्दी वाले पत्रों का जवाब हिन्दी में और अंग्रेजी वाले पत्रों का जवाब अंग्रेजी में नई साल

की बधाई के साथ भेज दिया। अब पत्र व्यवहार का सिलसिला चल पड़ा था। काफी पत्र लिखे जाते और शाम को डाक से बहुत से पत्र आते। जिस दिन पत्र नहीं आते, चिन्ता सी रहती। इसलिए शाम को एक व्यक्ति का यह भी जिम्मा रहता कि डाकघर से डाक लाना। डाकघर किशोरी में था। डाकिया भी वहीं का था। कभी-कभी भीकमपुरा में डाक देने आता था। वरना गांव की डाक स्कूल जाने वाले बच्चों को दे देता था। उसकी भी मजबूरी थी। एक ही डाकघर पर 5-6 गांवों की डाक आती थी।

हमें भी खुशी थी कि अब हमारा काम बढ़ रहा है। उधर गांव वाले भी खुश थे कि हमारे बच्चे कुछ न कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं। एक महीने में प्रतिदिन आने-जाने से गांव के सभी लोगों से परिचय हो गया था। मैं सभी के नाम व परिवार से परिचित हो गया था। बड़े बुजुर्ग बहुत प्यार, सम्मान देते थे। बद्री, सेडु, रामनाथ, प्रभु जब भी भीकमपुरा-किशोरी को आते-जाते, हमारे पास जरूर आते थे। बद्री के पिता भगवान सहाय मीणा व मां तो अक्सर खाने को जरूर पूछते रहते थे। मैं खाना खाकर आया हूं, कह देता। कभी-कभी बद्री जरूर जिद कर राबड़ी दे देता था या कभी झाड़ी के बेर देता। बच्चे भी झाड़ी के बेर तोड़ कर लाते और मुझे देते। मैं भी उनके बेरों को कबूल कर खाता तो बच्चों को भी अच्छा लगता, मुझे भी। मेरे साथ-साथ बच्चे भी अपनी मुट्ठी में बेरों को बन्द रखते और खाते रहते। इस क्षेत्र में सर्दियों में यही फल अधिक मिलता था।

एक महीने में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब मास्टर जी, भाई साहब या सतेन्दर जी कहने लगे थे। जहां मैं बच्चों को पढ़ाता था, वहां पास ही बड़ा कुआं था। कुएं पर चार इंजन लगे थे जो अलग-अलग काश्तकारों के थे। अपनी बारी से रोज चलाते थे। सुबह जब मैं जाता तो कोई कहता, मास्टर जी को नहलाओ और हंस देते । मैं भी हंसता हुआ चला जाता। भोती मीणा जब गोद के बच्चे को लेकर घास लेने खेत पर जाती तो वह कभी-कभी कहती कि मास्टर बच्चा कुं बहलां, मैं घास काट लांउ और हंसती हुई खेत को चली जाती।

हम सब के काम नियोजित और नियमित चल रहे थे। नई साल का पहला महीना, नये कार्यक्षेत्र में नये काम के साथ व्यतीत हुआ। महीने के अन्त तक मेरे उपस्थिति रजिस्टर में 45 बच्चे हो गये थे। भीकमपुरा में केदार के पास भी मरीजों की संख्या बढ़ गई थी। मरीजों का यह हाल था कि वह कभी भी समय-असमय आते ही रहते थे। कभी-कभी हमें भी अच्छा नहीं लगता था। फिर भी पीड़ित की सेवा ही धर्म है, के विचार-भाव से जो भी समय पर उपचार होता, अवश्य देते।

फरवरी माह शुरू होते ही राजेन्द्र सिंह को बाहर से कई निमंत्रणों में जाना पड़ा क्योंकि उनके मित्र की शादी थी। वह मित्र लापोडिया के लक्ष्मण सिंह थे। वहां से राष्ट्रीय युवा परिषद के सम्मेलन में चले गये थे। वह 4 फरवरी से श्री महावीर जी में प्रारम्भ हुआ

था। वहां देश के विभिन्न संगठनों के युवा साथी आये हुए थे। 8 फरवरी को राजेन्द्र सिंह अपने राष्ट्रीय युवा परिषद के कुछ मित्रों के साथ भीकमपुरा आये थे। ये मित्र थे-अरविन्द कुशवाहा, चन्द्रशेखर प्राण। ये राष्ट्रीय युवा परिषद के वरिष्ठ कर्ताधर्ताओं में थे या यूं कहें कि ये ही मुख्य संचालक थे। राजेन्द्र सिंह भी उनमें से एक थे। दोपहर का भोजन करने के बाद ये लोग गोविन्दपुरा गांव में चले गए थे। गांव में जाकर लोगों से मिले। गांव के लोगों से बातचीत की और पुराने बांध को दिखाने के लिए साथ गए। सबने पुराने बांध के अवशेषों को देखा। उसके विषय में कार्य करने की कुछ बात हुई। राजेन्द्र सिंह ने कहा कि भगवान बाबा, तुम शाम को भीकमपुरा आना और अपने साथ कुछ लोगों को भी लेकर आना जो इस काम में रुचि रखते हों। अभी तो हम थोड़ा गोपालपुरा के लोगों से भी राम-राम करके आते हैं। भगवान बाबा व दो -चार बड़े -बूढ़ों ने इस काम में रुचि दिखाते हुए सिर हिलाया कि हम सब आयेंगे।

राजेन्द्र सिंह, अरविन्द और चन्द्रशेखर प्राण के साथ बातचीत करते हुए गोपालपुरा के लोगों से मिलने, क्षेत्र व देश-दुनिया की बात करते हुए घाटीनुमा रास्ते से गोपालपुरा के तेजाजी महाराज के पास जा पहुंचे। जहां गांव के बड़े-बुजुर्ग व बाल-बच्चे अलाव लगा कर हाथ सेंक रहे थे। राजेन्द्र सिंह व नये मेहमानों ने गांव वालों को राम-राम की। गांव वालों ने भी आये अतिथियों का स्वागत राम-राम करते हुए अपने बीच जगह बनाते हुए थोड़ा घेरा बड़ा किया और कहा कि भाई साहब यहां बैठो, हाथ सेंक लो। गांव का मान-सम्मान स्वीकारते हुए राजेन्द्र सिंह व साथ में आए नए मेहमान भी उनके साथ बैठ गए। राजेन्द्र सिंह ने साथ आए मेहमानों का परिचय कराया, गांव बस्ती के बारे में कुछ बातें हुई। थोड़ी देर बातचीत के बाद राजेन्द्र सिंह ने गांव वालों से चलने के लिए कहा, अब चलें। आप भी कल भीकमपुरा आना और भीकमपुरा के लिए चल दिए।

राजेन्द्र सिंह ने मुझसे कहा कि दुकान से थोड़ा गुड़ मंगा लेना। रात को शायद कुछ लोग आएं ! पता नहीं, फिर भी तू मंगा कर रख लेना। लोग ठंड में चल कर आयेंगे तो थोड़ा-थोड़ा दे देंगे। मैंने गुड़ का इंतजाम कर लिया था। लोगों का इंतजार भी करने लगे। थोड़ी देर में भगवान बाबा अपने साथ 10-12 लोगों को साथ लिए आ पहुंचे। अब ठंड भी बढ़ चली थी। इसीलिए सब खेश, चादरों को लपेटे हुए थे।

गांव के लोगों के साथ भीकमपुरा में आज रात छोटी सी बैठक हो रही थी जिनके घर हम रह रहे थे वे भी बड़े आश्चर्य में थे कि लोगों के साथ में ये क्या बात कर रहे हैं? आश्चर्य की तो बात ही थी। आज गोविन्दपुरा के लोग भीकमपुरा के सेठों को बिना बताए ही भीकमपुरा चले आये थे। दूसरे उनके ही घर में बैठक कर रहे, क्यों कर रहे हैं बताया तक नहीं? एक साथ इतने लोगों की इतनी रात गये ऐसा क्या काम आ पड़ा? जो इन्हें यहां आना पड़ा। बस ! इन्हीं गुत्थियों की उलझन में वे सो गए होंगे।

राजेन्द्र सिंह गोविन्दपुरा से आये लोगों से गांव के एक संगठन की बात कर रहे थे कि आप लोग अगर एक साथ मिलकर सहयोग करोगे तो आपने जो काम हमें दिखाया है, यह अवश्य हो जायेगा और भी अच्छे काम हो सकते हैं। अभी तो गांव में बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की है। फिर धीरे-धीरे सरकारी भी हो जायेगा। अभी तो बच्चों को रोज स्कूल भेजा करो और पानी के काम के लिए सब का संगठित होना जरूरी है। गांव से आये लोग एक प्रकार से प्रतिनिधिमण्डल का रूप लिए हुए थे। गोविन्दपुरा में दो जाति के लोग रहते हैं- मीणा और बलाई। इस बैठक में भी दोनों जाति के लोग थे। जैसे पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हों। इस बैठक में गांव के बुजुर्ग और नौजवान लोगों का सामंजस्य था। अपनी स्वेच्छा से अपनी बात कहने और हमारी बात सुनने के लिए ही ठंड में आए थे। इनके मन में कहीं न कहीं तड़प थी अपने पानी को बचाने की, कुछ साधन हो जाए तो वे अपने पानी को अवश्य बचायेंगे। सहयोग भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ राजेन्द्र ने कहा कि गांव संगठन से काम करेगा तो मैं भी गांव के साथ हूं। सभा के बाद गांव के लोग चले गए थे। हमने भी आपस में कुछ बातचीत की और सो गए।

सुबह को राजेन्द्र सिंह के दोनों मित्र अपने गन्तव्य स्थान को जा रहे थे। उन्होंने 20 फरवरी से इलाहाबाद में होने वाले राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में आने का आमंत्रण दिया। अतिथि चले गए। हम अपने काम में लगे।

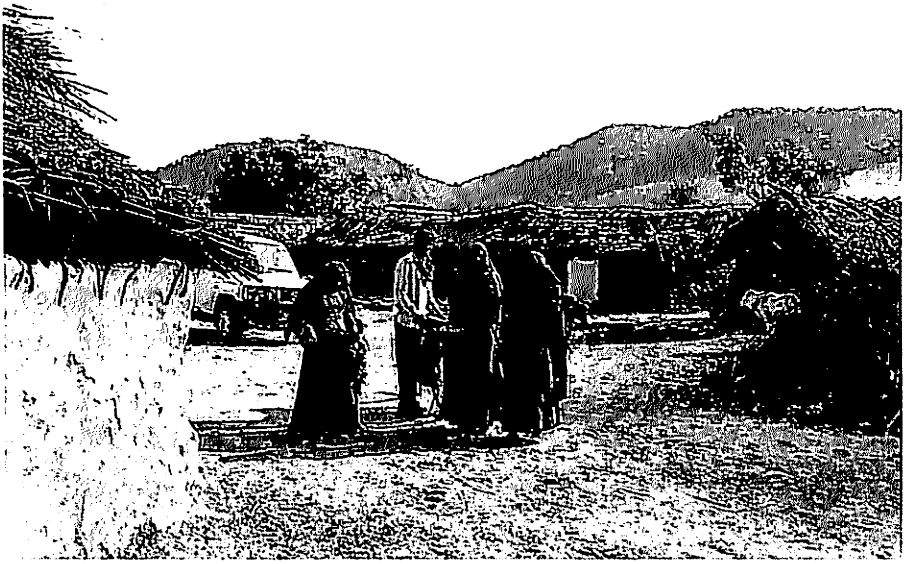

2

दिसम्बर माह में हमें जैसे ही समय मिलता, गांव में सम्पर्क के लिए निकल जाते। ऐसे ही एक दिन मैं, नरेन्द्र, केदार, हनुमान पहले गोपालपुरा गये, चार-छः लोगों से मिले। भीकमपुरा में जिसकी गाड़ी में हम आये थे, उस आदमी से भी मिले। थोड़ी देर बैठे। आसपास के गांवों के विषय में बातचीत होती रही। बातों-बातों में यह निकला कि भाल गांव ऐसा गांव है जो बिल्कुल जंगल में है। वहां केवल गुर्जर ही गुर्जर हैं और कोई सी जाति के लोग नहीं हैं। आपको एक बार देखना चाहिए। यहां से दो कोस पर गांव है। ये सीधा गेला भाल को जाता है। हमारे मन में भी भाल गांव को देखने के लिए भाव जागृत हुआ। हम चारों ने मन बना लिया कि भाल में जाकर आते हैं। दो-ढ़ाई बजे का समय रहा होगा। लगभग 3-4 घंटे का समय हमारे पास था। हम चारों बातचीत करते पूछते-पाछते भाल गांव में जा पहुंचे थे।

"गांव देखते-देखते गांव के अन्तिम छोर पर पहुंच गए थे। गांव की विशेषता यह थी कि पूरा गांव एक लाइन में पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था।"

पहली नजर में लगा कि यहां पशु बहुत हैं। चारों ओर गोबर ही गोबर दिख रहा था। मरे हुए पशुओं के अस्थिपंजर भी गांव के नजदीक बहुतायत मात्रा में चारों ओर बिखरे पड़े थे। यह सब देखते हुए हमने गांव में प्रवेश किया। गांव देखते-देखते गांव के अन्तिम छोर पर पहुंच गए थे। गांव की विशेषता यह थी कि पूरा गांव एक लाइन में पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था। सभी के घर छप्पर के एक जैसे थे। पशुओं के लिए बने प्रत्येक बाड़े में 50-60 गायें थीं, भैंसें थीं। भैंसों की संख्या अधिक थी। इसके अलावा 60-70 बकरी भी प्रत्येक बाड़े में थी। बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी थी। सब का एक सा रहन-सहन, खान-पान, पत्थरों की डोली, छिला के पत्तों से बनी छान, सभी मकानों के आगे बिना किसी किवाड़-चौखट के खुली तिबारी, तिबारी में दो-चार ऊंची- ऊंची खाट, एक ओर बल्लियों पर रखे बिछावन आदि सब कुछ मिलाकर एक सा भाव था। गांव में 30-35 घर थे जिनमें एक घर ब्राह्मण परिवार का था।

प्रत्येक घर में 4-5 बच्चे। गांव में केवल दो लड़के छठी कक्षा में पढ़ते थे। मुख्य धंधा-पशुपालन, दुग्ध से घी, मावा बनाना, थोड़ी बहुत खेती-बाड़ी। बहुत सीमित आवश्यकताओं में जीवन जीते लोग, विकास नाम की परछाई से बहुत दूर; जहां एक

प्रकार से पशुत्व आदमी का जीवन था, फिर भी मिलन भाव लिए हमसे अपनी जरूरतों का रोना रोया। हम भी उनकी पीड़ाओं से दुखी हुए। शिक्षा के लिए कुछ करने का भाव लिए देर शाम हम भीकमपुरा लौटे।

राजेन्द्र सिंह बाहर गए हुए थे। जब वे वापिस भीकमपुरा आए तो हमने गांव के सम्पर्क के विषय में अवगत कराया। भाल गांव के विषय में भी बताया और कहा कि वहां शिक्षा की बहुत जरूरत है। इसलिए वहां हम में से कोई एक स्कूल का कार्य देख लेगा। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। सोच कर तय करना। फरवरी माह से भाल में स्कूल चला देंगे।

दिसम्बर माह के निर्णय को क्रियान्वित करने का समय आ गया था। आज जनवरी माह का अन्तिम दिन था। एक फरवरी से भाल गांव में नए स्कूल की शुरुआत करनी थी। नए स्कूल के संचालन का कार्य हनुमान जाट ने लिया। मैं गोविन्दपुरा स्कूल के लिए गया।1 बजे के लगभग मैं गोविन्दपुरा से आ गया था। हनुमान के लिए जरूरी सामान की तैयारी की क्योंकि आने वाली नई सुबह से उसे भाल गांव में नया स्कूल चलाना था। हनुमान अपनी पूरी तैयारी में लगा था। सामान कोई ऐसा ज्यादा नहीं था। फिर भी दूसरे गांव में जाने के लिए जो आवश्यक सामग्री की जरूरत महसूस की, वह सब रखी।

बच्चों के लिए किताब, कुछ स्लेट और कुछ भोजन सामग्री। लगभग तीन बजे हम (हनुमान जाट, केदार, नरेन्द्र) भाल गांव के लिए भीकमपुरा से चले। भीकमपुरा वापिस भी आना था, इसलिए कुछ जल्दी थी। बातचीत करते हुए भाल गांव में 1.30 घंटे में ही पहुंच गए। गांव वालों से बातचीत हुई। सभी ने अपना सहयोग देने का वायदा किया। अगली सुबह से बच्चों को भी भेजने के लिए कहा। मास्टर जी को एक तिबारी बता देंगे कि इस तिबारी में तुम्हें पढ़ाना है। हम ग्रामीणों के आश्वासन पर चाय पीकर भीकमपुरा के लिए चल दिए। भाल में समय कुछ ज्यादा ही हो गया था। सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। रात के अंधेरे में झाड़ियों और पत्थरों से पैर बचाते और पगडण्डी पर नजर गड़ाये हुए भीकमपुरा में पहुंचे।

2 फरवरी सुबह की वेला में हम छत पर जाड़े की धूप सेंक रहे थे। सामने की गली में हनुमान जाट आता दिखाई दिया। उस समय हमारी स्थिति अजीब सी थी। अन्दर एक कौतूहल था और जिज्ञासा भी कि हनुमान इतनी सुबह क्यों आ रहा है? जैसे-जैसे उसकी दूरी कम होती जाती, हमारी जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती। दिल की धड़कन भी कुछ तेज हो चली थी। हनुमान जैसे ही छत पर आया, मुंह से केवल एक ही सवाल निकला, क्या हुआ? । हनुमान ने धैर्यपूर्वक भाल गांव का हाल सुनाया। गांव वालों ने रात्रि में बैठक की थी जिसमें निर्णय किया कि हम अपने बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति के पास नहीं

भेजेंगे इसलिए आप सुबह चले जाना। मैं सुबह उठते ही चला आया हूं। हम सबने हनुमान को समझाया कि नये गांव में नया काम करना कठिन होता है।

राजेन्द्र सिंह ने कहा कि कल मैं भाल गांव में चलूंगा। दो-चार दिन रहकर गांव वालों के साथ बातचीत करेंगे। गांव वाले हमारी बात मान जायेंगे। 3 फरवरी की शाम 4 बजे के लगभग राजेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, हनुमान तीनों व्यक्ति भाल के लिए भीकमपुरा से चल दिए। राजेन्द्र सिंह तीन-चार दिन रुकने की तैयारी के साथ ही गए थे। लेकिन गांव में जैसे ही राजेन्द्र सिंह व साथियों के पहुंचने की सूचना हुई, गांव की बैठक में फिर वही निर्णय लिया गया कि हमें अपने बच्चे नहीं पढ़ाने हैं। अभी बाहर के लोगों को भी नहीं रहने देंगे। हमें पता नहीं है आप कौन हैं? कहां से आये हैं ? हमारे बच्चे व लड़कियों को कहीं ले गये तो हम क्या करेंगे? इसलिए आप सब सुबह ही चले जाना। राजेन्द्र सिंह के लाख समझाने पर भी एक भी ग्रामवासी ने बात नहीं सुनी। आखिरकार राजेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह और हनुमान जाट 4 फरवरी की अल सुबह ही भाल गांव से चल कर भीकमपुरा आ गए।

राजेन्द्र सिंह को आता देख मेरी उत्सुकता तीव्र हो चली थी। मैंने केदार श्रीमाल को कहा कि ये तो सभी आ गए। केदार को भी आश्चर्य हुआ कि एक गांव के आश्वासन और आवश्यकता के अनुरूप ही हमने कार्य चुना और उन्हीं के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की परन्तु आज गांव में ऐसी कौन सी बात हो गई कि गांव वाले हमारी एक भी बात नहीं सुन रहे हैं। मन में खिन्नता के भाव भी आये। दुःख भी हुआ कि लोगों के लिए कोई कुछ करना भी चाहे तो चाहते हुए भी नहीं कर पाता है। लोगों में अनजान लोगों से डर बना हुआ ही रहता है। चाहे वह समाज सुधारक या साधु -संन्यासी ही क्यों न हो। राजेन्द्र सिंह के आने पर विस्तार से बातचीत हुई। समाज की मनोवृत्ति समझने के नये पहलू सामने आये। हम सबने इसे चुनौती के रूप में लिया। किसी प्रकार की मन में ग्लानि नहीं आने दी।

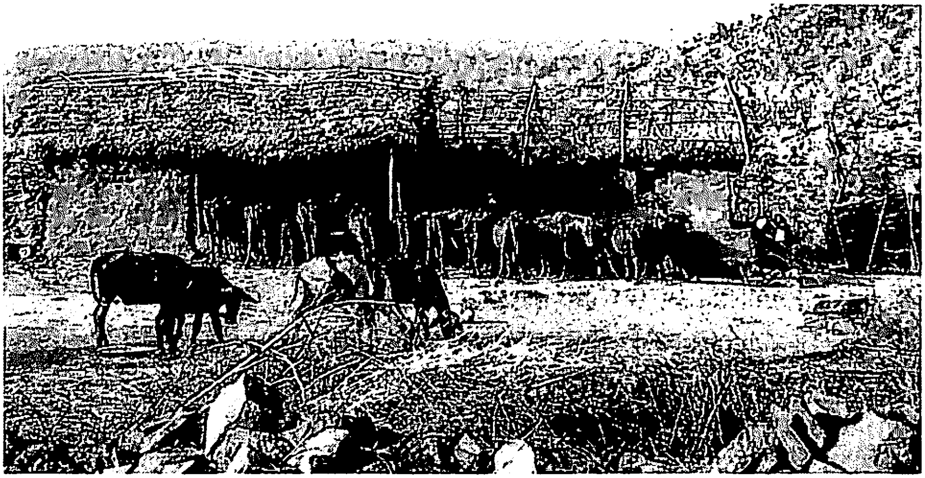

3

फरवरी में जैसे-जैसे ठण्ड कम हुई, दिन भी कुछ बड़ा हुआ। हमने क्षेत्र में भ्रमण अधिक करना शुरू कर दिया। जैतपुर, सिलीबावड़ी, लाला भैया, रामजी का गुवाड़ा, गुगली का गुवाड़ा आदि गांवों के बीच में पड़ने वाले गांवों में जाना। गांव वालों से बातचीत करना। उनके विचार, जीवन-शैली को समझना। बातचीत के दौरान ग्रामीणों की मनोवृत्ति के साथ-साथ हाव-भाव को भी समझना। उसी प्रकार से ग्रामीण लोग भी हमारे बारे में तरह-तरह के जिज्ञासापूर्ण सवाल पूछते थे। इस सवाल-जवाब के दौरान ही कई अच्छे साथी बने। हम उन्हें भीकमपुरा आने का निमंत्रण देते तो वे सहज रूप से स्वीकार करते थे।

गांव के भ्रमण के दौरान ही कई गांवों में बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया था। हालांकि हमारे पास साधन तो कुछ भी नहीं थे। फिर भी एक आशापूर्ण आश्वासन अवश्य देते थे जिससे ग्रामवासियों में बार-बार मिलने की जिज्ञासा बढ़ती। हमारा भी परिचय बढ़ता था। गांव के बीच कार्य करने की हमारी ललक को बल मिलता था। उसी ललक-पिपासा के बल से हमें एक आशापूर्ण सन्तुष्टि मिलती थी जो हमारे उत्साह को अदृश्य रूप से बढ़ाती थी। वह एक सुखद अनुभव के क्षण होते थे।

"गांव वालों से बातचीत करना। उनके विचार, जीवन-शैली को समझना। बातचीत के दौरान ग्रामीणों की मनोवृत्ति के साथ-साथ हाव-भाव को भी समझना।"

× × ×

राजेन्द्र सिंह के द्वारा किये जा रहे पत्र-व्यवहार का असर अब कुछ अनुदात्री संस्थाओं पर होने लगा था। कुछ ने तरुण भारत संघ के विषय में पूछा तो किसी ने क्षेत्र के विषय में जानकारी चाही। इन सब सवालों के जवाब राजेन्द्र सिंह सभी को देते रहते थे।

सबसे पहले आर्थिक सहयोग, भगवानदास ट्रस्ट-अलवर, राजस्थान सेवक संघ-जयपुर, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान-दिल्ली, पर्यावरण विभाग (भारत सरकार-दिल्ली)और सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन माण्डकलाव-जोधपुर से मिलने की शुरुआत हुई थी। इसके साथ-साथ स्थानीय सहयोग मिलना भी शुरू हो गया था। वनवासी सेवा आश्रम, मिर्जापुर से दो साल के लिए समाज में कानून जागरूकता के लिए एक 50 हजार की परियोजना का आश्वासन-पत्र और सहयोग राशि का चैक मिला था।

प्रारम्भ में कासा, समाज कल्याण बोर्ड, पाडी, कार्ड, आक्सफेम आदि संस्थाओं से सम्पर्क किया था। सभी ने अपनी-अपनी तरह से जानकारी चाही थी। हमारे क्षेत्र का सबसे पहले क्षेत्रीय भ्रमण कासा के प्रभारी श्री प्रभात फलेवस ने किया था। फलेवस लखनऊ से जयपुर के लिए आए थे तो उन्हें राजस्थान में सबसे पहले तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में होकर गुजरना पड़ा। प्रभात जी को क्षेत्र की मोटी-मोटी जानकारी दी गई। गोविन्दपुरा और गोपालपुरा गांव का भ्रमण भी कराया। साथ ही साथ ग्रामीणों से भी बातचीत हुई। गांव की परिस्थितियों से अवगत हुए। जिस समय प्रभात जी भीकमपुरा आये थे, उस समय राजेन्द्र सिंह बाहर गये हुए थे। प्रभात जी ने जयपुर में सम्पर्क करने के लिए कहा और अपना पता भी दिया।

मार्च के महीने में कुछ कार्य करने की जिज्ञासा से जैतपुर-मालियों की ढाणी के लोगों के प्रस्ताव पर बच्चों के लिए स्कूल चलाने का कार्य किया। ग्रामवासियों ने हनुमान जी के मन्दिर पर जगह दी और एक लड़के को भी स्कूल के काम में लगाया जो आठ कक्षा तक पढ़ा था। बच्चों के लिए तभासं ने किताब, स्लेट-चॉक दिये और अनुदेशक को मानदेय स्वरूप कुछ राशि दी। उस समय कार्य उत्साहपूर्ण था। जब कार्य बढ़ता दिखाई देता है तो मन भी उत्साहित होता है और कार्य में लगनशीलता भी बढ़ती है। उसी लगनशीलता के कारण गोविन्दपुरा बाल विकास केन्द्र पर गोपालपुरा के कैलाश शर्मा को नियुक्त किया।

रायपुरा गांव का भ्रमण किया। रायपुरा के जागीरदार अमर सिंह जी से उनके घर पर ही भेंट हुई। बातचीत के दौरान रायपुरा के लोगों ने बच्चों की शिक्षा में रुचि ली। रायपुरा में 20 घर की आबादी थी। रायपुरा गांव अभी तक सरकारी-गैर सरकारी किसी भी संस्था के द्वारा विकास नाम से दूर रहा था। तभासं के कार्यकर्ता ही इस गांव में पहले पहल शिक्षा के कार्यक्रम की एक किरण विकास के नाम पर लेकर गये। गांव ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग किया। रायपुरा बाल विकास केन्द्र में 15 मार्च से शिक्षण कार्य शुरू किया। गांव के राजपूत, ब्राह्मण और बलाई परिवारों के बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे थे।

मैं अपने नियत समय पर भीकमपुरा से रायपुरा सुबह पहुंच जाता था। ग्रामवासियों के सहयोग से 20 बच्चों की संख्या हो गई थी। जो बच्चे बकरियों में जाते थे आयु बड़ी होने के कारण नहीं आते थे। केन्द्र पर अधिकतर 5 से 8 साल के बच्चे ही आते थे जिनमें तीन लड़कियां भी थीं। मेरा प्रयास बकरियों में जाने वाले बच्चों के लिए भी था लेकिन शिक्षण के समय और जंगल में बकरियों को ले जाने का समय एक ही था इसलिए बकरियां चराने वाले लड़के-लड़कियां शिक्षण से दूर ही रहे।

रायपुरा गांव में सजन सिंह भी रहते थे। वह अपने खेत पर रहते थे तथा राजस्थान पुलिस में सेवारत थे। कभी-कभी मुलाकात होती थी तो बड़े आदर-सम्मान के साथ बातचीत करते थे। उनके भी दो बेटे बाल विकास केन्द्र पर पढ़ने के लिए आते थे। जब कभी गांव आते तो लोगों को बच्चों की शिक्षा के लिए कहते थे। समाज को इसकी बहुत जरूरत है। अच्छा लगता था कि लोग हमारे काम को स्वीकारने लगे हैं। बच्चों को शिक्षित करना मेरा उद्देश्य रहा। कई बच्चे जो आयु में कुछ बड़े थे उनकी ग्रहण क्षमता अच्छी थी। पढ़ाने में मन भी लगता था।

अब तक तो सब ठीक था। जो भी यहां की व्यवस्थाएं थी हम सब मिलकर करते थे। अब केवल दो जने ही रह गए थे, मैं और राजेन्द्र सिंह। पुराने मित्र केदार व हनुमान जाट अपने पारिवारिक कार्यों से गांव चले गए थे। नरेन्द्र की परीक्षा चल रही थी इसलिए वह पहले ही फरवरी में चला गया था। हमारे आगे समस्या यह थी कि हम दोनों में खाना कोई भी बनाना नहीं जानता था। मुझे भी केदार, हनुमान, नरेन्द्र के रहते खाना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हालांकि रसोई की साफ-सफाई व अन्य काम में तो मैं पूरा सहयोग करता था लेकिन सब्जी व रोटी तो वे तीनों ही बनाते थे।

कभी परिवार से दूर नहीं गया इसलिए कभी मौका नहीं पड़ा था। अब रोटी बनाना सीखना जरूरी हो गया था। कैसे बनाएं? एक समस्या सामने आ गई। जब केदार,हनुमान, नरेन्द्र रहते थे तो वे खाना बनाते समय रोटी कम बनानी पड़े इसलिए आटे के छोटे-छोटे गोले बना लेते थे। उन गोलों को जो सब्जी बनती थी उसमें डालते थे जिसे पानी-भाव बाटी कहते थे। वह सब्जी के साथ-साथ तैयार हो जाती थी। दूसरे रोटी बनाते-समय अंगीठी में जहां खाली जगह होती है, उसमें कोयलों से जो गर्म राख गिरती रहती है वहीं आटे के छोटे गोले बनाकर डाल देते थे। वे धीरे-धीरे उसी में सिक जाते। कहीं-कहीं जल भी जाते थे। फिर उन्हें कपड़े से साफ कर के दाल या सब्जी में मौर कर खाते। कभी-कभी उनका चूरमा भी बना लेते थे। यह सब मैंने उनके काम में सहयोग करते हुए देखा था। देखने और हाथ से करने में बहुत फर्क तो होता है। उनके साथ रहते-रहते दाल, सब्जी, चावल, खिचड़ी तो कुछ-कुछ बनाना सीख लिया था। रोटी बनाना नहीं सीखा था। इसलिए खिचड़ी या दाल चावल पर ही ज्यादा निर्भर रहना पड़ा। राजेन्द्र सिंह तो खा लेते थे, मुझे चावल खाने की आदत नहीं थी। इसलिए रोटी बनाना जरूरी हो गया था।

राजेन्द्र सिंह प्रवास पर चले गए थे। अब आटा तो था। परन्तु कैसे उसे गूंथें? बड़ी परेशानी में जान थी। हिम्मत करके प्रयास किया और आटे में आखिरकार पानी डाल दिया। अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई, आटा कम पानी ज्यादा हो गया था। फिर उसमें आटा डाला इस प्रकार एक आदमी की जगह चार आदमियों के खाने जितना आटा हो गया था। गरीबी में आटा गीला वाली कहावत शत-प्रतिशत हकीकत बन

गया था। फिर भी गाढ़ा पतला करके आटे के गोल टेढ़ी-मेढ़ी बाटी बनाई और उसे अंगीठी के निचले खाली भाग में डाल ऊपर से कुछ राख कर दी। अंगीठी के ऊपरी भाग में दाल बन रही थी। मैं अन्य काम में लग गया। दाल बन गई; अंगीठी से नीचे उतारी। अब बाटियों को देखा तो उनका आधे से अधिक ऊपरी भाग जल गया था। ये इसलिए हुआ कि एक बार डालने के बाद देखा ही नहीं था। पहली बार देखा तो वह जल गई थी। फिर भी जैसे तैसे पेट भर कर अपने संस्थागत कुछ कामों में लग गया था। शाम को दिन में बचे हुए भोजन से ही काम चलाया।

इस प्रकार चार-पांच दिन निकल गए। इन बीते चार-पांच दिनों में आटा लगाना तो सीख लिया था। राजेन्द्र सिंह भी प्रवास से लौट आये थे। उन्हें शायद बाटी अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने कहा कि रोटी भी सीखनी पड़ेगी। आज चल तू आटा लगा मैं रोटी बनाता हूं। मैंने सब्जी बनाते-बनाते आटा भी लगा दिया था। राजेन्द्र सिंह रसोई में आये, कहा ला मैं रोटी बनाता हूं। वह रोटी बनाने लगे। उन्होंने जल्दी-जल्दी टेढ़ी-मेढ़ी रोटी चकला बेलन से बनाई। हम रोटी बनाते-बनाते आपस में हंस भी रहे थे। मैंने उन्हें कच्चा-पक्का सेंका। जैसे ही रोटी बनकर तैयार हुई तो मैंने अंगीठी से तवे को हाथ से पकड़कर जमीन पर रखा। तवा पूरा गर्म था। इस कारण चार उंगलियों के पोरुए की ऊपरी चमड़ी तवा पकड़ते ही सफेद हो गई थी। कुछ क्षणों बाद महसूस हुआ कि गलती हो गई, तवा चिमटे से उतारना चाहिए था। अब तो हाथ जल चुका था। फिर भी मन में एक खुशी और सन्तुष्टि थी। क्योंकि आज पहली बार केदार, हनुमान, नरेन्द्र के जाने के 15-20 दिनों बाद रोटी बना कर खाई थी। अब धीरे-धीरे हमने रोटी बनाना सीख ही लिया। कुछ ही दिनों में मुझे अच्छी रोटी बनाना भी आ गया। अब मैं अपनी पसन्द का खाना बना लेता था। खुश था और स्वस्थ भी। साथ ही अपने काम में बहुत मस्त रहता था।

❑❑❑

4

गर्मी शुरू हो गई थी। फसल पक गई थी, सरसों की कटाई इस क्षेत्र में फरवरी में हो चुकी थी। जौ व चना की कटाई चल रही थी। गेहूं की कटाई की तैयारी हो रही थी। गेहूं के खेत ऐसे लगते थे मानो सोने की चादर बिछ रही हो। हवा के झोंके के साथ ही खेत में एक लहर सी बन जाती थी। नई फसल आने के साथ-साथ कई त्यौहारों का आना भी भारतीय दर्शन में समाहित है। इसी समय नया संवत् शुरू होता है। चाहे वह खरीफ की फसल हो या फिर रबी की फसल हो। नई फसल का त्यौहार ही स्वागत करते हैं। फिर शुभ ही शुभ होता है। तभी तो विवाह शादी जैसे पवित्र सामाजिक रीति-रिवाज इन्हीं के बाद होते हैं। यही भारतीय चिन्तन की विशिष्टता है।

"नई फसल का त्यौहार ही स्वागत करते हैं। फिर शुभ ही शुभ होता है। तभी तो विवाह-शादी जैसे पवित्र सामाजिक रीति- रिवाज इन्हीं के बाद होते हैं। यही भारतीय चिन्तन की विशिष्टता है।"

जब रबी की फसल आती है तो नई उमंग भी साथ लाती है। उस उमंग के प्रतीक हमारे होली और बैसाखी के पर्व हैं जिसमें उत्तरी भारत ही नहीं, समूचा देश झूम उठता है। इसके साथ ही नये संबंधों में समाज बन्धता है और अपने सपने संजोता है। इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे राजस्थान में आखा तीज भी एक ऐसा ही पर्व है। जब समाज नये संबंधों में बंधता है। बड़ा पवित्र दिन है।

समय के साथ कुछ त्यौहारों में बुराइयां भी आ गयी हैं। ऐसा ही आखा तीज के अवसर पर समाज में देखने को मिलता है। इस दिन की सबसे बड़ी बुराई बाल-विवाह की है। इस क्षेत्र में बाल विवाह अपनी चरम पर रहा है। यहां अपने बच्चों का सम्बन्ध मां के गर्भ में बच्चे के आने से ही समाज आपसी संबंधों में बंधने का प्रयास करता था। ऐसा इस क्षेत्र में देखने को मिला था। एक परिवार में अगर एक बड़ी लड़की की शादी होती तो उसी के साथ परिवार की सब बच्चियों की भी शादी कर दी जाती है। हमने बाल-विवाह के विषय में पढ़ा तो था लेकिन अपनी आंखों से देखा यहीं पर। यहां मां का दूध पीते बच्चों को फेरे लेते हुए देख; बड़ा आश्चर्य होता था।

5

संस्था के कार्यकर्ता इसमें पूर्ण सचेत भाव से समाज के बीच रहकर कार्यरत रहे हैं। बहुत ही संजीदगी के साथ समाज के साथ रहते-रहते इस कार्य को सीधे तौर से न करते हुए पढ़े-लिखे लोगों से बातों ही बातों में, हल्के से अपनी बात उनके बीच पहुंचाना और उनके भाव को समझना होता था। लेकिन समाज के साथ इस पर सीधा खुलकर संवाद करना समाज की परिस्थितियों को देखते संभव नहीं था। इस क्षेत्र में बाल विवाह राजपूत, ब्राह्मण और बनिए जाति के लोगों को छोड़ कर बाकी सभी जातियों में होता था। धीरे-धीरे समाज में लड़कियों का पढ़ना-लिखना जरूरी बनता जा रहा है। शिक्षा और जागरूकता के कारण बाल-विवाह पर रोक लगती जा रही है। कार्यकर्ता समय के साथ बदलती तस्वीर से संतुष्ट थे कि समाज बदलेगा, बदल रहा है। जैसे-जैसे वह स्वयं को बदल रहा है, सही सोच के साथ ही है।

''धीरे-धीरे समाज में लड़कियों का पढ़ना-लिखना जरूरी बनता जा रहा है। शिक्षा और जागरूकता के कारण बाल-विवाह पर रोक लगती जा रही है। कार्यकर्ता समय के साथ बदलती तस्वीर से संतुष्ट थे कि समाज बदलेगा, बदल रहा है।''

नुक्ता प्रथा भी एक ऐसी प्रथा थी जिसमें समाज कर्ज में डूबा रहता था। कर्ज में डूबा हुआ समाज क्या सीखे? क्या सोचे? क्या करे? कर्ज देने वाला सब कुछ हर लेता है। उसे सोचने-समझने के लिए मौका ही कहां मिलता था? कर्जदार व्यक्ति हमेशा अपने संकुचित भाव लिए जीवन-बसर करता था। अगर उसके घर में किसी प्रकार की खुशी या गमी होती है तो उसका लाभ प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष रूप से उसे कर्ज देने वाले को ही होता था। नुक्ता प्रथा के चलते पूरा समाज कर्जदार बना हुआ था। नुक्ता में कर्ज देने वाला व्यक्ति सबसे पहले नुक्ता करने वाले व्यक्ति के रिश्तेदारों की हैसियत को देखता और उसके अनुसार अपना लाभ-हानि का हिसाब लगा कर कर्ज की व्यवस्था करता था। कर्ज नकद में नहीं दिया जाता था। नुक्ते की सभी सामग्री स्वयं कर्ज देने वाला साहूकार या महाजन देता था।

संस्था के कार्यक्षेत्र में अधिकतर महाजनी प्रथा थी। कैसा सामान? कहां से? किस भाव? लिया गया है, नुक्ता करने वाले व्यक्ति को कुछ भी मालूम नहीं होता था। नुक्ते के खर्चे का हिसाब महाजन की बही में ही लिखा जाता था। नुक्ते के खर्च की पहली किस्त

नुक्ते के दिन ही वसूल कर ली जाती थी। गांव, बस्ती व रिश्तेदारों के जीमने के बाद शाम को गांव व रिश्तेदारों के सामने पगड़ी की रस्म होती तो नुक्ता करने वाले व्यक्ति के यहां आए हुए उसके भाई-भतीजे व लड़कों की ससुराल पक्ष के लोग पगड़ी रस्म में कुछ सहयोग स्वरूप देते थे। अगर किसी कारण से आये मेहमानों को अहम भाव हो जाये कि हम पगड़ी में सबसे अधिक पैसे देंगे तो कर्ज देने वाले व्यक्ति के वारे-न्यारे होते थे। पगड़ी की रस्म में अपने हिसाब से देने वाले नाते-रिश्तेदार अनेक होते थे लेकिन पगड़ी की रस्म में आए धन का मालिक एक होता था- वह था नुक्ते का भार उठाने वाला महाजन। नुक्ता प्रथा में नुक्ता करने वाला और नाते-रिश्तेदार कुल मिलाकर समाज कर्ज में डूबा रहता था।

"अगर किसी कारण से आये मेहमानों को अहम भाव हो जाये कि हम पगड़ी में सबसे अधिक पैसे देंगे तो कर्ज देने वाले व्यक्ति के वारे-न्यारे होते थे।"

कुछ नये मित्र आ गये थे जिनमें अमन सिंह, दृगपाल सिंह थे। इन सब के साथ बातचीत करते गांव के विषय में भी चर्चा करते रहते, ये दोनों अभी एक प्रकार से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र को देख-समझ रहे थे। काम करने का ऐसा कोई मकसद नहीं था। जब साथ रहते हैं तो तरह-तरह के विषयों को लेकर बातचीत तो होती रहती है। यह सब स्वाभाविक होता है।

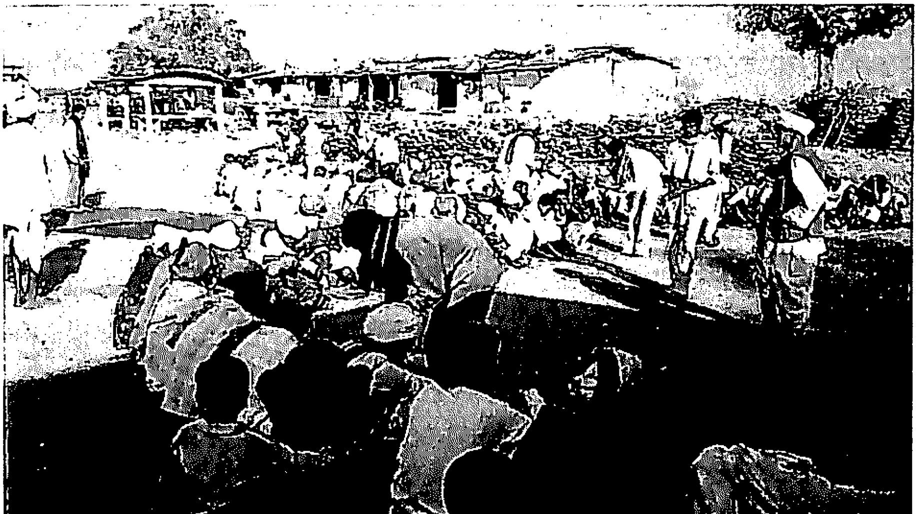

6

समय तो हर पल गतिमान है। समय के साथ-साथ मौसम भी बदलते रहते हैं। शरद, ग्रीष्म और वर्षा के मौसम भी आये-गये हो गये लेकिन वर्षा के दिनों में बरसात नहीं हुई। जो फसल की बुवाई हुई थी, वह भी वर्षा न होने के कारण नष्ट हो गई। सारे क्षेत्र में चारे-पानी का बहुत बड़ा संकट सामने आ गया। ग्रामवासी हताश हो चले थे। गांव का जीवन प्रकृतिमय होता है। प्रकृति खुश तो ग्रामवासियों के चेहरे की चमक स्वत: कई गुना बढ़ जाती है। अगर प्रकृति का प्रकोप बढ़ता है तो वही चमक झुर्रियों में बदलती दिखाई देती है।

"समय तो हर पल गतिमान है। समय के साथ-साथ मौसम भी बदलते रहते हैं। शरद, ग्रीष्म और वर्षा के मौसम भी आये-गये हो गये लेकिन वर्षा के दिनों में बरसात नहीं हुई।"

यह अनुभव 1986 के अकाल में साफ दिखाई दे रहा था। समाज की बेबसी; सरकार की अनदेखी और साधनों के दुरुपयोग से बढ़ती हुई अकाल की छाया के कारण पूरा राजस्थान अकाल की चपेट में आ गया। जिस क्षेत्र में हम रहते थे, वह पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार डार्कजोन घोषित किया जा चुका था, ऊपर से अकाल की मार से त्रस्त समाज का हाल-बेहाल था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिदेव जोशी जी ने हजारों लीटर दुग्ध से मन्दिरों में शिवलिंगों का अभिषेक किया लेकिन आसमान से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी। जुलाई का महीना बीत जाने के साथ ही अकाल का प्रकोप दिखाई देने लगा।

अगस्त और सितम्बर वर्षा की आशा में बीत चले थे। कुओं से भी प्यासा लौटना शुरू हो गया था। रबी फसल के आसार भी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे। पशुपालन के लिए चारे-पानी का भारी संकट हो चला था। गांव अकाल की मार से खाली हो चले थे। युवा वर्ग शहरों में चला गया था। गांव में रह गए थे बस बड़े-बूढ़े लोग, महिलाएं और बच्चे।

ये सब घटनाएं तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं के सामने घटित हो रही थीं। ऐसी विकट समस्याओं में स्वैच्छिक संस्थाओं और एक सामाजिक कार्यकर्ता का क्या कर्तव्य हो सकता है? इस पर गहन मंथन हुआ। सभी ने ऐसी घड़ी में बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से ग्रामीण समाज के साथ बातचीत की। जो कुछ भी घट रहा था, ग्रामीण समाज उससे त्रस्त हो रहा था। उसके सामने एक लाचारी, बेबसी, अनभिज्ञता, पराधीनता, भगवान

की माया, सरकार की उदासीनता आदि सब कुछ एक साथ था जिससे समाज का आत्मबल और स्वाभिमानी स्वरूप खत्म होने की विवशता दिखाई दे रही थी। फिर भी उसी समाज ने अपने गांव में पानी के लिए जिज्ञासा प्रकट की थी। गांव के टूटे-फूटे बांध 'जोहड़' के अवशेषों के पुनर्निर्माण होने से जल संकट का समाधान होने और भविष्य में अकाल मुक्ति होने में विश्वास जताया। ग्रामीण समाज के उस आशा और विश्वास को तभासं कार्यकर्ताओं ने एक 'गुरु मंत्र' के रूप में स्वीकार किया।

परिस्थितियों को देखते-समझते हुए जो भी अपने स्तर से कर सकते थे, करते रहे। साथ ही साथ कुछ अनुदात्री संस्थाओं से सम्पर्क किया तो सबसे पहले कासा ने गोपालपुरा के कार्य में सहयोग करने की मंशा जाहिर की। राजेन्द्र सिंह ने समय को देखते हुए तुरन्त निर्णय लिया और कासा के प्रभारी से सम्पर्क किया।

"गांव के टूटे-फूटे बांध 'जोहड़' के अवशेषों के पुनर्निर्माण होने से जल संकट का समाधान होने और भविष्य में अकाल मुक्ति होने में विश्वास जताया। ग्रामीण समाज के उस आशा और विश्वास को तभासं कार्यकर्ताओं ने एक 'गुरु मंत्र' के रूप में स्वीकार किया।"

7

कासा ने 'अनाज के बदले काम' के तहत 400 कुन्तल गेहूं दिया जिसमें गोपालपुरा में मेवालों का बांध का निर्माण कार्य 1 अक्टूबर 86 में शुरू हो गया। इस कार्य के चलने से क्षेत्र के लोगों को काम मिला। खाने के लिए अनाज मिला। इससे तात्कालिक समस्या से ग्रामीण समाज को कुछ राहत मिली और समस्याओं के निदान के लिए समाज के साथ हमारे प्रयास जारी रहे।

मैं और दृगपाल सिंह अल-सुबह गोपालपुरा गांव जाते, लोगों को काम पर लगाते। लोग अपने-अपने हिस्से की मिट्टी निकालते थे। आठ दिन में भुगतान करना होता था। 100 मण मिट्टी 10× 10× 1 से कार्य के बदले 8 किलोग्राम गेहूं दिया जाता था। गोपालपुरा में क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार मिला था। भीकमपुरा, गोविन्दपुरा, जैतपुर, सिल्ली बावड़ी आदि गांवों के महिला-पुरुष सब काम पर आते थे। आठ दिन बाद भुगतान लेते थे। इस काम से संस्था को और संस्था के कार्यकर्ताओं को लोग समझने लगे थे। कभी कहीं रास्ते में भी मिलते तो बड़े सम्मान से मिलते थे।

अब गोपालपुरा का काम चल रहा था। इसकी जानकारी दूर-दूर तक गांव में अपने आप जा रही थी। किसी प्रकार का कोई प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा था। गोपालपुरा में जो भी मेहमान आते थे। गांव वाले उन्हें बांध निर्माण कार्य जरूर दिखाते थे। जो लोग मजदूरी को जाते थे, अब उन्हें फुरसत कहां थी? वे तो अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जा पा रहे थे। उनके रिश्तेदार भी गोपालपुरा के बांध पर मिलने के लिए आते थे। मजदूर वर्ग बहुत खुश था।

"जो लोग मजदूरी को जाते थे, अब उन्हें फुरसत कहां थी? वे तो अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जा पा रहे थे। उनके रिश्तेदार भी गोपालपुरा के बांध पर मिलने के लिए आते थे। मजदूर वर्ग बहुत खुश था।"

जब कभी राजेन्द्र सिंह काम देखने जाते तो लोगों से बड़े प्रेम के साथ मिलते थे। सबके साथ खुलकर अच्छी तरह से बातचीत करना राजेन्द्र सिंह का व्यक्तिगत गुण है। गोपालपुरा का काम अच्छा हो रहा है, यह सब लोगों से सुनना अच्छा लगता था। काम को देखते हुए अब गोपालपुरा के ही एक युवा को कार्य कराने की जिम्मेदारी सौंपी। कैलाश शर्मा जी गोविन्दपुरा में बाल विकास केन्द्र चलाते थे। वह इसी गांव के थे। उन्हें दो दिन में बांध निर्माण के कार्य की जानकारी दी। कैलाश बांध के कार्य को अच्छी तरह से करने लगा

था। कैलाश ने अपनी जगह गोविन्दपुरा के बाल विकास केन्द्र पर अब देवी सहाय मीणा को नियुक्त कर दिया था।

प्राकृतिक प्रकोप-अकाल, बाढ़, भूकम्प आदि जब होता है, तब उससे कोई नहीं बचता है। प्राकृतिक संसाधनों का तो ह्रास होता ही है। आदमी के द्वारा की गई व्यवस्थाएं भी प्रभावहीन ही साबित होती हैं। प्राकृतिक प्रकोप सब को अपना ग्रास बनाता है। किसी विशेष से उसे कोई मोह, लोभ, लालच नहीं होता बल्कि ये समाज को सतर्क करते हैं और दिशा भी देते हैं। सजग समाज अपनी व्यवस्थाओं में जुट जाता है और भविष्य में प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के उपाय और साधन जुटाने में लगता है।

"सजग समाज अपनी व्यवस्थाओं में जुट जाता है और भविष्य में प्राकृतिक प्रकोपों से बचने के उपाय और साधन जुटाने में लगता है।"

1986 के अकाल ने समाज के सामने सवाल खड़े किये हों या न किये हों लेकिन तभासं के कार्यकर्ताओं के सामने अकाल की विभीषिका का जो सामयिक दृश्य गुजरा, वह अपने आप में एक सबक था। उसने समाज के बीच कार्य करने के लिए अनेक सवाल खड़े किये। कौन सा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं? अकाल से कौन प्रभावित नहीं हुआ? किसको लाभ हुआ किसको हानि? ये सब अनुत्तरित प्रश्न थे।

हम एक नजर देखें तो अकाल में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अधिक ह्रास होता है जिसमें वनस्पति, जीव-जन्तु, पशु-पक्षी और जल हैं। जल के अभाव का नाम ही अकाल है। ये सब यूं तो पर्यावरण की दृष्टि में देखे जाते हैं लेकिन सामाजिक स्तर पर देखें तो गरीब लोग अधिक प्रभावित होते हैं। गरीबों में भी महिलाओं और बच्चों को अकाल की यातनाओं का सामना करने में भारी संकटों को झेलना पड़ता है। खेती और उद्योग में खेती सबसे अधिक प्रभावित होती है। अकाल के समय विकास के सभी कार्यों की गति धीमी और अवरुद्ध होती सी देखी जा सकती है। सरकारी व्यवस्थाओं की भी सांसें घुटी-घुटी सी रहती हैं। जो कुछ होती भी है वह बन्दर-बांट में बंट कर रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए ? जो ऐसी चुनौतियों से लड़ने का संबल दे सके। तब कई प्रश्न एक साथ सामने आ जाते हैं कि पहले किसको प्राथमिकता दें, किसको न दें ? इसका समाधान तलाशना बड़ा जटिल होता है। अकाल की मार से त्रस्त समाज, ऊपर से सरकारी तंत्र द्वारा कसते हुए कानूनी शिकंजे के बंध; खुली बेड़ियों का काम करते हैं।

"अकाल के समय विकास के सभी कार्यों की गति धीमी और अवरुद्ध होती सी देखी जा सकती है। सरकारी व्यवस्थाओं की भी सांसें घुटी-घुटी सी रहती हैं। जो कुछ होती भी है वह बन्दर-बांट में बंट कर रह जाती हैं।"

इस स्थिति में आदमी स्वतन्त्र होते हुए भी अपने घर और गांव की जेल में पराधीनता की जिन्दगी जीता नजर आता है।

"गोपालपुरा ग्रामवासी अपने गांव को अकाल मुक्त करने के प्रयास में मेवालों का एक छोटा सा मिट्टी का बांध गांव की बोली में "जोहड़" का पुनर्निर्माण कर रहे थे जिसमें उन्हें पूर्ण आशा और विश्वास था कि इसके निर्माण से हमारा गांव हमेशा के लिए अकाल मुक्त हो जायेगा।"

जब इस क्षेत्र में जुलाई 86 में अकाल की दस्तक शुरू हुई तो सरकारी तंत्र को पहले से ही सचेत होना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं हुआ। गोपालपुरा ग्रामवासी अपने गांव को अकाल मुक्त करने के प्रयास में मेवालों का एक छोटा सा मिट्टी का बांध गांव की बोली में "जोहड़" का पुनर्निर्माण कर रहे थे जिसमें उन्हें पूर्ण आशा और विश्वास था कि इसके निर्माण से हमारा गांव हमेशा के लिए अकाल मुक्त हो जायेगा। उस आशा और विश्वास को बनाये रखने में तरुण भारत संघ ने पूर्ण सहयोग किया। अकाल से पीड़ित समाज का इस प्रकार सहयोग करना सरकारी तंत्र को अच्छा नहीं लगा क्योंकि यह सब तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अकाल में पीड़ित समाज को कोई व्यक्ति या संस्था कैसे और क्यों मदद करती है? ये सवाल सरकारी तंत्र की नींद उड़ा रहे थे, बेचैन कर रहे थे।

तरुण भारत संघ

तीसरा कदम

1

जनवरी 87 में सिंचाई विभाग ने तरुण भारत संघ के नाम एक नोटिस जारी किया जिसमें गोपालपुरा में निर्माणाधीन बांध के कार्य को तुरन्त बंद करने तथा निर्माण कार्य तोड़ने व हटाने का एक त्वरित पाबन्दी आदेश था। सिंचाई विभाग का नोटिस मिलने से तभासं कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से मानसिक परेशानी हुई। नोटिस में साफ लिखा था कि सात दिन के अन्दर-अन्दर निर्माणाधीन कार्य तुरन्त बंद कर इसको हटाया जावे अन्यथा सिंचाई विभाग स्वयं हटायेगा। उसका हर्जा-खर्चा तरुण भारत संघ वहन करेगा। ऐसी स्थिति में तरुण भारत संघ के आगे कई सवाल खड़े हो गए। सवालों का क्या जवाब हो ? जो इस समस्या का निदान बने।

सिंचाई विभाग ने तो अपने अजबगढ़ बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बन रहे गोपालपुरा के बांध को अवैध माना और तरुण भारत संघ को पाबन्द करते हुए नोटिस भी जारी कर दिये। गोपालपुरा बांध निर्माण में तरुण भारत संघ ने गांव के प्रस्ताव, सरपंच की संस्तुति और विकास अधिकारी, थानागाजी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही सहयोग किया था। फिर भी सरकारी तंत्र को यह कार्य क्यों नागवार लगा? ऐसे कौन से कारण हैं जिससे सिंचाई विभाग को नोटिस देना पड़ा। खैर! नोटिस को लेकर जब राजेन्द्र सिंह और साथी गोपालपुरा बांध पर गए तो उपस्थित लोगों के सामने नोटिस के विषय में विस्तार से सभी बातें बताईं। ग्रामवासियों ने बड़े ध्यान से सुना-समझा।

“गांव का प्रतिक्रियात्मक जवाब था कि हम अपने गांव में अपना काम कर रहे हैं। हमारे गांव में वर्षा का पानी हमारा है। हम अपने पानी को बचा रहे हैं। इसमें सरकार कहां से आ गई? अगर पानी सरकार का है तो हमें पानी दे।”

नोटिस के जवाब में गांव का प्रतिक्रियात्मक जवाब था कि हम अपने गांव में अपना काम कर रहे हैं। हमारे गांव में वर्षा का पानी हमारा है। हम अपने पानी को बचा रहे हैं। इसमें सरकार कहां से आ गई? अगर पानी सरकार का है, तो वह हमें पानी दे। अब तरुण भारत संघ भी सहयोग नहीं करेगा तो भी हम बांध बनायेंगे। अजबगढ़ हमारे गांव से 5 कोस दूर है। उसका पानी भला हम क्यों रोकेंगे? तरुण भारत संघ को नोटिस का जवाब मिल गया था। राजेन्द्र सिंह व साथी अपने को बहुत ही हल्का और प्रसन्नचित महसूस कर रहे थे। गांव वालों ने ही सिंचाई विभाग को अपने विचारों से पत्र द्वारा अवगत कराया। तरुण भारत संघ ने भी

अपना दृष्टिकोण रखा। सिंचाई विभाग उससे सन्तुष्ट हुआ हो या न हुआ हो परन्तु तभासं को एक बड़े प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया था जो समाज की स्वाधीनता, स्वावलम्बन, दृढ़ता और चिन्तन- मनन को अपने में समाहित किये हुए था।

तरुण भारत संघ के मुख्य कर्ताधर्ता राजेन्द्र सिंह ने जयपुर में अपने कुछ मित्रों के साथ गोपालपुरा के कार्य को लेकर चर्चा की तो उन्होंने भी सिंचाई विभाग के इस प्रकार के रवैये से नाराजगी जाहिर की और इस दिशा में राजेन्द्र सिंह को और दृढ़ता से कार्य करने की सलाह दी। राजेन्द्र सिंह को नेक सलाह देने में मुख्य रूप से गांधी विचारक सर्वोदयी नेता श्री सिद्धराज ढड्ढा थे। राजेन्द्र सिंह ने गोपालपुरा की घटना से जयपुर में बड़े अधिकारियों को भी अवगत कराया और समाचार-पत्रों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाया।

सिद्धराज जी, राजेन्द्र सिंह और सभी साथियों ने पूरे क्षेत्र में एक ग्राम स्वावलंबन पदयात्रा करने का विचार किया। पदयात्रा गांधी जी के संदेश को लेकर गांव-गांव जाये और गांव के स्वावलंबन की बातों को मुख्य रूप से ग्रामवासियों के सामने रखे। ग्राम स्वावलंबन यात्रा का शुभारम्भ 30 जनवरी 1987 से होना तय हुआ, जिसके लिए समग्र सेवा संघ जयपुर ने कुछ पोस्टर-पर्चे भी दिये थे। एक बड़ा पोस्टर गांधी जी का था जिस पर अंग्रेजी में, 'डू एण्ड डाई' लिखा हुआ था। पर्चों में कुछ ग्राम स्वावलंबन के विषय में दिशा-निर्देश थे। तरुण भारत संघ के साथियों ने भी अपने कार्य-क्षेत्र के अनुभवों के आधार पर और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ दीवार लेखन के लिए नारे बनाये थे। जैसे-

1. **गांव का झगड़ा हिल-मिल निपटायें। कोर्ट कचहरी कोई न जाये।।**
2. **गांव की सत्ता, गांव के हाथ। गांव की चोटी गांव के हाथ।।**
3. **जोहड़ बनाओ। पानी बचाओ।।**
4. **पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ।।**
5. **जन-जन को समझाना है। दारू-नुक्ता बन्द कराना है।।**
6. **बाल-विवाह अपराध है। शिक्षा उनका अधिकार है।।**

पदयात्रा के लिए अलवर की दो तहसीलों का क्षेत्र चुना गया-थानागाजी और राजगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र। इसके लिए चार टोलियां बनाई गईं जिनका नेतृत्व गांव के लोग कर रहे थे। मुख्य रूप से बद्री प्रसाद मीणा, पेमाराम मेवाल, मोहन सोनी और राजेन्द्र सिंह थे। सवाई सिंह जयपुर, दृगपाल, सतेन्द्र, देवीसहाय, कैलाश शर्मा, जगदीश सिंह, सेडूराम बलाई आदि थे। पदयात्रा की समय सीमा 30 जनवरी 1987 से 10

फरवरी1987 तक थी। 11 फरवरी को समापन-समारोह थानागाजी में रखा था जिसमें जिन गांवों में पदयात्रा जायेगी, उन गांवों से 3-4 व्यक्तियों को भी बुलाया गया था। सम्मेलन में पदयात्री अपनी यात्रा के अनुभवों को भी रखेंगे। यात्रा के अनुभवों को अपनी-अपनी दैनिक डायरी में लिखें, सब के लिए अच्छा रहेगा। यह सब ग्राम-स्वावलंबन यात्रा की पूर्व तैयारी थी।

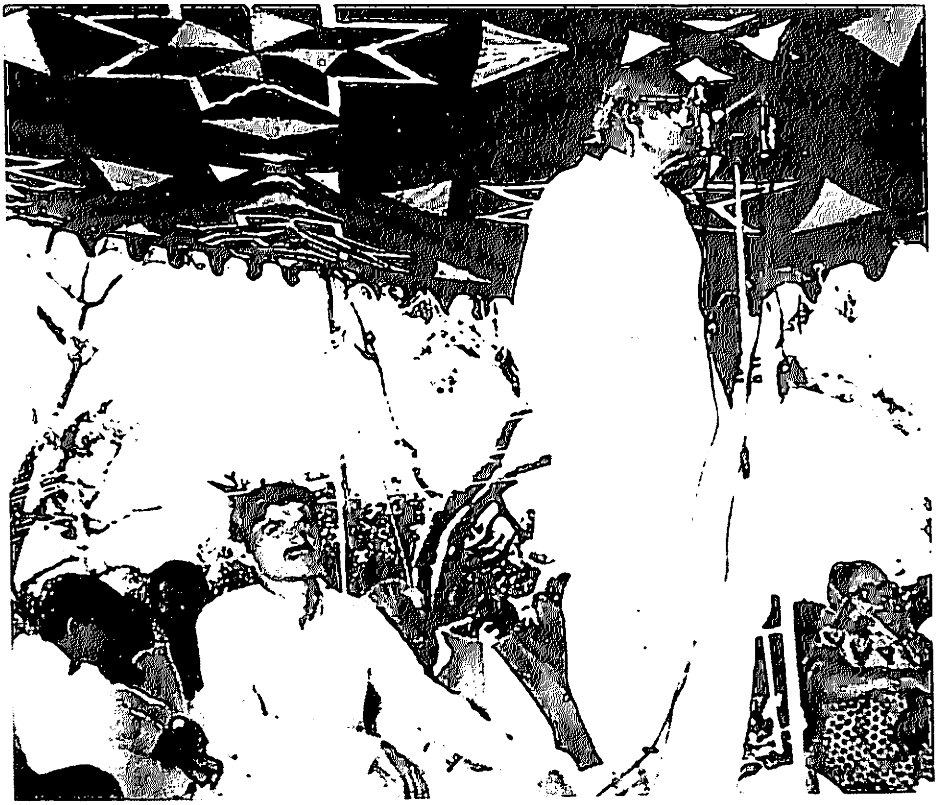

2

30 जनवरी को नियत समय पर सुबह 9 बजे भीकमपुरा से चारों टोलियों की रवानगी हुई थी। पदयात्रा में पोस्टर-पर्चे बांटना, दीवार लेखन करना, नारे लगाना, लोगों से चर्चा करना, रात्रि ग्रामीण बैठक करना मुख्य था। इस यात्रा में यात्रियों को भोजन व आवासीय व्यवस्थाएं समाज से ही जुटानी थी। जैसी भी परिस्थिति रहे, उसमें पदयात्री को रहना था।

चारों टोलियों के नायक थानागाजी और राजगढ़ तहसीलों के 300 से अधिक गांवों में ग्राम-स्वावलम्बन का संदेश देकर 10 जनवरी को शाम तक भीकमपुरा पहुंच गए थे। जयपुर से सिद्धराज ढड्ढा जी भी भीकमपुरा पहुंच गए थे। सम्मेलन का समय 11 फरवरी को 11 बजे से रखा था। थानागाजी में सम्मेलन स्थल व सम्मेलन से सम्बन्धित सभी व्यवस्थाएं पेमाराम जी ने कर ली थीं। हम सब समय से भीकमपुरा से थानागाजी पहुंच गए थे। वहां की व्यवस्थाओं में पेमाराम जी का हाथ बंटा रहे थे।

दस बजे से ही सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांव के लोग आने लगे थे। जिन-जिन लोगों ने उनके गांव में पदयात्रा की थी, वे उनको देख रहे थे। जब मिलते तो एक आनन्द की अनुभूति होती थी। सम्मेलन समय से ही शुरू हुआ। पहले राजेन्द्र सिंह ने गांव से आये लोगों का अभिवादन किया। सम्मेलन की पृष्ठभूमि से सब को अवगत कराया। सम्मेलन में चारों टोली नायकों ने अपने-अपने अनुभवों को रखा। गांव से आये लोगों ने भी अपने विचार रखे। ऐसा सम्मेलन थानागाजी में पहला सम्मेलन था जिसमें ग्राम स्वावलंबन की बातें स्वयं गांव के लोग ही कर रहे थे। सम्मेलन में अपेक्षा से अधिक लोगों ने भाग लिया था।

सम्मेलन था जिसमें ग्राम स्वावलंबन की बातें स्वयं गांव के लोग ही कर रहे थे। सम्मेलन में अपेक्षा से अधिक लोगों ने भाग लिया था।

हमारे हिसाब से 200-250 लोगों के रहने का अनुमान था। परन्तु 500 के लगभग लोग आये थे। सम्मेलन में मुख्य वक्ता गांधीवादी विचारक श्री सिद्धराज ढड्ढा जी के अलावा राजेन्द्र सिंह, पेमाराम, शान्ति स्वरूप डाटा व सवाई सिंह जी थे। जिन्होंने गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के सिद्धान्तों को ग्रामीण जन समुदाय के सामने रखा। वर्तमान परिस्थितियों में उनके सिद्धान्तों की प्रासंगिकता को विस्तार से बताया।

सम्मेलन पूरे पांच घंटे चला। चार बजे सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में आने वाले सभी लोगों से तभासं के कार्यकर्ताओं का एक साथ परिचय हुआ था। सम्मेलन में आए कई लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में भी इस प्रकार के सम्मेलन करने के लिए कहा था। साथ ही उसमें बुलाने का निमंत्रण भी दिया था। यह सब अपने में बड़ी बात थी। उपस्थित ग्रामीण जन समुदाय ने महात्मा गांधी की जय-जयकार बोलते हुए सम्मेलन का समापन किया। हम सब सिद्धराज जी के साथ भीकमपुरा आ गए थे।

"अब सवाल था सम्मेलन के बाद आगे तभासं के साथियों को क्या करना है?अभी से तय करना होगा। अकाल में कुछ पानी के काम होना अच्छी बात है परन्तु इससे भी जरूरी ग्राम-स्वावलम्बन की बात जन-जन के हृदय में जगाना है। यही असली काम है।"

12 फरवरी को सुबह 9.00 बजे के लगभग राधेश्याम मास्टर जी की छत पर ही धूप में बैठक की। बैठक का शुभारम्भ सिद्धराज जी ने ही किया। उन्होंने पूरे कार्यक्रम की एक प्रकार से समीक्षा की थी। सम्मेलन में क्या अच्छा रहा? क्या-क्या गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था? किसको कब कैसी बातें रखनी थी? किसने क्या कहा? सम्मेलन का संचालन किसे कैसे करना था? कुल मिला कर 30 जनवरी से 11 फरवरी तक के कार्यक्रमों से सिद्धराज जी खुश थे।

अब सवाल था सम्मेलन के बाद आगे तरुण भारत संघ के साथियों को क्या करना है? अभी से तय करना होगा। अकाल में कुछ पानी के काम होना अच्छी बात है परन्तु इससे भी जरूरी ग्राम स्वावलम्बन की बात जन-जन के हृदय में जगाना है। यही असली काम है। बातचीत करते हुए 3-4 घंटे का समय हो गया था। मास्टर जी ने भोजन बनवा दिया था। सभी ने छत पर ही भोजन किया। सिद्धराज जी भी भोजन के बाद जयपुर के लिए चले गए थे। हम सब अपने-अपने कार्यों में लगे।

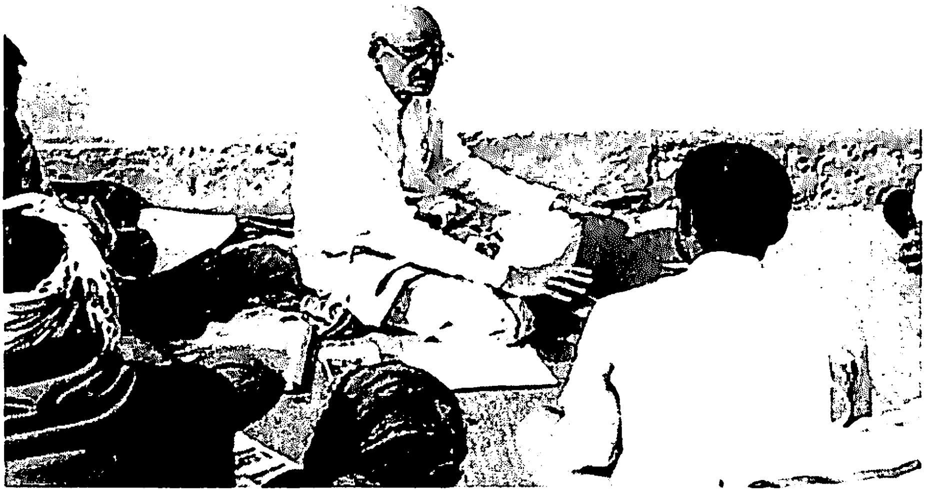

3

गोपालपुरा में चल रहे कार्य को देखने के लिए समय-समय पर कासा के प्रतिनिधि भी आते रहते थे। बांध कार्य महिला-पुरुषों द्वारा किया जा रहा था। बांध निर्माण में महिलाओं की संख्या अधिक थी। कासा के प्रतिनिधि कार्य करते लोगों से और उपस्थित गांव के बड़े-बूढ़े लोगों से व तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे। काम करते हुए महिला-पुरुषों के फोटो भी लेते थे। गांव वालों को यह सब अजूबा लग रहा था।

14 या 15 फरवरी को राजेन्द्र सिंह जयपुर प्रवास पर गए थे। जयपुर में कासा के दफ्तर भी गए तो वहां प्रभात फलेवस से मिले। प्रभात जी ने राजेन्द्र सिंह के साथ संस्थागत बातचीत करते हुए एक महिला शिविर करने के लिए कहा। शिविर में कासा भी कुछ मदद कर सकती है, मैं भी एक दिन का समय दे सकता हूँ, प्रभात जी ने कहा। गोपालपुरा में काम करने वाली महिलाएं ही शिविर में भाग ले सकती हैं। औरों की जरूरत नहीं है। प्रभात जी के इस प्रस्ताव को राजेन्द्र सिंह ने तुरन्त स्वीकार कर लिया। 17 फरवरी की तारीख भी तय कर दी गई। राजेन्द्र सिंह ने भीकमपुरा में आकर सभी साथियों को बताया कि आज प्रभातजी से लम्बी बातचीत हुई। वह गोपालपुरा के काम से बहुत खुश हैं। उनकी मंशा है कि तरुण भारत संघ को एक महिला-सम्मेलन करना चाहिए। काम करने वाली महिलाएं अपने सम्मेलन में आयें।

मैंने 17 फरवरी का समय दिया है। क्या ठीक रहेगा? शिविर का स्थान आप तय कर लें। सबने खुशी जाहिर की। बस समय कम था। फिर भी सभी साथी ग्राम स्वावलम्बन कार्यक्रम के सफल होने से उत्साहित थे। उसी सप्ताह में महिला सम्मेलन की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले स्थान का सवाल आया कि ऐसा स्थान होना चाहिए जहां सभी महिलाओं के पहुंचने और बैठने के लिए उपयुक्त हो। सभी साथियों ने रामटेक का मन्दिर उपयुक्त माना। रामटेक मंदिर गोपालपुरा, गोविन्दपुरा, भीकमपुरा तीनों गांव के पास एकान्त में था। कैलाश शर्मा ने मंदिर के पुजारी गिर्राज से सम्पर्क किया तो उसने महिला-सम्मेलन में सहयोग करने की बात कही। सुबह गोपालपुरा जाकर कार्य देखा। महिलाओं से महिला-सम्मेलन के विषय में बातचीत की तो सभी ने आने के लिए सहमति जताई। गोपालपुरा,गोविन्दपुरा, भीकमपुरा की परिचित महिलाओं को भी महिला सम्मेलन में आने के लिए कहा गया। राजेन्द्र सिंह ने परिचित मित्रों से भी अपने-अपने गांव से कुछ महिलाएं लाने के लिए कहा था।

"नीली गाड़ी का रंग तो गोपालपुरा-गोविन्दपुरा के लोगों के मन-मस्तिष्क में भय का पर्याय बन गया था जिसमें नीली जीप और सफेद कार तो इतनी डरावनी लगती थी कि लोग उसकी तरफ जाते-जाते रुक जाते या दूसरी ओर मुड़ जाते और अपना रास्ता बदल देते थे।"

17 फरवरी को ठीक समय पर प्रभात जी भीकमपुरा पहुंच गए। हम सब भी प्रभात जी के साथ जीप में ही रामटेक मंदिर पर पहुंचे। वहां शिविर की सभी तैयारी हो चुकी थी। राजेन्द्र सिंह और प्रभात जी बिछावन पर बैठकर बातचीत करने लगे। मैं, दृगपाल, कैलाश कुछ व्यवस्थाओं को देखने लगे। शिविर का दिया हुआ समय भी हो चला था परन्तु अभी तक एक भी महिला नहीं आई थी। जबकि सभी ने समय पर आने के लिए कहा था। महिलाएं गोपालपुरा गांव से आती हुई तो दिखती थीं परन्तु गोविन्दपुरा से आगे आती नहीं दिखती थीं। समय से एक-डेढ़ घंटा अधिक हो चला था। महिलाओं का इन्तजार करते-करते काफी समय होने से एक तनाव सा महसूस हो रहा था। कई प्रश्न भी मन-मस्तिष्क को उद्वेल्लित कर रहे थे। मैं प्रश्नों की उधेड़-बुन करते हुए गोविन्दपुरा की ओर चल दिया।

मैंने देखा जगह-जगह महिलाएं बैठी हैं। कहीं खड़े-खड़े ही आपस में बातचीत कर रही हैं। मुझ को देख कुछ आपस में फुसफुसाने लगीं। मैंने महिलाओं के पास जाकर शिविर में न जाने का कारण पूछा तो उन्होंने ऐसे ही गोलमोल सा जवाब दिया। मुझको विश्वास नहीं हुआ तो मैंने गोविन्दपुरा की बदामी बलाई से पूछा तो उसने हंसते हुए बताया कि भाई साहब, बात ये है कि यहां के सभी मोटियार कह रहे हैं कि अगर तुम शिविर में जाओगी तो वहां सबकी नसबन्दी कर देंगे। इसमें संस्था वालों की भी चाल है। जीप भर कर डॉक्टर आये हैं। हमारी बात न मानो तो अपनी आंखों से देख लो, वह खड़ी है डॉक्टरों की नीली जीप।

नीली गाड़ी का रंग तो गोपालपुरा-गोविन्दपुरा के लोगों के मन- मस्तिष्क में भय का पर्याय बन गया था जिसमें नीली और सफेद जीप हो तो वह तो इतनी डरावनी लगती थी कि लोग उसकी तरफ जाते-जाते रुक जाते या दूसरी ओर मुड़ जाते और अपना रास्ता बदल देते थे। यह सब सरकारी तंत्र का परिणाम था।

हुआ यूं था कि इमरजेन्सी के समय 1975 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उनके छोटे पुत्र संजय गांधी की उस समय तूती बोलती थी। संजय गांधी के पांच सूत्रीय कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम परिवार नियोजन का था। परिवार नियोजन में सरकारी तंत्र को पाबन्द किया गया था। उसकी नौकरी, तनख्वाह व पदोन्नति सभी कुछ परिवार नियोजन कार्यक्रम पर निर्भर था। इसके लिए महिला-पुरुषों की नसबन्दी के केस कराना अनिवार्य था। जनता का कोई भी कार्य सरकारी तंत्र बिना नसबन्दी केस के नहीं करता

था।' केस' शब्द अपने आप में नसबन्दी का सूचक बन गया था। केस करना एक प्रकार से अनिवार्य था। सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र के अनुसार लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए थे।

"'जनता का कोई भी कार्य सरकारी तंत्र बिना नसबन्दी केस के नहीं करता था।' केस' शब्द अपने आप में नसबन्दी का सूचक बन गया था। केस करना एक प्रकार से अनिवार्य था।"

नसबन्दी केस के आंकड़े पूरा करने के लिए सरकारी तंत्र ने अपने तरीके निकाल लिए थे। उसने गांव, कस्बे और शहर में लोभ-लालच का जाल बिछा दिया था। लोग उसमें अनायास ही फंस जाते थे। बाद में मालूम होता कि उनकी नसबन्दी हो चुकी है। नसबन्दी करने वाला व्यक्ति यह सब नहीं देखता था कि एक व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य कैसा है और उम्र क्या है? उसका अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना मुख्य उद्देश्य होता था जिससे समाज में एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया था। अकेला-दुकेला आदमी तो कस्बे- शहर में जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक ऐसा ही वाकया गोपालपुरा और गोविन्दपुरा के लोगों के साथ में हुआ था।

दोनों गांवों के लोग किसी आपसी विवाद के कारण अलवर पेशी साधने गए थे। जैसे ही वह अलवर बस अड्डे पर पहुंचे। उन्हें रिक्शा-तांगे वालों ने बैठा लिया। वैसे तो ऐसे लोग नहीं थे कि उन्हें कचहरी का रास्ता मालूम नहीं था या वह पैदल नहीं चल सकते थे। अगर दस-बीस किलोमीटर भी चलना पड़े तो वह खुशी-खुशी चल सकते थे। अलवर में तो साफ-सुथरी सड़कें थीं। गांव के लोग तो पथरीले ऊबड़-खाबड़ रास्तों में भी आराम से तेज गति के साथ चलते थे। उनकी जिन्दगी से रिक्शा-तांगा-बस आदि बहुत दूर थे। गांव से अलवर का आधा रास्ता तो वह वैसे ही पैदल चलकर आते थे। लेकिन उस दिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि अलवर में बस अड्डे से कचहरी जाने के लिए रिक्शा-तांगे करने पड़े। बहरहाल, गांव के अट्ठाईस लोग रिक्शा-तांगे में कचहरी जाने के लिए बैठ गए थे। रिक्शा-तांगे वाले सभी को कचहरी ले जाने के बजाय सरकारी अस्पताल में ले गए। एक साथ इतने गांव के लोगों को देख; सरकारी तंत्र ने आनन-फानन में बड़ी मुस्तैदी के साथ चौकन्ने रहते हुए इमरजेंसी केस की तरह देखा-समझा। गांव के लोग अनभिज्ञ भाव से वहीं बैठे रहे थे। भगवान स्वरूप, सरकारी चिकित्सकों ने कसाई का कार्य किया।

गोपालपुरा-गोविन्दपुरा के लोगों को जबरन बन्दी बनाकर अट्ठाईस लोगों की नसबन्दी कर दी। सरकारी लक्ष्य के आकड़ों में एक साथ इतना इजाफा हुआ कि मौजूद सरकारी लवाजमा के चेहरे दमक उठे। दोनों गांव के बैर-भाव दूर हुए । नौजवान, बड़े,बूढ़े, बुजुर्ग सभी का एक जैसा हाल था। भौंचक्के, अचम्भित थे कि यह क्या हुआ?

कुछ का शादी -गोना भी नहीं हुआ था तो अधिकतर बड़े- बूढ़ों की उम्र पूरी हो चली थी? तो कोई बुजुर्ग उम्र के अन्तिम पड़ाव पर था। किसी के एक-दो संतानें थीं। सब अपनी-अपनी जिन्दगी को उजड़ा मानकर सन्ताप में डूबे हुए थे। उस समय उनका कोई हितैषी नहीं था। अगर हितैषी होता तो वह भी क्या कर लेता? सरकारी तंत्र में एक प्रकार से जुनून सवार था। उस समय उनके कार्य में जो भी रोक-टोक करता उसका भी वही हाल होता। कोई कुछ कहने वाला नहीं था। उस समय सब की जुबान बन्द थी। देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। जुबान खोलना सबसे बड़ा जुल्म था। उसका फायदा सरकारी तंत्र उठा रहा था। यह घटना 1976 की थी। परन्तु गोपालापुरा-गोविन्दपुरा के लोगों में10 साल पहले की घटना का भय आज भी व्याप्त था। इसलिए नीली-सफेद रंग की जीप -कार यहां के लोगों में भय का प्रतीक बनी हुई थी। उसी भय के कारण उन्होंने महिलाओं को रामटेक मंदिर में महिला-सम्मेलन में आने से रोका था।

महिलाओं के मन में एक तरह से असमंजस की स्थिति थी, न तो वह अपने घर को ही लौट रही थीं और न ही शिविर स्थल की ओर उनके पैर बढ़ रहे थे। उनकी बात सुनकर और मनोस्थिति को देख मुझ को हंसी भी आई और दुःख भी हुआ। मैंने सभी महिलाओं को समझाया कि ये गाड़ी डॉक्टरों की नहीं है। जिस बांध को तुम बना रही हो, उसे बनवाने वाला आदमी ही जयपुर से तुम से मिलने के लिए और बात करने के लिए आया है। उसी की वह गाड़ी है, जिसे तुम डॉक्टर की गाड़ी समझ रही हो। यह सुन कर सभी महिलायें अपने चेहरे को ओढ़नी के पल्लू में करके जोर से हंसी और उनके पैर शिविर स्थल की ओर चल पड़े।

देखते-देखते ही रामटेक मंदिर की ओर महिलाओं की पंक्तियां आने लगीं। भीकमपुरा से भी देखा-देखी कुछ महिलायें गईं। शिविर स्थल पर 200-250 के लगभग महिलायें आ गई थीं। यह अपने आप में इस क्षेत्र के लिए आश्चर्य था। इससे पहले इस प्रकार से कभी भी इतनी महिलाएं एक साथ नहीं मिली थी। प्रभात फलेवस और राजेन्द्रसिंह प्रसन्नचित्त दिख रहे थे।

राजेन्द्र सिंह ने महिला सम्मेलन में आई सभी महिलाओं का आभार व्यक्त किया। उसके बाद प्रभात जी का परिचय दिया। महिलाओं को कुछ जानकारी की बातें बताई। महिला सम्मेलन के विषय में बताते हुए राजेन्द्र सिंह ने कहा कि अब आपको और अधिक जानकारी प्रभात जी देंगे। आपने इनको बहुत इन्तजार कराया है। इतना सुनते ही गोपालपुरा और गोविन्दपुरा की महिलाएं जोर से हंस पड़ीं।

प्रभात जी ने महिलाओं से सम्बन्धित तात्कालिक मुद्दों को लेकर महिलाओं से बातचीत की। कुछ सवाल भी खड़े किये, उनके जवाब भी महिलाओं से ही तलाशने की कोशिश की थी। अब महिलाओं का डर जाता रहा। उन्होंने प्रभात जी के प्रश्नों

का जवाब अपनी भाषा-बोली में दिया। प्रभात जी को अच्छा लगा। बात करते-करते लगभग दो घंटे हो गए थे। महिलाओं के गीत के बाद सभी भोजन करने चले गए थे। सभी ने एक साथ भोजन किया।

दूसरे सत्र में 3 बजे के लगभग सभी बिछावन पर बैठ गए थे। राजेन्द्र सिंह ने शिविर का संचालन करते हुए बात को आगे बढ़ाया था। परन्तु इस सत्र को अब महिलाओं को सौंपना था। उन्हीं से अब तक के अनुभव को क्रम से बताने के लिए कहा, कुछ को बहुत संकोच हो रहा था। तो किसी को हंसी आ रही थी। इससे पहले महिलाओं को ऐसा मौका मिला ही कहां था? जहां वह अपने विषय में सोच सके। फिर भी वे अपनी बात बताने का प्रयास कर रही थी। कुछ ने तो अब तक हुई सभी बातों को जोड़ते हुए गीत भी बना लिए थे। गीत-गीत में ही अपनी सभी बातें बताईं। बातचीत करते-करते समय भी बीत रहा था। सूर्य देव भी पश्चिम दिशा की ओर मुड़ चले थे। प्रभात जी को जयपुर जाना था। इसलिए उन्होंने महिलाओं से कुछ बातें की और विदा ली। महिलाओं ने गीत गाकर प्रभात जी को विदा किया था।

आज का दिन इस क्षेत्र के लिए और तरुण भारत संघ के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ था। अब महिलायें ऐसे शिविर और करने के लिए राजेन्द्र सिंह से कहने लगी। राजेन्द्र सिंह ने भी उनकी बात को स्वीकारते हुए कहा कि ऐसा ही एक शिविर अगले महीने में करेंगे। सभी महिलायें खुश थी। वह अपने-अपने घर को गीत गाती हुई रामटेक मंदिर से लौटने लगी थीं। इस शिविर से महिलाओं को तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं पर एक प्रकार से विश्वास हो चला था। यह शिविर तरुण भारत संघ के लिए बहुत ही अच्छा रहा जिससे क्षेत्रीय जनमानस में एक संस्था और कार्यकर्ताओं के प्रति सकारात्मक सोच बनती दिखाई दे रही थी।

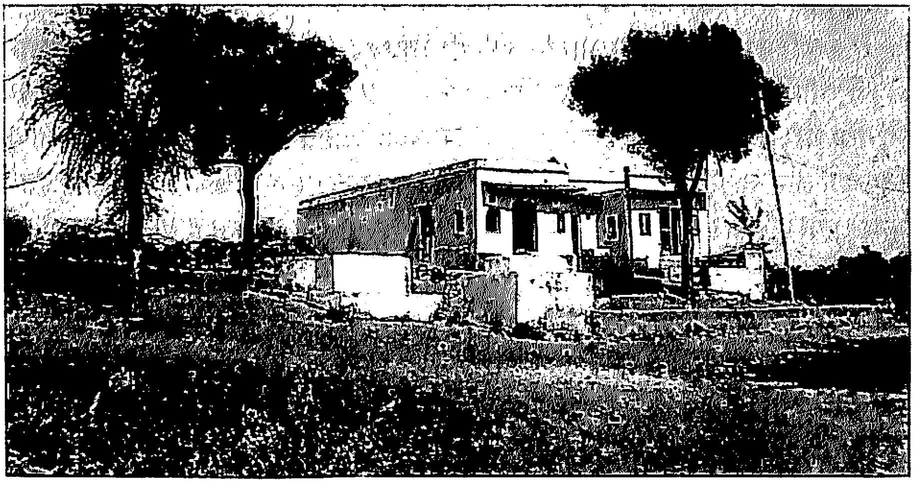

4

गोपालपुरा के लोगों ने अपना कार्य जारी रखा। कार्य मार्च में पूरा हो चला था। कार्य के बदले अनाज मिलने से उनके पास अनाज था। अकाल में भी खेती से कुछ चारा और अनाज मिल गया था। उसे सहेजने में सभी अपने-अपने कार्यों में लगे थे। हम भी अपने शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कार्यों में लगे और आगे क्या कार्य हो सकते हैं? इन सब पर समय-समय पर विचार करते रहते थे।

"प्रभु मीणा में शिक्षा के लिए इतनी तड़प थी कि बात करते-करते हम दोनों ने गोविन्दपुरा से भाल तक 5-6 किमी का रास्ता डेढ़-दो घंटे में ही तय कर लिया और बीच गांव में जा पहुंचे।"

मैं मार्च के मध्य में एक दिन गोविन्दपुरा के शिक्षा केन्द्र को देखने के लिए गया था। उस समय शिक्षा केन्द्र को गोविन्दपुरा का हनुमान मीणा देख रहा था। हनुमान इसी गांव का लड़का था। मैंने हनुमान से बच्चों के विषय में कुछ बातचीत की और फिर गांव वालों से बातचीत करने लगा। बातों ही बातों में भाल गांव का जिक्र आ गया तो उस पर भी लम्बी बातचीत हुई। बातचीत में प्रभु मीणा ने भाल गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए बात कही। मैं तो पहले से ही तैयार था। प्रभु ने इस कार्य में रुचि ली। वह भाल गांव के लोगों से बात करने के लिए तुरन्त चल दिया। प्रभु मीणा में शिक्षा के लिए इतनी तड़प थी कि बात करते-करते हम दोनों ने गोविन्दपुरा से भाल तक 5-6 कि.मी. का रास्ता डेढ-दो घंटे में ही तय कर दिया और बीच गांव में जा पंहुचे।

उस दिन गांव में सरपंच और पटवारी भी आए हुए थे। अधिकतर लोग उन्हीं के पास थे। मैं, भौमा और मोती गुर्जर के पास अधिकतर जाया करता था और भी लोगों से परिचय हो गया था। प्रभु मीणा भी बहुत से भाल के लोगों को जानते थे। हमने बच्चों की शिक्षा के विषय में बात चलाई तो गांव के लोगों का वही एक साल पुराना जवाब मिला परन्तु इसमें कुछ राहत सी थी। गांव वालों ने कहा कि अगर हमारा सरपंच कह दे तो हम बच्चों को पढ़ायेंगे। सरपंच भी वहीं थे।

सरपंच से हमने कहा कि आप एक बार गांव वालों से कह देंगे तो ये अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देंगे। ये बातें हलका पटवारी भी सुन रहा था। उसने कहा कि बच्चों को पढ़ाना तो अच्छी बात है। सरपंच ने कहा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए लेकिन हम गांव वालों से बात करके बतायेंगे। हम भीकमपुरा के लिए चले आये।

तरुण भारत संघ का काम अब क्षेत्र में पहचाना जाने लगा था। अब आगे के लिए सघन कार्य करने की जरूरत थी। इसके लिए क्षेत्र को समझना और जरूरत के अनुसार रणनीति बना कर कार्य की दिशा तय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। संस्था के पदाधिकारी गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के विचारों से भी जुड़े हुए थे और आधुनिक विकासवादी विचारधारा के लोगों से भी जुड़े हुए थे। इसलिए हमारे सामने एक अहम् मुद्दा था आधुनिकता और परम्परा में तालमेल स्थापित करना।

समाज-स्वावलम्बन-विकास-साधन में कैसे सामंजस्य हो कि हमारी गांव की स्वावलम्बी व्यवस्था किसी प्रकार से प्रभावित न हो। हम गोपालपुरा के काम को इसी नजर से देखते हुए आपस में समय-समय पर चर्चा करते हुए विकास को देख रहे थे। संस्था व उसके पदाधिकारी-कार्यकर्ता स्वदेशी-विदेशी अनुदात्री संस्थाओं से समाज के विकास के लिए सहयोग लेने में सक्षम थे। फिर भी अनुदान राशि का सहयोग समाज की स्वावलम्बी व्यवस्थाओं को बढ़ाने में कैसे सहयोगी बने ? इस समझ को अपने में विकसित कर विकास कार्य करना उचित समझा।

तभासं के कार्यकर्ताओं ने इन सब बातों को गहराई से समझा। समय के अनुसार क्षेत्रीय समाज की अति आवश्यक जरूरतों के अनुसार कुछ लोगों से सम्पर्क किया। देशी-विदेशी, सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं से भी सम्पर्क किया। किसी ने महिलाओं और बच्चों के साथ कार्य करने की मंशा जताई तो किसी ने स्वास्थ्य में रुचि दिखाई। किसी ने शिक्षा को प्राथमिक माना तो किसी ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण-संवर्द्धन कार्य को प्राथमिकता पर लिया। ये सब तभासं कार्यक्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिक उपचार के रूप में थे।

तरुण भारत संघ ने महिला और बच्चों के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली से सम्पर्क किया। प्राकृतिक संसाधनों और स्वास्थ्य के लिए कासा और आक्सफेम इंडिया ट्रस्ट-इंग्लैण्ड से सम्पर्क किया। शिक्षा के लिए इक्को-नीदरलैंड से सम्पर्क किया। सभी ने तरुण भारत संघ कार्यक्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सहायता दी।

× × ×

भाल गांव से मेरे लौटने के कुछ ही दिन बाद मार्च के अंत में भौमाराम, मोती गुर्जर, हनुमान शर्मा और दोनों स्कूली छात्र ब्रजमोहन व भैरु सहाय आदि गांव की ओर से एक प्रार्थना-पत्र लेकर भीकमपुरा कार्यालय में आये। उन्होंने सकुचाते हुए गांव की ओर से लिखा कागज दिया जिसमें बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था के लिए लिखा था। अब भाल गांव के लोग स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चिन्तित दिखाई दिए।

भौमाराम ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हमसे बड़ी भूल हुई है। दो साल का समय हमने अपनी नादानी में गंवाया है। इसमें हमारे बच्चे कुछ अच्छा ही सीखते और तुम सब भी हमारे गांव में आते रहते। हमारे लिए अच्छा ही रहता। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि भाई साहब के आने पर हम बच्चों की शिक्षा की कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य करेंगे। आज भाल गांव के लोगों में आए बदलाव और बच्चों के लिए चिन्तित होना अच्छा लगा। बच्चों के लिए तो वह दो साल पहले भी चिन्तित थे। तभी तो अनजान लोगों को अपने गांव में नहीं रहने दिया था। तब और आज के चिन्ता भाव में अन्तर था। उनका भय दूर हो चला था। भय की जगह एक प्रकाश की किरण ने ले ली थी। अब वह अपने बच्चों को सच्चे मन से पढ़ाना चाहते थे। उसके लिए वह अपना पूरा सहयोग देने और व्यवस्था करने को तैयार थे।

राजेन्द्र सिंह के आने पर भाल गांव के विषय में बातचीत हुई। उन्होंने भी खुशी जाहिर की और कहा कि अब आपका काम वास्तव में आगे बढ़ने लगा है। भाल में 1 अप्रैल से किसी अच्छे आदमी को देखकर भेज देंगे। राजेन्द्र सिंह के कहे अनुसार क्षेत्र के कुछ परिचित युवाओं से बातचीत की थी जो अक्सर काम के विषय में बात करते रहते थे। किशोरी के साधुराम शर्मा जो पोस्टमैन हनुमान शर्मा के छोटे भाई थे। उनके कहने से ही साधुराम हमारे पास आये थे। उनसे भाल गांव में बाल शिक्षा केन्द्र के विषय में बातचीत की तो वह तैयार था। भाल के कुछ लोगों को तो वह भी अच्छी तरह जानता था। फिर भी मैं उसे साथ लेकर भाल गया। वहां भौमा राम गुर्जर की तिबारी में बैठकर लोगों से बच्चों की शिक्षा के विषय में चर्चा हुई।1अप्रैल से साधुराम के स्कूल चलाने के साथ-साथ गांव में पानी व अन्य विकास के लिए काम करने की बातचीत हुई। दोपहर का भोजन भी हम दोनों ने भौमा राम के घर ही किया था।

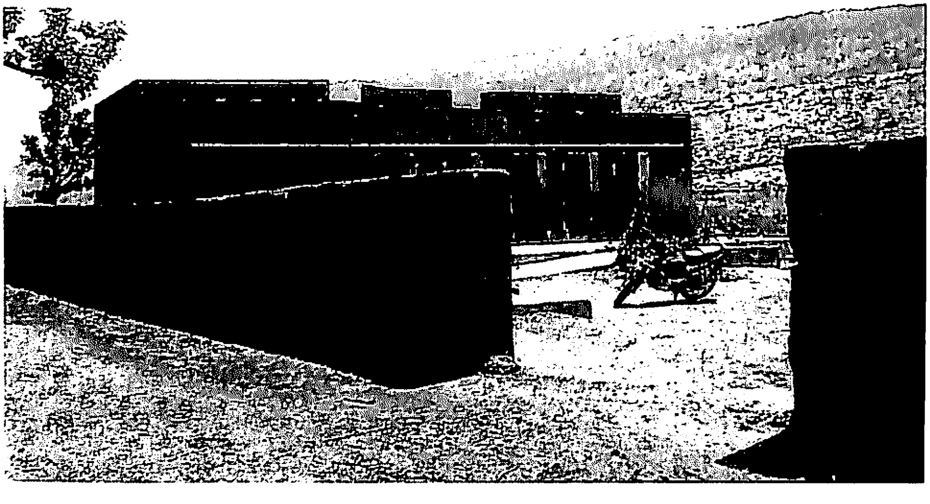

5

फरवरी के प्रथम सप्ताह में भारतीय अन्न सुरक्षा अभियान, जयपुर से टीम आने वाली थी। राजेन्द्र सिंह ने इन लोगों से पत्र द्वारा सम्पर्क किया था। अन्न सुरक्षा अभियान, जयपुर ने अपनी स्वीकृति पत्र द्वारा दी थी। वह अपने समयानुसार आ गए थे। तभी भीकमपुरा के सेठ बदरी प्रसाद जी को अचानक सीढ़ियां चढ़ते-चढ़ते लकुआ हो गया था। उनके घर वाले राजेन्द्र सिंह के पास आये कि आपके मेहमान आये हैं, उनसे कह दें कि अलवर तक छोड़ आएं। जयपुर से आए मेहमानों से राजेन्द्र सिंह ने कहा तो वे तुरंत अलवर चले गए। अलवर में सेठ बदरी प्रसाद के लड़के व भाई सब परिवार के लोग रहते थे। उनका इलाज समय से हो गया। ठीक होकर वापिस भीकमपुरा आये, स्वस्थ थे। हमें उन्होंने अपने घर में ऑफिस, गोदाम और रहने के लिए जगह भी दी थी। आज भी दरवाजे पर तरुण भारत संघ का नाम लिखा हुआ है। भीकमपुरा के बाजार में जब भी जाते हैं तो पच्चीस साल पहले की घटनाएं फिर से ताजा हो जाती हैं।

"आज भी दरवाजे पर तरुण भारत संघ का नाम लिखा हुआ है। भीकमपुरा के बाजार में जब भी जाते हैं तो तईस-चौबीस साल पहले की घटनाएं फिर से ताजा हो जाती हैं।"

अन्न सुरक्षा वालों के साथ पूरे सप्ताह का कार्यक्रम बनाया था। क्षेत्र के 5 गांवों को लिया था जिसमें ग्रामीणों के साथ बातचीत करना, अन्न सुरक्षा के भंडारण पात्र को सुरक्षित रखने के उपाय बताना, खेतों में चूहे मारने की दवा डालना, अन्न सुरक्षा सम्बन्धी स्लोगन दीवारों पर लिखना, कुछ उपकरण और दवाई के बारे में किसानों को जानकारी देना मुख्य था। अन्न सुरक्षा अभियान, जयपुर के साथ तरुण भारत संघ ने लम्बे समय तक काम किया था। 1986 से 2002 तक सतत मिलकर कार्य किया था। क्षेत्र के किसानों को इस विभाग का लाभ भी मिला। क्षेत्र में 3000 परिवारों को लोहे-टीन के पात्र अन्न सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराये जिसमें लाभार्थी, अन्न सुरक्षा अभियान और तरुण भारत संघ का सहयोग रहता था।

राजेन्द्र सिंह ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जयपुर प्रवास से लौटने पर बताया कि 18 अप्रैल को हमारे काम को देखने के लिए जयपुर-अलवर से कुछ गांधीवादी और सर्वोदय के लोग आ रहे हैं। यह सब सिद्धराज जी के बुलावे पर आ रहे हैं। क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ बातचीत होनी है। इसके लिए सुमेर सिंह मास्टर जी, कल्याण सहाय शर्मा,

मातादीन शर्मा मास्टर सूरतगढ़, मातादीन मीणा काबलीगढ़, रघुवीर शर्मा जैतपुर, पेमाराम मेवाल आदि लोगों को सूचित करना भी जरूरी है।

6

18 अप्रैल को 10-11 बजे के लगभग हमारे क्षेत्र के लोगों को दिये समय के अनुसार सभी बुद्धिजीवी आ गए थे। सर्वोदय व गांधीवादी विचारक सिद्धराज ढड्ढा व सवाई सिंह मुख्य थे। अलवर से शांतिस्वरूप डाटा, वेदकुमारी और वीरेन्द्र विद्रोही आदि थे। इनके आने पर सभी क्षेत्र के लोगों ने स्वागत किया। चाय-नाश्ता के बाद राजेन्द्र सिंह ने सभी आगन्तुकों के साथ क्षेत्र की परिस्थितियों, समस्याओं पर मिलकर चर्चाएं करने से पहले सभी का आभार प्रकट किया। आज इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इस प्रकार की पहली बैठक थी जिसमें गांधी के आदर्शों के अनुरूप सामाजिक विकास के लिए कार्य करने पर चर्चाएं हुईं।

राजेन्द्र सिंह ने इस क्षेत्र को जितना समझा, उसके अनुसार अपने विचारों से उपस्थित जनों को अवगत कराया। सुमेर सिंह, पेमाराम मेवाल, कल्याण सहाय शर्मा, मातादीन मीणा, मातादीन शर्मा, रघुवीर सहाय शर्मा आदि ने इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को सभी के सामने रखते हुए उनके समाधान के लिए अपने सुझाव भी दिए। राजेन्द्र सिंह ने कुछ समस्याओं को लेकर संस्था की भावी योजनाओं से सभी उपस्थितजनों को अवगत कराया। शान्तिस्वरूप डाटा, वेदकुमारी और सवाई सिंह ने भी क्षेत्र की परिस्थिति के बारे में अपने सुझाव दिए। साथ ही सर्वोदय दर्शन में ग्राम विकास की परिकल्पना सभी के सामने रखी। अन्त में सिद्धराज जी ने उपस्थित जनों को संक्षिप्त में गांधी दर्शन के विषय में जानकारी दी और वर्तमान समय में संस्था के काम को गांधी के वैचारिक दृष्टिकोण से समयोचित माना। उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा में 'सच्चा ग्राम स्वराज कैसा हो' एक स्लोगन से समझाने का प्रयास किया। वह स्लोगन था :

"आज इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इस प्रकार की पहली बैठक थी जिसमें गांधी के आदर्शों के अनुरूप सामाजिक विकास के लिए कार्य करने पर चर्चाएं हुईं।"

"गांव का कपड़ा, गांव की रोटी। गांव के हाथ में सरकार की चोटी॥"

सिद्धराज जी ने तरुण भारत संघ के इस क्षेत्र में कार्य करने को सही मायने में सर्वोदय का काम माना और गांधी, विनोबा जी की विचार-शैली में देखा। इसके साथ ही उन्होंने सभी उपस्थित जनों के सामने कहा कि मैं इस क्षेत्र में जितना भी हो सकता है,समय दूंगा। कार्यकर्ता और गांव के लोगों से भी गांव में जाकर मिलता रहूंगा।

सिद्धराज जी की इस बात का सभी ने ताली बजाकर स्वागत किया। सिद्धराज जी ने अपने इस वचन की आजीवन पालना की।

8-13 नवम्बर 2005 में राष्ट्रीय जल बिरादरी सम्मेलन के आयोजन में पूर्ण रूप से सक्रिय थे। वह तरुण भारत संघ के कार्य को सर्वोदय की विचारधारा के अन्तर्गत सघन कार्यक्षेत्र के रूप में देखने लगे थे। जहां भी देश में जाते थे, वहीं तरुण भारत संघ का जिक्र किये बगैर नहीं रहते थे। उन्होंने एक दिन तरुण भारत संघ की कार्यकर्ता-बैठक में स्वीकार किया कि ''अब मेरी मुक्ति ठीक तरह से हो जायेगी'' अब आप लोग अच्छा और सही समझ के साथ कार्य कर रहे हो। सिद्धराज जी ने ये शब्द जीवन के अन्तिम समय से 3 वर्ष पूर्व ही कहे थे। एक छोटे से काम में कितनी बड़ी सन्तुष्टि होती है। यह एक साधक-विचारक के अन्तर मन के प्रेरणादायी भाव से मालूम होता है।

''सिद्धराज जी ने तरुण भारत संघ के इस क्षेत्र में कार्य करने को सही मायने में सर्वोदय का कार्य माना और गांधी, विनोबा जी की विचार शैली में देखा। इसके साथ ही सभी उपस्थित जनों के सामने कहा कि मैं इस क्षेत्र में जितना भी हो सकता है, समय दूंगा। कार्यकर्ता और गांव के लोगों से भी गांव में जाकर मिलता रहूंगा।''

बैठक के बाद क्षेत्र से आने वाले सभी जन अपने-अपने स्थानों को चले गए थे। भोजन के उपरान्त सर्वोदय के लोगों ने कुछ देर आराम किया। लगभग तीन बजे गोपालपुरा गांव गए। वहीं गांव वालों के साथ बांध का काम देखा, कुछ बातचीत हुई। उसके बाद सभी जीप द्वारा रायपुरा गांव गए, जहां राम नारायण बलाई बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने इसी माह 3-4 अप्रैल से ही पढ़ाना शुरू किया था। पहले मैं ही रायपुरा में बच्चों के शिक्षा कार्य को देखता था। गांव में राजेन्द्र सिंह के साथ सिद्धराज जी, शान्ति स्वरूप डाटा जी और सवाई सिंह ही गए थे।

रायपुरा में आज पहली बार ऐसे लोग आये थे जो गांव की बात कर रहे थे वरना यहां चुनावों के समय में भी कोई नहीं आता था। सरपंची के चुनावों में जरूर कुछ लोग आते थे। रायपुरा भाल गांव में तो क्षेत्र के लोग भी जाने से डरते थे। कुछ दिन पहले रायपुरा-भाल के जंगलों में बाछड़ी गांव की एक महिला के पैर काट कर उसके चांदी के आभूषण उतार लिए गए थे। बाद में वह महिला मर गई थी। ऐसी स्थिति में रायपुरा-भाल में जाने से अकेला आदमी डरता था परन्तु मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिससे मैं डरूं। मैं रोज पांच किलोमीटर पैदल चलकर बच्चों को पढ़ाने आता-जाता था। आज स्कूल में जयपुर और अलवर से लोग आये हैं। बच्चों से बात कर रहे हैं।

राजेन्द्र सिंह ने अमर सिंह जी को बुलाया जो इसी गांव के जागीरदार थे। उनसे सभी का परिचय कराया और बताया कि इन्होंने अपने गांव के बच्चों की शिक्षा के

लिए बहुत सहयोग दिया है। गांव के लोगों से बातचीत करते हुए सिद्धराज जी ने गांव के संगठन व सहयोगी जीवन में आपसी प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए कहा। डॉ. वेद कुमारी, वीरेन्द्र तथा मैं जीप के पास ही खड़े रहे। वेद कुमारी इसलिए नहीं जा सकी थी क्योंकि उनके दोनों पैर नहीं थे। बैसाखियों के सहारे थोड़ा-बहुत चल पाती थीं। गांव के सभी लोग जीप के पास तक मेहमानों को विदा करने आये। गांव वालों को राजेन्द्र सिंह व मेहमान जनों ने राम-राम किया और चल दिए। मैं और राजेन्द्र सिंह किशोरी गांव में उतर कर भीकमपुरा को चल दिए। बाकी के सब अलवर को चले गये।

"कुछ लोग गांधी, जयप्रकाश के मानने वाले थे जो सरकार की निरंकुशता और भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और जन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष के हिमायती थे। 'अपना हक लड़कर लेंगे' के झंडावरदार थे। अनुदान के विरोधी थे।"

आज का कार्यक्रम सभी को अच्छा लगा, कुछ को नहीं भी। क्योंकि सर्वोदय में भी कई विचारधारा के लोग मिलकर कार्य कर रहे थे। कुछ लोग गांधी, जयप्रकाश के मानने वाले थे जो सरकार की निरंकुशता और भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और जन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष के हिमायती थे। 'अपना हक लड़कर लेंगे' के झंडावरदार थे। अनुदान के विरोधी थे। कुछ लोग ऐसे थे जो विनोबा वादी कहे जाते थे , वे सरकार के सहयोग से खादी के माध्यम से गरीब व ग्रामीणों के साथ जुड़े थे। कुछ सरकारी और विदेशी संस्थाओं का सहयोग लेकर ग्रामीणों के बीच रचनात्मक कार्य कर रहे थे। वे सरकार से संघर्ष नहीं, सहकार करके चलाना चाहते थे।

इस प्रकार सर्वोदय के लोगों में वैचारिक मत भिन्नता का भाव सा दिखाई देता था। तरुण भारत संघ की कार्य पद्धति में क्षेत्र की समस्याओं को आधार मान कर कार्य करना था। हमारे पास आर्थिक साधन समाज- सरकार- विदेशी सहयोग तीनों से ही आते थे। इसलिए सर्वोदय जगत् के कुछ लोगों को हमारे काम जंच नहीं रहे थे। वे ऐसे काम को सर्वोदय का न मान कर तथाकथित रूप से विदेशी संस्थागत काम मानते थे। उन दिनों राजस्थान में स्वैच्छिक संगठनों को सरकार का पिछलग्गू माना जाता था। तरुण भारत संघ में राजेन्द्र सिंह को छोड़ बाकी सभी साथी किसी विचारधारा से सम्बन्धित नहीं थे। न ही वे इन वाद- विवादों में बंधना चाहते थे।

मैं स्वयं गांव में आर.एस.एस. की शाखा में जाता था। फिर भी किसी वैचारिक बन्धन में लेश मात्र नहीं था। बस, मन में एक तड़प जरूर थी कि गरीबी में अच्छा विचारशील आदमी भी पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा रहता है। उसको तोड़ने के लिए उसके पास अपने साधन होना जरूरी है। मेरे ये विचार मेरे मन-मस्तिष्क में कब-कैसे समाहित कर गए, मुझे मालूम नहीं। जब भी मैं गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के विचारवादी

लोगों के बीच होता तो एक घुटन सी होती थी। अक्सर मैं ऐसे लोगों की बातचीत से अलग ही रहता था। इसके बावजूद भी मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं था। ईर्ष्या भाव क्यों हो? जब मैं किसी विचार के बन्धन में ही नहीं था और न ही किसी विचारवादी के विचारों को समाज के बीच प्रवाहित करने में प्रयासरत। बस ! मेरे मन में, गरीब से गरीब लोग अपने साधनों से कैसे आगे बढ़ें? यही विचारधारा चलती रहती थी।

मेरे विचार से कोई भी कितना भी क्रान्तिकारी विचार 25-30 साल से ज्यादा नहीं चलता है। 25-30 साल में नई पीढ़ी में समय के अनुसार जरूरत व सोच में अन्तर आता ही है। जब अच्छे विचार समाज व्यवस्था में ठीक नहीं उतरते हैं तो वे रूढ़ियां बन जाते हैं। रूढ़िवादिता वैचारिक स्तर पर एक प्रकार से खिन्नता का स्वभाव बन जाता है। यह मैंने अपने 25 साल के सामाजिक जीवन में कार्य करते हुए देखा है।

मुझे यह सब इसलिए भी अच्छा लग रहा था कि यह सब हमारा काम है, समाज का काम है। हम ही कर्ताधर्ता हैं। आज इतने पिछड़े क्षेत्र में ये लोग आये हैं।

यहां लोगों से क्षेत्रीय समस्याओं पर एक अच्छा संवाद हुआ। ऐसा शायद इस क्षेत्र में पहली बार हुआ हो। वैसे राजनीतिक सरगर्मी यहां के पिछड़े क्षेत्र के लोगों में भी थी। कांग्रेस व भाजपा में लोग बंटे हुए थे। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था। यहां का एम.एल.ए. और एम.पी. कांग्रेसी ही थे। अप्रैल के मध्य में सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन के सचिव लक्ष्मी चन्द त्यागी दो दिन के प्रवास पर भीकमपुरा आये, क्षेत्र के गांव गये और गांवों की परिस्थितियों को देखा समझा। क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए पेयजल जागरूकता के लिए एक परियोजना बनाई और कपार्ट को भेजी एवं अपनी संस्था की ओर से एक साल तक आर्थिक सहयोग भी किया।

7

अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में ऑक्सफेम की प्रतिनिधि एलमेलू दो दिवसीय प्रवास पर दिल्ली से आई थी। उन्होंने क्षेत्र में हो रहे कार्यों को देखा। क्षेत्र के लोगों से मिली, बातें कीं। राजेन्द्र सिंह, दृगपाल, कैलाश के साथ भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बातचीत की थी। तुरन्त कार्य करने की दृष्टि से उन्होंने 35 हजार रुपये बांध निर्माण की परियोजना के लिए अपने स्तर से स्वीकृत कर दिये। भावी बड़ी परियोजना के लिए राजेन्द्र सिंह के साथ लम्बी बातचीत की थी। क्षेत्र में अकाल से पीड़ित समाज को देखते हुए बांध, जोहड़ निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रुपये की मोटी-मोटी एक रूपरेखा सी बना ली गई। फिर सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और कहा कि यह अगस्त-सितम्बर तक स्वीकृति हो जायेगी। दिल्ली जाते ही मैं 35 हजार की स्वीकृत राशि तुरन्त भेज दूंगी।

"हमारे पास कुछ भी साधन नहीं थे। यहीं से साधन जुटाकर कार्य आरम्भ किया था। यहां लोगों ने तरुण भारत संघ व कार्यकर्ताओं को स्वीकार कर लिया था।"

एलमेलू बहुत ही सरल स्वभाव की भावुक महिला थीं। उन्हें हमारे क्षेत्र में आने पर बहुत अच्छा लगा था। दिल्ली जाकर एलमेलू ने सबसे पहले 35 हजार की स्वीकृत राशि तुरन्त भेजी। साथ ही अगस्त-सितम्बर तक बड़ी परियोजना की स्वीकृति के विषय में लिखा था।

किशोरी एनिकट का कार्य शुरू कर दिया गया था। जब किशोरी का कार्य चल रहा था तो एक दिन अलवर से निकलने वाले दैनिक अखबार 'न्याय' के मुख पृष्ठ पर मुख्य जगह में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था "अलवर में विदेशी रुचि ले रहे हैं" उसके बाद तरुण भारत संघ की कार्यपद्धति का विस्तार से वर्णन था। क्षेत्र में जिसने भी पढ़ा वह भीकमपुरा आया।

थानागाजी से पेमाराम मेवाल वकील साहब सीधे भीकमपुरा आए, वहां पर कोई नहीं मिला। उन्हें मालूम हुआ कि मैं किशोरी के तेलीयां वाले बांध पर हूं, तो वह बांध पर ही पहुंचे थे। उनके हाथ में अखबार था। उन्होंने बांध कार्य देखा, कार्य देखते हुए चिन्तित भाव में अखबार में छपी खबर दिखाई। वकील साहब सबसे अधिक इस बात से चिन्तित थे कि अखबार में छपी खबर का लेखक कुछ दिन पहले ही पूरे दिन साथ रहा था। राजेन्द्र सिंह का परिचित था। सर्वोदय के विचारों वाला था। फिर ऐसा क्यों लिखा? जबकि सर्वोदय के लोग भी हमारे काम को सराह रहे थे। परिचित बन्धु और कोई नहीं अलवर के

वीरेन्द्र विद्रोही थे। वकील साहब की चिन्ता कुछ कम हुई। पेमाराम जी ने जाने के लिए कहा और अपने गांव चिन्ता-मुक्त भाव लिए चले गए थे।

पेमाराम वकील साहब पास के गांव बाछड़ी में रहते हैं। किशोरी पंचायत का ही गांव है। भीकमपुरा से सीधा रास्ता चार किलोमीटर दूरी पर ही था। राजेन्द्र सिंह के साथ व सभी कार्यकर्ताओं के साथ अच्छी मित्रता हो चली थी। वैसे राजनीति में कांग्रेस से जुड़े हुए थे। फिर भी किसी प्रकार की बनावट नहीं है। सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। बहुत मृदुभाषी हैं। अखबार में छपी खबर को हमने बड़ी सहजता से लिया था। लेकिन कुछ लोगों ने चार तरह की बात और मिला कर फैलाई थी। ऐसे लोग भी इस क्षेत्र में मौजूद थे। भीकमपुरा गांव में हम जिनके घर में रह रहे थे, वे ही इस गांव में ऐसी हवा फैलाने में सबसे आगे थे। फिर भी हम उनके साथ बहुत ही मधुर भाव से रहते थे। वे तो कभी-कभी बातों में ऐसी-वैसी बातें कर भी देते थे क्योंकि यह सब उनके स्वभाव में था। आदत से मजबूर थे। हमारे मन में इनके प्रति किसी प्रकार का गिल्ला-गुजारी नहीं थी। हमारा काम ठीक प्रकार से चल रहा था। अप्रैल का महीना भी बीत गया था।

कुछ आलोचकों या दुष्ट स्वभाव के लोगों की बात छोड़ दें तो बाकी सभी गावों के पुरुष व बच्चों का भरपूर स्नेह व सहयोग मिलता था। चाहे गोपालपुरा के हों या गोविन्दपुरा के हों या फिर भीकमपुरा या राड़ी के। किसान भाई बरसात के दिनों में मक्का, चना के दिनों में चने के होरे, मूंगफली सौगात स्वरूप देने चले आते थे। बच्चे भी झाड़ी के लाल-लाल बेर बड़े प्यार से देते थे। महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। वह अपने खेत से या दूसरों के खेतों से मेथी, बथुआ, चना, सरसों का साग तोड़कर लाती थीं। जबरन देकर जाती थीं। यह सब अपनेपन से स्वभाव के साथ ही व्यवहारवश होता था।

कैलाश मास्टर जी का पूरा परिवार हम सब से बहुत ही प्रेम भाव रखता था। उनकी मां व पत्नी गर्मियों में रोज छाछ-राबड़ी से भरा जग भेज देते थे। उनके घर में जो कुछ खाने के पकवान बनते थे वो हमें अवश्य देते थे। मास्टर जी बरसात के दिनों में स्कूल से लौटते समय ककौड़े जरूर लाते थे। खेत की बाड़ में प्राकृतिक रूप से इस की बेल होती थी। मास्टर जी को अगर दिख जाए कि इस पर ककौड़े लगे हैं तो वे बरबस ही रुक जाते और प्रकृति की देन कितने प्रेम से चुनते होंगे? ये तो वही जानते होंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि प्रत्येक ककौड़े को तोड़ते समय उनके हाथों में दो चार कांटे जरूर लगते होंगे।

गांव में किसी प्रकार का उत्सव हो तो तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता को ससम्मान बुलाया जाता था। सभी आसपास के गांवों से शादी विवाह, गोठ, खुशी आदि में निमन्त्रण आते थे। हर खुशी-गम में ग्रामवासियों के साथ रहते थे। ऐसे प्रेम-भाव को क्या आदमी कभी भूल सकता है? ऐसी घटनाएं कभी भुलाए नहीं भूली जाती हैं। सब कल की सी ही बातें लगती हैं।

8

मई महीने की गर्मी के तेवर चढ़े हुए थे। मई माह है ही गर्मी का महीना। बांध निर्माण के काम पर भी लोग गर्मी होने से पहले ही अपने हिस्से का काम पूरा कर लेते थे जिससे सूरज की तपस से बचा जा सके। वैसे तो मई में सूरज की तपस पेड़ की छांव में भी आदमी, पशु-पक्षियों को चैन से नहीं बैठने देती। पशु-पक्षी इधर-उधर छांव तलाशते रहते हैं और आदमी भी अपने लिए पेड़ की छांव, छान-छप्पर, हवादार तिबारी की शरण में जाकर खजूर के पंखे, कागज, कपड़े को हाथ से दाएं-बाएं हिलाकर कृत्रिम हवा के झोंके देकर कुछ राहत का अहसास करते हैं। कुछ लोग खुले बदन रह कर गर्मी का सामना करते तो कुछ हल्के कपड़े पहन कर रहते हैं।

"सूरज की तेज और सीधी किरणों से बचने के लिए सिर पर बंधी पगड़ी; एक प्रकार से ढाल का काम करती है। ऐसे में सूरज भी सहम जाता है।"

सूरज की तेज और सीधी किरणों से बचने के लिए सिर पर बंधी पगड़ी; एक प्रकार से ढाल का काम करती है। ऐसे में सूरज भी सहम जाता है। हम भी मई की धूप में बाहर कम ही निकलते थे। धूप कम होने पर ही अपने-अपने काम में लगते थे। सूरज की गर्मी से धरती का वायुमंडल भी प्रभावित होने के कारण परिवर्तन होने लगता है। हवाओं की गति बढ़ जाती है। शीत-बसंत के वही शीतल मंद पवन के झोंके अब आग की लपटों में बदल जाते हैं। धीरे-धीरे आग की लपटों का रूप विकराल हो जाता है। वह आंधी-अंधड़ में बदलती जाती है। यह सब प्रकृति की प्रक्रिया है। आदमी को इन सब को देखते, समझते और झेलते हुए आगे बढ़ना होता है।

राजेन्द्र सिंह ने 20 मई को दिल्ली प्रवास से लौटते ही बताया कि 24 मई को रमेश शर्मा के साथ दिल्ली से कुछ लोग आएंगे। रमेश जी को 10-11 बजे तक भीकमपुरा आना था। राजेन्द्र सिंह उनका इन्तजार कर रहे थे। इन्तजार में समय काटना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ काम भी करो तो काम में मन नहीं लगता। मन न लगने के कारण काम भी ठीक से नहीं होता। ये सब राजेन्द्र सिंह के साथ भी हो रहा था। वे बार-बार पूछते थे, अब क्या समय हो गया? भीकमपुरा में 25 साल पहले दूरसंचार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे तुरन्त स्थिति की जानकारी ले सकें। तब तो जो समय किसी को दिया जाता था, समझिए कि पूरे दिन का इन्तजार तो करना ही है।

इस दिन भी यही हुआ था। रमेश जी पहली बार ही भीकमपुरा आ रहे थे और उनके साथ जो मेहमान थे वह भी। दोनों भीकमपुरा के रास्ते से अनभिज्ञ थे। राजेन्द्र सिंह ने वैसे

तो दिल्ली-जयपुर के रास्ते से शाहपुरा होते हुए थानागाजी का रास्ता बताया था। लेकिन रमेश शर्मा दिल्ली से भीकमपुरा पहुंचने की जल्दी में कोटपूतली से बानसुर -नारायणपुर-थानागाजी होते हुए दोपहर बाद भीकमपुरा पहुंचे। जिस रास्ते ये लोग यहां आये, वे अधिकतर कच्चे थे। दो-तीन जगह तो उन्हें गाड़ी को धक्का देना पड़ा था। खैर ! सही सलामत भीकमपुरा आ गए। दोपहर का भोजन किया। कुछ बातें की, फिर गोपालपुरा चले गए। दो एक गांव और गए थे। वापिस आकर कार्यकर्ताओं से परिचय हुआ। रमेश शर्मा के साथ जो मेहमान थे, उनका नाम एन.रमेश था। वे सैप नाम की संस्था के प्रतिनिधि थे। सेप कनाडा की संस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को आर्थिक मदद करती है जिसका पूरा नाम ''साउथ एशिया पार्टनरशिप-कनाडा'' है।

एन. रमेश ने गोपालपुरा में बच्चों के लिए शिक्षण और पुस्तकालय के कार्य में रुचि दिखाई। प्रयोग के बतौर दो साल के लिए 50 हजार की एक छोटी परियोजना की रूपरेखा पर राजेन्द्र सिंह, रमेश शर्मा के साथ एन.रमेश ने विचार-विमर्श किया। बातों-बातों में भास्कर अस्तांचल में जा छुपे थे। उनके छुपते ही अंधकार की छाया गहराने लगी। उसे दूर करने के लिए हमने प्रयास किये, लालटेन और डिबिया जलाई। अंगीठी में कोयले डाले और रात्रि के भोजन की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर में ही खाना बना लिया था। रमेश शर्मा और मेहमान; खाना खाकर दिल्ली के लिए चले गए थे। राजेन्द्र सिंह के साथ आगे के काम के विषय में कुछ बातें हुई।

9

जून माह में गर्मी की प्रचण्डता को देखते हुए धूप में निकलना दूभर होता है। जून में गर्मी का रूप विकराल होता है तथा तापमान प्राणी मात्र के लिए असहाय होता है। जरा सी लापरवाही में प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं। फिर भी सांसारिक जीवन में रहते हुए कुछ न कुछ उपायों से बचाव करते हुए जीना होता है। साथ ही सभी कार्य करने होते हैं। जून माह में कुछ संस्थाओं से आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के पत्र आये और कुछ मित्रों के भी। सभी को जवाब लिख दिया। उन दिनों पत्र-व्यवहार करना अपने आप में एक बड़ा और आवश्यक काम था। कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने संस्था में आकर तरुण भारत संघ के कार्यों को देखना-समझना चाहा था।

वनवासी सेवा आश्रम के प्रेम भाई भी तरुण भारत संघ के काम को देखना -समझना चाहते थे। प्रेम भाई एक ऐसे इन्सान थे जो सर्वोदय विचार के साथ स्वैच्छिक जगत के उन दिनों सिरमौर बने हुए थे। उनका काम अपने में सर्वोदय था। ग्रामीण विकास की सभी जरूरतों के प्रशिक्षण की व्यवस्था आश्रम में थी। उसके बाजार व उपयोग की भी व्यवस्था उसी क्षेत्र में थी। खादी का बहुत बड़ा काम था। इन सब कार्यों के लिए उनकी अपनी स्वावलम्बी व्यवस्था थी। फिर भी वे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग लेकर विभिन्न प्रकार की समाज उपयोगी परियोजना के माध्यम से काम कर रहे थे। उन्हीं परियोजनाओं में देश के भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्र के ग्रामीण परिस्थितियों में कार्यरत नये युवाओं व नई संस्थाओं को आगे लाना और उनके क्षेत्र में जाकर परिस्थितियों को देख-समझ कर मार्गदर्शन करना भी अपने में महत्वपूर्ण काम था। हमें भी उन्होंने सहयोग दिया था।

प्रेम भाई 10-11 जून को दो दिन का अपना कार्यक्रम बना कर क्षेत्र में आ गए थे। सरिस्का टाइगर डेन में रुके थे। तब भीकमपुरा में हमारे पास सेठजी के मकान के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रेम भाई 9 जून को ही आ गए थे। उस दिन भीकमपुरा के आसपास के गांवों में गए थे। दूसरे दिन से सरिस्का में 10-11 जून की बैठक अलवर जिले के कानून ज्ञाताओं की रखी थी जिसमें तहसील और जिले के न्यायालयों से जुड़े वकीलों के साथ बात करना था। बैठक का मुख्य उद्देश्य था - गांव के गरीबों को न्याय दिलाने में न्यायालय व सामाजिक स्तर पर एक सचेतक के रूप में एक वकील की क्या भूमिका होनी चाहिए?

"प्रेम भाई समाज सेवा के साथ-साथ अच्छे वकील भी थे लेकिन अब वह न्यायालय जाने की बजाय वनवासी की झोंपड़ी में जाते, उसे उसके अधिकारों के प्रति सजग करते, उन्हीं के साथ वनवासी सेवा आश्रम में रहते थे।"

इस बैठक में तहसील और जिला स्तर से 20-22 वकील थे। बैठक टाइगर डेन होटल में ही आयोजित की। बैठक की सभी व्यवस्थाएं प्रेम भाई के आने से पूर्व ही कर ली गई थीं। प्रेम भाई ने अपने जीवन की घटनाओं के कई दृष्टांत देते हुए बैठक में आए कानूनविदों के साथ रोचक लम्बी बातचीत की। प्रेम भाई समाज सेवा के साथ-साथ अच्छे वकील भी थे लेकिन अब वह न्यायालय जाने की बजाय वनवासी की झोंपड़ी में जाते, उसे उसके अधिकारों के प्रति सजग करते और उन्हीं के साथ वनवासी सेवा आश्रम में रहते थे। प्रेम भाई के साथ बिताये दो दिन, सभी उपस्थित जनों के लिए सुखद अनुभव के रहे।

जून महीने में ही एक दूसरा कार्यक्रम भी था। प्रचार-प्रसार विभाग, (अलवर) के माध्यम से गांव में स्वास्थ्य जागरूकता व ग्राम विकास से संबंधित फिल्में दिखाने का। वह जून के मध्य 16-18 तारीख को भीकमपुरा पहुंच गये थे। प्रचार-प्रसार विभाग के अधिकारी सहित दो आदमी थे। स्वभाव से भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने कार्यक्रम के विषय में चर्चा की और बताया कि हम दो गांवों में फिल्म दिखायेंगे। दो गांवों में कुछ प्रतियोगिता करेंगे। भीकमपुरा, गोपालपुरा और सूरतगढ़ में तीन दिन का कार्यक्रम बनाया।

भीकमपुरा में फिल्म शो और बच्चों के स्वास्थ्य पर तथा गोपालपुरा में घर की साफ-सफाई को लेकर प्रतियोगिता करेंगे और सूरतगढ़ में फिल्म शो करेंगे। राजेन्द्र सिंह के साथ उन्होंने अपना तीन दिन का कार्यक्रम बनाया। उनके ठहरने की व्यवस्था सरपंच बद्री प्रसाद सेठ जी के मकान में की। शाम का भोजन उन्होंने स्वयं बनाया था। उनके आने पर गांव के बच्चों द्वारा स्कूल में इकट्ठा होने की जानकारी घर-घर में पहुंचा दी गई थी। आठ बजते-बजते लोग स्कूल में जमा हो गए थे। अलवर से आये लोगों ने भी अपने कार्यक्रम को दिखाने की सभी तैयारियां कर ली थी। बस ! राजेन्द्र सिंह के द्वारा वह शुरुआत कराना चाहते थे।

राजेन्द्र सिंह ने भीकमपुरा के लोगों को सम्बोधित करते हुए एक अच्छी पृष्ठभूमि के साथ अपनी बात गांव के सामने रखी। भीकमपुरा में सभी के सामने अपनी बात कहने का यह पहला मौका था। इस अवसर पर पूरे गांव के लोग, महिलाएं और बच्चे थे। राजेन्द्र सिंह के भावनात्मक भाषण को पहली बार गांव के सभी लोगों ने बड़े गौर से सुना था। उसके बाद अलवर से आये लोगों ने देश-प्रेम और ग्राम-विकास से संबंधित फिल्म दिखाई। आज का दिन भीकमपुरा में पहला दिन था जिसमें लोगों ने चल-चित्रों को देखा

था। वैसे तो एक घर में टी.वी. लगा हुआ था जो बैटरी से चलता था। प्रचार-प्रसार विभाग के लोग भी खुश थे कि उनके कार्यक्रम को बहुत लोगों ने देखा।

अगले दिन भीकमपुरा के बच्चों ने स्वास्थ्य व साफ-सफाई के लिए गांव में घर-घर में खबर दी। फिर वे गोपालपुरा को सूचित करने के लिए गए थे। घरों की साफ-सफाई के लिए कल प्रतियोगिता है। प्रत्येक घर में जाकर देखा जाएगा कि जिसके घर साफ सफाई होगी, घर की सभी वस्तुएं ठीक तरह से रखी जायेंगी, उन्हें इनाम देंगे। यह कह कर वे भीकमपुरा आ गए। प्रतियोगिता का समय 2 बजे से स्कूल में रखा गया था। दोपहर बाद स्वस्थ बच्चों की प्रतियोगिता शुरू हुई। 1-3 साल के बच्चों के मां-बाप-दादा-दादी सब स्कूल पर आ पहुंचे थे। सब बच्चे अपने मां-बाप के आंखों के तारे थे। फिर भी प्रतियोगिता शब्द में बहुत ही स्पर्द्धा होती है। उसी के चलते सभी अपने-अपने बच्चों को बड़े गौर से देखते और जरा सी कुछ गंदगी लग जाए तो तुरन्त ही साफ कर देते। अच्छे साफ-सुथरे कपड़ों में सजे-धजे नौनिहाल लाड़ले प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। उपस्थित जनों में कौतूहल था कि बच्चों की प्रतियोगिता कैसे करेंगे ? मां-बाप खुश थे। वे बार-बार अपने बच्चों को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते और बड़े प्यार से हाथ फेरते थे। एक अदृश्य सुख और आनन्द का माहौल था।

"अच्छे साफ-सुथरे कपड़ों में सजे-धजे नौनिहाल लाड़ले प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। उपस्थित जनों में कौतूहल था कि बच्चों की प्रतियोगिता कैसे करेंगे ? मां-बाप खुश थे।"

पांच व्यक्तियों की टीम जिसमें अलवर के दोनों लोग, दो लोग भीकमपुरा के और राजेन्द्र सिंह थे। अभिभावक टीम के सामने क्रम से पंक्तिबद्ध होकर अपनी गोद में बच्चों को लेकर जाते थे। टीम सदस्य बच्चों को बड़े गौर से अपने मापदण्डों के अनुसार देखते थे। बच्चों को कुछ खाने की टॉफी आदि भी देते थे। इस प्रकार उन्होंने सभी बच्चे देखे, जिनमें से तीन को चुना था। उनमें एक बच्ची भी थी। चुने गए बच्चों को, मां-बाप के साथ पारितोषिक दिया। वैसे सभी उपस्थित लोग बहुत खुश थे।

शाम को कार्यक्रम सूरतगढ़ जाने का था इसलिए कुछ तैयारी भी करनी थी तो उसमें लगे। वे लोग राजेन्द्र सिंह के साथ रात्रि फिल्म शो करने गए। यहां भी राजेन्द्र सिंह ने गांव के समाज को सम्बोधित किया। 10 बजे रात्रि में भीकमपुरा लौटे।

18 जून को गोपालपुरा में घरों की साफ-सफाई प्रतियोगिता थी। सभी महिलाएं अपने-अपने घरों की सफाई में दो दिन से जुटी हुई थीं। जैसी जिसकी क्षमता थी उसी प्रकार से अपने घर को सजा रही थी। इसमें पुरुष भी उनके कार्य में सहयोग कर रहे थे। इस गांव में मीणा जाति के परिवारों की संख्या अधिक है, कुछ परिवार बलाइयों के हैं और

''घर वाले हंसते-हंसते सब दिखाते और आनन्दित होते थे। पुरुषों से भी अधिक महिलाएं घूंघट में हंसती-हंसती और दौड़-दौड़ कर अपने घर को दिखाती थीं।''

एक परिवार ब्राह्मण का। दोपहर बाद घरों का अवलोकन करने के लिए हम लोग गोपालपुरा पहुंचे।

गोपालपुरा में भी दो लोगों को साथ लेकर घर के मुखिया के साथ अन्दर जाते; एक नजर में सभी वस्तुओं को देखते। घर वाले हंसते-हंसते सब दिखाते और आनन्दित होते थे। पुरुषों से भी अधिक महिलाएं घूंघट में हंसती-हंसती और दौड़-दौड़ कर अपने घर को दिखाती थीं। ऐसी प्रतियोगिता वास्तव में गांव-घर की साफ-सफाई के लिए बहुत उपयोगी होती है। घर की साफ-सफाई की प्रतियोगिता में भी गांव में से तीन घरों को चुना गया था। प्रथम बलाई परिवार, द्वितीय ब्राह्मण परिवार, तृतीय मीणा परिवार था। तीनों परिवारों को तेजाजी महाराज के पास सभी ग्रामवासियों के सामने सम्मानित किया गया था।

तरुण भारत संघ के बुलावे पर प्रचार-प्रसार विभाग, अलवर के अधिकारी भीकमपुरा में आये थे इसलिए तभासं के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका पूरा सहयोग किया था। उनके द्वारा किये गये कार्यक्रमों की तीनों गांवों में सराहना हुई थी। यह कार्यक्रम पहली बार हुआ था।

10

जून महीना तेज तपस के साथ आशा भरा होता है। इस महीने पर ही भारत की कृषि व अर्थव्यवस्था निर्भर होती है। अगर जून महीना ठीक तरह से तपता है तो देश की मुख्य दो फसल खरीफ- रबी अच्छी होती है। अगर इस महीने में समय से पहले वर्षा का मौसम होता है तो अकाल की संभावना बन जाती है।

क्षेत्र के गांव-गांव में चर्चा थी, एक भय था कि कहीं अब की बार भी अकाल की छाया न आ घेरे। ऐसे विचार गांव में इसलिए आ रहे थे कि आंधी-तूफान आने के साथ-साथ वर्षा होती थी व कहीं-कहीं ओले भी गिरे थे जिससे गर्मी के मौसम में ठंडक बनी हुई थी। गर्मी में ठंड उन्हीं को अच्छी लगती है, जिन्हें खेती से कोई वास्ता नहीं होता। जून में ठंडा मौसम खेती और किसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। भय हकीकत में बदलता जा रहा था। ग्रामीण जन डरता-डरता अपने खेत में आगामी फसल की तैयारी में लगा था।

इस क्षेत्र में जून आते-आते विवाह शादी का जोर कम हो जाता है। अधिकतर विवाह-शादी आखातीज को ही हो जाते हैं। यह शुभ अबूझ सावा होता है। अब इनमें कुछ कमी थी। क्षेत्र में खेती का कार्य तेजी पर था। कुछ लोगों ने अपने पानी के साधन के पास ही चरी की बुवाई पहले ही कर दी थी। कुछ हरियाली का कारण जून माह में हुई बरसात भी थी। ज्यों-ज्यों जून का महीना बीत रहा था। ग्रामीणों का जीवन व्यस्तता में बदल रहा था। उनकी खुशी परवान पर थी। अरमानों का ताना-बाना बुनते-बुनते समय का पता नहीं चलता था। सूरज ढलते-ढलते शरीर चूर-चूर हो जाता। शाम की थकावट अगले सुबह उत्साह में बदल जाती। ऐसी बदली व्यस्तता भारतीय ग्रामीण जीवन में सभी जगह होती है। परन्तु जहां का जीवन बिल्कुल प्रकृतिमय होता है, वहां की बात ही कुछ और होती है। इस क्षेत्र में अभी तक ट्रैक्टर, बिजली-इंजन अधिक नहीं थे। खेती में बैलों का ही उपयोग होता था। कुओं से पानी निकालने में भी बैल ही काम में आते थे। बैलों के घुंघरूओं की आवाज अनायास ही अपनी ओर खींचती थी। अकाल की काली छाया इन्हीं मूक प्राणियों को सबसे अधिक अपना ग्रास बनाती है जिनके शरीर की मेहनत से इंसान और परिन्दों को दाना मिलता है।

''ज्यों-ज्यों जून का महीना बीत रहा था। ग्रामीणों का जीवन व्यस्तता में बदल रहा था। उनकी खुशी परवान पर थी। अरमानों का ताना-बाना बुनते-बुनते समय का पता नहीं चलता था। सूरज ढलते-ढलते शरीर चूर-चूर हो जाता। शाम की थकावट अगले सुबह उत्साह में बदल जाती।''

"आदमी बहुत मेहनती थे। महिलाएं उनसे भी अधिक मेहनतकश थीं। मेहनत के बल पर ही पहाड़ों की गोद में खेती कर जीवनयापन करना, सपने देखना और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना, अपने आप में जीवन का 'कुरुक्षेत्र' था।"

यह सब इस क्षेत्र की सजीवता और विभीषिका का चित्रण मात्र नहीं हकीकत और सत्य था। आदमी बहुत मेहनती थे। महिलाएं उनसे भी अधिक मेहनतकश थीं। मेहनत के बल पर ही पहाड़ों की गोद में खेती कर जीवनयापन करना, सपने देखना और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना, अपने आप में जीवन का 'कुरुक्षेत्र' था जिसका परिणाम संघर्ष के बाद एक आशा-किरण में उज्जवल भविष्य की कल्पना से आदमी जीता था। अब चाहे तस्वीर बदली हो परन्तु 25 साल पहले तो यही था।

इसी के ताने-बाने बुनते, गुनगुनाते, पूरब दिशा से बहने वाली हवा के साथ आसमान में काले-सफेद बादल देख; किसान का मन मोर-मोर हो जाता है। अब वही हवा बह रही थी। आसमान में हवा के साथ-साथ बादल बह रहे थे। क्षेत्र के किसान अपने बैलों की पीठ थप-थपा रहे थे। महिलाएं अपने घर में रखे बीज को एक नजर देखती थीं और मन ही मन हर्षित होतीं। अगले साल की नई कल्पना को सत्यता में बदलने के सपने बुनते-बुनते सहम सी जाती थीं। फिर कोई बात सोचते-सोचते बीज की तैयारी हो जाती। आदमी अपने हल को ठीक कराने सिर पर रखे बढ़ई (खाती) के पास ले जाते थे। खाती रात दिन काम करता, वह अपने बेटों को सब काम छोड़ पहले हल का काम करने के लिए कहता, स्वयं भी लगा रहता।

लुहार भी अपनी धौंकनी के पहिए को तेज चलाते थे। लोहा जल्द लाल सुर्ख हो जाए तो उसे पीट-पीट कर खेती के नये औजार बना सकें। यहां गड़रिया लुहार भी अपना डेरा डाले रहते। इनका काम किसान परिवार से सम्बन्धित लोहे से बनने वाली हर वस्तु का निर्माण कर अपने जीवन-यापन के साधन जुटाना था। मजदूर वर्ग भी फसल की निराई-गुड़ाई-कटाई के औजारों को उलट-पलट कर देखते थे। उनकी मरम्मत कराते, नये बनवाते। इतनी व्यस्तता कि बात करने की फुरसत कहां? सब अपने काम में व्यस्त रहते। ये बातें इस क्षेत्र में देखने को मिलती थीं।

11

गोपालपुरा बांध की तैयारी जैसे-जैसे पूरी होती जाती, किसान परिवार भी निश्चिन्तता की संतुष्टि पाता सा अनुभव करता था। बस ! इन्तजार था कि झमाझम एक बारिश हो जाए, तो संवत् बन जायेगा। यह आशा लिए जुलाई महीने ने दस्तक दे दी। आसमान में भी बादल घने होने लगे थे।

कहीं-कहीं हल्की फुहारें सी आती, उसी बीच हवा की गति तेज हो जाती। हवा के साथ-साथ आसमान में बादलों के तैरने की गति भी तेज हो जाती। देखते-देखते आसमान नीला दिखाई देता। यह नजारा जुलाई, 87 में देखने को पूरे ग्रामीण क्षेत्र में मिला था। बादलों के उड़ते ही किसान परिवार के अरमान भी उड़ते दिखाई देते। फिर भी आस बड़ी है। उसी आस के सहारे जिन्दगी की गाड़ी आगे बढ़ती है।

"सदियों-सदियों पुराना भारतीय संस्कृति और कृषि का आधार-बिन्दु जोहड़ आसमान से आई अमृत बूंदों को अपने में सहेज कर निर्माताओं के सामने था। ऐसा लग रहा था, जैसे एक-दूसरे के आपस में आभारी हों। यहां एक साथ पंचमहाभूत परिदृश्य था।"

जुलाई के मध्य में राजेन्द्र सिंह के मित्र ओम श्रीवास्तव जी उदयपुर से आये थे। उनसे राजेन्द्र सिंह बड़ी आत्मीयता से मिले। क्षेत्र के विषय में कुछ बातें हुईं। शाम को दोनों लोग गोपालपुरा गांव गए, ग्रामवासियों से मिले। उनका भीकमपुरा आने का उद्देश्य तरुण भारत संघ को कुछ अनुदात्री संस्थाओं से जुड़वाना था। क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजेन्द्र सिंह के साथ विस्तार से चर्चा करके एक प्रोजेक्ट इक्को नीदरलैंड की संस्था को बनाया। परियोजना बनाकर संस्था के सभी दस्तावेजों के साथ अपनी टिप्पणी लिख कर इक्को के पते पर नीदरलैंड भेज दिया था। कहा कि अगले महीने तक इक्को का जवाब आ जायेगा तो मुझे सूचित करना। प्रोजेक्ट शिक्षा के विकास के लिए था और समय अवधि दो साल की थी। प्रोजेक्ट अक्टूबर 1987 से शुरू करने के लिए भी लिखा था। सब बातों को समझा कर ओम श्रीवास्तव जी उदयपुर चले गए।

जुलाई का महीना जाते-जाते बरस गया। किसानों ने खेत में बीज बोया। खेत में नई-नई फसल के अंकुर दिखाई दिए। किसान परिवारों में खुशी छाने लगी। गोपालपुरा के बांध में पहली बार पानी आया था। गांव के बुजुर्गों ने अपने बांध में दशकों बाद पानी देखा था। नई पीढ़ी ने तो पहली बार ही बांध में पानी देखा था। हमें गांव वालों ने खबर दी कि

बांध में पानी आ गया है। हम भी बांध देखने गए। बांध पानी से भरा था। हमारे चारों ओर समूह में खड़े बड़े-बूढ़े, जवान, बालक सब कृतज्ञता का भाव लिए हुए प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे। प्रसन्नता की तो बात ही थी। सदियों-सदियों पुराना भारतीय संस्कृति और कृषि का आधार-बिन्दु जोहड़ आसमान से आई अमृत बूंदों को अपने में सहेज कर निर्माताओं के सामने था। ऐसा लग रहा था, जैसे एक-दूसरे के आपस में आभारी हों। यहां एक साथ पंचमहाभूत परिदृश्य था।

एक समाज के लोग जो अपनी स्मृतियों में 'जोहड़' को संजोये हुए थे। उन्हें आशा और विश्वास था कि अगर हमारे जोहड़ बंध जायें तो हमारा गांव पानीदार बन जायेगा। दूसरे थे वे लोग जिन्होंने अकाल में सुकाल के प्रयास को बढ़ावा दिया। समाज के खोये आत्मविश्वास को पहचानकर उसकी आशा के अनुरूप कार्य किये। तभी तो तीसरा बिन्दु अपने निर्माता समाज के सामने अडिग, शान्त, अपने में जल की अमृत बूंदों को समेटे समाज को अर्पित करने के लिए खड़ा था।

''एक समाज के लोग अपनी स्मृतियों में 'जोहड़' को संजोये हुए थे। उन्हें आशा और विश्वास था कि अगर हमारे जोहड़ बंध जायें तो हमारा गांव पानीदार बन जायेगा। दूसरे थे वे लोग जिन्होंने अकाल में सुकाल के प्रयास को बढ़ावा दिया।''

चौथे 'क्षेत्र में बरसी बूंदों के योग' से जोहड़ में जमा जल राशि समाज की मेहनत के प्रतिफल के रूप में थी जिसे हम सब देखने आये थे। पांचवां था, वहां का वातावरण, जोहड़ की पाल पर गोपालपुरा का समाज, जोहड़ में हवा के सहारे हिलोरें लेता हुआ पानी। हरियाली और कूदते-फुदकते, चहचहाते पक्षियों की आवाज वातावरण को सुरमय बनाने में सहायक हो रहे थे। सब मिलकर एक सुखमय अनुभूति हो रही थी। बस! एक-दूसरे को कृतज्ञतावश देखते और कहते कि अपनी मेहनत और सूझबूझ से ही यह सब हुआ है। आपने हमारे कष्ट को पहचान कर जो सहयोग किया है, वह हमारे बच्चे भी नहीं भुला पायेंगे। सब खुशी में गद्‌गद्‌ हो रहे थे। इन क्षणों में कितने भाव आये- गये, पता नहीं। जोहड़ की पाल पर बैठे बात करते-करते समय का पता ही नहीं चला और तीन घंटे बीत गए।

हम गांव के साथ-साथ मन ही मन एक अलग आनन्द की अनुभूति में खो से गए थे। सब का आनन्द एक-दूसरे से अलग किन्तु कुल मिलाकर एक ही था। ऐसा इसलिए था कि गांव ने जो सपना देखा था, उसका जो विश्वास था, उसको साकार मूर्त्तरूप देने में हमने सबसे पहले-पहल सहयोग किया और उसकी सफलता हम सब के सामने थी। उस समय भविष्य की बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई छोटी-बड़ी या अच्छी-बुरी कैसी भी

कल्पना नहीं थी। जो कुछ था वह वर्तमान था, जिसकी नींव हमारी प्राचीन जीवनशैली की पृष्ठभूमि पर रखी गई थी।

गोपालपुरा के लोगों का सपना साकार हुआ। जिनके खेत में पानी रुका था उनका मन तो बाग-बाग था। चाहे खरीफ की फसल हो या न हो, पानी तो रुका। गांव प्यासा नहीं रहेगा। अब उसके पास पानी को सहेजने के उपाय व साधन थे। अब गोपालपुरा गांव का हर परिवार अपने पानी को बचाने के लिए सजग हो गया था। उसने जोहड़ निर्माण का कार्य जारी रखा।

गोपालपुरा का पानी क्षेत्र की प्यास तो नहीं मिटा सकता था, हां एक रास्ता जरूर दिखाने में पूर्ण रूप से सक्षम था। उसने वही किया भी। सरकारी तंत्र को चाहे यह कार्य अच्छा लगे या न लगे परन्तु यहां के समाज ने तो स्वीकार लिया था। वह अब पानीदार बन गया था। इसकी चर्चा क्षेत्रीय समाज में खूब हो रही थी।

गोपालपुरा का कार्य ऐसा भी नहीं था कि हर बात सब राजी-राजी स्वीकार कर रहे थे। कुछ लोग तो हमारी मजाक भी उड़ाते थे। कोई काम को ही शक की नजर से देखता था। इस प्रकार की प्रतिक्रिया समाज में होती ही है। एक बार इस सब के कारण ही 10 दिन तक काम रोकना पड़ा था। मैं प्रतिदिन काम पर जाता, काम देखता। काम भी पूरा हो चला था। काम को चलते-चलते छः माह हो गए थे। मौरी का कुछ काम बाकी रहा था। तभी गांव के कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि थोड़ा-बहुत इसमें लगा देंगे बाकी पता नहीं कितना खुद खायेंगे और ये सब बातें बांध की पाल पर खड़े-खड़े मैं खुद सुन रहा था। मैं उनकी बातें सुनने के लिए भी नहीं खड़ा था। मैं तो जब काम देख कर भीकमपुरा को लौट रहा था। कुछ लोग मौरी का काम करते-करते बातें कर रहे थे। मुझे देख लोग झिझके जरूर थे लेकिन ये बातें जो आदमी कर रहा था उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था।

लोगों ने मुझे देख; बात बदलनी भी चाही परन्तु वह तो कहता रहा। मुझे सुन कर बहुत बुरा लगा। मैंने अगले दिन से काम बन्द करने के लिए कह दिया। गांव में इसकी प्रतिक्रिया तो जरूर होनी थी। गांव के लोगों में बेचैनी सी फैल गई थी कि छोटी सी बात के पीछे काम बन्द हो गया था। कुछ शर्मिन्दगी सी महसूस करने लगे थे।

राजेन्द्र सिंह के प्रवास से लौटने की सूचना पाकर गोपालपुरा के 15-20 लोग भीकमपुरा आये। उन्होंने ही सभी बातें राजेन्द्र सिंह को बताईं। अपनी गलती भी स्वीकार कर ली और काम चालू करने का निवेदन करने लगे। काम तो पूरा करना ही था। राजेन्द्र सिंह ने मुझसे कहा कि गांव में कभी-कभी ऐसी बातें होती रहेंगी, काम करना है तो ये सब सुनना ही होगा। जिस व्यक्ति की वजह से ये सब हुआ था, खुद बहुत शर्मिंदा हो रहा था।

अगस्त माह में फिर बादलों की अठखेलियां किसानों की आंखों में चुभने लगी थी। काले-काले बादल बिन बरसे रोज-रोज चले जाते। धरती पर छाई हरियाली भी अब धब्बे-धब्बे सी दिखने लगी थी। खेतों में उगी फसल धूप की तपस को सहन करने में असमर्थ हो रही थी। धरती की नमी ने दम तोड़ दिया था। किसान की खुशी उसकी फसल के साथ-साथ झुलसने लगी थी। अगस्त माह बिन बरसे चला गया था। वह अपने पीछे छोड़ गया अकाल का आमंत्रण। सितम्बर में अगर बरसात होती है तो भी खरीफ फसल की भरपाई तो नहीं कर पायेगी। यहाँ खरीफ की फसल पर किसान का जीवन-चक्र निर्भर है। उसके घर में अनाज, पशुओं का चारा-पानी सब कुछ अगले समय के लिए इसी फसल पर निर्भर करते हैं।

यह सब हम भी देख रहे थे। कोई बाहरी तो थे नहीं। सब किसान परिवारों से थे। इसलिए यहां के समाज की खुशी व हमारी खुशी अलग नहीं थी। यहां की विपदा हमारी समस्या थी। इस भाव से समय को देखते हुए हमने कार्य को गति देने में सक्रियता दिखाई, क्योंकि सितम्बर बारिश के लिए अन्तिम महीना होता है। हालांकि सितम्बर में बादल जाते-जाते कहीं-कहीं बरसते थे लेकिन ऐसी वर्षा से किसी प्रकार की आशा नहीं थी। राज्य में फिर अकाल घोषित हो चुका था। यह 1986 से भी अधिक कष्टदायी था। इसमें चारे की सबसे अधिक समस्या थी। किसान के पास जो चारा था, वह भी बीत चला था।

बारिश न होने से पहाड़ पर भी घास ज्यादा नहीं हुई थी। वृक्षों पर पत्ते भी कम ही थे। अकाल में पहाड़ की संरक्षित वनस्पति पर भी समाज का प्रहार बढ़ जाता है। यह उसकी मजबूरी कहें या नादानी, परन्तु समाज चारों ओर से प्रहार करता है। पहाड़ को अपना कवच छलनी-छलनी होते नंगा करना पड़ता है। वह सदा-सदा के लिए श्रीहीन हो जाता है। पीछे छोड़ जाता है एक अभिशाप जिससे समाज सदैव जूझता रहता है।

12

आक्सफेम से स्वीकृति-पत्र के साथ 3 लाख का ड्राफ्ट रजिस्टर्ड डाक से आ गया था। अकाल को देखते हुए हमने तुरन्त कार्य शुरू कर दिये थे। इस परियोजना में सताईवास के गुवाड़ों में जोहड़ निर्माण के कार्य शुरू किये थे। जैसे गुवाड़ा फकाल, गुवाड़ा लाला भैया, गुवाड़ा हार, गुवाड़ा कालोत, गुवाड़ा रामजी और सिल्ली बावड़ी आदि अनेक गांव थे।

कासा से भी गोपालपुरा में साड्यास वाला बांध और गोविन्दपुरा में पुराना बांध निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई थी। क्षेत्र के अकाल को देखते हुए संस्था के साथियों ने बड़ी तत्परता के साथ पूरे क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिये थे। गांव वाले इस कार्य को अपना मान कर श्रमदान का पूरा सहयोग दे रहे थे। अकाल में संस्था तुरन्त भुगतान कर रही थी। वरना यहां तो अकाल में सरकारी स्तर से किये गए पहले काम के पैसे भी अभी तक नहीं मिले थे। अपने गिने-चुने आदमियों को ही काम पर लगाते और उन्हीं से पूरा काम कराते। उस पर भी उनके भुगतान से कुछ कटौती करते थे। पर यह सब यहां नहीं था।

जोहड़ के काम पर किसी भी आदमी के लिए पाबन्दी नहीं थी। बस! वह अपना श्रमदान (सहयोग) पूरा करे। मिट्टी का कार्य नियमानुसार करे। उस समय 10×10×1 = 100 घनफुट मिट्टी भराव क्षेत्र से खोद कर पाल पर डालने के लिए 8 किलोग्राम गेहूं या 15 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। लोग बड़े उत्साह के साथ काम करते थे। कार्य का हिसाब संस्था के नियुक्त गांव के ही लोग रखते थे। वह पूरे कार्य व मजदूरों का विवरण सहित हिसाब रखते थे। संस्था या गांव का कोई भी व्यक्ति कभी भी उससे हिसाब देख व समझ सकता था। प्रत्येक काम करने वाला भी अपना-अपना हिसाब रखता था। संस्था के प्रयास से जिन गांवों में कार्य हो रहा था। वहां अकाल में भी सुकाल था। खाने के लिए अनाज और खर्चे के लिए पैसे थे। वे दूसरे लोगों को भी दे रहे थे।

अनाज और पैसों का सहयोग समाज में जा रहा था। बस! कमी थी तो मूक प्राणियों के जीवन-रक्षा की, जो सब की सेवा में हर पल अपना जीवन देते हैं। ऐसे प्राणियों की सेवा सच्ची सेवा होती है। वे तो कहीं जा नहीं सकते। खूंटे

"खूंटे पर रस्सी के सहारे चुपचाप खड़े रहते हैं। हिलते-डुलते भी नहीं, अपने मालिक की कृपा पर वे अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी 25 प्रतिशत की भागीदारी है।"

पर रस्सी के सहारे चुपचाप खड़े रहते हैं। हिलते-डुलते भी नहीं, अपने मालिक की कृपा पर वे अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी 25 प्रतिशत की भागीदारी है। भला कोई संवेदनशील व्यक्ति या संस्था अकाल के समय उनकी चिन्ता किये बगैर सुख से कैसे रह सकता है?

तरुण भारत संघ ने क्षेत्र की जनता को जोहड़ के काम के सहारे अकाल में रोजगार दिया। समाज ने अपने आगे के लिए पानी संरक्षण कार्य किये। मूक प्राणियों के लिए भी अपने स्तर से हरियाणा, उत्तरप्रदेश से ट्रक, ट्रैक्टर से चारे मंगवाये गए। क्षेत्र के कृषकों को सस्ती दर पर चारा मुहैय्या कराया। कासा से भी कहा, उसने भी तुरंत दो ट्रक तुड़ा उपलब्ध कराया। वह भी सस्ती दरों से जनता को दिया। यह सब बड़ी त्वरित गति से हुआ जिससे समाज को राहत मिली और पशुओं को चारा मिला। यह सब व्यवस्था नई फसल पककर आने तक जारी रही थी।

अब क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए संस्था के पास कुछ साधनों की संभावना बन चली थी। जिन अनुदात्री संस्थाओं से सम्पर्क किया था उनके आशापूर्ण जवाब मिले थे। कासा और ऑक्सफेम से मिली स्वीकृति और साधनों से तो पहले ही कार्य प्रारम्भ कर दिए थे। अब नई संस्थाओं से भी स्वीकृति मिल गई थी जिनमें इक्को और समाज कल्याण बोर्ड मुख्य थी। इक्को से शिक्षा व संगठन तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से महिला जागृति शिविर और मां एवं बाल विकास के लिए शिशु-पालना गृह के लिए परियोजना थी।

इक्को से स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के युवाओं को जो अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे या फिर रोजगार की भी तलाश में संस्था से मिलते रहते थे,उन सब को अक्टूबर में साक्षात्कार के लिए 18 तारीख को बुलाया था। तीन व्यक्ति इसमें साक्षात्कार लेने के लिए थे। राजेन्द्र सिंह, अफ़ाक अख्तर (दिल्ली), रघुवीर शर्मा अध्यापक (किशोरी) एक-एक प्रार्थी को बुलाते और उसके बारे में जानकारी करते थे तथा उसकी रुचि के बारे में पूछताछ करते थे।

इस प्रकार 28 प्रार्थियों का साक्षात्कार किया गया जिनमें से 15 को ही रखा। चुने हुए युवाओं के प्रशिक्षण के लिए नवम्बर का महीना रखा। उनसे कहा कि अब अपने-अपने गांव के विषय में जो भी जानकारी ला सकते हो, लिखकर लाना। और तुम इन दिनों में जो भी समाज में घट रहा है, उसे भी समझना और लिखने का प्रयास करना। 1 नवम्बर को वह सब संस्था में जमा कर देना।

सभी चुने हुए युवाओं को प्रशिक्षण के लिए 7-11 नवम्बर को बुलाया गया था। प्रशिक्षण में अपने क्षेत्र की समस्याओं का भान कराना और उसे हल करने के विभिन्न प्रकार के उपायों द्वारा समाधान करना तथा ग्रामीण कार्यकर्ता की कार्यक्षमता बढ़ाना, मुख्य था।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण सूरतगढ़ के कुण्डों पर हुआ था। यहां कुछ कमरे बने हुए थे। प्राकृतिक रूप से निकलने वाले पानी से नहाने-धोने की सुविधा थी। ओम श्रीवास्तव जी ने पूरा समय देकर मनोरंजन के साथ कार्यकर्ताओं के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया। 15 नवम्बर से अपने कार्यक्षेत्र में कार्य शुरू करने के लिए राजेन्द्र सिंह ने सभी को प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम बता दिया था। कौन-कौन किस क्षेत्र में रहकर क्या-क्या कार्य करेंगे, इस परियोजना में मुख्य रूप से शिक्षा और ग्राम संगठन के कार्यों को महत्व दिया गया था। तीन दिन अपनी तैयारी करके क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया था।

सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपनी समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान हुआ। प्रशिक्षण और उससे भी अच्छा प्रशिक्षण का तरीका, सभी के लिए ज्ञानवर्धन और लाभदायी रहा था।

15 नवम्बर से सबने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जाकर कार्य शुरू कर दिया था। ग्राम संगठन के द्वारा अकाल पीड़ित समाज के बीच जल संरक्षण के कार्य करना और बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करना; मुख्य था।

बच्चों की शिक्षा के लिए जहां स्कूल नहीं थे, वहां व्यवस्था करना था। साथ ही साथ परिस्थितियों को पहचान कर ग्राम विकास में सहयोग करें, उसके लिए स्वतंत्रता थी। हर महीने की पहली तारीख को भीकमपुरा में अपने-अपने क्षेत्र की प्रगति के साथ सभी को मिलना था। अब तरुण भारत संघ के कार्यों का विस्तार थानागाजी, राजगढ़ और उमरैण पंचायत समिति तक फैल गया था।

13

सरिस्का के वनवासी अपने ही घर में बन्दी थे। पराश्रित व पराधीन थे। जंगली पशुओं की स्वतंत्रता व स्वच्छन्दता में बाधक मानकर जंगल विभाग के कर्मचारियों ने जंगलवासियों को बन्दीनुमा बना दिया था। उनकी स्वतंत्रता जंगल विभाग पर निर्भर थी। एक गार्ड भी उनको बन्दर की तरह नचाता था। जहां चाहे वहीं उन्हें प्रताड़ित करना, जंगल के कर्मचारियों का स्वभाव सा बन गया था। वनवासियों की इज्जत-आबरू जंगल के कर्मचारियों के हाथों लुटती थी। बेबस से वनवासी गुर्जर-मीणा समाज के थे। अब जंगल में रहने के लिए उन सबने पराधीनता के साथ रहना स्वीकार कर लिया था। तभी तो इतने लम्बे समय से इतने गांव व घर बन्दी का जीवन जी रहे थे। इस बात का अहसास तरुण भारत संघ को तब लगा जब तभासं का कार्यकर्ता श्रवण मीणा हरिपुरा में बाल शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए सरिस्का के गेट पर पहुंचा। सरिस्का के अन्दर गेट से लगभग 4-5 किलोमीटर पर गुर्जरों का गांव था। वहीं एक शिक्षा केन्द्र गांव के अनुरोध पर खोला जा रहा था। इसलिए श्रवण मीणा को नियुक्त किया था।

"वनवासियों की इज्जत-आबरू जंगल के कर्मचारियों के हाथों लुटती थी। बेबस से वनवासी गुर्जर-मीणा समाज के थे। अब जंगल में रहने के लिए उन सबने पराधीनता के साथ रहना स्वीकार कर लिया था।"

श्रवण गेट पर पहुंचा तो उसे अन्दर जाने से रोक दिया। कहा कि साहब से अनुमति लेकर ही हरिपुरा में जा सकते हैं। इसके लिए श्रवण ने कॉपी से एक कागज निकालकर डायरेक्टर साहब के नाम हरिपुरा में स्कूल चलाने के लिए व प्रतिदिन आने-जाने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया, उस समय वहां डायरेक्टर के.एल.सैनी थे। उन्होंने प्रार्थना पत्र पढ़ा और उसी पर अपनी टिप्पणी लिख दी। "हरिपुरा एक नाजायज बसावट है इसलिए यहां कोई विकास के कार्य नहीं हो सकते।"

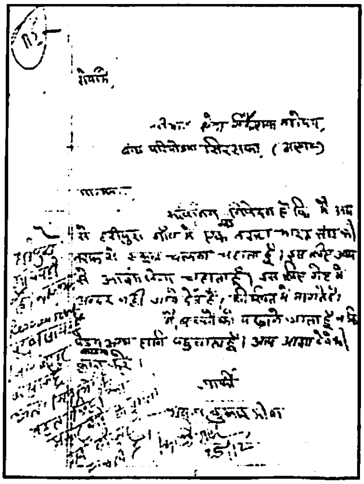

श्रवण मीणा ने डायरेक्टर के पत्र को लेकर भीकमपुरा-संस्था में आकर तरुण भारत संघ

के पदाधिकारियों को अवगत कराया। इसके लिए संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन हुआ। क्षेत्रीय वकील पेमाराम जी के साथ लम्बी बातचीत से और भी जानकारी हुई। तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों के सामने क्षेत्र बढ़ने के साथ-साथ समस्या भी बढ़ी। जब कार्यक्षेत्र बढ़ा तो नई समस्याओं से भी रूबरू होना निश्चित था। वरना क्या जरूरत थी जयपुर से भीकमपुरा और भीकमपुरा से हरिपुरा आने की। समस्या तो मनुष्य के आगे-आगे चलती है। मनुष्य अपना अगला कदम एक समस्या को हल करके, दूसरा कदम आगे बढ़ाता है।

हरिपुरा की समस्या ने तरुण भारत संघ के आगे एक प्रश्न सा खड़ा कर दिया था कि विकास कैसा? किस के लिए? और क्यों? किसका अधिकार कैसे बनता है? उसे कैसे प्राप्त किया जाये? अधिकार प्राप्त करने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं? अधिकार देने वाले और लेने वाले कौन हैं? इन दोनों में क्या रिश्ता है? न जाने कितने प्रश्नों के जाल ने तभासं के पदाधिकारियों को घेर लिया।

कार्यकर्ताओं की अभी इतनी समझ व पकड़ भी विकसित नहीं हुई थी कि वे इतनी जटिल गुत्थी को सुलझा सकें। इतना तो सामने दिख रहा था कि समस्या गम्भीर और जटिल है क्योंकि यह एक हरिपुरा अकेले की समस्या नहीं थी। अब यह समस्या सरिस्का के अन्दर बसे 28 गांवों की थी। हमें एक महीने के अध्ययन में यह साफ हो गया था कि हरिपुरा जैसे 28 गांव और भी हैं। जिस परिस्थिति में हरिपुरा था, उससे बदतर स्थिति में दूसरे गांव थे। हरिपुरा तो मुख्य सड़क से मात्र 3-4 किलोमीटर ही दूर था। बाकी गांव तो सरिस्का के दुर्गम क्षेत्रों में थे, वहां तक जाना आम आदमी के बस में नहीं था। आज भी नहीं है। अब सवाल यह था कि इनके बीच काम किया जाए या नहीं?

विकास-जंगल-जंगलजीव और आदमी में क्या सम्बन्ध है? इनकी परिभाषा क्या कहती है? हमारा संविधान क्या कहता है? हमारे कानून क्या कहते हैं? हमारा समाज, प्रशासन और सरकार क्या कहते हैं? भीकमपुरा के क्षेत्र से निकलने के बाद उसी के निकट क्षेत्र के आदमी के लिए इतने सारे सवाल कि कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक जैसे भौगोलिक क्षेत्र में एक जैसी समस्याएं होती हैं लेकिन यहां तो बिल्कुल रूप ही अलग था। भीकमपुरा के आसपास खेती और पशुपालन के द्वारा जीवन-यापन करना था। सरिस्का में बसे 28 गांवों में केवल पशुपालन के सहारे जीवन-यापन करना था। यहां की बंदिशों ने जंगलवासी को देश में हो रहे; सभी प्रकार के विकास कार्यों से दूर रखा था।

अगर यहां संस्था के प्रथम उद्देश्य को मानकर काम किया जाए तो सबसे पहले सरिस्का जंगलवासियों के विकास की बात सामने आती है। परन्तु यहां मेरे लिए संस्था का उद्देश्य ही सर्वोपरि नहीं है। यहां स्वतंत्र भारत में मानव को मनुष्य होने का अहसास कराना है। उसके मन से भय को निकालना पहला काम है। सोच कर देखें तो आदमी की आत्मा को झकझोर देने वाला एक बड़ा सवाल है।

> "भीकमपुरा के क्षेत्र से निकलने के बाद उसी के निकट क्षेत्र के आदमी के लिए इतने सारे सवाल कि कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक जैसे भौगोलिक क्षेत्र में एक जैसी समस्याएं होती हैं लेकिन यहां तो बिल्कुल रूप ही अलग था।"

हमारा जन्म तो आजाद भारत में हुआ था। हमने अंग्रेज या मुगलों की गुलामी को नहीं देखा और न ही सहा है। गुलामी का क्या रूप-स्वरूप होता है, हम अनभिज्ञ थे। स्वतंत्रता की सांसें चाहे कितनी भी पीड़ादायी क्यों न हों, जब स्वतंत्र हैं तो सुख है। परन्तु पराधीनता में सुखपूर्वक ली गई सांसें भी बड़ी कष्टदायी होती हैं। संत कवि तुलसीदास ने भी लिखा -'पराधीन सपने हुं सुख नाहीं' । इन सब का हमारा इतिहास भी साक्षी है और ऐतिहासिक घटनायें भी। एक बार भीम ने कहा था कि हमें पांच गांवों की भी आवश्यकता नहीं है, एक गांव में रह लेंगे लेकिन दुष्ट दुर्योधन के पराधीन रहकर सांस लेने से दम घुटता है।

अगर हम सरिस्का जंगल के इतिहास में जाएं तो पाते हैं कि इस जंगल में वही खुली कैद में रह रहा है जो स्वयं स्वामी था। पांच हजार वर्ष पहले इन्हीं जंगलों में पाण्डवों ने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। वही हस्तिनापुर के मालिक थे। जब ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ते हैं तो एक हजार वर्ष पहले राजौरगढ़ के रामू गुर्जर; सरिस्का क्षेत्र का सबसे बड़ा पशुपालक था जिसके पास एक लाख से भी अधिक गायें थी। उसे राजौर के राजा की गुलामी और पराधीनता न स्वीकारने की वजह से सरिस्का का जंगल ही छोड़ कर चम्बल की शरण में जाना पड़ा था। जहां उसके बेटे कारसदेव की पूजा बुन्देलखंड के हर गांव में होती थी।

बाद में कारसदेव ने राजौर के राजा को परास्त किया था। तीन सौ साल पहले औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कांकवाड़ी के किले में कैद रखा था। वही शाहजहां के बाद गद्दी का मालिक था। कांकवाड़ी का किला हजार साल पहले राजौर की राजधानी का केन्द्र था। अब सरिस्का के कोर क्षेत्र में है। इसका जिक्र सरिस्का के 'जानकारी पत्रक' में भी दिया गया है। अब सरिस्का जंगलवासी भी अपने गांव व घर में ही कैद थे।

श्रवण मीणा के प्रार्थना-पत्र पर सरिस्का डायरेक्टर की टिप्पणी ने तरुण भारत संघ को हरिपुरा में बच्चों के शिक्षण के लिए स्कूल और गांव के लोगों की स्वतंत्रता के लिए विवश कर दिया जिससे सरिस्का के जंगलवासी भारत की स्वतंत्रता का अहसास अपनी कैद से निकल; कर सकें।

सरिस्का के लोगों को संगठित करना, भयमुक्त करना, उन्हें अहसास कराना कि आप सरिस्का के असली मालिक हो, बहुत ही जोखिम भरा काम था। यहाँ का ग्रामीण अपनों से ही भयभीत था क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो गांव में संगठन की जरा सी बातें

होनी शुरू होती थी तो जंगलात के कर्मचारियों तक पहुंचा देते थे। ऐसे लोगों को अपने में पहचानना और उनसे अपनी पीड़ा को छुपा कर; उन्हीं के सामने पीड़ा का इलाज करना साहसपूर्ण कार्य होता है। यह सब सरिस्कावासियों के साथ बातचीत में निकला।

"तरुण भारत संघ को हरिपुरा में बच्चों के शिक्षण के लिए स्कूल और गांव के लोगों की स्वतंत्रता के लिए विवश कर दिया जिससे सरिस्का के जंगलवासी भारत की स्वतंत्रता का अहसास अपनी कैद से निकल; कर सकें।"

सरिस्कावासियों का कहना था कि हमें अपना एक आदमी दे दें तो हम उसके सहारे अपने संगठन की बात गांव-गांव में करेंगे, हर प्रकार से सहयोग करेंगे। हमारे लिए कुछ लिखा-पढ़ी की व्यवस्था करें। बाकी काम हम कर लेंगे। तरुण भारत संघ के पास इस समय कुछ साधन; शिक्षा और बाल विकास के लिए थे। तरुण भारत संघ के पदाधिकारी राजेन्द्र सिंह व कार्यकर्ताओं ने गांव के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। सरिस्का के अन्दर के 28 गांवों में बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य शुरू कर दिया। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी। संस्था के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार किया और सरिस्का की परिस्थितियों से अवगत कराया। सरिस्का की कैसी समस्या है? क्या करना है? कैसे रहना है? कार्यकर्ता के चुनाव में उम्र का कोई बन्धन नहीं था। 70 साल की उम्र में प्रभाती बाबा दो पहाड़ चढ़ कर उमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए देवरी गांव से रोज जाते थे। 50 साल के जगदीश पंडित जी देवरी के मन्दिर में बच्चों को पढ़ाते तो 45 साल के गोवर्धन शर्मा जंगलवासियों को संगठित करते। लक्ष्मण सिंह गांव के संगठन में जान डालते और नये उम्र के कार्यकर्ताओं को तलाशते, उन्हें अपने साथ रखते और प्रशिक्षित भी करते जिससे वे अपनी समस्याओं से जूझ सकें।

14

जब व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित होता है, बीमारी के कारण असहाय पीड़ा में तड़फड़ाता है, तो अपने इलाज के लिए वह परवश होता है। उस पीड़ा से उसके शरीर की चीरफाड़ क्यों न करनी पड़े? उसे भी वह स्वीकारता है। अगर व्यक्ति विशेष की पीड़ा को हम सामाजिक पटल पर देखते हैं तो पीड़ित समाज भी अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष की तरह ही असाध्य पीड़ा को छुपाने में असमर्थ होता है, तब उसे किसी के आगे कहता है। सुनने वाला कितना संवेदनशील है? उसे कैसे देखता है? उसकी संवेदनाओं पर निर्भर करता है। ऐसा ही कुछ तरुण भारत संघ के सामने घटित हो रहा था।

सरिस्का में कार्य करना तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता बन गया। सरिस्का का क्षेत्र थानागाजी, राजगढ़, अलवर, उमरैण, बानसूर था। लेकिन अभी सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में बसे अट्ठाईस गांवों के लोगों का कष्ट दूर करने की प्राथमिकता थी। उन्हीं को उसका मालिक होने का अहसास कराना था। वनवासी-जंगल-जंगली जानवर के आपसी रिश्तों को बढ़ाना, साथ ही तीनों के विकास की परिकल्पना करके विकास के रास्ते तय करना, अपने में एक बहुत ही पेचीदा सवाल बन गया था। संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की भी इस विषय में कोई ज्यादा सोच-समझ नहीं थी। प्रारम्भ में भावनात्मक रूप से कार्य करने का निर्णय लिया था लेकिन परिस्थिति में सबको संघर्ष ही संघर्ष दिख रहा था। फिर भी सरिस्का के लोगों के साथ कार्य करना तय कर लिया था। सरिस्का के गांव में संगठन के लिए कार्यकर्ता भेजा। उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर कई अखबारों में समाचार दिए और लेख लिखे। समाचार-पत्रों ने भी इसको महत्व दिया और मुख्य खबर बनाया।

''सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में बसे अट्ठाईस गांवों के लोगों का कष्ट दूर करने की प्राथमिकता थी। उन्हीं को उसका मालिक होने का अहसास कराना था। वनवासी-जंगल-जंगली जानवर के आपसी रिश्तों को बढ़ाना, साथ ही तीनों के विकास की परिकल्पना करके विकास के रास्ते तय करना, अपने में एक बहुत ही पेचीदा सवाल बन गया था।''

राजेन्द्र सिंह के लिए अब सरिस्का की ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना और सारी परिस्थितियों को लेकर सभी अखबारों को अवगत कराने का प्रयास

करना जरूरी हो गया था। बहुत से लेख लिखे। दिल्ली, जयपुर, अलवर के मित्रों ने भी सब परिस्थितियों को समझा और हौंसला अफजाई की। सिद्धराज ढड्ढा और शान्तिस्वरूप डाटा जी ने सदैव हमारी पीठ पर अपना हाथ रखा था। वृहद् हाथ अगर ऊपर हो तो युवा का साहस चौगुना हो जाता है। इन्होंने भी अपनी कलम से सरिस्का के लोगों की पीड़ा को कलमबन्द किया और जनता में भेज दिया।

अखबारों में छपी खबरों से सरिस्का के अधिकारी-कर्मचारी परेशानी महसूस करने लगे तो उन्होंने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं व सहयोग करने वाले ग्रामवासियों पर झूठे मुकदमे करके अदालती चक्कर में डाल दिया। सरिस्का कर्मचारी बातचीत करने के बजाय लाठी डंडे से खबर लेते थे। अब जंगली जानवरों की निगरानी करना इतना जरूरी नहीं था जितना कि तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं की तलाश में रहना, उनका मुख्य कार्य हो गया था।

"डायरेक्टर साहब की ग्रामीणों पर बढ़ती तानाशाही के चलते किसी की मजाल नहीं कि सुलह की कोई बात बढ़े। ग्रामीणों को साम, दाम, दंड व भेद के तरीकों के साथ-साथ कानूनी जाल में फंसाना व सरिस्का में आने-जाने के रास्तों में लोगों को प्रताड़ित करना ही उनका काम रह गया था।"

डायरेक्टर साहब की ग्रामीणों पर बढ़ती तानाशाही के चलते किसी की मजाल नहीं कि सुलह की कोई बात बढ़े। ग्रामीणों पर साम, दाम, दंड व भेद के तरीकों के साथ-साथ कानूनी जाल में फंसाना व सरिस्का में आने-जाने के रास्तों में लोगों को प्रताड़ित करना ही उनका काम रह गया था। आये दिन अखबारों में छपी खबरों के कारण ऊपर से भी दबाव बन रहा था। अलवर का प्रशासन भी नजर रखने लगा था। उधर गांव संगठन में भी शक्ति बन रही थी। सरिस्का के प्रशासन का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सरिस्का में काम करना तो दूर अभी जंगलात विभाग की प्रताड़नाओं से कैसे बचा जाए, यहीं अपने में बड़ा काम था।

सरिस्का के कर्मचारी तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं, सरिस्कावासी, सहयोगी लोगों और उनके परिवार के लोगों को बुरी तरह परेशान करने में लगे थे। उनका जीवन जीना बहुत कष्टप्रद कर दिया था। उन्हें अपना घर भी छोड़ कर जंगलों में छुपना पड़ रहा था। रहना-सहना, खाना-पीना सब दूभर कर दिया। वनवासियों की यातनाएं 1987 के जाते-जाते बहुत बढ़ गई थी।

15

दिसम्बर 1987 इस क्षेत्र के लिए खुशियों भरा था। राजीव गांधी ने अपने मंत्रिमण्डल की बैठक सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में करना निश्चित किया था। इस दृष्टि से बैठक की तैयारियां जोरों पर थीं। अब सरिस्का, अलवर के समाचार-पत्रों की सुर्खियों में था। वैसे भी सरिस्का दुनिया के मानचित्र में बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र रहा है। अब राष्ट्रीय नेशनल पार्क की बात भी जोरों से उठ रही थी। इसके लिए नियम- कानून कुछ सख्त होते हैं। सरिस्का में होटल व अभयारण्य को सुरक्षा की दृष्टि से जांचा-परखा जा रहा था। ऐतिहासिक व दार्शनिक स्थानों की साफ-सफाई जोरों से हो रही थी। बाहर से आने वाले लोगों पर भी खुफिया विभाग नजर रखे हुए था।

राजीव गांधी के सरिस्का आने की सूचना अखबारों में पढ़ कर जानकारी हुई। अब सवाल था इस अवसर का कैसे लाभ उठाया जाये? राजेन्द्र सिंह और हम सब सोच-विचार में लगे थे। उन्होंने पेमाराम मेवाल से इस संबंध में बात की, सिद्धराज ढड्ढा जी और शान्तिस्वरूप डाटा जी से भी विचार-विमर्श हुआ। सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि सरिस्का की समस्या से प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाए। इसके लिए उन्हें ज्ञापन दें।

सरिस्का क्षेत्र के लोगों की समस्या के आधार पर ज्ञापन तैयार किये गए। जहां-जहां से सरिस्का में प्रधानमंत्री को गुजरना था। वहां गांव के लोगों को तैयार किया कि अब ही हमारा मौका है कि हम अपनी बात देश के सबसे बड़े आदमी को कहें। गांव वाले भी तैयार थे। प्रधानमंत्री को ज्ञापन चार स्थानों से देने की योजना बनाई। पहले सरिस्का होटल में, दूसरे पांडुपोल पर, तीसरे कांकवाड़ी, चौथे टहला नीलकंठ में। जहां भी ज्ञापन दे सके, देंगे। तभासं के कार्यकर्ता भी गांव के साथ थे। सरिस्का में तो ज्ञापन देने वाले और प्रशासन के अधिकारी आमने-सामने हो गए थे। यहां पेमाराम मेवाल, बनवारी लाल शर्मा, हरिपुरा गांव के लोगों के साथ थे। प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि आप हम पर विश्वास करें, अब हम इस समस्या को देखेंगे और ज्ञापन को प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा देंगे।

कांकवाड़ी क्षेत्र में कार्यरत तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था। पूरे क्षेत्र में घर-घर की तलाशी लेने के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें जीप में बैठा कर दो दिन टहला थाने में रखा गया। पूछताछ की गई, वैसे तो सभी क्षेत्र के थे। फिर भी प्रशासन को तो अपना काम करना होता है। वह अपना काम कर रहा था। हमें अपने साथियों के साथ-साथ ज्ञापन की अधिक चिन्ता थी। कैसे ही प्रधानमंत्री को

सरिस्कावासी अपनी समस्याओं से अवगत करा देंगे, तो अच्छा रहेगा। वैसे तो ज्ञापन प्रधानमंत्री के कार्यालय में डाक द्वारा भी पहुंचाया जा सकता है लेकिन स्वयं अपने हाथों से देने की बात ही कुछ और होती है।

प्रधानमंत्री सरिस्का से जा चुके थे। टहला थाने से लक्ष्मण सिंह ने तभासं कार्यकर्ताओं को छुड़ा लिया। थानेदार को भी सरिस्का की परिस्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया गया; पर वे तो डायरेक्टर के भक्त थे। फिर भी लक्ष्मण सिंह ने अपने विचारों से उन्हें झकझोर दिया था। तभासं के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भीकमपुरा आ गए।

"भारत के प्रधानमंत्री को इस जंगल के जंगलवासियों से इतना दूर रखा गया कि वे उनकी एक झलक पाने को भी तरसते रहे और यातनाओं को आमंत्रण देते रहे। क्या प्रधानमंत्री को भारत से दूर रखना किसी प्रकार से न्यायोचित है? अपने आप में एक प्रश्न बन गया था।"

प्रधानमंत्री को ज्ञापन पहुंचा हो या न पहुंचा हो परन्तु जंगलवासियों पर यातनाओं का पहाड़ सा टूट पड़ा। उन्हें पहाड़ों में रहना बुरा नहीं लगता था। वे तो उनकी जिन्दगी का हिस्सा थे। जब से आंखें खोली दुनिया के दर्शन किये तो गांव के पहाड़ ही सबसे ऊंचे दिखाई दिए थे। फिर जिन्दगी से डरना कैसा? जंगलात विभाग की यातनाओं ने उनका जीवन नरक बना दिया था। जिस जंगल की शुद्ध हवा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आए थे। उस जंगल के जंगलवासियों को उनसे इतना दूर रखा गया कि वे एक झलक पाने को तरसते रहे और उल्टे यातनाओं को झेलते रहे।

प्रधानमंत्री के जाने के बाद जंगलात के डायरेक्टर की तानाशाही का कहर दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। जंगलवासी त्रस्त होने लगे थे। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जाने लगा। देवरी गांव को ही लें तो यह गांव तीन गुवाड़ों में बसता है। यहां के प्रत्येक घर से वनकर्मियों को एक किलो देसी घी देना पड़ता था। इसके अलावा उनके खाने-पीने और रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। फिर भी जंगल में उनका रहना दूभर हो गया था। जब न्यायालय में चालान पेश हो जाते थे और सरिस्का ग्रामवासी पेशी सादने जाते तो अलवर- राजगढ़ रास्ते में भी वनकर्मी ग्रामवासियों को परेशान करते।

जंगल में महिलाएं जाती तो उन्हें घास-पत्ते आदि नहीं लेने देते तथा अभद्रता का व्यवहार करने से बाज नहीं आते थे। गाय-भैंस जंगल में जाती तो उन्हें मवेशीखाना (कांजी हाउस) में ले जाकर खड़ा कर देते। उनके चारे-पानी की कोई व्यवस्था न होने के कारण वे भूख -प्यास से तड़पती रहती। उधर उनके मालिकों को वनकर्मियों की मिन्नतें करते-करते कई-कई दिन निकल जाते। फिर प्रति भैंस-गाय के हिसाब से पर्ची कटती, तब वनकर्मियों की कृपा दृष्टि से ग्रामीणों के पशु जेल से निकल पाते थे। देवरी गांव में हर परिवार के सदस्यों को राजगढ़ कचहरी में जाना पड़ता था। उनके साथ तरुण भारत संघ के

कार्यकर्ता भी जाते तो जंगलात विभाग के कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान में होता। वह हर हालत में उसे पकड़ना चाहते थे। पकड़ने के पीछे उनके दो ही मकसद थे- एक तो जान से ही खत्म करना, दूसरे शरीर से क्षत-विक्षत करना।

जब गांव वालों को यह मालूम हो गया कि वनकर्मी हमारे साथ-संस्था के कार्यकर्ताओं को भी परेशान करने के लिए तुले हुए हैं और वह सब अपना असली दुश्मन उन्हीं को मान रहे हैं तभी से उन्होंने संस्था के किसी कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी व्यवस्था करके गांव के चार-पांच आदमी हर समय उसके साथ रहते। संस्था के कार्यकर्ता का दोष इतना था कि उसने देवरी गांव में रात को किसी भी वनकर्मी के लिए रुकने खाने-पीने की व्यवस्था करने से मना कर दिया था। हर महीने देसी घी की भेंट भी बन्द करा दी थी। जंगलात विभाग बौखला गया था कि हमारे बीच में यह तरुण भारत संघ कहां से आ गया? तरुण भारत संघ है क्या? इसको कौन चलाता है? जो ग्रामीण जन पहले हमारे आगे नतमस्तक होता था, आज वही हमारी अवमानना कर रहा है। इसके पीछे इन संस्था वालों का ही हाथ है। इसलिए संस्था के कार्यकर्ता ही जंगलात विभाग के पहले नम्बर के दुश्मन बन गए।

जंगलात विभाग ने तभासं के कार्यकर्ताओं को अपना लक्ष्य बना लिया। अब वह उन्हें हर हालत में पकड़ना चाहते थे। परन्तु यहां गांव के संगठन की पूरी चौकसी देखने को मिली। उन्होंने खुद पीड़ा को सहा लेकिन तभासं के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा। एक बार राजगढ़ तहसील में तभासं कार्यकर्ता गोवर्धन शर्मा को जंगलात विभाग वाले पकड़ना चाहते थे। यह बात देवरी, राड़ा गांव वालों को कचहरी में ही मालूम हुई। उन्होंने कार्यकर्ता को बचाने के लिए तुरन्त अपनी बात तहसीलदार तक पहुंचाई। तहसीलदार ने अपनी जीप में बैठाकर गोवर्धन शर्मा को राजगढ़ से बाहर किया था।

तरुण भारत संघ

चौथा कदम

1

जनवरी 1988 में केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग ने 14 शिशु पालनागृह व दो महिला जाग्रति शिविर स्वीकृत किए। महिला जाग्रति शिविरों के लिए दो महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलाना था लेकिन महिला कार्यकर्ता न होने के कारण मैं और दृगपाल ही प्रशिक्षण लेने के लिए उदयपुर गए। प्रयास संस्थान की निदेशक, प्रीति ओझा ने काया प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर में प्रशिक्षण दिया। आठ दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने-अपने क्षेत्रों में महिला जाग्रति शिविर करने थे। इस प्रशिक्षण में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संस्थाओं के प्रतिनिधि आये थे। पुरुष प्रशिक्षणार्थी हम ही थे। हमने फरवरी और मार्च में शिविर करना तय किया।

पहला शिविर 1 फरवरी से आठ फरवरी तक ग्राम भीकमपुरा में महिलाओं का रखा था। शिविर का स्थान अखाड़े का मन्दिर था। अखाड़े का मन्दिर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मन्दिर है। लोगों की बहुत आस्था है। गांव के लोग बताते थे कि अलवर नरेश जब भी इधर से जाते थे, इस मन्दिर में जरूर आते थे। यह नागा साधु समाज का मन्दिर था। हम भी इस मन्दिर में जन्माष्टमी का प्रसाद लेने जाते थे। महिला जाग्रति शिविर में प्रीति ओझा भी आई थी। सभी महिला एस.सी., एस.टी. वर्ग की थी जिसमें खटीक, बलाई, मीणा जाति की थी। वैसे पहले एक दिवसीय महिला शिविर रामटेक मन्दिर पर लग चुका था। परन्तु वह शिविर अन्दर नहीं था।

"अखाड़े के मन्दिर में एस.सी. की महिलाओं व पुरुषों का जाना वर्जित था। पहली बार मन्दिर के गर्भ गृह तक पहुंच कर महिलाओं ने अपने इष्टदेव के दर्शन किए।"

यह आठ दिवसीय था। इसमें महिलाओं से सम्बन्धित विविध समस्याओं को समझना और उनके निराकरण के उपाय उन्हीं के द्वारा तलाशना, कानूनी, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास आदि की प्रक्रियाओं से महिलाओं को अवगत कराना था। सबसे पहले अखाड़े के मन्दिर में भंगी (एस.सी.) की महिलाओं व पुरुषों का जाना वर्जित था। पहली बार मन्दिर के गर्भ गृह तक पहुंच कर महिलाओं ने अपने इष्टदेव के दर्शन किए। उस समय पुजारियों ने भारी विरोध किया था। वैसे मन्दिर के किसी भी कार्य के लिए चन्दा एस.सी. के लोग भी देते थे। खैर ! अब महिलाएं मन्दिर में थीं। कैलाश शर्मा, मैं शिविर की व्यवस्था में लगे हुए थे। प्रीति ओझा, राजेन्द्र सिंह महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे थे।

मन्दिर के आगे, बाहर लोग जमा थे। वे उत्सुकतावश महिलाओं की बातों को सुनने का प्रयास कर रहे थे और देखना भी चाह रहे थे। कुछ की पत्नियां अन्दर थीं। मन्दिर की दीवार जर्जर हालत में थी। उसमें झरोखे हो रहे थे। झरोखों में आखें गड़ाए देखने और कान लगाए उनकी बातें सुनने का प्रयास भी कर रहे थे और आपस में हंस भी रहे थे।

मैंने देखा, तो उन्हें अन्दर ले जाकर एक ओर बैठाया। महिलाओं ने कुछ सकुचाते हुए अपने घूंघट को नीचे किया। शिविर की चर्चा बदस्तूर चलती रही। किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ। मन्दिर में आने वाले सभी लोगों ने चर्चा सुनी तो उनका आश्चर्य, शंकायें सब जाते रहे। आपस में बातें करने लगे कि ये तो हमारे भले की ही बातें कर रहे हैं। अच्छी बातें सीख रही हैं। भाई साहब व बहिन जी अच्छी ही बातें सिखायेंगे। हमारे लिए अच्छा ही है। अब एक-एक कर वह सभी चले गए। महिलाएं भी उनकी इस बात पर हंसी। सभी महिलाओं को प्रीति ओझा व राजेन्द्र सिंह के साथ बातें करना अच्छा लग रहा था। वे खुश थीं।

खाने का समय हो गया था। मन्दिर के बाहरी भाग में भोजन बन रहा था। छत पर महिलाओं के भोजन की व्यवस्था की गई थी। सभी महिलाएं खाना खा रही थीं। नीचे कुछ महिला-पुरुष-बच्चे खड़े थे। वे हरिजन परिवारों से थे। जब महिलाओं ने खाना खा लिया तो वे अपनी झूठी पत्तल को मंदिर के पीछे फेंकने लगीं। नीचे खड़े महिला-पुरुष -बच्चे झूठी पत्तलों को लेने के लिए आपस में छीना-झपटी करने लगे। इस प्रकार से मैंने पहली बार देखा था। लेकिन यहां के ये रीति-रिवाज थे। उन्हें भी खाने के लिए कुछ पूड़ी सब्जी दी। खाने के बाद चर्चा हुई। चर्चा में सरपंच के साथ बैठक करने की बात सामने आई।

दूसरे दिन सरपंच को बैठक में बुलाना था। महिलाओं को सरपंच के साथ बातचीत करनी थी और उन्हें अपनी समस्या बतानी थी। इस प्रक्रिया में महिलाओं को स्वयं निर्णय करना था। इस स्थिति में महिलाएं एक-दूसरे की तरफ देख रही थीं। एक-दूसरे को उकसा रही थीं। "तू चली जा, तुम चली जाओ" काफी देर बाद निर्णय हुआ और तीन महिलाओं के नाम आगे आए। भीकमपुरा से छम्मी और भौरी खटीक व गोविन्दपुरा से मांगी मीणा इन तीनों ने साहस किया। उधर संस्था के कार्यकर्ता कैलाश बहुत ही चिन्तित दिखाई दे रहे थे। उसने कहा कि आज इन महिलाओं की खैर नहीं, इनके बेटे इनको बहुत बुरा-भला कहेंगे कि सरपंच से बात करने गई हैं। हमारे यहां तो यह पहली बार ही हो रहा है कि कोई महिला सरपंच से बात करेगी। बैठक में बुला कर सब महिलायें बात करेंगी, ऐसा अभी ठीक नहीं है, गांव के लोगों को बुरा लगेगा।

जब महिलाएं सरपंच को बुलाने जाने लगीं तो सबसे पहले उन्होंने बिछी जाजम को दोनों हाथ जोड़कर शीश नवाया, उसके बाद अपने इष्टदेव की चौखट पर गई। वहां दहलीज पर माथा टेका, कुछ बुदबुदाई। फिर बाहर हनुमान जी के मंदिर में गईं, वहां भी

हाथ जोड़ धोक लगाई और परिक्रमा की। फिर साहस और आत्मविश्वास के साथ संकुचित भाव लिए सरपंच के पास गईं।

सरपंच भीकमपुरा के बाजार में अपने घर पर ही धूप में बैठे हुए थे। महिलाओं ने बहुत ही सकुचाते हुए कागज सरपंच के हाथ में दिया और कहा कि कल हमारी बैठक में आना। सरपंच बद्रीप्रसाद बहुत ही सरल स्वभाव के नेक इंसान थे। उन्होंने बड़े सहज भाव से कहा कि मैं जरूर आऊंगा। वे दूसरे दिन महिलाओं की बैठक में आए। महिलाओं ने भी गांव के विकास की बातें कीं। सरपंच जी ने भी महिलाओं के सवालों का उत्तर सहजता से दिया और कहा कि तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो मुझे बताना। मेरे स्तर की होगी तो अवश्य करूंगा। आज महिलाएं बहुत ही खुश थीं। उन्होंने सरपंच जी के साथ पहली बार बातचीत की थी।

अगले दिन का कार्यक्रम विकास अधिकारी के साथ बात करने का था तो दो महिलायें और कैलाश शर्मा थानागाजी विकास अधिकारी के कार्यालय में गए। वहां भी महिलाओं ने बैठक में बुलाने का आमंत्रण वाला कागज विकास अधिकारी को दिया। विकास अधिकारी ने भीकमपुरा में महिला शिविर में आने का वायदा दोपहर को रखा। विकास अधिकारी से क्या बात करनी है? कैसे प्रश्न करना है? महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं? उनका लाभ कैसे मिल सकता है, आदि की पूर्व तैयारी प्रीति ओझा ने पहले करा दी थी। अब महिलाओं में भय नहीं, एक उत्सुकता का भाव था कि आज विकास अधिकारी से बातचीत करेंगे।

दोपहर के सत्र में विकास अधिकारी आये। उन्होंने थानागाजी में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही थीं, उनको भी संक्षिप्त में बताया। विकास अधिकारी कुछ जल्दी में थे, इसलिए अपनी बात कह कर चले गए। यह महिलाओं को अच्छा नहीं लगा। कहने लगी कि ये तो अपनी-अपनी कह कर चला गया, हमारी तो इसने सुनी ही नहीं। लेकिन उनके बुलावे पर विकास अधिकारी आया, यह भी बड़ी बात थी। चौथे दिन पेमाराम मेवाल वकील साहब ने महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी दी। महिलाओं से संबंधित कानून के विषय में सामान्य मोटी-मोटी जानकारी दी। कानून में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बताया। पांचवें दिन मैं और कैलाश ने शिक्षा व सामाजिक रिवाज आदि के विषय में बताया। छठे दिन नर्स ने महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। सातवें दिन संगठन और महिला बैंक के विषय में राजेन्द्र सिंह ने महिलाओं को विस्तार से समझाया।

महिला समूह बना कर अपने काम यानी स्वावलम्बन के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कहा तो महिलाओं ने इस कार्य में रुचि ली। राजेन्द्र सिंह ने बैंक में महिला विकास के नाम से खाता खोलने और महिलाओं के हिसाब-किताब के सहयोग के लिए कैलाश को जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही पास बुक व रजिस्टर आदि की व्यवस्था भी संस्था से

करने को कहा। सभी महिलायें महिला बैंक बनाने के लिए उत्सुक थीं। अब वह जल संरक्षण के काम पर जातीं तो पैसा भी उन्हीं के हाथों में होता था। उन्हें महिला बैंक के लिए पैसा घर के किसी सदस्य से लेने की जरूरत नहीं थी। कुल मिला कर आठ दिन का महिला जागृति शिविर बहुत ही अच्छा रहा।

संस्था ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के सहयोग से क्षेत्र के गांव में आठ और शिविर किए थे। ये सब इस क्षेत्र के विकास में सहायक तो थे ही, महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार के कार्यक्रम क्षेत्र के लोगों को अजीब से लगते थे।

इसी के साथ 14 शिशु पालनागृह भी बोर्ड ने स्वीकृत कर दिए थे। संस्था ने अधिकतर पालनागृह सरिस्का के गांव में ही चलाना शुरू किया और कुछ भीकमपुरा के क्षेत्र में शुरू किए थे।

समय व परिस्थितियों के अनुसार शिशु पालनागृहों को बदला भी गया था। शिशु पालनागृह 1987-88 से 2000 तक सरिस्का और भीकमपुरा क्षेत्र में ही चलाए गए। 2000-2001 से 2002 - 2003 तक सवाई माधोपुर के बामनवास डांग क्षेत्र के गांव में भी चलाए। इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संस्था का समाज के साथ जुड़ाव बना रहता था और कार्यकर्ता भी उसी गांव के होते थे। इस परियोजना में 28 महिला-पुरुष कार्यकर्ता थे, जो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए काम करते थे। संस्था के दूसरे कार्यकर्ता भी जब जाते थे तो उन्हें भी महिलाओं, बच्चों और गांव के लोगों से बातचीत करने में सुख मिलता था। गांव के विकास के बारे में नए संवाद भी होते थे। प्रत्येक केन्द्र पर 25-30 बच्चे हुआ करते थे जिससे 14 पालनाघरों में लगभग 500 छोटे बच्चे संस्था से जुड़े हुए थे तथा बच्चों के माता-पिता से भी सदैव संपर्क बना रहता था।

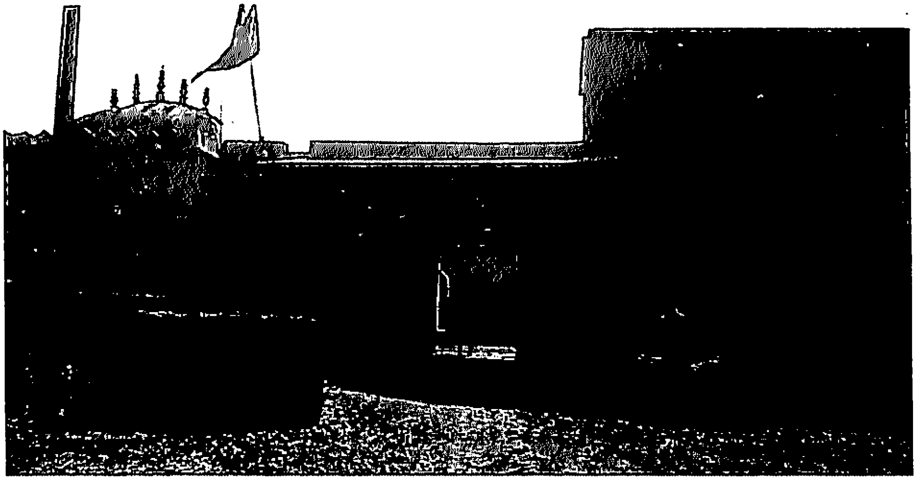

2

एलमेलू अप्रैल 1988 में ऑक्सफेम की सहायता से चल रहे कार्यक्रमों के अवलोकनार्थ आयीं थी। जब वह आयीं तो अपनी गाड़ी में हमारे ऑफिस के लिए फर्नीचर भी रखकर लाई थीं। उन्होंने पहले विजिट में देखा था कि हम टाइपराइटर को छोटे से बक्से पर रख कर टाइप करते थे। हमारे पास एक छोटा सा बक्सा था, उसी में हमारा ऑफिस का सामान रहता था। उसी को डेस्क के रूप में उपयोग करते थे। एलमेलू जी द्वारा लाई गई वस्तु को हमने ग्रहण किया। सच में उसकी जरूरत तो बहुत थी। उन्होंने हमारे साथ तीन दिन बिताये। एक दिन तो माण्डलवास गांव में विश्राम किया। लोगों से बातें कीं, सारी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ऑक्सफेम के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जल संरक्षण के लिए दो परियोजनायें बनाईं। राजेन्द्र सिंह के साथ चर्चा कर, कुछ और सुझावों को परियोजना में समाहित किया। उन्होंने बड़े भारी मन से कहा कि मई या जून में मेरा क्षेत्र बदल जाएगा, लखनऊ का क्षेत्र देखना होगा। राजस्थान को चेरिन देखेंगे। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मैं जाते ही यह परियोजना फाइल कर दूंगी। तुरन्त ही स्वीकृत हो जायेगी।

''जिस गांव के लोग अपने गांव में पानी का कार्य करने के लिए उत्सुक होते थे और अपना भी सहयोग देते थे, वहाँ पर ही हम उनके कार्य में मदद करते थे क्योंकि सीमित साधन में क्षेत्र की जरूरत के अनुसार अधिक से अधिक कार्य करना था। पूरे क्षेत्र में अकाल की मार थी।''

एलमेलू जी ने कुछ दिनों में ही परियोजना की स्वीकृति भेज दी। यह परियोजना दो साल के लिए 7.70 लाख की थी जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल-जंगल संरक्षण के कार्य करने थे। स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए चार केन्द्र खोले गए- लाला भैया का गुवाड़ा, हमीरपुर, माण्डलवास और भीकमपुरा। शिक्षा के केन्द्र उन्हीं गांवों में खोले गए जहां बच्चों की शिक्षा के लिए दूर-दूर तक कोई इन्तजाम नहीं था। जल संरक्षण के कार्य भी चल रहे थे। जिस गांव के लोग अपने गांव में पानी का कार्य करने के लिए उत्सुक होते थे और अपना भी सहयोग देते थे, वहां पर ही हम उनके कार्य में मदद करते थे। संस्था के पास बहुत सीमित साधन थे क्योंकि सीमित साधन में क्षेत्र की जरूरत के अनुसार अधिक से अधिक कार्य करना था। पूरे क्षेत्र में अकाल की मार थी।

3

11 मई 1988 को राजेन्द्र सिंह, सिद्धराज जी, शान्तिस्वरूप डाटा जी, सवाई सिंह, पेमाराम मेवाल आदि लोग देवरी गांव की बात सुनने के लिए गए थे। ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई, खतरनाक रास्ते से होते हुए देवरी पहुंचे थे। सिद्धराज जी तो रास्ते से ही वापस जहाज स्थान पर आ गए थे। जहाज स्थान के विषय में किवदंती है कि यह स्थान यक्ष का था। महाभारत में इसका जिक्र है। सिद्धराज जी के पास कुछ लोग रह गए थे जिन्होंने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई थी। हम गांव में लोगों की बात सुनने- समझने गए थे लेकिन जंगलात विभाग ने संस्था के पदाधिकारियों पर ही जंगली जानवरों के शिकार का इल्जाम लगा दिया। सर्वोदय के लोगों ने देवरी के लोगों की जुबानी पीड़ा को सुना तो उन्हें भी वेदना हुई, उन्होंने संघर्ष करने के लिए आह्वान कर प्रोत्साहित किया। अब तक जो कुछ कार्रवाइयां की गई थीं, इनको भी गम्भीरता से लिया। गांव वालों को आश्वासन दिया कि इन सब का हम अपने स्तर से विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे। उन्होंने यह सब किया। जयपुर के अखबारों में भी छपा।

"जहां इतनी रमणीयता हो कि देश का प्रधानमंत्री भी उसमें रम जाय, वहां के वाशिंदों की जिन्दगी नारकीय हो, यह कैसा लोकतंत्र ?"

राजेन्द्र सिंह ने सरिस्का की समस्याओं को लेकर दिल्ली में कुछ पर्यावरणविदों से सम्पर्क किया। छत्रपति सिंह जैसे कानूनविदों से भी मिले। सरिस्का की खबरों को दिल्ली के अखबारों ने मुख्य खबर बनाया जिनमें जंगलात विभाग की निन्दा की गई थी। सरिस्का की

खबरों का विशेष महत्व अखबार वालों के लिए प्रधानमंत्री की यात्रा के कारण था। जहां इतनी रमणीयता हो कि देश का प्रधानमंत्री भी उसमें रम जाये परन्तु वहां के वाशिंदों की जिन्दगी नारकीय हो ! यह कैसा लोकतंत्र? अखबारों में सरिस्का की अमानवीय जिन्दगियों को लेकर छपी खबरों से जंगलात विभाग की निन्दा हो रही थी। सरिस्का क्षेत्रीय निदेशक के वक्तव्य भी छपे थे जिनमें उन्होंने अपनी मजबूरी जताई थी। दिल्ली से निकलने वाले 'चौथी दुनिया' अखबार में तो सरिस्का वासियों का फोटो सहित वक्तव्य था, जिसका शीर्षक था, "सरिस्का के जंगल राज में आदमी नाजायज है"। दिल्ली से आने वाले अखबार-नवीसों के प्रश्नों के कारण जंगलात विभाग बौखला गया था।

दिल्ली-जयपुर में सरिस्का के विषय में छपी खबरों से अलवर का प्रशासन भी हिल गया था। सरिस्का की समस्याओं को समझने के लिए बी.एन.शर्मा अति. विकास कलेक्टर 1988 फरवरी में भीकमपुरा आए। जंगलवासियों के विस्थापन से लेकर जंगल, जंगली-जीव और आदमी के रिश्ते पर विस्तृत बातचीत हुई थी। सरिस्का वासियों को केन्द्र में रखकर प्रशासन का पहला कदम था।

"जयपुर से जांच दल आया, उसने तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काटे गए जंगल को देखा, फोटो लिए, बरामद लकड़ी की मोटाई, लम्बाई, संख्या आदि को सूचीबद्ध कर विभागीय स्तर की जो कार्यवाही होती है, वह की।"

गांव वालों ने भी अब जंगलात विभाग की कारगुजारियों को उजागर करना शुरू कर दिया। इसलिए जहां-जहां जंगलात विभाग ने जंगल कटाई कराई थी,उसकी शिकायत जयपुर में की। जयपुर से जांच दल आया, उसने तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर काटे गए जंगल को देखा, फोटो लिए, बरामद लकड़ी की मोटाई, लम्बाई, संख्या आदि को सूचीबद्ध कर विभागीय स्तर की जो कार्यवाही होती है, वह की। इन सब से ग्रामवासियों का साहस बढ़ा।

समय के साथ-साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। अलवर के प्रशासन को कुछ समझ आयी या ऊपर से आदेश मिला, पता नहीं लेकिन ग्रामवासियों को कुछ राहत दिखती थी। जंगल विभाग के कर्मचारियों के व्यवहार में भी कुछ नर्मी देखने को मिल रही थी। इधर संस्था ने जंगलवासियों के लिए बाल शिक्षा केन्द्र और शिशु पालनागृह के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। इससे अब गांव में भय की जगह उत्साह था। इसलिए 2 अक्टूबर को सरिस्का के शिक्षण केन्द्रों के बच्चों की एक खेलकूद प्रतियोगिता करने का विचार बना। सितम्बर माह में ग्राम माण्डलवास में प्रतियोगिता करने का तय किया गया था। सभी ने अपने-अपने केन्द्रों पर जाकर 2 अक्टूबर की तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें खेलकूद के साथ-साथ गीत, कहानी, साफ-सफाई आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम भी शामिल थे।

4

माण्डलवास में 1 अक्टूबर को ही दूर गांव के बच्चों का आना शुरू हो गया था। बच्चों के खाने और रहने की व्यवस्था गांव वालों ने ही की थी। आज माण्डलवास गांव की छटा ही कुछ और थी। इस गांव में 200 बच्चों का आगमन, वह भी प्रतियोगिता के लिए, अपने आप में बड़ी बात थी। वरना इस छींड़ में बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता कहां? जहां बच्चों के पढ़ने के साधन ही दूर-दूर तक न दिखाई देते हों। छींड़ के राजौर गांव में मात्र एक स्कूल था जिसमें हमेशा अध्यापक अनुपस्थित ही रहते। आज माण्डलवास में चहल-पहल अधिक थी। गांव के लोग भी बच्चों की प्रतियोगिता देखने को उत्सुक थे, यह स्वाभाविक था। शाम तक सभी बच्चे आ गए थे।

"15 गांव की पूरी छींड़ में कभी भी ऐसी प्रतियोगिता नहीं हुई थी। जहां शिक्षा एक स्वप्न बनी हुई थी, वहाँ आज गांवों के बच्चे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे थे।"

2 अक्टूबर को बच्चों की प्रतियोगिता शुरू हुई। गांव के महिला -पुरुष -बच्चे सब खेलकूद देखने के लिए मैदान के चारों ओर खड़े हो गये और कुछ बैठ गए। बच्चों ने टोली बनाकर खेलना शुरू किया। तरह-तरह की खेल प्रतियोगिताओं से बच्चे और गांव वाले आनन्दित हो रहे थे।

खेल प्रतियोगिता के बाद सभी बच्चों के लिए इनाम वितरण समारोह आयोजित किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी में आये बच्चों को अतिरिक्त विशेष पुरस्कार दिए गए। 150 बच्चों को स्कूल की ड्रेस दी गई।

आज राजौर की छींड़ के माण्डलवास गांव में एक नया अध्याय जुड़ा था। 15 गांवों की पूरी छींड़ में कभी भी ऐसी प्रतियोगिता नहीं हुई थी। जहां शिक्षा एक स्वप्न बनी हुई थी। वहाँ के बच्चे आज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे थे। उनके चेहरों पर चमक थी। सरिस्का में काम करने वाले कार्यकर्ता भी अपने-अपने बच्चों के प्रदर्शन को लेकर बहुत खुश थे। उनकी दोहरी खुशी थी; एक तो नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना की, दूसरे वर्तमान में जंगलात कर्मचारियों के द्वारा प्रताड़ना में कमी की।

2 अक्टूबर की बाल प्रतियोगिता ने माण्डलवास के लोगों में एक वैचारिक तरंग तो छेड़ दी थी। वह अब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी उत्साहित हुए थे तथा छींड़ के दूसरे गांवों में भी शिक्षा के लिए कहने लगे थे। इस प्रतियोगिता के द्वारा संस्था के कार्यकर्ताओं में भी नई उमंग थी और उत्साह भी।

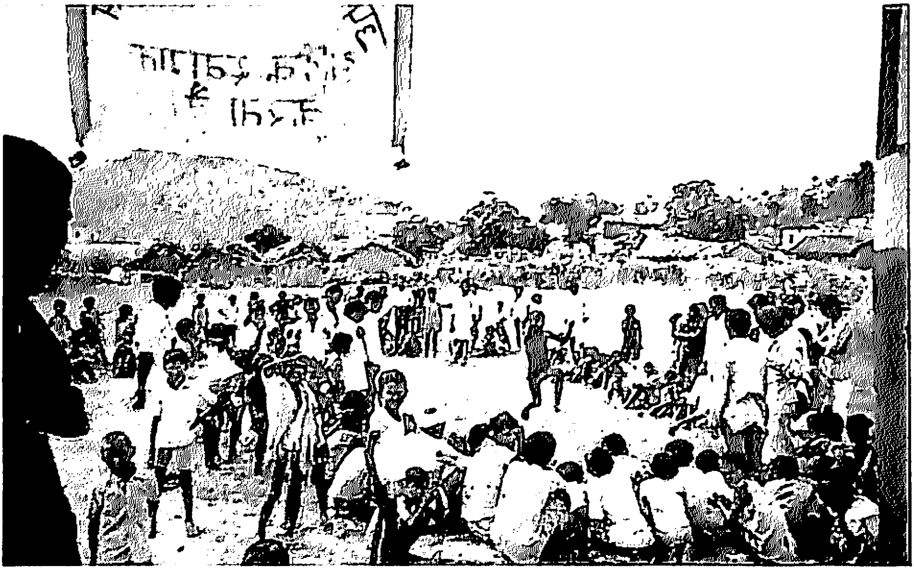

तरुण भारत संघ

पांचवां कदम

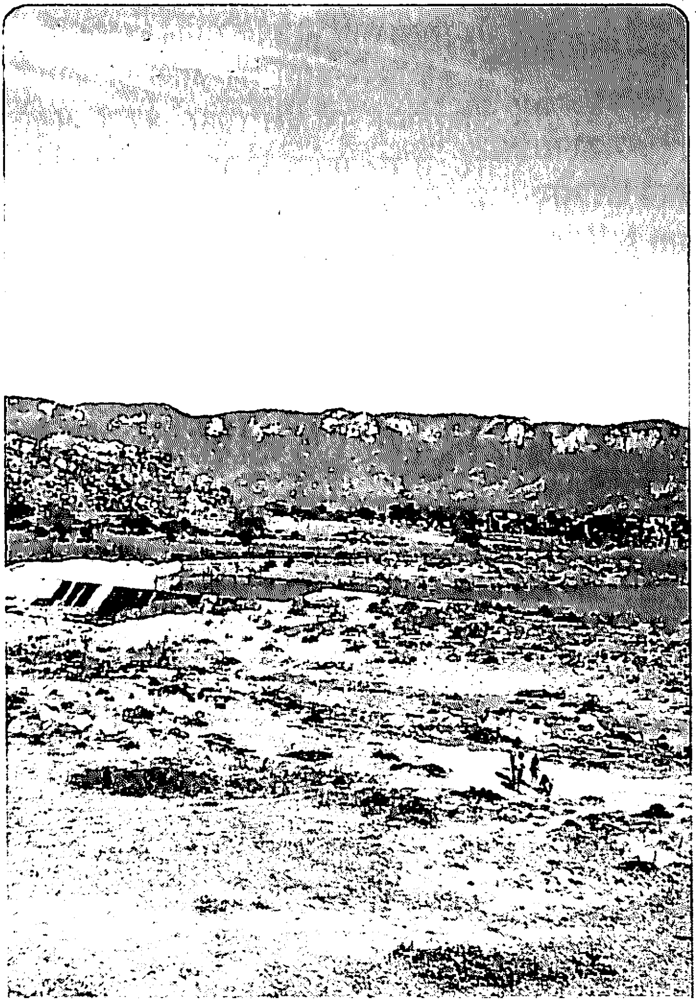

1

ग्रामीण समाज को जब यह अहसास हो जाता है कि हमारा जीवन प्रकृतिमय है, तब वह अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की ओर ध्यान देने लगता है। वैसे तो ग्राम्य जीवन अपने आप में प्रकृतिमय है। इसके लिए कहने-सुनने और लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर भी समाज के साथ सदैव और सतत संवाद बनाए रखने की आवश्यकता है। इसके लिए गांव के ही प्रबुद्धजनों को आगे बढ़कर प्रकृति के संरक्षण के उपाय करने होते हैं। तब गांव के आम जन का सुखमय जीवन व्यतीत होता है।

''ग्रामीण समाज को जब यह अहसास हो जाता है कि हमारा जीवन प्रकृतिमय है, तब वह अपने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की ओर ध्यान देने लगता है।''

गोपालपुरा के समाज ने मिलकर अपने गांव को अकालमुक्त करने के लिए कई छोटे-बड़े जोहड़ बना लिए थे। उसका लाभ भी उनके सामने था। किसी बाहरी व्यक्ति से उन्हें अपने लाभ का आकलन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1986-87 के अकाल में जल-संकट से त्रस्त समाज को अब जल होने का सुख मिल रहा था। उस सुख का लाभ ही उन्हें अपने गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संवर्द्धन के लिए प्रेरित कर रहा था। अब वह जल के साथ-साथ अपने जंगल और गोचर को भी बचाने के लिए संकल्पबद्ध थे। गांव में हरी लकड़ी व पेड़-पौधों को अनावश्यक रूप से काटने पर पाबन्दी थी। नये पौधे भी रोपे जा रहे थे।

गांव की मंशा थी कि गोचर भूमि के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। गांव की चिन्ता वाजिब थी। उसे अब अकाल को सुकाल में बदलने के उपाय करने हैं। तभी ग्राम्य जीवन सुखमय होगा। इस प्रकार की सोच को समाज में बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ काम करने ही होते हैं। इन सब को देखते हुए गोपालपुरा के ग्रामवासियों ने अपनी गोचर भूमि के विकास के लिए कार्य-योजना बनाई। हम अपने गांव के गोचर में पेड़-पौधे लगायेंगे। साथ ही साथ अपने गोचर की सीमा में पत्थर का कोरा पारा करके संरक्षित भी करेंगे। ऐसे अच्छे भाव में कौन मदद नहीं करेगा? सब करते हैं।

ग्रामवासियों ने जब यह प्रस्ताव तरुण भारत संघ के सामने रखा तो इस कार्य में तरुण भारत संघ ने अपना सहयोग देने के लिए कह दिया। गांव के बढ़ते आत्मबल को

कम करना अच्छा नहीं था। तय हुआ कि पौधे, गड्ढे, चारदीवारी के लिए पत्थर की व्यवस्था संस्था करे और पौधों की रोपाई और पारा चुनाई का काम ग्रामवासी करें। सबकी सहमति से कार्य आरम्भ हो गया था। 500 बीघा गोचर था। एक साल में जुलाई 1989 तक कार्य हुआ था। जब गोचर का कार्य चल रहा था, तब ऑक्सफेम के प्रतिनिधि चेरिन और डेबिट भी इस प्रकार के कार्य को देख कर खुश हुए थे।

जुलाई 1989 में गुड़गांव से बन्जारा जाति के लोग अलवर में आए। उन्हें बन्धुआ मजदूर बताया गया था। इसलिए उन्हें बसाना प्रशासन की जिम्मेवारी थी। उन्हें बन्धुआ मजदूर का लाभ लेने के लिए स्वामी अग्निवेश के संगठन 'बन्धुआ मुक्ति मोर्चा' के प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया। बन्जारों ने अलवर कलेक्ट्रेट में कई दिन धरना दिया। वहां से खदेड़ने पर थानागाजी तहसील के सामने आकर कई दिन रहे। उधर बन्धुआ मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधियों ने अखबारबाजी करनी शुरू कर दी। आखिरकार प्रशासन के लिए थानागाजी तहसील में उन्हें बसाना मजबूरी बन गयी थी। प्रशासनिक स्तर पर आसपास की गोचर भूमि को तलाशा गया तो गोपालपुरा का गोचर ही उन्हें उपयुक्त लगा। जब ग्रामवासियों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया।

तरुण भारत संघ ने गोपालपुरा के लोगों का साथ इसलिए दिया था कि यह गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए आगे आ रहा था। उसने बड़े मनोयोग और लगन से अपने गोचर को बचाने के लिए जतन किए थे। अब उसी गोचर में सरकारी तंत्र बन्जारा जाति के लोगों को बसा रहा था। सरकारी तंत्र अपने सिर पर आये बन्धुआ

मजदूरों के भार को गोपालपुरा में डाल कर मुक्त होना चाहता था। गांव के विरोध के बावजूद भी उन्हें जिलाधीश अलवर ने पट्टे जारी कर दिए।

यह सब तरुण भारत संघ को अच्छा नहीं लगा। यह एक प्रकार से गांव के सामलाती संसाधनों पर सरकारी तंत्र का बलात्पूर्ण कार्य था। इसलिए संस्था ने अपना पक्ष जिलाधीश व तहसीलदार आदि के सामने रखा। पर सरकारी तंत्र की समझ में एक भी बात नहीं आई। देश के प्रबुद्धजनों ने इस प्रकार के कृत्य को पर्यावरण की रक्षा में बाधक माना। वे जिला प्रशासन से भी मिले। कई अखबार वालों ने प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही को मुख्य पृष्ठ पर बड़े कॉलमों में छापा भी। गोपालपुरा के गोचर की रक्षा के लिए देश के कई पर्यावरणविदों को भी आना पड़ा, जिसमें अनिल अग्रवाल, सुनीता नारायण, प्रभाष जोशी, अनुपम मिश्र,चण्डीप्रसाद भट्ट, डॉ. जी.डी. अग्रवाल आदि मुख्य थे। इन्होंने जिला प्रशासन को बहुत समझाया। आखिरकार उसने अपनी गलती मानी और तत्कालीन जिलाधीश सुनील अरोड़ा ग्रामवासियों से माफी मांगने के लिए अलवर से गोपालपुरा आए। गांव में सार्वजनिक रूप से अपनी असमर्थता जताई। गांव वालों ने भी उन्हें माफ कर दिया और बन्जारा जाति के लोगों को अपनाने व साथ-साथ रहने के लिए कहा। यह ग्रामवासियों का बड़प्पन था।

2

प्रशासन द्वारा गोपालपुरा में बंजारा जाति के लोगों को बसाना; यहां के समाज को एक प्रकार से बहुत ही महंगा साबित हुआ। गांव में गोचर की रक्षित भूमि पर अब अतिक्रमण होने शुरू हो गए थे। अलवर प्रशासन ने केवल गोपालपुरा में छः परिवार बसाए थे। अब यहां सैकड़ों परिवार और आ गए जिन्होंने आसपास के गांवों के गोचर भूमि, सवाई चक आदि पर बसावट कर ली। भीकमपुरा में भी ये लोग बसे लेकिन गांव वालों के विरोध के कारण नहीं रुक सके। बाकी तो जहां एक बार बसे तो बसते ही चले गए। धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र के गोचर और सवाई चक भूमि पर इन्होंने कब्जा कर लिया।

यह सब घटना क्षेत्र के लोगों के सामने घट रही थी। गांव के लोग भयभीत थे कि कहीं हमारे गांव में न आ जायें और गोचर भूमि पर कब्जा कर लें। एक बार अगर किसी प्रकार से कब्जा हो जाता है तो इन लोगों से कोई नहीं छुड़ा पायेगा। इस प्रकार की सोच के कारण गांव के लोगों ने ही अपनी गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया और जो गांव इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अगुवाई कर रहे थे; उन्हीं गांव के लोगों में ऐसा विचार आया और गोचर भूमि पर अपनी सामर्थ्य अनुसार कब्जा कर लिया। कुछ लोगों ने इस बात का काफी विरोध भी किया। जिलाधीश को भी गांव में बुलाया। तत्कालीन जिलाधीश मनोहरकान्त ने आठ दिन में गोचर भूमि को लोगों के अतिक्रमण से बचाने के लिए कहा था लेकिन अतिक्रमण नहीं हटा सके। सूरतगढ़ और लोठवास गांव के लोगों ने एक दिन में ही अपने गोचर को अपने-अपने कब्जे में ले लिया था। यह सब अतिक्रमण की घटनाएं गोपालपुरा के गोचर में बन्जारों के बसाये जाने के बाद ही हुई थीं।

अब देखने में आ रहा है कि जिन जमीनों को बन्जारा जाति के लोगों को दिया गया या उन्होंने जबरन ही कब्जा कर लिया था जिसे बाद में सरकारी तंत्र ने पट्टे जारी कर दिए थे। उसी जमीन को सरकारी तंत्र अपने परिजनों के नाम कराने में लगा हुआ है। गोपालपुरा की गोचर भूमि को ही देखें तो पहले बन्जारों के नाम पट्टे देकर उन्हें बसाया गया। फिर जमीन पर बैंक ऋण दिलाया गया। बैंक ऋण वसूल न होने के कारण जमीन की नीलामी किए बगैर ही थानागाजी एस.डी.एम के पिता के नाम कर दी गई और बैंक ऋण की भरपाई कर ली गई। ऐसे खेल में गोचर या अन्य प्रकार की सामलाती जमीन को बचा पाना असंभव ही है।

"समाज से ज्यादा सरकारी तंत्र ही समाज की खातेदारी व सामलाती, हर प्रकार की जमीनों को बेचने में लगा हुआ है।"

तभासं ने गोचर भूमि को बचाने के लिए हर प्रकार से प्रयास किए। कहीं गोचर भूमि में चारदीवारी व तार लगवाये तो कहीं गोचर के चारों ओर खाई बनाई गई, जिससे गोचर भूमि का सीमांकन सुरक्षित रहे। उनमें चारा देने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। इसके साथ-साथ ही गोचर में जोहड़ बनवाये, पुराने जोहड़ों को दुरुस्त किया लेकिन उन पर भी बन्जारा जाति की देखा-देखी गांव के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। अब तो और भी बुरा हाल है। समाज से ज्यादा सरकारी तंत्र ही समाज की खातेदारी व सामलाती हर प्रकार की जमीनों को बेचने में लगा हुआ है।

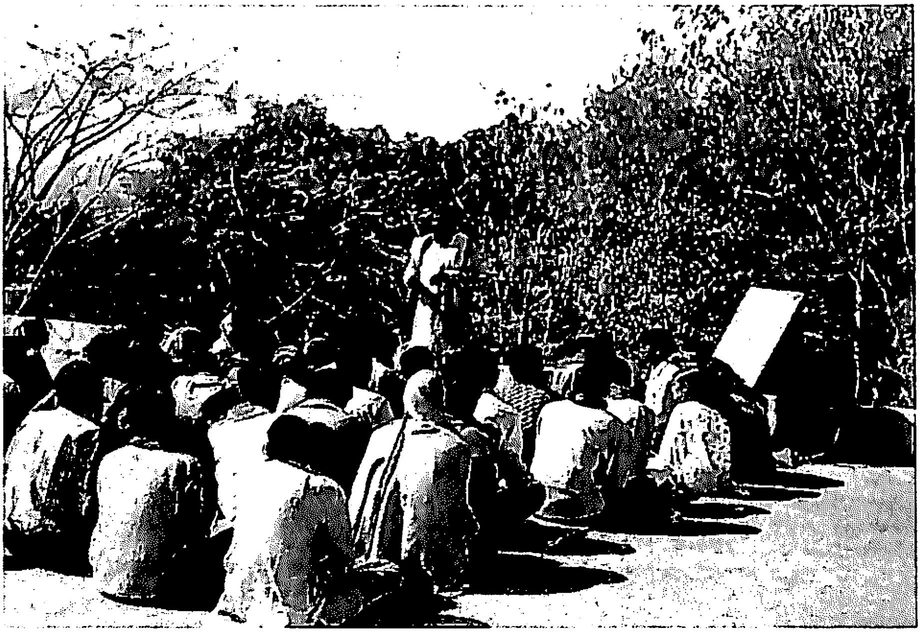

3

अब जंगलवासियों के अन्दर कुछ दिन पहले जैसा जंगलात विभाग का भय नहीं रहा। बल्कि ग्रामीणों के संगठन के कारण जंगलात विभाग के कर्मचारियों में भय घर करता जा रहा था। दोनों एक-दूसरे से भयभीत थे। दोनों में सौहार्द्रपूर्ण व्यवहार को कैसे बढ़ाया जाए? जिससे दोनों एक-दूसरे से भयमुक्त हो सकें, साथ ही एक-दूसरे के सहयोगी बनें। तभी सरिस्का का भविष्य सुरक्षित है और जंगलवासियों का जीवन भी। यह सब सोच-विचार कर एक साथ सरिस्का के कोर और बफर क्षेत्र के गांवों में रामायण पाठ शुरू करने का तय किया।

"संघर्षशीलता जब समाज में आ जाती है तो वह बड़ा व्यापक रूप ले लेती है। कहीं खून-खराबे के साथ संघर्ष तो कहीं पर अहिंसापूर्ण संघर्ष। सरिस्का का संघर्ष पूर्णरूपेण अहिंसात्मक था।"

नवम्बर 1989 में सरिस्का को नौ भागों में रख कर नौ गांवों में एक साथ अखण्ड रामायण पाठ शुरू किए। रामायण पाठ में जंगलवासियों ने जंगलात विभाग के कर्मचारियों से वैमनस्यता को दूर करने के लिए उन्हें भी आमंत्रित किया था।

जंगलात विभाग के लोगों ने सहयोग भी किया। यहां से जंगलात विभाग और जंगलवासियों की आपसी दूरियां कम हुई थीं। रामायण पाठ का सकारात्मक परिणाम निकला। एक नई दिशा भी मिली।

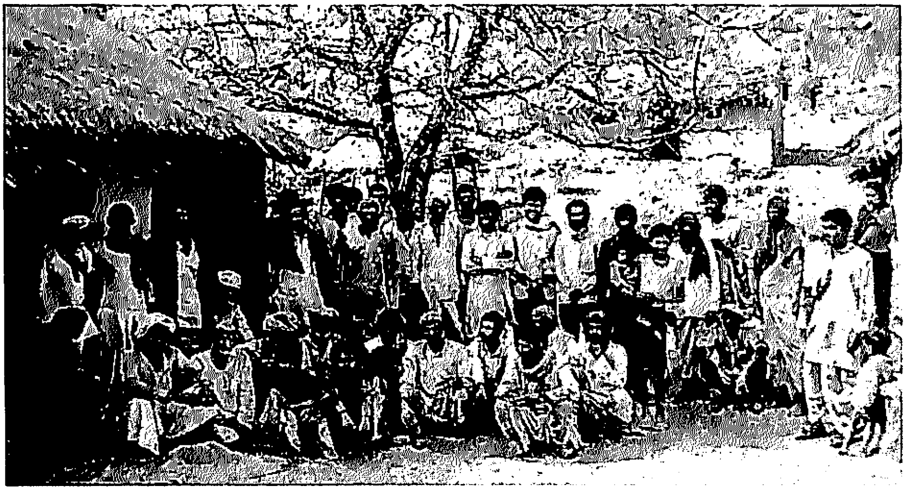

4

1989 के प्रारम्भ में ही सरिस्का के क्षेत्र-निदेशक का कार्यकाल भी पूरा हो चला था। वे कार्यमुक्त हो गए थे। अब उनकी जगह पर श्री फतेह सिंह राठौड़ आये थे। वे सरिस्का में पहले भी रह चुके थे। उनके स्वभाव से जंगलवासी परिचित थे। फिर भी बीते दिनों की यादें उन्हें भ्रमित करती रहती थीं।

"जंगलवासियों ने हरे पेड़ काटने या किसी प्रकार से सरिस्का के जंगल और वन्यजीवों को कोई नुकसान न होने देने का संकल्प लिया।"

नए निदेशक के आने पर उनके विभाग ने ही पूर्व घटनाक्रम को बता दिया होगा या फिर सरिस्का के विषय में समाचार-पत्रों के माध्यम से परिचित होंगे। तरुण भारत संघ के विषय में उन्हें पूरी जानकारी थी। तभी तो अजबगढ़ क्षेत्र के भ्रमण के दौरान वह भीकमपुरा में संस्था के नव निर्माणाधीन भवन को देखने के बहाने राजेन्द्र सिंह से मिलने के लिए आए थे। राजेन्द्र सिंह तो नहीं मिले परन्तु उन्होंने अपना परिचय देकर राजेन्द्र सिंह को मिलने के लिए कह कर चले गए।

फतेह सिंह के सरिस्का में आने के बाद सरिस्का की समस्याओं को लेकर तरुण भारत संघ के साथ संवाद का दृष्टिकोण सकारात्मक बनता ही चला गया। जंगलवासी भी खुश थे। उनके ऊपर लगे केस में जंगलात विभाग के लोगों ने नरमी बरती और नए केसों पर पाबन्दी हुई। घास, पत्ते और जलाऊ लकड़ी पर भी बन्दिश कम हुई। जंगलवासियों ने हरे पेड़ काटने या किसी प्रकार से सरिस्का के जंगल और वन्यजीवों को कोई नुकसान न होने देने का संकल्प लिया। अब सरिस्का की रक्षा के लिए जंगलात विभाग के साथ-साथ तीन-तीन रक्षक हो गए-जंगलात विभाग-जंगलवासी- तरुण भारत संघ। जंगल रक्षा का एक काम तीनों का काम था। संस्था सरिस्का में समाज आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती थी। उसका कार्य अब आगे बढ़ रहा था। इसका प्रमाण, जंगल संरक्षण यज्ञ की परिकल्पना बना था।

तरुण भारत संघ

छठा कदम

1

जंगल संरक्षण यज्ञ की परिकल्पना एक ऐसा अद्भुत कार्य था जो संघर्ष और समन्वय की धारणाओं पर आधारित था। मेरे विचार से ऐसा अद्भुत कार्य देश के अन्य वन्यजीव अभयारण्यों में देखने को नहीं मिलेगा। जहां के लोग पीड़ित रहे हों और सौम्य संघर्षरत रहकर सहज भाव से एक आपसी सामंजस्य से आगे बढ़े हों। यह सब सरिस्का में संभव हुआ। यह जंगलात विभाग ने स्वीकार लिया था कि बिना जंगलवासियों के सरिस्का की सुरक्षा संभव ही नहीं, असंभव है। आज वह शुभ दिन है कि सरिस्का को बचाने के लिए इतना बड़ा समुदाय एक साथ है।

राजेन्द्र सिंह ने 'जंगल संरक्षण यज्ञ' के विषय में संस्था के अन्य साथियों से भी बातचीत की, सभी ने इसमें खुशी जाहिर की। यज्ञ के विषय में राजेन्द्र सिंह ने सिद्धराज ढड्ढा, अनुपम मिश्र, अनिल अग्रवाल, प्रभाष जोशी आदि परिचित लोगों से भी विचार-विमर्श किया। सभी ने इस कार्य को सराहा।

जंगल संरक्षण की तैयारी के लिए प्रयास किए जाने लगे। कार्य का विभाजन इस प्रकार किया गया कि सरिस्का का जंगलात विभाग यज्ञ के कार्यों के लिए अपने वाहन, ईंधन और कुछ कर्मचारी देगा, साथ ही व्यवस्था में सहयोग करेगा। जंगलवासियों ने यज्ञ के लिए हर घर से एक किलो देसी घी के साथ श्रद्धानुसार दान देने के लिए कहा और तरुण भारत संघ ने यज्ञ की अन्य सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ली। यज्ञ की तिथियां (19-21 जनवरी 90) भी निश्चित कर तैयारियां की जाने लगीं।

तरुण भारत संघ के जिम्मे काम अधिक था क्योंकि यह समाज के सहयोग से किया जाने वाला था। इसलिए संस्था का हर कार्यकर्ता दो महीने पहले से ही यज्ञ की तैयारी में जुट गया था। उसे जंगल संरक्षण यज्ञ की रसीद बुक दी गई। गांव-गांव जाकर यज्ञ के लिए श्रद्धा से दिया हुआ दान प्राप्त करते। किसी प्रकार का दबाव देकर नहीं लेते थे। राजेन्द्र सिंह ने अपने परिचितों से भी यज्ञ में शरीक होने का निवेदन किया। कुछ ने सहयोग दिया तो कुछ ने अपने परिवार सहित पूर्ण यज्ञ आहुति के लिए आश्वासन दिया।

"आज पर्यावरण विषय की जानकारी नहीं थी और ना ही किसी विशेष व्यक्ति का भाषण। आज तो भारत की आत्मा भारतीय संस्कृति के दिव्य दर्शन हमारी जीवन पद्धति का सारभूत सत्य था। जिससे समाज स्वतः नतमस्तक होता अपने और दूसरे के जीवन की कामना करता दिखाई दे रहा था।"

जैसे-जैसे यज्ञ की तिथियां नजदीक आती जातीं, वैसे ही व्यस्तता बढ़ती जाती। यज्ञविदों की सलाह के अनुसार यज्ञ सामग्री जुटाई जाने लगी। सरिस्का क्षेत्र के जितने भी सिद्ध पुरुष थे, उन्हें आमंत्रित किया गया। जिनको यज्ञ में बुलाने का तय था, उन्हें पत्रों के द्वारा सूचना दी गई थी। कुछ के तो तुरन्त उत्साहवर्द्धक पत्र भी मिल गये थे। जंगलात विभाग ने भी अपने बड़े अधिकारियों को यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। उनका आना भी निश्चित हो गया था। यज्ञ की तैयारी में जंगलात विभाग-जंगलवासी-तरुण भारत संघ सब व्यस्त थे। तीनों के प्रतिनिधि आपस में मिलते रहते थे। व्यवस्था संबंधी दिक्कतों को सब मिलकर सुलझाते थे।

जंगल संरक्षण यज्ञ शुरू होने के एक सप्ताह पूर्व सरिस्का के चारों ओर पर्चे-पोस्टर बांटे गए थे। माइक से भी जनता को जानकारी दी गई। यज्ञ के बैनर जगह-जगह लगाए गए। यज्ञ के लिए यज्ञ मंडप की तैयारी की गई। यज्ञविदों की सलाह से सभी तैयारी करते-करते यज्ञ तिथि भी आ गई, तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता, जंगलात विभाग, जंगलवासी और सरिस्का के चारों ओर का समाज 19 जनवरी, 1990 को भर्तृहरि स्थान पर उपस्थित था।

भर्तृहरि स्थान पर वैसे तो आए दिन सवामणी, गोठ आदि का आयोजन होता ही रहता है। तरुण भारत संघ ने भी यहाँ विभिन्न विषयों को लेकर राज्य व राष्ट्रीय स्तर के कई शिविर-सम्मेलन किए थे। लेकिन आज समाज जंगल-जीवन यानी वन्य जीव, जंगलवासी, जंगलात-विभाग-सरिस्का के आसपास का समाज एक-दूसरे की रक्षा और कल्याण के लिए संकल्पबद्ध दिखाई दे रहा था। तभी तो यज्ञ में हजारों की तादाद में लोग आते और संकल्प के साथ अपने-अपने घर जाते थे। यहाँ पर्यावरण विषय की चर्चा नहीं थी और ना ही किसी विशेष व्यक्ति का भाषण था। लेकिन भारत की आत्मा भारतीय संस्कृति के दिव्य दर्शन, हमारी जीवन पद्धति का सारभूत सत्य था जिसमें समाज स्वत: नतमस्तक होता; अपने और दूसरे के जीवन की कामना करता दिखाई दे रहा था।

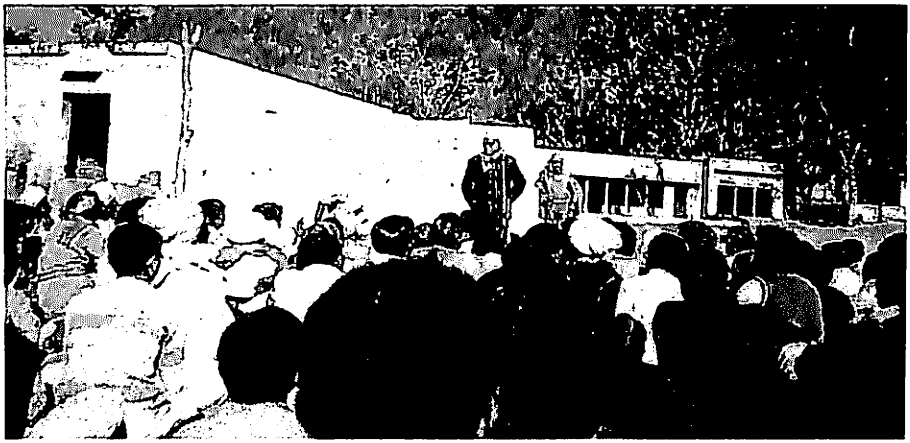

2

छोटेलाल अपने मांदलवास के रिश्तेदार को लिए हुए भीकमपुरा में आए। उस समय मैं कमरे में बैठा संस्था का कार्य कर रहा था। दोनों ने राम-राम की, पास बैठ गए। मांदलवास के व्यक्ति को मैं जानता था। उन्होंने कहा कि ये तिलवाड़ी गांव के हमारे ब्याई हैं।

इनके गांव में खान है। खान वाले बहुत ही परेशान करते हैं। कई पशु खान में गिर कर मर गए। गांव में कई लुगाई-मोट्यार के चोटें आई हैं। जब वह खानों में होल लगाते हैं तो हमारे पक्के मकान भी धमाकों की आवाजों से थर्राते हैं। उनमें दरारें पड़ गई हैं। हमें उनमें बैठने में भी डर लगता है। बाहर भी नहीं जा सकते हैं। दिन में तीन बार होल लगाते हैं। सुबह, दोपहर, शाम को। ऊपर से हमारी बहिन-बेटियों की इज्जत-आबरू को बचाना दूभर हो गया है इसलिए हमारा जीवन एक नरक बन गया है।

मार्बल की खान रोज़गार देती है, यह तो सुना था। खनन से कैसी समस्याएं पैदा होती हैं? यह सब नहीं मालूम था। 1987-88 में खान विभाग ने बहुत खानों का आवंटन किया था। हमें उस समय कोई आपत्ति नहीं थी। जंगलवासियों की समस्याओं को लेकर जरूर जंगलात विभाग के साथ वैचारिक मतभेद था। अब एक साल से वह

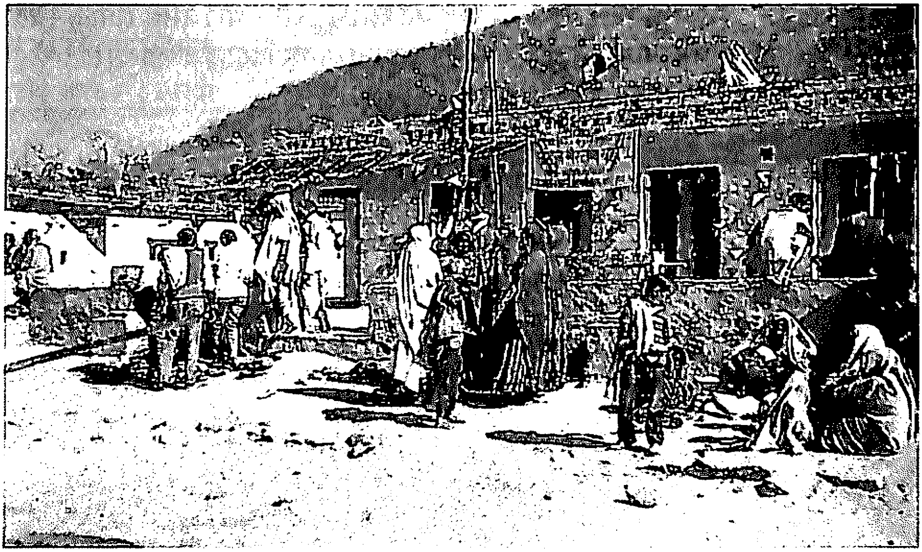

भी नहीं था। फिर भी मैंने छोटेलाल की बात को सुना और कहा कि 19 तारीख से भर्तृहरि में जंगल संरक्षण यज्ञ है। तुम अपने गांव के 10-15 लोगों को साथ लेकर यज्ञ में जाना। वहीं राजेन्द्र सिंह मिलेंगे, अपनी बात विस्तार से कागज पर लिख लाना और राजेन्द्र सिंह को बताना।

तिलवाड़ी के छोटेलाल मीणा ने ऐसा ही किया। वह अपने साथ आसपास के गांवों के लोगों को साथ लेकर आया। यज्ञ स्थल के एक ओर आगन्तुकों के प्रवचनों के कार्यक्रम भी चलते थे। छोटेलाल ने समय लेकर अपनी बात सभी के सामने रखी। वहां समस्त समाज के लोग, जंगलात विभाग के लोग, कुछ तरुण भारत संघ के लोग और विशेष आगन्तुक मेहमान थे। छोटेलाल की बात पूरी होने पर दूसरे गांव के लोगों ने भी अपनी बात की। उन्होंने जंगलात की सीमा में खान चलने की बात कही। सवाल था कि खान का मसला और तरुण भारत संघ दोनों का क्या वास्ता?

सरिस्का के क्षेत्र निदेशक ने राजेन्द्र सिंह से यह जरूर कहा कि ये लोग सही कह रहे हैं। कुछ खानों के पट्टे हमारे विभाग के लोगों की ही गलती से दिए गए हैं। अगर तुम्हें सरिस्का के लिए कुछ करना है तो किसी प्रकार इन खानों को बन्द कराने का उपाय करो। मैं पूरा सहयोग करूंगा। जंगलवासियों की समस्या तो मेरे स्तर की है। इसके लिए मैं यहीं चौबीसों घंटे रहता हूं। इसे तो मैं देखता रहूंगा।

"यज्ञविदों का वेदी व मंत्रों की श्रद्धापूर्ण आहुतियों से यज्ञवेदी प्रज्जवलित रहती व देवमंत्रों के उच्चारणों से पूरा भर्तृहरि स्थान गुंजायमान रहता था। "जंगल संरक्षण यज्ञ" से एक समरसता का वातावरण समाज में प्रवाहित हो रहा था।"

दूसरी ओर जंगलात विभाग का मानना था कि अगर सरिस्का के कोर क्षेत्र के गांवों को सरिस्का से अन्यत्र स्थान पर बसा दिया जाए तो जंगली जानवरों का जीवन और जंगल सुरक्षित रह सकते हैं, साथ ही जंगलवासियों का भी जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जंगलवासियों को बहरोड की रूंध, डबकन और भी कई स्थान थे जिसमें उन्हें बसाने के प्रयास किए जा रहे थे। यज्ञ स्थल से ही चार-पांच गांवों के प्रतिनिधि एक केंटर में बैठकर बहरोड की रूंध देखने भी गए थे। मैं भी उनके साथ था।

लोगों की मन:स्थिति पहले किए गए विस्थापितों की दुर्दशा को देख -समझ कर जंगल छोड़ने को तैयार नहीं होती थी। दूसरे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर भारी उदासीनता के चलते किसी निर्णय पर पहुंचना बाधक बना हुआ था। तीसरे विस्थापन करने में प्रशासन द्वारा की गई भारी अनियमितताएं जंगलवासियों को जंगल छोड़ने से रोकती थीं। इन सबके चलते हुए भी तभासं पर लोगों का विश्वास बना हुआ

था इसीलिए वह आज बहरोड की रूंध गए हुए थे। यह सब यज्ञ के चलते-चलते हो रहा था। यह सब जंगल का रूप था।

यज्ञविदों का वेदी व मंत्रों की श्रद्धापूर्ण आहुतियों से यज्ञवेदी प्रज्जवलित रहती व देवमंत्रों के उच्चारणों से पूरा भर्तृहरि स्थान गुंजायमान रहता था। "जंगल संरक्षण यज्ञ" से एक समरसता का वातावरण समाज में प्रवाहित हो रहा था। साथ ही उसकी दर्द भरी वेदना छोटेलाल के रूप में सामने आ रही थी। जंगलात विभाग और तरुण भारत संघ एक साथ थे। यही यज्ञ की सफलता थी। ऐसा देश के अन्य किसी भी भाग में नहीं हो रहा था।

तरुण भारत संघ ने जंगल की पुकार को बार-बार सुना। उसकी दबी-दबी सिसकियों में नए संघर्ष की तैयारी करने के लिए आवाजें आ रही थीं। राजेन्द्र सिंह चिन्तामग्न भाव से जंगल संरक्षण यज्ञ में संकल्पबद्ध होते जा रहे थे। यज्ञ की अन्तिम पूर्णाहुति के साथ ही पूर्ण संकल्पबद्ध हो गए थे। तरुण भारत संघ से छोटेलाल को पूर्ण आश्वासन मिला था कि अगर तुम सभी गांवों के लोग एक मत हो, खानों के मालिकों का सामना करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।

संस्था के और भी विकास के काम चल रहे थे। महिलाओं के लिए जाग्रति कार्यक्रम, शिशु पालनाघर, बाल विकास केन्द्र, स्वास्थ्य के कार्यक्रम, ग्राम सभा संगठन, अकाल राहत के स्थाई प्रबन्धन में जल संरक्षण के कार्य करना। शिक्षा के कार्यक्रमों को विस्तार रूप देना। कई संस्थाओं से संपर्क किया गया था। आक्सफेम ने स्वास्थ्य व जल संरक्षण की अपनी परियोजना को जारी रखा। उसके प्रतिनिधि बेरी अन्डरवुड ने मार्च के प्रथम सप्ताह में संस्था के कार्यक्षेत्र में आकर कार्यों का अवलोकन किया। नई परियोजनाओं का अनुमोदन किया।

3

जनवरी 1990 में शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर ने तरुण भारत संघ से थानागाजी में शिक्षाकर्मी योजना चालू करने की मंशा जताई। शिक्षाकर्मी बोर्ड के अधिकारियों व तभासं के पदाधिकारियों ने मिलकर कुछ गांवों का दौरा भी किया। गांव वालों से बातचीत हुई। शिक्षा के प्रति गांवों में उत्साह था। शिक्षाकर्मी बोर्ड 'सीडा' के सहयोग से राजस्थान में शिक्षा विकास का कार्य करना चाहता था। इसमें राजस्थान सरकार व स्वीडन सरकार के सहयोग से तीन जिलों में शुरुआत की गई थी।

अलवर की थानागाजी तहसील, बीकानेर में लूनकरणसर तहसील और पाली की बाली तहसील में प्राथमिकता थी। अलवर में तभासं के साथ व बीकानेर में उरमूल संस्था के साथ और पाली में स्वयं शिक्षाकर्मी बोर्ड शिक्षा के कार्य को देख रहा था। शिक्षाकर्मी योजना का उद्देश्य था कि उसी गांव का पढ़ा-लिखा युवा होना चाहिए जो बच्चों की शिक्षा में रुचि रखे। बच्चों को नियमित पढ़ाये। गांव वालों को भी शिक्षा के प्रति सजग करता रहे।

"शिक्षाकर्मी योजना का उद्देश्य था कि उसी गांव का पढ़ा-लिखा युवा होना चाहिए जो बच्चों की शिक्षा में रुचि रखे। बच्चों को नियमित पढ़ाये। गांव वालों को भी शिक्षा के प्रति सजग करता रहे।"

अगर किसी गांव में पढ़ा-लिखा व्यक्ति या महिला नहीं है तो पास के गांव का हो, जो रोज नियमित बिना किसी बाधा के पास के गांव में जा सके। शिक्षाकर्मी का चुनाव भी गांव वालों के ऊपर था कि वह ऐसा व्यक्ति चुनें जिस पर उन्हें पूरा भरोसा हो तथा वह योग्य हो। इस काम में तभासं के कार्यकर्ताओं को नियुक्ति में तीन माह का समय लगा जिसमें 60 युवक-युवतियों को चुना गया था। शिक्षाकर्मी बोर्ड के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर गांव वालों के साथ चयनित व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जिनमें से 30 शिक्षाकर्मियों को चुना। इसी प्रकार बीकानेर और पाली में चुना गया था। तीनों जगह के चुने गए शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण स्थल तरुण भारत संघ परिसर में करना तय किया हुआ।

15 अप्रैल, 1990 से सभी शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ, प्रशिक्षण के लिए सन्दर्भ संस्था संधान जयपुर थी। उसी के अनुभवी प्रशिक्षक थे। अलग-अलग विषया का समयबद्ध प्रशिक्षण देते थे। एक माह प्रशिक्षण चला। प्रशिक्षणार्थी अपने गांव को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे थे। एक माह के प्रशिक्षण के बाद वह अपने

गांव को जाने लगे क्योंकि अब इन्हें जुलाई से अपने-अपने गांव में शिक्षण कार्य आरम्भ करना था। इसलिए तरुण भारत संघ ने उसी दिन आवश्यक शिक्षण सामग्री के साथ अपने क्षेत्र के सभी शिक्षाकर्मियों को विदा किया। शिक्षाकर्मियों ने जुलाई के डेढ़ महीनें में बच्चों की शिक्षा के लिए गांव वालों के साथ बातचीत की, बच्चों के बैठने के लिए जगह को चुना। घर-घर जाकर बच्चों की सूची बनाई और अपनी छात्र-पंजिका में दर्ज किया।

शिक्षा सत्र के पहले दिन 1 जुलाई से उन्होंने बच्चों के शिक्षण का कार्य आरम्भ कर दिया। जिन गांवों में शिक्षाकर्मी परियोजना शुरू की गई, उन गांवों में आज 1 जुलाई का दिन जश्न का दिन था। नई उमंग व नया सवेरा था, नई आशाओं से भरा दिन था। आज उनके अपने ही गांव में ज्ञानदीप प्रज्जवलित हो रहा था। महिलायें भी मंगल-गीत गा रही थीं जबकि अधिकतर महिलायें अशिक्षित थीं। फिर भी वह सरस्वती देवी और गणेश जी के मंगलाचार गा-गा कर शिक्षा का अभिवादन कर रही थी। ढाणी गांव गुवाड़ों जहां आज शिक्षाकर्मी योजना को क्रियान्वित स्वरूप किया जा रहा था, वहां के वातावरण में सचमुच सरस्वती का वास था।

शिक्षाकर्मियों ने अपने-अपने गांवों में शिक्षा का बिगुल बजा कर बच्चों में ज्ञान बांटना आरम्भ किया। गांव वाले भी अपने भविष्य के प्रति निश्चिन्त दिखाई दे रहे थे। बच्चे भी नियमित स्कूल में आते थे, जो युवा शिक्षाकर्मी परियोजना में नियुक्त हुए थे। वे भी प्रसन्नचित थे, उन्हें अपने ही गांव में सम्मानजनक कार्य मिला है।

शिक्षाकर्मी योजना थानागाजी के 30 गांवों में, गांव के लोगों की सहमति से, शिक्षाकर्मी बोर्ड व तरुण भारत संघ के प्रयासों से शुरू हो गई थी। इस प्रकार से शिक्षा विकास का कार्य यहां के जन प्रतिनिधि की आंखों में किरकिरी बनकर रह गया।

जुलाई के अन्तिम सप्ताह में राजस्थान के तत्कालीन मुख्य सचिव मीठा लाल मेहता जो उस समय शिक्षा सचिव थे। साथ ही शिक्षाकर्मी बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, वे तरुण भारत संघ के परिसर में आए। शिक्षाकर्मियों के साथ पूरा दिन उनके केन्द्रों का अवलोकन भी किया। तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों से शिक्षा विकास के लिए लम्बी चर्चा की। वे थानागाजी में शिक्षाकर्मी योजना से सन्तुष्ट थे और नए केन्द्र खोलने पर भी चर्चायें हुईं। परन्तु थानागाजी की राजनीति की मंशा कुछ और ही थी। असल में शिक्षाकर्मी ने बोर्ड ने राजनैतिक लोगों को दूर ही रखा गया था।

बोर्ड के अधिकारियों ने जिस क्षेत्र का चयन किया, उसमें गांव की जरूरत को ध्यान में रख कर स्वयं जाकर गांव-गांव का अवलोकन किया। इस प्रकार की चयन प्रक्रिया यहां के राजनैतिक जन प्रतिनिधियों का ही काम माना जाता है। इसे दूसरा क्यों करे? वह भी उनको बगैर जानकारी दिए हुए। लेकिन शिक्षाकर्मी योजना थानागाजी

के 30 गांवों में, गांव के लोगों की सहमति से, शिक्षाकर्मी बोर्ड व तरुण भारत संघ के प्रयासों से शुरू हो गई थी।

इस प्रकार से शिक्षा विकास का कार्य यहां के जन प्रतिनिधि की आंखों में किरकिरी बनकर रह गया। जबकि जन प्रतिनिधि राजस्थान सरकार के विभिन्न उच्च पदों का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। वे स्वयं आई.ए.एस. थे। अब वे थानागाजी में भाजपा के जनप्रतिनिधि के रूप में थे। उनका नाम क्षेत्र में सुविख्यात था। अब उन्होंने सरकारी सेवाओं से कार्यमुक्त होने के बाद राजनीति में कदम रखा था।

"गांव वाले भी अपने भविष्य के प्रति निश्चिन्त दिखाई दे रहे थे। बच्चे भी नियमित स्कूल में आते थे, जो युवा शिक्षाकर्मी परियोजना में नियुक्त हुए थे। वे भी प्रसन्नचित थे, उन्हें अपने ही गांव में सम्मानजनक कार्य मिला है।"

शिक्षाकर्मी अपने-अपने गांव में शिक्षण कार्य कर रहे थे। थानागाजी की राजनीति अपना खेल-खेल रही थी। विकास की गंगा बहाने वाले राजनेता के कार्यक्षेत्र में दूसरे लोगों द्वारा दखल देना कैसे सुहा सकता है? यह उनके कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण होता है। शिक्षाकर्मी योजना को थानागाजी के तत्कालीन विधायक रमाकान्त शर्मा ने अपने कार्यक्षेत्र में शिक्षा विकास के कार्यों में शिक्षाकर्मी बोर्ड व तरुण भारत संघ के द्वारा अतिक्रमण माना। अब विधायक जी किसी न किसी प्रकार से शिक्षाकर्मी योजना को बन्द कराने की जुगत में लग गए।

जनवरी से जुलाई तक चली प्रक्रिया में शिक्षाकर्मी योजना को रूप दिया गया था जिसमें गांव का अवलोकन, शिक्षाकर्मियों का चयन व उनके शिक्षण-प्रशिक्षण का काम हुआ। कुछ गांवों में स्कूल शुरू भी हो गए। बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। सभी की अपनी-अपनी आशायें पूरी हो रही थीं परन्तु विकास के कर्ताधर्ता विधायक महोदय शिक्षाकर्मी योजना को थानागाजी में बन्द कराने के कार्य में जुटे हुए थे। उनके अथक प्रयासों से दो महीने में ही शिक्षाकर्मी योजना बन्द हो गई। तब जाकर उन्होंने ठण्डी सासें ली और सार्वजनिक रूप से कहा कि अब तक के मेरे प्रशासनिक व राजनैतिक काल में ऐसा कार्य था जिसमें मुझे सबसे अधिक परेशानी हुई है। वे शिक्षाकर्मी योजना को बन्द कराकर पूर्ण सन्तुष्ट दिखाई दिए। दूसरी ओर जिन गांवों में ज्ञानदीप जला था, वह अचानक बुझ गया।

40 वर्षों की आजादी के बाद तो एक शिक्षा योजना गांव में आयी थी। वह भी गर्भस्थ शिशु की तरह ही सुख-दुख की अनुभूति देकर क्षरित हो गया। बच्चों का भविष्य, युवाओं को रोजगार, ग्रामवासियों की आशाओं पर एक साथ कुठाराघात हुआ। किसी को अच्छा नहीं लगा परन्तु यह अब राजनैतिक गोटी बन कर रह गया।

4

जंगल संरक्षण यज्ञ में संकल्पबद्ध राजेन्द्र सिंह सरिस्का के जंगल की आवाज को भूल नहीं पाए थे और न ही चैन से बैठे रहे। 9 महीने का समय बीत चुका था।

इन बीते 9 महीनों में सरिस्का क्षेत्र में चलने वाली खानों से सम्बन्धित सभी दस्तावेज तैयार थे। वन विभाग की भूमि के साथ किए जा रहे "बलात्" में सभी डूब चुके थे। सर्वे के दौरान बड़े-बड़े खान माफिया तो थे ही। हमारे राजनेता और अधिकारीगण भी पीछे नहीं थे। इन तीनों की तिकड़ी से व्यर्थ टकराना साक्षात् मौत को आमंत्रण देना था। ऐसी परिस्थितियों में तभासं के कार्यकर्ताओं में भी द्वन्द्व था कि क्या यह कार्य संस्था के लिए करने योग्य है या नहीं? संस्था को कैसे कार्य करने चाहिए? खान कार्य सरकार के कार्य हैं? उसकी भूमि है? वह खान चलाए या जंगल लगाये या वह जाने? परन्तु संस्था का इस प्रकार के कार्य में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है क्योंकि खनन से लाभान्वित लोग कुछ भी कर सकते हैं। मन में एक डर था।

"संकल्पबद्धता मनुष्य को अपूर्व क्षमतावान बना देती है। साहस, उत्साह, संघर्ष से परिपूर्ण करती है। इसकी सत्यता जंगल संरक्षण कार्य करते-करते महसूस होती थी। सरिस्का के संरक्षित क्षेत्र को लेकर व खनन से होने वाले नफा-नुकसान का आकलन कर कुछ कानूनविदों से सम्पर्क किया।"

संकल्पबद्धता मनुष्य को अपूर्व क्षमतावान बना देती है। साहस, उत्साह, संघर्ष से परिपूर्ण करती है। इसकी सत्यता जंगल संरक्षण कार्य करते-करते महसूस होती थी। सरिस्का के संरक्षित क्षेत्र को लेकर व खनन से होने वाले नफा-नुकसान का आकलन कर कुछ कानूनविदों से सम्पर्क किया। उनके साथ सलाह-मशविरा कर सभी दस्तावेजों को संकलित कर सरिस्का क्षेत्र के विषय में गहराई से जानकारी की। इसके लिए दिल्ली के क्षत्रपति सिंह ने भी कानूनी सलाह दी। न्यायालय में कैसे जायें? संस्था के पास इतने साधन भी नहीं थे कि वह उच्चतम न्यायालय की एक पेशी के लिए भी अपने वकील की फीस दे सके।

संकल्पबद्धता और कार्य में लगना कुछ न कुछ राह निकाल ही देता है। राजेन्द्र सिंह को इस कार्य में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रेम भाई के सान्निध्य में राजीव धवन जैसे विधिवेत्ता का सहयोग मिला। राजीव धवन उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने बिना एक पैसा लिए तरुण भारत संघ की ओर से सरिस्का वन क्षेत्र की भूमि को

खनन माफिया से छुड़ाने के लिए पैरवी की और अक्टूबर 1990 में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने सम्बन्धित विभागों और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया जिससे राजनेता, प्रशासनिक तंत्र और खनन माफिया बौखला उठे।

राजस्थान में राजनीति, प्रशासन और खनन माफिया की सक्रियता बेजोड़ थी। तीनों के मिले-जुले कुचक्र-षड्यन्त्र से संस्था के पदाधिकारी-कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा। खनन माफिया ने तरुण भारत संघ के प्रति गांव स्तर पर लोगों को भ्रमित किया। इसके कार्यकर्ता रास्ते में, गांव में, जहां भी दिखाई देते, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार खान मजदूर व खान माफिया के लोग करते थे। प्रशासनिक स्तर पर सरिस्का से सम्बन्धित वास्तविक नक्शे व वन्यजीव संरक्षण के विषय में बने देशव्यापी कानून-कायदे को अपने तरीके से प्रस्तुत किया जाने लगा।

तरुण भारत संघ के उठाये गए कदम के कारण राजनैतिक लोग राज्य के विकास में बाधायें समझने लगे। अपने-अपने तरीके से खनन क्षेत्र में दुष्प्रचार करते थे। सरिस्का की अवैध खानों का उच्चतम न्यायालय में जाना और उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार खनन कार्य अवरुद्ध होना; राज्य सरकार को अच्छा नहीं लगा। खनन माफिया, प्रशासनिक तंत्र, राजनैतिक सक्रियता के कारण संस्था के कार्यकर्ताओं को कार्य करने में तरह-तरह की बाधायें हो रही थीं।

खनन में लगे मजदूरों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। उनमें दमा, क्षय रोग जैसी घातक बीमारी बढ़ रही थी जिससे खनन क्षेत्र के गांवों में अकाल मृत्यु और जानलेवा बीमारियों से ग्रसित एक समुदाय बन गया था। लेकिन यह सब चन्द रुपयों के लालच में खनन मजदूर बने समाज को दिखाई नहीं दे रहा था। वह सफेद पत्थर की खुदाई में स्वयं सफेद होता जा रहा था। जो चार पैसे आ रहे थे, दवा-दारू में जा रहे थे। न तो वह अपनी रक्षा कर पा रहा था और न ही पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ रहा था। फिर भी सफेद संगमरमर की खानों के नीचे और नीचे उतरना ही उनकी नियति बन गई थी। ऐसे में अन्य व्यक्ति की समझ भी उसे कैसे अच्छी लगती? संस्था के लोगों ने सर्वे द्वारा इस बात को समझा कि यह सब चलता ही रहेगा। फिर भी मानव धर्म कहता है कि पीड़ित व्यक्ति व समाज की सेवा ही सच्ची सेवा है। इस कार्य में भी बहुत सी बाधाएं आयेंगी, फिर भी हमें कुछ करना चाहिए।

"चन्द रुपयों के लालच में खनन मजदूर बने समाज को दिखाई नहीं देता। वह सफेद पत्थर की खुदाई में स्वयं सफेद होता जा रहा था तथा जो चार पैसे आ रहे थे, दवा दारू में जा रहे थे।"

तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, दिल्ली से भी सम्पर्क किया। उसकी ग्रामीण क्षेत्र

में दिशा-निर्देशिका को समझा तथा योजना की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुरूप अपने कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार एक योजना बनाई। उसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली को दी। वहां से जून 1990 में विशेषज्ञों की टीम आई, तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र को अपने दृष्टिकोण से देखा, समझा, कुछ सुझाव दिए और उसके अनुसार उन्होंने परियोजना तैयार की जिसे जुलाई 1990 से क्रियान्वित किया गया। खनन क्षेत्र के 60 गांवों को लिया गया था जिससे बीमार व्यक्तियों को समय पर उपचार व उचित सलाह दी जा सके।

परियोजना में मरीजों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल भी बनवाए गए जिसके लिए संस्था ने भीकमपुरा में भवन बनवाया और माण्डलवास गांव में पंचायतघर गांव वालों ने दिया। स्वास्थ्य कार्य को विधिवत् रूप से बसन्त पंचमी 1991 में शुरू किया गया था। एम.बी.बी.एस. डॉक्टर व नर्स आदि की नियुक्ति की गई। एक्सरे आदि सुविधाओं से परिपूर्ण स्वास्थ्य सेवायें यहां के समाज को मुहैय्या कराई गई। सेवा को केन्द्र में रखा गया जिससे सफेद मार्बल में सफेद होते आदमी की जीवन रक्षा हो सके।

तरुण भारत संघ

सातवां कदम

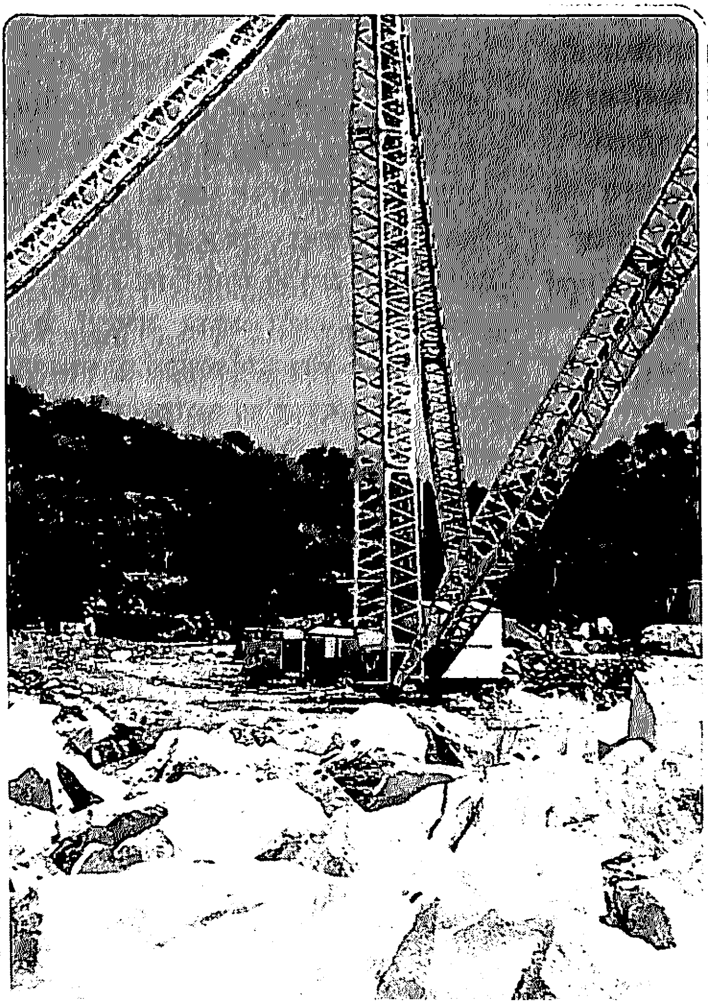

1

1991 सरिस्का, अवैध खनन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका के तथ्यों की सत्यता को जानने-समझने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री जैन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करनी पड़ी। इस कमेटी में पर्यावरणविद् अनिल अग्रवाल, सर्वेऑफ इण्डिया विभाग के अधिकारी, वन्यजीव अभयारण्य के उच्च अधिकारी, जिलाधीश अलवर, राजस्थान खनन और रेवेन्यू विभाग के अधिकारी, जंगलात विभाग के अधिकारी आदि को शामिल किया गया था।

''याचिका स्वीकार होने की खबर समाचार-पत्रों के माध्यम से जैसे ही सार्वजनिक हुई थी, उसी दिन से खान मालिक और खनन मजदूरों ने संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ खनन क्षेत्र के गांव में व राह चलते हुए अभद्रतापूर्ण व्यवहार, गाली-गलौज, मारने-पीटने की धमकियां देनी शुरू कर दी।''

उच्च स्तरीय कमेटी गठित होने के बाद उसे सरिस्का की अवैध खानों के अवलोकनार्थ आना था। खान माफिया के लोग तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर उस दिन से ही खफा थे, जब से सर्वोच्च न्यायालय ने तरुण भारत संघ की याचिका को स्वीकार किया था। याचिका स्वीकार होने की खबर समाचार पत्रों के माध्यम से जैसे ही सार्वजनिक हुई थी, उसी दिन से खान मालिक और खनन मजदूरों ने संस्था के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ खनन क्षेत्र के गांव में व राह चलते हुए अभद्रतापूर्ण व्यवहार, गाली-गलौज, मारने-पीटने की धमकियां देनी शुरू कर दी।

कार्यकर्ताओं का रोज खनन क्षेत्र के गांवों में आना-जाना बना रहता था। कभी किसी से तू-तू-मैं-मैं भी नहीं होती थी। एक-दूसरे को खूब अच्छी तरह से जानते थे। मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं था। लेकिन अब खान मालिक से ज्यादा खान मजदूर परेशान करने लगे थे। वे कहीं तक भी गिर सकते थे। उनके साथ चुप रहना और जो कुछ वह कह रहे होते, उसे सुनने के अलावा संस्था के कार्यकर्ताओं के पास और कोई उपाय भी नहीं था। यही सबसे अच्छा और धारदार हथियार था कि उनकी बातों को हंसते-हंसते सुनते और अपने काम पर चलते बनते। कार्यकर्ताओं का एक प्रकार से यही उपाय, अमोघ अस्त्र था।

संस्था के कार्यकर्ता इसी क्षेत्र के थे। खान में काम करने वाले मजदूर अधिकतर बाहर के थे। लेकिन अब तो वे भी यहीं के थे। यहां का बनने में ही फायदा भी उन्हें दिख रहा था। क्षेत्रीय मजदूरों के सहारे गांव के लोगों का उन्हें सहयोग मिलने की पूरी-पूरी संभावना थी। इसलिए क्षेत्रीय मजदूरों के कंधों पर बन्दूकें रख कर खनन के विरोध में कार्य करने वालों के आगे खड़ा कर देते थे। पूरा दुश्मन-भाव मजदूरों में भरा था। वे हर समय मानो आग के अंगारे बने रहते। संस्था के कार्यकर्ता के मालूम होते ही भभक पड़ते थे। कभी-कभी तो वह हरे रंग वाले खादी के खेस और बगल में लटकते थैले को दूर से देख कर उत्तेजित हो उठते थे।

"खान में काम करने वाले मजदूर अधिकतर बाहर के थे। लेकिन अब तो वे भी यहीं के थे। यहां का बनने में ही फायदा भी उन्हें दिख रहा था। क्षेत्रीय मजदूरों के सहारे गांव के लोगों का उन्हें सहयोग मिलने की पूरी-पूरी संभावना थी। इसलिए क्षेत्रीय मजदूरों के कंधों पर बन्दूकें रख कर खनन के विरोध में कार्य करने वालों के आगे खड़ा कर देते थे।"

संस्था ने कार्यकर्ताओं को सर्दी से बचने के लिए हरे रंग के खेस दिए थे और कॉपी-किताब रखने के लिए लटकने वाले थैले दिए थे। अब वही संस्था के पहचान चिह्न बन गए थे जिसके कारण दूर से ही पहचान लिए जाते थे। लेकिन इनका लाभ भी था। ऐसे खेस संस्था ने क्षेत्र की ग्राम सभा सदस्यों के सम्मान के लिए भी दिए थे। जब भूलवश खनन के मजदूर दूर से रंग देख गाली-गलौज देना आरम्भ करते तो वह व्यक्ति एक बार रुकता, उससे गाली देने का कारण पूछता, इतने से ही गाली देने वाले के हावभाव बदल जाते, वह झेंप जाता। कहता अरे आप हैं क्या? मैंने तो संस्था वाला जाना था। संस्था का नाम सुनते ही व्यक्ति भी चकित भाव में पूछता कि भाई, संस्था के लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऐसी गाली देना ठीक नहीं है। उसे अपनी गलती का अहसास होता हो या न हो लेकिन संस्था और कार्यकर्ताओं को इतने से ही बहुत राहत मिल रही थी। इस प्रकार के व्यवहार से समाज में यह संदेश तो जा ही रहा था कि संस्था के लोगों को खनन मजदूरों से खतरा है।

ऐसे लोग जब भी कार्यकर्ताओं से मिलते तो सावधान करते कि अब देर-सबेर चलने का समय नहीं। अगर आसपास कभी रुकना हो तो अपने घर आ जाना, रूखी-सूखी रोटी तो मिल ही जायेगी। अपना बचाव अपने को ही करना पड़ता है। यहां न जाने कहां-कहां के लोग मजदूरी करने के लिए आये हुए हैं। किसी का कुछ भी पता नहीं है जबकि संस्था ने किसी भी खान मालिक के खिलाफ किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं की थी। याचिका में मुख्य पार्टी तो राजस्थान सरकार ही थी। उसकी गलत नीतियों के चलते हुए अवैध खानें चल रही थीं।

उन्हीं अवैध खानों को देखने-समझने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों को 26 नवम्बर 91 को सरिस्का के खनन क्षेत्र में आना था। जैसे ही कमेटी के आने की खबर अखबारों में आई तो कमेटी के सामने प्रदर्शन करने के लिए न जाने कहां-कहां से खान मालिक ट्रकों में मजदूरों को भर ले आए थे। पूरे राजस्थान के खान मालिक टहला में काले झंडे लिए हुए खड़े थे। मजदूरों के हाथ में बैनर और तख्तियां थीं जिन पर न जाने क्या-क्या लिखा था। मजदूर की रोटी मत छीनो, दस हजार मजदूरों के पेट पर लात मत मारो, रोजगार दो, खनन के दुश्मनों वापस जाओ। खान मालिक और मजदूरों का सबसे अधिक गुस्सा राजेन्द्र सिंह और तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं पर था। जोर-जोर से नाम लेकर न जाने कैसी भद्दी-भद्दी जुबान कह रहे थे।

"पूरे राजस्थान के खान मालिक टहला में काले झंडे लिए हुए खड़े थे। मजदूरों के हाथ में बैनर और तख्तियां थीं जिन पर न जाने क्या-क्या लिखा था। मजदूर की रोटी मत छीनो, दस हजार मजदूरों के पेट पर लात मत मारो, रोजगार दो, खनन के दुश्मनों वापस जाओ।"

टहला की सड़कों पर दस हजार खनन मजदूर और खनन वालों के वाहनों ने क्षेत्र में जाने के सभी रास्ते बन्द कर दिए थे। भीड़ को देख जांच कमेटी के लोग भी घबरा गए थे। तभी तो अलवर कलेक्टर ने राजेन्द्र सिंह को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा था। राजेन्द्र सिंह कलेक्टर की बात मानते हुए गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी बदली तो किसी खान मालिक ने राजेन्द्र सिंह को पहचान लिया था। बस फिर क्या था। उसने जोर-जोर से हल्ला मचा दिया कि राजेन्द्र इस गाड़ी में है। यह सुनते ही भीड़ का रोष अब सातवें आसमान पर था। फिर तो एक साथ सैकड़ों लोगों का झुण्ड भूखे भेड़िये की तरह एक साथ झपट पड़ा था। कलेक्टर की जिप्सी गाड़ी पर लगा कपड़ा पलक झपकते ही चीर-चीर हो गया था। राजेन्द्र सिंह को पकड़ कर लोग खींचने लगे थे। कोई हाथ खींच रहा था तो कोई पैर, कोई कुर्ते को ही पकड़े खींच रहा था तो किसी के हाथ कुर्ते से फटा एक चीर सा टुकड़ा ही लगा था। जिसके हाथ में डंडा था, वह उसे ही चला रहा था। लात, घूंसे, थप्पड़ों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। ऐसी स्थिति में राजेन्द्र सिंह तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। अतः उनमें उस समय जितनी भी शक्ति थी सबको केन्द्रित करते हुए जिप्सी की सीट के पाइप को पकड़ लिया था।

राजेन्द्र सिंह के साथ ही लक्ष्मण सिंह भी थे। उन्होंने भीड़ का हमला देखा तो अवाक् से रह गए थे। दूसरे ही क्षण बिना देर किए राजेन्द्र सिंह के ऊपर लेट गए और अपनी पूरी ताकत से राजेन्द्र सिंह को पकड़ लिया। अब राजेन्द्र सिंह में तीन गुनी ताकत हो गई थी। एक तो स्वयं की, दूसरे ऊपर लक्ष्मण सिंह का वजन और उनकी मजबूत पकड़।

इसके अलावा भीड़ के आक्रामक वार भी लक्ष्मण सिंह ने बांट लिए थे। जिप्सी में बैठे दो-एक सरकारी लोग भी अपने हाथों को इधर-उधर को घुमाने लगे थे। उससे भी राजेन्द्र सिंह को कुछ राहत मिली। भीड़ का हमला, हमला ही था। उसे उस समय केवल राजेन्द्र सिंह की जान चाहिए थी और कुछ नहीं। खैर! 'जा को राखे साईंया, मार सके ना कोय' वाली अपनी लोक कहावत यथार्थ दिखाई दे रही थी।

राजेन्द्र सिंह पर हमला हो चुका था। पूरा सरकारी लवाजमा भी वहीं था। जांच कमेटी के सदस्य भी वहीं थे। लेकिन सब भौंचक्के और अवाक् खड़े-खड़े देख रहे थे मानो एक साथ सब विवेकशून्य हो गए हों। इस सब में 10-15 मिनट लगे होंगे। एक ओर से आवाज आई - 'साहब ! कुछ करिये, भीड़ बेकाबू होती जा रही है।' यह शब्द जैसे ही अलवर कलेक्टर के कानों में पहुँचा तो तन्द्रा टूटी और सामने का दृश्य जैसे दिखाई दिया, अगले ही पल मुंह से निकल गया, 'हवाई फायर।'

बस ! पास खड़े सचेत अंगरक्षक ने खड़े-खड़े ही धांय-धांय-धांय की आवाज के साथ तीन हवाई फायर एक साथ कर दिए। हवाई फायर की आवाज जैसे ही हमलावर भीड़ के कानों से टकराई। एक-दूसरे पर गिरते पड़ते भागने लगे थे। इसी भाग-दौड़ में कमेटी के एक सदस्य ने बाघ की फुर्ती से अपनी पूरी ताकत के साथ एक हमलावर को दबोच लिया था। पकड़े गये व्यक्ति के बारे में जानकारी करने पर मालूम हुआ कि वह बड़ी खान का मालिक है। नाम अशोक अग्रवाल है। उसे हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाया। अब सड़क पर जगह थी। कमेटी के सदस्यों की गाड़ियों का काफिला बढ़ने लगा था। उनके पीछे-पीछे खान मालिकों की रंग -बिरंगी गाड़ियां थी और मजदूरों से भरे ट्रक।

उच्चतम न्यायालय की जांच कमेटी ने सरिस्का के नक्शे को लेकर सभी सम्बन्धित अधिकारियों के सामने सीमा चिह्नों को देखा, चिह्नित किया। खड़े-खड़े भी दूर तक के क्षेत्र की जानकारी ली। चार-पांच घंटे का समय टहला क्षेत्र की खानों में लगा था। उसके बाद झीरी गांव में चलने वाली खानों को देखा। बाकी सब खानों का भी अवलोकन किया। उसके बाद प्रतापगढ़ से होते हुए अलवर, जयपुर और दिल्ली जाने वाले सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों को चले गए। खान मालिक और मजदूर भी अपने-अपने घर चले गए थे।

राजेन्द्र सिंह, लक्ष्मण सिंह और साथी एक साथ दिन ढले ही लौटे थे। आश्रम में अंधेरा था। सब सहमे से और डरे से थे। मैं पूरे चिन्तित भाव लिए बेचैन था कि आज कमेटी क्या करके जायेगी? सब साथियों के आने पर खुशी हुई लेकिन अगले ही क्षण उनके चेहरे के भाव देख एक कौतूहल सा हुआ। राजेन्द्र सिंह ने आते ही पूछा, सब ठीक है। यहां कोई आया तो नहीं था। ऐसा कहते-कहते ऊपरी मंजिल पर जा पहुंचे थे। चौंकने हो इधर-उधर देख रहे थे। मन में कुछ भय था फिर भी मुझे बता नहीं पाए थे। मेरे पूछने पर

भी कहा, कुछ नहीं, सब बढ़िया हो गया। रात्रि में लक्ष्मण सिंह के साथ बातचीत होने पर हकीकत मालूम हुई।

रात्रि में काफी देर गए राजगढ़ के डी.एस.पी. तरुण भारत संघ आए थे। उन्होंने राजेन्द्र सिंह से खान मालिकों और अशोक अग्रवाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा लेकिन राजेन्द्र सिंह ने किसी भी खान मालिक और मजदूर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया। राजेन्द्र सिंह ने डी.एस.पी से कहा कि आप अपने स्तर से जो उचित लगे, करें। मैं अकेला तो था नहीं, वहां सभी प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में अगर ऐसा होता है तो आम आदमी के साथ कैसा होता होगा ? इससे ही आप अन्दाज लगा सकते हैं। डी.एस.पी. साहब ने अपने स्तर से आश्वासन दिया कि हम तो अपनी कार्यवाही करेंगे ही लेकिन आपकी ओर से रिपोर्ट होती तो अच्छा रहता और रात्रि में ही राजगढ़ चले गए।

खान मालिक अशोक अग्रवाल को दंगा-फसाद करने व भीड़ को भड़काने और लोगों को बरगलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे अलवर जेल भेज दिया गया था। दिल्ली से आई जांच कमेटी के सदस्यों ने भी अवैध खान जांच में बाधा पहुंचाने का कार्य मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने भविष्य के लिए खान मालिकों को पाबन्द करने के लिए कहा। तरुण भारत संघ की ओर से संस्था के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला मानते हुए उच्चतम न्यायालयं में एक याचिका दायर की गई थी। उसके आधार पर अशोक अग्रवाल के नाम न्यायालय से सम्मन जारी हुआ, केस चला। अशोक अग्रवाल को सात दिन की सजा और एक हजार जुर्माना हुआ। भीड़ का हमला, हवाई फायर, अशोक का गिरफ्तार होना, उच्चतम न्यायालय के द्वारा सजा-जुर्माना और भविष्य के लिए पाबन्द करना, अपने आप में सभी खान मालिकों और खनन मजदूरों को एक बड़ा सबक था।

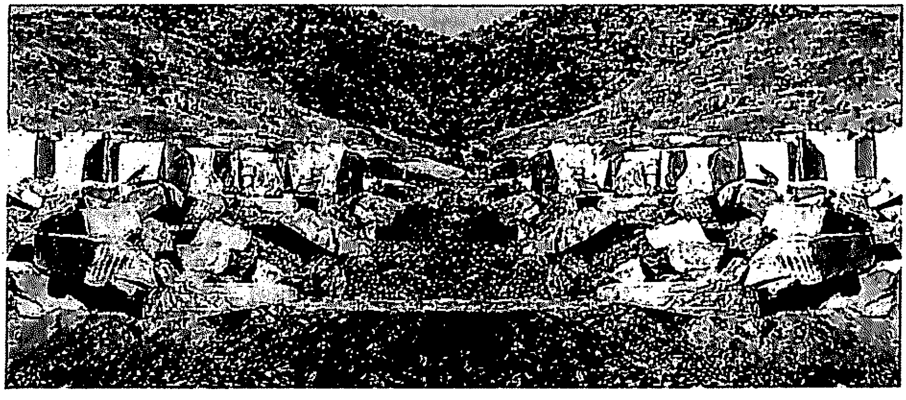

2

जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया सरिस्का के संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि में चलने वाली 209 अवैध खानों को तुरन्त बंद कराने के आदेश जारी किए गए। आदेश की पालना के लिए राजस्थान सरकार को पाबन्द किया गया था। साथ ही आदेश के अनुसार की गई कार्यवाही से भी अवगत कराने के लिए कहा गया। आदेशों की खबर अखबारों के माध्यम से खनन क्षेत्र के गांवों में गई तो ग्रामीणों की मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। अब पहले जैसा रोष नहीं था। खानों में काम करने वाले मजदूरों की जुबान बन्द थी। खनन से सम्बन्धित लोगों में रोष होने पर भी संस्था के कार्यकर्ताओं का खुल कर विरोध करने के भाव अब उनके चेहरों पर नहीं दिखाई देते थे। कभी-कभार ही किसी आदमी से वाद-विवाद हो जाता था।

सरिस्का में खान बन्द के आदेश ने खनन क्षेत्र के लोगों को संगठित होने के लिए मजबूर कर दिया था। खानों से प्रभावित तो सभी थे, लेकिन रोजगार के नाम से सब चुप थे। गांव का आदमी सब कुछ जानते हुए भी बोल नहीं पाता था क्योंकि खानों के रोजगार के मोह ने अपनों को अपनों से ही अलग कर दिया था। लेकिन अब वह बात नहीं थी। गांव का आदमी जो जानता था, उसे दूसरे लोगों को भी बताने का प्रयास करता। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। इनको तलाशने के लिए किसी भी कार्यकर्ता को कहीं जाना नहीं था। पहले पहल तिलवाड़ी के छोटेलाल मीणा ने संस्था में आकर खानों के दुष्प्रभाव से अवगत कराया था। उससे पहले तो राजेन्द्र सिंह ही क्या, सब कोई खानों को इस क्षेत्र के लिए वरदान मान रहे थे।

वरदान तो वरदान ही होते हैं। वे अच्छा-बुरा नहीं देखते चाहे परिणाम कुछ भी आए। भगवान शिव को लें, उन्होंने भस्मासुर की भक्ति के वशीभूत होकर वरदान दिया था लेकिन परिणाम में उन्हें क्या मिला? अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया था। वही हाल सरिस्का खनन क्षेत्र के वासियों का था।

खनन रोजगार गांव में आता देख ग्रामवासियों में भी एक प्रकार की खुशी तो थी। गांव के लोग भी अपने

"वरदान तो वरदान ही होते हैं। वे अच्छा-बुरा नहीं देखते चाहे परिणाम कुछ भी आए। भगवान शिव को लें, उन्होंने भस्मासुर की भक्ति के वशीभूत होकर वरदान दिया था लेकिन परिणाम में उन्हें क्या मिला? अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया था। वही हाल सरिस्का खनन क्षेत्र के वासियों का था।"

स्वरोजगार छोड़ अब खानों के मजदूर बन गए थे। खानों में काम करना रास आने लगा था। गांव के मजदूर को खान से दिहाड़ी मिलती। उससे वह सबसे पहले अपने ही लिए दवा-दारू लाता, उसके बाद और कुछ रोजमर्रा का सामान। खनन कार्य में लगे मजदूर को असमय ही प्राणघातक बीमारी आ घेरती। जब तक उसके प्राण न ले लेती, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती।

इसी के साथ बाहर से आए मजदूरों से होने वाली समस्या भी कम न थी। उनकी नजरों में गांव की बहिन-बेटी एक वासना की वस्तु के रूप में ही दिखती थी। पूरे खनन क्षेत्र में आए दिन कोई न कोई बहिन-बेटी उनकी वासना का शिकार होती। गांव का आदमी अपनी इज्जत-आबरू की वजह से किसी से कुछ भी नहीं कह पाता था। उसकी हालत उस समय और भी दयनीय होती, जब उसकी बहिन-बेटी के गर्भ ठहर जाता। खनन क्षेत्र में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से छोटे लाल जैसे लोग चिन्तित और परेशान तो बहुत होते थे परन्तु किसी से कह नहीं पाते थे। सुनने वाला ही कौन था? वह दिन में अपनी व अपने पशुओं की जान बचाने की जुगत में ही रहते। अब गांव में समय का खुलापन नहीं था। स्वत: ही गांव के सब लोग समय के पाबन्द हो गए थे, क्योंकि गांव में अब खान जो चलने लगी थी। खानों के चलने से गांव को चाहे कुछ मिला हो या न मिला हो, समय की पाबन्दी जरूर मिल रही थी।

गांव के लोग समय से बाहर आते-जाते थे। खेतों पर काम करते थे। पशुओं को चारा-पानी करते थे। सब कुछ समय से था। इसमें जरा सी भी लापरवाही घर के किसी भी सदस्य को बर्दाश्त नहीं थी। अगर किसी कारण से चूक हो जाती तो घर में एक प्रकार से चिन्ता भाव नजर आते थे। ऐसा इसलिए था कि गांव में चलने वाली खानों का समय तय था। उसी समय खानों में खनन कार्य के लिए पत्थर तोड़े जाते थे। पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग करना होता था। दिन में तीन बार सुबह, दोपहर, शाम को ब्लास्टिंग किया जाता था। ब्लास्टिंग से दूर-दूर तक बड़े पत्थर उछलते। अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो बचना मुश्किल था। आरम्भ में तो समय की जानकारी के अभाव में भारी जोखिम उठाना पड़ा था। कई पशुओं को चोटें आई और भेड़-बकरी की न जाने कितनी जानें गई थीं। खनन क्षेत्र के सभी गांवों में सैकड़ों महिला-पुरुष विकलांग हो गए थे। खान वालों से अगर कोई कहता भी तो उसे एक ही जवाब मिलता। हमारा ब्लास्टिंग का समय निश्चित है। आपको भी उसी के अनुसार अपने काम करने होंगे। आपकी छोटी-छोटी बातों के लिए हम अपना काम बन्द नहीं कर सकते।

"गांव ने सदियों-सदियों से समय को कब देखा था। उसका समय सूरज था। भोर होने से सूरज छिपने तक जिन्दगी के काम-काज का वक्त था और भोर होने तक शरीर को आराम देने का समय।"

आपके काम का तो कोई समय नहीं है। हमें तो निश्चित समय में ही काम करना है। बात भी सही थी। गांव ने सदियों-सदियों से समय को कब देखा था? उसका समय सूरज था। भोर होने से सूरज छिपने तक जिन्दगी के काम-काज का वक्त था और भोर होने तक थके शरीर को आराम देने का समय।

अब गांव का समय बदल गया था। अब उन्हें अपने बचाव के लिए घड़ी की टिक-टिक सी होती आवाज के साथ घूमती सुई की नोंक के साथ अपना समय तय करना ही नियति बन गयी थी। वरना अब कोई पूछने वाला भी नहीं था कि क्या हुआ? कैसे हुआ? खान मालिकों का तो वही जवाब था कि इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो समय से अपना काम करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? बात भी सही थी, खान वाले क्यों झंझट में पड़ें? इतने बीहड़ इलाके में, शहरों के ऐशोआराम को छोड़कर, यहां कमाने के लिए आए हैं कि लुटाने के लिए? गांव वाले समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो मरेंगे ही। हम तो फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। गांव वाले तो बहुत दूर हैं, हम तो खान में मरने वाले मजदूर को भी पैसा नहीं देते। हमें काम से मतलब है। मजदूर को जो मजदूरी देनी है, देते हैं। जिन्दा रहना या मरना उसका काम है। ऐसे भाव थे सरिस्का खान मालिकों के गांव व मजदूर के प्रति।

जिसमें आदमी की जिन्दगी पशुओं की जिन्दगी से भी बदतर थी। पशु! पशु तो न जाने कितने मरते थे। उनकी गिनती थोड़े ही होती थी। पशु चाहे जंगली हो या पालतू आखिर हैं तो पशु ही, आदमी तो नहीं। जब आदमी को ही हम कुछ नहीं समझते तो पशुओं की क्यों चिन्ता करें? उनके पीछे-पीछे डंडा लेकर तो दौड़ेंगे नहीं। अगर रात को खान में फिसलकर मर जाते हैं। इसमें हमारा क्या दोष? हमने सरकार से पट्टा लिया है। तभी खान चलाई है।

हमारे पास नक्शा सहित पूरे कागजात हैं। हमारी जमीन कहां तक है। हमें मालूम है। अगर उसमें पेड़-झाड़-झंकड़ हैं वो हमारे पास किस काम का, सब की सफाई करके हमें तो पत्थर निकालना है। चिड़ी-चुंगले तो न जाने कहां उड़ जाते हैं। खान के लिए ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, वह बहुत जरूरी है। उसके बिना तो पत्थर टूटने वाला नहीं।

मजबूरीवश अच्छी सीख में भी जिन्दगी बोझ बन जाती है। खानों के चलते घड़ी के अनुसार जिन्दगी जीना एक तरह से गांव के लिए बन्दिश ही थी। उनकी

"पशु! पशु तो न जाने कितने मरते थे। उनकी गिनती थोड़े ही होती थी। पशु चाहे जंगली हो या पालतू आखिर हैं तो पशु ही, आदमी तो नहीं। जब आदमी को ही हम कुछ नहीं समझते तो पशुओं की क्यों चिन्ता करें?"

ही भूल से पूरे क्षेत्र में हजारों खानें हो गई थीं। अब वही उनके लिए भस्मासुर बन गई थी। रोज किसी न किसी जीव की जान जाती ही थी।

आखिरकार इन परिस्थितियों को कौन कब तक सहन करता? कोई तो सीमा होनी ही थी। छोटेलाल मीणा को अपनी पीड़ा का दर्द बांटना जरूरी हो गया था। उसी के इलाज के लिए कहां जाएं, किस के पास जाएं, मालूम नहीं था। इसी तलाश में वह अपनी रिश्तेदारी में मांडलवास गया था। वहां के एकान्त में अपनी पीड़ाओं की पिटारी खोली तो मांडलवास के लोग भी सुनकर हतप्रभ रह गए थे। लेकिन उनकी ऐसी किसी से ज्यादा लम्बी पहुंच नहीं थी, जिससे कहने पर खान मालिकों के ऊपर दबाव बनाया जा सके। वैसे तो खान मालिक वही थे जिनके आगे आम आदमी हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाता था। उनके पास जाना भी बेकार ही था।

मांडलवास के लोग सबसे ज्यादा गांव के लिए कार्य करने में तरुण भारत संघ को ही अपना हितैषी मानते थे क्योंकि आजादी के चालीस साल में अगर वहां कोई कार्य हुआ तो संस्था ने ही किया था। उससे पहले किसी भी सरकार या गैर सरकारी संस्था ने नहीं किया था इसलिए हरल्या मीणा अपने ब्याई को साथ लेकर पहाड़ चढ़ कर भीकमपुरा पहुंचा था। वहीं से कड़ी से कड़ी जुड़ती गयी और उच्चतम न्यायालय के आदेश से दो सौ नौ मार्बल की खानें तुरन्त बन्द करने के आदेश भी उनके हाथ में थे। वैसे तो न्यायालय ने सरकार को पाबन्द किया था। गांव के लोग भी आगे आ रहे थे। छोटेलाल जैसे कर्मठ गांव-रक्षकों के हौसले बुलन्द होने लगे थे। अब वह चौराहों पर बैठ कर खानों के विरुद्ध खुल कर बोलने लगे थे। जब वह अपनी बात कहते तो चाहे खान मालिक हों या खान मजदूर, सबके सब कान दबाए चलते बनते थे।

3

टहला क्षेत्र के गांव-गांव में गांव बचाओ- खान बन्द करो। सरिस्का बचाओ- जमीन बचाओ। पेड़ लगाओ- पानी बचाओ। जैसे स्लोगन दीवारों पर लिखे जाने लगे थे। गांव के लोग भी अपने-अपने गांवों में संस्था के कार्यकर्ताओं को बुलाते। उनके साथ बातें करते कि आगे कैसे क्या करना है? सब रणनीति अपने-अपने गांव के स्तर पर गांव कमेटी में तय करते थे। अब गांव के लोग इतनी गोपनीयता से काम करते थे कि गांव में जो भी बात तय होती वह संस्था के कार्यकर्ता के अलावा किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं होती थी। तरुण भारत संघ में भी खान क्षेत्र के लोग आते थे और खान के सम्बन्ध में आगे की कार्ययोजना पर बातें करते थे। खान मजदूरों पर भी अब गांव का दबाव था इसलिए संस्था के लोगों को बुरा-भला भी नहीं कह सकते थे।

स्थिति को देखते हुए खनन क्षेत्र की जिम्मेदारी वहीं के ग्रामवासियों को दी गई, उसका नाम सरिस्का बचाओ आन्दोलन दिया गया जिसमें योजनाबद्ध कार्य

"गांव के गरीब से गरीब की पीड़ा थी, बहिन-बेटी की इज्जत, जल-जंगल-जमीन और जानवर की सुरक्षा। सारे आन्दोलन की रूपरेखा को ग्राम्य जीवन की खुशहाली के परिप्रेक्ष्य में देखा गया था।"

करने के लिए हर संभावनायें थीं। गांव के गरीब से गरीब की पीड़ा थी, बहिन-बेटी की इज्जत का सवाल था। नई पीढ़ी के लिए सपने थे। जल, जंगल, जमीन और जानवर थे। सारे आन्दोलन की रूपरेखा को ग्राम्य जीवन की खुशहाली के परिप्रेक्ष्य में देखा गया था। गांव और सरिस्का को एक रूप में देखना और ग्रामीणजन को प्रेरित करना, इस आन्दोलन का मुख्य कार्य था। सरिस्का बचाओ आन्दोलन के लिए टहला खनन क्षेत्र के लोगों की मल्लाना गांव में एक बड़ी आम सभा की गई जिसमें खनन के दुष्प्रभावों का खुलकर विरोध हुआ था। अब किसी का डर नहीं था। संजीदगी जरूर थी। घबराये हुए खान मालिक कुछ भी कर सकते हैं।

आम सभा में सरिस्का बचाओ आन्दोलन के संचालन के लिए संचालन मंडल बनाया गया जिसमें सर्वसम्मति से मल्लाना के पांचूराम मीणा को अध्यक्ष चुना गया था। महेश शर्मा को सचिव और गोपी कुमावत, जन्सी मीणा, रूपनारायण शर्मा, छोटेलाल मीणा आदि सदस्य थे। तरुण भारत संघ के लिए यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी।

4

सरिस्का क्षेत्र के ग्रामवासी खानों के जाल में फंस तो बुरी तरह गए थे। जाल में फंसने के कारण उन्होंने बहुत दुख भोगा था। उससे उनको जीवन के कटु अनुभव हुए थे, अपनी पीड़ा को जब वह किसी को बताते तो सुनने वाला चकित भाव से सुनता और सोचता कि सफेद पत्थर के पीछे कितना कालापन है? अब गांव के लोग खनन के जाल को अच्छी तरह जान गए थे। उसको तार-तार भी कर रहे थे।

"सरिस्का क्षेत्र के ग्रामवासी खानों के जाल में फंस तो बुरी तरह गए थे। जाल में फंसने के कारण बहुत दुख उन्होंने भोगा था, उससे उनको जीवन के कटु अनुभव हुए थे, जब वह अपनी पीड़ा किसी को बताते तो सुनने वाला भी चकित भाव से सुनता और सोचता कि सफेद पत्थर के पीछे कितना कालापन है?"

तरुण भारत संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुश थे कि अब गांव के लोग आगे हैं। उनकी अपनी समस्यायें हैं। वे अपनी समस्यायें अच्छी तरह जानते हैं और दूसरे लोगों को बताना भी जानते हैं क्योंकि वह स्वयं भुक्तभोगी हैं। अगर वहां के लोग अपनी समस्याओं को नहीं जानते और नहीं पहचानते तो क्या इतने अच्छे ढंग से कह पाते ? राजेन्द्र सिंह जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को अगुवाई के लिए प्रेरित करना, राजीव धवन जैसे अधिवक्ता द्वारा पैरवी करना और सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी बात पहुंचाना बड़ी बात है।

पैरवी के दौरान अपना पक्ष रखना, माननीय न्यायालय को सुनने-समझने के लिए एक तरह से मजबूर करना, गांव के गंवार आदमी को आता तो अच्छी तरह से है, लेकिन उसकी मजबूरी ही उसे लालच के जाल में फंसाती है। उसी में छटपटाता और दम तोड़ता है।

3 मार्च 1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिया गया था। आदेश में सरिस्का में चलने वाली खानों में से 450 को अवैध करार दिया गया। खानों को तुरन्त प्रभाव से बन्द करने के आदेश भी दे दिए थे। फिर भी दो दिन तक खानें बन्द नहीं हुई थी। 'सरिस्का बचाओ आन्दोलन' कार्यकर्ताओं के हाथ में अब देश के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। सरकार खान बन्द कराए या न कराए, उससे अब कोई मतलब नहीं था। इसलिए गांव वाले माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार स्वयं ही खान बन्द कराने में जुट गए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आन्दोलनकारियों में सक्रियता आना स्वाभाविक था। उन्होंने पूरे खनन क्षेत्र में 5 मार्च से खनन की सभी गतिविधियों को रुकवाने का ऐलान कर दिया। खनन क्षेत्र में जाने वाले मुख्य 5 गांवों के रास्तों पर पत्थरों की दीवारें बना दी गई जिससे एक भी मार्बल का भरा ट्रक न जाने पाये। उसके आगे आन्दोलनकारी अपने शामियाने आदि लगा कर अनशन पर बैठ गए। अनशन 25 मार्च तक चला। आखिर में सरकार को न्यायालय का निर्णय मानना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने तरुण भारत संघ की याचिका को तथ्यात्मक रूप से गंभीर माना। अपने आदेश में अलवर-राजस्थान की खानों के साथ हरियाणा, दिल्ली की खानें भी बन्द करने के लिए कहा। हरियाणा और दिल्ली की भी खानें बन्द हुई थीं।

सरिस्का आन्दोलन, देश दुनिया के लिए अपने में एक उदाहरण बन गया था। दुनिया में जितने भी प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें इस आन्दोलन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। तभी वह लाखों खर्च करके भारत आते थे। दिल्ली, मुम्बई होते हुए तरुण भारत संघ पहुंचते, वहां से सरिस्का के गांवों में जाते। गांव के लोगों से बातचीत करते, उनकी बोली की रिकॉर्डिंग करते और अपनी नोट-बुक में लिखते । दूर संचार माध्यम भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से सरिस्का संरक्षण आन्दोलनकारियों की रिपोर्ट आये दिन सचित्र प्रस्तुत करते थे।

जब रक्षक ही भक्षक हो जाता है, तो उससे बचने और बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसा ही सब सरिस्का के साथ हो रहा था। एक तरफ उसके संरक्षण पर सरकार करोड़ों का खर्च कर रही थी। दूसरी ओर जंगल की सीमा में खनन गतिविधियों को स्वयं बढ़ावा दे रही थी। गांव को भी लालच और मजबूरीवश शिकार बनना पड़ रहा था। उसी के चलते सरिस्का संरक्षण के लिए समाज की जिम्मेदारी की नौबत आ गई थी। सब तरफ से मजबूर होकर आखिर समाज ने उजड़ते सरिस्का को बचाने का भरसक प्रयास किया था

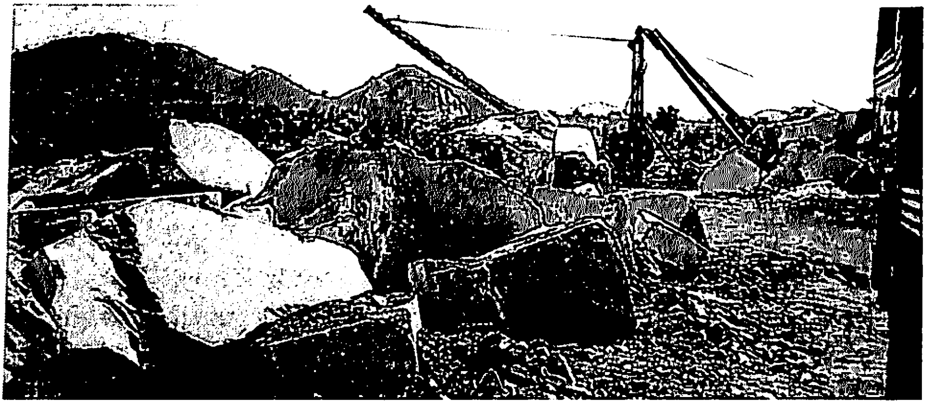

5

1991 का वर्ष रचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के संघर्ष में बीत रहा था। रचना में; ज़ल संरक्षण के कार्य गांव की जरूरत के अनुसार किए जा रहे थे। जहां का समाज अपने जीवन को और अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए कार्यरत था, वहां जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे थे। दूसरे, जिन गांवों में शिक्षा के कोई अवसर नहीं थे, वहां संस्था अपने स्तर से शिक्षण केन्द्र चला रही थी। तीसरे, जिन गांवों में किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधायें नहीं थीं, वहां स्वास्थ्य सेवायें दी जा रही थीं। चौथे, जागृति के कार्यक्रम भी सतत चल रहे थे। चाहे वह पर्यावरण के हों, बाल विकास या महिला जागृति के हों या फिर बाल विवाह या दारू-नुक्ता बन्द कराने को लेकर। समाज की समस्याओं को रचनात्मक तरीके से हल करने के उपाय किये जा रहे थे। पांचवां, खनन से सम्बन्धित संघर्ष था।

खनन कार्य में कार्यरत गांव का मजदूर-वर्ग खनन के पक्ष में था, वहीं गांव का किसान खनन से होने वाले दुष्प्रभावों से त्रस्त था इसलिए उसने संस्था के साथ मिलकर खनन गतिविधियों का विरोध किया। संस्था ने भी उन्हीं के कहने से खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। वरना संस्था भी 'जंगल संरक्षण यज्ञ' से पहले सरिस्का व झीरी क्षेत्र के खानों को विकास कार्य ही मान रही थी कि ये भी हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का एक सरल तरीका है। उसके दुष्प्रभावों का आकलन तब तक नहीं हुआ था। खैर! माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी सरिस्का वन क्षेत्र में सभी वैध-अवैध खनन गतिविधियों पर रोक से राज्य सरकार तिलमिला गई थी।

> **"खनन कार्य में कार्यरत गांव का मजदूर वर्ग खनन के पक्ष में था, गांव का किसान खनन से होने वाले दुष्प्रभावों से त्रस्त था इसलिए उसने संस्था के साथ मिलकर खनन गतिविधियों का विरोध किया।"**

जनवरी 1991 व मई 1991 : केन्द्रीय सरकार के अध्यादेशों से राज्य सरकार घेरे में आ गई। उस समय केन्द्र में नरसिम्हाराव की सरकार थी। उच्चतम न्यायालय का रुख देख केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी सक्रिय हो गया था। उसने भी अपने अधिकार क्षेत्र की समीक्षा और वन्यजीव अभयारण्यों के विषय में बने कानून-कायदे पूरे देश में त्वरित गति से लागू किये। इसका लाभ अनायास ही तरुण भारत संघ को मिला। तभासं के कार्यों को देश-हित में देखा जाने लगा। अब सरिस्का की गतिविधियाँ अखबार, रेडियो और

टी.वी. की मुख्य खबर बन गई थी। आये दिन कोई न कोई अखबार या टी.वी. चैनल वाला आता ही रहता था।

मीडिया वाले कार्यक्षेत्र में आते; खनन गतिविधियों को देखते। खान मजदूरों, मालिकों, गांव वालों से मिलते, जानकारी लेते। संस्था के कार्यकर्ताओं के विचारों को अखबार में छापते, जिससे खनन माफिया, प्रशासन, राजनेता तिलमिला जाते। कोई - कोई अखबार इनके पक्ष में भी छापता तो तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं पर प्रहार और तेज होने लगते। खनन माफिया हर हाल में खनन कार्य जारी रखना चाहते थे इसलिए वह पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। उस समय जो भी तरुण भारत संघ के विरुद्ध आवाज उठाता, देखते-देखते ही लाखों में खेलने लगता था। खान माफिया की फौज और पैसा उसके साथ होता था। उस समय सरकार भी उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई थी।

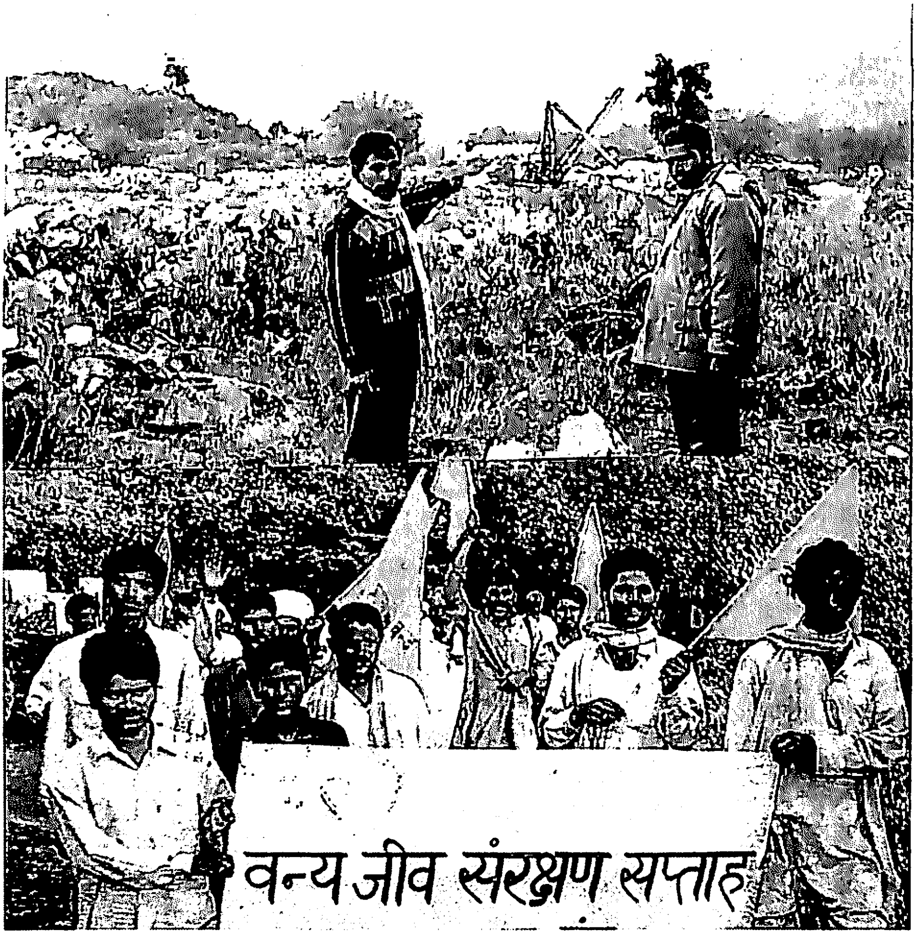

6

1991 के मानसून में विधानसभा का सत्र चल रहा था जिसमें तत्कालीन विधायक जगमाल यादव व रमाकान्त शर्मा ने खनन माफिया का पुरजोर समर्थन किया। तरुण भारत संघ पर न जाने कितने आरोप-प्रत्यारोप लगाए गये। पूरे विधानसभा सत्र में पक्ष-विपक्ष में एक भी नेता ऐसा नहीं था जो खनन कार्य का विरोध कर सके। जंगल व जंगली जीव का उनके जीवन में कोई अस्तित्व नहीं था। विकास के नाम पर लोगों को भ्रमित करना आज की राजनीति का पहला और अहम काम है इसलिए जनता की असली आवाज सुनाई नहीं देती। गरीबों की रोजी-रोटी का सवाल राजनीति के हथियार हैं। जब चाहो, जहाँ चाहो, चला दो और बस! उसका खेल देखो। यह सब सरिस्का के खनन क्षेत्र को लेकर विधानसभा में हो रहा था।

सभी राजनैतिक हस्तियों के तेवर चढ़े हुए थे कि एक संस्था की इतनी जुर्रत है कि हम से टकराये, हम देखते हैं। देखते ही देखते सर्वसम्मति से एक सर्वदलीय कमेटी गठित की गई जिसमें सभी दलों के सदस्य थे। यह कमेटी सर्वोच्च स्तर की कमेटी थी। उसके बाद 2009 तक ऐसी कमेटी नहीं बनी जिसको सर्वाधिकार प्राप्त हो। इस कमेटी का कार्य तरुण भारत संघ के क्रिया-कलापों को देखना-समझना था? कहां-कहां इसकी शाखायें हैं? कहां से कितना धन मिलता है? किन-किन गतिविधियों पर खर्च होता है? इसके कौन-कौन सदस्य हैं? कहां के हैं? कहां रहते हैं? क्या करते हैं? उनके सम्पर्क सूत्र क्या हैं? इसमें कार्य करने वाले कौन हैं? कैसे हैं? कैसे काम करते हैं? उनकी गतिविधियों पर नजर रखना आदि।

"विकास के नाम पर लोगों को भ्रमित करना, आज की राजनीति का पहला और अहम काम है। इसलिए जनता की असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। गरीबों की रोजी-रोटी का सवाल राजनीति का हथियार है। जब चाहो, जहां चाहो, चला दो और बस! उसका खेल देखो।"

सर्वसम्मति से विधानसभा ने जांच कमेटी गठित कर दी। उसने विभिन्न जांच एजेन्सियों को भी तुरन्त सूचित कर दिया। अब जांच एजेन्सी अपनी-अपनी तरह से तरुण भारत संघ की गतिविधियों को देखने-समझने लगी थी। कार्यक्षेत्र के गांव में, तरुण भारत संघ कार्यालय पर, पदाधिकारियों के घर पर, जानकारी के लिए अपनी-अपनी तरह से सवाल करते और जानकारी जुटाते। तरुण भारत संघ के लेखा-जोखा

सम्बन्धी जांच के लिए राजस्थान राज्य महालेखाकार, जयपुर कार्यालय से भी जांच दल आया। उन्होंने भी सभी अभिलेखों को खंगाला, देखा। जिन तर्कों के आधार पर कमेटी बनी थी उनमें से शून्य प्रतिशत भी कहीं किसी प्रकार का सत्य नहीं था। फिर भी जांच दलों को तो अपना-अपना कार्य करना था। इस प्रकार विधान सभा द्वारा गठित कमेटी की जांच 2 वर्ष तक जारी रही।

तरुण भारत संघ के क्रिया-कलापों व कार्यकर्ताओं के कार्य पर नजर रखना, जांच एजेन्सियों का मुख्य कार्य था। इन सबके बावजूद तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मनोबल कम नहीं था। जांच एजेन्सी के लोग व अखबार वाले जो भी जानकारी मांगते, हम देते। फिर भी मन में एक भय बना रहता था कि सरकार अपने हित के लिए इन जांच एजेन्सियों को पता नहीं कैसे इस्तेमाल करेगी? क्या इनकी जांच को स्वीकारेगी या पूर्वाग्रहों को लेकर संस्था व कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? इन्हीं संघर्षरत कार्यों के चलते -चलते वर्ष 1991 ने विदा ली।

तरुण भारत संघ

आठवां कदम

1

तरुण भारत संघ के कार्य पूर्ववत् चल रहे थे। समय बीत रहा था। समाचार पत्रों व पत्र-पत्रिकाओं में सरिस्का में खनन की गतिविधियों की खबरें आती रहती थी लेकिन राजनैतिक गहमागहमी कुछ धीमी पड़ गई थी।

भाजपा के नेता समाज में द्वेषता का जहर घोल रहे थे जिससे हिन्दू-मुसलमानों के बीच लड़ाई पैदा की जा सके। पर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का सवाल समाज में उबाल पर था। पूरे देश में एक अशान्त वातावरण बना हुआ था।

6 दिसम्बर का काला दिवस बर्बर मध्ययुगीन इतिहास की याद ताजा कर गया। देश में चारों ओर खून-खराबा और असुरक्षा का वातावरण छोड़ गया था। यह घटना उत्तर प्रदेश में घटी थी और वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त किया गया था। राजस्थान में भी भाजपा सरकार थी। उस समय श्री भैरोंसिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। केन्द्र सरकार ने त्वरित निर्णय लेकर भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। राजस्थान सरकार को भी जाना पड़ा।

''खनन मजदूर भैरोंसिंह शेखावत की जय घोष कर रहे थे। वहीं अन्नदाता समाज भी था और वहां की जीर्ण-शीर्ण अवस्था लिए जमीन। साथ ही साथ निर्जीव दिखने वाले पेड़-पौधे जो सभी जगत को सजीव बनाते हैं। वह भी सब सुन रहे थे। अपने रक्षक-भक्षक की बातों को एक असहाय के रूप में।''

सरकार बर्खास्तगी के साथ-साथ चुनावी चर्चा और चहलकदमी शुरू हो गयी थी। ज्यों-ज्यों चुनाव का समय नजदीक दिखाई देता जा रहा था, त्यों-त्यों राजनेताओं के जन-सम्पर्क भी तेज हो रहे थे।

तरुण भारत संघ का कार्यक्षेत्र भी इस चुनावी माहौल में राजनेताओं की उंगलियों पर पहले स्थान पर था। जहां वोट और नोट दोनों ही उनकी झोली में थे। बस! एक ही सवाल मुख्य था कि जो नेता खनन चलाने का आह्वान करेगा, उसी को इस क्षेत्र के वोट और नोट मिलेंगे।

इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए भैरोंसिंह शेखावत जी आगे आये। उन्होंने नारायणी धाम में अपना आम चुनाव का बिगुल फूंका। इस सार्वजनिक सभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार दुबारा सत्ता में आती है तो सभी बन्द खानों को दुबारा चलवाऊंगा और जो लोग खनन चलाने के विरुद्ध हैं, उन्हें एक माह के अन्दर इस क्षेत्र

से भगा दिया जायेगा, उनका पता ही नहीं चलेगा। भैरोंसिंह शेखावत जी की लच्छेदार बातों का जादू समाज पर चला। खनन माफिया संगठन अति प्रसन्न था। खनन मजदूर भैरोंसिंह शेखावत की जय-घोष कर रहे थे। गाँव-समाज के लोग भी सब बातों को एक असहाय के रूप में सुन रहे थे।

राजेन्द्र सिंह सरिस्का के खनन कार्य के विरुद्ध संकल्प भाव से लगे थे। उन्हें इन सब चुनावी चर्चा में रसविहीन स्वाद दिखाई देता था इसलिए वे अपने काम से काम रखते थे। सरिस्का की जानकारी हर पल रखना उनका उद्देश्य बन गया था। वह क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, पीड़ित किसानों व खेतिहर वर्ग तथा एडवोकेट राजीव धवन के बीच की कड़ी बने हुए थे। मुकदमें संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान में उनका सारा समय निकलता था। भीकमपुरा से दिल्ली किस समय? कितनी बार? किन परिस्थितियों में निकलना होगा? पता नहीं। ऊपर से खनन माफिया के कुचक्र के कारण हर समय सावधान रहना होता था। वैसे तरुण भारत संघ ने खनन से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था। उसने तो राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार की दोहरी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी।

तरुण भारत संघ का मानना था कि सरिस्का के लिए हर साल केन्द्र सरकार करोड़ों का बजट देती है। उसे सुरक्षित रखने के लिए वहां के वासियों को भी दूसरी जगह बसाना चाहती है। लेकिन राज्य सरकार अवैध रूप से खनन गतिविधियों को स्वीकृति देकर उसी सरिस्का का विध्वंस कर रही है। जबकि देश में संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि में किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं परन्तु सरिस्का में सभी कानूनों

को ताक में रख दिया गया। पैसे और उच्च रसूखों के चलते सरिस्का संरक्षित वन भूमि में खनन कार्य चल रहा था।

इसमें जंगलात विभाग व खनन विभाग ने मिलकर कार्य किया था और सरिस्का की संरक्षित भूमि पर खनन कार्य चालू कराये थे। इसके पीछे किस व्यक्ति विशेष का हाथ रहा था या नहीं था यह बात संस्था के लिए बेमानी थी। संस्था का उद्देश्य तो बस सरिस्का के सम्बन्ध में बने कानून को समझना और उसे लागू करवाना था। इससे एक तो वन क्षेत्र की भूमि वन को मिल जायेगी और दूसरे छोटेलाल मीणा जैसे हजारों लोगों की समस्या हल हो जायेगी।

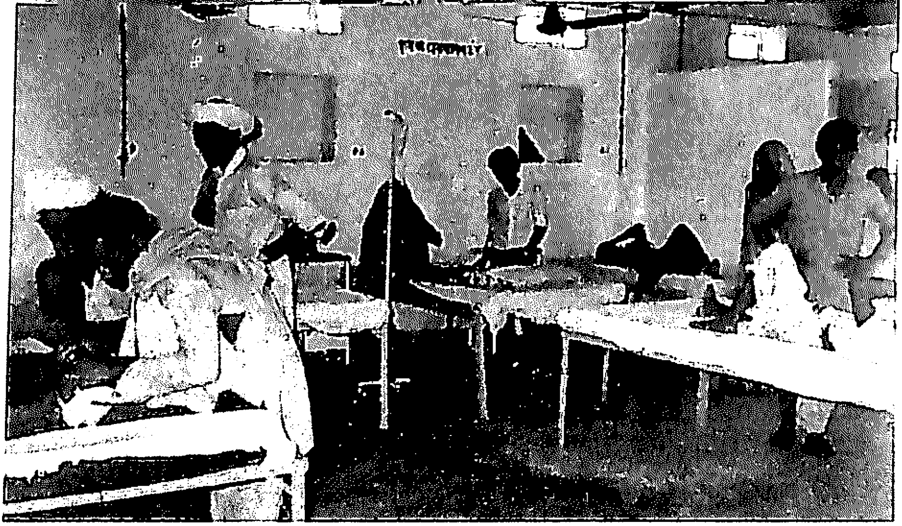

2

तरुण भारत संघ ने स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद से कई स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किये थे परन्तु यहां ग्रामीण क्षेत्र में एक अनुभवी डॉक्टर का अभाव था, उसकी कमी खलती थी। तरुण भारत संघ को एक ऐसे डॉक्टर की तलाश थी, जो संस्था में रहकर हर समय सेवायें दे सके, उसके लिए हर सम्भव प्रयास भी किये थे। कई डॉक्टर नियुक्त किए परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में कोई कार्य करने को तैयार ही नहीं होता था। कोई 2-4 महीने कार्य करता और चला जाता। इस तरह डेढ़ साल का समय निकल गया था।

ग्वालियर से एक डा. उपेन्द्र दुबलिश नाम के व्यक्ति ने संस्था से सम्पर्क किया। उसने अलवर नर्सिंग होम के मालिक सुनील रस्तोगी को रिश्तेदार बताया तथा उनका पत्र भी दिया। सुनील रस्तोगी पर तभासं के पदाधिकारियों का पूरा विश्वास था। स्वास्थ्य कार्यक्रम में उनका भी सहयोग मिलता रहता था। अलवर से कई स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी भेजे थे। डा. उपेन्द्र दुबलिश ने ग्वालियर में अपना नर्सिंग होम बताया। 'मैं जयपुर में शिफ्ट होना चाहता हूँ, इसलिए अभी कुछ दिन के लिए मुझे काम चाहिए था', ऐसा डा. उपेन्द्र ने बताया। इससे ज्यादा तरुण भारत संघ के किसी भी आदमी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी।

तरुण भारत संघ को और क्या चाहिए था? आश्वासन दिया और अस्पताल व आवासीय व्यवस्था भी दिखाई। भोजन व्यवस्था आदि की जानकारी भी दी। यह सब देख-समझकर डॉक्टर उपेन्द्र दुबलिश भी खुशी-खुशी राजी हो गया और जो मानदेय स्वास्थ्य परियोजना में था, उसी पर कार्य करने के लिए राजी हो गया। साथ ही सपरिवार आने के लिए कहा। तरुण भारत संघ के पदाधिकारी भी खुश थे कि अब एक अनुभवी डॉक्टर के आ जाने से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ यहां के समाज को भरपूर मिलेगा।

अक्टूबर 1992 में डॉक्टर उपेन्द्र अपने सभी सामान सहित तरुण भारत संघ में आ गये। उनकी आवासीय व भोजन-व्यवस्था और उसके सामान के लिए अलग से कमरा दे दिया गया। अस्पताल की जिम्मेदारी, परियोजना की फाइल जिसमें कुछ निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करना था, सब उन्हें सौंप दिया। डा. उपेन्द्र

"तरुण भारत संघ को और क्या चाहिए था? आश्वासन दिया और अस्पताल व आवासीय व्यवस्था भी दिखाई, भोजन की व्यवस्था आदि की जानकारी भी दी।"

''जिन लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था, उसका उनके साथ उठना-बैठना, आना-जाना, संस्था में बुलाना, जो कि गहरे रिश्ते में बदल गए थे। कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और खनन माफिया से सांठ-गांठ की जानकारी भी मिलनी शुरू हो गई थी। यह सब एक षड्यन्त्र के तहत हो रहा था।''

बहुत तेज व्यक्ति थे। उन्होंने अपने हिसाब से अस्पताल को देखना शुरू किया। अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर तीन माह में उन्होंने अधिक तत्परता से कार्य किया। नई साल के प्रारम्भ में जब तिमाही की रिपोर्ट आई और कुछ कार्य में लापरवाही दिखी तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग में सामने आयी। सभी ने अपनी-अपनी बातें रखीं। लेकिन यह सब उन्हें अच्छा नहीं लगा। पता नहीं क्यों ? जबकि यह सब तरुण भारत संघ के कार्य का एक प्रमुख हिस्सा था।

हर माह की बैठक में आपसी संवाद कर संस्था के कार्य को गति दी जाती थी। डा.उपेन्द्र के साथ यह पहली बैठक थी, क्योंकि पहले दो-तीन महीने उनके कार्य में किसी प्रकार की कोई नुक्ता-चीनी नहीं की गई थी। केवल एक सरसरी सी जानकारी ली गई थी। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय को तिमाही रिपोर्ट भेजनी थी इसलिए अधिक जानकारी की जरूरत थी। इस प्रकार की जानकारी लेना-देना उसे नागवार लगा। दूसरे, जिन लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था, उसका उनके साथ उठना-बैठना, आना-जाना, संस्था में बुलाना, जो कि गहरे रिश्ते में बदल गए थे। कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता और खनन माफिया से सांठ-गांठ की जानकारी भी मिलनी शुरू हो गई थी। यह सब एक षड्यन्त्र के तहत हो रहा था। खनन माफिया के साथ डा. उपेन्द्र की बढ़ती निकटता के कारण संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी चिन्तित रहते थे।

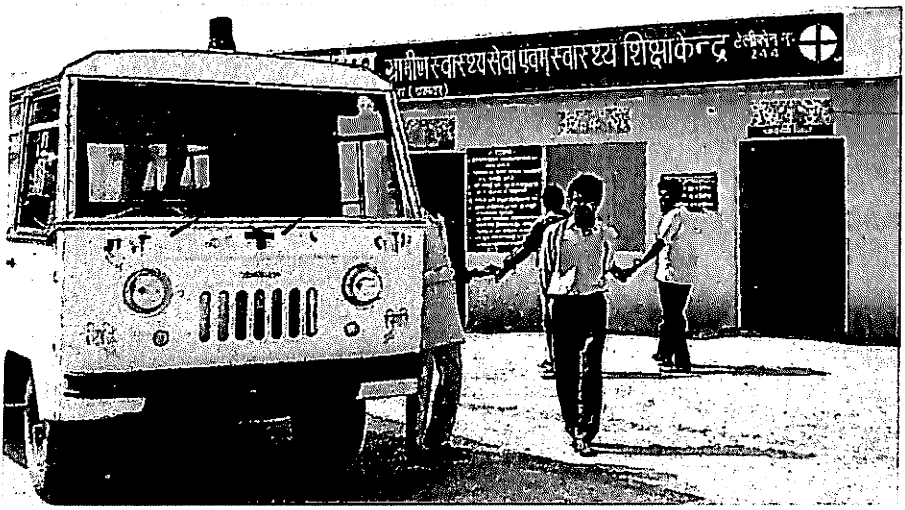

तरुण भारत संघ

नौवां कदम

1

नये साल 1993 ने दस्तक दे ही दी। नई सरकार का भी राज्य में गठन हो गया था। भैरोंसिंह शेखावत दुबारा मुख्यमंत्री बन गए थे। उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय सरकार की नई नीतियों के चलते वे सरिस्का के मामले में चुप्पी साधे हुए थे। तरुण भारत संघ के विरुद्ध गठित सर्वदलीय कमेटी ने भी कोई ऐसा जांच का पिटारा नहीं खोला था जिसके बलबूते वह संस्था के विरुद्ध कदम उठा सकें। विभिन्न जांच एजेन्सियों की रिपोर्टों में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो संस्था की गतिविधियों को संदिग्ध करार दे सकें। राष्ट्रपति शासन काल में भी राज्यपाल स्तर से जांच कार्य जारी रहा। फिर भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे तरुण भारत संघ के स्वैच्छिक प्रयासों को पाबन्द किये जाने की मजबूरी सामने आये। ऐसी परिस्थितियों में सभी प्रकार के राजनैतिक हथकण्डे परास्त नजर आ रहे थे।

उधर खनन माफिया की सक्रियता बढ़ती जा रही थी। उसे डॉ. उपेन्द्र के रूप में एक विभीषण मिल गया था जिसके बलबूते वह तरुण भारत संघ को सबक सिखाना चाहते थे। डा. उपेन्द्र की संदिग्ध गतिविधियां बढ़ती जा रही थीं। उसने स्वास्थ्य परियोजना से सम्बन्धित रिकॉर्ड को भी अस्त-व्यस्त कर दिया था। किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड भी नहीं देता था। उसने बिना संस्था के पदाधिकारियों की राय-सलाह के नये स्टॉफ की भर्ती के लिए विज्ञापन दे दिया और नया स्टॉफ रख भी लिया।

"तरुण भारत संघ के विरुद्ध गठित की गई सर्वदलीय कमेटी ने भी कोई ऐसा जांच का पिटारा उनके सामने नहीं खोला था जिसके बलबूते वह संस्था के विरुद्ध कदम उठा सके। विभिन्न जांच एजेन्सियों की रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो संस्था की गतिविधियों को संदिग्ध करार दे सकें।"

दवाइयां उसने ऐसी खरीदी जिसकी उसे भी जानकारी नहीं थी। वह स्वयं एलोपैथिक का डाक्टर था परन्तु दवाई होम्योपैथिक की खरीदी गई। संस्था के आर्थिक साधनों का दुरुपयोग करता था। उसने एक प्रकार से खुली बगावत जैसा माहौल बना दिया था। 13 मार्च 1993 की रात को उसने सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैठक की और उसमें मुझे भी बुलाया। मेरे सामने उसने प्रस्ताव रखा कि सभी लोग कह रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य कर्मियों का जो वेतन भत्ता है, उसी के अनुसार हमें भी मिलना चाहिए। अब मैं क्या करूं? आप बतायें? मैं वैसे तो संस्था की सभी प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय था। परन्तु स्वास्थ्य परियोजना में कार्यकर्ता के रूप में नहीं था। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने

कहा, पहले आप अपनी योग्यता अनुसार जो मानदेय है, उसे प्राप्त करें। उससे अधिक अगर आपको आवश्यकता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय से सम्पर्क करें। संस्था ने अभी तीन साल के लिये यह परियोजना ली है। उसी के अनुसार जो भी वेतन भत्ता है, देंगे। उससे अधिक नहीं। इस पर सभी ने कार्य करने में अपनी असहमति जताई।

14 तारीख की सुबह 4 बजे ही राजेन्द्र सिंह दिल्ली से आ गये। 13 मार्च को सरिस्का की उच्चतम न्यायालय में पेशी थी। इसलिए पेशी साद कर रात्रि की बस से चलकर सुबह आ गए थे। रात्रि की घटना से सुबह उनको अवगत कराया। उन्होंने डॉ. उपेन्द्र के साथ बातचीत करनी चाही तो उसने मना कर दिया। दूसरे कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करनी चाही तो उन्होंने भी कोई सन्तोषजनक अपनी बात नहीं बताई। यह सब घटना एक प्रकार से खनन माफिया के षड्यन्त्र के तहत हो रही थी। डॉ. उपेन्द्र के द्वारा तरुण भारत संघ को बदनाम किया जा रहा था। पदाधिकारियों पर झूठे आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे थे। अब खुलेआम डॉ. उपेन्द्र व उसके द्वारा चयनित स्टॉफ के लोगों ने संस्था के विरुद्ध भीकमपुरा और किशोरी गांव के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। दो चार लोग तो ऐसे होते ही हैं जो दूर से हाथ सेंकते हैं और तमाशा देखते हैं। यह सब हो रहा था।

"यह सब घटना एक प्रकार से खनन माफिया के षड्यन्त्र के तहत हो रही थी। डॉ. उपेन्द्र के द्वारा तरुण भारत संघ को बदनाम किया जा रहा था। पदाधिकारियों पर झूठे आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे थे। अब खुलेआम डॉ. उपेन्द्र व उसके द्वारा चयनित स्टॉफ के लोगों ने संस्था के विरुद्ध भीकमपुरा और किशोरी गांव के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया।"

इसलिए संस्था के पदाधिकारियों ने सभी स्टॉफ का तुरन्त हिसाब किया और 14 मार्च 1993 से स्वास्थ्य सेवा बन्द कर दी। अब डॉ. उपेन्द्र और उसके द्वारा चयनित स्टॉफ के सदस्यों ने खनन माफियाओं की गाड़ी लेकर खनन मजदूरों को एकत्र कर तरुण भारत संघ कार्यालय में तोड़-फोड़ करने की साजिश रचनी शुरू कर दी।तरुण भारत संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता करने से भी बाज नहीं आये। यह सब चलते चलाते वह दिन भी आ ही गया, जिस दिन का तरुण भारत संघ व संस्था के पदाधिकारियों को बेसब्री से इंतजार था।

2

3 अप्रैल को माननीय उच्चतम न्यायालय ने 450 से भी अधिक अवैध खनन बन्द करने के आदेश के साथ सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य की संरक्षित भूमि को मुक्त कराया और वन विभाग को सौंप दिया। इससे तरुण भारत संघ के कार्य की देश भर में बड़ी सराहना हुई। अब उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय पूरे देश के खनन क्षेत्र के लिए आचार-संहिता के रूप में देखा जाने लगा था। जहां-जहां इस प्रकार के खनन कार्य चल रहे थे, सभी जगह गतिविधियों को विराम देने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

"अब उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय पूरे देश के खनन क्षेत्र के आचार संहिता के रूप में देखा जाने लगा था। जहां-जहां इस प्रकार के खनन कार्य चल रहे थे, सभी जगह गतिविधियों को विराम देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।"

तरुण भारत संघ की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव धवन 4 अप्रैल 1993 को तरुण भारत संघ परिसर में ग्राम सभा सदस्यों से मिलने आये थे। वे इस विजय से बहुत खुश थे। उन्हें इस लड़ाई में बहुत आनन्द आया था। राज्य सरकार, प्रशासन, खनन माफिया की तिकड़ी को तोड़ा था। तरुण भारत संघ के मीटिंग हॉल में लोगों से बातचीत कर रहे थे। उधर खनन माफिया का षड्यंत्र था कि तरुण भारत संघ में तोड़-फोड़ कर राजीव धवन के साथ अभद्रता तथा राजेन्द्र सिंह व कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करना है। इसके लिए पूर्व नियोजित ढंग से कार्य किया जा रहा था।

सुबह से ही संस्था के बाहर सड़क पर बड़ा सा मंच बनाया गया था। संस्था में आने वाले व्यक्ति को वहीं पर रोक दिया जाता था। यह सब स्थिति देखकर संस्था के पदाधिकारियों ने थानागाजी पुलिस से सम्पर्क किया तो वहां से दो सिपाही आ गए। अब वह आश्रम की गतिविधियों की जानकारी थाने में देते रहते थे।

दोपहर 12 बजे के लगभग खान माफिया के लोग अन्दर आ गए और राजीव धवन की मीटिंग में व्यवधान करने लगे, उनके समझाने पर भी नहीं मान रहे थे। राजेन्द्र सिंह और राजीव धवन के साथ जो भी अभद्र व्यवहार कर सकते थे, वो किया। इसी बीच राजीव धवन और राजेन्द्र सिंह चले गए। वह सरिस्का टाइगर डेन में ठहरे हुये थे। होटल में ही उन्होंने थानागाजी के थाना इंचार्ज को बुला लिया था। वहां पर उन्हें भीकमपुरा की सभी बातों से अवगत करा दिया था। लेकिन डा. उपेन्द्र और खनन माफिया के लोग लगभग ढाई बजे दुबारा आये और तरुण भारत संघ के अस्पताल को तोड़ना चाहते थे।

अब संस्था के कार्यकर्ता और गांव के मौजूद लोगों ने उनका विरोध किया कि अब बहुत हो गया। तुम लोग चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। संस्था के कार्यकर्ता और गांव के लोगों ने आगे आकर उन्हें रोक दिया। उधर दो सिपाहियों ने भी अपनी लाइन खींच दी थी। इस लाइन के अन्दर आने पर किसी को नहीं बख्शा जायेगा। इतनी सी लताड़ से भीड़ छंटने लगी थी। फिर कुछ देर बाद सभी चले गए।

राजीव धवन ने इस घटना को व्यक्तिगत हमला माना और डॉ. उपेन्द्र और रत्न कात्यानी के खिलाफ एक याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की। दूसरी याचिका राजेन्द्र सिंह ने तरुण भारत संघ परिसर को तहस-नहस करने की मंशा से रत्न कात्यानी व डॉ. उपेन्द्र के विरुद्ध दायर की। डॉ. उपेन्द्र के इशारे पर जिन लोगों ने संस्था में नुकसान किया था, उनकी थानागाजी पुलिस ने सुध ले ली थी।

उच्चतम न्यायालय से आये तामील आदेशों से रत्न कात्यानी व डॉ. उपेन्द्र को पाबन्द कर दिया गया था कि तरुण भारत संघ से दो किलोमीटर की परिधि में संस्था के विरुद्ध किसी प्रकार के आंदोलन की प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। तरुण भारत संघ की सुरक्षा के लिए एस.पी.अलवर ने भी दो सुरक्षाकर्मी नियुक्त कर दिये थे। उनकी 6 महीने 24 घंटे की ड्यूटी रही। ऐसी घटना से संस्था के पदाधिकारी एक प्रकार से सुरक्षा का अनुभव तो कर रहे थे परन्तु ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि हम सुरक्षा के घेरे में रहकर समाज के बीच कार्य कर रहे हैं।

यह सब समय देखते करना पड़ रहा था। वैसे इस घटना से क्षेत्र के कुछ चंचल व शैतानीपसंद लोगों का आश्रम में आना बन्द हो गया था। ऐसे लोग तभासं के कार्यकर्ताओं को देखते ही झेंप जाते थे। खनन संघर्ष के दौरान संस्था के कार्यकर्ता किसी प्रकार के लालच से प्रभावित नहीं हुए थे। बल्कि सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह व लगन से कार्य किया था। ऐसे समय में निम्न संस्थाओं के सहयोग से समाज कार्य किये जा रहे थे।

"संस्था की कार्यशैली से खनन माफिया को अब डर लगता था और समाज में भी एक प्रकार से मिश्रित भाव ही रहते थे कि इन लोगों के बड़े-बड़े लोगों से सम्पर्क हैं। हकीकत यह थी कि जो भी ताकत थी, वह यहां के समाज के बीच में किये गये कार्यों के कारण थी।"

संघर्ष के इस दौर में भी हमारे संस्थागत समाज कार्य निर्बाध गति से जारी थे। आक्सफेम इण्डिया ट्रस्ट से खनन क्षेत्र के गांव में जल संरक्षण के कार्य चल रहे थे। इक्को नीदरलैंड से समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, जन जागृति, महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम चालू थे तो समाज कल्याण बोर्ड से शिशु पालना गृह के कार्यक्रम यथावत् चल रहे थे। संस्था की कार्यशैली

से खनन माफिया को अब डर लगता था और समाज में भी एक प्रकार से मिश्रित भाव ही रहते थे कि इन लोगों के बड़े-बड़े लोगों से सम्पर्क हैं। हकीकत यह थी कि जो भी ताकत थी, वह यहां के समाज के बीच में किये गये कार्यों के कारण थी।

अब समय था कि सरिस्का की घटना को पूरे अरावली क्षेत्र में कैसे पहुंचायें ? पूरे अरावली में खनन गतिविधियां चल रही थीं। सरिस्का के अवैध खनन कार्य को लेकर उच्चतम न्यायालय में की गई याचिका के विरोध में हिम्मतनगर (गुजरात) से लेकर दिल्ली तक का खनन माफिया एक था क्योंकि सभी का हित जुड़ा था। अरावली की पहाड़ियों में मार्बल से सम्बन्धित जो भी गतिविधियां चल रही थीं और जिनका सीधा सम्बन्ध खनन से नहीं भी था, वह भी एक प्रकार से तभासं के विरोधी थे।

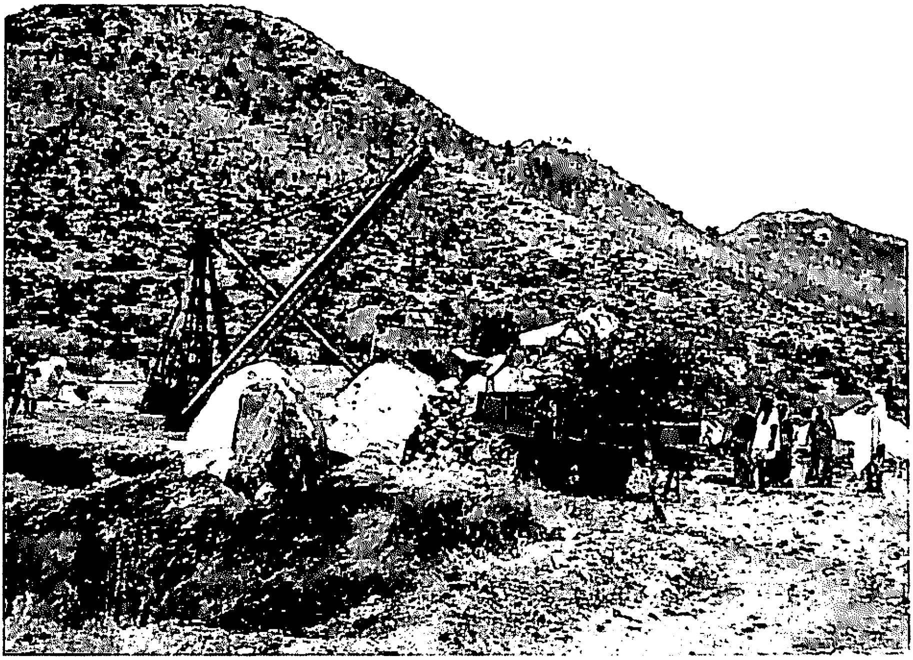

3

तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने जुलाई की बैठक में विचार किया कि क्यों न पूरे अरावली क्षेत्र में एक पदयात्रा की जाये? जिसका सन्देश "पर्यावरण रक्षा और अरावली बचाओ " का रहेगा। सरिस्का में किये गये कार्यों को समाज में पहुंचाने का काम भी सुगमता से हो जायेगा। हमारे अन्दर अदृश्य रूप से व्याप्त भय है, वह भी निकल जायेगा। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य अरावली का खनन क्षेत्र हो गया, चाहे वह किसी प्रकार की खनन गतिविधियाँ हों।

इसके लिए जयपुर, दिल्ली के कुछ समाज-सेवी संस्थाओं के विचार लिए गए तथा पर्यावरणविदों के भी विचारों को सुना-समझा। एक रूपरेखा तैयार की, अरावली के इतिहास को लेकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि प्रान्तों की भौगोलिक परिस्थितियों का आकलन करने में पर्यावरणविद डॉ. सरदारमल ढाबरिया जी का विशेष सहयोग रहा। अरुण कुमार जी ने भी समयसिद्ध सुझाव दिए थे। बाबूलाल शर्मा (दिल्ली) ने भी पूरी रुचि के साथ सहयोग किया था।

'अरावली बचाओ पदयात्रा' की तैयारी में तीन महीने लगे जिसमें अधिक समय अरावली के विषय में जानकारी इकट्ठा करने में लगा। राजस्थान के साथ-साथ देश की परिस्थितियों में अरावली के महत्व को देखा गया था। काफी अध्ययन और चर्चा के बाद अरावली बचाओ पद यात्रा का विचार परिपक्व हुआ था। पूरी अरावली यात्रा को क्रियान्वित रूप देने के लिए पहले से ही नवनीत कुमार को लगाया गया था। जिसमें हिम्मतनगर (गुजरात) से लेकर दिल्ली तक के रास्ते के पड़ावों को चिह्नित करना था। कहां कब जाना है? लोग कहां अगुवाई करेंगे और कहां विरोध की सम्भावना है? रात्रि विश्राम कहां करना है? सरकारी-गैर सरकारी सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया था और उनके अनुसार पदयात्रा की व्यवस्थाओं को रखा था जिससे आपस में कार्य के प्रति एक समझदारी बनी रहे। यह एक व्यक्ति विशेष या किसी एक संस्था का कार्य नहीं था। अरावली बचाओ पदयात्रा 1200 किलोमीटर लम्बी थी, जिसमें चार राज्य सम्मिलित थे। नवनीत कुमार को इस कार्य में दो महीने का समय लगा।

उसने बड़ी लगन और मेहनत से पदयात्रा के रास्ते की योजना के अनुसार पड़ाव व व्यवस्थाओं को

"अरावली बचाओ पदयात्रा की तैयारी में तीन महिने लगे जिसमें अधिक समय अरावली के विषय में जानकारी इकट्ठा करने में लगा। "

अंजाम दिया था। नवनीत ने दो जगह से पदयात्रा के रास्ते का चार्ट मय पड़ाव-स्थल व व्यवस्थाओं सहित बनाया था। पहला चार्ट हिम्मत नगर गुजरात से उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, गुड़गांव, दिल्ली था। दूसरा आबूरोड, कोटा, भीलवाड़ा, टोंक,जयपुर था। हिम्मतनगर से शुरू होने वाली पदयात्रा का जिम्मा राजेन्द्र सिंह व तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं का था। आबूरोड से शुरू होने वाली पदयात्रा का जिम्मा लक्ष्मण सिंह व सरदारमल ढाबरिया का था। अरावली बचाओ पदयात्रा की सभी तैयारी यथा समय हो गई थी।

× × ×

2 अक्टूबर 1993 को तरुण भारत संघ का स्थापना दिवस था जिसकी तैयारी सितम्बर माह में कर ली गई थी। इस बार 2 अक्टूबर का दिन संस्था के लिये विशेष महत्व का था। संस्था के पदाधिकारी यह मानते थे कि अभी गांव के संगठन में बहुत ताकत है। तभी तो खनन माफिया, प्रशासन और राजनेताओं की तिकड़ी के साथ संघर्ष किया। ऐसे समाज का सम्मान करना चाहिए।

''राजस्थान के साथ-साथ देश की परिस्थितियों में अरावली के महत्व को देखा गया था। काफी अध्ययन और चर्चा के बाद 'अरावली बचाओ पदयात्रा' का विचार परिपक्व हुआ था।''

इसमें वे लोग थे जिन्होंने अपने-अपने गांव में जल संरक्षण, जंगल संरक्षण, शिक्षा, ग्राम संगठन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया था। ऐसे लोगों का चयन करना और उन्हें सम्मानित करना संस्था अपना कर्तव्य मानती थी। इसलिए ऐसे लोगों को समाज के सामने लाने का प्रयास किया था। ऐसे लोगों का सम्मान जरूर होना चाहिए क्योंकि इनकी जिन्दगी बड़ी संघर्षशील रहती है। दूसरों के दुख-दर्द में शरीक होते-होते स्वयं के दुख-दर्द भी भूल जाते हैं। ऐसे लोग निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचते हैं और हर समय समाज हित में लगे रहते हैं। इस विचार के साथ संस्था के पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र के ऐसे अगुआ समाज सेवकों को सूचीबद्ध किया और 2 अक्टूबर को 'ग्राम सभा सम्मेलन' के अवसर पर आये जनसमुदाय के सामने खादी की शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया था। ऐसे लगभग 100 लोग थे।

तभासं में पूरे क्षेत्र से लोग आये थे। ऐसे कार्य से सभी का मन उत्साह से परिपूर्ण था। अरावली बचाओ पदयात्रा शुरू होनी थी। उसकी पूर्ण तैयारी पहले ही कर ली गई थी। हिम्मत नगर से दिल्ली तक पदयात्रा की समय सीमा डेढ़ माह थी। इसलिए अब समय भी नहीं रहा था। पदयात्री दलों को अपने-अपने नियत स्थान पर समय से पहुंचना था। इसलिए दो अक्टूबर को ही तभासं में 'अरावली बचाओ यात्रा' का उद्घोष हुआ। यात्री दल अपने साजोसामन सहित 'अरावली बचाओ पदयात्रा' की मुहिम पर निकले पड़े।

4

अरावली बचाओ यात्रा ऐसे समय पर की गई जब राज्य सरकार, प्रशासन और खान माफिया मिलकर अरावली का अस्तित्व ही मिटाने में लगा हुआ था। सरिस्का की घटना से तीनों के तेवर कुछ ढीले हुये थे। फिर भी नये कुचक्र का ताना-बाना बुनने से बाज नहीं आ रहे थे। राजनेता बन्द हुई खानों को दुबारा से चलवाने का आश्वासन पर आश्वासन दे रहे थे। प्रशासन अरावली को भारत के मानचित्र से लुप्त करने की जुगत में लगा था। खनन माफिया मौका मिलने पर एक साथ ही धरती को चीरफाड़ कर सभी मार्बल की शिलाओं को निकाल कर मालामाल होना चाहते थे। खान माफिया में भारी रोष था। फिर भी वह सहमा-सहमा सा दिखाई दे रहा था।

"राजनेता बन्द हुई खानों को दुबारा से चलवाने का आश्वासन पर आश्वासन दे रहे थे। प्रशासन अरावली को भारत के मानचित्र से लुप्त करने की जुगत में लगा था। खनन माफिया मौका मिलने पर एक साथ ही धरती को चीरफाड़ कर सभी मार्बल की शिलाओं को निकाल कर माला-माल होना चाहते थे।"

उच्चतम न्यायालय और केन्द्रीय सरकार की कानूनी प्रक्रिया के चलते उसका दुष्चक्र का पहिया घूमना बन्द हो गया था। संस्था के कर्ताधर्ता राजेन्द्र सिंह व सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता पदयात्रा पर चले गए थे। इधर डॉ. उपेन्द्र ने

राजेन्द्र सिंह के खिलाफ झूठे केस करवा दिए जिससे थानागाजी इंचार्ज आये दिन टेलीफोन पर झिड़की देता था। डॉ. उपेन्द्र के आदमी भी संस्था परिसर में कभी-कभी घूमते नजर आते थे। वे सब इसी क्षेत्र के थे।

अरावली बचाओ पदयात्रा अपने पूर्व निर्धारित समय व स्थान से शुरू हो गई। इसकी जानकारी तरुण भारत संघ में मुझे टेलीफोन, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती रहती थी। दो एक जगह तो मैं भी पदयात्रा में शरीक हुआ था। उदयपुर की पदयात्रा में शामिल हुआ, वहां की स्वयं सेवी संस्थाओं ने पूरा सहयोग दिया। वन विभाग भी सक्रिय था। वह भी पदयात्रा में शामिल था। उदयपुर में दो सभाएँ हुई। एक सार्वजनिक स्थल पर बड़ी सभा हुई थी जिसमें 1000 के लगभग महिला-पुरुष थे। दूसरी, आस्था के कार्यालय पर हुई जिसमें उदयपुर के प्रबुद्ध लोग व स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि थे। शाम को पदयात्रियों ने उदयपुर के ऐतिहासिक स्थल देखे। रात्रि विश्राम आस्था के ही गैस्ट हाउस में किया। दूसरे दिन यात्री दल ने'अरावली बचाओ' के नारे लगाते हुए उदयपुर से प्रस्थान किया था।

यात्रा अपने निर्धारित समय-स्थान की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए चल रही थी। नवनीत कुमार पदयात्रा के आगे की व्यवस्था करते थे। सभा स्थल के व्यवस्थापकों को पदयात्रा के आगमन की जानकारी देते और पदयात्रा के दौरान रास्ते में आने वाले गांव में दीवारों पर पर्चे-पोस्टर लगाना, गांव वालों से चर्चायें करना, अरावली बचाने का संदेश देना, पर्यावरण की जानकारी देना, साथ-साथ लोगों से नई-नई जानकारी एकत्र करना भी मुख्य कार्य था। अरावली बचाओ यात्री दल अरावली के सघन क्षेत्र में जाकर खान मालिकों-मजदूरों को सन्देश देता था। खान मालिकों ने उस समय यात्री दलों का कुछ जगहों पर स्वागत भी किया। बड़े-बड़े शहरों में रैली निकाली गई और जन-सभाओं के माध्यम से 'अरावली बचाओ' का सन्देश दिया। अरावली बचाओ पदयात्रा का 21 नवम्बर 1993 को दिल्ली में जन्तर-मन्तर पर समापन हुआ।

तरुण भारत संघ

दसवां कदम

1

1994 में कुछ नया करने का मन था। इसके लिए मंथन भी चल रहा था कि ऐसा कार्य किया जाये जो समयसिद्ध, समाज और देश के हित में हो। संस्था कोई उद्योग या नया आविष्कार तो करती नहीं थी। वह तो अपनी जीवन पद्धति में झांकती और उसे कैसे अच्छा बनाया जाये, इसके लिए प्रयास करती थी। ऐसे ही कार्य के लिए वैचारिक मंथन करते-करते आखिरकार एक अच्छा कार्य निकल ही आया था।

देश के पर्यावरणविदों के साथ तरुण भारत संघ के परिसर में 'जंगल जीवन बचाओ' विषय पर तीन दिवसीय एक संगोष्ठी हुई। इस गोष्ठी में आशीष कोठारी, कुसुम कार्णिक, आनन्द कपूर व देश के वन्यजीव संरक्षण में लगे बहुत से पर्यावरण विशेषज्ञ तथा संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। सबके वैचारिक मंथन का निचोड़ यही था कि जैसे सरिस्का में जल संरक्षण का कार्य हो रहा था, वैसा ही दूसरे स्थानों पर होना चाहिए। देश के अन्य क्षेत्रों में लोगों का यहां के लोगों के साथ समय-समय पर संवाद के लिए शैक्षिक भ्रमण जरूरी है। अभी उत्तरी भारत के सभी संरक्षित वन्यजीव अभयारण्यों में जाया जाए और वहां की परिस्थितियों को देखा-समझा जाये।

मोटे तौर पर सभी अभयारण्यों की एक सी समस्यायें थीं। उसका हल भी सरकार के पास नहीं दिखाई देता था। इसलिए वहां के समाज के बीच जाकर ही 'जंगल जीवन बचाओ' का संदेश देने की आवश्यकता समझी गई। इसके लिए एक महीने का तो समय लगेगा ही। वह भी अपने वाहन हों तब। तरुण भारत संघ ने सरिस्का में जो कार्य किया है, वैसा कार्य अभी तक अन्य अभयारण्यों में नहीं हुआ। इसलिए तरुण भारत संघ को ही इसकी पहल करनी चाहिए। हम अपने-अपने क्षेत्रों में पूरा सहयोग करेंगे 'जंगल जीवन बचाओ' का बैनर ही रहेगा। उद्देश्य भी एक ही रहेगा। बस पहल तरुण भारत संघ को करनी होगी क्योंकि इसके पास अनुभव है। जंगल विभाग, समाज, प्रशासन, राजनेता सब उसकी बात सुनेंगे। तरुण भारत संघ के अनुभवशील कार्यकर्ता, वहां के ग्रामीण लोग जिन्होंने सरिस्का संघर्ष में सहयोग किया था। वह सब मिलकर पूरे उत्तरी भारत में 'जंगल जीवन

''तरुण भारत संघ ने सरिस्का में जो कार्य किया है, वैसा अभी तक अन्य अभयारण्यों में नहीं हुआ। इसलिए तरुण भारत संघ को ही इसकी पहल करनी चाहिए।''

बचाओ' का सन्देश देंगे तो देश और समाज का एक बड़ा काम होगा। राजेन्द्र सिंह ने इस कार्य में अपनी रुचि दिखाई। हालांकि अभी 2 माह पहले ही काफी लम्बी पदयात्रा पूरी हुई थी, फिर भी राजेन्द्र सिंह ने उन्हें अपनी ओर से आश्वासन दिया।

यात्रा मध्य, पश्चिमी व उत्तरी भारत के सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में 'जंगल जीवन बचाओ' का सन्देश लेकर जायेगी। अपने-अपने क्षेत्र की तैयारी सम्बन्धित संस्था की होगी। जो भी लेखन कार्य होगा वह आनन्द कपूर, कुसुम कार्णिक और आशीष कोठारी करेंगे। सभी की सहमति से 'जंगल जीवन बचाओ ' यात्रा का कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए 5 फरवरी 1994 से 28 फरवरी 1994 तक समय सीमा तय की।

राजेन्द्र सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं की एक टीम भी बनाई थी जिसमें सरिस्का क्षेत्र के लोग भी थे। 'जंगल जीवन बचाओ' यात्रा का प्रस्ताव सभी ने स्वीकार किया और अपने-अपने क्षेत्र में तैयारी करने के लिए तरुण भारत संघ में आयोजित 'जंगल जीवन बचाओ' सेमिनार से विदा ली।

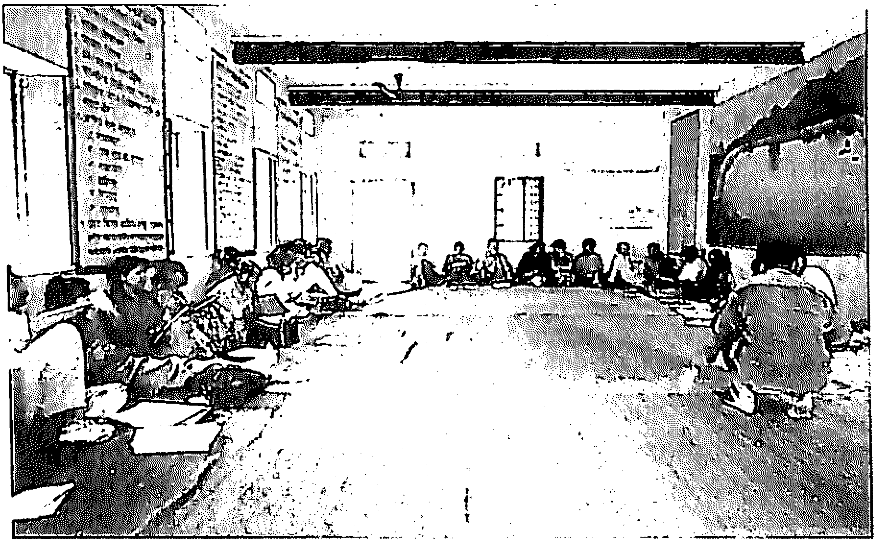

2

5 फरवरी को 10 बजे 'जंगल जीवन बचाओ ' यात्रा की शुरुआत हुई। पहला पड़ाव जयपुर में था। सभी कार्यक्रम आनन्द कपूर जी ने बना लिया था, आशीष कोठारी ने सभी वन्यजीव अभयारण्यों को सम्बन्धित कार्यक्रम की जानकारी दे दी थी। 5 फरवरी से पहले दो दिवसीय शिविर था । शिविर में सरिस्का क्षेत्र के ग्रामीण लोग, जंगलात विभाग के अधिकारीगण, आनन्द कपूर, कुसुम कार्णिक, सी.ई.ई अहमदाबाद से भी कुछ लोग तरुण भारत संघ में 3 फरवरी की शाम को पहुंच गए थे। जयपुर से सिद्धराज ढड्ढा, अलवर से शान्तिस्वरूप डाटा आदि भी चार फरवरी को समय से पहुंच गए थे।

सिद्धराज जी की अध्यक्षता में 'जंगल जीवन बचाओ' यात्रा का शुभकामना शिविर का शुभारम्भ हुआ। जंगल जीवन मानव के लिए आवश्यक है। जंगल और उसमें रहने वाले जीव सुरक्षित रहते हैं, तो उस जगह स्वर्ग होता है। शिविर में उपस्थित सभी ग्रामीण जन व प्रबुद्धजनों ने अपने-अपने विचारों से एक-दूसरे को अवगत कराया। तरुण भारत संघ द्वारा सरिस्का में किये गये कार्यों को विस्तार से सिद्धराज जी ने बताया। सरिस्का के काम में तरुण भारत संघ व हम सभी के सामने कैसी-कैसी परेशानी आई और आखिर में हमारी जीत हुई।

वर्ष 1988 में सरिस्का के अधिकारियों से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वह आदमी को आदमी नहीं समझते थे। सरिस्का के बाशिंदों की पशुओं से भी बदतर जिन्दगी थी। मैं देवरी गांव में गया था। वहां के लोगों का दर्द सुना था। जिस सरिस्का में आदमी को भी जाने की मनाही थी। उसी में खान चल रही थी। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, यहां कौन सुनने वाला था?

अब वही प्रशासन, राजनेता स्वयं खान बन्द करवा रहे हैं। देश में कानून है परन्तु चलाने वाला और मानने वाला कोई नहीं है। जो कानून को बनाते हैं, वही सबसे पहले तोड़ते हैं। सरिस्का के संघर्ष में हमने देखा है। फिर भी हमें विश्वास है कि तरुण भारत संघ जैसी देश में अनेक संस्थायें अच्छा काम कर रही हैं। मैं उनमें जाता रहता हूं। अब हमें अपने गांव को स्वावलम्बी बनाने के लिए ठोस कार्य करने होंगे जिससे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मैं 'जंगल जीवन बचाओ' यात्रा के लिए शुभकामना देता हूं कि वह अपने मिशन में जरूर सफल होगी।

आज आदमी का लालच बढ़ गया है। उसे रुपया चाहिए, उसके लिए वह अपना सब कुछ नष्ट कर सकता है। ऐसा देखने में आ रहा है, पतित-लोभी आदमी के लिए जंगल जीवन से क्या वास्ता ? फिर भी हमें समाज के बीच जाकर जीव हत्या, जंगल कटाई के दुष्प्रभावों को बताना ही होगा। राजेन्द्र सिंह व उनके साथी मिलकर देश में संदेश पहुंचायेंगे।

3

5 फरवरी को सुबह से ही यात्रा की तैयारी शुरू की। दो वाहनों पर बैनर लगे थे। सभी सामग्री उनमें रख दी गई थी। जो यात्री यात्रा में जाने वाले थे, उन्होंने अपना सामान भी रख लिया था। हल्की बून्दा-बान्दी के कारण सुबह से ही सर्दी थी। फिर भी उत्साह कम नहीं था, एक आशीर्वाद बैठक हुई। उसमें सभी यात्री सदस्यों को तिलक लगाकर पुनः 'जंगल जीवन बचाओ' विषय पर संक्षिप्त में चर्चा हुई। 2 बजे के लगभग 'जंगल जीवन बचाओ' यात्रा को सिद्धराज जी ने झंडी दिखाई, इसी के साथ यात्री दल के वाहनों के पहियों में गति होने लगी। धीरे-धीरे गति बढ़ती गई और तरुण भारत संघ परिसर पीछे की ओर जाता दिखाई दे रहा था। सामने अगली मंजिल का रास्ता था। जंगल जीवन बचाओ यात्रा का मध्य -पश्चिमी-उत्तरी भारत के वन्य जीव अभयारण्य को प्रस्थान था।

यह एक विडम्बना कहें या संयोग कि जब हमारी जंगल जीवन बचाओ यात्रा चल रही थी और उसे अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि दिल्ली हवाई अड्डे पर जंगली जीवों की एक हजार से भी अधिक खालें पकड़ी गई थीं। इस खबर को देखते हुए तो जंगल जीवन बचाओ यात्रा का महत्व और भी बढ़ गया था। वैसे तो आए दिन कहीं न कहीं जंगल की कटाई या वन्यजीवों के शिकार को लेकर खबरें आती रहती थीं परन्तु इतनी खालों के पकड़े जाने की खबर से केन्द्रीय सरकार भी हिल गई थी। पर्यावरण मंत्रालय तथा राज्य व केन्द्र सरकारों ने इतने बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों की हत्या को लेकर कुछ कदम उठाने के वायदे भी किये।

''यह एक विडम्बना कहें या संयोग कि जब हमारी जंगल जीवन बचाओ यात्रा चल रही थी और उसे अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि दिल्ली हवाई अड्डे पर जंगली जीवों की एक हजार से अधिक खालें पकड़ी गई थीं।''

अभयारण्यों में भी वन अधिकारियों ने नियमों में सख्ती दिखाई। सभी कागजी घोड़े दौड़ाने में लगे हुए थे। इतनी बड़ी घटना को जंगलात विभाग ने नजरअंदाज कर दिया। दिल्ली में पकड़ी जाने वाली खालें उसके आसपास के अभयारण्यों से ही लाई गई होंगी । फिर भी मंत्री, अधिकारी-कर्मचारी सुख की नींद सोते रहे। ऐसी नींद से जगाने के लिए ही 'जंगल जीवन बचाओ' यात्रा का आयोजन था जो भारत के अभयारण्यों में होती हुई दिल्ली में 28.2.94 को समाप्त हुई।

इस यात्रा में जंगल विभाग का पूरा सहयोग मिला था। जगह-जगह यात्री दल का स्वागत जोर-शोर से किया। साथ ही साथ वहां के जंगल व जंगली जानवरों की विस्तृत जानकारी दी। जंगल जीवन के संरक्षण में आने वाली बाधाओं से अवगत कराया। अभयारण्यों के आसपास के बाशिन्दों के व्यवहार की भी जानकारी दी। समाज का कैसा सहयोग है? इसकी भी वन अधिकारियों ने जानकारी दी। राजनेताओं व बड़े अधिकारियों के विषय में भी जानकारी दी।

यात्री दल को वन क्षेत्रों का अवलोकन कराया। यात्री दल जिस संस्था के सहयोग से जिस अभयारण्य में जाता था। पहले वहां के लोगों से चर्चा करता था कि जंगल व जंगली जानवरों से क्या परेशानी है ? वहां के अधिकारी-कर्मचारियों से कैसी परेशानी है ? जिससे एक साथ निर्णय लिया जाये कि जंगल जीवन बचाओ अभियान में कैसी समस्यायें आ सकती हैं ? और उनका निदान कैसे हो सकता है ? ऐसे अध्ययनों से ही भावी नीति निर्धारण में सहयोग मिलता है।

'सरिस्का संघर्ष' अरावली बचाओ पदयात्रा, जंगल जीवन बचाओ यात्रा से तभासं को जंगल संरक्षण में समाज की साझेदारी का विचार मिला। इसके लिये देश भर में राजेन्द्र सिंह ने 'साझा वन प्रबन्ध' के लिये सेमिनार-शिविर-सम्मेलन किये तथा देश में ऐसे सेमिनारों में अपने विचार भी दिये। इस सुझाव पर सरकार व अधिकारी विशेषज्ञों ने भी चिन्तन करना शुरू किया। अब केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, सभी चाहते हैं कि इसमें समाज की साझेदारी हो परन्तु अभी नीतिगत कोई दिशा तय नहीं की गई है।

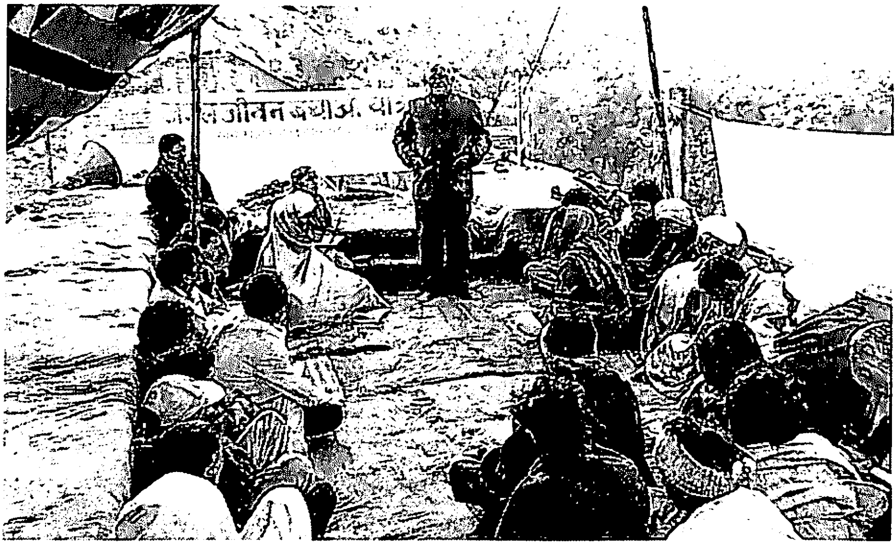

4

तरुण भारत संघ प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्र में पदयात्रायें तो करता ही रहा है। लेकिन अपने कार्यक्रमों में सघनता लाने के लिए कुछ कार्य-योजनाओं में परिवर्तन करना जरूरी हो गया था। अब संघर्ष के कार्य भी नहीं थे। समाज को ऐसे कार्य में लगाने का विचार बन रहा था जिससे समाज अपनी स्वावलम्बी व्यवस्थाओं को बनाये रखे क्योंकि सरकारी नीति में आये बदलाव से यह झलक रहा था। विश्व बैंक का दबाव सरकार की मजबूरी बना हुआ था। उसी का परिणाम हमारी विकास की नीति में देखा जा रहा था। अब गांव की सत्ता गांव के हाथों से जाने वाली है। वह दिन दूर नहीं जब एक मालिक मजदूर बनकर रह जायेगा। उस समय देश की क्या हालत होगी?

सरिस्का के खनन क्षेत्र में मालिक से मजदूर बने समाज को फिर से मालिक बनवाने में कितना संघर्ष करना पड़ा; यह तो एक छोटा सा उदाहरण था। समाज में बढ़ती लालच की प्रवृत्ति ही उसे मजदूर बना देती है। यह सब विकास की दौड़ का परिणाम है। कोई यह नहीं कहने वाला है कि तुम मजदूर मत बनो। अगर वह किसी कारण मजदूर नहीं बनता है तो उसे बनाया जाता है। एक बार मजदूर बनने के बाद पीढ़ी-दर-पीढ़ी मजदूर का ही जीवन व्यतीत करना नियति बन जाता है। यही आज के विकास की अवधारणा है।

तभासं के पदाधिकारियों ने अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ विभिन्न विषयों को लेकर अपने क्षेत्र के विकास की चर्चायें कीं। चर्चा में एक तो वे लोग थे जो कार्य और उसके परिणाम को तुरन्त आंकते थे कि हमारे सहयोग से समाज के विकास की गति क्या रही? कैसे लोगों को लाभ मिले ? कितना मिले ? अब क्या स्थिति है और क्या जरूरत है? जिससे उस दिशा में और कार्य किया जा सके। दूसरे ऐसे लोग थे जो बौद्धिक, चिन्तक, एक दर्शन और लम्बा अनुभव लिए हुए थे। उनका मानना था कि समाज में वैचारिक परिपक्वता हो तभी स्वावलम्बन की स्थिति पैदा होती है। बिना विचार के विकास का कोई महत्व नहीं है।

"समाज में बढ़ती लालच की प्रवृत्ति ही उसे मजदूर बना देती है। यह सब विकास की दौड़ का परिणाम है। कोई यह नहीं कहने वाला है कि तुम मजदूर मत बनो। अगर वह किसी कारण मजदूर नहीं बनता है तो उसे बनाया जाता है।"

दोनों रास्तों को अपनाते हुए तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों की स्थिति कभी-कभी बड़ी विचित्र सी दिखाई देती थी। फिर भी समाज में रचना-विचार-विकास-

संघर्ष को लेकर तभासं अपना सफर तय कर रहा था। आगे का रास्ता जो बन रहा था, उस पर चिन्तन-मनन भी चल रहा था। अब सब के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाई जा रही थी। क्षेत्र में कैसे कार्य को बढ़ावा दिया जाये इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों की सूची बनाई गई और प्राथमिकता किसे दें? यह निर्णय स्वयं के विवेक पर था।

1. क्षेत्र के ऐसे युवाओं को आगे लाया जाये जो अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में लगें तथा समाज के साथ जुड़ें।
2. समाज में जन-जागृति के लिए शिविर, सम्मेलन और पदयात्रा आदि के कार्यक्रम करना।
3. गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिये समाज को प्रेरित करना और उसको संवर्द्धन के कार्यों में लगाना।
4. बाल विकास के कार्यों को तेज करना, शिक्षा के लिए कार्य करना।
5. महिलाओं के जागृति के कार्यक्रम करना तथा रोजगार के साधन तलाशना।

इसके लिए आई-सी स्विट्जरलैण्ड, इक्को-नीदरलैण्ड, आक्सफेम इण्डिया ट्रस्ट, अहमदाबाद, समाज कल्याण बोर्ड, दिल्ली आदि के सहयोग को ध्यान में रखते हुए तीन साल की योजना 94 से 96 बनाई गई। नये क्षेत्र में भी संस्था के कार्यों को कैसे फैलाया जाये? इसके लिये ज्यादा चिन्ता नहीं थी। तरुण भारत संघ ने सरिस्का में जंगलवासियों के लिये कार्य किया था। इसलिए अब वे सहयोगी भाव से कार्य कर रहे थे। बच्चों के लिये स्कूल की व्यवस्था भी कर दी गई थी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी समय-समय पर दूरदराज के गांवों में जाते रहते थे। जंगल कटना भी बन्द था। जंगलात विभाग व जंगलवासियों के बीच दूरी कम हो गई थी।

5

अब संस्था को जंगल व जंगली जीवों के लिये भी कार्य करने की आवश्यकता हो रही थी। उसका मुख्य कारण यह भी था कि जंगल बड़ा था, पानी के साधन सीमित थे। उसी में जंगली जानवर भी पानी पीते और जंगलवासियों के पालतू जानवर भी पानी पीते। जंगलात विभाग के सामने कभी-कभी विकट समस्या हो जाती थी कि वह ऐसी स्थिति में जंगली जानवरों के लिये पानी को कैसे बचायें? इसका कोई उपाय भी नहीं था। पानी सभी को चाहिये; चाहे वह जंगली जानवर हो या पालतू जानवर। तरुण भारत संघ के पास वैसे जल संरक्षण के लिये सीमित साधन ही थे लेकिन जंगल जीवन के लिये वह हर सम्भव प्रयासशील रहा था।

परन्तु समस्या यह थी कि जंगलात की सीमा में बाहर का कोई व्यक्ति या संस्था किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती। इसके लिये कानूनी प्रावधान बने हुये थे। जंगलात विभाग के अधिकारियों से वैसे अच्छे सम्बन्ध थे। फिर भी उनकी मर्जी के विरुद्ध कोई कार्य करना तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों का कोई मुख्य लक्ष्य नहीं था। फिर भी मन में एक आवश्यकता सी लगती थी कि जंगल जीवन के लिये भी पानी का कार्य किया जाये तो जंगलवासियों व जंगली जीवों की पानी की समस्या हल हो सकती है।

इस समय सरिस्का के क्षेत्र निदेशक सुनयन शर्मा थे। वैसे राजेन्द्र सिंह से कई बार मिल चुके थे और भीकमपुरा भी आये थे। भगाणी, कांकवाड़ी, पीलापाणी और ऊमरी गांव के विस्थापन के विषय में भी योजनाबद्ध प्रयास किये थे। राजेन्द्र सिंह ने आक्सफेम इण्डिया ट्रस्ट के प्रभारी सेमुअल जोन से इस विषय में सहयोग करने के लिये कहा था। वे भी इसमें रुचि ले रहे थे। दो बार क्षेत्र निदेशक और गांव के लोगों से बातचीत करने अहमदाबाद से सरिस्का आये थे। जगह भी देखी थी। कुछ कागजी प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। लेकिन सरकारी रफ्तार की सुई शून्य से ऊपर नहीं उठी इसलिये उसे छोड़ दिया गया।

अब जंगली जानवरों के लिये पानी का कार्य करना था। तरुण भारत संघ ने जंगलवासियों के गांव में तो पानी के कार्य कराये थे लेकिन वह गांव की सीमा में ही थे। जहां उनके ही पशु पानी पीते थे। जंगल में चरते-चरते दूर निकल जाते तो जंगली जानवरों के हिस्से का भी पानी पी जाते। इससे परेशानी तो थी, कानून की बन्दिशें भी थीं। गांव देवरी के आवेदन पर तभासं ने जहाज स्थान पर एनिकट बनाने का मन बनाया, गांव वाले भी अपना पूरा सहयोग दे रहे थे। यहां एनिकट ऐसे स्थान पर था जहां से देवरी का सारा पानी निकलता था और मुख्य रास्ते में था। अब देवरी के लोग जल का महत्व समझने लगे थे। वरना एक दो कुओं से ही अपना जीवनयापन कर रहे थे। उसमें भी वन विभाग की मेहरबानी थी। जहाज का कार्य शुरू कर दिया था। नींव भराई का कार्य चालू था।

सरिस्का क्षेत्र निदेशक सुनयन शर्मा ने कार्य बन्द करा दिया। तरुण भारत संघ के पदाधिकारी अब जंगलात विभाग से उलझना नहीं चाहते थे। बातचीत के जरिये ही उसका हल निकालना चाहते थे। राजेन्द्र सिंह सुनयन शर्मा से मिले। जहाज के एनिकट के विषय में लम्बी बातचीत हुई। राजेन्द्र जी ने दूसरे क्षेत्रों के अभयारण्यों का भी सन्दर्भ दिया, वैचारिक मतभेद दूर हुए। सरिस्का को संरक्षण देना तभासं का भी कर्तव्य बनता था। इसलिए पानी के कार्य में हमारी रुचि थी। आपसी बातचीत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने सरिस्का के अन्दर जंगल जीवन के लिये पानी के काम को स्वीकृति दी। जहाज का एनिकट कार्य शुरू हो गया।

जहाज वाला एनिकट जंगली जानवरों के निमित्त था। जहाज का एनिकट तैयार होने के बाद संस्था के पदाधिकारियों ने सरिस्का में और कार्य करने से पहले जो भी कार्य अब तक किये गये थे, उनके अध्ययन की आवश्यकता महसूस की। ताकि संस्था वन्यजीवों के लिये पानी का जो कार्य कर रही है उसका भविष्य में क्या प्रभाव रहेगा? मालूम हो सके। इसके लिये क्षेत्रीय निदेशक व राजेन्द्र सिंह ने सरिस्का में वन्यजीवों के लिये पानी की समस्या और निदान में तरुण भारत संघ के प्रयासों के अध्ययन के लिये पुष्पेन्द्र जैन को

कहा। वे तैयार हो गये। उन्होंने तभासं के द्वारा किये गये जल संरक्षण के कार्यों के प्रभाव का अध्ययन किया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने जंगल, जंगली जीवों के हितों में एक अनुकरणीय प्रयास बताया।

पुष्पेन्द्र जैन ने सरिस्का के अन्दर बनी जल संरचनाओं का विश्लेषणात्मक गहन अध्ययन किया। इसके बाद तरुण भारत संघ ने सरिस्का के सभी कोर क्षेत्रों में जंगली जानवरों के लिये पानी का काम किया। यह काम देश के अभयारण्यों में अपनी तरह का पहला काम था। देश के दूसरे अभयारण्यों में जंगल विभाग के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति व संस्था किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती। लेकिन तभासं का कार्य एक उदाहरण बन गया था। तरुण भारत संघ ने अब तक 300 से अधिक छोटी-बड़ी संरचनाओं का निर्माण किया है। अब ये कार्य देखने योग्य बन गए हैं। जंगल जीवन की प्यास बुझाने के मुख्य साधन हैं तथा सरिस्का में पानी के कार्य को गति देने और गांव के प्राकृतिक संसाधनों को आगे ले जाने के लिये जो अभियान तभासं ने चलाया था, उसके परिणाम सुखद रहे।

6

तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने सघनता व समग्रता की दृष्टि से वैचारिक मंथन किया। गांव के प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ सामलाती संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन के लिये आई.सी. स्विट्ज़रलैण्ड संस्था के समन्वयक श्री विष्णु शर्मा के साथ लम्बी बातचीत हुई। इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिये आई.सी. से आर्थिक सहयोग देने के लिये कहा। प्रत्येक साल में 5 गांव और 10 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के लिये तैयार करना था। इस प्रकार तीन साल में 15 गांवों में तीस युवाओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था आई.सी. ने की तथा उन्हें गांव में कार्य करने के साधन उपलब्ध कराये गये।

"सामलात देह प्रशिक्षण की उपलब्धि यह रही कि जो भी प्रशिक्षणार्थी थे उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्द्धन का अद्‌भुत कार्य किया।"

आई.सी. की सहायता से सामलात देह प्रशिक्षण में 30 युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिया गया। सामलात देह प्रशिक्षण की उपलब्धि यह रही कि जो भी प्रशिक्षणार्थी थे उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्द्धन का अद्‌भुत कार्य किया। बहुत से युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने ही गांव में प्राकृतिक संसाधनों के विकास कार्यों में लगे हुए हैं। युवतियां भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में किसी से कम नहीं रहीं। उन्होंने संस्था के अनुभवों का लाभ राजनैतिक परिदृश्य पर पहुंचाया। आज भी उनकी कार्यशैली में ग्रामीण समाज के साथ मिलकर गांव के प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने के प्रयास जारी हैं।

जो युवा संस्था के साथ जुड़कर अपने-अपने गांव में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्द्धन के कार्य करते हैं, आज इस क्षेत्र की शान बन गए हैं। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीतियों में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे और प्रत्यक्ष में इनके प्रभाव दुनिया के सामने हैं।

भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय मंत्री, राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अधिकारीगण समाज की सहभागिता के कार्यों की सराहना करने के लिए आए। विशेषज्ञों की टीमें यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए कार्यों को देखने -समझने के लिए आती रहती हैं। यही नहीं विदेशी हस्तियां भी इन्हें देखने में पीछे नहीं रहीं। अलवर के ग्रामीण

क्षेत्रों में किये गये सामलाती कार्यों को इंग्लैण्ड के प्रिन्स चार्ल्स, यू.एन.डी.पी. के हाफिज पासा, फोर्ड फाउन्डेशन के ट्रस्टी, स्वीडन की विकास मंत्री करीना जामलीन, विभिन्न संस्थाओं के उच्च अधिकारीगण तभासं के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों ने जो कार्य किये, उन्हें देखने-समझने आये।

आज तरुण भारत संघ के कार्यभार को ये ही युवा सम्भाले हुए हैं। देश-विदेश की विभिन्न संस्थाओं से आने वाले अतिथियों को भी प्रशिक्षण देते हैं। गांव की सामलाती जीवन पद्धति की जानकारी, समझ और अभिक्रम सब एक कुशल प्रशिक्षण का ही परिणाम है। आई.सी. के समन्वयक विष्णु शर्मा व तरुण भारत संघ के राजेन्द्र सिंह की सूझ-बूझ से ऐसे क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ। मनुष्य के आगे समस्यायें बहुत सी रहती हैं। उन्हें हल करने का प्रयास भी सतत चलता रहता है लेकिन प्रकृति प्रदत्त समस्याओं का समाधान अकेले आदमी के हाथों नहीं होता, उसमें पूरे समाज का सहयोग चाहिए।

इस समयावधि में जहां सघनता से कार्य हुए, वहां प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्जन्म की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इस क्षेत्र के विकास में उनकी अहम भूमिका रही और देश-दुनिया के लिए एक सफल उदाहरण भी बने।

भीकमपुरा क्षेत्र के गांव सूरतगढ़ में किये गये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के काम का विस्तृत अध्ययन किया गया। इसके अलावा अरवरी क्षेत्र में किये गये कार्यों के प्रभाव से भी समाज की बदलती तस्वीर, किसी से छिपी नहीं थी। खेती, जंगल और सामाजिक संगठन की प्रक्रिया में आये वैचारिक परिवर्तन से समाज में बहुत ही बड़ा बदलाव दिख रहा था। दूसरी ओर संस्था का कार्य अलवर क्षेत्र से निकलकर राजस्थान के दूसरे जिलों में भी पहुंचा।

7

1994 की गर्मियों का समय था। मई माह में सवाई माधोपुर से कुछ लोग अपनी रिश्तेदारी में डेरा बामनवास गांव में आये थे। डेरा बामनवास तरुण भारत संघ कार्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। रिश्तेदारी में अपने-अपने क्षेत्र की खुशहाली की बातें हो रही थीं, उनके कारणों पर भी आपस में चर्चायें हो रही थीं। सवाई माधोपुर से आये लोगों को समाज ने अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में एक संस्था है जो गांव के सहयोग से गांव के विकास का कार्य करती है। हमारे क्षेत्र में पानी संरक्षण का बहुत काम हुआ है जिससे लोगों को रोजगार भी मिला है और खेती में भी पैदावार हो रही है। अब हमारे यहां पानी की समस्या नहीं है।

सवाई माधोपुर से आये लोग बामनवास तहसील में डांग क्षेत्र के थे। डांग क्षेत्र बामनवास तहसील के ऐसे गांव थे जहां का जीवन सरिस्का के जंगलवासियों से भी विकट समस्याग्रस्त था। डांग क्षेत्र में 45 गांव आते हैं जो पहाड़ पर ही बसे हैं। इन पहाड़ों पर जंगल भी नहीं थे, बस छोटी-छोटी झाड़ियां थीं। वह भी बहुत कम। चोरी-चकारी बहुत थी। वहां की अधिकतर आबादी गुर्जर समाज की थी। उनका मुख्य धन्धा पशुपालन था। यहां का जीवन गांव के पानी के साथ अपना स्थायित्व रखता था।

"विकास नाम या ऐसा कोई शब्द इनके जीवन से बहुत दूरी बनाए हुए था। क्षेत्र के लोग भी पहाड़ों के गांव में नहीं जा पाते थे।"

पहाड़ों पर बरसात के दिनों में पानी होता तो गुर्जर समाज पहाड़ों पर अपने पशुधन के साथ पहुंचता और वहां कुछ चारे वाली फसल पैदा करके, अपने लिये व पशुओं के लिये पेट की आग बुझाने के जतन करता। दूध आदि से घी बनाता और अपने जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता। विकास नाम या ऐसा कोई शब्द इनके जीवन से बहुत दूरी बनाये हुए था। क्षेत्र के लोग भी पहाड़ों के गांव में नहीं जा पाते थे। अलवर के पहाड़ी क्षेत्र के गांव में कहीं भी ऐसी चोरी-चकारी की वारदातें नहीं होती थीं, परन्तु यहां अधिक देखने में आई। इसलिए मैदानी क्षेत्र के गांव वाले पहाड़ी क्षेत्र में जाने से डरते थे। इसके अलावा ऊपर जाने का कोई औचित्य भी नहीं था क्योंकि वहां का जीवन नीरस था। कभी-कभी नीरसता में आशा की किरण चमक जाती है जो आशा को बलवती बनाती है। ऐसे ही डेरा बामनवास गांव से आये लोग जिज्ञासावश तरुण भारत संघ, भीकमपुरा कार्यालय में आये। सवाई माधोपुर के लोगों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया।

राजेन्द्र सिंह और तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं के लिये नया क्षेत्र था। कभी कार्य नहीं किया था। अतिथियों की पीड़ा को सुना और जिज्ञासावश देखने-समझने के लिये उनके साथ श्रवण शर्मा को भेजा। श्रवण शर्मा के साथ डांग क्षेत्र के रामजी लाल गुर्जर थे जिन्होंने बामनवास डांग क्षेत्र के गांव और वहां की समस्याओं को समझाया और समाज के दर्शन कराये।

समस्या को महसूस करना या आत्मसात करने में अन्तर होता है। स्वच्छ व गंदा जैसा भी पानी था, पशु और आदमी एक घाट का पानी पीते थे। यहां के आदमी के मन में किसी प्रकार की घृणा नहीं दिखती थी। यहां आदमी और पशु एक जीव मात्र था। पानी जीव के जीवन के लिए जरूरी होता है। इसलिए बामनवास के डांगक्षेत्र के गांवों में जितने भी प्रकार के जीव थे, जिनके लिए पानी जरूरी था, वे सब एक ही पानी पीते थे। जोहड़ का खुला पानी।

श्रवण जी को 4-5 दिन नये क्षेत्र में रहना कष्टप्रद लगा। फिर भी यहां के समाज के साथ कुछ काम करने की इच्छा बलवती हुई। उन्होंने भीकमपुरा में आकर पूरे डांग क्षेत्र के जीवन का वृतान्त राजेन्द्र सिंह को सुनाया। राजेन्द्र सिंह ने भी इस क्षेत्र में जाने की जिज्ञासा जताई और कुछ कार्य करने के लिये इच्छा जाहिर की।

श्रवण की आन्तरिक भावनाओं के अनुरूप कार्य को दिशा मिल रही थी। इसलिए डांग क्षेत्र में कार्य का प्रारम्भ करने की जिम्मेदारी भी श्रवण जी को दी गई। श्रवण जी ने अलवर के कार्यों की देख-रेख के साथ-साथ ही सवाई माधोपुर के बामनवास तहसील के

डांग क्षेत्र में कार्य करना शुरू किया। इसके साथ वहां डांग के पहाड़ी क्षेत्र में तभासं के द्वारा ग्रामीण विकास व जन जागृति के कार्यक्रमों का फैलाव हुआ। जल संरक्षण के कार्यों के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला विकास के कार्य किये गये। वहां के माल क्षेत्र में जल संरक्षण के लिये खेत तलाई निर्माण किये गये।

तरुण भारत संघ का बामनवास डांग क्षेत्र से कार्य बढ़ता हुआ करौली के सपोटरा डांग क्षेत्र तक जा पहुंचा। यह सब आपसी रिश्तेदारी के कारण और पीड़ित समाज की जरूरत के अनुसार फैलता चला गया। यहां की समस्यायें तो बामनवास डांग क्षेत्र से भी गम्भीर थी। यहां की समस्याओं में सबसे अधिक आपराधिकता का भी समावेश था।

सपोटरा डांग क्षेत्र करौली जिले में केवला देवी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसमें 27 गांव कोर क्षेत्र व 33 गांव बफर क्षेत्र के, कुल मिलाकर 60 गांव। जिनमें गुर्जर, मीणा, बलाई परिवार के लोग थे। सपोटरा डांग क्षेत्र आरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है, यहां दिन-रात्रि का समय एक जैसा ही है। गुर्जर और मीणा जाति के कुछ लोग यहां राहगीरों के साथ लूटपाट करते थे और प्रताड़ित भी करते थे। यहां पर खनन में लगे मजदूरों को भी ऐसे लोग पैसों के लिये यातनायें देते रहते थे।

संस्था ने लूटपाट की प्रवृत्ति में लगे कुछ लोगों को गांव के सामाजिक कार्यों से जोड़ा, जिससे उनके जीवन की दिशा में नया मोड़ आया। उन्होंने असम्मानजनक कार्य न करने के लिये संकल्प लिया। ऐसे अनेक नौजवान अपने गांव व क्षेत्र में समाज विकास के कार्यों में लगे हैं। संस्था के साथ जुड़कर अच्छे कार्य करते रहे हैं। अपने साथियों को भी समाज के साथ जुड़कर अच्छे कार्य करने की सलाह दे रहे हैं। समाज को विकासोन्मुखी बनाने में तरुण भारत संघ का यह सफल प्रयास रहा है।

''सपोटरा डांग क्षेत्र में जल संरक्षण और जंगल संरक्षण के कार्यों से महिला और पुरुषों में चेतना भाव जगा है। ग्रामीणों ने अपने जल संसाधनों का संरक्षण-संवर्द्धन करते हुए जीवन के लिए शिक्षा के महत्व को भी समझा।''

सपोटरा डांग क्षेत्र में जल संरक्षण और जंगल संरक्षण के कार्यों से महिला और पुरुषों में चेतना भाव जगा है। ग्रामीणों ने अपने जल संसाधनों का संरक्षण-संवर्द्धन करते हुए जीवन के लिए शिक्षा के महत्व को भी समझा। हटियाकी गांव में शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण किया तो शिक्षाकर्मी योजना भी पहुंची। इतना ही नहीं सौर ऊर्जा से गांव में प्रकाश रहता है तथा जीवन में प्रकाश शिक्षा कर रही है। पूरे डांग क्षेत्रवासी सौर ऊर्जा के प्रकाश का लाभ ले रहे हैं। जोहड़ों में जीवन रक्षक जल आता है। खेती होती है, पशुपालन होता है। आर्थिक सम्पन्नता के कारण विकासोन्मुखी बनता समाज अच्छा लगता है।

तरुण भारत संघ

ग्याहरवां कदम

1

वर्ष 1994 एक प्रकार से यात्राओं का वर्ष रहा। वर्ष के प्रथम तीन महीनों में 'वन्य जीव संरक्षण यात्रा' की, तो गर्मी के मौसम में 'नदी-पहाड़ बचाओ पदयात्रा', अक्टूबर-नवम्बर में ग्राम स्वावलम्बन पदयात्राओं का आयोजन किया गया था।

'नदी-पहाड़ बचाओ यात्रा' पहाड़ों के शोषण को रोकने तथा नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए लोगों में चेतना जागृति करने हेतु विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून से 29 जून 1994) तक गलता जी जयपुर से प्रारम्भ होकर गंगोत्री में समाप्त हुई। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने भाग लिया था। जगह-जगह लोगों ने सभा -सम्मेलन -रैली आयोजित की थी। गंगोत्री में पृथ्वी-सम्मेलन आयोजित किया गया था।

पहाड़ों की हरियाली व नदियों की पवित्रता बचाने के लिये आरम्भ हुए इस अभियान की शुरुआत, श्री सुन्दरलाल बहुगुणा के उद्‌बोदन और जयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री उन्नीथान की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन से हुई थी। सबसे पहले झालाना डूंगरी के खनन क्षेत्र में सांकेतिक रास्ता रोकने का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद गलता कुण्ड में गंगोत्री का जल मिलाकर यात्री दल गंगोत्री के लिए रवाना हुआ था। तभासं का इक्कावन सदस्यीय दल जयपुर से रवाना होकर दिल्ली में दो दिन यमुना नदी पर दिल्ली के लोगों से बातचीत करके फिर हरिद्वार पहुंचा। वहां तीन दिन सभा-सम्मेलन, रैली, प्रभात फेरी आयोजित करने के बाद टिहरी क्षेत्र में पहुंच गया। यहां पर श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जी के मार्गदर्शन में नुक्कड़ नाटक व सभा का आयोजन करते हुए गंगोत्री पहुंच गए थे। पहाड़ के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का अच्छा सहयोग मिला लेकिन श्री भवानी भाई, श्री बिहारी लाल भाई, सुरेश भाई का सहयोग उल्लेखनीय रहा था।

ग्राम स्वावलम्बन पदयात्रा 2 अक्टूबर से 11 नवम्बर 1994 तक राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में की गई थी। भरतपुर से पुष्कर तक यात्रा का नेतृत्व तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता कर रहे थे। गांव-कस्बे में जल, जंगल, जमीन के साथ-साथ गांव की खेती, गांव का खाद, गांव का बीज संरक्षण के संदेश को गांव-गांव पहुंचाते हुए यात्रा दल ने 11 नवम्बर को पुष्कर में यात्रा का समापन किया था।

13-14 नवम्बर 1994 को पुष्कर में सर्वोदय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अधिकतर राजस्थान खादी बोर्ड से जुड़े लोग थे। राज्यभर से आए खादी संस्थाओं के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे। भूदानी गांव के लोग भी सम्मेलन में आये

थे। सम्मेलन में सबसे पहले पूरे राज्य में यात्रा करके आए यात्री दलों के अनुभवों को सुना गया था। दूसरे दिन राज्यों के प्रतिनिधियों के भी विचार रखे गए थे। इस सम्मेलन में तरुण भारत संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया था।

वर्ष भर चली विभिन्न प्रकार की यात्राओं के दौर से नये युवाओं को समाज और प्रकृति के रिश्तों को समझने में आसानी हुई। एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिये प्रयोगात्मक अनुभव था। देशव्यापी यात्राओं में कई महान् व्यक्तियों का सान्निध्य भी प्राप्त हुआ। वह भी उनके जीवन के लिए अनुकरणीय रहा। नई पीढ़ी का प्रशिक्षण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण-संवर्द्धन के लिये व्यावहारिक ज्ञान के रूप में हुआ जिससे समाज के बीच कार्य करने की वैचारिक स्पष्टता विकसित हुई।

"वर्ष भर चली विभिन्न प्रकार की यात्राओं के दौर से नये युवाओं को समाज और प्रकृति के रिश्तों को समझने में आसानी हुई। एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिये यह प्रयोगात्मक अनुभव था।"

2

गांव के युवाओं के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जो आधार बना, उसके क्रियात्मक रूप में अच्छे रचनात्मक कार्य हुए। संस्था कार्यक्षेत्र में समाज की सहभागिता से किये गये कार्यों की उपयोगिता बड़े पैमाने पर महसूस की जाने लगी थी। समाज की जरूरतों को देखते हुए, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाये। संस्था के पदाधिकारी इस दिशा में प्रयासरत थे।

1995 एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने की दिशा में कार्य करने का रहा। इसके लिए कई संस्थाएं आगे आयीं। सीडा-स्वीडन, जी.टी.जैड-जर्मनी, नौराड-नार्वे से सकारात्मक सहयोग मिला। इक्को-नीदरलैंड संस्था ने समग्र ग्रामीण विकास के लिए तीन साल की एक बड़ी परियोजना की स्वीकृति दी। आई.सी. स्विट्जरलैण्ड ने भी तीन साल के लिए एक कार्ययोजना को स्वीकृत किया। इसके साथ ही साथ एक विशेष क्षेत्र को चिह्नित करके ग्रामीण विकास के लिये कार्य करने की योजना का विचार भी दिया। इस कार्य में संस्था के पदाधिकारी रुचि लेकर कार्य रूप देने के लिए प्रयासरत रहे।

"संस्था कार्यक्षेत्र में समाज की सहभागिता से किये गये कार्यों की उपयोगिता बड़े पैमाने पर महसूस की जाने लगी थी। समाज की जरूरतों को देखते हुए, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाये। संस्था के पदाधिकारी इस दिशा में प्रयासरत रहे।"

गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण-संवर्द्धन के द्वारा ग्राम स्वावलम्बन की दिशा में राज्य सरकार को सोचने को मजबूर होना पड़ा। उसकी सोच को स्पष्ट करने के लिए एस.डी.सी स्विट्जरलैंड आगे आया। उसने इस कार्य में सहयोग करने की मंशा जाहिर की परन्तु इसमें समाज और सरकार का सहयोग भी जरूरी था। एस.डी.सी. के लिए परियोजना का प्रारूप विष्णु शर्मा के साथ मिलकर तैयार किया गया।

गांव की सामलाती जीवन पद्धति में प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझते हुए सहभागितापूर्ण रचनात्मक कार्यों को गति दी गई। शान्तिपूर्ण वैचारिक मंथन और योजनाओं को क्रियान्वित किया गया जिससे ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की गति तेज हुई।

तरुण भारत संघ

बारहवां कदम

1

समाज के हित को देखते हुए तरुण भारत संघ ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध जब-जब आवाज उठाई, वह आवाज कुछ लोगों को ठीक नहीं लगी। सरकार तो अमीरों के हित में हर संभव प्रयास करती ही है। सरकार का मुख्य काम समाज की आवाज को दबाना और कुछ खास लोगों का हित संरक्षण करना होता है। यह लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था की व्यावहारिकता है। देश की कानूनी व्यवस्था शासन तंत्र के इशारों पर नाचती देखी जा सकती है। ऐसा अजबगढ़ में हुआ।

अजबगढ़ अलवर की थानागाजी तहसील के दक्षिणी भाग में बसा है। यह क्षेत्र मीणा जाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहां लगभग 80 प्रतिशत मीणा हैं। यहां के मीणा जन जाति में आते हैं। इनको सरकारी और कानूनी स्तर से विशेष प्रकार का सरंक्षण प्राप्त है। उसका लाभ यहां मीणा समाज को मिलता भी है। कानून के मुताबिक मीणा समाज की जमीन किसी अन्य जाति के लोगों को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है।

लेकिन अजबगढ़ में क्या हुआ ? अजबगढ़ बांध के नीचे बगीचे की जमीन मीणा जाति के लोगों की थी। वह जमीन प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण थी। इस जमीन के दोनों ओर बड़े पहाड़ थे। एक ओर घने जंगल तो दूसरी ओर थानागाजी का सबसे बड़ा बांध जो

अलवर नरेश जयसिंह ने बनवाया था। यहां की रमणीयता एक बार तो गरीब-अमीर सब को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती थी। ऐसी जमीन को गरीब तो केवल देख सकता था। देखता और चल देता लेकिन अमीर देखता और उसे देखता ही रहता। उसमें उसके भोग-उपभोग की भावना भी जाग्रत होती लेकिन मीणा जाति के कानून आड़े आते।

अमीर आदमी की एक खासियत यह होती है कि उसे कोई चीज जंच जाये कि यह उसके काम की हो सकती है तो वह उसे लेने के प्रयास करता है और लेकर ही रहता है। किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया को अपने पक्ष में करा ही लेता है। अजबगढ़ की जमीन उद्योगपति रेखा पोद्दार के मन भा गई तो उसे हर हाल में लेना था। इसलिए उसने राजसत्ता को साथ लिया तो सभी कानून उसकी मुट्ठी में स्वत: ही आ गए।

"अमीर आदमी की एक खासियत यह होती है कि उसे कोई चीज एक बार जंच जाये कि यह उसके काम की हो सकती है तो वह उसे लेने के प्रयास करता है। लेकर ही रहता है। किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया को अपने पक्ष में करा ही लेता है।"

वैसे यह जमीन सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में आती थी। जहां किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल सकती थीं। सब प्रकार की कानूनी पाबन्दियों के बावजूद वह जमीन येन-केन-प्रकारेण रेखा पोद्दार के नाम हो गई। रेखा पोद्दार ने इस जमीन को देखते ही एक हैरिटेज होटल बनाने की कल्पना की थी। अब उसकी कल्पना को साकार रूप मिला था। उसने अपना होटल का कार्य भी चालू कर दिया था।

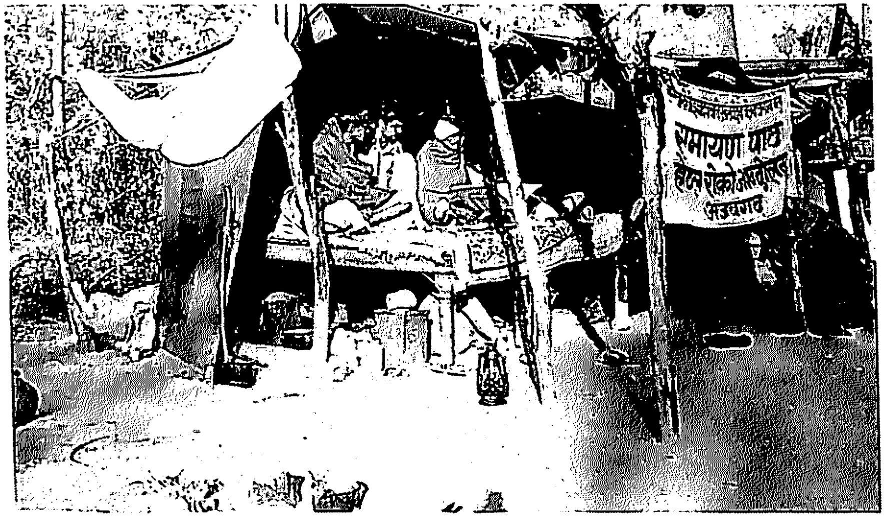

2

होटल को लेकर लोगों में कुछ नाराजगी की हलचल हुई। कुछ लोग तरुण भारत संघ भी आये। राजेन्द्र सिंह से मिले। जमीन सम्बन्धी जानकारी के कागज भी साथ लाये थे। लेकिन तरुण भारत संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस प्रकार के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। कोई जमीन किसी को बेचे या खरीदे; हमें क्या मतलब। फिर भी गांव के लोगों के साथ बातचीत हुई। इस बातचीत ने कुछ अपना असर जरूर छोड़ा।

राजेन्द्र सिंह सरिस्का के क्षेत्रीय निदेशक से सरिस्का के कार्य से मिलने गए। बातों ही बातों में अजबगढ़ में बन रहे हैरिटेज होटल का जिक्र भी आ गया। उसकी वैधता और अवैधता पर लम्बी बातचीत हुई। सरिस्का के आरक्षित वन क्षेत्र और सरिस्का की सीमा रेखा को देखा-समझा। आरक्षित वन क्षेत्र के कानून की जानकारी ली। होटल निर्माण की प्रक्रिया में सरकार और प्रशासन के स्तर पर क्या-क्या हुआ? मोटी-मोटी जानकारी हासिल की। सरिस्का के अधिकारीगण वैसे तो अजबगढ़ के होटल के पक्ष में नहीं थे लेकिन उसे रोकने में जंगल के सब कानून-कायदे मौन थे। जहां का वातावरण मौन होता है वहीं अन्याय भी पनपता है। इस मौन भाव को तोड़ना ही बगावत होती है। वही बगावत आन्दोलन का रूप ले लेती है। उसी से संघर्ष के रास्ते तय होते हैं। अजबगढ़ के हैरिटेज होटल और तरुण भारत संघ की कार्य पद्धति में ऐसा ही देखने को मिला।

"जहां का वातावरण मौन होता है वहीं अन्याय भी पनपता है। इस मौन भाव को तोड़ना ही बगावत होती है। वही बगावत आन्दोलन का रूप लेती है। उसी से संघर्ष के रास्ते तय होते हैं।"

गांव के कुछ जागरूक लोग बार-बार आकर मिलते थे। उनके हौंसले को बनाये रखने के लिये तरुण भारत संघ उनके विचारों से सहमत दिखता था। लेकिन संस्था के पदाधिकारी सीधे-सीधे सामने आना उचित नहीं समझते थे। इसलिए संस्था में अजबगढ़ क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे, उन्हें ही इस काम में लगाया। उन्होंने क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर होटल के खिलाफ एक आन्दोलन छेड़ दिया। आगे क्या करना है? कैसे करना है? यह सब तरुण भारत संघ में ही तय होता था।

हैरिटेज होटल के निर्माण में यहां के भी कुछ लोग शरीक थे। निर्माण कार्य में यहां के ही मजदूर थे। एक ओर क्षेत्र के जागरूक लोग होटल के दुष्प्रभावों से चिन्तित होकर

आन्दोलनरत थे, दूसरी ओर क्षेत्र के ही मजदूर इसके निर्माण में लगे थे। ऐसे में अपने ही एक-दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। फिर भी सब परिस्थितियों को देखते हुए कार्य करना था। समाज के शुभचिन्तक अपने कार्य में लगे थे।

आन्दोलनकारियों का संस्था से सतत सम्पर्क बना हुआ था। हैरिटेज होटल के आन्दोलन को चार प्रकार से करने की योजना बनी। प्रथम सामाजिक स्तर पर होटल के दुष्प्रभावों को बताना। दूसरे, प्रशासनिक तंत्र द्वारा कानूनों के मकड़जाल को तोड़-मरोड़ने की प्रक्रिया को समझना और सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त करना। तीसरे, दस्तावेजों के आधार पर उच्च न्यायालय जाना। चौथे सौम्य सत्याग्रह करना। इन सब कामों के लिए अलग-अलग व्यक्ति थे। गांव में समाज के साथ गोवर्धन शर्मा, उच्च न्यायालय के कार्य के लिए गोविन्दराम मीणा, दस्तावेज आदि के लिए छोटेलाल मीणा, सत्याग्रह के लिए मुरारी लाल शर्मा। सभी काम एक-दूसरे को सहयोग करते हुए एक साथ करते थे जिसका परिणाम, हैरिटेज होटल निर्माण पर स्टे लगा और तीन साल कार्य बन्द रहा।

लेकिन उद्योगपति-सरकार-प्रशासन तंत्र के गठजोड़ से हैरिटेज होटल का निर्माण कार्य फिर शुरू हुआ। अब अजबगढ़ का 'झिलमिल दह' के नाम का प्रसिद्ध स्थान अमनबाग है। क्षेत्र में आये दिन नई-नई सामाजिक बुराई आ रही थी जिसका पहले से ही डर था। वन क्षेत्र की जमीन पर भी दबंग लोगों के कब्जे हो रहे थे। इस क्षेत्र में जमीन के सम्बन्ध में बने कानून की धज्जियां खुद सरकारी तंत्र ने ही उधेड़ी हैं। इस होटल का उद्घाटन हमारे राज्य की माननीया मुख्यमंत्री जी ने किया। वह राज-काज छोड़ कर रात भर यहां रही थीं।

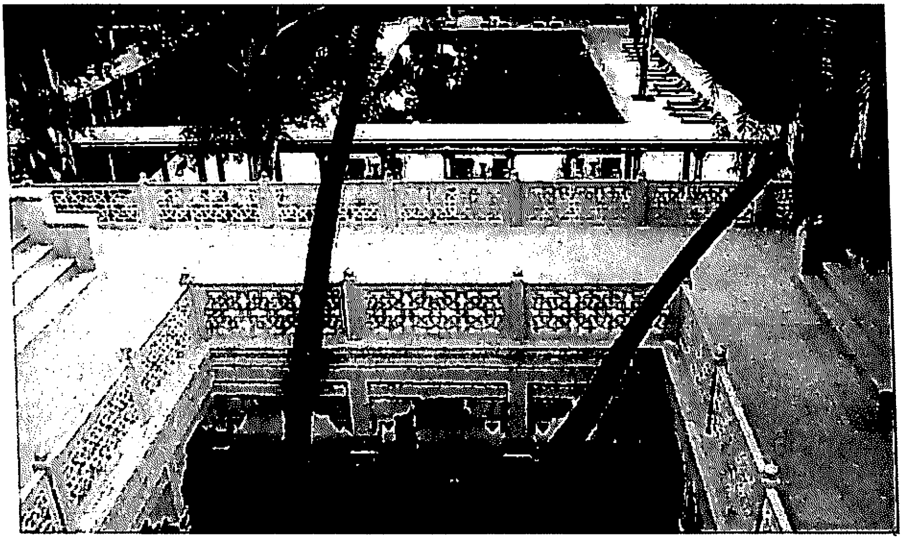

3

सामाजिक जीवन में काम करते-करते कितने प्रकार की समस्यायें आ जाती हैं, बताना बहुत कठिन है। किसी प्रकार की समस्या को लें। पहले वह समस्या सामाजिक बनती है, फिर प्रशासनिक स्तर की समस्या बनती है, उसके बाद राजनैतिक और फिर विनाशकारी समस्या बन जाती है। यह सब एक साथ देखने को मिला हमीरपुर गांव में।

हमीरपुर वासियों ने अपने गांव को अकाल मुक्त करने के लिए कई जोहड़ बनाये थे। उनके निर्माण से उन्हें राहत मिल रही थी। अब वह गांव के पास से गुजरने वाली अरवरी नदी पर एक एनिकट बनाना चाहते थे। नदी पर एनिकट बनवाने के लिए ग्रामवासी अपने नेताओं के पीछे-पीछे बहुत घूमे थे। अलवर और जयपुर के खूब चक्कर लगाये। उन्हें हर वर्ष उनके आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला था।

"सामाजिक जीवन में काम करते-करते कितनी प्रकार की समस्यायें आ जाती हैं, बताना बहुत कठिन है।"

एनिकट के सम्बन्ध में अब वे किसी से बात ही नहीं करते थे क्योंकि उनकी प्रार्थना, अरदास, निवेदन में शायद कोई आकर्षण नहीं रहा था, जिससे नेता और प्रशासन उनके इस व्यवहार से प्रभावित होकर एनिकट कार्य को करा सकें। आखिरकार गांव वालों ने भी एनिकट कार्य कराने का नाम लेना ही छोड़ दिया था। वरना 8 वर्ष से तो तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता भी हमीरपुर में आते-जाते रहते थे। कभी किसी से एनिकट की बातें नहीं हुई थीं। हमीरपुर और आसपास के गांव में भी कच्चे-पक्के जोहड़-एनिकट बन रहे थे।

जब हमीरपुर और आस-पास के क्षेत्र में जोहड़-एनिकट बन रहे थे। हमीरपुर के लोग भी इस काम में लगे हुए थे। गांव के कुछ लोगों ने अरवरी नदी पर एनिकट बनाने के लिए कहा। कार्य बड़ा था। इसलिए उन्होंने पहले ही अपना पूरा सहयोग देने के लिए कह दिया था जिससे संस्था के किसी सदस्य को कोई नकारात्मक बात न कहनी पड़े। संस्था को उपयुक्त जगह और गांव का सहयोग सबसे पहले चाहिये था। वह अरवरी में एनिकट निर्माण के लिए सब ठीक-ठाक था। अच्छी जगह थी, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। अगर एनिकट बनता है तो उसमें रूड़ाराम मीणा की कुछ जमीन डूब में आयेगी तथा खेत के बीच से एनिकट की पाल भी जायेगी जिससे एक खेत दो भागों में बंट जायेगा। यह सब उसे भी मालूम था। कोई भी आदमी ऐसे कार्य के लिए तैयार नहीं होता है।

मगर रूड़ाराम सबसे पहले तैयार था। वही इस एनिकट की पहल भी कर रहा था। गांव वालों के साथ अपना सहयोग भी बराबर देने के लिए तैयार था। फिर किस बात की अड़चन? किसी बात की अड़चन नहीं दिखती थी। वैसे सबसे पहले अरवरी क्षेत्र में रूड़ाराम की पहल पर ही जल संरक्षण के कार्य शुरू हुए थे। हमीरपुर वासियों के एनिकट बनवाने की भी अभिलाषा पूर्ण होती दिख रही थी। वह अपने एनिकट में पानी देखना चाहते थे। इस एनिकट में ऐसी क्या खास बात थी जो सभी लोगों को बेताब करती थी? अपने में निरुत्तर प्रश्न थे।

हमीरपुर वासियों की उत्सुकता को देखते हुए संस्था ने हमीरपुर में एनिकट का कार्य दिसम्बर 1994 में प्रारम्भ कर दिया था। एनिकट का कार्य दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा था। रोज नये रूप में होता। गांव के बड़े-बूढ़े सुबह छाछ-राबड़ी पीकर एनिकट कार्य देखने घर से निकल जाते। कभी धूप में तो कभी पेड़ की छांव में बैठते, अपनी सुलपी में तम्बाकू बदल-बदल कर नई चिलम के कश खींचते रहते थे। वह सुबह आते और दिन ढले ही घर लौटते। जब उनके पेट में अग्नि प्रज्जवलित सी होने लगती थी। उनके जाने से ऐसा लगता जैसे गांव का इतिहास अपने में अनुभवों की पिटारी लिए धीरे-धीरे कदम- दर-कदम एनिकट से दूर जा रहा हो।

"गांव के बड़े-बूढ़े सुबह छाछ-राबड़ी पीकर एनिकट कार्य देखने घर से निकल जाते। कभी धूप में तो कभी पेड़ की छांव में बैठते, अपनी सुलपी में तम्बाकू बदल-बदल कर नई चिलम के कश खींचते रहते थे। वह सुबह आते और दिन ढले ही घर लौटते।"

एनिकट पर काम करने वाले शाम होते ही फिर से नई सुबह का इन्तजार करने लगते और सबेरा होते ही अपने काम में लग जाते। तभी तो बरखा आने से पहले एनिकट तैयार होगा। उसके बाद ही बरखा की रिमझिम के पानी को अपने में समेटेगा। इसी मनःस्थिति में कारीगर की कन्नी; पराती भरे चूनां में जाती; अपनी क्षमता भर चूना लेती और अगले ही पल खाली भी हो जाती थी। कारीगर की निगाहें पास पड़े पत्थरों पर जाती उनमें से एक पत्थर उठाता, देखता और चूना पड़े स्थान पर अच्छे से जमाता। उसके दायें-बायें खाली स्थानों में छोटे-छोटे पत्थर चुन-चुन कर लगा देता। दो-चार हथौड़ी बड़े पत्थर पर मारता, जिससे पत्थर अच्छी तरह से अपने स्थान पर जम जाए। मेहनतकश महिलायें चूने की पराती भरती, उठाती और कारीगर के सामने होती थीं कि कहीं काम न रुक जाएं।

यही भाव काम करने वाले आदमियों के थे। भारी और बड़े पत्थर दो-चार लोग मिलकर उठाते, कारीगर के बताये स्थान पर रखते और सोचते कि इस पत्थर में कितना ऊंचा जायेगा। इस सोच में उनके पैर दूसरा पत्थर लेने के लिए स्वत: मुड़ जाते। वह खड़े-खड़े समय जाया नहीं होने देते थे। ऐसी लगन और बेताबी से हमीरपुर का एनिकट बन रहा था।

4

वर्षा आने से पहले ही एनिकट बन गया था। गांव वालों ने खूब मजबूती के साथ एनिकट को बनाया था। छुटपुट काम रह गए थे। वह भी पूरे होने वाले थे। बस इन्तजार था कि कब वर्षा आये और एनिकट पानी से भरे। एनिकट में पानी भरने का भाव हमीरपुर वासियों में अरमानों को पूरा होने के समान लगता था। उनके मन भाव को देखते हुए एक अदृश्य ऊर्जा के संचार जैसे भाव आते। ऐसे भाव क्यों न आयें? जिस काम के लिए उन्हें भटकते-भटकते कई दशक बीत गए। किस-किस की मन्नतें नहीं की थी इस एनिकट के लिए। जहां भी किसी ने बुलाया, गये।

एम.एल.ए., एम.पी., तहसीलदार, जिलाधीश, मंत्री, मुख्यमंत्री तक दौड़ ही तो सकता है गांव का गरीब आदमी। उसमें हमीरपुर के लोगों ने जरा सी भी कसर नहीं छोड़ी थी। दौड़ते-दौड़ते थक गये थे।

लेकिन अब हमीरपुर वासियों के सामने उनका अपना एनिकट था जिसकी कल्पना वह अपने मन-मस्तिष्क की स्मृति में संजोये हुए थे। वह साकार रूप में था। लोग इधर-उधर जा-जा कर देख रहे थे। देख-देखकर खुश हो रहे थे। जैसे बच्चे का लालन-पालन करके बड़ा करते हैं, बड़ा होने के साथ-साथ कुछ आशायें भी स्वत: बलवती होने लगती

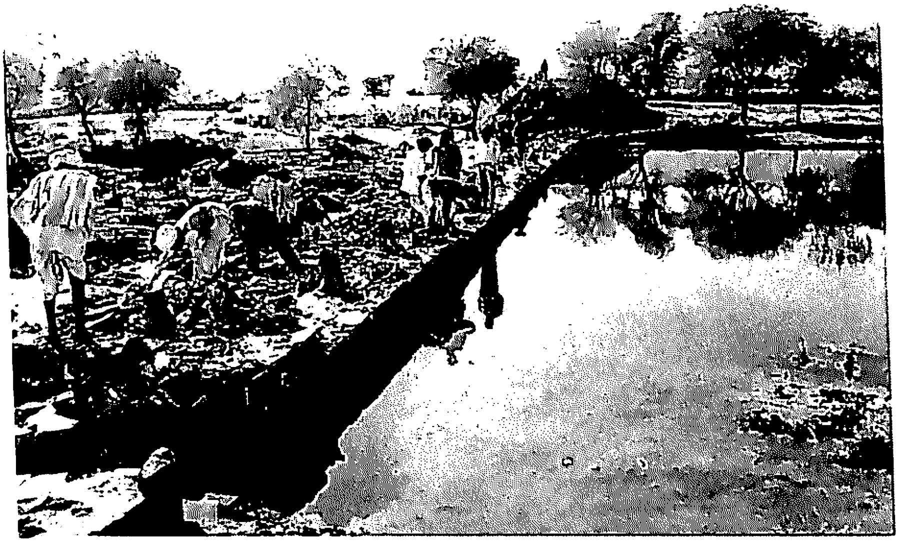

हैं। वही भाव हमीरपुर जनों के चेहरों पर थे। वर्षा आयेगी, पानी रुकेगा, पानी मिलेगा। बच्चों के कपड़े, किताब-कॉपी, शादी-ब्याह, सब कुछ आशायें पूरी होती नजर आ रही थीं। अपने मनोभावों में खोए ग्रामीण बारिश को बुलावा दे रहे थे।

वर्षा के दिन आते-आते आसमान में बादल भी आने शुरू हो गये थे। हमीरपुर के लोग आसमान में उड़ते बादलों के समूह को देख उल्लासित हो उठते कि अब यह बदली जरूर बरसेगी। हर नई बदली के साथ बलवती होती उनकी आशायें एक प्रकार से उन्हें रोमांचित कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के बीच जन मानस की आशायें लुका-छिपी का खेल खेल रही हों।

"अरवरी क्षेत्र में जैसे ही पहली अच्छी बरसात हुई। क्षेत्र के नदी नालों से होता हुआ पानी हमीरपुर के एनिकट में जमा होने लगा था। जैसे-जैसे पानी का स्तर ऊपर आता मानो ग्रामीणों के अरमान सातवें आसमान की बुलन्दियों को छूने ही वाले हों।"

अरवरी क्षेत्र में जैसे ही पहली बरसात हुई। क्षेत्र के नदी नालों से होता हुआ पानी हमीरपुर के एनिकट में जमा होने लगा था। जैसे-जैसे पानी का स्तर ऊपर आता, मानो ग्रामीणों के अरमान सातवें आसमान की बुलन्दियों को छूने ही वाले हों। कोई पहले ही दिन में सब कुछ देखने के उतावलेपन में था, तो कोई एक ही जगह एकाग्रता से पल-पल ऊपर चढ़ते जल स्तर को देख रहा था, कोई चौकन्ना होकर कभी डंडे से नापता तो कोई हाथ, बिलांद और अंगुल से पानी भराव की माप-तोल में लगा हुआ था। मन से सब खुश, बहुत खुश थे। तभी तो गांव जन एनिकट की पाल पर जमा थे और यही सामूहिक एकत्र भाव आशाओं को हकीकत में बदल रहा था।

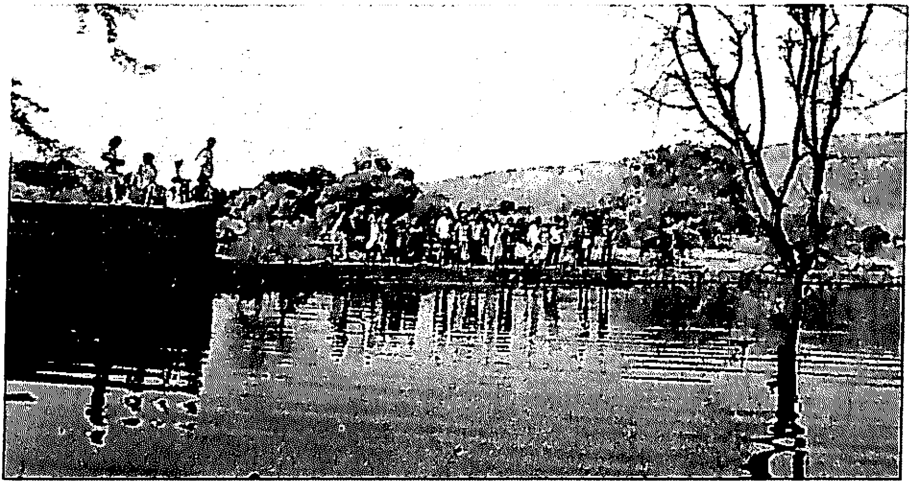

5

वर्षा के मौसम में विभिन्न प्रकार की वनस्पति उगती, पनपती, फूलती-फलती है। उसी में से खेतों में उगने वाली वनस्पति भी है जो किसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तभी तो धारदार खुरपी, दरांती से बार-बार काटता है। कभी-कभी गुस्से में हाथ से जड़ सहित उखाड़ता है। तब जाकर उसके द्वारा बोई फसल के पौधे दिखाई देते हैं। उसी में उसके अरमान समाहित रहते हैं।

1995 की मानसून की पहली वर्षा से किसी को सुख मिला हो या न मिला हो हमीरपुर के लोगों के मन की हिलौरें एनिकट के जमा जल की हिलोरों से अधिक तेज थी। हमीरपुर के एनिकट में पानी आया। पानी के साथ सूक्ष्मजीव भी आये। पानी रुका तो सूक्ष्मजीव भी हवा-पानी के योग से पनपने लगे। प्रकृति में अनन्त योनियां हैं। कुछ को जानते थे। बहुतों के नाम तक भी नहीं जानते थे। उन्हीं में मछली भी थी। यहां के लोग मछली को अच्छी तरह जानते-पहचानते थे। गांव क्षेत्र की मान्यता थी कि मछली का स्वत: ही आना अच्छा होता है। एक प्रकार से सम्पन्नता का शुभ संकेत होता है। मछली पानी में होती है। पानी जीवन है, जीव का भी, वनस्पति का भी। इस भाव से हमीरपुर के लोग पानी के दर्शन को समझते और जीवन्तता के अनुरूप पानी के साथ व्यवहार कर रहे थे।

"वर्षा के मौसम में विभिन्न प्रकार की वनस्पति उगती, पनपती, फूलती-फलती है। उसी से खेतों में उगने वाली वनस्पति भी है जो किसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है।"

बरसात के दिनों में पानी के साथ आई मिट्टी भी तली में जम गई थी। पानी का रूपरंग साफ हो गया था। पानी में रहने वाले जीवों का स्वच्छंद विचरण मन मोह लेता था। हजारों की तादाद में एक साथ तैरती मछलियों के समूह सबका चित्त अपनी ओर खींच लेते थे। मछली को जब कुछ दाना आदि डालते तो एक साथ सैकड़ों मछली ऊपर को मुंह करके छपाक-छपाक की आवाज के साथ पानी पर कूदती। उनके कूदने के साथ ही हमीरपुर के लोग आनन्दित होते थे।

पानी-मछली से सम्पन्न हमीरपुर वासियों की दैनिक दिनचर्या में भी अपनी प्राचीन परम्पराओं का उद्भव हो गया था। अब वह सुबह नदी स्नान करते। पानी से तर्पण 'आचमन' अनुष्ठान कर दीप दान की रस्म करते। बच्चे-युवा सब एनिकट की पाल

पर उछल-उछल कर पानी में कूदते-तैरते खुश होते। महिलायें और युवतियां भी अपने घर के कामकाज से निवृत्त हो नदी किनारे जाती। वह घर के कपड़े धोती सुखाती; स्नान करती फिर घर लौटती। पूरे दिन एनिकट और नदी किनारे हमीरपुर के लोगों का जमावड़ा बना ही रहता था। सांझ परे घर आते थे। सब कुछ प्रकृति रूप था। इस रूप के निर्माता स्वयं वे ही थे।

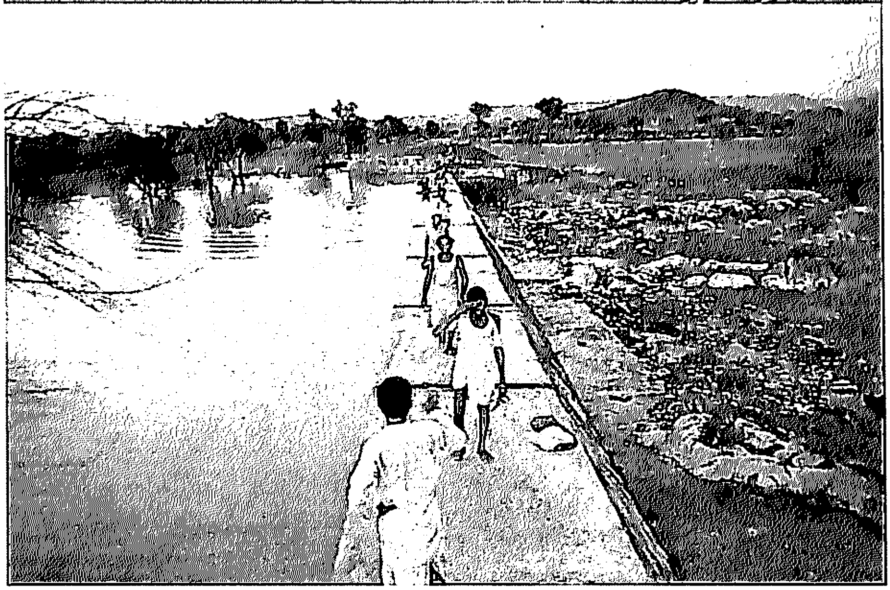

6

तरुण भारत संघ ने उनकी भावनाओं और जरूरत को देखते हुए सहयोग दिया था। उनकी मेहनत और लगन का परिणाम पानी और मछली के रूप में मिला था। इसमें किसी तीसरे का कोई सहयोग नहीं था। लोगों के प्रयास से अगर प्राकृतिक सम्पन्नता आती है तो पहला हक उसी समाज के लोगों का है जिन्होंने प्रयास किये हों। लेकिन हमीरपुर में ऐसा नहीं हुआ।

"लोगों के प्रयास से अगर प्राकृतिक सम्पन्नता आती है तो पहला हक उसी समाज के लोगों का है जिन्होंने प्रयास किये हों।"

हमीरपुर में आये पानी और मछली पर कानूनी रूप से अलवर के मत्स्य विभाग का अधिकार अनायास ही बन गया था। तभी तो अलवर में बैठे-बैठे ही अधिकारियों ने हमीरपुर के एनिकट और अरवरी नदी में पल रही मछलियों को पकड़ने का ठेका ताला के लतीफ मियां को अट्ठारह हजार सात सौ रुपये में दे दिया था। उन्होंने न तो हमीरपुर में पल रही मछली देखी थी और न ही पानी देखा था। यहां तक कि गांव के किसी आदमी से कभी कोई बातचीत भी नहीं की थी।

प्रशासन तंत्र के साथ लतीफ ठेकेदार की मिलीभगत से गांव की संपत्ति का मालिक अब लतीफ था। गांव वालों को तो तब मालूम हुआ जब लतीफ मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव, जाल और भी सामान के साथ हमीरपुर पहुंचा। उसने नदी की मछलियों पर अपना कानूनी हक जताया। साथ ही अलवर मत्स्य विभाग के अधिकारी द्वारा जारी ठेकेदारी के कागजात दिखाए। गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे कि हमने अपने पैसे और मेहनत से एनिकट बनाया है। सरकार या उसके किसी नुमाइन्दे का एक भी पैसा नहीं लगा है। अब मालिक सरकार है। यह कैसा न्याय? यह तो घोर अन्याय है। हम सरकार के इस प्रकार के ठेके को नहीं मानते हैं। गांव वालों ने एकत्रित होकर लतीफ ठेकेदार का नाव सहित सभी सामान अपने कब्जे में कर लिया।

लतीफ को भी ऐसी आशा नहीं थी कि गांव वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। वह सीधा प्रतापगढ़ थाने गया। सरकारी ठेके के अनुसार गांव वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। थाने से भी तुरन्त पुलिस दल आया। गांव वालों को डराया, धमकाया। पुलिस जो भी हथकंडे अपना सकती थी, अपनाये। लेकिन गांव वालों ने बात नहीं मानी। आखिरकार लतीफ अलवर जिलाधीश की शरण में गया। जिलाधीश ने सम्बन्धित

विभाग के अधिकारियों और थानागाजी के तहसीलदार और एस.डी.एम को आदेश दिया। सभी ने अपने-अपने तरीके से हमीरपुर के लोगों को कानूनी पाठ पढ़ाने का प्रयास किया और दबाव भी डाला। गांव वालों का एक ही उत्तर था कि जब हमारे गांव में पानी नहीं था, मछली नहीं थी, तब सरकार और मत्स्य विभाग कहां था? भगवान ने हमें मछली दी है। हम तो रोज इनके दर्शन करते हैं और चुगा भी डालते हैं। यह हमें जान से ज्यादा प्यारी है। हमारे गांव में कोई भी मछली नहीं पकड़ता, न कभी खाता है।

ऐसी भावनात्मक बातों में भला मत्स्य विभाग के अधिकारी कहां आने वाले थे ? सरकारी तंत्र कानूनी भाषा जानता है। कानून क्या कहता है? उसके ही अनुसार तंत्र कार्य करता है। हमीरपुर की मछली पकड़ने का ठेका भी कानूनी दांवपेच समझ कर दिया गया था। उनका तर्क था कि नदी-नाले और बरसाती पानी सरकार का होता है। नदी चाहे कहीं से भी जाए, है तो सरकार की सम्पत्ति। फिर गांव वाले मछली क्यों नहीं पकड़ने देंगे? हमने सभी कानूनी कागजात पूरा होने पर ही ठेका दिया है।

ग्रामीणों ने सरकारी तंत्र के कानून और धमकी के आगे झुकना उचित नहीं समझा। अगर इनकी बातों में आकर एक बार हां कर दी तो हमेशा के लिए एनिकट का पानी सरकार का हो जायेगा। इस प्रकरण को लेकर ग्रामवासी जिलाधीश अलवर से भी मिले। अखबारों ने गांव के प्रयासों पर सरकार का अतिक्रमण बताया। आखिरकार सरकार को ठेका रद्द करना ही पड़ा। गांव वाले इस प्रकार के रवैये से परेशान तो बहुत हुए पर अब खुश थे कि हमने सरकारी ठेका रद्द करा दिया।

मछली का ठेका रद्द हुआ। लतीफ का सामान भी गांव वालों ने दे दिया था। यूं देखें तो गांव वालों का झगड़ा लतीफ से कुछ भी नहीं था। उसने सरकारी ठेका लिया था। कैसे लिया, वह सब अलग बात है। मत्स्य विभाग ने ठेका दिया और उसने ही गांव की जद्दोजहद के चलते रद्द भी कर दिया। बस, बात खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

जैसे ही सरकारी ठेका रद्द हुआ तो एक पराजय और खीज के मनोभाव में लतीफ अपने सामान को लेकर चला गया था। जब आदमी के मन में लोभ आ जाता है तो वह उसके वशीभूत होकर घिनौना कृत्य करता है। उसे उस समय अच्छे-बुरे का भी भान नहीं होता। आदमी के स्वभाव में आये खीजपन से ईर्ष्या और द्वेष का भाव उद्‌भव होता है। ईर्ष्या और द्वेष के कारण आदमी की घृणित कृत्य करने की प्रबलता और बढ़ जाती है। इसी मनोवृत्ति के चलते लतीफ ने हमीरपुर वासियों को सबक सिखाने की मनसा से ईर्ष्या-द्वेष के वशीभूत हो घृणित कार्य किया।

लतीफ ने 6 जून 1996 नदी के जल में जहर घोल दिया। नदी का जल विषैला हो गया। जल में रहने वाले जीव-जन्तु मरने लगे। एनिकट व एनिकट के नीचे नदी बहाव क्षेत्र में जितनी भी मछलियां थीं, सब मारी गईं। मरी मछलियां व जल जन्तु पानी की ऊ परी सतह पर तैरने लगे। उन्हें हजारों पक्षी अपनी चौंच व पन्जों से उठा ले जाते थे। बाज, चील तो उड़ते-उड़ते ही खा लेते। कौआ, बगुला आदि दूर ले जाकर चौंच से नौंचते और निगल जाते। बड़ा भयावह दृश्य था। जो जल अमृत के समान था। अब वह विष बन गया था। जिस एनिकट और नदी तट पर हमीरपुर के लोगों का तांता लगा रहता अब वीरानगी में बदल गया था।

7

1996 के मानसूनी मौसम में अलवर में अच्छी बरसात हुई थी। किसानों का संवत बन गया था। लेकिन अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अतिवृष्टि होने के कारण भरतपुर के डीग और कामां क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त हो गये थे। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन पर भी उसकी खबरें मिल रही थीं। हम सब अपने संस्थागत कार्यों में व्यस्त थे। वृक्षारोपण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन जागृति आदि कार्य चल रहे थे। जल संरक्षण के रचनात्मक कार्य अभी बन्द थे। भरतपुर की बाढ़ व बाढ़ पीड़ितों को मदद के विषय में अभी आपसी स्तर पर बातचीत कर ही रहे थे कि भरतपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्य शुरू करने का प्रस्ताव आ गया।

"अतिवृष्टि होने के कारण भरतपुर के डीग और कामां क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त हो गये थे। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन पर भी उसकी खबरें मिल रही थीं। हम सब अपने संस्थागत कार्यों में व्यस्त थे। वृक्षारोपण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जन जागृति आदि कार्य चल रहे थे। जल संरक्षण के रचनात्मक कार्य अभी बन्द थे।"

भरतपुर की बाढ़ की खबर को सुनकर ऑक्सफेम इण्डिया ट्रस्ट, अहमदाबाद से प्रतिनिधि श्री सेमुअल भरतपुर आये थे। 4 सितम्बर को जब वह वापस अहमदाबाद जा रहे थे तो तरुण भारत संघ भीकमपुरा होते हुए ही गए थे। उन्होंने भरतपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्य करने की बात चलाई। मैंने इसे बहुत हल्के से लिया था। सोचा सरकारी तंत्र इसमें लगा हुआ है, कुछ संस्थायें भी काम कर रही हैं, अभी हमारे पास ऐसा खास साधन भी नहीं है जिससे बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्य किया जा सके। राजेन्द्र सिंह भी बाहर गये हैं। उनके आने पर ही कुछ व्यवस्था हो सकेगी। सेमुअल ने कहा कि राजेन्द्र सिंह आने पर मेरे से सम्पर्क अवश्य करें। अभी मैं जल्दी में हूं, देर रात अहमदाबाद पहुंचना है। सेमुअल अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे।

अब इस क्षेत्र में वर्षा का मौसम एक प्रकार से खत्म सा हो चला था। कभी-कभी हल्की बूंदाबांदी होती थी। मक्का आदि फसल की कटाई भी चल रही थी। जो खेत सरसों के लिए खाली छोड़े थे, किसान उनकी जुताई में लगे थे।। बरसात के बाद सूरज के तेवर और प्रखर हो जाते। इस धूप में जितनी अच्छी जुताई होगी, सरसों, चना आदि की फसल भी उतनी ही अच्छी होगी; इसी लालच से किसान धूप ताप की परवाह किए बगैर हल के पीछे-पीछे अपने भविष्य का ताना-बाना बुनता चलता था।

प्रकृति को जो अच्छा लगता है, वह वही करती है। उसके अपने नियम है। उसी के अनुसार स्वयं अपना संचालन भी करती है। उसे मनुष्य के विज्ञान की पालना नहीं करनी पड़ती है। मनुष्य द्वारा विकसित विज्ञान तो प्रकृति के रहस्य को समझने में कुछ अंश मात्र ही सहायक हो पाता है। ऐसा ही 29 सितम्बर के दिन हुआ। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को धत्ता बताते हुए अलवर में भारी वर्षा हुई। इस बारिश ने अलवर की किशनगढ़वास तहसील में बाढ़ का रूप धारण कर लिया था। अधिक वर्षा होने के कारण भमौरा घाटी वाला बांध टूट गया था। उसके टूटने से नीचे के बांध में पानी गया। एक साथ पानी आने से नीचे वाले बांध भी टूटते गये। यह सब रात्रि में हुआ था। कई गांव उजड़ गए थे। बाढ़ में कुछ लोग भी बह गए थे। जिनका क्षत-विक्षत शरीर भी कई किलोमीटर दूर बहकर चला गया था। बाढ़ क्षेत्र के लोग रात के अंधेरे में घरबार छोड़ कर पास की पहाड़ी पर चले गए थे। पशुओं को खोल दिया था। बाढ़ से तबाही का मंजर बड़ा ही डरावना था। दूसरे दिन जैसे ही अखबारों के माध्यम से खबर पढ़ी तो सबसे पहले संजय डॉक्टर के मार्गदर्शन में एक टीम बाढ़ क्षेत्र में भेजी।

"प्रकृति को जो अच्छा लगता है, वह वही करती है। उसके अपने नियम हैं। उसी के अनुसार स्वयं अपना संचालन भी करती है। उसे मनुष्य के विज्ञान की पालना नहीं करनी पड़ती है।"

दूसरे दिन भी परिस्थिति को देखते हुए कुछ राहत सामग्री भेजी। बाढ़ पीड़ितों को सबसे अधिक भोजन व्यवस्था की परेशानी हो रही थी। लोग पहाड़ी पर थे, उनके चारों ओर पानी ही पानी था। आने-जाने के रास्ते बन्द थे। जो खुद अन्न पैदा करते थे आज वही एक-एक रोटी के लिए मोहताज दिखाई दे रहे थे। सरकारी स्तर पर भी हेलीकॉप्टर से ब्रेड के पैकेट गिराये गये जो पानी में तैरते दिखाई दे रहे थे।

पड़ोसी गांवों व कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं की ओर से खाने के बंदोबस्त किये जा रहे थे। संस्था की स्वास्थ्य टीम राहत कार्यों में लगी थी। दवाई और भोजन की व्यवस्था में संस्था के कार्यकर्ता रात-दिन लगे रहे। यह सब संस्था के द्वारा आपातकालीन व्यवस्थायें थीं।

बाढ़ की विनाशलीला को देखते हुए राजेन्द्र सिंह ने सेमुअल से सम्पर्क किया। उन्होंने राजेन्द्र सिंह से विस्तार से चर्चा की और तुरंत ही 8.5 लाख रुपये की एक परियोजना भेज दी। सेमुअल से बातचीत होने के बाद परियोजना अनुसार कार्य शुरू कर दिया गया था।

बाढ़ का कहर कुछ कम हुआ तो संस्था के कार्यकर्ताओं ने बाढ़-क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया जिसमें तीन गांव अधिक प्रभावित हुए थे। इन गांवों में अधिकतर मेव और सिख-सरदार परिवार के लोग थे। कई परिवारों के मकान बाढ़ में बह गये थे। कच्चे मकान

गिर गये थे। घरों में रखा अनाज भी पूरा खराब हो गया था। पानी के तेज बहाव के कारण खेत भी कट गए थे। खेत में खड़ी फसल भी नष्ट हो गई थी। यह सब देखते हुए बिना किसी भेदभाव किये बाढ़ पीडितों को संस्था के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। यहां जाति-पांति का सवाल नहीं था। यह सब इन्सानियत के नाते मानवीय कार्य था।

"पानी के तेज बहाव के कारण खेत भी कट गए थे। खेत में खड़ी फसल भी नष्ट हो गई थी। यह सब देखते हुए बिना किसी भेदभाव किये बाढ़ पीडितों को संस्था के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।"

बाढ़ पीड़ितों के उजड़े घरों को आबाद करने के लिए संस्था ने 15×12 फुट का आशियाना बनाने का तय किया। प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए लोहे की 5 चादरें दी थी और अनाज रखने के लिए भण्डारण पात्र ताकि कुछ स्थाई समाधान भी हो सके। साथ ही साथ स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों से उपचार किया गया था। इस काम में राजेन्द्र सिंह, डॉ. संजय सिंह, सीताराम सिंह, कैलाश जैमन, नरेन्द्र सिंह आदि ने बाढ़ पीड़ितों की सेवा की। सेमुअल ने भी क्षेत्र में आकर बाढ़ से पीड़ित ग्रामीण जनों के दर्द को बांटा था।

बाढ़ के कारण तरुण भारत संघ का कार्य अब अलवर के पूर्वी भाग तक फैल गया था। उससे पहले अलवर तक ही सीमित था। बाढ़ राहत के बाद तरुण भारत संघ ने लोगों को जल संरक्षण के काम में लगाया जिससे उन्हें राहत मिले और सामान्य होकर अपने जीवन की गति को आगे बढ़ायें। इस प्रकार संस्था ने छः महीने तक विभिन्न प्रकार से बाढ़ पीड़ितों की मदद की।

तरुण भारत संघ

तेरहवां कदम

1

राजस्थान में बाढ़ आना (1997 में) एक प्रकार से आश्चर्य की बात थी। क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं। बाढ़ तो प्रकृति का एक रूप मात्र है। प्रकृति को कब-कौन सा रूप अच्छा-बुरा लगे और वह अपना रूप बदल दे, वही जानती है। प्रकृति के रहस्य को कोई नहीं जानता। प्रकृति का चक्र चलता रहता है। अलवर में बाढ़ आना प्रकृति का ही चक्र था। सभी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान गलत साबित हुए। 1997 का मानसून पूर्वी राजस्थान के लिए अकाल से अधिक दुखदायी साबित हुआ। अलवर और भरतपुर की जनता 1996 की बाढ़ को भुला भी नहीं पाई थी कि 1997 के मानसून ने ऊपर से वज्रपात कर दिया।

"प्रकृति को कब कौन सा रूप अच्छा-बुरा लगे और वह अपना रूप बदल दे, वही जानती है। प्रकृति के रहस्यों को कोई नहीं जानता।"

अलवर में हुई भारी वर्षा के कारण किशनगढ़वास, रामगढ़, नौगांव में भारी तबाही हुई। यहां से पानी जब भरतपुर में गया तो वहां डीग, कामां और पहाड़ी तहसीलों को चारों ओर से घेर लिया। कई गांव डूब गए। सभी सड़क, रास्ते जलमग्न हो गए थे। आदमी के आवागमन के साधन अस्त-व्यस्त हो गए। जो गांव ऊंचाई पर बसे थे, अब वह टापू जैसे नजर आ रहे थे। नहर टूटने के कारण हरियाणा से आने वाले पानी ने कामां में कहर बरपा दिया था। उधर उत्तर प्रदेश की सरकार भी चौकन्नी हो गई थी कि कहीं राजस्थान के लोग मथुरा जाने वाली नहर में अधिक पानी न छोड़ दें, जिससे मथुरा क्षेत्र में बाढ़ आ जाये। इसलिए उत्तर प्रदेश नहर का जाब्ता दस्ता पूरी मुस्तैदी के साथ मय पुलिस बन्दोबस्त बोर्डर पर जमा हुआ था। जहां बरसात के कारण नहर की पाल में कटाव आ गए थे, वहां मरम्मत कार्य चालू था।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश नहर की मुख्य जगह पर हमारी राहत टीम को जाना था। जब नहर की पाल पर हमारी गाड़ी चल रही थी तो सभी लोगों के दिल की धड़कन तेज हो चली थी। कैलाश गाड़ी चला रहा था। डर हमें लग रहा था। पाल पर वर्षा के कारण पानी था। उस पर यू.पी. सरकार के सिंचाई विभाग के जाब्ता दस्ते के डम्फरों के चलने से नहर की पाल पर गाड़ी तो क्या पैदल चलना भी दूभर था। कभी-कभी ऐसा लगता था कि गाड़ी अब गिरी। एक तरफ नहर थी तो दूसरी ओर बाढ़ का अथाह पानी। अगर जरा सी चूक हुई, तो कई जानें एक साथ जाती-सी लगती थीं।

कैलाश जैमन ने जैसे-तैसे राजस्थान और यू.पी. के मिलन क्षेत्र में गाड़ी पहुंचाई, हमारी जान में जान आई। यहां बाढ़ पीड़ित लोगों से मिले, उनके साथ बातचीत हुई। पूरा इन्द्रपुरी गांव पानी में डूब गया था। वह अपनी जान बचा कर जैसे-तैसे आए थे। अब तक इन लोगों को सरकारी सहायता के नाम पर कुछ भी राहत नहीं मिली थी। आसपास के गांव से ही कुछ खाद्य सामग्री मिल रही थी। उसी के सहारे खुले आसमान के नीचे वर्षा-धूप में रात दिन रह रहे थे। पानी भराव के कारण बीमारियां बढ़ रही थीं। जब हम वहां गए तो हमारे साथ दवाइयां भी थी। डॉ. संजय और सीताराम सिंह ने बीमार लोगों का उपचार किया।

कामां बाढ़ क्षेत्र में तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं की टीम ने स्वास्थ्य कार्य के साथ-साथ प्रभावित लोगों का सर्वे भी किया। उन्हें किस प्रकार की जरूरत है, इसकी जानकारी ली। लोगों की जरूरत के अनुसार ही राहत कार्य करने थे। वैसे तो 1996 के अनुभव के आधार पर सिर की छत के लिए पांच टीन 12×3 की और अनाज भण्डारण पात्र देना ठीक था। बाढ़ का असर बड़े क्षेत्र में था। गांव में जहां तक जा सकते थे, जाने का भरसक प्रयास करते थे लेकिन कई गांव ऐसे भी थे जहां पर नहीं जा सकते थे। तरुण भारत संघ ने पहले इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया था। इसके कारण भी कठिनाई हो रही थी।

"आसमान के नीचे वर्षा-धूप में रात दिन रह रहे थे। पानी भराव के कारण बीमारियां बढ़ रही थीं। जब हम वहां गए तो हमारे साथ दवाइयां भी थी। जिनसे बीमारी का उपचार किया।"

2

कामां में लोक जुम्बिश परिषद की परियोजना चल रही थी। शिक्षण कार्य संचालक प्रतिनिधि भी कामां में ही रहते थे। उनका ऑफिस भी यहीं था। उनसे सम्पर्क किया। वहां अशोक आहूजा से मुलाकात हुई। हमने तरुण भारत संघ की बाढ़ पीड़ितों की सहायता के सन्दर्भ में पूरी योजना बताई। उन्होंने हमारे काम में रुचि दिखाई। उनके साथ कई गांवों में भी गये। बीमार लोगों को दवाई दी और प्रभावित लोगों के बारे में जानकारी ली। कई गांवों की बड़ी दयनीय स्थिति थी।

अब हम दो दिन लोक जुम्बिश स्टॉफ के साथ घूमे। सब हमारे साथ बड़े मन से लगे हुए थे। हमें भी कामां में एक जगह मिल गई थी। लोक जुम्बिश की प्रभारी हमारे साथ आगरा भी गई। वहां हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए त्रिपाल देखी, लोहे की चादर के भी भाव लिए। उनकी रुचि को देखते हुए हमने बाढ़ प्रभावित लोगों के सर्वे का कार्य उन्हें ही सौंप दिया था। उन्हीं के सहयोग से राहत सामग्री वितरण की व्यवस्था रखी।

पहली बार हम दो ट्रैक्टरों में लोहे की चादरें भर कर भीकमपुरा से कामां क्षेत्र के लिए गए थे। सबसे पहले भण्डारा गांव में गये। वहां के प्रभावित लोगों की सूची हमने स्वयं गांव में जाकर बनाई थी। हमने वहां के सरपंच का भी सहयोग लिया था। गांव में घूमने से मोटे तौर पर मालूम हुआ कि गांव में पार्टीबाजी खूब है। वैसे पूरे गांव में मेव मुसलमान थे। एक-दो घर हरिजन परिवार के थे। पहले पहल जब भण्डारा गांव में गये तो सरपंच के पास ही गये थे। उसकी बैठक में ही आराम भी किया और लोगों से बातचीत करके पूरे इलाके के बारे में जानकारी ली थी।

दो ट्रैक्टर भरे टीन चादर वहां लोगों के लिए एक प्रकार से आश्चर्य की बात लग रही थी। इस प्रकार से ऐसी राहत सामग्री को देख लोगों में लोभ भी आ गया था। हम प्रभावित लोगों को देना चाहते थे जिनकी सूची हमारे पास थी। गांव के लोगों की मंशा अपने-अपने समूह को दिलवाने की थी। गांव के दोनों समूहों के लोग उपस्थित थे। चादर लेने के लिये उतावले हो रहे थे।

जिस सरपंच के आश्वासन पर हम दो ट्रैक्टर भर कर चादर ले गए थे। अब उसे जुबान कहें या बदनीयत लेकिन नियत बदलती देखी। एक ओर खड़े होकर अपने समूह के लोगों को चादरें लूटने के लिए कह रहा था। वहीं मैं भी खड़ा था और उसकी कारगुजारी देख रहा था। बहुत बुरा लगा।

दो सौ किमी चल कर तो हम उस गांव में गये थे। सुबह से वैसे ही भूखे-प्यासे थे। सभी राहत सामग्री भी उसी गांव के लोगों के लिए थी। फिर लूटपाट क्यों? हम तो दो दिन के इरादे से गये थे कि दो दिन में सब को बांट देंगे। लेकिन सरपंच की बात सुनकर गुस्सा भी आया, उसे वहीं डांटा। वहां खड़े लोगों को सरपंच की यह हरकत अच्छी नहीं लगी थी। सरपंच कुछ झेंप सा गया था। हमने स्थिति को भांपते हुए वहां से निकलना ही उचित समझा। सूरज भी छिपने वाला था, इसलिए सुबह आने के लिए कह कर हम कामां लोक जुम्बिश ऑफिस पर आ गए थे।

"दो सौ किमी चल कर तो हम उस गांव में गये। सुबह से वैसे ही भूखे-प्यासे थे। सभी राहत सामग्री भी उसी गांव के लोगों के लिए थी। फिर लूटपाट क्यों?"

भण्डारा गांव के बारे में अशोक आहूजा को बताया कि गांव में हमारे साथ ऐसा बर्ताव हुआ था। उसने कहा यहां मेव लोग अधिक झगड़ालू हैं। अब यह वितरण का काम कामां में ही ऑफिस पर करेंगे। जो भी हमने सर्वे किया है उसे आप देख लें। गांव में भी जाकर जानकारी कर लें कि जिन लोगों को हमने चुना है, वे सही हैं या नहीं। आप जिन गांवों को बताते जायेंगे, उन्हीं को राहत सामग्री वितरण की जायेगी। हमें यह सुझाव अच्छा लगा। बाढ़ प्रभावित लोगों को तभासं के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय सिंह, नरेन्द्र सिंह और सीताराम सिंह की देखरेख में ही राहत सामग्री वितरण की गई थी।

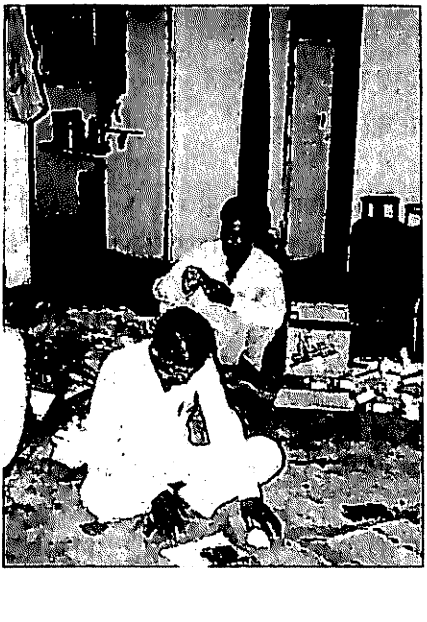

3

अलवर की जनता को इस वर्ष पुनः बाढ़ की मार झेलनी पड़ी। इस बार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य संस्था की ओर से पहले ही दिन से शुरू कर दिये गए थे। यहां दो समुदाय के लोग अधिक प्रभावित हुए थे- मेव और सिख। हिन्दू परिवार के लोग कम ही प्रभावित हुए थे क्योंकि उनकी जनसंख्या भी बहुत ही कम थी। संस्था की कार्यशैली और उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के साथ व्यावहारिक कार्य करना था। यहां भोजन सामग्री, दवाई आदि की सहायता तुरन्त संस्था के द्वारा दी जाने लगी थी।

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए ऑक्सफेम इण्डिया ट्रस्ट, अहमदाबाद से भी तुरन्त सम्पर्क किया गया था। आक्सफेम के प्रोग्राम कॉआर्डिनेटर तुरन्त अलवर आए। बाढ़ क्षेत्र देखा। राजेन्द्र सिंह के साथ विस्तार से बातचीत हुई और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए परियोजना तैयार की गई जिसमें दवाई, सिर छुपाने के लिए टीन की चादरें और अनाज रखने के लिए भण्डारण पात्र आदि सुविधायें देना तय किया गया। ऑक्सफेम प्रतिनिधि श्री सेमुअल ने परिस्थिति को देखते हुए अति शीघ्र परियोजना को स्वीकृति देकर बाढ़ पीड़ितों के राहत कार्यों में तेजी ला दी।

"सभी सामग्री बिना किसी भेदभाव के सही प्रभावित लोगों को दी गई थी।"

अब संस्था के पदाधिकारियों ने राहत कार्यों में तेज गति के लिए अन्य सम्बन्धित लोगों से भी सम्पर्क किया। उन्होंने भी इस काम में अपनी रुचि दिखाई। भारतीय अन्न सुरक्षा अभियान-जयपुर और भारत स्टील ऑथरिटीज-जयपुर कार्यालय के सहयोग से अच्छी राहत सामग्री की व्यवस्था हो गई थी। तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं ने भी रात-दिन एक कर दिया था। पीड़ितों की तात्कालिक व्यवस्था में पहले दवाई और भोजन की व्यवस्था की गई थी।

उसके बाद ऑक्सफेम की सहायता से कुछ स्थायित्व देने वाली राहत सामग्री दी गई थी। इस प्रकार की राहत किसी अन्य संस्था या सरकार ने भी नहीं दी थी। सभी सामग्री बिना किसी भेदभाव के सही प्रभावित लोगों को दी गई थी। गांव की समिति बना कर राहत सामग्री उन्हीं के द्वारा वितरण की गई थी।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गांवों में अच्छा सौहाद्रपूर्ण संगठन बना। संस्था ने क्षतिग्रस्त जल संरचनाओं को भी ठीक कराया, उनके बाढ़ से प्रभावित खेतों को भी ठीक किया गया। अलवर, भरतपुर में बाढ़ आने के कारण का एक वैज्ञानिक अध्ययन भी कराया गया था जिसमें अलवर-भरतपुर का विस्तृत भौगोलिक विश्लेषण था।

4

पावड़ी परियोजना राजस्थान के दो जिलों में एक मॉडल के रूप में थी। इसके लिए अलवर और प्रतापगढ़ जिले में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन तरुण भारत संघ और सहयोग को चुना गया था। तीन साल की समयावधि 1996 से 1998 तक के लिए 16 करोड़ की परियोजना थी।

अलवर में अजबगढ़ जलग्रहण क्षेत्र को केन्द्र में रख कर विकास के समग्र पहलुओं को लेते हुए परियोजना की रूपरेखा बनाई गई थी। इस परियोजना में चार पक्ष थे- स्वीच डवलपमेंट कॉरपोरेशन,राजस्थान सरकार,लाभार्थी समाज और तरुण भारत संघ। परियोजना को क्रियान्वित करने में चारों पक्षों के कार्य भी विभाजित थे। किसको क्या करना है? इसके लिए कई बैठकें भी हुईं। सभी प्रकार की संभावनाओं और प्रतिकूलताओं को देखते हुए एक-दूसरे का साथ देने के लिए वातावरण बनाया गया था। उसी के बाद परियोजना को क्रियान्वित रूप में परिणत किया गया।

पावड़ी परियोजना क्रियान्वित करने से पूर्व यानी वर्ष 1996 तो परियोजना की रूपरेखा और आपसी समझ, समन्वय की भावना को विकसित करने में ही बीता था। एक प्रकार से सर्वविदित है कि सरकारी तंत्र और स्वैच्छिक संस्थाओं की कार्यशैली में बहुत ही अन्तर है। उसी अन्तरभाव को कम करने के लिए बम्बई की संस्था के प्रतिनिधियों ने दोनों पक्षों की मध्यस्थता करते हुए, एक साथ सहभागी प्रशिक्षण तरुण भारत संघ परिसर में ही किया था।

प्रशिक्षण में संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे। दोनों को आज सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत महसूस हुई थी या एक प्रकार से दिखावा मात्र था। क्योंकि दोनों पक्षों को समाज के बीच में काम करते एक लम्बा समय हो गया था। जो भी प्रशिक्षणार्थी थे, अनुभवी थे, उम्र से भी और कार्य से भी। फिर भी प्रशिक्षण!

किसी भी व्यक्ति या संस्था के वैचारिक मतभेद कभी बदले तो नहीं जा सकते हैं। हां, उनमें समन्वय भाव जरूर बनाने का प्रयास किया जा सकता है। यह भी तभी सम्भव है

"वैचारिक मतभेद कभी बदले तो नहीं जा सकते हैं, हां उनमें समन्वय भाव जरूर बनाने का प्रयास किया जा सकता है। यह भी तभी सम्भव है जब कार्य की दिशा और दृष्टिकोण एक हो।"

जब कार्य की दिशा और दृष्टिकोण एक हो जिससे लक्ष्य प्राप्ति में सुकून मिलने की संभावना हो। अनेक प्रकार के द्वन्द्वों के चलते पावड़ी परियोजना के दो मुख्य पक्षों का प्रशिक्षण संस्था परिसर में शुरू हुआ। जयपुर से आये अधिकारीगणों की आवासीय व्यवस्था भी संस्था में ही थी। सभी रात-दिन साथ-साथ ही रहते थे।

पावड़ी परियोजना को अप्रैल 1996 में क्रियान्वित किया गया। परियोजना के उद्देश्यों व कार्य पद्धति को लेकर अजबगढ़ जलग्रहण क्षेत्र में वातावरण बनाना और जन समुदाय को परियोजना से जोड़ने का काम तरुण भारत संघ का था। वैसे तो संस्था इस क्षेत्र में पिछले एक दशक से जन समस्याओं के साथ जुड़ी हुई थी। फिर भी परियोजना की समग्रता को देखते हुए जानकारी देना प्राथमिक कार्य था।

परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम को एक इकाई मान कर उसमें सर्वसम्मति से एक कमेटी गठित कर दी गई थी। कमेटी के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। परियोजना के उद्देश्यों की जानकारी दी गई। क्या-क्या कार्य करने हैं ? कैसे करने हैं ? किन-किन विभागों का सहयोग मिलेगा ? उनके अधिकारी, कर्मचारी कहां कैसे सहयोग करेंगे ? जिससे हमारे क्षेत्र का समग्र विकास हो सके । परियोजना की पृष्ठभूमि को विस्तार से बताया गया था। उसके अलावा कमेटी के सदस्य और ग्रामवासियों को भी परियोजना की व्यावहारिक विस्तृत जानकारी दी गई थी।

परियोजना को देखते हुए पूरे क्षेत्र का वातावरण बना था। पूरी योजना समाज आधारित थी। इसमें समाज का भी दस प्रतिशत का सहयोग लिया जाना था। इस सहयोग को शामिल कराने के लिए सरकारी तंत्र से बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी थी। सरकारी अधिकारीगण न जाने क्यों समाज का सहयोग लेने से डर रहे थे? वह बार-बार एक ही रट लगा रहे थे कि गांव के लोग कहां से और कैसे सहयोग कर सकते हैं? वे तो पहले से ही गरीब हैं। अगर गांव से सहयोग लिया जाता है तो परियोजना के कार्य प्रभावित होंगे। जबकि यहां का समाज संस्था से जुड़कर 25-30 प्रतिशत तक सहयोग पहले से ही दे रहा था।

"सरकारी तंत्र की कार्यशैली में भी अन्तर दिखाई देने लगा था। उनके व्यवहार में वही अक्खड़पन, चालाकी और संकीर्णता से ग्रसित कार्य करने के तौर-तरीके थे। अब परियोजना के सब प्रकार के आदर्श और उद्देश्य एक ओर कर दिये गये थे।"

संस्था के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य था कि परियोजना में समाज का सहयोग रहेगा तो पारदर्शिता रहेगी। वह अपने हिसाब के साथ-साथ सरकारी तंत्र का भी हिसाब रखेगा। काम की गुणवत्ता भी अच्छी होगी । इसके लिए किसानों और गांवों की कमेटियों के साथ बार-बार प्रशिक्षण के अभियान चलाये गये थे।

परियोजना का कार्य जैसे-जैसे बढ़ रहा था वैसे-वैसे सरकारी तंत्र की कार्यशैली में भी अन्तर दिखाई देने लगा था। उनके व्यवहार में वही अक्खड़पन,चालाकी और संकीर्णता से ग्रसित कार्य करने के तौर-तरीके थे। अब परियोजना के सब प्रकार के आदर्श और उद्देश्य एक ओर कर दिये गये थे। उनके ऊपर मानो एक काला परदा डाल दिया हो। उनको ऐसी लाभकारी परियोजना मुश्किल से बहुत दिनों में मिली थी। उसमें भी संस्था और समाज की बन्दिश। पैसा सामने था। बन्दिश बीच में थी। पैसे तक पहुंचने के लिए किसी न किसी प्रकार से बन्दिशों को तोड़ना ही था। चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके लिए अब उनके पास दो प्रकार के ही कार्य मुख्य थे। एक तो ग्राम समिति के अध्यक्ष को अपनी तरफ करना। दूसरे स्थानीय मजदूरों का विकल्प तलाशना।

5

परियोजना का पैसा बैंक में आ गया था। कार्य के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव था लेकिन कार्य बजट प्लान आदि की वजह से रुके हुए थे। ये सब कार्य सरकारी कर्मचारियों को ही करने थे। ये सब उन्हें मालूम था। लेकिन उनका दिमाग तो कुछ दूसरे ही बजट प्लान में लगा था। सबसे पहले उन्होंने हरियाणा के ठेकेदारों के माध्यम से दो हजार मजदूर बुलाए। बाहर के मजदूरों के आने से स्थानीय लोगों को मिलने वाले लाभ में 50 प्रतिशत कटौती एक ही झटके में हो गई। जिन ग्राम समितियों के अध्यक्ष तेज-तर्रार से नजर आते थे और उनके कार्य में बाधक बन सकते थे, उन्हें सबसे पहले अपने साथ मिलाया और उनके गांव में ही पहले कार्य शुरू किये गये।

जिन लोगों को संस्था ने तैयार करने में एक लम्बा समय लगाया था कि ऐसे लोग अपने गांव की जरूरत के अनुसार कार्य करेंगे। लोगों को काम मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, जीवन स्तर बढ़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी। लेकिन परियोजना क्रियान्वयन के पहले ही चरण में सपना चूर होने लगा था।

"इस प्रकार की प्रक्रिया में ग्रामीण मजदूर हार कर बैठ जाता था। एक बार काम करके दुबारा जाने का नाम ही नहीं लेता था। हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी गांव के मजदूर को गांव के ही काम से कैसे दूर किया गया? वह अपने आप में एक सबक था।"

जिन ग्राम समितियों में गांव के लोग हाड़-तोड़ मेहनत करते। उनके कार्य की नाप तोल, दो-दो, तीन-तीन महीने में होती थी। उसके बाद एस्टीमेट बनता था। इस प्रकार की प्रक्रिया में ग्रामीण मजदूर हार कर बैठ जाता था। एक बार काम करके दुबारा जाने का नाम ही नहीं लेता था। हमारे अथक प्रयासों के बावजूद भी गांव के मजदूर को गांव के ही काम से कैसे दूर किया गया? वह अपने आप में एक सबक था।

सरकारी लोगों के इस प्रकार के रवैये से हरियाणा के मजदूरों को खुला न्यौता दिया जाता। उन्हें हर प्रकार से काम करने की छूट थी। उनके कार्य में गांव के लोगों को सहयोग देने की भी आवश्यकता नहीं थी। रातों-रात लाखों के काम हो जाते थे। उनका भुगतान ठेकेदार को बुलाकर किया जाता। परियोजना का जो पैसा सीधा गांव में जाना चाहिए था। सब रुक गया था। काफी सोच-समझ कर संस्था के संचालक व कार्यकर्ताओं ने बिगड़ते माहौल में

सुधार करने के प्रयास तेज किये। सबसे पहले ग्राम इकाइयों में पुन: चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। ग्राम के मजदूर वर्ग को सक्रिय किया गया। कार्यों की पैमाइश को गहराई से लिया गया। कार्य के भुगतान में संस्था के सदस्यों के समक्ष प्रमाणित करना अनिवार्य किया गया। तभी तो बाछड़ी के एक छोटे से कार्य की पैमाइश को लेकर सरकारी तंत्र के सात जे.ई.एन. को कई जांचों के बाद सस्पैंड किया गया था। हरियाणा के मजदूरों के कार्य की पैमाइश व कार्य में संस्था कार्यकर्ता की मध्यस्थता के चलते गुणवत्ता में सुधार हुआ।

संस्था के कार्यकर्ताओं को परियोजना के संचालन में सरकारी अड़ंगेबाजी से बहुत परेशानी हो रही थी। पूरे अजबगढ़ जलग्रहण क्षेत्र को नौ माइक्रो वाटर शैडों में बांटा गया था। ऊपर जलग्रहण क्षेत्र के गांवों की समितियों में बहुत सी अनियमिततायें हो रही थी। संस्था के कार्यकर्ता एक वाटर शैड के कार्य को ठीक करते तो सरकारी तंत्र दूसरे वाटर शैड में फिर वही कार्य करने लगता था।

संस्था के कार्यकर्ताओं को एक काम की जगह चार काम करने पड़ रहे थे। सरकारी तंत्र के साथ समझाइश और विरोधाभास के रहते कार्य करना, ग्राम इकाई संगठित करना और कार्य में सहयोग करना, समिति सदस्यों को गांव के मजदूर वर्ग के साथ जोड़कर कार्य को गति देने के प्रयास करना, समिति अध्यक्ष के साथ वैचारिक और व्यावहारिकता के साथ सतत प्रयास करना, अपने आप में कठिन कार्य हो गया था। यह सब कार्य ग्राम समिति के थे जो संस्था के कार्यकर्ताओं को बार-बार करने पड़ते थे।

इन सब के पीछे लोभ-लालच का प्रभाव था जो सरकारी तंत्र ने दिखाया था। दोनों के स्वार्थ निहित होने से परियोजना के मापदण्डों के अनुसार कार्य नहीं हो रहे थे जिससे संस्था के कार्यकर्ता बहुत परेशान हो गये थे। जयपुर में सम्बन्धित अधिकारियों को भी समय-समय पर सूचित किया जाता रहा। उनके आदेशों को भी ज़े.ई.एन. नजरअन्दाज कर रहे थे। काम की लापरवाही का आलम यह था कि वाटर शैड कार्य वास्ते मंगाये गये पांच हजार सीमेंट के बैग बामनवास के किसान चेतना केन्द्र में पड़े-पड़े पत्थर हो गये लेकिन एक भी कहीं नहीं लगा। इन सब परिस्थितियों के चलते कार्य करना कठिन हो रहा था।

"परियोजना में पैसा, समय और शक्ति का और अधिक ह्रास न हो, इसलिए बीच में ही हाथ खींचना पड़ा। मन में दुख तो बहुत था कि गांव के समग्र विकास की परिकल्पना थी। अन्तत: उस कार्य से पीछे हटना पड़ रहा है।"

जिन बातों का डर था और जिन मतभेदों को दूर करने के लिए संस्था में पांच दिन का प्रशिक्षण चला था अब उस प्रशिक्षण के आदर्शों की खिल्ली उड़ाई जा रही थी। फिर भी सब कुछ देखते सहते हुए डेढ़ वर्ष का समय

जैसे-तैसे निकाला था। परियोजना में पैसा, समय, शक्ति का और अधिक ह्रास न हो इसलिए बीच में ही हाथ खींचना पड़ा। मन में दुख तो बहुत था कि कहां गांव के समग्र विकास की परिकल्पना थी। पर अन्ततः उस कार्य से पीछे हटना पड़ रहा है।

WATERSHED AREA OF SARSA-DEVI

[Development Programmes Under Taken By TARUN BHARAT SANGH]

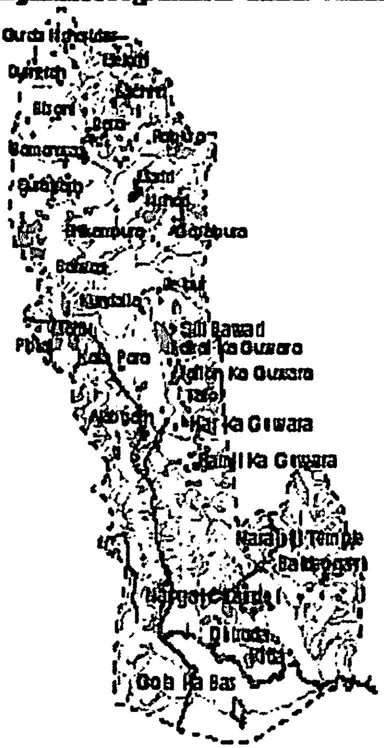

1. Watershed Boundary
2. Drainage Pattern
3. River & Waterbodies
4. Check Dam
5. Location of Settlement
6. Roads
7. New water Conservatic Structures

Prepared By : Institute For Sustainable Development Research Studies
7, Marav Ashram Colony, Gopalpura Mod, Tonk Road, Jaipur.

तरुण भारत संघ

चौदहवां कदम

1

तरुण भारत संघ को समाज के साथ काम करते-करते एक लम्बा समय हो गया था। बीते लंबे समय में देशी-विदेशी संस्थाओं के सहयोग से विविध प्रकार के रचनात्मक कार्य किये गये थे जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा था। सामाजिक विकास के काम किसी से छुपे हुए नहीं थे। वैचारिकता तथा व्यावहारिकता का दृष्टिकोण अपनाते हुए काम को अन्जाम दिया गया था।

सामाजिक कार्य करने में भिन्न-भिन्न प्रकार की बाधाएं आयी थीं। उनका भी अहिंसक संघर्ष के द्वारा सामना किया। जान जोखिम में डाल कर भी समस्याओं का समाधान किया। संस्था ने समाज की जरूरत के अनुसार रचनात्मक कार्य किया, जिससे लोगों में समर्थता आई। समर्थता के लिए समाज का स्वावलम्बी होना जरूरी है और स्वावलम्बी व्यवस्था बिना वैचारिक दृष्टि के संभव नहीं है।

"संस्था ने समाज की जरूरत के अनुसार रचनात्मक कार्य किया, जिससे लोगों में समर्थता आई। समर्थता के लिए समाज का स्वावलम्बी होना जरूरी है और स्वावलम्बी व्यवस्था बिना वैचारिक दृष्टि के संभव नहीं है।"

तरुण भारत संघ के संचालक मंडल ने प्रारम्भ से ही समाज को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में कार्य किए। गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण -संवर्द्धन का कार्य वैचारिक सोच से किया गया था जिससे यहां का समाज तो लाभान्वित हो ही रहा था। अब उसे देश के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। कार्यक्षेत्र में किये गये अनुभव ही सामने थे। उसके अलावा देश दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी वह भी अनुभव से। अपनी कर्मस्थली में जो अनुभव हुआ था, वह अपना सार्वभौम सत्य था।

उसी सत्यता के चलते अपने भूत को देखकर वर्तमान आत्मविश्वासी बना था जिसमें भविष्य की कल्पना थी कि गांव के प्राकृतिक संसाधनों पर समाज का मालिकाना हक कैसे कायम हो, गोपालपुरा में जल संरक्षण कार्य हो या गोचर विकास के कार्य, सरिस्का में आदमी को आदमी मानने के कार्य हों या सरिस्का के संरक्षण के कार्य। चाहे हमीरपुर में जल और मछली के संरक्षण में ग्रामवासियों का अथक प्रयास हो या तिजारा-किशनगढ़वास में जमीन हकदारी का सवाल। क्षेत्र के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जिससे भविष्य की चिन्तायें वर्तमान बन गई थीं।

2

वर्तमान हमेशा भविष्य से भयभीत रहा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष भविष्य को वर्तमान में नहीं देखते क्योंकि भविष्य का रूप सुखद भी हो सकता है और दुखद भी। सब कुछ जानते हुए भी भविष्य पर छोड़ देते हैं। लेकिन आम जन भूत से सबक लेते हुए वर्तमान में भविष्य की कल्पना करते हैं। आज का जीवन-चक्र भविष्य की पूर्व जानकारी पर निर्भर है। भविष्य के लिए वर्तमान में किये गये प्रयास ही योजना और नीति बनाते हैं। उसी के आधार पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में सुगमता होती है। इसी आशा के साथ तरुण भारत संघ के पदाधिकारी भविष्य का मार्ग तलाशने का प्रयास कर रहे थे।

तरुण भारत संघ का समाज के साथ जल संरक्षण के लिए छोटा सा प्रयास था। उसमें कितनी तरह की समस्यायें आई थीं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर। इसके लिए सबसे पहले राजस्थान की जल नीति को लिया गया था। राजस्थान में पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जल नीति नहीं थी। राजस्थान ही क्या, देश की भी अपनी जल नीति नहीं थी। अंग्रेजों के ज़माने की ही जो भी जल नीति थी, वही थी।

''वर्तमान हमेशा भविष्य से भयभीत रहा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष भविष्य को वर्तमान में नहीं देखते क्योंकि भविष्य का रूप सुखद भी हो सकता है और दुखद भी।''

राजस्थान की जल नीति के लिए 1987 का प्रारूप था। उसी के आधार पर राज्य सरकार काम चला रही थी। तरुण भारत संघ ने उसकी प्रति का अध्ययन करना और वैकल्पिक जल नीति का प्रारूप बना कर राजस्थान सरकार को देना तय किया। इस कार्य के लिए अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला को जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने छ: महीने में 1987 के प्रारूप का अध्ययन किया। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप तैयार किया गया। जिस पर राजस्थान के बुद्धिजीवियों के विचार लिये गये थे। उनके सुझावों को भी समाहित करके एक दस्तावेज तैयार किया गया था जिसकी प्रति राजस्थान सरकार को भी दी थी।

राजस्थान के इलाकों में जल दोहन के लिए तैयार की गई जल नीति को देश के प्रमुख जल विशेषज्ञों एवं पर्यावरणविदों ने और अधिक उपयोगी बनाने के लिए वैकल्पिक जल नीति तैयार की है । राजस्थान की वैकल्पिक जल नीति को अन्तिम रूप देते हुए राज्य सरकार से इसके अनुरूप जल नीति तैयार करने का आग्रह किया गया।

3

गांव के प्राकृतिक संसाधनों पर किसका अधिकार होना चाहिए? इस विषय को लेकर दिसम्बर 1998 में अलवर और जयपुर क्षेत्र के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न कार्यों को लेकर जन सुनवाई के कार्यक्रम करने थे। तरुण भारत संघ के 15 वर्षों के दौरान जो भी अनुभव हुए उसके अनुसार गांव के प्राकृतिक संसाधनों पर समाज का मालिकाना हक कैसे बना रहे? समाज अपनी स्वावलम्बी व्यवस्था को कैसे सुरक्षित और सुनिश्चित करे? इस चिन्ता के साथ भविष्य के लिए एक दिशा बोध की अपेक्षा से चार स्थानों पर अलग-अलग समस्याओं को लेकर जन-सुनवाई के कार्यक्रम किये गए :

1. जल पंचायत - हमीरपुर, थानागाजी-अलवर
2. जंगल पंचायत- रायसर, जमुवारामगढ़-जयपुर
3. जंगल पंचायत- टहला, राजगढ़- अलवर
4. जमीन पंचायत- टपूकड़ा, तिजारा-अलवर

जन-सुनवाई के नतीजे साफ थे कि जल-जंगल-जमीन पर समाज का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए देश में ग्रामीण समाज को आगे आना होगा। जब तक वह स्वयं आन्दोलन नहीं करेगा तब तक उसे कोई भी हकदारी देने वाला नहीं है। गांव के प्राकृतिक संसाधन जल, जंगल, जमीन को गांव के लोगों से जबरन छीना जा रहा है। भविष्य में गांव के आदमी के हाथ में न जल रहेगा, न जमीन। जंगल तो पहले ही सरकार ने छीन लिए थे। जो थे, वह समाज ने अपनी नादानीवश काटे, अब जो भी शेष बचे हैं, उन्हें कैसे बचाएं और कैसे उनका संवर्द्धन करें? यह सब गांव को सोचना है और अब से सचेत रहना होगा।

''जल-जंगल-जमीन पर समाज का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिये देश में ग्रामीण समाज को आगे आना होगा। जब तक वह स्वयं आन्दोलन नहीं करेगा तब तक उसे कोई भी हकदारी देने वाला नहीं है।''

जल बचाओ, जोहड़ बनाओ पदयात्रा 31 अक्टूबर से 18 दिसम्बर 1998 तक का कार्यक्रम शुरू हुआ। पदयात्रा अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर व भरतपुर जिलों के सात सौ इक्यावन गांवों में अपना संदेश लेकर पहुंची। सभी गांवों में जल, जंगल और जमीन बचाने की बात हुई। लोगों के साथ सीधा संवाद हुआ। गांव के प्राकृतिक संसाधनों पर समाज के मालिकाना हक की समस्या प्रमुखता से उभर कर आई।

इस यात्रा में लगभग ढाई से तीन लाख लोगों से संवाद स्थापित हुआ था। स्थान-स्थान पर स्कूलों में

अध्यापक-बच्चे, गैर सरकारी संस्थाओं के लोग भी उस यात्रा से प्रभावित हुए थे। पदयात्रा के दौरान यात्री दल गीत-कवितायें बनाते और गाते हुये चलते थे जिससे किसी प्रकार की निराशा, आलस्य, थकान आदि मन को विचलित न कर पाए। दीवार लेखन कार्य भी साथ-साथ किये जाते थे। पदयात्री दल के गीत-कवितायें इस प्रकार थी :

जोहड़ बनाओ, पानी बचाओ। पानी से माटी में सोना उगाओ ।।
जोहड़ वरुण का दास है भैया। सूखे में सुख का उजास है भैया ।।
इन्दर की किरपा, इसमें सहेजो। धरती की प्यास बुझाओ ।। जोहड़ बनाओ........
पानी रहेगा तो जीवन रहेगा। गांव में गीतों का गुंजन रहेगा ।। जोहड़ बनाओ...
जंगल में सब मिल मंगल लाओ। खेतों में खुशियों की फसलें उगाओ।
हम सब हैं भाई, धरती के जाये। मेहनत से साझे सपने खिलाये।
भोर भई रे,जागो बटाऊ ! सोते हुओं को अब तो जगाओ। जोहड़ बनाओ.....
जोहड बनाओ। पानी बचाओ ।। ....

× × ×

तरुण भारत संघ की यही पुकार। जोहड़ बनाओ कई हजार ।।
तरुण भारत संघ की यही पुकार। जोहड़ बनाओ कई हजार ।।
ज्यादा से ज्यादा एनिकट बनाओ। चरागाह में पेड़ लगाओ ।।
हरियाली से आये बहार। जोहड़ बनाओ कई हजार.......
खेत का पानी खेत में रोको। ज्यादा ढाल में ईख सी.सी. ठोको ।।
खेतों में खाद का हो जायेगा भंडार। जोहड़ बनाओ कई हजार.......
जोहड़-जोहड़ी खूब बनाओ। चौथाई श्रमदान कराओ ।।
तरुण भारत संघ करे प्रचार। जोहड़ बनाओ कई हजार ।।

× × ×

रोको-रे-रोको, बहता पानी ने रोको
अब तो अवसर निकल गयो, निकल जाये थारो मौको। रो को -रे -रो को....
ज्यादा से ज्यादा मेंड़ बनाओ , सबको जाकर यही समझाओ।
जन्म भूमि का जल स्तर ऊंचो लाकर पैदावार बढ़ाओ। रो को -रे -रो को....
जगह-जगह पर जोहड़ बनाओ , भूमि का कटान रुकाओ
योजना अपनाओ, मेंड़ लगाओ थारो मौको। रो को -रे -रो को....
तरुण भारत संघ यूं समझावे, एक-तिहाई श्रमदान जुटावे
सामलाती काम की राय बतावे, भ्रष्टाचार ने रोको। रो को -रे -रो को....

डॉ. हरिराम आचार्य
42 ए पर्णकुटी जयपुर

भाया सारा मिलकर सोचो रे

भूमि होगी बंजर जंगल कटता रोको रे। भाया सारा मिलकर ....
जिस भूमि पर पेड़ घना हो वर्षा होवे भारी। जोहड़ा-जोहड़ी सब भर जावें चिन्ता मिट्या सारी
भाया सममत चौखो होवे रे। भाया सारा मिलकर ....
जगह-जगह पर बांध बनाओ आयेगी हरियाली। जल स्तर जब ऊपर होगा, आयेगी खुशहाली
भाया पैदावार बढ़ाओ रे। भाया सारा मिलकर ....
एक -तिहाई श्रमदान जुटाकर काम कराओ सारा। सामलाती जोहड़ों का भाई काम कराओ पूरा
भाया भ्रष्टाचार ने रोको रे। भाया सारा मिलकर .....
तरुण भारत संघ कहे गांव में संगठन बनाओ। गांव में बैठ कर सारा भाई योजना बनाओ
भाया काम कराओ चौखो रे। भाया सारा मिलकर ....

× × ×

यात्रा आई रे साथियों मिलकर चालो रे, यात्रा आई रे
देव उठनी ग्यारस से भाया यात्रा चलाई रे
सात दलों में पानी यात्रा गांवों में चाली रे
गांव-गांव चली यात्रा लोगों को समझावे रे
घर-घर जाकर लोगों में पानी की चेतना जगाई रे
गांव का पानी गांव में रोको याही अलख जगावे रे
बुजुर्गों की परम्परा को फेर चलाओ रे
साढ़े सात सौ गांवों में म्ये यो संदेश पहुंचावो रे।
तरुण भारत संघ पानी की जागृति ल्यावे रे
छोटे लाल गुर्जर

तरुण भारत संघ, भीकमपुरा (किशोरी)

सभी पदयात्रियों के दल 18 दिसम्बर 1998 को तरुण भारत संघ के भीकमपुरा स्थित आश्रम पर पहुंचे। देश भर से आए पर्यावरणविदों, भूजल विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों ने पदयात्री दलों का स्वागत किया। सम्मेलन में जिन क्षेत्रों में पदयात्रा की गई थी, उस क्षेत्र के लोग भी आये थे। विभिन्न क्षेत्रों से आये पदयात्रियों के अनुभवों को सुना।

सम्मेलन में आये अतिथियों में मुख्यत: राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव मीठा लाल मेहता, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव एस.एस. रिजवी,

राजस्थान विश्वविद्यालय के डॉ. अश्विनीकुमार, विश्व संसाधन आयोग के आयुक्त डॉ. अनिल अग्रवाल, पर्यावरण विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से सुनीता नारायण आदि थे जिन्होंने देश-दुनिया के परिदृश्य को सामने रखा। सम्मेलन में प्रथम दिन राजस्थान की वैकल्पिक जल नीति पर चर्चा हुई। दूसरे दिन वैकल्पिक जल नीति यानी समाज आधारित जलनीति का प्रस्ताव पारित हुआ।

पदयात्रियों के अनुभवों, क्षेत्रीय जनता और बुद्धिजीवियों के सुझावों को समाहित करते हुये राजस्थान की वैकल्पिक जल-नीति का मसविदा तैयार हुआ।

सम्मेलन में संस्था द्वारा राज्य के करीब 40 स्थानों पर चर्चा के माध्यम से सरकारी जल नीति पर जनता से जुटाए तथ्यों को भी पेश किया गया। इस वैकल्पिक जल नीति में देश के प्रमुख जल विशेषज्ञ भरत झुनझुनवाला के तकनीकी बिन्दुओं को भी शामिल किया गया था। सम्मेलन में पारित जल नीति में कहा गया कि राजस्थान के पश्चिम में मिर्च की खेती और पूर्वी क्षेत्र में शराब, कारखानों में जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और इससे भूजल भी तेजी के साथ प्रदूषित हो रहा है। जल विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि शहरी क्षेत्र में उच्च वर्ग द्वारा जल के अधिक उपयोग को देखते हुए सरकारी स्तर पर अधिभार लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

राज्य सरकार की बेसिन आधारित योजनाएं बनाने के प्रावधान पर विशेषज्ञों की राय थी कि सरकारी स्तर पर छोटे बांधों को प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए। इसके साथ जल ग्रहण क्षेत्र में भूमि सुधार जंगल लगाकर और चेकडेम बनाकर बाढ़ नियंत्रण के विपरीत वैकल्पिक जल नीति में विकास कार्य करते समय पुराने प्राकृतिक जल मार्गों पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है।

वैकल्पिक जल नीति में खारे पानी की समस्या से निपटने के लिए वर्षा पर आश्रित वृक्ष लगाने के प्रयासों को अव्यावहारिक बताते हुए कहा गया कि किसान खेती की जमीन पर वृक्षारोपण करने को तैयार नहीं रहता। इसके लिए खेजड़ी जैसे वृक्षों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि किसान को अन्न मिलने के साथ पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा।

जल विशेषज्ञों ने जल भरण के लिए नहर के साथ बोरवैल सिंचाई एवं जल निकास को बढ़ावा देने की बजाय नहरी जल की आपूर्ति पर नियंत्रण रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि खुले कुएं और हैंडपंपों पर भी सरकारी नियंत्रण खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भूमिगत जल के स्तर को गिरने से रोका जा सकता है। लाइसेंस पद्धति के बजाय गहराई तय करने को व्यावहारिक बताया गया है।

वैकल्पिक जल नीति में जल प्रबन्धन के लिए पूरी तरह निजीकरण को बढ़ावा देने के बजाय, सामुदायिक, सहकारी,पंचायतीराज संस्थाएं, स्वयंसेवी और निजी क्षेत्र को इस शर्त पर अधिकृत करने का सुझाव दिया गया है। उनके कार्य में सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया कराने की सरकारी प्रतिबद्धता नजरअंदाज नहीं हो।

तभासं के महामंत्री राजेन्द्र सिंह ने बताया कि वैकल्पिक जल नीति को सम्मेलन में पारित करने के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजी जा रही है।

जन सुनवाई के कुछ अंश इस प्रकार हैं :

जल पंचायत : 21 दिसम्बर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति गुलाब सी गुप्ता ने जल संशोधन की आवश्यकता बताई है। गुप्ता हमीरपुर गांव में किसानों के हक निर्धारण के लिए आयोजित जन सुनवाई में खण्डपीठ के मुखिया की हैसियत से बोल रहे थे। कार्यक्रम में गांव वालों ने अपनी बात रखते कहा कि हमारी मेहनत से पिछले दस

सालों में जो काम हुआ है। उसका परिणाम है कि आज हजारों बीघा जमीन सुधरी है। पानी की समस्या समाप्त हो गई है और लाखों लोग अब खुशहाली की जिन्दगी जीने लगे हैं। परन्तु अब समस्या यह है कि सरकारी विभाग पानी पर अपना कब्जा बताने लगा है। जिससे कई बार सीधे संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है।

ग्रामीणों की बात पर न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि कानून के हिसाब से यह मांग पूरी तरह से नाजायज है। कोई भी व्यक्ति या संस्था इस तरह से जमीन और पानी का संरक्षण करके हक मांग सकती है। जिसे वर्तमान कानूनों के तहत नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि इस संरक्षण से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा हो तो किसानों को हक दिया जाने के लिए कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए।

विश्व जल आयोग के आयुक्त पर्यावरणविद् डा. अनिल अग्रवाल ने कहा कि गांव वालों को कानून और सरकार को भूल जाना चाहिए। जो प्रबन्धन करेगा पानी पर उसी का अधिकार होगा। ग्रामीण अपना काम करते रहे तो कानून सरकार को बदलना ही पड़ेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव मीठा लाल मेहता ने कहा कि सरकार को छोड़कर चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल जल संरक्षण से ही जिन्दगी में काम नहीं चलता। दूसरे कामों में फिर हमें सरकार की तरफ ही झांकना पड़ता है।

कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उन्नीथान, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव सईद रिजवी, जल विशेषज्ञ एम.एल. झंवर, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष राजेन्द्र शंकर भट्ट आदि ने भी कानून में बदलाव की मांग की। समाज परिवर्तन समुदाय कर्नाटक से आये एम.आर. हीरामढ़ ने कहा कि इसके लिए देश भर के पत्रकार, बुद्धिजीवियों और स्वयंसेवी संगठनों के बीच बहस चलानी चाहिए। कपार्ट के सलाहकार टी.एस. चौहान, मेवाड़ शुगर मिल के सुधीर गुप्ता और भूजल विभाग के जयपुर से आये अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संयोजन तरुण भारत संघ के महामंत्री राजेन्द्र सिंह ने किया।

टपूकड़ा में जमीन पंचायत : केन्द्रीय जल प्रदूषण विभाग के पूर्व सचिव डा. जी.डी. अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषित उद्योगों को यदि अलवर जिले में लाया गया तब भी दिल्ली को इन्हीं उद्योगों के प्रदूषण से नहीं बचाया जा सकेगा।

डा. अग्रवाल मंगलवार को तरुण भारत संघ की ओर से आयोजित पांच दिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर टपूकड़ा में आयोजित जमीन पंचायत में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि तिजारा, टपूकड़ा आदि साबी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हैं, यदि इन स्थानों पर उद्योग लगाए जाते हैं तो उनका प्रदूषित पानी दिल्ली में जाएगा और वहां के भू-जल को प्रदूषित करेगा, इसलिए सरकार को इस तरह का कोई अंतिम फैसला करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करना चाहिए।

इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट रमानी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की जमीन को जिस तरह से लिया जा रहा है, उससे यहां भय का वातावरण बना हुआ है जो कि यह सिद्ध करता है कि हमारी आजादी का आधार खिसक रहा है। क्षेत्र के लोगों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता ताराचंद खांभरा ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को पहले यह तय करना होगा कि वे आंदोलन जमीन को बचाने के लिए करना चाहते हैं या फिर जमीन की महंगी दर लेने के लिए।

अलवर की किसान एकता परिषद् के अध्यक्ष ज्ञानचंद ने कहा कि सरकार रीको के माध्यम से हमारे मीठे पानी और मीठी जमीन को छीन रही है। ग्रामीणों की ओर से जवाहरलाल ने कहा कि रीको किसान से एक-डेढ़ लाख रुपये बीघा की दर पर जमीन लेती है, उसे ही उद्योगपतियों को चार-पांच लाख की दर पर देती है, इस दलाली के खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए।

राजेन्द्र सिंह ने कहा कि अभी जमीन गई नहीं है, फैक्ट्रियां आई नहीं हैं, इसलिए समय रहते जाग जाओ तभी आपका भला होगा। किसान सुब्बा खान ने अपनी मेवाती बोली में भाषण दिया और कहा कि यदि हम सभी मजदूर बन गए तो बनिया हमें उधार नहीं देगा। समाज में किसान की जो हैसियत है वह किसी दूसरे वर्ग की नहीं है, इसलिए जाति धर्म व राजनीति को छोड़कर सभी अपनी जमीन बचाने के काम में जुटें। यूथ फेडरेशन के साथी ने कहा कि सरकार को जगाना होगा, वरना हमें यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। इस जमीन पंचायत में जगदीश गुर्जर, गोवर्धन आदि ने भी अपने विचार रखे तथा इस मौके पर वरिष्ठ इंजिनियर जस भाई पटेल भी मौजूद थे।

तरुण भारत संघ

पंद्रहवां कदम

1

1999 वर्ष आते-आते ऐसा लगने लगा था कि तरुण भारत संघ ने गांव के विकास के लिए प्रकृति की रक्षा का जो रास्ता चुना, वह सही था। तभी तो केन्द्रीय कृषि मंत्री माननीय सोमपाल शास्त्री ने अपने व्यस्त समय में से दो दिन तरुण भारत संघ के काम को देखने के लिए निकाले थे। 6-7 अप्रैल 1999 आने का समय निश्चित किया था। तरुण भारत संघ में ही क्या थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में भी पहली बार केन्द्रीय कृषि मंत्री का आगमन, वह भी स्वयं विवेक निर्णय से ही आ रहा थे।

कृषि मंत्री जी का तभासं के कार्यक्षेत्र में दो दिन का कार्यक्रम इस प्रकार था कि 6 अप्रैल को कोल्याला-भांवता गांव में ग्राम संगठन और गांव की सहभागिता से किये जा रहे कार्यों को समझना तथा हमीरपुर गांव में अरवरी संसद के विषय में जानकारी प्राप्त करना। अरवरी संसद के प्रयास को समझना मुख्य था। 7 अप्रैल को तरुण भारत संघ में पूरे क्षेत्र से आये किसानों का सम्मेलन था। मंत्री जी को पूरे कार्यक्रम की मोटी-मोटी जानकारी पूर्व में ही दे दी गयी थी।

तरुण भारत संघ तो अपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के साथ काम करने में मस्त था। उसके पदाधिकारी व कार्यकर्ता रात-दिन दुर्गम रास्तों से चलते दूरदराज इलाकों में बसे ग्रामीणजनों के साथ रहते, रोजमर्रा की जिन्दगी को सहज भाव से जीते थे। सामलाती जीवन पद्धति कैसे बेहतर हो सकती है? विचार करते थे। जिससे समाज में अच्छे कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। समाज की सहभागिता से हो रहे स्वावलम्बी व्यवस्था के प्रयास को देखने, समझने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री जी का तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में आना अपने आप में एक बड़ी बात थी।

"सामलाती जीवन पद्धति कैसे बेहतर हो सकती है? विचार करते थे जिससे समाज में अच्छे कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके।"

कृषि मंत्री 6 अप्रैल को सही समय पर तरुण भारत संघ में आये। कोल्याला-भांवता गांव गए। एकत्रित जन समुदाय ने अप्रैल की गर्मी में मंत्री जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और जो भी अपने प्रयासों से स्वावलम्बी अभिक्रम किया था, उसे बताया। अपने काम को बताने में ध्यान कितना कि पूछो मत? एक व्यक्ति अपनी बात समाप्त करता तो दूसरा व्यक्ति पहले की बात को इस तरह से आगे बढ़ाता कि कोई छूटी हुई बात भी सहजता से पूरी हो जाती थी।

बातों ही बातों में भैंरुबाबाजी के यहां से कार्य दिखाना शुरू किया और सांकड़ा बांध तक दिखाते चले गये। मंत्री जी भी लोगों की बातों में इतने तल्लीन कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर; कैसे-कैसे रास्तों से होकर सांकड़ा बांध पर पहुंचे थे। वहां पहुंच कर ग्रामवासियों के जौहर के दर्शन किए, लगा कुछ काम हुआ है। तभी लोग अपने काम को इतनी स्पष्टता और सहजता से बता रहे हैं। यह सब काम गांव का काम है। एक केन्द्रीय मंत्री का सांकड़ा बांध तक का सफर अपने में महत्व रखता है। सांकड़ा के बांध पर खड़े होकर निहारना गर्मी में शीतलता का अहसास करा रहा था।

केन्द्रीय कृषि मंत्री का सभा स्थल भी ऐसा कि कोल्याला- भांवता गांव की जमीन में देवत्व भाव आ गया हो। रौंझ के पेड़ की छांव में जमीन पर बिछी चादर पर बैठने के लिये कृषि मंत्री उतावले से दिखाई दिए थे। उनके साथ बहुत से लोग भी थे। राजस्थान का प्रशासन भी था। वह बैठने में सकुचा रहे थे कि कहां और कैसे बैठें? जगह ही नहीं थी। मंत्री जी को बैठना था। थक भी चुके थे। लोगों से भी बातें करनी थी। वह पेड़ की छांव में आखिरकार बैठ ही गये। उनके बैठते ही सभी अपना-अपना स्थान निश्चित कर सूरज की धूप से बचते-बचाते बिछावन पर बैठ गये।

आज गांव के किसान और देश के कृषि मंत्री का जीवन एक सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था; जैसे राज और समाज एकरूप हों। ऐसे दृश्य बहुत ही दुर्लभ होते हैं। यह सब साक्षात् कोल्याला-भांवता गांव में घटित हो रहा था। मंत्री सहज भाव से ग्रामवासियों के द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना कर रहे थे। यूं तो काम अपने स्वरूप में छोटे ही थे

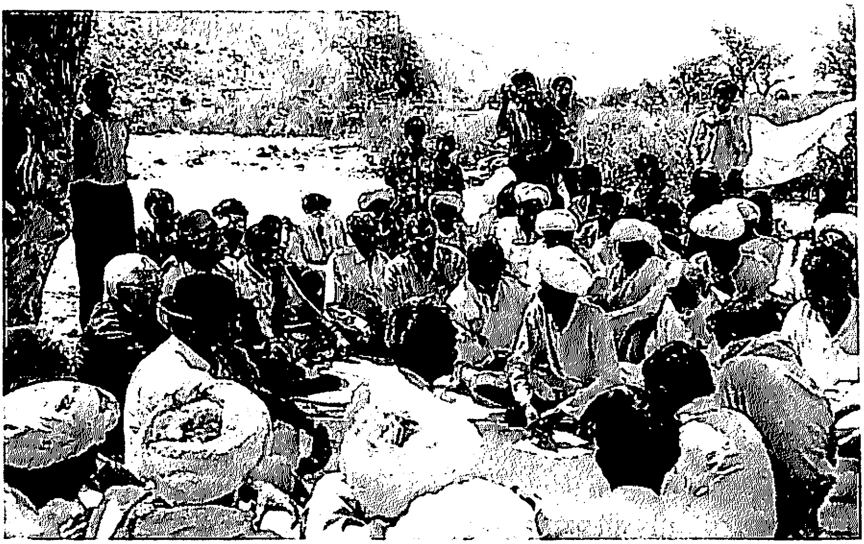

"यूं तो काम अपने स्वरूप में छोटे ही थे परन्तु गांव की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थे। ग्रामवासी भी अपने काम से सन्तुष्ट थे।"

परन्तु गांव की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थे। ग्रामवासी भी अपने काम से सन्तुष्ट थे। उनकी सन्तुष्टि ही आज कृषि मंत्री को अपने सामने अपने गांव की धरती पर बैठने के लिए विवश कर रही थी। मंत्री जी भी ग्रामवासियों के कार्यों से पूर्ण सन्तुष्ट थे। उनके देश के किसान अपनी परम्पराओं के बलबूते आज स्वावलम्बी जीवन जी रहे हैं और इस दिशा में प्रयासरत भी हैं। देश में जगह-जगह ऐसे कार्यों को करने के लिए मंत्री जी भी संकल्पबद्ध होते दिखाई दिये थे। यह सब यहां के समाज के अभिक्रम का मान-सम्मान ही था।

देश के कृषि मंत्री कोल्याला गांव के संगठन और सहभागिता से हुए जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के कार्यों का एक पूरा परिदृश्य अपनी यादों में समाहित करते हुए हमीरपुर के लिए चल दिए थे। रास्ते में देहाती समाज के द्वारा किए जा रहे लोक कल्याण कार्यों को देखते हुए हमीरपुर जा पहुंचे जहां अरवरी जलग्रहण क्षेत्र के लोग केन्द्रीय कृषि मंत्री के स्वागत के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे थे। उत्साहित क्यों न हों? ऐसे मेहमान के लिए तो खास उत्साह होता है जो स्वयं गांव के लोगों के काम को देखने-समझने के लिए आता है। आज किसान के काम को देखने सबसे बड़ा मंत्री स्वयं गांव में आ रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है?

पूरे अरवरी जलग्रहण क्षेत्र के 70 गांवों का समाज हमीरपुर गांव में एकत्र था। सब अपने-अपने गांव की गाथा सुनाना चाहते थे। राजेन्द्र सिंह ने सबके भावों को एक भाव बनाकर अरवरी संसद के प्रयास का सार रूप मंत्री महोदय को बताया। अरवरी संसद क्यों और कैसे बनी? इसने क्या-क्या काम किये हैं ? आदि बातों को मंत्री जी के सामने रखा। गांव-गांव से आये अरवरी संसद सदस्यों ने भी पूरे नदी क्षेत्र व अपने गांव में किये गए सामाजिक कार्यों को सुनाया।

अरवरी संसद का नाम सुनकर पहली बार मंत्री जी चौंके भी कि देश में एक ही संसद थी, अब दूसरी संसद कहां से बन गई? पर दूसरे ही क्षण अहसास हुआ कि यह संसद अरवरी नदी घाटी क्षेत्र के गांव की अपनी संसद है। यहां देश के कानून तो चलते ही हैं लेकिन इस संसद के अपने भी कानून हैं जो गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बनाये गये हैं। प्रत्येक अरवरी सांसद प्रकृति के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसा अनोखा विचार मंत्री जी के मन में समाता चला गया। मंत्री जी ने अरवरी संसद की व उसके सदस्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

7 अप्रैल को भीकमपुरा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में मंत्री जी के आगमन पर राजस्थानी परम्परानुसार स्वागत किया गया। क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों से मंत्री जी को राजेन्द्र सिंह ने अवगत कराया। ग्राम सभा सदस्यों ने भी अपने-अपने गांव में सहभागिता के आधार पर किये जा रहे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल, जमीन के संरक्षण कार्यों को बताया। सरकार को भी इसी प्रकार से कार्य करने के लिए सलाह दी। मंत्री जी ने सबकी बातें सुनने के बाद लोगों को आश्वस्त किया कि मैंने जो यहां सीखा है, उसे देश के सामने अवश्य लाऊंगा।

"अरवरी संसद का नाम सुनकर पहली बार मंत्री जी चौंके भी कि देश में एक ही संसद थी, अब दूसरी संसद कहां से बन गई? पर दूसरे ही क्षण अहसास हुआ कि यह संसद अरवरी नदी घाटी क्षेत्र के गांव की अपनी संसद है।"

मन में बसा विचार कब किस रूप में प्रकट हो जाए, मालूम नहीं होता। अरवरी संसद का विचार ऐसा ही साबित हुआ। श्री सोमपाल शास्त्री देश के कृषि मंत्री तो नहीं रहे लेकिन उनके मन में अरवरी का विचार जरूर पनपता रहा। सात साल बाद 2006 में उन्होंने जल संसद का गठन किया। देश में जल से सम्बन्धित विद्वत्जनों के साथ मिलकर पहल की। राजेन्द्र सिंह के साथ देश के अनेक भागों में जल संसद सम्मेलन आयोजित किये।

2

केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री श्रीमती विजोया चक्रवर्ती का तरुण भारत संघ द्वारा किए जा रहे विकास कार्यक्रमों को देखने के लिए इच्छा प्रकट करना तभासं के लिए शुभ था। राजनैतिक लोगों द्वारा हमारे काम को देखने का यह तीसरा अवसर था। संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मंत्री महोदया का अनुरोध स्वीकार किया। 20 नवम्बर 1999 की तारीख तय हुई। संस्था को अच्छा लग रहा था कि हमारे गांव के काम को देखने देश की जल संसाधन राज्य मंत्री आ रही हैं। वरना राजस्थान सरकार का छोटा या तहसील स्तर का नेता-नागड़ा तक भी कभी नहीं आया था।

20 नवम्बर को गांव के अभिक्रम को दिखाने के लिए दो गांवों को चुना गया था। पहले भांवता-कोल्याला, दूसरे हमीरपुर। दोनों गांवों के लोगों ने अपने-अपने काम को दिखाने-बताने के लिए ज्यादा कुछ तैयारी भी नहीं की थी। जो भी था, सामने था। बिना किसी तामझाम के 20 नवम्बर को मंत्री महोदया भांवता गांव में पहुंची थीं। वहां के छोटे-छोटे काम ग्रामीणों के चेहरों की चमक बने हुए थे। उनके लाभ कितने कि बच्चा-बच्चा भी बताने को उत्सुक था। गांव के बड़े-बूढ़े, महिला-पुरुष अपने काम को दिखाते-समझाते थे। मंत्री जी लोगों की बात को समझने का प्रयास करती थीं। स्वीकारोक्ति में सिर हिलाती।

गांव की धरती के काम को देखते-देखते पहाड़ की चोटी पर हुए कार्यों को देखने जा पहुंची थीं। रास्ता कुछ कठिन था परन्तु काम देखने की लालसा के चलते पैरों में कांटों का भी भान नहीं हुआ था। कुछ देर सुस्ताना अच्छा ही रहता है। इसी अन्दाज में वहां पड़े बड़े पत्थर पर बैठ लोगों से बतियाने लगीं। गांव के लोग भी उन्हीं के चारों ओर बैठ गए थे। यहां किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। न ही कोई बड़े-बड़े कार्य थे। यहां केवल अपने कार्य में आस्था रखने वाले लोग थे। लोगों की सहभागिता से छोटे-छोटे काम और उनसे लाभान्वित होते समाज के दर्शन ही थे। यह अरवरी के उद्गम क्षेत्र का ही एक भाग था।

"यहां किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। न ही कोई बड़े-बड़े कार्य थे। यहां केवल अपने कार्य में आस्था रखने वाले लोग थे। लोगों की सहभागिता से छोटे-छोटे काम और उनसे लाभान्वित होते समाज के दर्शन ही थे।"

गांव के लोग अपने काम को बताते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगे थे। मंत्री महोदया उनके पीछे-पीछे बतियाती हुई चल रही थीं। ग्रामीणों के अभिक्रम को निहारते-निहारते हमीरपुर जा पहुंची थीं। जहां अरवरी के किनारे हमीरपुर, समरा, कालैड़, देव का देवरा आदि गांवों के लोग बहुत देर से इन्तजार में थे। विजोया चक्रवर्ती के पहुंचते ही सभी उपस्थितजनों ने स्वागत किया।

हमीरपुर में पहुंचते-पहुंचते अरवरी नदी का आकार भी बड़ा हो जाता है और क्षेत्रफल भी। यहां भांवता-कोल्याला के पहाड़ों से निकलकर आने वाली अरवरी नदी अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान थी। नदी में पानी, पानी से सिंचित खेत, खेतों में हरियाली को दिखाते गांव के लोग अरवरी की गाथा कहते अगाहते नहीं थे। हमीरपुर में नदी पर बना समाज की सहभागिता से एनिकट गांव में खुशहाली की दास्तां बयां करता दिखाई देता था। यहां अरवरी के शीतल पेय से स्पर्श करती हुई पछुआ बयार शरीर को शीतलता प्रदान करती थी। इसी मोह में अरवरी के किनारे मंत्री महोदया भी बगैर टहले नहीं रह सकी थीं।

हमीरपुर में जन सभा को सम्बोधित करते हुये चक्रवर्ती ने समाज के द्वारा जल प्रबन्धन के कार्यों की प्रशंसा की। कहा कि मैं दिल्ली में आपके कार्यों के बारे में समाचार-पत्रों में पढ़ती या टी.वी. पर देखती थी लेकिन आज यहां आकर अपनी आंखों से देखा, आज देश में ऐसे कार्यों को करने की जरूरत है। हमें अपने पानी के संरक्षण के काम करने होंगे। तरुण भारत संघ के साथ मिलकर जो प्रयास आपने किये हैं, वे अपने में अपूर्व हैं। पानी की समस्या अब इस अकेले क्षेत्र की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। इस क्षेत्र में हो रहे जल संरक्षण के कार्य को हम देश में फैलायेंगे, ऐसा हमारी सरकार सोच रही है।

"पानी की समस्या अब इस अकेले क्षेत्र की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। इस क्षेत्र में हो रहे जल संरक्षण के कार्य को हम देश में फैलायेंगे, ऐसा हमारी सरकार सोच रही है।"

हमीरपुरवासियों और अरवरी पंचायत के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद मंत्री महोदया भीकमपुरा तरुण आश्रम में आईं। जहां सरसा नदी क्षेत्र की जनता इन्तजार कर रही थी। सरसा क्षेत्र के ग्रामीणजन श्री पेमाराम मेवाल वकील, श्री सुमेर सिंह, महेश शर्मा, गोवर्धन शर्मा आदि ने समाज के साथ हुए कार्यों को विस्तार से बताया। राजेन्द्र सिंह ने सरसा नदी क्षेत्र से प्रारम्भ किया गया कार्य कैसे देश के दूसरे भागों में पहुंचा और वहां के जन मानस में कैसे समाया की पूरी दास्तान सुनायी।

सतेन्द्र सिंह ने धन्यवाद प्रकट करते हुये कहा था कि आज तरुण भारत संघ के कार्य को केन्द्र की सरकार देख रही है, समझने की कोशिश कर रही है और देश में जल की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए हमारे प्रयोग को उपयोगी मान रही है, यह हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है।

तरुण भारत संघ

सोलहवां कदम

1

वर्ष 2000 के प्रथम महीने की बात है। राजेन्द्र सिंह ने कहा कि हो सकता है कि हमारे काम को देखने के लिए राष्ट्रपति जी आयें। मैंने उत्सुक्तावश पूछा, कैसे मालूम हुआ? तब उन्होंने बताया कि अनिल अग्रवाल की राष्ट्रपति जी से बात हुई है। एक बार आ जायें तो यहां के समाज के लिए अच्छा रहेगा।

अनिल अग्रवाल जी ने देश के विभिन्न भागों में समाज के द्वारा किये जा रहे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण-संवर्द्धन के कार्यों का एक अध्ययन किया था। गांव की स्वावलम्बी व्यवस्था और पर्यावरण के संरक्षण में कार्यरत ऐसे समाज को देश के सामने लाना था जो स्वयं आगे आकर कार्य कर रहा है। अध्ययन के आधार पर जो भी अधिक उपयुक्त लगा, उसे सम्मानित करना था। पुरस्कार देना था।

उसी कड़ी में तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र के गांव कोल्याला-भांवता को चुना गया था। तरुण भारत संघ के सहयोग से गांव द्वारा किये गये सामाजिक कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। देश के अन्य भागों में किये गये अध्ययनों की तुलना में अधिक उपयुक्त पाया गया था। इसलिए कोल्याला-भांवता गांव को पुरस्कृत करने के लिए चुना।

"गांव की स्वावलम्बी व्यवस्था और पर्यावरण के संरक्षण में कार्यरत ऐसे समाज को देश के सामने लाना था जो स्वयं आगे आकर कार्य कर रहा है।"

गांव को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में समाज उपयोगी कार्य के लिए जोसफ सी.जोन पुरस्कार देना तय किया था। इसके लिए एक लाख रुपये के साथ प्रशस्ति-पत्र भी था।

पुरस्कार का श्रीगणेश देश के सम्मानित व्यक्ति से कराना ही उचित माना था क्योंकि यह प्रथम पुरस्कार था। इन्हीं सबके चलते राष्ट्रपति जी से निवेदन किया गया था। उन्होंने भी सहजता से गांव को सम्मान करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। गांव को सम्मानित करने के लिए उन्हीं के गांव में जाकर सम्मानित करना अपने आप में अहम कार्य था।

2

मैं फरवरी की 2 या 3 तारीख को गांव गया हुआ था। 6 फरवरी को वापिस आना था। गांव से 6 फरवरी को ही दिल्ली आ गया था। गांधी शान्ति प्रतिष्ठान पहुंचा। राजेन्द्र सिंह वहीं पर मिले। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का आना तय हो गया है। 28 मार्च को सुबह आ रहे हैं।

12 फरवरी को मालूम हुआ कि राष्ट्रपति का हमारे क्षेत्र में आना निश्चित है क्योंकि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति के कार्यक्रम की सूचना जयपुर और अलवर को आ गयी थी। थानागाजी से नायब तहसीलदार जो कि किशोरी गांव के ही थे, 12 फरवरी को आश्रम में आये। उन्होंने कहा कि थानागाजी में कलेक्टर साहब का फोन आया है कि तरुण भारत संघ में जाकर पता लगायें कि राष्ट्रपति जी का क्या कार्यक्रम है। मुझे तहसीलदार ने फोन किया है इसलिए मैं यहां आया हूं। मैंने उन्हें 28 मार्च की निश्चित तारीख के बारे में तथा कार्यक्रम संबंधी बातें बतायीं।

12 फरवरी के बाद ज्यों-ज्यों दिन व्यतीत होने शुरू हुए त्यों-त्यों प्रशासनिक स्तर पर सरगर्मी भी शुरू होने लगी थी। थानागाजी से कोई न कोई अधिकारी आते रहते थे। जांच एजेन्सी के लोग भी चक्कर काटने लगे थे। राष्ट्रपति जी का हमीरपुर गांव में आना तय किया गया था। इसलिए हमीरपुर में एक पटवारी और कानूनगो की चौबीसों घंटे की ड्यूटी लगा दी गई थी। खुफिया तंत्र के लोग हमीरपुर में आने-जाने वालों पर अपने तरीके से नजर रख रहे थे। लेकिन ग्राम सभा सदस्य भी पूरे अरवरी क्षेत्र के अपने-अपने गांव में सतर्क थे। 18 मार्च को जिलाधीश, अलवर ने राजेन्द्र सिंह के साथ हमीरपुर में जगह तय करने के लिए बैठक की थी। सी.एस.सी. दिल्ली से भी प्रतिनिधि आते रहते थे। अब जिलाधीश प्रतिदिन की जानकारी हमीरपुर में आकर लेने लगे थे।

"जयपुर में अमेरिका के राष्ट्रपति, अलवर में भारत के राष्ट्रपति के आगमन की सूचनाओं से अखबार भरे रहते थे। 28 मार्च को इन्तजार करते-करते कार्य की व्यस्तता में वह समय आ गया जिसने भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।"

राजेन्द्र सिंह के साथ भी समय-समय पर विचार-विमर्श जारी रहा था। टैन्ट-शामियाने व साउण्ड, लाइट आदि की व्यवस्था अलवर के टैन्ट मालिक को दी गई थी। बाकी कार्य जिला प्रशासन की जिम्मेदारी में हो रहे थे।

संस्था के कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में प्रचार-प्रसार में लगे हुए थे। मंच को लेकर भी एक बार सी.एस.सी. की प्रतिनिधि सुश्री सुनीता नारायण काफी उत्तेजित हो गई थीं, क्योंकि मंच ऐसे स्थान पर बनाया गया था कि सूर्य की तेज धूप मंच पर बैठने वालों पर सीधे आती और मंच पर बैठना ही दूभर हो जाता। साथ ही अरवरी नदी सामने के बजाए पीठ पीछे आ रही थी, जिसे देखने के लिए राष्ट्रपति जी दिल्ली से हमीरपुर आ रहे थे। इन सब के देखते हुए उन्होंने तुरत-फुरत एक दिन में ही दूसरा मंच बनवाया था। अब हमीरपुर में आवाजाई गहमा-गहमी शुरू हो गई थी। रोज समाचार-पत्रों में राष्ट्रपति के आगमन के विषय में सूचनायें प्रकाशित होती थीं। जयपुर में अमेरिका के राष्ट्रपति की सूचना तो अलवर में भारत के राष्ट्रपति के आगमन की सूचनाओं से अखबार भरे रहते थे। 28 मार्च को इन्तजार करते-करते कार्य की व्यस्तता में वह समय आ गया जिसने भारतीय इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।

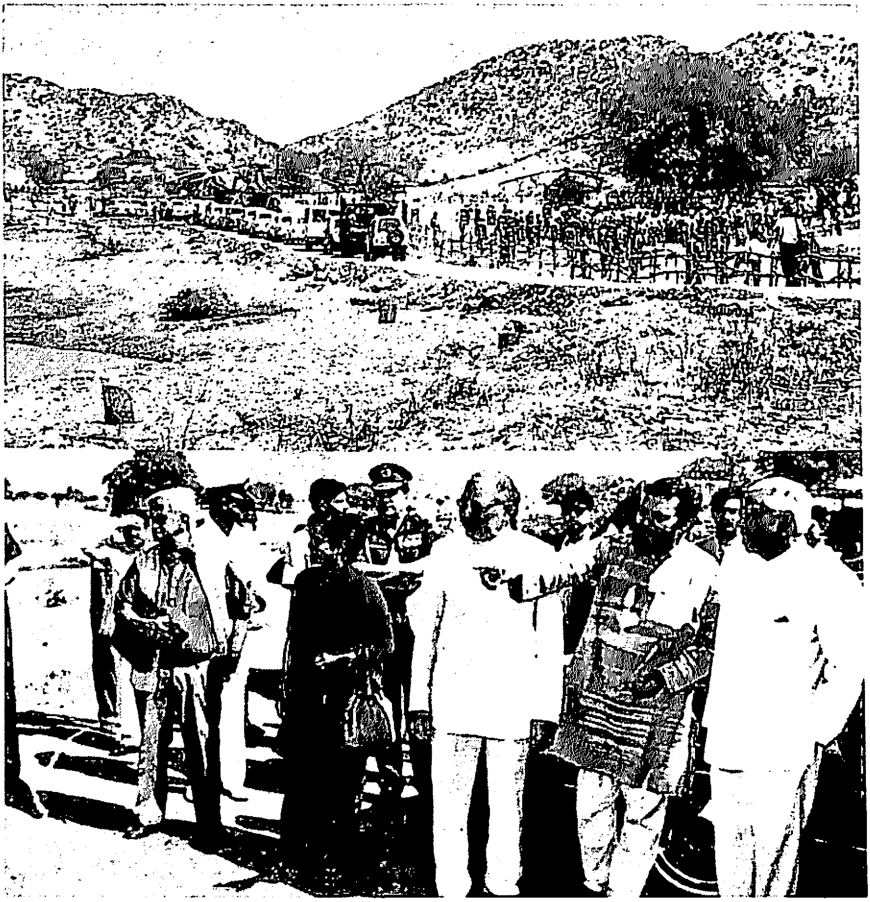

3

ऐतिहासिक पुरस्कार- भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन जी ने अलवर जिले के ग्राम हमीरपुर में आ करके जो संदेश दिया, वह पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण व गौरव की बात है। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति श्री नारायणन जल-संचय के कार्य में एक प्रेरक मिसाल कायम करने वाले ग्रामवासियों को पुरस्कृत करने के लिए गांव आये। हालांकि राष्ट्रपति भवन में भारतरत्न से लेकर पद्म विभूषण आदि अनेक सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति प्रदान करते रहे हैं। किन्तु यह वाकई एक अनुकरणीय व साहसिक कदम था। राष्ट्रपति ने तमाम औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ों से घिरे जंगल के बीच बसे एक गांव में स्वयं वहां जाकर जल-संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसानों को डाउन टू अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया।

गांव के गरीब, अशिक्षित, भोले-भाले, जमीन का सीना फाड़कर सोना पैदा करने वाले और ठेठ देहाती जमीन की रंगत में जीने वाले मेहनतकश किसानों ने कभी यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी कि वह अपने गांव व आसपास के इलाकों की ग्रामीण जनता की खुशहाली व तरक्की के लिए प्राकृतिक जल को संचय करने का जो कार्य कर रहे हैं, इस श्रेष्ठ काम के लिए हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति भारत की राजधानी नई दिल्ली से चलकर उनकी पीठ थपथपाने व शाबाशी देने उनके गांव तक आयेंगे।

राष्ट्रपति नारायणन ने ग्रामीण परिवेश में काम करने वाले साधारण से स्त्री-पुरुषों को सम्मानित करके अपनी सरलता व सहजता के साथ-साथ यह भी उजागर किया कि वे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से कितने गहरे प्रभावित हैं। जब श्री नारायणन ने अपनी आंखों से पहाड़ी क्षेत्र से घिरे और सरिस्का अभयारण्य के अन्तिम छोर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर व दौसा जिलों के सीमावर्ती ग्राम हमीरपुर में खुले आकाश के नीचे सैकड़ों मेहनती हाथों से संरक्षित व विकसित स्वदेशी जल-संवर्द्धन पद्धति का साक्षात् स्वरूप देखा तो वे अभिभूत हो गये थे। अपने भाषण में श्री नारायणन ने इसका जिक्र करते हुए

"ग्राम हमीरपुर में खुले आकाश के नीचे सैकड़ों मेहनती हाथों से संरक्षित व विकसित स्वदेशी जल संवर्द्धन पद्धति का साक्षात् स्वरूप देखा तो वे अभिभूत हो गये थे।अपने भाषण में श्री नारायणन ने इसका जिक्र करते हुए स्वयं टिप्पणी की कि मेरा मन यहां आकर बहुत प्रफुल्लित है।"

टिप्पणी की कि मेरा मन यहां आकर बहुत प्रफुल्लित है। राष्ट्रपति के द्वारा इस मौके पर पानी के सवाल पर की गई टिप्पणी को एक चुनौती के रूप में लेना होगा। उसका कारण है कि आज हमारे मुल्क में ही नहीं बल्कि अमीर देशों में भी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है।

महात्मा गांधी ठीक ही तो कहा करते थे कि असली भारत तो गांवों में बसता है और गांव ही देश की आत्मा है। भारत की एकता और समृद्धि इसके गांवों में ही है। इसकी सांझी संस्कृति, जीवनशैली, कार्यपद्धति ग्रामवासियों की आशाओं व आकांक्षाओं में है। भारत का भविष्य इसके ग्रामवासियों के हाथों में और लाखों गांवों के रहने वाले लोग ही देश के वास्तविक अधिनायक हैं। भारत की आन, बान, शान व प्रगति गांवों के योगदान के बिना संभव नहीं है।

गांधी के इस ग्राम स्वराज की कल्पना को नि:संदेह ग्राम भांवता-कोल्याला के लोगों ने जिस मेहनत, लगन व सूझबूझ से साकार करके दिखाया है, वह पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। ग्रामीणों के इस अभिनव प्रयोग से जल, जंगल, जमीन और पानी के लिए काम करने वालों को एक नया संदेश मिलेगा।

राजस्थान में तो खासकर चारे-पानी की समस्या विकराल है और उस स्थिति में इन क्षेत्रों के ग्रामीणों ने स्वयं अपने बलबूते पर, बिना किसी सरकारी मदद के तरुण भारत संघ के सहयोग से राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में सूख चुकी अरवरी नदी को फिर से बारहमासी बहने वाली नदी का जो रूप दिया है, उससे गांव की जो कायापलट हुई, उससे सीखा जा

सकेगा। काश, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों के किसान स्वयं एकजुट होकर गांव के विकास व उत्थान में आगे आने लगें तो गांवों से शहर की तरफ पलायन का चक्र जहां थम सकता है, वहीं गांव की समूची जमीन फिर से सरसब्ज होकर सोना उगल सकती है। जल संचय और उसका इस्तेमाल हर गांव की तस्वीर बदल सकता है। गांव के लोगों की मेहनत आज भी किसी से छिपी नहीं है किन्तु इस दिशा में जो समझ उनमें पैदा करनी है, वह हमीरपुर-भांवता के लोगों से अब सीखी जा सकती है।

राष्ट्रपति के आगमन से किसानों की मेहनत से जल-संचय का अद्‌भुत व आदर्श उदाहरण अब न केवल अपने देश अपितु दूसरे मुल्कों को भी एक रोशनी दे सकेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रपति की यह यात्रा पर्यावरण प्रबन्धन में एक उत्कृष्ट सामुदायिक उपलब्धि के रूप में मिसाल कायम करेगी। जो गांव जल समस्या से त्रस्त हैं, खेत, जंगल, नदी, नाले सूख रहे हैं फिर से हरे-भरे और जल से प्लावित होकर सतत बहने लगेंगे। उदास चेहरों पर मुस्कान तैर सकेगी। भूजल का स्तर बढ़ने से प्यासी धरती तृप्त होकर सोना उगल सकेगी। अकाल व सूखे के अभिशाप से मुक्त होने का मार्ग-प्रशस्त हो सकेगा। ठूंठ बन कर खड़े पेड़ फिर से लहराने लगेंगे। प्रकृति के शृंगार में नंगे पेड़, पहाड़ फिर से सौन्दर्यता बिखेर पायेंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि ग्रामीणों में स्वयं आत्मविश्वास जागृत होगा और वे आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा सकेंगे।

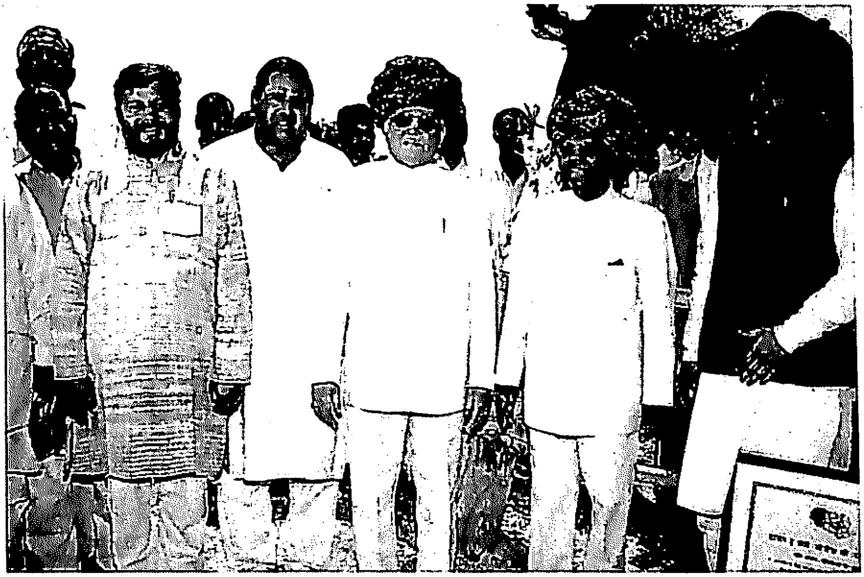

4

लोक कल्याणकारी काम में वैचारिक मतभेद की दूरियां कम होती हैं। निकटता आती है। सीखने-सिखाने का दौर शुरू होता है। मेरे अनुभव से देश की राजनीति में पहली बार ऐसा बदलाव आ रहा था। शायद इसलिए सत्ताधारी राजनेता अपने संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर तरुण भारत संघ के काम को देखने-समझने के लिए आ रहे थे।

"लोक कल्याणकारी काम से वैचारिक मतभेद की दूरियां कम होती हैं। निकटता आती है। सीखने-सिखाने का दौर शुरू होता है। शायद इसलिए राजनैतिक सत्ताधारी राजनेता अपने संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर तरुण भारत संघ के काम को देखने-समझने के लिए आ रहे थे।"

सबसे पहले 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक श्री के.सी. सुदर्शन जी के कार्यालय से फोन आया कि सुदर्शन जी तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में आना चाहते हैं। इसलिए राजेन्द्र सिंह से बात करना चाहते थे। मैंने राजेन्द्र सिंह का मोबाइल नंबर दे दिया था। उन्होंने राजेन्द्र सिंह से सम्पर्क किया और श्री सुदर्शन जी का 16-17 अप्रैल का समय निश्चित हो गया। सुदर्शन जी आये। तरुण भारत संघ के सहयोग से ग्रामीण समाज के सहभागी प्रयासों को अपनी आंखों से देखा, ग्रामवासियों की जुबां से सुना।

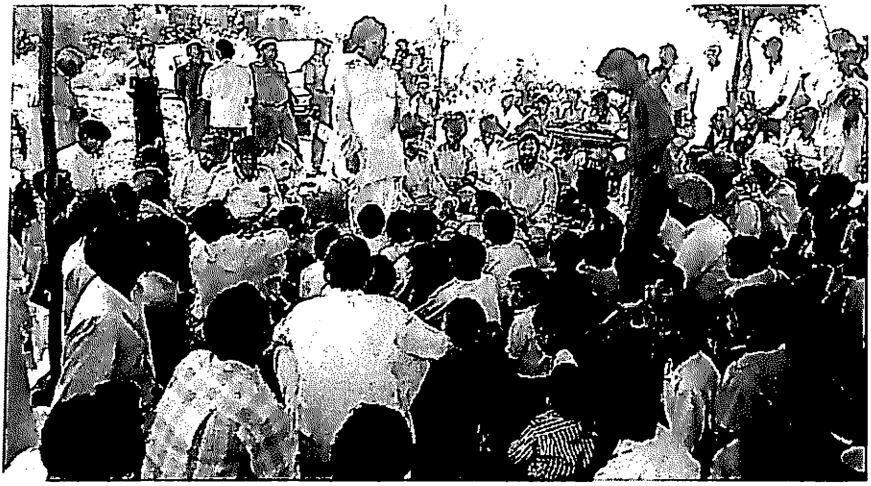

श्री सुदर्शन जी ने दो दिन 16-17 अप्रैल का समय तरुण भारत संघ के कार्यों को देखने-समझने के लिए निकाला था। तरुण आश्रम में उनकी आवासीय व्यवस्था थी। बहुत ही सादगी से उन्होंने कार्यों को गांव में जाकर देखा था। जहां भी लोगों से बातें करते कहते कि आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं भी आपके काम से सीखने के लिए आया हूं। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आपके कार्यों की चर्चा करूंगा। केन्द्र सरकार के मंत्रियों से भी कहूंगा कि अगर तुम्हें गांव में काम करना है तो पहले तरुण भारत संघ में जाकर काम को देखो-समझो, फिर देश में गांव की जरूरत के अनुसार काम करना।

सुदर्शन जी के लौटने के बाद केन्द्रीय मंत्रियों का आगमन शुरू हो गया था। 4-5 मई को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री बाबूलाल मरांडी संस्था के कार्यों को देखने आये तथा 11 मई को केन्द्रीय कृषि मंत्री सुन्दरलाल पटवा ने जल संरक्षण कार्यों का अवलोकन किया। भाजपा-आर.एस.एस. के वरिष्ठतम कार्यकर्ता भी तभासं के कार्यों को देखने-समझने आये थे।

सरसंघचालक का तरुण भारत संघ के कार्यों को इस प्रकार से देखना-समझना बहुत बड़ा कौतूहल का विषय बन गया था। तरुण भारत संघ की कार्यशैली महात्मा गांधी, विनोबा और जयप्रकाश के जीवन और वैचारिक सिद्धान्तों पर आधारित थी जो जाहिरातौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दृष्टिकोण में भिन्न थी, जिससे दुनिया परिचित थी। मत भिन्नता के चलते मन की दूरियां भी थीं।

कोल्याला-भांवता के लोगों का सम्मान करने के लिये आये राष्ट्रपति जी की यात्रा सरकारी-तंत्र और अलवर के कुछ समाचार-पत्रों को नागवार लगी थी। इसलिए उन्होंने तरुण भारत संघ के कार्य को तोड़-मरोड़ कर पेश किया। राष्ट्रीय सहारा और न्याय ने लिखा कि हमीरपुर के एनिकट में टैंकरों से पानी डाला गया था जिसे तभासं के कार्यकर्ता बहती नदी बता रहे थे। जबकि एक महीने से लगातार सरकारी तंत्र भी वहीं मौजूद था और दिन-रात कार्य पूरा करने की तैयारी में जुटा हुआ था। लेकिन यह सब उसे स्वीकार्य नहीं था कि एक स्वयं सेवी संस्था के कार्यों को सराहने के लिए राष्ट्रपति आए।

"महामहिम राष्ट्रपति जी का आना ग्रामवासियों के लिए जितना सुखकर था, राजनेता, छुटभैया नेता और सरकारी-तंत्र के लिए उतना ही कष्टप्रद साबित हुआ था।"

राष्ट्रपति के आगमन पर जिस अखबार ने नदी में टैंकरों से पानी डालने की बात छापी थी। अचानक 14 मई को उसके प्रतिनिधि तरुण भारत संघ आये थे। क्यों आये थे? ये तो वे ही जानते होंगे। मैंने तो जैसा भी बना उनकी आवभगत की और संस्था के बारे में बताया। उनके साथ जयपुर के गोपाल शर्मा भी थे। गोपाल शर्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं जयपुर में महानगर टाइम्स अखबार का मालिक हूं। राजेन्द्र सिंह मेरे अच्छे मित्र हैं।

राजेन्द्र सिंह किसके मित्र हैं या दुश्मन, मैंने तो दोनों आगन्तुकों को पहली बार ही देखा था। वह बार-बार हमीरपुर में नदी में टैंकर वाली बात का जिक्र करते थे। शायद वह जानने का प्रयास कर रहे थे कि राष्ट्रीय सहारा ने जो छापा है, वह सही है या गलत। वैसे उनके हावभाव से ऐसा लग रहा था कि वे अखबार में छपी खबर को ही अहमियत दे रहे थे। वे संस्था के काम को देखने के लिए भी कह रहे थे। मैं भी दिखाने के लिए तैयार था और अधिक से अधिक काम दिखाना चाहता था। परन्तु वे मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। अपने आप ही जाना चाहते थे। गोपाल शर्मा ने कहा कि हम उस गांव में जाना चाहते हैं जहां राष्ट्रपति जी आये थे। वहीं से जयपुर चले जायेंगे। मैंने कागज पर हमीरपुर जाने का नक्शा बना कर दिया और आश्रम से विदा किया।

अब मेरे मन-मस्तिष्क में अतिथियों के आगमन की तस्वीर साफ थी कि ये लोग क्यों आये हैं? उन्हें अखबार में छपी खबर के लिए कष्ट उठाना पड़ा था। मुझे एक प्रकार की सौम्य जिरह करनी पड़ी थी। खैर! वह हमीरपुर के लिए चले गये थे। वहां उन्हें कन्हैया लाल मिल गये थे जिन्होंने पूरी अरवरी नदी को दिखा दिया था। 13 मई की बारिश के कारण अरवरी नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। आगन्तुकों के प्रश्नों का जवाब प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा था। मन में शर्मसार का भाव लिए दोनों अतिथि आंधी होते हुए जयपुर के लिए निकल गये।

राष्ट्रपति के आगमन से तरुण भारत संघ का काम देश-दुनिया की नजरों में आ गया था और एक लोक हितकारी कार्य के रूप में देखा व समझा जाने लगा था। आक्षेपों में तरुण भारत संघ पला-बड़ा हुआ था। एक प्रकार से अब तक जो भी जैसे भी आक्षेपों का प्रहार हुआ, उससे थोड़ी-सी परेशानी तो जरूर महसूस हुई लेकिन बाद में वही आक्षेप हमारे कार्यों की शक्ति बन गये।

6

तरुण भारत संघ को डेढ़ दशक का समय बीत चला था। इसी दौरान दुनिया भर के मानव समाज ने बीसवीं सदी को अलविदा किया और इक्कीसवीं सदी से नाता जोड़ा था। नई सदी में नई बुलन्दियों को छूने के सपने संजोये जा रहे थे। कोई एक दिन की रोजी-रोटी की जुगाड़ में लगा था तो मध्यम परिवार अपनी जीवनशैली को आधुनिकता का जामा पहनाने में लगा था। अमीर लोग इक्कीसवीं सदी का स्वागत अपने तौर-तरीकों से करने में मशगूल थे। वैसे तो ऐसे लोगों का हर दिन इक्कीसवीं सदी का ही दिन होता है। गरीब देश अमीर देशों की नई नीतियों की ओर झांक रहे थे। विकासशील देश अपनी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा करते हुए आंक रहे थे कि हम कितना आगे चले हैं, यह उनका स्व-मूल्यांकन था। अमेरिका जैसे विकसित देशों ने इक्कीसवीं सदी की योजना तो बीसवीं सदी में ही बना ली थी।

तरुण भारत संघ ने 1985 में ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना आरम्भ किया था। राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री थे। उन्होंने इक्कीसवीं सदी में जाने का नारा दिया था। उस समय इक्कीसवीं सदी के न जाने कितने सब्जबाग दिखाये गये थे। देश के औद्योगिक क्षेत्र में कुछ हलचल सी शुरू हुई थी, बम्बई का सेंसेक्स थरथराने लगा था। इक्कीसवीं सदी आते-आते देश में कई सरकारें आयीं और गईं। यही हाल दुनिया के अन्य देशों में हो रहा था। दुनिया को इक्कीसवीं सदी में जाना है लेकिन कैसे जाना है, कहां जाना है और कहां तक जाना है? सब कुछ अनिश्चितता के साये में था।

नई सदी के आते-आते भारत में भी औद्योगिक निजीकरण का बिगुल बज गया था। देश के प्राकृतिक संसाधनों को उद्योग जगत को सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। तरुण भारत संघ का चिन्तित होना स्वाभाविक था। वह तो पिछले 15 वर्षों से गांव के प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने में लगा हुआ था और सरकार इसके लिए खुली छूट दे रही थी।

तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने अपने कार्यक्षेत्र में जो भी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बन्धित कार्य किये थे, उनके अनुभव से बना दृष्टिकोण ही चिन्तन का मुख्य आधार था। इसलिए देश की जलनीति क्या है? कैसी

''देश की जलनीति क्या कहती है? कैसी होनी चाहिए? समाज के लिए जीवन पद्धति कैसी हो? जिसमें प्यासे जीव-जगत की प्यास बुझाने की क्षमता हो और सुलभता भी।''

होनी चाहिए? समाज के लिए जीवन-पद्धति कैसी हो? जिसमें प्यासे जीव जगत की प्यास बुझाने की क्षमता हो और सुलभता भी। इसी सोच से देश की जल नीति का अध्ययन किया था।

तरुण भारत संघ दूरदराज के जिन गांवों में कार्यरत था। वहां भी उद्योग जगत की निगाहें ग्रामीण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर आकर ठहर गई थीं। इस सब का नजारा तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में देखने में आ रहा था। चाहे मार्बल की खानें हों या अजबगढ़ जैसे उजड़े गांव में अमनबाग हैरिटेज होटल। थानागाजी में खेती की जमीन रीको के नाम होना, ये सब उद्योग के ही रूप थे।

तरुण भारत संघ ने वर्ष 1998 में राजस्थान की जल नीति का अध्ययन श्री भरत झुनझुनवाला से कराया था। अब एक बार पुनः देश की जलनीति के अध्ययन के लिए श्री भरत झुनझुनवाला को ही जिम्मा सौंपा था। इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर पहला अध्ययन था। इसके लिए श्री भरत झुनझुनवाला ने पहले देश की जलनीति का अध्ययन किया। तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों के विचारों को समझा, देश के अन्य भागों में जाकर भौगोलिक परिदृश्य को समझा। वहां के बुद्धिजीवियों से सम्पर्क किया और सबके विचारों को समाहित करते हुए कुछ सुझाव भी तैयार किये।

अभी कार्य पूरा नहीं हुआ था। राष्ट्रीय जलनीति पर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में एक जन संवाद की आवश्यकता थी। दिल्ली में जन संवाद करने का निश्चय किया गया। जन संवाद के लिए देश भर के बुद्धिजनों व पानी पर कार्य करने वाले लोगों से सम्पर्क किया गया, पत्राचार किये गये।

29-30 मई 2000 को राजेन्द्र भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती विजया चक्रवर्ती, आर.बी.एस. आहूजा, कमिश्नर, जल संसाधन मंत्रालय तथा श्री रामास्वामी अय्यर ने भाग लिया।

राष्ट्रीय जलनीति पर राष्ट्रीय जन संवाद हुआ। नये-नये सुझाव आये। भरत झुनझुनवाला ने भी अपने अध्ययन का प्रस्तुतीकरण तर्क संगत ढंग से किया था। जहां नये सुझावों को जोड़ने की आवश्यकता थी वहां जोड़ा और जो त्रुटियां थी उन्हें शुद्ध किया। अभी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार के पास भी कोई जलनीति नहीं थी। वैसे सरकार भी प्रयत्नशील दिखाई दे रही थी। सरकार पर उद्योग जगत का भारी दबाव था। 21 मई को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने भी एक सेमिनार किया था जिसमें राजेन्द्र सिंह ने राष्ट्रीय जलनीति संबंधी अपने विचार रखे थे।

तरुण भारत संघ ने राष्ट्रीय जलनीति के लिए जो भी अध्ययन कराया था, उसकी प्रति केन्द्रीय सरकार को सौंप दी। जन सामान्य की जानकारी के लिए पांच हजार प्रतियां छपाई गई थीं जिन्हें पूरे देश में डाक द्वारा और प्रवास के दौरान देश में शिविर-सम्मेलनों के अवसर पर वितरित किया गया। तरुण भारत संघ के परिसर में आने वाले अतिथिगणों को दी गईं थीं।

" तरुण भारत संघ ने राष्ट्रीय जलनीति के लिए जो भी अध्ययन कराया था,उसकी प्रति केन्द्रीय सरकार को सौंप दी। जन सामान्य की जानकारी के लिए पांच हजार प्रतियां छपाई गई थीं।"

7

तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में गांव के साथ सहभागितापूर्ण कार्य सुचारु रूप से चल रहे थे। साथ ही देश-विदेश की अनुदात्री संस्थाओं का सहयोग भी बराबर मिल रहा था जिससे सामाजिक विकास कार्य की गति बढ़ी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन, अध्ययन, जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के कार्य क्षेत्र में चल रहे थे। अनुदात्री संस्था के प्रतिनिधि भी अपने-अपने काम को देखने-समझने के लिए आते ही रहे। साथ आने वाले अतिथियों का सम्मान किया और गांव के लोगों के बीच बातें कराईं। इस प्रकार से कार्य को गति मिल रही थी। साथ ही साथ विभिन्न स्तरों से संस्था के कार्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी स्वत: चल रही थी। आने वाले अतिथि अपने नजरिये से कार्य का आकलन करते हैं।

3 जुलाई को कपार्ट के उपनिदेशक श्री अशोक ठाकुर आये, उन्होंने संस्था के कार्यकर्ताओं के बीच रह कर गांव के सामलाती कार्यों को देखा, समझा और संस्था के जल संरक्षण के कार्यों को गति दी।

3 सितम्बर को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रीमती पूर्णिमा आडवाणी जी ने संस्था द्वारा कराये जा रहे महिला सबलीकरण के कार्यक्रमों को गांव में जाकर देखा, समझा और क्षेत्रीय महिलाओं से बातचीत की थी।

18 अक्टूबर को फोर्ड फाउण्डेशन के ट्रस्टी मिस्टर रिचर्ड व उनकी पत्नी तथा फोर्ड फाउण्डेशन के भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने तरुण भारत संघ के कार्यों का अवलोकन किया था। गांव भांवता-कोल्याला, हमीरपुर, हरिपुरा की ग्राम सभाओं के द्वारा किये गये जल-संरक्षण के कार्यों को सराहा तथा उनके सामलाती कार्यों को सम्मानित करते हुए एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया।

तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में अनुदात्री संस्थाओं के प्रतिनिधि समाज-आधारित लोक अभिक्रम के कार्य देखते थे। संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीणजन अपना काम दिखाते और बताते थे। सबको अच्छा लगता था। तभी तो ग्राम सभाओं का सम्मान उनके गांव में जाकर हो रहा था। यह सब संस्था के लिए और समाज के लिए शुभ था। वर्ष 2000 हर प्रकार से अलवर के समाज के लिए खुशियों से भरा था।

वर्ष 2000 को कुछ घंटे पहले ही रात्रि 12 बजे अलविदा किया था। और अगले ही पल नई साल का स्वागत करते हुए इक्कीसवीं सदी में प्रवेश किया था। आश्रम में भी चहल-पहल थी। रेडियो व टेलीविजन पर भी बड़ी धूम-धाम मची हुई थी। अब सब शान्त हो चुका था। हम भी मध्य रात्रि के बाद सो गए थे।

तरुण भारत संघ

सत्रहवां कदम

1

वर्ष 2001 इक्कीसवीं सदी के प्रथम वर्ष की पहली सुबह का सूरज पूरब दिशा में रोज नित्य की तरह अपनी लालिमा लिए, भोर का उजारा चहुं ओर फैलाए उदित हो रहा था और क्षितिज पर नई उमंग के साथ चमकने लगा था। नई सुबह की खुशी आश्रम में रहने वाले लोगों के दिलों में समाहित थी। सभी एक-दूसरे को नम्र भाव से नमन कर रहे थे। नए साल में अरवरी संसद के बीज बोने वाले सदस्य अनिल अग्रवाल अपने बोए बीजों के अंकुरों को देखने के लिए 6 जनवरी को तरुण भारत संघ कार्यक्षेत्र में आये थे। अनिल अग्रवाल जी ने ही 19 दिसम्बर 1998 को अरवरी क्षेत्र के 70 गांवों का संगठन बनाने का विचार दिया था।

राजेन्द्र सिंह ने इस दिशा में पहल की और अब सत्तर गांवों के संगठन का स्वरूप अरवरी संसद के रूप में जाना जाने लगा था। अरवरी संसद के पूर्व में विभिन्न नामकरण हुए थे, जैसे-जल- पंचायत, अरवरी मंच, पानी-पंचायत, जल संसद बाद में अरवरी संसद नाम सबके मन भाया था। उसी से अब अरवरी संसद के नाम से जोड़ कर सत्तर गांवों का संगठन बना था जिसे देखने-समझने और सम्मानित करने के लिए देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन 28 मार्च 2000 को स्वयं हमीरपुर आये थे।

अरवरी संसद से अनिल जी को विशेष लगाव सा हो गया था। अरवरी जलग्रहण क्षेत्र के लोगों के साथ जब भी बातचीत करने के लिए उन्हें अवसर मिलता, वे तुरन्त अपने दूसरे काम छोड़ अरवरी जलग्रहण क्षेत्र के ग्रामवसियों के साथ बातचीत करने के लिए आ जाते थे। 6 जनवरी को भी वह इसी मकसद से आये थे। हमीरपुर में अरवरी संसद की एक छोटी सी बैठक हो रही थी जिसमें उन्होंने अरवरी संसद सदस्यों को अपने गांव में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण-संवर्द्धन के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया। तरुण भारत संघ ने हमीरपुर में राष्ट्रपति के आगमन से संबंधित एक पृष्ठ का नए साल का कैलेंडर छपवाया था। सबसे पहले अरवरी संसद सदस्यों को अनिल अग्रवाल जी ने भेंट किया था। अनिल

"अरवरी संसद से अनिल जी को विशेष लगाव सा हो गया था। अरवरी जलग्रहण क्षेत्र के लोगों के साथ जब भी बातचीत करने के लिए उन्हें अवसर मिलता, वे तुरन्त अपने दूसरे काम छोड़ अरवरी जलग्रहण क्षेत्र के ग्रामवासियों के साथ बातचीत करने के लिए आ जाते थे।"

अग्रवाल ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। फिर भी अरवरी संसद के लोगों के साथ खुशी बांटने में पीछे नहीं रहते थे। जब ऐसे व्यक्ति तरुण भारत संघ में आते थे तो कुछ न कुछ वैचारिक और परिस्थितियों के अनुकूल सूत्र अवश्य छोड़ जाते थे। राजेन्द्र सिंह के साथ राजस्थान में पिछले दो सालों से पड़ने वाले अकाल पर लम्बी वैचारिक बातचीत हुई थी। आगे आने वाले समय में समाज में जन-जागृति के कार्यक्रम करने के लिए विचार बना।

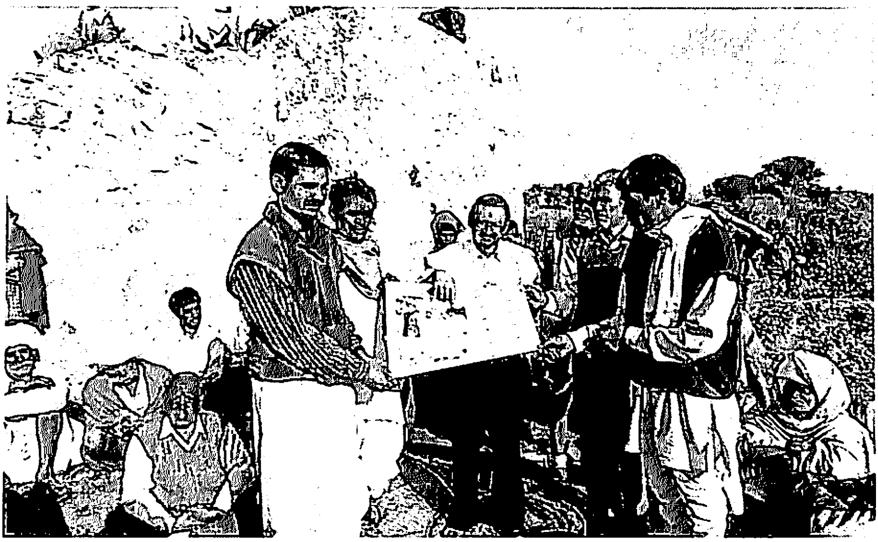

2

राजस्थान के अधिकांश भागों में अकाल की मार थी। हम सब अकाल मुक्ति के उपाय सोच रहे थे। तरह-तरह के विचार मन में आ रहे थे। क्या करें ? कैसे जाएं लोगों के बीच ? इस समय कौन सुनेगा हमारी बात। तभी पदयात्रा का विचार आया क्योंकि समाज के बीच जाने के लिए पदयात्रा ही ऐसा सशक्त माध्यम है, जिसे समाज तवज्जो देता है। राजेन्द्र सिंह ने इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए अपने साथियों से भी विचार-विमर्श किया। तय हुआ कि अब ऐसे लोगों का सहयोग लेंगे जिससे समाज में अधिक से अधिक निकटता बढ़े।

इस काम में साधु-संन्यासी अधिक उपयुक्त रहेंगे। इसके लिए क्षेत्र के सिद्ध दामोदर दास जी से भी सलाह ली गई। उन्होंने अपना पूरा सहयोग देने के लिए कहा। कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। दो दिन का अकाल मुक्ति सम्मेलन हो जिसमें क्षेत्रीय साधु-संत आयें। सम्मेलन में अकालमुक्ति हेतु समाज के वैचारिक दृष्टिकोण से बात रखी जाये। सम्मेलन में उपस्थित साधु-सन्त स्वयं निर्णय लें और समाज में जाकर उसे अहसास करायें कि अगर अकाल से छुटकारा पाना है तो अपने-अपने गांव में बिना किसी का इन्तजार किए बगैर अपने ताल-तलाई के कार्यों में सामूहिकता के साथ जुट जायें। पदयात्रा करते हुए गांव-गांव जाकर जन-जन को समझाना होगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार 19-20 फरवरी सम्मेलन की तारीख तय हुई। सम्मेलन के लिए साधु संन्यासियों से सम्पर्क की जिम्मेदारी श्री सिद्ध दामोदर दासजी ने ले ली थी।

"सम्मेलन में उपस्थित साधु-सन्त स्वयं निर्णय लें और समाज में जाकर उसे अहसास करायें कि अगर अकाल से छुटकारा पाना है तो अपने-अपने गांव में बिना किसी का इन्तजार किए बगैर अपने ताल-तलाई के कार्यों में सामूहिकता के साथ जुट जायें।"

अकाल-मुक्ति सम्मेलन की तैयारी शुरू होने लगी थी। यह सम्मेलन अब तक किये गये जन जागृति के सम्मेलनों से बिल्कुल अलग ही था। इस सम्मेलन में ऐसे समुदायों से सहयोग लिया गया था जो पूर्णरूपेण स्वतंत्र विचारधारा के साथ समाज में ही रहता था। उसके भरण-पोषण का जिम्मा किसी न किसी रूप में समाज को ही उठाना पड़ता था। इनकी दैनिक जीवन की खुशहाली प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में समाज की खुशहाली पर ही निर्भर होती है।

समाज में सम्पन्नता है तो अतिथि सेवा और साधु-संत सेवा का भाव स्वतः प्रबल हो जाता है। अगर समाज में विपन्नता है तो मन में शर्मिन्दगी और लज्जा भाव स्वतः आ जाते हैं। घर आये अतिथि की सेवा सुश्रूषा नहीं हो पाती। साधु-सन्तों के लिए मुट्ठी भर भिक्षा का भी अकाल हो जाता है। ऐसा समय राजस्थान के समाज में गत दो वर्षों से बना हुआ था। ऐसे सब विचारों के साथ साधु-संतों को एक प्रकार से यह अहसास करना था कि उनकी वर्तमान में ग्रामीण समाज के कल्याण के लिए कैसी साधना की जरूरत है। क्योंकि इस समय जीव-जगत का भरण-पोषण करने वाला संकट में है। उसके संकट को कैसे बांटें? साधु-संतों का ऐसे समय क्या दायित्व बनता है? मिलकर विचार करें।

समाज को साधु-संतों से आशीर्वाद लेने की एक लालसा बनी रहती है। उसी प्रेरणा के वशीभूत होकर समाज बड़े-बड़े संकटों का सामना करने में सफल हो जाता है। आज ऐसा ही विचार समाज को देने की आवश्यकता है जिससे समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संवर्द्धन के लिए प्रयासरत होकर अकाल-मुक्त हो सके। इस भाव से 19-20 फरवरी का सम्मेलन तरुण आश्रम, भीकमपुरा में सम्पन्न हुआ था। सम्मेलन में क्षेत्र से करीब 80 साधु-संत आये थे। 20 फरवरी को सम्मेलन-समापन में अनिल अग्रवाल जी ने भाग लिया था। सम्मेलन के दौरान कई साधु- संत अकाल पीड़ित समाज के बीच जाने के लिए तैयार हुए, यह सम्मेलन की एक प्रकार से सफलता ही थी और पीड़ित समाज की पुकार का परिणाम था। इस सम्मेलन में पदयात्रा का कार्यक्रम बना और अगले ही दिन 21 फरवरी से तरुण आश्रम से अकाल-मुक्ति के लिए पदयात्री निकल पड़े, राजस्थान के गांव-गांव में जल संरक्षण का सन्देश देने के लिए।

3

अनिल अग्रवाल जी तरुण भारत संघ आयें और अरवरी क्षेत्र में न जायें, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके लिए तो कोई न कोई काम अवश्य ही निकल आयेगा। ऐसा ही 20 फरवरी को भी हुआ था। हमीरपुर के लोग गांव में नदी किनारे अरवरी का मन्दिर बनाना चाहते थे। जैसे ही मालूम हुआ कि अनिल जी आ रहे हैं तो उनके हार्थो से मन्दिर की मूर्ति की स्थापना करना ही उचित समझा था। इसकी तैयारी भी कर ली थी। इतना ही नहीं, हमीरपुर ग्राम सभा को फोर्ड फाउण्डेशन के द्वारा मिली सम्मान राशि एक लाख रुपये से गांव की जमीन में अरवरी संसद भवन बनाना चाहते थे। अब उसका भी लगे हार्थो शिलान्यास भी अनिल जी से करा लिया जाये तो अच्छा ही है। यह सब कार्य अरवरी क्षेत्र के लिए शुभ थे।

"स्वावलम्बी भावना में किसी के अहम भाव को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। उसमें समाज अपने लिए सामूहिकता से जन-कल्याणकारी कार्य करता है जिससे स्वावलम्बन की प्रक्रिया स्वत: चलने लगती है।"

अनिल जी के आगमन पर राजेन्द्र सिंह ने सभी काम सम्पूर्ण कराये। जब दो विचारशील लोग आपस में मंत्रणा करते हैं तो आगे के कार्यक्रम की योजना भी बनती ही है। उस दिन भी दोनों ने पूरे देश के जल योद्धाओं के साथ में जल-सम्मेलन की रूपरेखा पर विचार किया था और कुछ बातें आगे बढ़ी थीं।

ग्राम हमीरपुरवासी अरवरी माता का मन्दिर और अरवरी संसद भवन बनाने में पूरे उत्साह के साथ लगे थे। जिस कार्य को देखने के लिए देश के प्रथम नागरिक श्री के.आर.नारायण जी आये थे। उसी कार्य को सभी गांव वाले मिलकर बढ़ाने में लगे हुये थे। ऐसे विचार और कार्य दोनों ही समाज को सामूहिकता के सूत्र में बांधते हैं। हर प्रकार से समाज हित में ही रहता है। इस प्रकार की कार्य-प्रवृत्ति से समाज में स्वावलम्बी भावना स्वत: ही आती रहती है और पराधीनता के भावों का क्षरण होता है।

समाज में स्वावलम्बी भावना का बढ़ना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उनका इसके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ अवश्य रहता है। चाहे उनके मन का अहम भाव हो या उनकी अवहेलना का। परन्तु स्वावलम्बी भावना में किसी के अहम भाव को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। उसमें समाज अपने लिए सामूहिकता से जन कल्याणकारी कार्य करता है जिससे स्वावलम्बन की प्रक्रिया स्वत: चलने लगती है। हमीरपुर गांव में भी यही हो रहा था। हमीरपुर के लोग अपने गांव में छोटे-बड़े काम मिलकर कर रहे थे। उन्हें देखने-समझने के लिए देश-दुनिया से आने वाले लाखों लोगों ने स्वावलम्बन की प्रक्रिया को समझा और अपने-अपने गांव क्षेत्र में कार्य भी शुरू किये थे।

4

3 मार्च 2001 काला दिन था। जब गांव के स्वावलम्बी कार्यों को विध्वंस करने के लिए अलवर प्रशासन ने अपना सरकारी तंत्र मय पुलिस जाप्ते के बुलडोजर मशीन के साथ भेजा था। गांव के अधिकतर लोग अपने खेतों पर थे। मन्दिर और अरवरी संसद का भी काम बन्द था। सरकारी स्तर से कभी किसी प्रकार का कोई नोटिस या सूचना अथवा कोई व्यक्ति भी नहीं आया था कि मन्दिर व अरवरी संसद के कार्य को बन्द कर दिया जाये। आज एक साथ पूरा सरकारी लवाजमा मय पूरे जाब्ते के हमीरपुर में था। पहले अरवरी संसद भवन को तोड़ना शुरू किया और उसके बाद अरवरी माता के मन्दिर को तोड़ा गया था। इतनी जल्दी यह सब प्रक्रिया हुई थी कि किसी को सोचने-समझने का मौका ही नहीं था। क्यों तोड़ा गया? गांव में सभी लोग दोनों कार्यों को मिलकर बना रहे थे। अगले दिन सुबह-सुबह ही अखबार की सुर्खियों में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था कि तरुण भारत संघ के द्वारा हमीरपुर गांव में किये जा रहे अतिक्रमण को हटाया।

हमीरपुर के मन्दिर या अरवरी संसद भवन के निर्माण से संस्था के किसी भी पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं का किसी प्रकार का लेना-देना नहीं था। गांव वाले मिलकर कोई अच्छा काम करें तो ऐसे काम को देखना किसे अच्छा न लगेगा। खैर! प्रशासन ने हमीरपुर के लोगों का अभिक्रम चूर-चूर कर दिया था। इस सब का आरोप तरुण भारत संघ के ऊपर था। हम सब चिन्तित थे। ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था जिससे सरकारी तंत्र को ऐसा कदम उठाना पड़ा।

दूसरे दिन गांव वालों ने अलवर जाकर जिलाधीश अलवर श्री तपन कुमार से अपनी पीड़ा सुनाई तो उसने भोले-भाले किसानों की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि हमने देश में एक ही संसद के बारे में पढ़ा और सुना है अब यह दूसरी संसद कहां से आ गई? देश में कोई दूसरी संसद नहीं बनेगी। गांव वालों ने उन्हें समझाने का भरसक प्रयास किया था। लेकिन जिलाधीश ने एक न सुनी, अपने चैम्बर में से बाहर कर दिया और अपने अन्य कार्यों को देखने लगा था।

राजेन्द्र सिंह सरिस्का मुख्यालय पर सरिस्का के आसपास के साठ विद्यालयों के छात्रों के साथ पर्यावरण शिविर कर रहे थे। हमीरपुर के लोगों ने वहीं जाकर सारी जानकारी राजेन्द्र सिंह को दी थी। वैसे तो सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से यह सब मालूम हो गया

था। वह सब आधी -अधूरी जानकारी थी। राजेन्द्र सिंह ने सभी को समझाया था कि यह सब सामाजिक कार्य करने में आने वाली बाधायें हैं।

"यह एक विडम्बना ही थी कि जिस काम को देश के प्रथम नागरिक देश की राजधानी से गांव में आकर ग्रामवासियों को सम्मानित करें, उसी काम को एक प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी वजह के विध्वंस करे। यह सब गांव की स्वावलम्बी व्यवस्था को तोड़ने के प्रयास थे।"

यह एक विडम्बना ही थी कि जिस काम को देश के प्रथम नागरिक देश की राजधानी से गांव में आकर ग्रामवासियों को सम्मानित करें,उसी काम को एक प्रशासनिक अधिकारी बिना किसी वजह के विध्वंस करे। यह सब गांव की स्वावलम्बी व्यवस्था व स्वाभिमान को तोड़ने के प्रयास थे। हमीरपुर की घटना से ऐसा लगा कि गांव की पराधीनता की जंजीरों में जकड़े रहना ही नियति है। गांव के लोग राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों के पीछे-पीछे हाथ जोड़ मिन्नतें करें, उनकी नजरइनायत हो तो सांस लें वरना अरवरी माता और अरवरी संसद की तरह विध्वंस के दृश्य देखकर समझ लें कि क्या हो सकता है? यह एक प्रकार से ग्रामीण स्वाभिमान व स्वावलम्बन की प्रक्रिया को तोड़ने का क्रूरतम प्रयास था।

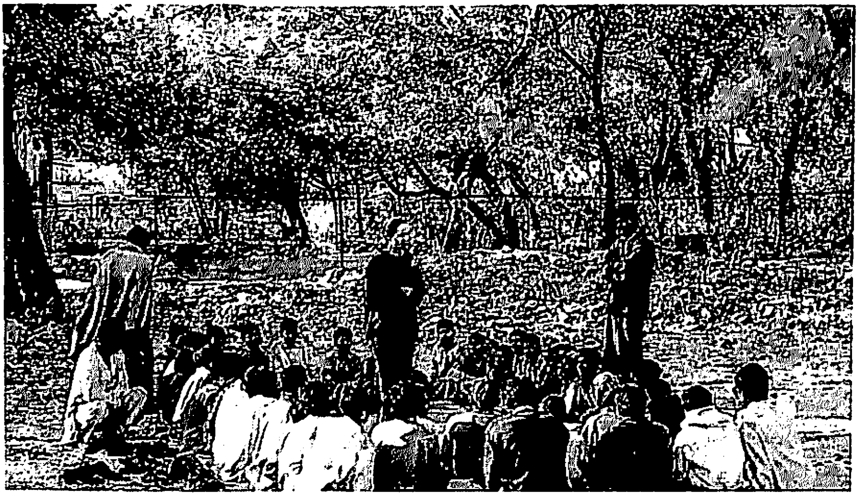

5

सरिस्का में 4 मार्च को पर्यावरण शिविर का समापन समारोह था। इस अवसर पर थानागाजी के विधायक श्री कृष्ण मुरारी गंगावत को आमंत्रित किया था। वह भी आ गये थे। हमीरपुर के लोगों ने उनसे भी अपनी पीड़ा का रोना रोया। विधायक महोदय ने इस सब घटना से अपनी अनभिज्ञता बताई। विधायक जी ने 60 स्कूलों से आये 1500 छात्रों को पर्यावरण के विषय में अपना भाषण दिया। छात्रों को भी अच्छा लगा।

"पर्यावरण संरक्षण के वैचारिक ज्ञान को जब रचनात्मक रूप मिलता है तब जाकर पर्यावरण की बात करना सार्थक होता है।"

पर्यावरण संरक्षण के वैचारिक ज्ञान को जब रचनात्मक रूप मिलता है तब जाकर पर्यावरण की बात करना सार्थक होता है। तरुण भारत संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को ज्ञानवर्द्धक बातों को रचना में करना समाज उपयोगी लगता है। थानागाजी के पास लाहा का वास के लोग अपने गांव में पानी का काम करना चाहते थे। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। वे पास के गांवों का भी सहयोग लेना चाहते थे। विधायक जी से भी सहयोग लेने के लिए सरिस्का में आये थे। राजेन्द्र सिंह को यह अवसर अधिक उपयुक्त लगा था। उन्होंने गांव वालों से भी बात की। ग्रामवासियों ने विधायक को मना लिया था।

पर्यावरण सम्मेलन समापन की पूरी प्रक्रिया करने के बाद सभी उपस्थित जन लाहा का वास गांव गये। गांव वालों ने विधायक जी का गांव में पहुंचते ही स्वागत किया। उसके बाद भूमि पूजन की सामग्री, परात-फावड़े आदि लेकर उस स्थान पर गये; जहां गांव वाले बांध बनाना चाहते थे। जब विधायक जी लाहा का वास में गये तो आसपास के मौजूद आदमी भी लाहा का वास में पहुंच गये थे, थानागाजी के तहसीलदार भी आ गए थे।

उनके साथ अन्य कर्मचारी भी थे। विधि विधान के अनुसार भूमि पूजन किया गया। विधायक महोदय और तहसीलदार जी ने मिलकर बांध निर्माण कार्य का श्रीगणेश किया, फावड़े से मिट्टी खोद, पराती में भर कर सिर पर रखी और पाल की जगह पर डाली थी। उसके बाद ट्रैक्टर चला कर मिट्टी खींच कर पाल पर पहुंचाई गई। उस समय तहसीलदार भी ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे। उनके साथ अन्य लोग भी मौजूद थे।

विधायक जी ने परिस्थिति और लोगों की इच्छा को देखते हुए अपने कोटे से एक लाख रुपये का सहयोग देने की सार्वजनिक घोषणा कर दी। ग्रामवासियों ने ताली

बजा कर विधायक जी की सहृदयता का स्वागत किया। गांव के उपस्थित जन समुदाय की निगाहें अब राजेन्द्रसिंह पर आ टिकी थीं। गांव वालों को मालूम था कि तरुण भारत संघ भी पानी के काम में सहयोग करता है। इसलिए आशा भरी दृष्टि से राजेन्द्र सिंह को देख रहे थे। गांव के उत्साहित नौजवान और बड़े-बूढ़े लोग राजेन्द्र सिंह से बार-बार निवेदन कर रहे थे।

राजेन्द्र सिंह को इस तरह का व्यवहार शायद अच्छा न लग रहा हो परन्तु ग्रामवासियों को आस थी। उसी के चलते बार-बार निवेदन कर रहे थे। यह सब देख समझ कर राजेन्द्र सिंह ने कहा कि मैं कार्य पूरा करने में सहयोग करूंगा। गांव के लोग खुश थे। बांध निर्माण का काम शुरू हो गया। उपस्थित जन समुदाय विधायक जी, राजेन्द्र सिंह और तहसीलदार के जाने के बाद अपने स्थानों की ओर चले गये।

6

देश के जलप्रेमियों का जल सम्मेलन अप्रैल महीने में होना था और ऐसे स्थान पर करना था जहां के समाज ने पानी का कुछ काम किया हो। अलवर में तो छोटे-बड़े शिविर-सम्मेलन तरुण भारत संघ समय-समय पर करता ही रहता था। अतः इसके लिए सब लोगों ने जयपुर के गांव नीम्बी को उपयुक्त माना। यह गांव जयपुर के पास ही था मात्र 25 किमी दूरी पर पहाड़ी और रेतीली जमीन में बसा नीम्बी गांव। इस गांव का समाज-आधारित जल संरक्षण का कार्य बहुत ही प्रेरणादायी था।

सम्मेलन की तैयारी सी.एस.सी और तरुण भारत संघ मिलकर कर रहे थे। सम्मेलन की तिथि 19-21 अप्रैल और स्थान नीम्बी तय की गई। दोनों संगठनों ने पानी पर काम करने वाले लोगों से सम्पर्क किया था और सम्मेलन में आने का निमन्त्रण भेजा। यह सब कार्य मार्च महीने के अन्त तक पूरे कर लिये गये थे। सम्मेलन में देशभर से लोगों के आने की सूचनायें आने लगी थीं। नीम्बी गांव के लोगों को सम्मेलन की पहले से ही जानकारी थी। गांव में लोग तन-मन-धन से अपना सहयोग दे रहे थे। अब सम्मेलन में दो संस्थाओं की जिम्मेदारी न होकर तीन संस्थाओं की जिम्मेदारी हो गई थी। अपनी जिम्मेदारी भी सब भली-भांति निभा रहे थे। जल सम्मेलन में भोजन सामग्री-आटा, सब्जी, पानी, लकड़ी,आवास, सम्मेलन स्थल की जगह स्वयं सेवी कार्यकर्ता आदि सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी तीनों संस्थाओं की थी। सम्मेलन में पांच हजार से भी अधिक लोगों के आने का अनुमान था, उसके अनुसार ही व्यवस्थायें की जा रही थीं।

जल सम्मेलन की तिथियां ज्यों-ज्यों नजदीक आती गई व्यस्तता भी बढ़ती गई। कार्य की अधिकता को देखते हुए राजेन्द्र सिंह ने जयपुर के आसपास के नये-पुराने मित्रों से सम्पर्क किया और काम की जिम्मेदारी सौंपी। सम्मेलन का शुभारम्भ राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा होना था इसलिए प्रशासनिक तंत्र भी सक्रिय दिख रहा था। कई केन्द्रीय मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में भी व्यस्तता थी। सम्मेलन प्रारम्भ होने के दो दिन पूर्व से ही नीम्बी गांव में कार्यकर्ताओं और प्रशासन के अधिकारियों की आवाजाही बढ़ गई थी। राज टेंट हाउस, जयपुर के मालिक ने सभा स्थल और संभागियों के लिए आवासीय व्यवस्थायें समय रहते पूरी करवा दी थी।

जल सम्मेलन में देश भर से आने वाले संभागियों को नीम्बी गांव तक पहुंचाने के लिए जयपुर से दो बसों की व्यवस्था थी। वैसे तो गांव में जयपुर से हर दो घंटे पर सिटी बस सेवा थी। जो सवारी लेती और उतारती हुई नीम्बी गांव में मात्र एक घंटे में पहुंच जाती। निमंत्रण-पत्र में इस सब की जानकारी रोड मैप सहित लिखी गई थी।

तीन दिवसीय जल सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में 26 राज्यों के पांच हजार संभागी शामिल हुए। अपने हाथों से पानी का काम करने वाले अथवा यह कार्य करने की इच्छा रखने वाले इस सम्मेलन के सम्भागी रहे। नीम्बीवासियों से लेकर राष्ट्रीय जल आयोग के अध्यक्ष डी.के. चढ्डा तथा भारत सरकार के राज्यमंत्री ने धरती पर बैठकर पानी बचाने को जन आन्दोलन बनाने का निर्णय लिया। सम्मेलन में अगले वर्ष तक हजार गांवों में अकाल-मुक्ति कार्य शुरू करने तथा एक लाख जल संरक्षक तैयार करने का संकल्प लिया गया।

देश भर से आये 372 संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने अब पानी बचाने को अपना मुख्य काम बना लिया है। इस कार्य को साकार करने हेतु संस्थाओं ने अपनी वैचारिक सीमाओं को छोड़कर पानी बचाने तथा इसके संरक्षण व संवर्द्धन करने हेतु सभी तरफ से संसाधन जुटाकर समाज को इस काम में लगाने की तैयारी भी जताई। इस सम्मेलन में पहले दिन भारत की प्रस्तावित जल-नीति पर सरकारी नीति बनाने वालों के साथ बहस हुई। लम्बी बहस के बाद सरकारी अधिकारियों ने अपनी भावी जल नीति में वे सब बातें शामिल करने का निर्णय सुनाया जो सम्मेलन में तय हुआ था। सम्मेलन में 21 फरवरी 2001 से अकाल-मुक्ति पदयात्रा के पदयात्री साधुसन्त भी अकालग्रस्त समाज को पानी संरक्षण का सन्देश देते हुए 19 अप्रैल को नीम्बी गांव में पहुंचे। पदयात्रियों का जल सम्मेलन के सम्भागियों ने स्वागत किया। पदयात्री दल ने पूरे 2 माह की अकाल-मुक्ति यात्रा के बारे में अपने विचार रखे। शाम के सत्र में 'अकाल के कारण और मुक्ति के उपाय', अकाल-मुक्ति हेतु सरकारी तंत्र में बदलाव, जल प्रबन्धन व स्वावलम्बी खेती, जल संरक्षण व जल संवर्धन हेतु एक जन आन्दोलन तेज करने वास्ते पांच समूहों में रात 11 बजे तक चर्चा हुई।

"संस्थाओं ने अपनी वैचारिक सीमाओं को छोड़कर पानी बचाने तथा इसके संरक्षण व संवर्द्धन करने हेतु सभी तरफ से संसाधन जुटाकर समाज को इस काम में लगाने की तैयारी भी जताई।"

7

अगले दिन प्रात: आठ बजे ही रिपोर्टिंग शुरू हुई। दस बजे से मुख्य सत्र शुरू हुआ। अनिल अग्रवाल ने कहा कि आज के तथाकथित शिक्षित समाज जिसमें राजनेता, अधिकारी, व्यापारी सब को जल-संरक्षण कार्य अपने ग्रामीण समाज से सीखना पड़ेगा। ग्रामीणों ने पहले अपनी स्वावलम्बी जल व्यवस्था करके रखी थी लेकिन उक्त वर्ग ने इसे समाप्त कर दिया। भारत सरकार के भारी उद्योग राज्य मंत्री वल्लभ भाई कथूरिया ने कहा, नीम्बी गांव में जल संरक्षण का बहुत अच्छा काम हुआ है।

अब ऐसे बहुत से गांव तैयार करने होंगे। मैंने भी अपने क्षेत्र में इसी प्रकार जल-संरक्षण कार्य किये हैं। आगे ऐसे जल-संरक्षण कार्य करने का संकल्प लेता हूं। जल बिरादरी में सहयोग करके मुझे प्रसन्नता होगी। सिद्धराज जी ने कहा, जल संरक्षण का काम कुदरत की हिफाजत का काम है। इसी से प्रकृति पोषण होता है। यह कार्य हमें ग्राम स्वराज्य की दिशा में ले जाता है। तरुण भारत संघ ने पानी बचाने का काम करके समाज को स्वावलम्बन की तरफ बढ़ाया है। इस सम्मेलन में आये प्रत्येक संभागी का कर्तव्य है कि वह जल बचाये। सबके द्वारा जल संरक्षण शुरू होगा तभी इस सम्मेलन की सार्थकता है।

"सिद्धराज जी ने कहा, जल संरक्षण का काम कुदरत की हिफाजत का काम है। इसी से प्रकृति पोषण होता है। यह कार्य हमें ग्राम स्वराज्य की दिशा में ले जाता है। तरुण भारत संघ ने पानी बचाने का काम करके समाज को स्वावलम्बन की तरफ बढ़ाया है।"

जन-जन को जल सहेजने में लगाने हेतु सन्तों, महन्तों, पुजारी, व्यापारी सबको जोड़ने हेतु जगह-जगह पानी-पुण्य पदयात्रायें शुरू करने का निर्णय हुआ। पहली पानी-पुण्य पदयात्रा का शुभारम्भ सम्मेलन के अन्त में नीम्बी गांव से हुआ। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड में चित्रकूट से शुरू होने वाली है। आन्ध्र प्रदेश में भी श्रीकाकूलम से शुरू होगी। इस प्रकार सभी राज्यों में ये चेतना कार्यक्रम चलाने का निर्णय हुआ। सम्मेलन में भागीदार सभी संगठनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि भविष्य में हम अपनी निजी और संस्थागत पहचान के बजाए जल-बिरादरी को अधिक महत्व देंगे।

जल-बिरादरी संस्थाओं की किलेबन्दी से ऊपर जन-जन का संगठन है। यह चालू नेटवर्किंग को सहअस्तित्व आधारित संस्कृति व भाईचारे में बदलने की पहल है। इसमें समानता और सादगी से श्रमनिष्ठा द्वारा जल संरक्षण करने वाले सभी व्यक्ति सरकारी,

राजनैतिक, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। जल बिरादरी में अभी तक सात हजार व्यक्ति शामिल हुए हैं। इनमें पांच हजार किसान हैं। जल बिरादरी का कोई लिखित विधान नहीं है। केवल मौखिक कार्य-नीति है। इस कार्य-नीति की पालना वास्ते एक प्रधान है। इसका सलाहकार मण्डल है। राज्य स्तर पर मुखिया है। मुखिया के भी एक सहायक मण्डल में भू-सांस्कृतिक क्षेत्रों के समन्वयक शामिल हैं।

देशभर में अभी तक 1207 भू- सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। इन सब अंचलों पर आंचलिक जल-बिरादरी बनेगी। इनको जोड़ने वास्ते समन्वयक चुने जायेंगे। ये समन्वयक अपने जिला भाई और ब्लॉक भाई को जोड़कर अपनी सलाहकार समिति बनायेंगे। जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर भी जल बिरादरी बन सकती है। लेकिन सब जगह जल बिरादरी बनाने का मन नहीं है। जहां पांच व्यक्ति भी जल संचय करने वाले होंगे, वहां वे अपनी जल बिरादरी की इकाई बना सकते हैं। सभी जल बिरादरी समान होंगी। कुछ विवाद होने पर ऊपर की या तीन गुनी अधिक सदस्यता वाली जल बिरादरी विवाद सुलझाने में मदद करेगी। अधिकतर निर्णय आम सहमति से होंगे। यही जल बिरादरी की अपनी भावी कार्य-नीति है।

सबसे पहले गुजरात जल बिरादरी का गठन हुआ। लम्बी चर्चा के बाद श्री श्याम जी भाई अन्ताला को गुजरात जल बिरादरी का मुखिया चुना गया। इसी प्रकार 26 राज्यों की जल बिरादरी बनाई गई। आन्ध्र प्रदेश की जल बिरादरी की जिम्मेदारी श्री बी.पी. मौर्या ने ली। जिन राज्यों से जल का काम करने वाले कम संख्या में आये थे, उनकी जल बिरादरी का गठन नहीं किया। उनके राज्यों में वे लौट कर राज्य स्तर पर सम्मेलन आयोजित करेंगे। राज्य सम्मेलनों में जल बिरादरी बनायेंगे एवं कार्यक्रम तय करेंगे।

नीम्बी गांव में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने गांव का ही अन्न और पानी ग्रहण किया। नीम्बी गांव के अन्न-पानी व प्रेरणादायी काम ने तथा स्पष्ट दिखने वाले प्रभाव ने प्रत्येक संभागी को जल संरक्षण करने की ऊर्जा देकर भेजा। अगला सम्मेलन गुजरात के किसी गांव में 21 से 23 अप्रैल 2002 में होगा। ऐसी सम्मेलन की घोषणा थी।

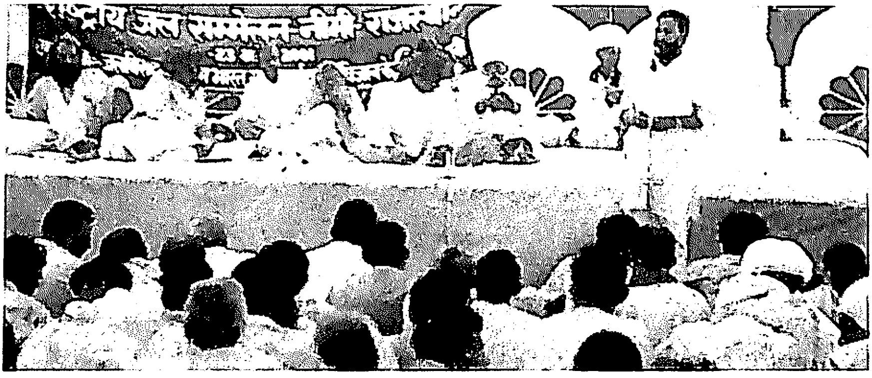

8

तरुण भारत संघ को ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते-करते अभी 15 साल ही हुए थे। इस काल में बहुत से लोक-कल्याणकारी काम भी किये गये थे। जब तभासं ने थानागाजी में काम करना शुरू किया था तो प्राकृतिक प्रकोप, अकाल से यह क्षेत्र जूझ रहा था। गांव खाली हो चले थे। पशुधन की बहुत हानि हो रही थी। रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार था। अगर कोई कुछ करने के लिए आगे आये भी तो उसे कानून का सामना करना पड़ता था। आखिर करें तो क्या करें ?

तरुण भारत संघ ने भी समाज को अकाल से कुछ राहत देने व जरूरत को देखते हुए गोपालपुरा ग्रामवासियों के सहयोग से जोहड़ का काम शुरू किया था ताकि भविष्य में गांव को अकाल से बचाने के लिए पानी का संरक्षण हो सके। पानी का काम चाहे कितना ही लोक कल्याणकारी हो, परिस्थितियां प्राकृतिक रूप से जीवन के लिए कितनी भी कष्टदायी क्यों न हों, जब किसी को उस काम का महत्व ही ज्ञात नहीं हो तो वह सब बेकार का काम होता है।

''पानी का काम चाहे कितना ही लोक कल्याणकारी हो, परिस्थितियां प्राकृतिक रूप से जीवन के लिए कितनी भी कष्टदायी क्यों न हों, जब किसी को उस काम का महत्व ही ज्ञात नहीं हो तो वह सब बेकार का काम होता है।''

अलवर सिंचाई विभाग ने सब को धत्ता बताते हुए तरुण भारत संघ के नाम नोटिस जारी कर दिया कि गोपालपुरा में बनने वाला जोहड़ अजगबढ़ बांध में आने वाले पानी में रुकावट करेगा, अत: जोहड़ को तुरन्त तोड़ने व हटाने के लिए आदेश था। ऐसा न करने पर हर्जा-खर्चा देने के लिए भी लिखा था। पर तरुण भारत संघ और ग्रामवासियों की सूझबूझ से कार्य चालू रहा और पूरा भी हुआ। बाद में सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों ने पानी के काम की सराहना भी की। ऐसे काम की जरूरत भी बताई। उसके बाद जल संरक्षण के काम में कभी किसी प्रकार की अड़चन सिंचाई विभाग ने नहीं पहुंचाई। पानी का काम समाज की सहभागिता से सुचारु रूप से चलता रहा और समाज को लाभ भी मिला।

तरुण भारत संघ ने बीते पन्द्रह साल में पानी के काम से देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। जल संरक्षण के अनुभवों के आधार पर समाज के हर वर्ग ने तरुण भारत संघ को एक प्रकार से विशेषज्ञ के रूप में देखना शुरू कर दिया था। अब देश-विदेश के लोग, नेता-राजनेता, उद्योगपति, सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि,

विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, किसान, आन्दोलनकारी व्यक्तियों ने आकर पानी के काम को देखा-समझा और अपने क्षेत्रों में जाकर ऐसे ही कार्य शुरू भी किये। गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में और कार्यक्षेत्र के गांवों का सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका था।

समाज के सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी मनोबल स्वत: बढ़ जाता है। वह और भी अधिक उत्साहित मन से समाज के बीच काम करता है। तरुण भारत संघ के पदाधिकारी और प्रत्येक कार्यकर्ता भी पूरी लगन से समाज के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण कार्यों को गति देने में लगे हुए थे।

इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है, वह समय भी हर प्रकार से अप्रैल 2001 के अन्तिम सप्ताह में देखने को मिला। प्राकृतिक रूप से 1999 से अकाल से समाज जूझ रहा था। प्रशासनिक स्तर पर 23 अप्रैल को सिंचाई विभाग, अलवर से ग्राम लाहा का वास में बनने वाले अरधन बांध के काम को बंद करने और बने काम को तोड़ने के लिए नोटिस तरुण भारत संघ को मिला। काम चलता रहा।

दूसरा नोटिस मई के प्रथम सप्ताह में पहले नोटिस की अपेक्षा ज्यादा कठोर शब्दों में लिखा मिला था। उसमें कार्य को तुरन्त बन्द करने के लिए लिखा था। अगर कार्य बन्द नहीं किया गया तो पाबन्दी के लिए कानूनी प्रक्रिया में सिंचाई विभाग बिना किसी नोटिस के धारा 54 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज सकता था। साथ ही सिंचाई विभाग ने थानागाजी के विकास अधिकारी को भी पाबन्द किया कि लाहा का वास में बनने वाले अरधन बांध के कार्य को बन्द करायें। बन्द न करने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्डित करें। विकास अधिकारी ने गांव में जाकर लोगों को कार्य बन्द करने के लिए कहा। ग्रामवासी भी चकित और भौचक्के थे कि हमारे काम को क्यों रोका जा रहा है? पहले दिन तो जैसे-तैसे गांव वालों ने टाल दिया था लेकिन सिंचाई विभाग, अलवर के सख्त आदेश के चलते थानागाजी प्रशासन भी परेशानी महसूस करने लगा था। मजबूरीवश गांव में सरकारी अधिकारी आते और काम बन्द करने के लिए कहते थे।

सिंचाई विभाग, अलवर के इंजीनियर ने राजेन्द्र सिंह से बात करने के लिए टेलीफोन से भीकमपुरा और जयपुर में सम्पर्क किया था लेकिन नीम्बी जल सम्मेलन की व्यस्तता के कारण सम्पर्क नहीं हो सका था। मई महीने में राजेन्द्र सिंह ने ए.ई.एन. के बताये टेलीफोन से सम्पर्क किया। फोन पर बात होने लगी। राजेन्द्र सिंह ने नोटिस के विषय में जानकारी चाही तो ए.ई.एन. ने बताया कि लाहा का बास बांध रूपारेल नदी क्षेत्र के जल ग्रहण में मुख्य नदी की धारा पर बनाया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। आप इस काम को तुरन्त बन्द कर दें। काम को बन्द कराना हमारी मजबूरी है क्योंकि रूपारेल नदी जलग्रहण क्षेत्र को लेकर रियासतकालीन समय में भी अलवर और भरतपुर में काफी संघर्ष हुआ था।

अब लाहा का वास में बांध बनने के कारण दोनों जिलों में फिर संघर्ष बढ़ेगा। यह सब ठीक नहीं होगा। आपको काम बन्द करना ही होगा। राजेन्द्र सिंह ने कहा कि यह मेरा काम नहीं, गांव का काम है। गांव में जाकर आप काम बन्द करा दें, मैं तो गांव के अच्छे काम को बन्द नहीं करा सकता। आपने अपने नोटिस में अंग्रेजों के जमाने के कानून की धाराओं का जिक्र किया है। अब तो देश को आजाद हुए पचास साल से अधिक समय हो गया। अंग्रेज भी चले गए हैं, उनके कानून अभी हमारे देश में बने हुए हैं। ए.ई.एन. ने हंसते हुए राजेन्द्र सिंह की बात को टाल दिया था।

राजेन्द्र सिंह ने कहा कि नोटिस में जो एक्ट की धारा के तहत कार्य तुरन्त बन्द करने के लिए कहा है, आखिर वह धारा क्या है? देखना चाहिए कहां से मिल सकती है? पता लगाना चाहिए क्योंकि नोटिस में कानून के अन्तर्गत पाबन्द किया गया है।

मैं किशोर बुक डिपो, जयपुर से राजस्थान सिंचाई विभाग से सम्बन्धित कानून की किताब लेकर आया। राजेन्द्र सिंह नोटिस में लिखे कानून के बारे में जानकारी के लिए किताब के पन्ने उलटने- पुलटने लगे। किताब अंग्रेजी में थी। इसलिए अंग्रेजी में लिखे होने के कारण शब्दार्थ समझने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी मोटी-मोटी जानकारी मिल गई थी। राजेन्द्र सिंह ने जयपुर में कुछ वकीलों से और विद्वज्जनों से भी सम्पर्क किया था। अभी सप्ताह भर पहले ही देश-दुनिया को जल संरक्षण का पाठ पढ़ाने के लिए नीम्बी जैसे गांव में पांच हजार लोगों का सम्मेलन किया था। तब क्या पता था कि सरकारी तंत्र इस प्रकार से तभासं के कार्यों को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों के बनाये कानून की जंजीरों में पकड़ेगा।

तरुण भारत संघ को नोटिस तो पहले भी मिलते रहे हैं। उसमें कानून की धाराओं का जिक्र नहीं होता था। संस्था के कार्यकर्ता ही अपने तरीके से सब का जवाब दे दिया करते थे। दस वर्ष पूर्व सरिस्का की अवैध खानों को लेकर तरुण भारत संघ के पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट में गये थे। तब भी मन में विचलित भाव नहीं थे। अब जरूर बुरा लग रहा था एक सामाजिक कार्यकर्ता चाहे गांव में कार्य करते-करते अपना जीवन खपा दे, उसका कोई महत्व नहीं। ग्रामीण समाज में जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों न हों, सरकारी तंत्र पर उनका कोई असर नहीं होता है। ऐसा अलवर के सरकारी तंत्र के व्यवहार से दिख रहा था।

इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इतिहास अपने को पीछे देख रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में बने कानून वर्तमान में भी उतने ही सख्त हैं जितने अंग्रेजी शासन में थे। दूसरे प्राकृतिक प्रकोप की प्रचण्डता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। वैज्ञानिक युग में अकाल की मार से बचने के कोई भी उपाय सरकारी तंत्र के पास नहीं थे।

9

लाहा का वास के लोग अपने गांव में अपनी मेहनत और अपने पैसे से मिट्टी का बांध बना रहे थे। उन्हें सहयोग की जरूरत थी। उसके लिए वह प्रयास कर रहे थे। जहां से जितना भी सहयोग मिले, सहर्ष लेते थे। जिस दिन कार्य शुरू किया था, थानागाजी विधायक ने ही भूमि-पूजन करके पहले फावड़े से मिट्टी खोद कर पाल पर डाली और एक लाख रुपये का सहयोग देने के लिए कहा था। राजेन्द्र सिंह से भी आशा की थी और उन्होंने इस अच्छे काम के लिए आश्वासन भी दिया था। राजेन्द्र सिंह ने इस कार्य में सहयोग करने के लिए दिल्ली के उद्योगपतियों की संस्था पी.एच.डी. चैम्बर और आर.डी.एफ. नई दिल्ली के पदाधिकारियों से कहा था। उन्होंने इस कार्य में सहयोग भी किया था। सरकार का नोटिस तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों को मिला। ऐसा क्यों? इसका जवाब कौन देता?

तरुण भारत संघ ने जिस दिन से जल संरक्षण का काम शुरू किया था उसी दिन से सिंचाई विभाग की आंखों में खटकने लगा था। मौके-बेमौके वह तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों को एक प्रकार से सबक सिखाने की तलाश में रहता था। वह किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। चाहे उन्हें आजाद भारत में अंग्रेजी शासन काल में बने अन्धे कानून का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। भारत से अंग्रेज ही तो गये थे। उनके कानून -कायदे यहीं थे। कानून के पैरोकार तो अंग्रजों से भी कठोर हृदय हो गये थे। जैसे अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए भारतवासियों को संघर्ष करना पड़ा था, वैसी ही स्थिति सिंचाई विभाग से गांव के पानी को बचाने के लिए संघर्ष करने का समय आ गया था।

सिंचाई विभाग ने कार्य बन्द कराने के लिए अपने पूरे प्रयास किये थे। निर्माणाधीन काम पर विकास अधिकारी थानागाजी ने एक जे.ई.एन. और कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को तैनात कर दिया था। अखबार के माध्यम से लाहा का वास के काम को अवैध मान कर प्रचारित किया जा रहा था। संस्था के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बांध में काम करने वाले ग्रामवासियों को राज्य कानून का उल्लंघन करने के तहत गिरफ्तार करने के लिए एक प्रकार से सिंचाई विभाग का दूसरा नोटिस ही काफी था। क्योंकि वह अंग्रेजी हुकूमत का कानून था। उसकी शक्तियां किसी भी प्रकार से कम नहीं हुई थीं।

कानून का सामना करने के लिए गांव के लोग व संस्था के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने लाहा का वास में निर्माणाधीन काम पर धरना डाल दिया था। सरकारी कर्मचारी आते परन्तु काम बन्द कराने की हिम्मत न जुटा पा रहे थे। आते थे और चले

जाते थे। अखबार के द्वारा रोज तरह-तरह के आरोप लगा कर तरुण भारत संघ को भयभीत किया जा रहा था। ग्रामवासियों के मनोबल और आत्मविश्वास को तोड़ने का भरसक प्रयास किया जा रहा था लेकिन गांव वालों ने भी अपना काम बन्द नहीं किया और न ही संस्था के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी ही होने दी। इससे गुस्साये सिंचाई विभाग ने जिला कलेक्टर से निवेदन किया।

जिलाधीश अलवर ने अपनी प्रबल प्रशासनिक शक्तियों के अन्तर्गत थानागाजी के तहसीलदार और एस.डी.एम. को पाबन्द किया कि किसी भी प्रकार से लाहा का वास का निर्माणाधीन काम रुकना चाहिए। चाहे बल का प्रयोग करना पड़े तो करें। तहसीलदार के सामने विकट समस्या थी। दो महीने पहले जिस काम को उसने अपने हाथों से शुरू किया था, अब उस काम को बन्द कराने के लिए वही पाबन्द था। किसी प्रकार का बहाना भी बनाकर उसे टालने की कोशिश भी करता तो वह भी रास्ते बन्द कर दिये थे क्योंकि राजतंत्र के आदेशानुसार उसे बल प्रयोग का सर्वाधिकार था। ऐसी बेबसी में तहसीलदार महोदय फंसे थे कि न तो उनसे निगलते बन रहा था और न उगलते। सांप- छछून्दर की स्थिति थी। वह बहुत ही डरे हुए थे।

सिंचाई विभाग ने लाहा का वास के काम को लेकर जैसे ही अखबारों में टीका-टिप्पणी की थी। उससे विधायक जी एक प्रकार से भूमिगत हो गये थे। उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि यह काम मैंने शुरू किया है। जब गांव वाले मिलने गये तो मिले ही नहीं। खैर! गांव वाले साहस करके अपने काम को कर रहे थे। ग्रामवासी जिस उद्देश्य से बांध निर्माण के काम को अंजाम देना चाहते थे। उसके उन्हें साक्षात् दर्शन हो रहे थे। इससे वह और भी उत्साहित थे। इस सब का कारण था ग्रीष्मकालीन वर्षा।

"तरुण भारत संघ को भयभीत किया जा रहा था। ग्रामवासियों के मनोबल और आत्मविश्वास को तोड़ने का भरसक प्रयास किया जा रहा था लेकिन गांव वालों ने भी अपना काम बन्द नहीं किया।"

प्रधान मंत्री

Prime Minister

संदेश

जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल से जीवन की शुरूआत ही नहीं हुई है बल्कि जल स्रोतों जैसे कि तालावों, झीलों, नदियों के आस-पास ही हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ है। सिन्धु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक इन्हीं जल स्रोतों के इर्द-गिर्द हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ है। जल प्रकृति की एक अनमोल देन है जिसके अभाव में जीवन की कल्पना करना ही असम्भव है। प्रकृति की इस अनमोल देन को व्यर्थ न होने दें। इस संसाधन के सदुपयोग से ही हमारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास का कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। आज भी देश के विभिन्न भाग वर्षा कम होने से सूखे की चपेट में हैं। प्राचीन काल से ही इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जगह-जगह पर तालावों, जलाशयों, जल स्रोतों का संरक्षण किया गया है। इन जल स्रोतों के सूख जाने से या नष्ट हो जाने से हमारी सभ्यता पर विपरीत असर पड़ता है। प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों, ऋषियों, मुनियों ने इन जल स्रोतों के संरक्षण पर बहुत जोर दिया है। उनका संरक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि सूखे जैसी विषम परिस्थिति में ये जल स्रोत ही हमारा जीवन चलाने में मददगार साबित होते हैं।

देश के अनेक भागों में जल संसाधनों के रक्षण एवं संरक्षण का प्रयास किया गया है। इन प्रयासों के अनेक जगहों पर परिणाम भी बहुत अच्छे मिले हैं। इनमें महाराष्ट्र के राले गाँव, सिद्धी, मध्य प्रदेश के झबुआ तथा राजस्थान के अलवर जिले में किये गये प्रयास अत्यन्त सराहनीय हैं। ये सभी कम वर्षा वाले तथा सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर जल संसाधनों के रक्षण एवं संरक्षण के बहुत ही सुखद परिणाम देखने को मिले हैं।

आपने मेरे नेतृत्व में जो सरकार चुनी है उसने पेयजल उपलब्ध कराने को ऊंची प्राथमिकता दी है तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा सरकार ने 5 वर्षों में देश के हरेक गाँव में पेयजल उपलब्ध कराने का वायदा किया है। इस वायदे को पूरा करने के लिए आप सबका सहयोग तथा संपूर्ण प्रतिबद्धता की जरूरत है।

केन्द्र सरकार ने इस वर्ष से जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की है उसके अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल में ऐसे जल स्रोतों के संरक्षण के लिए 25 प्रतिशत धनराशि भी निर्धारित की गई है। इसी तरह, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 प्रतिशत निधि का 25 प्रतिशत ऐसे जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने हमारे ग्रामीण जीवन के इन अमूल्य जल स्रोतों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने का अभियान शुरू किया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि सूखे की परिस्थिति से निपटने के लिए तथा उपलब्ध जल स्रोतों जैसे कि तालावों, झीलों, जलाशयों, कुओं आदि का रक्षण एवं संरक्षण करने में आप सब लोग मिलकर आगे आएं तथा इन जल स्रोतों के रक्षण एवं संरक्षण में अपना भरपूर योगदान दें।

(अटल बिहारी वाजपेयी)

नई दिल्ली

17 अप्रैल, 2001

अलवर सिंचाई विभाग का नोटिस : तरुण भारत संघ के नाम

लाहा का बास बांध से संबंधित नोटिस ऐसे समय दिया गया था, जिस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तरुण भारत संघ के द्वारा जन-सहयोग से किए जा रहे जल संरक्षण के कार्य को देश हित में स्वीकार देश की जनता को संदेश दिया है।

10

19 अप्रैल को थानागाजी क्षेत्र में अच्छी वर्षा हुई थी। लाहा का वास बांध क्षेत्र में भी खूब वर्षा हुई। पूरे क्षेत्र का पानी आकर लाहा का वास गांव में जमा हो गया था। जमा जल राशि को देख कर गांव का उत्साह बढ़ गया था। अब वह रात -दिन काम करके बाकी कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे क्योंकि बारिश आने में बस एक महीना शेष बचा था। अच्छे काम में विघ्न किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही लाहा का वास के काम को लेकर पूरे थानागाजी तहसील के लोगों का मन्तव्य बन गया था। क्षेत्र में रहने वाले गरीब-अमीर, किसान-मजदूर, साक्षर-निरक्षर, दुकानदार-नौकर-पेशेवर, बच्चे-बूढ़े, महिला-पुरुष आदि समाज का हर वर्ग लाहा का वास बांध को बचाने में लगे थे।

थानागाजी के प्रशासन का ये हाल था कि मन से लाहा का वास बांध को पूरा कराने के जतन कर रहा था। तहसीलदार मन से खुश था। पर अफसर के हुक्म से घबराहट थी। कहीं संस्था या गांव के लोग मेरा नाम न ले दें कि यह काम तहसीलदार जी ने अपने हाथ से शुरू किया है। जब काम शुरू किया गया था तो उस समय कुछ फोटो खींच लिए थे। उसमें तहसीलदार और विधायक जी मुख्य थे। इसी की घबराहट अधिक थी कि कहीं संस्था या गांव वालों ने मेरे फोटो सहित किसी अधिकारी या अखबार को बता दिया तो मेरी नौकरी चली जायेगी।

संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपनी ओर से पूरा आश्वासन दिया था कि चाहे बांध रहे या टूटे लेकिन आपका नाम किसी भी हालत में जाहिर नहीं करेंगे। आपकी नौकरी का सवाल है, हम जानते हैं, कितनी परेशानी होती है। गांव वालों ने भी इसी प्रकार का जवाब दिया था। तहसीलदार जी अब बेफिक्री से अपना प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा कार्य करने में व्यस्त थे। जैसे ही अलवर में लाहा का वास बांध को लेकर हलचल होती थी। तहसीलदार पर दबाव आता तो किसी न किसी प्रकार से ग्रामवासियों को सचेत कर दिया जाता, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाता। गांव वाले अपने काम को शीघ्रता से करना चाहते थे लेकिन अब काम में रुकावटें भी बढ़ने लगी थीं।

थानागाजी पुलिस का भी एक प्रकार से सकारात्मक रुख था। बांध में पानी आने से बांध क्षेत्र में रौनक भी बढ़ गई थी। गर्मी में पानी की शीतलता बांध की पाल पर टहलते-टहलते शरीर को सुखकर लगती थी। तभी थानागाजी के थानेदार महोदय रोज शाम को

घूमने बांध की ओर निकल जाते थे। एक-दो घंटे का रोज का नियम था। सिंचाई विभाग या विकास अधिकारी को बांध के काम को रोकने में पुलिस बल की जैसे जरूरत पड़ती तो बल बांध के कार्य को बन्द कराने के लिए जाता तो जरूर, जाने से पहले ही काम करने वाले लोगों को सूचित कर देता। गांव के लोग अपने सामान को लेकर चम्पत हो जाते। सिंचाई विभाग के अधिकारी और पुलिस बल को मौके पर काम बन्द मिलता। खाली हाथ लौटते। एक-दो बार सूचना मिलने पर भी गांव के लोगों ने काम को बन्द नहीं किया तो मौके पर बांध निर्माण से सम्बन्धित मिले सामान को थाने में लेकर आते या गांव में ही किसी की सुपुर्दगी में सौंपते थे। गांव वाले एक-दो दिन में थाने में प्रार्थना करते। थाने के चक्कर काटते और अपने सामान को लेकर पुन: कार्य करने लगते थे।

इस प्रकार की आंख-मिचौली के चलते लाहा का वास बांध का काम चल रहा था। काम में तेजी भी थी और पाबंदियां भी थी। दोनों स्थितियों के बीच काम करने का मजा कुछ अलग तरह का ही था। ऐसी परिस्थितियों में काम करना उसी व्यक्ति या समाज को आनन्दित करता है, जो स्वयं की आहुति देने के लिए आगे आता है। यह सब खेल लाहा का वास में देखने को मिल रहा था।

अब अकेला सिंचाई विभाग ही नहीं था। जब से अलवर कलेक्टर ने दखल दिया था, तब से बाधाओं का ताण्डव नृत्य दिखाई देने लगा था। अलवर से निकलने वाले समाचार पत्र मुख्यत: राजस्थान पत्रिका के अलवर संस्करण में तो विशेष रूप से लाहा का वास बांध के विषय में रोज कुछ न कुछ लिखा जाता था। मानो लाहा का वास बांध अलवर और भरतपुर का सारा पानी रोक लेगा तो नीचे के क्षेत्र में अकाल पड़ना शुरू हो जायेगा। समाचार पत्रों में इस प्रकार से लिखी खबर रोज-रोज पढ़ने से अलवर की राजनीति भी सक्रिय होने लगी थी। भाजपा के नेताओं ने लाहा का वास बांध को निशाना बना कर छींटाकशी करना शुरू किया था। भाजपा की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं रहे थे। जैसे ही भाजपा के नेताओं के बयान समाचार पत्रों में छपे और जनता के बीच गये तो जयपुर की राजसत्ता में भी अब लाहा का वास बांध निर्माण की चर्चा राजनैतिक गलियारों में मुख्य चर्चा का विषय बन गई थी।

''आंख -मिचौली के चलते लाहा का वास बांध का काम चल रहा था। काम में तेजी थी और पाबंदियां भी। दोनों स्थितियों के बीच काम करने का मजा कुछ अलग तरह का ही था। ऐसी परिस्थितियों में काम करना उसी व्यक्ति या समाज को आनन्दित करता है जो स्वयं की आहुति देने के लिए आगे आता था। यह सब खेल लाहा का वास में देखने को मिल रहा था।''

11

राजस्थान की सिंचाई मंत्री श्रीमती कमला चौधरी ने अलवर प्रशासन से लाहा का वास बांध निर्माण से संबंधित सभी जानकारी तुरन्त चाही। कमला चौधरी सिंचाई मंत्री ही नहीं थीं बल्कि राजस्थान की उपमुख्यमंत्री भी थीं और अलवर-भरतपुर-धौलपुर जिले की कांग्रेस मुख्य सचेतक भी थीं। उनके मुखरित होने पर राजनैतिक मुद्दा बनना स्वाभाविक था। कमला चौधरी राजस्थान कांग्रेस में तीन महत्वपूर्ण पदों की धनी थीं। लाहा का वास बांध से सम्बन्धित जानकारी के लिए, सबसे पहले उन्होंने अपनी शक्तियों का जयपुर सिंचाई विभाग में इस्तेमाल किया।

राजसत्ता, नेता, प्रशासन के होते हुए ऐसी क्या विपदा आ गई जो समाज को स्वयं पानी का काम करना पड़ा? जिससे लाहा का वास ही क्या अब पूरे राज्य में यह आग भड़क रही है? गांव के लोग अपने पानी को बचाना चाहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो इसमें क्या गलत या गजब हो जायेगा?

तीन पदों की धनी मंत्री महोदया ने सबसे पहले तुरत-फुरत ऐसा बयान देना मुनासिब समझा जिससे ऐसा लगे कि पानी पर किसी व्यक्ति या समाज का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सार्वजनिक तौर पर बयान में कहा गया आसमान से गिरने वाली हर बून्द पर सरकार का हक है। लाहा का वास बांध अवैध है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के मुखारबिन्द से निकले शब्द ज्यों के त्यों समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि सबने अपने-अपने तरीके से जन-मानस में पहुंचाये। बड़े लोगों की हर बात को जनता के बीच में पहुंचाना इनका कर्म और धर्म था। दोनों को पूरा किया था। इस प्रकार से समाज कितना आहत हुआ, मालूम नहीं लेकिन प्रशासन जरूर चुस्त-दुरुस्त हो गया था।

जयपुर में सिंचाई मंत्री अगर कोई बयान दे और सिंचाई विभाग हरकत में न आये, ऐसा कैसे हो सकता था? मंत्री जी के बयान सार्वजनिक होते ही सिंचाई विभाग ने अपने अधिकार वाली किताबों को टटोला जो मुश्किल से मिली होंगी। मुद्दत से कोई काम नहीं आई थी। वरना पन्द्रह साल पहले इस

"तीन पदों की धनी मंत्री महोदया ने सबसे पहल तुरत-फुरत ऐसा बयान देना मुनासिब समझा जिससे ऐसा लगे कि पानी पर किसी व्यक्ति या समाज का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सार्वजनिक तौर पर बयान में कहा गया आसमान से गिरने वाली हर बून्द पर सरकार का हक है।"

कानून का सहारा लिया होता तो तरुण भारत संघ राजस्थान में जल संरक्षण के काम को किसी भी सूरत में अंजाम नहीं दे पाता लेकिन अब तो चार हजार छोटे बड़े बांध बन गए थे। खैर! 'देर आये दुरुस्त आये' सिंचाई विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई। जयपुर प्रशासन ने सर्वप्रथम अलवर प्रशासन से लाहा का वास बांध निर्माण से संबंधित जानकारी चाही।

राजस्थान का प्रशासन तंत्र जिला प्रशासन से कोई जानकारी चाहे तो जिला प्रशासन की क्या मजाल जो मिनट भर की देरी लगाये। अलवर प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ लाहा का वास के काम को बन्द कराने में लगा हुआ था। लाहा का वास बांध से संबंधित राजा-महाराजाओं से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक के सभी कागजात पक्के थे। तुरन्त जिलाधीश महोदय की संस्तुति के साथ जयपुर में संबंधित बड़े अधिकारियों को भेज दिये गये थे।

अब प्रशासन के हाथ में पुराने कानूनों का पुलिन्दा भी था और राजसत्ता का वरदहस्त भी। और क्या चाहिए था? लाहा का वास का कार्य ही क्या, कानून से तो न जाने प्रशासन क्या-क्या बन्द कर देता है? जयपुर में जो भी जानकारी थी, सब को देखा-समझा। नये हथकंडे और क्या-क्या गढ़े जा सकते हैं? सब को सूचीबद्ध किया गया।

भारत को आजाद हुए अभी 50 साल ही तो समय गुजरा था, इस कारण सिंचाई के नये कानून-कायदे भी नहीं बन पाये थे। अंग्रेजों के बनाये कानून पूरी तरह से समाज को सुधारने के लिए काफी थे। नये कानून-कायदे बनाने में कौन जद्दोजहद करे।

अलवर प्रशासन ने उप मुख्यमंत्री की बात को शिरोधार्य किया और अपने प्रशासनिक तंत्र को चुस्त किया, जिससे थानागाजी का प्रशासन भी बेचैन दिखाई दे रहा था। गांव वाले भी सूचना मिलने पर चिंतित थे परन्तु सब संगठित थे। गांव में आपस में मतभेद भी होते हैं और मन भेद भी, यह सब लाहा का वास के लोगों में था। लेकिन बांध का काम सभी प्रकार के भेदभाव से ऊपर था। गांव ही क्या अब तो थानागाजी सहित पूरे आस-पास के गांवों के लोग संगठित थे। इस प्रकार से जल संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होकर बांध को बचाना थानागाजी के समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर 'बांध बचाओ संघर्ष समिति' बनाई थी। ऐसे भाव जब समाज में होते हैं तब सहयोग देने वाले भी कहीं न कहीं से आ ही जाते हैं।

लाहा का वास बांध के काम में बढ़ती बाधाओं को देखते हुए तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने अपने मित्रों से सलाह-मशविरा किया। लाहा का वास बांध से संबंधित जो भी कागज थे, सब एक जगह किये। रूपारेल नदी से संबंधित रियासत कालीन क्या विवाद थे? आज के समय उनकी क्या प्रासंगिकता है? उनकी जानकारी जुटाना शुरू

किया गया। तरुण भारत संघ ने 15 वर्षों में रूपारेल नदी जल ग्रहण क्षेत्र में 500 से अधिक जल संरक्षण संरचनायें समाज की सहभागिता से बनाई थीं। उनका लाभ थानागाजी, उमरैन,अलवर, बानसूर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ वास, तिजारा आदि तहसीलों की ग्रामीण जनता को प्रत्यक्ष मिल रहा था। लाहा का वास के अलावा रूपारेल नदी पर बीस काम और भी समाज के सहयोग से चल रहे थे। लाहा का वास के काम को लेकर ही आक्षेप क्यों? यह समझ से बाहर था।

कारण चाहे कुछ भी रहा हो, अब लाहा का वास बांध बचाना हर हालत में जरूरी हो गया था। यहां सवाल बांध बचाने का ही नहीं था। यहां सवाल था लोगों के स्वावलंबन का। सवाल था समाज के अभिक्रम से आये आत्मविश्वास को बचाने का। सवाल था लोगों के जीवन-मरण का। सवाल था प्रकृति की रक्षा करते हुए जीवन पद्धति का। सवाल था प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक का।

प्राकृतिक संसाधनों पर सभी जीवधारियों का जीवन निर्भर होता है। प्राकृतिक संसाधन ऐसी सम्पदा है जिसे गरीब और अमीर समान रूप से प्राप्त करते रहते हैं। वह सतत सब को मिलता रहे, ऐसा समाज सोचता है। इसलिए उन्हें बचाने का प्रयास भी करता है। हमारे समाज में सहभागिता के भाव आते हैं। समाज उन्नति करता है। ऐसा ही कार्य लाहा का वास के लोग कर रहे थे। वे पूरे क्षेत्र के समाज से बांध कार्य के लिए सहयोग ले रहे थे। कार्य पूरा करने में लगे थे। ऐसा नहीं पता था कि एक छोटा सा काम गांव से जिले में, जिले से राज्य में, राज्य की राजधानी में और फिर राज्य की राजधानी से निकल कर देश-दुनिया में चर्चा का विषय बनेगा।

12

लाहा का वास का काम अब गांव का नहीं था। यह काम देश-दुनिया में रहने वाले सभी प्रकृति प्रेमियों का हो गया था। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। राजस्थान में तीन साल से अकाल का दौर चल रहा था। ग्रामीण समाज अकाल के प्रभाव के कारण त्रस्त था।

इस अकाल में सबसे अधिक कमी चारे-पानी की थी जिससे गांव का पशु धन नष्ट हो रहा था। जगह-जगह समाज अपने पानी के प्रबन्धन के काम में लगा था। लाहा का वास के लोग भी अपने गांव में पानी का काम ही कर रहे थे। इस काम में तो सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा था। फिर भी इतनी अड़चन क्यों? देश-विदेश के प्रकृति प्रेमियों के लिए एक चिन्तन का विषय भी बन गया था।

अब तरुण भारत संघ के महामंत्री राजेन्द्र सिंह ने अपने मित्रों से सहयोग लिया। सबसे पहले डॉ. जी.डी. अग्रवाल जी को लाहा का वास बांध से संबंधित घटनाओं से अवगत कराया गया। जयपुर में श्री सिद्धराज जी, श्री मनोहर सिंह राठौड़, दिल्ली में श्री अनिल अग्रवाल, सुश्री सुनीता नारायणन, अनुपम मिश्र, ओम थानवी, स्वामीनाथन आदि ने लाहा का वास बांध कार्य को देख कर अपने विचार व्यक्त किये थे। बांध से सम्बन्धित दस्तावेज तैयार किये गये थे।

''फिर से बहने लगी रूपारेल'' हिन्दी-अंग्रेजी में छोटी सी पुस्तक संस्था ने तैयार की थी जिसमें रूपारेल नदी पर संस्था द्वारा किये गये कार्यों के अलावा ऐतिहासिक पहलुओं को भी समाहित किया था। आई.डी.एस. जयपुर के श्री के.एन. जोशी जी ने रूपारेल नदी पर संस्था के कार्यों का अध्ययन किया था। अलवर गजट से भी जानकारी ली गई थी। ज़हां से जो उपयोगी कागज मिल सकता था, लिया। अनिल अग्रवाल जी ने भी देश के बड़े विषय-विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और बुद्धिजनों के सहयोग से एक स्वतंत्र अध्ययन किया था।

लाहा का वास बांध निर्माण कार्य अलवर के समाचारों में लम्बे समय तक छपने के कारण 'प्रकरण' नाम से संबोधित किया जाने लगा। अलवर प्रशासन को भी ऐसा नहीं मालूम था कि लाहा का वास बांध का विवाद उनके हाथ से निकल कर राजनैतिक विवाद बन जायेगा और देश-दुनिया की खबर बन जायेगा। अब जो होना था, सो हो ही चुका था। अब लाहा का वास बांध प्रकरण प्रशासन के गले में फंसी हड्डी बन गया था। तरुण

भारत संघ के लिए भी एक अहम मुद्दा था। गांव के लिए भी जीवन-मरण का सवाल था। तीनों पक्ष अपने-अपने तथ्यों के आधार पर अपना स्पष्टीकरण दे रहे थे। देश भर के मीडिया में लाहा का वास बांध चर्चा का विषय बन चुका था।

प्रशासन का तर्क था कि लाहा का वास बांध रूपारेल नदी की मुख्य धारा पर बना कर नदी के पानी को रोका गया है। दूसरे, रूपारेल नदी रियासत काल से ही अलवर-भरतपुर में नदी के पानी को लेकर विवाद में रही है। तीसरे, इस प्रकार से रोका गया पानी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है।

चौथे, प्रशासन की अनुमति के बिना इस प्रकार के कार्य संस्था या समाज स्वयं निर्णय से नहीं कर सकता। पांचवां, लाहा का वास बांध तकनीकी रूप से गलत है तथा कार्य करने का जो तरीका है वह भी गलत है। छठे-बरसात के दिनों में बांध के टूटने से बाढ़ का खतरा है, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। सातवें, बांध में पानी रुकने से नीचे के क्षेत्रों में जल स्तर गिरेगा। आठवें, नीचे के लोगों में बांध के कारण आन्दोलन बढ़ने के कारण लड़ाई-झगड़े बढ़ेंगे।

संस्था का तर्क था कि पानी सब जीव जगत के लिए चाहिए। दूसरे, पानी पर किसी व्यक्ति, समाज, सरकार का अधिकार नहीं है। यह सबका साझा जीवन है। तीसरे, समाज अपना काम अपने परिश्रम से स्वयं कर रहा है, इससे समाज में स्वावलंबन की भावना बढ़ती है और पराधीनता, पराश्रितता कम होती है। चौथे, इस काम के लिए पूरी ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया, सब मिलकर काम कर रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा थानागाजी के विधायक और तहसीलदार ने तो अपने हाथों से बांध निर्माण कार्य का श्रीगणेश किया था। पांचवां, बांध कार्य विशेषज्ञों की सलाह व देखरेख में उपयुक्त जगह और गांव के संसाधनों से अच्छी तरह बनाया जा रहा है। छठे, बांध इतना बड़ा नहीं है जिससे बाढ़ आ जाये।

सातवें, 20-25 घरों का गांव है तो बांध की भराव क्षमता भी गांव की सामर्थ्य के अनुसार ही है। बांध के नीचे 30-35 किमी की दूरी तक कोई आबादी नहीं सरिस्का का घना जंगल है, रूपारेल नदी भी बहने लगी है। लाहा का वास के जैसे कार्यों से क्षेत्र का जल-स्तर कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथ्यात्मक सत्य है। आठवें, पर्यावरणीय दृष्टि से भी हर प्रकार से गांव में कार्य सही था। इसमें सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के जीव भी आकर पानी पी सकते थे।

ग्रामवासियों का तर्क था कि हमें पानी चाहिए लोगों के लिए, पशुओं के लिए, खेती के लिए। पानी के अभाव में गांव को छोड़ने की नौबत आ गई है। कहां जायें? पिछले दो साल से दूसरे गांव से पानी मांग कर जीवन जी रहे हैं। खेती में दाना नहीं बोया जा सकता है। इस काम के लिए गांव वाले वर्षों से थानागाजी के विकास अधिकारी,अलवर में

"हमें पीने के लिए पानी चाहिए। पानी के लिए तालाब, जोहड़, एनिकट, बांध चाहिए जिसमें पानी रुके। जिससे आदमी, पशु, पक्षी अपनी प्यास मिटा सकें। सरकार बांध बनाती है तो ठीक है। वरना हमारे काम को क्यों रोक रही है? हम किसी का पानी चुरा नहीं रहे हैं।"

सिंचाई विभाग और जिलाधीश के यहां न जाने कितने प्रार्थना-पत्र लेकर गये। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एम.एल.ए., एम.पी. और मुख्यमंत्रियों तक भाग-दौड़ की, हम थक हार कर अपने आप ही अपना पानी का छोटा सा काम कर रहे हैं। किसी से कुछ ले भी नहीं रहे हैं, न ही कोई जोर-जबरदस्ती कर रहे हैं। कोई सहयोग करे या न करे।

हमें पीने के लिए पानी चाहिए। पानी के लिए तालाब, जोहड़, एनिकट, बांध चाहिए जिसमें पानी रुके। सरकार बांध बनाती है तो ठीक, वरना हमारे काम को क्यों रोक रही है? हम किसी का पानी चुरा नहीं रहे हैं। हमारे गांव में केवल बारिश का ही पानी आता है। वह भी जोहड़ न होने के कारण बह जाता है। हमें भगवान का दिया हुआ पानी भी नहीं मिल पाता। वैसे तो सरकार पानी बचाने के लिए नारा दे रही है कि 'खेत का पानी खेत में गांव का पानी गांव में' रोकना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम वही तो कर रहे हैं जो सरकार कह रही है।

सिंचाई विभाग की झूठी व मनगढ़न्त बयानबाजी से अलवर, उमरैण और भरतपुर व नगर, डीग क्षेत्र के लोग भी गुमराह हो रहे थे। रोज-रोज अखबारों के माध्यम से यही पढ़ने को मिल रहा था कि गांव लाहा का वास में बांध बनने से नीचे के इलाकों के जल स्तर में भारी गिरावट आयेगी, बांध रूपारेल की मुख्य धारा पर बन रहा है। नीचे के क्षेत्र में पीने के पानी की कमी और खेती में भी भारी नुकसान होने की संभावना है। यह सब पढ़-पढ़ कर लोगों में उत्तेजना का माहौल बन रहा था। क्षेत्रीय स्तर की राजनीति में भी तरह-तरह की अफवाहें फैलने लगी थी। उसे अलवर-जयपुर-दिल्ली के बड़े नेता भी अपनी-अपनी तरह से बांध को लेकर कुछ न कुछ कहने लगे थे।

भरतपुर सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम भी अपनी तरह से इस काम पर नजर रख रही थी। जयपुर सिंचाई विभाग ने लाहा का वास बांध को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी जिसने अपने सभी मापदण्डों के आधार पर निर्माणाधीन कार्य को देखा और परखा था। प्रशासनिक प्रक्रिया का नजरिया नीचे से ऊपर तक एक ही था। लाहा का वास कार्य से संबंधित जो भी दस्तावेज उन्होंने तैयार किये थे। लाल-पीली बत्तियों की सरकारी गाड़ी में बैठे उच्च अधिकारी लाहा का वास में बार-बार आ जा रहे थे। रूपारेल नदी को खोज रहे थे। लाहा का वास जैसे नाले थानागाजी और

सरिस्का के जंगलों में हजारों की संख्या में थे। कौन सा नाला रूपारेल नदी है? किसी को कुछ मालूम नहीं था। वह सब एक ही विचारधारा के तहत थे। सिंचाई मंत्री जी ने भी अपने अधीनस्थों की पीठ थपथपाई थी। इसलिए उनसे तो बांध संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार से गुहार करना बेकार था।

"उच्च अधिकारी लाहा का वास में बार-बार आ जा रहे थे। रूपारेल नदी को खोज रहे थे। लाहा का वास जैसे नाले थानागाजी और सरिस्का के जंगलों में हजारों की संख्या में थे। कौन सा नाला रूपारेल नदी है? किसी को कुछ मालूम नहीं था।"

गांव के लोगों ने राजस्थान के पूर्व महामहिम राज्यपाल माननीय श्री अंशुमान जी व माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मिलकर जल-संरक्षण कार्य को बचाने के लिए कई बार निवेदन किया था। बांध संरक्षण के संबंध में देश भर के विद्वत्जनों का एक प्रतिनिधिमंडल भी उक्त दोनों महान हस्तियों से मिला था। पूरे प्रकरण को दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी। संस्था के पास सरकार से भी अधिक उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध थे। बस! सरकारी शक्ति नहीं थी और न ही राजनैतिक ऊंची पहुंच। संस्था और गांव के लोग ही कुल मिलाकर संगठित शक्ति के प्रतीक थे और गांव संगठन को सहयोग करने वाले जल-प्रेमी थे। इन सबसे सरकार और प्रशासन मन-मसोस कर रह गई थी। बांध तोड़ने की इच्छा रखते हुए भी नहीं तोड़ पाये थे।

13

2001 जून के अन्तिम सप्ताह में लाहा का वास बांध प्रकरण की गर्मी कुछ कम हुई थी परन्तु उसका आकर्षण कम नहीं हुआ था। तभी तो राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत जी, जुलाई के मध्य में लाहा का वास गांव में बांध देखने आये थे। उन्हें अलवर में अपनी रिश्तेदारी में जाना था। पहले अलवर गये, वापसी में लाहा का वास गये थे। श्री शेखावत जी के आगमन की सूचना गांव के मुख्य लोगों को पुलिस कर्मियों ने दी थी। थानागाजी पुलिस भी तैनात हो गई थी। गांव वालों ने शेखावत जी का स्वागत करने के लिए व्यवस्था की तथा संस्था के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को सूचित किया था।

संस्था से राजेन्द्र सिंह व कई कार्यकर्ता भी लाहा का वास में गये थे। जिस दिन शेखावत जी गये, मानसून भी कुछ सक्रिय लगा। गांव में दोहरी खुशी का नजारा था। गांव वाले अपने पानी का भी स्वागत राजनेता के साथ-साथ करना शुभ मान रहे थे। हल्की-हल्की फुहारें सुबह से ही शुरू हो गई थी। गर्मी के दिन में ठंडक आ गई थी। इसलिए लोगों को लग रहा था कि मौसम खराब हो रहा है। शायद शेखावत जी आयें या न आयें। थाने से पता किया तो यही सूचना मिली कि अभी तक तो कार्यक्रम पक्का है। जब थानागाजी से जयपुर जायेंगे तब जरूर आयेंगे। अलवर से जैसे ही मैसेज आता है, हम गांव में सूचना कर देंगे।

शेखावत जी का इन्तजार करते-करते गांव के लोग कुछ निराश होने लगे थे और गांव में इधर-उधर बैठे थे। तभी 5 बजे सूचना मिली कि भैरोंसिंह जी अलवर से चल दिये है, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। 5.30 बजे के लगभग लालबत्ती की टाटा सफारी गाड़ी सुरक्षा घेरे में लाहा का वास गांव में पहुंची। गांव में आते ही गांव वालों ने अपनी सामर्थ्य और परम्परा अनुसार स्वागत किया। गांव वालों के साथ भैरोंसिंह शेखावत जी बांध देखने गये। बांध को देखने के लिए कुछ दूर पैदल चलना था। इसलिए गाड़ी से उतरे, राजेन्द्र सिंह जी साथ थे। वे बरसात की बूंदाबांदी से बचाने के लिए छाता लेकर भैरोंसिंह जी के साथ-साथ बातचीत करते हुए चल रहे थे। गांव वाले बांध को बचाने का अनुरोध कर रहे थे। बांध को देखते हुए कहा, अब तक तो इसे सरकार के लोग तोड़ सकते थे परन्तु अब नहीं तोड़ेंगे, अब मैं आ गया हूं। ज्यादा कुछ नहीं कहा और न भाषणबाजी की। बांध देखा, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जयपुर के लिए रवाना हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत जी कैसी भी मंशा से आये हों परन्तु राजनीति के वरिष्ठ खिलाड़ी थे। ऊपर से विपक्ष के नेता भी थे। विपक्ष की नजर कम नहीं होती। कहीं भी कुछ न कुछ अपने स्वार्थ की बातें ढूंढ ही ली जाती हैं जबकि लाहा का वास का संघर्ष अभी

ताजा ही था। विधान सभा का मानसून सत्र चालू होने वाला था, उसकी पूर्व तैयारी के लिए कुछ तो सामग्री चाहिए थी। लाहा का वास तो पूर्वी राजस्थान में अलवर-भरतपुर की राजनीति और प्रशासनिक प्रक्रिया में फंसकर राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया था। इसलिए भैरोंसिह जी का लाहा का वास गांव में आना और लोगों के द्वारा किये गये जल-संरक्षण कार्य को देखना समय सिद्ध था।

जुलाई में विधान सभा सत्र विधिवत् शुरू हुआ। सत्ता पक्ष-विपक्ष के लोगों के बीच वाद-विवाद भी चले। राज्य की समस्या पर सवाल-जवाब हुए। कुछ निर्णय हुए, उनका ध्वनिमत से समर्थन हुआ। कुछ मुद्दों का विरोध हुआ, विपक्ष ने बहिष्कार किया। विधान सभा में कार्य करने का अपना तरीका होता है। उसी के तहत सत्र चल रहा था, कुछ ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के वरिष्ठ नेता लाहा का वास गांव में आये और किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं हुई, अच्छी बात है वरना विधान सभा की राजनीति और अधिक परेशान करती। 10 साल पहले काफी परेशानियां सामने आयी थीं।

राजनीति तो राजनीति है। इसकी अपनी नीति है। कब, क्या, कैसे करना है? मौके की तलाश में एक-दूसरे के रहते हैं। समय पर सुझाव देना ही कुशल राजनीति की चाल होती है। विधान सभा सत्र में एक दिन लाहा का वास बांध का प्रसंग आ ही गया। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सरकार की असफलता बताते हुए विपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंह शेखावत ने इस प्रकार कहा कि 'सरकार, सरकारी सम्पत्तियों की रक्षा-सुरक्षा करने में नाकाम रही है।' लाहा का वास का नाम स्पष्ट नहीं लिया था परन्तु संकेत स्पष्ट थे। अभी दो दिन ही हुए थे जब वह लाहा का वास गांव आये थे। विधान सभा में इसके ऊपर ज्यादा हंगामा नहीं हुआ था। इस प्रकार राजनैतिक खेल में फंसे लोक अभिक्रम को एक प्रकार से मुक्ति मिली थी। लाहा का वास बांध प्रकरण को चलते-चलते तीन महीने हो गये थे। जुलाई का महीना भी बीतने वाला था।

14

30 जुलाई सुबह लगभग 9 बजे के आसपास संस्था परिसर में मैं और राजेन्द्र सिंह छत पर बैठे हुये थे। कुछ संस्था के बारे में बातें कर रहे थे। अब लाहा का वास बांध संबंधी विवाद का झंझट नहीं रहा था। संस्था में आने वाले अतिथियों के साथ वे शेखावाटी क्षेत्र में जाने वाले थे। इसलिए कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। राजेन्द्र सिंह को जिन अतिथियों के साथ जाना था। वह लोग सरिस्का पैलेस होटल से आ गये थे। राजेन्द्र सिंह तैयार थे। हल्का भोजन किया और चले गये।

2 बजे के लगभग इण्डियन एक्सप्रेस (दिल्ली) से फोन आया, राजेन्द्र सिंह के बारे में पूछा, कोई महिला बोल रही थी। वह राजेन्द्र सिंह के बारे में जानना चाहती थी। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ मालूम है कि कोई नई खबर है। मैंने कहा हमें नहीं मालूम, क्या नई खबर है? यहां टेलीफोन अभी-अभी ठीक हुआ है, यहां तो अपने संस्थागत काम ही चल रहे हैं। दूसरी ओर से उस महिला की आवाज आई कि राजेन्द्र सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। मैंने कहा, यहां ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो मैं राजेन्द्र सिंह से बात करुंगी, उनका फोन नम्बर दीजिए, मैंने नम्बर दे दिया। फिर तो उसके बाद न जाने कहां-कहां से फोन आते रहे।

राजेन्द्र सिंह का फोन नं. हम देते रहे लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। दूसरे दिन 31 जुलाई को 10 बजे राजेन्द्र सिंह के फोन नं. लगने शुरू हुए थे। तरुण भारत संघ और जयपुर में कई दिनों तक जानकारी लेने और बधाई देने वालों का क्रम जारी रहा। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्रीमान अंशुमान जी व माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने बधाई दी।

"अलवर का प्रशासन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से अचम्भित था और हतप्रभ भी। यह क्या हुआ? इतना विरोध किया परन्तु सरकार के कर्मचारियों को क्या मिला? तरुण भारत संघ को कहां से और कैसे यह सब हुआ?"

अलवर में लाहा का वास बांध का विरोध करने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा पर विक्षोभ भाव लिए हुए थे। उन्होंने न जाने कैसे-कैसे मनगढ़ंत आरोपों से आरोपित किया। जयपुर में भी कुछ लोगों ने ऐसी प्रतिक्रिया दी थी। सिंचाई मंत्री की कुछ शालीनता भरी प्रतिक्रिया रही। खैर! संघर्ष भरे समय में तरुण भारत संघ के लिए, पदाधिकारियों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा समाचार था। अलवर का प्रशासन रेमन

मैग्सेसे पुरस्कार से अचम्भित था और हतप्रभ भी। यह क्या हुआ? इतना विरोध किया परन्तु सरकार के कर्मचारियों को क्या मिला ?

तरुण भारत संघ को कहां से और कैसे यह सब हुआ? खैर! पिछले तीन महीनों में जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ था जिसके कारण समाज का ही मान सम्मान बढ़ा था। यह सब प्राकृतिक संरक्षकों का सम्मान था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा के बाद बधाई सन्देश आने शुरू हुए और राजेन्द्र सिंह के लिए स्वागत, सम्मान व आमंत्रण देशभर के कोने-कोने से आने लगे। राजेन्द्र सिंह 3 सितम्बर को फिलीपीन्स की राजधानी में पुरस्कार लेने के लिए गये। वहां एशिया महाद्वीप के अन्य देशों के प्रतिनिधि भी आये हुये थे जिन्हें 2001 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन्स के राष्ट्रपति के करकमलों द्वारा दिया गया था। 4 सितम्बर को फिलीपीन्स से वापसी हुई और 5 सितम्बर को गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, दिल्ली में स्वागत समारोह में शामिल हुए और फिर भीकमपुरा आये। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के कारण राजेन्द्र सिंह जी की व्यस्तता काफी बढ़ गई थी। फिर भी संस्था के कार्यों को गति प्रदान करते रहना उनका पहला काम था।

"पिछले तीन महीनों में जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ था जिसके कारण समाज का ही मान सम्मान बढ़ा था। यह सब प्राकृतिक संरक्षकों का सम्मान था।"

15

दो अक्टूबर को संस्था का अपना विशेष कार्यक्रम था। इसमें राज्य भर के परिचित संस्थाओं के साथियों को आमन्त्रित किया था और तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र से ग्राम सभा सदस्यों को विशेष तौर पर आमन्त्रित किया गया था। तरुण भारत संघ का दो अक्टूबर का दिन अपना विशेष दिन होता है। इसके लिए ग्राम सभाओं के साथ तभासं के कार्यों का मूल्यांकन करना और आगे की भावी कार्य-योजना बनाई जाती है। जिन ग्राम सभाओं ने अपने गांव में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अच्छा काम किया है,उन्हें सम्मानित किया जाता है।

इस बार अब के समारोह में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को सभी ग्राम सभाओं का सम्मान मानकर उनके प्रति समर्पित-भाव प्रकट करना मुख्य था। इसलिए अबकी बार विशेष तौर से थानागाजी के विधायक महोदय को आमन्त्रित किया गया था। उन्हीं के द्वारा राजस्थान से आये मित्रों का सम्मान कराना था। वैसे तो तरुण भारत संघ के पदाधिकारी राजनीति से दूर ही रहते थे परन्तु विधायक जी का इस अवसर पर आने का विशेष मन था। वे आये और अपने विचार भी रखे। इस अवसर पर विधायक जी का आना संस्था में प्रथम अवसर था, वरना कभी-कभार राजेन्द्र सिंह से टेलीफोन पर ही बातचीत हो जाती थी। तीन चार महीने पहले जो विवाद चल रहा था। उसकी कष्टदायी यादें संस्था के प्रत्येक कार्यकर्ता को रोमांचित कर रही थीं। कष्ट के बाद कुछ सुख के पल मिल जाते हैं तो एक सुकून की जिन्दगी का अहसास होने लगता है। आदमी स्वयं को, अपने काम को थोड़ा रुक कर एक निगाह भर देखने का प्रयास करता है।

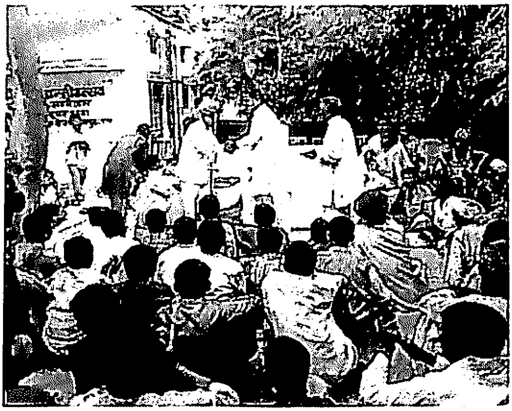

2 अक्टूबर का दिन ऐसा ही दिन था। जिन लोगों के बीच 15 साल रात-दिन काम और संघर्ष के बीच बिताये थे, उन सब का प्रतिफल ही यह मिला। गांव के छोटे-छोटे कार्यों को सम्मानित किया गया था। कभी-कभार संस्था परिसर में समाज मौजूद होता है तो खुशियों का दौर अपने आप आ ही जाता है। ऐसा तरुण भारत संघ में देखने को मिल रहा था।

16

अच्छे कार्यों को गति मिलती है। उसके लिए आदमी प्रयास भर करता है। ऐसा ही अक्टूबर के महीने में हो रहा था। 15-16 अक्टूबर को राजीव गांधी फाउन्डेशन के सचिव श्री मनमोहन मल्होत्रा जी आये हुए थे। उनके साथ उनके साथी भी थे। उन्होंने तरुण भारत संघ के जल-संरक्षण के कार्यों को देखने-समझने में रुचि दिखाई। तरुण भारत संघ के राजेन्द्र सिंह व कार्यकर्ताओं ने उन्हें गांव में किये गये कार्यों के बारे में बताया तथा क्षेत्र के कई गांवों में भी ले गये। उन्होंने लोगों से बात की और समझा। परिस्थितियों के अनुसार कार्य की उपयोगिता को देखकर मल्होत्रा जी ने राजेन्द्र सिंह से राजीव गांधी फाउण्डेशन के माध्यम से राजस्थान में पानी का काम शुरू करने की मंशा जाहिर की और राजेन्द्र सिंह से उसमें पूरा सहयोग मांगा था।

तरुण भारत संघ के पदाधिकारी पानी संरक्षण के कार्य में लगे ही हुए थे। इसलिए तो वह अपने अनुभव से कार्य बढ़ाने के उद्देश्य से पूरा सहयोग देने के लिए खुशी-खुशी राजी हो गये थे। तभासं ने अपने अनुभवी कार्यकर्ताओं को राजीव गांधी फाउण्डेशन में जल-संरक्षण कार्य में सहयोग करने के लिए कहा तथा फाउन्डेशन के साथ राजस्थान के अन्य भागों में कार्य करने के लिए सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। राजीव गांधी

फाउण्डेशन के माध्यम से राजस्थान में जल संरक्षण कार्य करने के मानस से श्री मनमोहन मल्होत्रा जी दिल्ली लौटे थे।

16 अक्टूबर को जयपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पथ प्रदर्शन-कार्यक्रम का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ संचालक श्री के.सी. सुदर्शन भी जयपुर आये हुए थे। ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही थी कि 16 अक्टूबर को जयपुर कार्यक्रम के समापन के बाद दिल्ली लौटते हुए श्री सुदर्शन जी तरुण भारत संघ आयेंगे क्योंकि संस्था में भी फोन आया था और हल्की-फुल्की बातें राजेन्द्र सिंह से हुई थीं। इसलिए संस्था में उनके आगमन की प्रतीक्षा में लोग बैठे हुए थे, क्षेत्र के ग्रामीण जन भी आ गये थे। रात्रि में श्री सुदर्शन जी के साथ बैठक रखी गयी थी। श्री सुदर्शन जी की जयपुर के कार्यक्रम में व्यस्तता थी, वह सब पूरा करके सुदर्शन जी भीकमपुरा के लिए शाम के समय निकलने वाले थे। रात्रि लगभग 8 बजे सूचना मिली कि सुदर्शन जी अलवर की सीमा में प्रवेश कर गये हैं, सूचना देने वाले थानागाजी थाने के थानेदार थे।

सूचना मिलते ही सब लोग व्यवस्था को ठीक करने में लग गये। वैसे तो सभी व्यवस्था पहले से ही थी फिर भी एक नजर यह देखना था कि सब ठीक ठाक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक श्री के.सी. सुदर्शन जी आश्रम में दूसरी बार आये थे। आश्रम में उपस्थित लोगों ने सुदर्शन जी व उनके साथ आये अतिथियों का स्वागत किया। सुदर्शन जी ने देरी से पहुंचने के लिए उपस्थित जनों से क्षमा मांगी।

लोगों ने बिना औपचारिकता के अपने कार्यक्षेत्र के कार्यों को बताया। सुदर्शन जी के लिए अब तरुण भारत संघ का कार्यक्षेत्र व कार्य-पद्धति नई नहीं थी। वह पहले से ही परिचित थे। डेढ़ साल पहले तो तरुण भारत संघ आये ही थे। दुबारा इस क्षेत्र में आना अपने में बड़ी बात थी। उन्होंने गांव के लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा आप लोग अपने-अपने गांव में राजेन्द्र सिंह के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया वाले अब आपके काम को देख रहे हैं। आपके काम को देखने के लिए देश के राष्ट्रपति आये, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से आपके कार्यों को सराहा व सम्मानित किया गया है। मैं भी डेढ़ साल में दो बार आया हूं। पहले मैं जो यहां से देखकर गया तो अपने साथियों को आप लोगों के कार्य को बताया। कुछ को यहां काम देखने के लिए भेजा था। यहां का अनुभव अब देश-दुनिया में जा रहा है। आपके काम छोटे-छोटे हैं, परन्तु उनकी उपयोगिता बहुत है। ऐसे कार्य निरन्तर करने की आवश्यकता है। हमारे देश पर विदेशी आर्थिक जगत् का हमला हो रहा है। आप जैसे कार्यकर्ता देश को बचा सकते हैं।

''हमारे देश पर विदेशी आर्थिक जगत् का हमला हो रहा है। आप जैसे कार्यकर्ता ही देश को बचा सकते हैं। इस कार्य में संगठन की आवश्यकता है जो अपने आप में बड़ी बात है।''

17 अक्टूबर 2001 को श्री के.सी. सुदर्शन जी का बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था। सुबह से शाम तक गांवों में जाना, लोगों से बात करना और लोगों के द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखना था। सुबह 8 बजे नाश्ता आदि लेकर जैड सुरक्षा व्यवस्था में सुदर्शन जी का काफिला गांव की ओर निकल पड़ा। पहले लिल्ला गांव गया जो सरसा नदी जल ग्रहण क्षेत्र के मध्य आता था। गांव के लोगों की उपस्थिति में बहुत ही साधारण व्यवस्थाओं में जनसभा आयोजित की गई। किसी प्रकार की औपचारिकता किये बिना नदी किनारे जमीन पर बैठ कर लोगों से बातें कीं। उसके बाद वहां जल संरक्षण कार्य के लिए नींव खुदी हुई थी, उसका शिलान्यास किया, पांच पत्थर अपने हाथों से रखे। आगन्तुकों ने भी शिलान्यास में अपने हाथ लगाये। लिल्ला गांव में लोगों से मिल कर और नये जल-संरक्षण के कार्य की नींव रख, गांववासियों से विदा ली।

नारायणी धाम होते हुए, रूपवास पहुंचे, रूपवास गांव में 11 बजे से लोग इन्तजार में थे, सुदर्शन जी के काफिले को देखते ही सभी महिला-पुरुष-बच्चे दौड़ते हुए वहां आ रहे थे। रूपवास गांव में ग्रामवासियों ने पहले अपने गांव में किये जल-संरक्षण के कार्यों को दिखाया। साथ ही उसका लोकार्पण भी सुदर्शन जी के करकमलों से कराया था। उसके बाद सभा स्थल पर आये, वहां गांव के रीति-रिवाज के अनुसार उपस्थित जन समुदाय ने विधिवत् स्वागत किया। अपने-अपने गांव की बातें बताई और क्षेत्र में हुए कार्यों से बदली तस्वीर को बताया। रूपवास गांव जहाजवाली नदी क्षेत्र का अन्तिम गांव था। वहां से जहाजवाली नदी का पूरा जल ग्रहण क्षेत्र दिखाई दे रहा था। तभी तो घेवर के रामजी लाल अपने हाथ के इशारे से ही पूरे क्षेत्र का एक नक्शा बनाकर बता रहे थे।

गांव क्षेत्र की बातें सुनकर सुदर्शन जी ने सभी उपस्थित जनों को सम्बोधित किया था और रूपवास के कार्य को अन्जाम देने वाले संस्था के कार्यकर्ता श्री जगदीश पण्डित व रामदयाल गुर्जर को अपने हाथों से साफा पहनाकर सम्मानित किया था। सुदर्शन जी गांव की शक्ति को संगठित देख खुश थे। रूपवास के लोगों को सुदर्शन जी का आगमन अच्छा लगा।

जहाजवाली नदी के कार्यों को देखते हुए सुदर्शन जी भगाणी नदी के उद्गम क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे गांव राजौर में जा पहुंचे। यह गांव अपने आप में ऐतिहासिक गांव है। यहां बहुत सी सभ्यताओं ने जन्म लिया है। इस गांव में सुदर्शन जी का दूसरी बार भी आना ऐतिहासिक ही था। वर्ष 2000, 16 अप्रैल की यात्रा पर आये थे। सही डेढ़ वर्ष बाद 17 अक्टूबर को फिर आ पहुंचे थे। पहले भ्रमण काल में आये थे, नीलकण्ठ मन्दिर, माण्डलवास गांव देखा था और राजौर में नये जल संरचना के लिए भूमि पूजन किया था। कांकवाड़ी किले में भोजन व्यवस्था थी और कुछ पल गुजारे थे। आज फिर डेढ़ साल पुराना इतिहास दोहराया जा रहा था। सबसे पहले उस स्थान पर गये ; जिसका डेढ़ साल पहले शिलान्यास किया गया था। वह कार्य पूरा हो गया था। उसे देखना था, कैसे बना है? मन में कार्य देखने की उत्सुकता थी। आज उस स्थान पर लोकार्पण शिलालेख था। सुदर्शन जी ने पहुंचते ही जोहड़ का लोकार्पण किया और राजेन्द्र सिंह के साथ जोहड़ निर्माण का पूरा कार्य देखा, समझा। जोहड़ के रूप को देखते-देखते सुदर्शन जी अन्तिम छोर तक जा पहुंचे थे।

गांव के लोगों द्वारा किये गये छोटे-छोटे काम को निहारना सुदर्शन जी को कितना अच्छा लग रहा था, ये तो वहां के उपस्थित जन-समुदाय और स्वयं सुदर्शन जी ही जानते होंगे। मुझे तो बस, यह मालूम है कि इसको देखने के लिए सुदर्शन जी को 1 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ा था। फिर भी बहुत खुश थे सुदर्शनजी जोहड़ को देखकर।

"आज की परिस्थितियों में संगठित भाव से गांव के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की जरूरत है। सो यह कार्य आप सब कर रहे हैं। हम लोग यह सब देखने के लिये आये हैं। देश में ऐसे कार्य और आगे बढ़ें, ऐसा हम प्रयास करेंगे।"

जोहड़ के जल-भराव क्षेत्र में बड़ा शामियाना लगा हुआ था जिसमें पूरी छींड़ के लोग थे। जोहड़ बनाने वाले 500 से भी अधिक महिला-पुरुषों का जन समूह था। गांव के लोगों ने पहले सुदर्शन जी का स्वागत किया। फिर राजौर में आये अतिथियों का बारी-बारी से स्वागत किया था। जंगल में मंगल का भाव लिए हुए बहुत ही मनोहारी दृश्य था। राजौर गांव में राजेन्द्र सिंह को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी। गांव के लोगों ने अपनी बात अपने शब्दों

में सुदर्शन जी व आगन्तुकों को समझाई। सुदर्शन जी ने गांव के प्रयासों की सराहना की।

लोगों को प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हुए ग्रामवासियों की पीठ थपथपायी और कहा कि आज की परिस्थितियों में संगठित भाव से गांव के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की जरूरत है। सो यह कार्य आप सब कर रहे हैं। हम लोग यह सब देखने के लिये आये हैं। देश में ऐसे कार्य और आगे बढ़ें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आप लोगों ने इस निर्जन जंगल में जल-संरचना का कार्य किया है। अब यह जल आपको, आपके पशुओं, जंगली जानवरों, पक्षियों और वनस्पतियों को खुशियां देगा, ऐसी आशा है। इसी के साथ गांव के लोगों ने सभी आगुन्तकों का आभार व्यक्त किया। वहां से चलकर राजौर गांव में आये। गांव में पंचायत भवन पर आगन्तुकों ने भोजन किया। सुदर्शन जी व उनके साथियों ने भोजन कर कुछ देर आराम किया। राजेन्द्र सिंह, उमेन्द्र व अन्य संस्था के कार्यकर्ता अगले कार्यक्रम की योजना पर बातचीत कर रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद काफिला सरिस्का अभयारण्य होते हुए लगभग 5 बजे लाहा का वास गांव रूपारेल नदी क्षेत्र ग्रहण में पहुंचा।

"अच्छे कार्य करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, तब ही प्रकृति की रक्षा होती है। मुझे यह जानकर खुशी है कि स्वयं अपने हाथों से रात-दिन मेहनत करके काम किया है, उसे सरकार और प्रशासन से बचाने के लिए अथक प्रयास किया।"

सुदर्शन जी के पहुंचते ही सभी उपस्थित जनसमुदाय ने स्वागत किया। गांव के लोगों ने अपने पानी के काम की संघर्ष कहानी बतलाई। लाहा का वास का जन संघर्ष देश-दुनिया में जल संरक्षण के लिए चर्चा में था। तभी सुदर्शन जी ने अपने सम्बोधन में लोगों से कहा कि अच्छे कार्य करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, तब ही प्रकृति की रक्षा होती है। मुझे यह जानकर खुशी है कि स्वयं अपने हाथों से रात-दिन मेहनत करके काम किया है, उसे सरकार और प्रशासन से बचाने के लिए अथक प्रयास किया। फलतः आज आपके गांव में अपना पानी है वरना आज की परिस्थितियों में यहां पानी नहीं होता।

आपके इस प्रकार के संघर्ष से देश के ग्रामीण समाज को प्रकृति की रक्षा के लिए रास्ता मिला है। अब यह काम देश में और तेज गति से आगे बढ़ेगा। ऐसे विचारों के साथ गांव के अभिक्रम को सराहते हुए उपस्थित जन समुदाय से विदा ली।

श्री सुदर्शन जी का राष्ट्रीय परिदृश्य में इस क्षेत्र में दो दिन का समय बिताना और अपने संगठन के माध्यम से ऐसे कार्य करने का मन बनाना देश के लिए शुभ था।

17

जल संरक्षण कार्यों का ही प्रभाव था कि तीन साल के अकाल में भी थानागाजी क्षेत्र में सुकाल था। तरुण भारत संघ के काम को देखकर जल संरक्षण के क्षेत्र में नये आयाम जुड़ने शुरू हुए थे। इसकी जरूरत समाज के हर वर्ग के लोगों को महसूस होने लगी थी। उद्योगपति, राजघराने, राजनैतिक लोग, स्वैच्छिक संगठन सभी जल संरक्षण के कार्यों को करना चाहते थे। इस कार्य में तरुण भारत संघ का सहयोग लेकर जल संरक्षण के कार्यों को करना चाहते थे।

कई उद्योगपति तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में आकर जल संरक्षण के कार्य को देख रहे थे, समझ रहे थे। राजघरानों के मन में भी जल की हिलोरें उठने लगी थीं। स्वैच्छिक संगठन तो काफी सक्रियता में थे। राजीव गांधी फाउण्डेशन के पदाधिकारी राजस्थान के विभिन्न भागों में कार्य करने की योजना बनाकर ही दिल्ली लौटे थे। आर.एस. एस. जैसे बड़े संगठन भी जल संरक्षण के कार्य से प्रभावित थे।

1 नवम्बर से राजीव गांधी फाउण्डेशन ने राजस्थान में तीन क्षेत्र चुनकर कार्य को गति प्रदान की जिसमें तरुण भारत संघ ने अपने अनुभवी कार्यकर्ताओं को लगाया और कार्य आरम्भ किया गया।

अब राजीव गांधी फाउण्डेशन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की जल जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। गांव का गरीब किसान फाउण्डेशन के साथ जुड़कर अपने सुखद भविष्य के ताने-बाने बुन रहा है और लाभान्वित हो रहा है। युवाओं के मन में भी जल की हिलोरें उठी तो पृथ्वीराज सिंह जैसे युवा सामने आये, उन्होंने जल-संरक्षण कार्य में रुचि ली। तरुण भारत संघ में आकर कार्य को देखा, समझा, मन बनाया। तरुण भारत संघ ने अपनी ओर से उन्हें हर प्रकार का सहयोग दिया।

"गांव का गरीब किसान, मजदूर, राजीव गांधी फाउन्डेशन के साथ जुड़ कर सुखद भविष्य के ताने-बाने बुन रहा है, लाभान्वित हो रहा है। तरुण भारत संघ के हर सदस्य को अच्छा लगता है।"

उनके क्षेत्रों में जा-जाकर परिस्थितियों को देखा-समझा और उत्साहवर्धन करते हुए वैचारिक चर्चा को भी जारी रखा। जल संरक्षण कार्य करने के विचारों की स्पष्टता बनी रहे। वैचारिक दृष्टि से प्रोत्साहित करना बड़ी बात थी। सब कार्य आगे बढ़ रहे थे। अच्छा लगता था कि तरुण भारत संघ का काम किसी न किसी रूप में आगे बढ़ रहा है। 15 साल में तरुण भारत संघ की कार्यपद्धति के अनुसार जल संरक्षण कार्य जन-जन का कार्य बनता दिखाई देने लगा था।

18

कभी-कभी लोग भावात्मक दृष्टिकोण का नाजायज फायदा भी उठाते हैं। दिसम्बर माह की 25 तारीख को दो महिन्द्रा मार्शल गाड़ी आई उनमें से नौ आदमी उतरे और आश्रम परिसर के भवन में आये। 6 पुलिसकर्मी थे, इनमें एक थानेदार था। जिसका नाम पूरण मल था। तीन अन्य लोग थे जिनको मैं अच्छी तरह जानता था। आते ही थानेदार ने पूछा, सतेन्द्र और राजेन्द्र कौन हैं? संस्था के क्या उद्देश्य हैं? आदि। मैं वहां मौजूद था, मैंने कहा कि मैं सतेन्द्र हूं और राजेन्द्र सिंह जयपुर में हैं। जगदीश गुर्जर करौली में है। क्या बात है, बात बतायें। थानेदार ने कहा कि हमें कोर्ट से नोटिस मिला है। आपने कोण्डला में कोई कार्य किया था। उसके भुगतान में गड़बड़ी है। लाखों रुपये का काम था, आपने लोगों को कम भुगतान किया है। उन्होंने मोहवा न्यायालय में याचिका दायर की है। उसकी जानकारी के लिए हम आये हैं।

अब पूरा मामला समझ में आ गया था। वे लोग भी साथ थे जिन्होंने अपने गांव में कार्य किया था और संस्था से भुगतान भी प्राप्त किया था। तीनों लोगों ने जाने क्या सोचकर अपने निजी स्वार्थवश न्यायालय में अर्जी लगाई थी और न्यायालय द्वारा जांच की कार्यवाई भी वहीं से सेलमपुर थानेदार ने पूरी करके न्यायालय में जमा करा दी थी जिन्होंने काम किया था।

उन्हें संस्था से नियमानुसार चैक द्वारा भुगतान किया गया था। लेकिन उन्होंने भुगतान लेने से ही मना कर दिया था। मैंने थानेदार के कागज देखे, जिसमें लिखा था "सतेन्द्र, राजेन्द्र व जगदीश ने गांव में आकर लोगों को बहकाकर काम चालू करवाया लाखों के काम का मात्र 44 हजार रुपये भुगतान हुआ है। ऊपर से टी.डी.एस. भी काटा है।" थानेदार पूरण मल ने कहा राजेन्द्र सिंह और जगदीश से बात करनी है कहां मिलेंगे? मैंने कहा कि जगदीश जी तो करौली गये हुए हैं। राजेन्द्र सिंह दूसरे गांव में गये हुए हैं। मीटिंग है, वहीं मिलेंगे। पूरण मल ने कहा हमें जल्दी है। राजेन्द्र सिंह से बात भी करना जरूरी है। आप हमारे साथ चलें और उनसे बात करायें।

मैं राजेन्द्र सिंह से बातचीत करवाने के उद्देश्य से पुलिस के साथ चल दिया था। बीच की सीट पर बैठा था। मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी। बस ! चोंसला तक तो जाना ही था, जहां राजेन्द्र सिंह आये हुए थे। जैसे ही चोंसला पहुंचे, मैंने थानेदार से कहा वह मीटिंग चल रही है। वहीं चलना है। जैसे ही मैंने कहा 'वहीं चलना है;' ड्राइवर ने गाड़ी

तेज कर ली। थानेदार ने कहा कि क्या पता; राजेन्द्र सिंह आये हैं या नहीं आये हैं। तब समझ में आया कि ये मुझे 'कहीं और' ले जा रहे हैं।

खैर! सब कुछ जानते हुए मैं पुलिस की गाड़ी में चोंसला के लिए गया था। आश्रम में सभी लोग चिन्तित हो गये थे। उसी चिन्ता में नरेन्द्र सिंह व दृगपाल सिंह पीछे-पीछे आ रहे थे, वह आगर में मिले। मैंने कहा कि भाई साहब से बात करनी है। वे चोंसला में हैं, वहीं जा रहा हूं। आप भी आओ। वे भी पीछे-पीछे थे। जैसे ही गाड़ी चोंसला पहुंची और गाड़ी की रफ्तार तेज होती देख दोनों लोग गाड़ी के पीछे-पीछे चलते रहे। इस बात का मुझे पता नहीं था।

पुलिस की गाड़ी झीरी में जाकर आंधी की ओर मुड़ गई थी। गति अब कुछ कम हुई थी। फिर भी सड़क को देखते हुए तेज ही थी। पूरण मल ने कहा कि दौसा में एस.पी. के साथ मीटिंग करने के बाद आप को भेज देंगे। मैंने कहा कि अब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं। जहां भी ले जाना चाहते हैं, ले चलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

रास्ता खराब होने के कारण गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी। इसलिए दृगपाल व नरेन्द्र सिंह ने दोनों गाड़ियों से आगे निकलते हुए गाड़ी रुकवाई थी। उत्तेजित भाव से दोनों ने थानेदार से मुझे इस तरह से ले जाने का कारण पूछा। इस तरह से पूछने पर थानेदार थोड़ी देर सटपटा सा गया था, कहने लगा कि हम इन्हें दौसा तक ले जा रहे हैं। एस.पी. के साथ बातचीत करके वापिस भेज देंगे। दृगपाल सिंह और नरेन्द्र सिंह को शान्त करते हुए मैंने कहा कि दौसा तक चल कर देखते हैं। ये जैसा कहते हैं, वैसा ही करने दें। मैं देर तक किसी न किसी प्रकार आश्रम पहुंच जाऊंगा, तुम लोग वापस जाओ। दृगपाल सिंह व नरेन्द्र सिंह उत्तेजित भाव लिए वापिस हो गये। वापसी में राजेन्द्र सिंह भी उन्हें प्रतापगढ़ में मिले, उन्होंने सब बात बताई थी। सभी बहुत ही चिन्तित थे।

दौसा पहुंचते ही मैंने कहा कि मुझे फोन करना है। राजेन्द्र सिंह जी से बात करनी है। पूरण मल ने एक टेलीफोन बूथ पर गाड़ी रोकी, वहां से मैंने राजेन्द्र सिंह को फोन किया। राजेन्द्र सिंह से बात नहीं हो सकी। वे भीकमपुरा के लिए निकल गये थे। वहां मोबाइल नहीं लगता था। पृथ्वीराज सिंह से बातें हुईं। उन्होंने बताया कि वह थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। क्या बात है? मैंने उन्हें हल्केपन में थोड़ी सी बात बताई कि मुझे पुलिस दौसा ले आई है। कुछ भुगतान से सम्बन्धित बात है।

दौसा में एस.पी. के साथ बात करने को कह रहे हैं, देखते हैं। पृथ्वीराज सिंह ने कहा कि कोई ऐसी वैसी बात है तो बता देना। थानेदार एस.पी. कार्यालय के बजाय अपने थाने ले जा रहा था। दिन छिपते-छिपते सलेमपुर थाने में पहुंचे थे। थानेदार ने कहा तुम इस

कमरे में बैठ जाओ, वह शायद किसी पुलिस कर्मी का कमरा था। चारपाई बिछी थी, बिस्तर भी था। दिसम्बर की ठण्ड भी बढ़ रही थी। मैं रजाई ऊपर करके बैठ गया था।

थानेदार ने वकील से कहा था कि अब मेरा काम समाप्त हो गया, अब आप देख लेना। मैं दस बजे पेश कर दूंगा, बाकी आप लोग जानें। वकील ने कहा कि अब मैं देख लूंगा। सुबह मिलते हैं। इस प्रकार से बातचीत कर रहे थे। उनका भावार्थ स्पष्ट था, वह मेरा चालान कर जेल भेजना चाहते थे। मुझे अच्छी तरह दोनों की बातें सुनाई दे रही थीं। खैर! वे तीनों व्यक्ति छोटे सिंह, दलपत सिंह और वकील आदि ने विजयी अन्दाज में मेरी तरफ गर्मजोशी में राम-राम करते कहा अब आप आराम से यहां रहें, सुबह मिलेंगे और अपने घर चले गये।

थानेदार पूरण मल भी आज के दिन की अपनी कामयाबी दूसरे लोगों को जता रहे थे। उसके साथी पास के गांव में गये थे, वापिस नहीं आये थे जबकि पूरण मल अलवर से एक केस को सुलझाकर समय से थाने में पहुंच गये थे। पूरण मल मेरे कमरे की तरफ आया तो मैंने कहा मुझे आश्रम से बात करनी है। वहां लोग चिन्तित होंगे, वहां उन्हें बताना है कि मैं यहां पर ठीक प्रकार से हूं। उसने कहा कि यहां का फोन खराब है, मुझे भी बात करनी है, थोड़ी देर बाद फोन करने चलेंगे एस.टी.डी. यहां से दूर है। मैंने सहज रूप से कहा ठीक है बस! बात करा देना। उसने समय पर खाना खिला दिया और फिर मैं एक पुलिसकर्मी के साथ बातचीत करते-करते सो गया।

दो घंटों के बाद पूरण मल ने जगाया कि फोन करने चलना है। मैं उसके साथ जीप में बैठ गया। पूरण मल से बात करता एस.टी.डी. बूथ पर गया। पहले पूरण मल ने अपनी रिपोर्ट दी। फिर मैंने फोन किया। भाई साहब को बताना था कि मैं सलेमपुर थाने में हूं। मेरा सम्पर्क नहीं हो सका। उधर भाई साहब ने न जाने कहां-कहां फोन किया। लेकिन मेरा कोई अता-पता नहीं लगा था। फिर पृथ्वी राज सिंह से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि थानेदार से बात कराओ। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ? जो तुम्हें इस प्रकार से थाने में लाकर बैठाया है। यह कोई बात हुई ? मैंने थानेदार को फोन दिया। पृथ्वीराज सिंह ने उसे कड़े शब्दों में झड़पते हुए खूब डांटा था।

थानेदान बार-बार अपना स्पष्टीकरण देता था कि मैंने इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। आप मेरी बात झूठ मानते हों तो इनसे पूछ लें। पृथ्वीराज सिंह की डांट-फटकार से थानेदार घबरा गया था। उन्होंने दौसा के एस.पी. से भी बात की। फिर एस.पी.ने फोन से मुझसे भी बातचीत की। एस.पी. ने पूछा आपको कहां जाना है? मैंने कहा कि मुझे भीकमपुरा जाना है। उसने थानेदार को कुछ निर्देश दिया और थानेदार ने मुझे करौली से आने वाले ट्रक में बैठा दिया। वहां से मैं दौसा आया। दृगपाल व चमन सिंह जो मेरी तलाश में सलेमपुर थाने में जा रहे थे। दौसा बाजार में ही मिल गये थे।

"संघर्ष तो जीवन की एक प्रक्रिया है। किसी न किसी रूप में समाज में रह कर संघर्ष करना ही होता है। संघर्षशील समाज ही प्रगति का रास्ता दिखाता है। उससे ग्राम स्वराज्य का स्थायित्व होता है।"

उस समय रात्रि के लगभग 4 बज रहे थे। हम सब दृगपाल सिंह के घर रुके।

26 दिसम्बर की सुबह सात बजे के लगभग मैं आश्रम पहुंचा था। सब चिन्तित चेहरों पर एक खुशी की मुस्कान थी। सभी पूरी घटना को सुनने के लिए मन में उत्सुकता लिए हुए थे। भाई साहब ने कहा कि दोपहर को जयपुर चले जाना। वहां सब बातें पृथ्वीराज सिंह को बता देना।

मैं दोपहर को जयपुर पहुंचा। पृथ्वीराज सिंह से घर पर मिला, वहां सब घटना बताई। इस प्रकार से इक्कीसवीं सदी का पहला साल तरुण भारत संघ के लिए रचना-संघर्ष-जागृति और उत्साहित करते हुए बीत गया था जो हर प्रकार से समाज कल्याण के लिए सुखदायी था। संघर्ष तो जीवन की एक प्रक्रिया है। किसी न किसी रूप में समाज में रह कर संघर्ष करना ही होता है। संघर्षशील समाज ही प्रगति का रास्ता दिखाता है।

❑❑❑

जोहड़ बनाओ पानी बचाओ

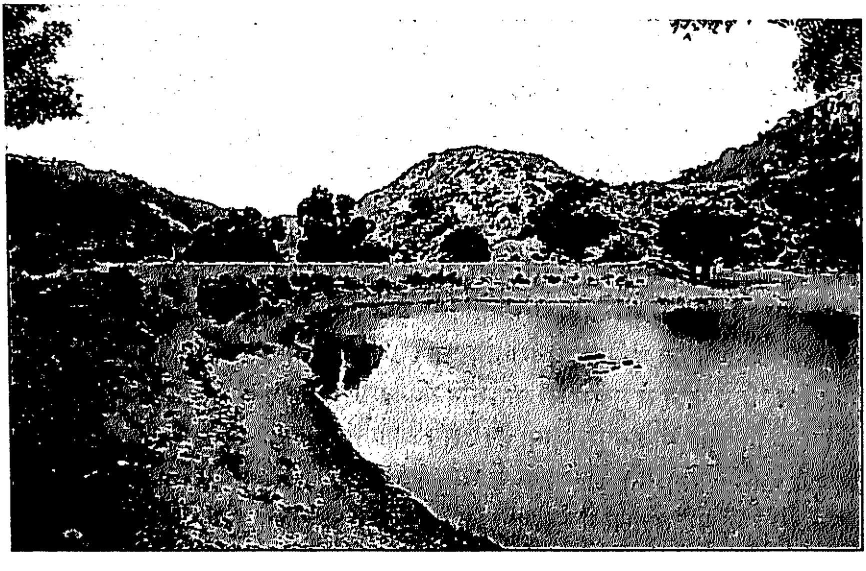

तरुण भारत संघ

अठारहवां कदम

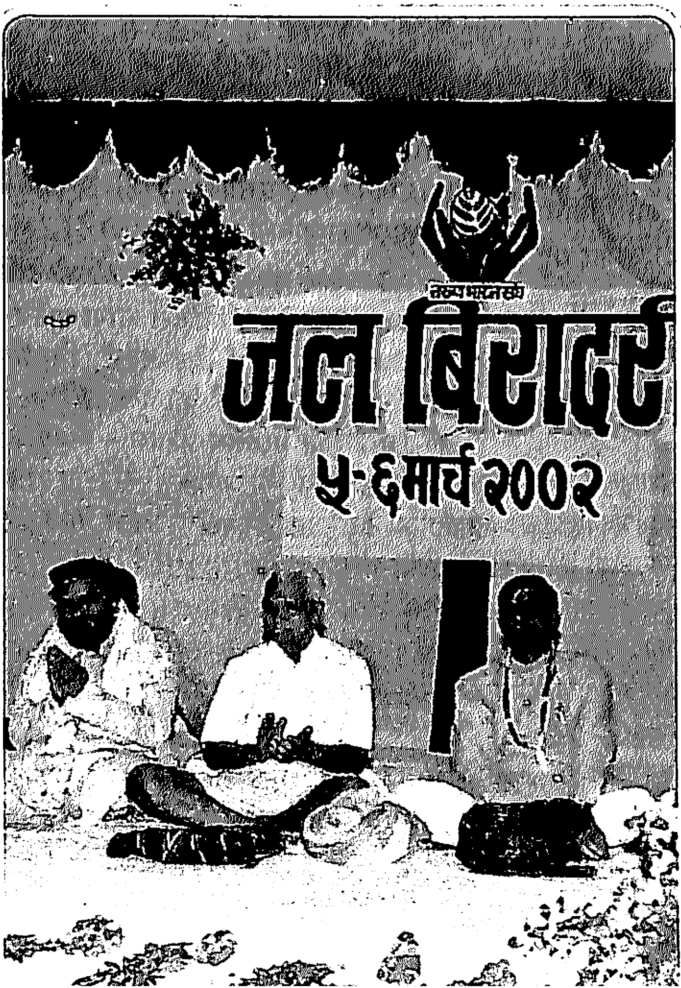

1

वर्ष 2002 तरुण भारत संघ के लिए सुखद व नए विचार देने वाला रहा। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और सत्ताधारी राजनेताओं ने भी तरुण भारत संघ के कार्यों की प्रशंसा की थी। जल संरक्षण के रचनात्मक काम और महिला सबलीकरण की दिशा में किये गये कार्यों से सर्वांगीण विकास की एक झलक दिखाई दे रही थी जिसकी चर्चा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी की थी।

जनवरी के प्रथम सप्ताह में 4 जनवरी 2002 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती आशा स्वरूप, उपसचिव श्री संजीत सिंह, कार्यक्रम अधिकारी श्री वी.गोविन्दास्वामी ने संस्था के कार्यों को देखने के लिए कार्यक्षेत्र में भ्रमण किया तथा लोगों से जानकारी ली। गांव के विकास में संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए इस प्रकार से विचार व्यक्त किये थे। तरुण भारत संघ द्वारा लोगों को विकास के कार्यों के लिए संगठित करने का जो कार्य किया गया है, उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और ऐसा अहसास हुआ कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है।

"तरुण भारत संघ द्वारा लोगों को विकास के कार्यों के लिए संगठित करने का जो कार्य किया गया है , उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और ऐसा अहसास हुआ कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है।"

5 जनवरी को संस्था के कार्यों को देखने-समझने के लिए यू.एन.डी.पी. का दल आया था जिसमें अहमद नरुल आलम, चार्ल्स विट कोर्स, मिथुलिना चटर्जी आदि ने संस्था के कार्यों को देखा-समझा। 6 जनवरी को 10 प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों का एक बैच प्रशिक्षण हेतु व ग्रामीण विकास के कार्यों की जानकारी के लिए आया था जिन्हें संस्था के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने समुदाय की परस्पर सहभागिता द्वारा किये गये जल संरक्षण कार्यों का प्रशिक्षण दिया था। 13 फरवरी 2002 को यू.एन.डी.पी. के एशिया प्रमुख डॉ. हाफिज पासा, श्री मुरलीधरन, श्रीमती नीरा बूरा ने नीमी गांव में महिला समूह एवं समुदाय के सहयोग से किये गये कार्यों को देखा-समझा। डॉ. पासा ने संस्था के कार्यों से प्रभावित होकर श्री राजेन्द्र सिंह जी से अफगानिस्तान में भी जल संरक्षण के कार्यों में सहयोग करने की पेशकश की थी।

जनवरी-फरवरी के महीने में ऐसा लग रहा था कि जल संरक्षण के कार्य को आगे ले जाने के लिए नई संस्थाओं का जन्म हो रहा है। मारवाड़ को पानीदार बनाने के लिए

गजसिंह की अध्यक्षता में 'जल भागीरथी' का जन्म 15 जनवरी को विधि-विधान के अनुसार हुआ।

प्रारम्भिक दौर में पूरा पालन-पोषण तरुण भारत संघ ने किया। दो साल तक एक प्रकार से परवरिश करके पूरी तरह से अस्तित्व प्रदान किया। तरुण भारत संघ ने तन-मन-धन का सहयोग देकर मारवाड़ क्षेत्र में जल संरक्षण का कार्य किया। दूसरी ओर जो संस्थायें जल संरक्षण के कार्य करना चाहती थीं, उन्हें जल संरक्षण के कार्य के लिए प्रेरित किया। नये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, अपने अनुभवी कार्यकर्ताओं द्वारा जल संरक्षण के कार्यों की प्रक्रिया शुरू करना, तरुण भारत संघ का मुख्य उद्देश्य था। राजीव गांधी फाउण्डेशन के साथ भी तरुण भारत संघ का ऐसा ही व्यवहार था। तभी तो 5-7 फरवरी तक तरुण आश्रम, भीकमपुरा में राजीव गांधी फाउण्डेशन के नये जल-कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

तरुण भारत संघ को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते-करते जो अनुभव हुए और जो 'राष्ट्रीय जल नीति' का अध्ययन, विश्लेषण किया तो पाया कि देश के आम आदमी के हाथ से पानी छीना जा रहा है। यह सब किस प्रकार रोका जाये। इसके लिए देश की जलनीति पर कार्य करने की जरूरत महसूस हुई क्योंकि सरकार ने देश के परिप्रेक्ष्य में जो जलनीति का प्रारूप तैयार किया है। वह भी आम आदमी की बन्दिशों को बढ़ाने वाली थी। इस सब को देखते हुए पिछले दो साल से संस्था के पदाधिकारी चिन्तित थे और देश की ऐसी जल-नीति बनाने में लगे थे कि जो आम आदमी को प्राथमिकता के आधार पर जल उपलब्ध करा सके, उसका पानी उसके हाथ में रहे। ऐसी जल-नीति बनवाने के लिए अध्ययन और जन दबाव दोनों की जरूरत थी।

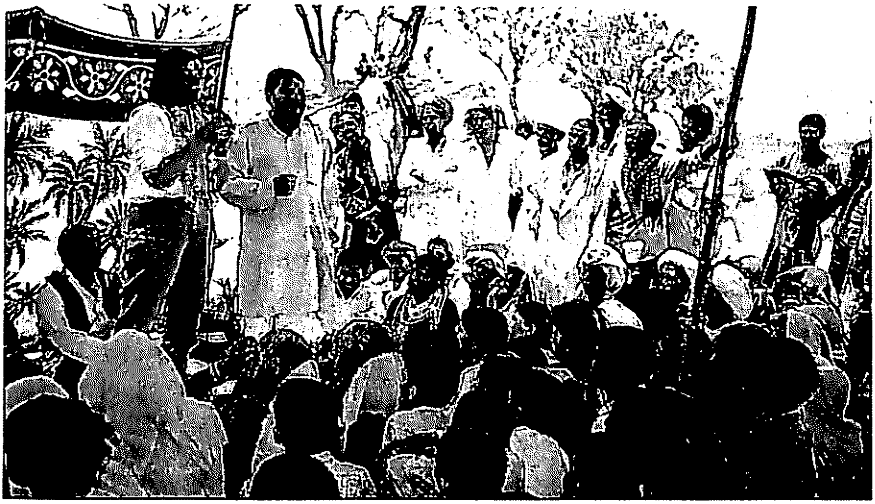

2

तरुण भारत संघ ने देश की जलनीति को लेकर गहन अध्ययन किया। उस पर जून 2000 में एक आम राय बनाने के लिए गोष्ठी भी की थी। सबके उपयोगी सुझावों को समाहित कर भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को भी अवगत कराया था लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। सरकार की नींद तभी खुलती है, जब दिल्ली में कुछ कुलबुलाहट होनी शुरू होती है। इसलिए तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने भारत सरकार को नींद से ज़गाने के लिए दिल्ली में ही जलनीति पर राष्ट्रव्यापी जल सम्मेलन करना सुनिश्चित किया।

5-6 मार्च 2002 को दिल्ली में 'राष्ट्रीय जल नीति' पर राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 19 राज्यों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में केन्द्रीय जल संसाधन राज्यमंत्री श्रीमती विजोया चक्रवती, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सी.पी. ठाकुर, केन्द्रीय भारी उद्योगमंत्री श्री बल्लभ भाई कथूरिया, राजनैतिक प्रतिनिधि व देश भर के प्रबुद्धजन, अधिकारीगण, उद्योगपति, साधु-संन्यासी, किसान, मजदूर व स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

देशव्यापी जलनीति का प्रतिरोध देख भारत सरकार की कच्ची नींद में ही आखें खुल गई थीं। सरकार ने आनन-फानन में 1 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और जलनीति का प्रारूप सर्वसम्मति से पारित कर दिया। देश की जलनीति कैसी है? किसके हकों को छीना गया? किसको अधिक अधिकार मिले? राज्यों को कैसी नीति बनानी चाहिए? ये सब रहस्य अपने में छिपाये हुए देश की जलनीति भारत के प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी जी की अध्यक्षता में निर्विरोध पारित हो गई। कोई किसी से पूछने वाला नहीं था।

"देश की नई जलनीति में ऐसे प्रावधान जोड़े गये थे जिससे देशवासियों के मालिकाना हक को जबरन छीना जा रहा है। इसका अहसास होने पर कि देश की जलनीति समाज उपयोगी नहीं है, इसके लिए कुछ करना होगा।"

इस प्रकार राष्ट्रीय जलनीति का पारित होना देश की प्राकृतिक संपदा के साथ खिलवाड़ करना था। देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल था। नई जलनीति में कई ऐसे प्रावधान थे जिससे देशवासियों के मालिकाना हक का छिन जाना तय था। इसलिए जलनीति समाज

उपयोगी नहीं है, उसका विरोध करना होगा। यह निर्णय जल सम्मेलन में बैठे-बैठे राजेन्द्र सिंह ने लिया था।

तभासं में जितनी क्षमता थी वह उसके अनुसार कार्य में लगा था। कार्यक्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य भी समाज की सहभागिता से सतत चल रहे थे और रचना, जागृति व संघर्ष का संयुक्त योग प्राकृतिक संरक्षण में सहायक सिद्ध हो रहा था। अब देश का सवाल था। इसलिए जागृति और संघर्ष को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी जिसके लिए राजेन्द्र सिंह पिछले दो साल से लगे हुए थे। 1 अप्रैल 2002 के बाद तो देश में जागृति और संघर्ष के लिए तैयारी करना जरूरी लगने लगा था। इसके लिए राजेन्द्र सिंह प्रयासरत थे।

3

देश में जागृति के कार्यक्रम चल रहे थे। 10 -11 मई को जोधपुर में देश के सभी धर्मों के धर्म-गुरुओं का सम्मेलन था जिसमें जल संरक्षण कार्यों में सहयोग करने के लिए आह्वान किया था। 2 -3 जून को 'प्राकृतिक संसाधनों का संवर्द्धन एवं संरक्षण' विषय पर महिला सबलीकरण सम्मेलन भीकमपुरा में आयोजित था।

देश के अन्य भागों से बुलावा आने पर राजेन्द्र सिंह वहां जरूर जाते थे। 9 जून को दिल्ली में ज्योतिराव सिंधिया ने आमंत्रित किया था। वह अपने ग्वालियर क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य करने में रुचि ले रहे थे। राजेन्द्र सिंह समय से दिल्ली पहुंच गये थे। ज्योति राव से लगभग दो घंटे बातचीत हुई थी। कुछ दिन के लिए ग्वालियर में समय देने का भी कार्यक्रम बना था। ज्योतिराव से बातचीत करके राजेन्द्र सिंह गांधी शान्ति प्रतिष्ठान आये। वहां नये पुराने मित्रों से बातचीत की और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार 10 जून को अलीगढ़ जाना था। फिर वहीं से इलाहाबाद जाना था, इलाहाबाद में 11 जून को पहुंचना था। वहां पर नेहरू युवा संगठन का कार्यक्रम था।

राजेन्द्र सिंह 10 जून को अलीगढ़ कार्यक्रम में समय से पहले पहुंच गये थे। सबने स्वागत, सम्मान किया और औपचारिकताओं के बाद क्षेत्र के बारे में भी जानकारी देना जरूरी होता है, यह सब किया गया। राजेन्द्र सिंह देश की परिस्थिति के बारे में जन सभा को बता रहे थे। बीच-बीच में राजनैतिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित बातें आ ही जाती हैं। जबकि राजेन्द्र सिंह राजनीतिक भी नहीं थे और न ही राजनीति की बात करने वहां गये थे। वे तो वहां कुछ युवाओं के आमंत्रण पर गये थे।

"जब गांव-देश के विकास की बातें हों, वहां राजनीति बीच में न आये, यह कैसे हो सकता है? राजनीति की धुरी पर विकास घूमता है। किसी देश की राजनैतिक व्यवस्था विकास की धुरी होती है। राजनीति की बातें अपने आप आती हैं। उन पर एक लंबी चर्चा भी स्वतः हो जाती है।"

जब गांव-देश के विकास की बातें हों वहां राजनीति बीच में न आये। यह कैसे हो सकता है? विकास राजनीति की धुरी पर घूमता है। किसी देश की राजनैतिक व्यवस्था विकास की धुरी होती है। राजनीति की बातें अपने आप आती हैं। उन पर एक लम्बी चर्चा भी स्वतः हो जाती है। बातें करते-करते गर्माहट भी हो जाती है। अलीगढ़ की सभा में आयोजकों ने कुछ राजनैतिक लोगों को बुला लिया था। सब जगह ही बुलाते हैं। राजेन्द्र सिंह के लिए राजनैतिक लोगों के बीच जाना और बोलना एक सामान्य बात थी। देश के हर भाग में गये, सबने अच्छी तरह से सुना। अलीगढ़ की सभा में भी वे बोल रहे थे लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। वे बीच में ही टोका-टाकी करने लगे। बात भी ऐसी नहीं थी कि एक-दूसरे के दुश्मन बन जाएं। गुड्डू नाम का व्यक्ति जो अलीगढ़ के एक ब्लाक का प्रमुख था। उसने राजेन्द्र सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। राजेन्द्र सिंह के सिर में भारी चोटें आईं। सभा में अफरा-तफरी मच गई। हमलावर अपने बन्दूकधारी लोगों के सुरक्षा घेरे में मौका मिलते ही वहां से भाग गया था।

राजेन्द्र सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, उपचार भी हुआ लेकिन हालत नाजुक बनी रही। उनके साथ उस दिन उनका बेटा भी था, वरना राजेन्द्र सिंह पूरे देश दुनिया में अकेले ही प्रवास करते हैं। कहीं कोई खतरा नहीं हुआ। अलीगढ़ के प्रशासन ने सबसे पहले राजेन्द्र सिंह के हमलावर के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज की, लोगों के बयान लिये और अपनी कागजी कार्यवाही पूरी कर अलीगढ़ में नाकेबन्दी की। अस्पताल में राजेन्द्र सिंह की हालत में सुधार न होता देख अस्पताल के डॉक्टरों ने दिल्ली एम्स में भेज दिया था। दूसरे दिन जाकर अन्य परिवारजनों और मित्र लोगों को अखबारों के माध्यम से सूचना मिली थी।

राजेन्द्र सिंह दिल्ली में एम्स अस्पताल के कोमा वार्ड में भर्ती थे। उन्हें चौबीस घंटों में होश आया था लेकिन हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। दिल्ली में अनुपम मिश्र, रमेश शर्मा, बाबूलाल शर्मा, अरुण तिवारी, उमेन्द्रदत्त, सब से पहले पहुंचे थे। उसके बाद ही परिवारजनों का आना शुरू हुआ। फिर तो दिन भर दिल्ली के परिचित लोगों का तांता लगा रहा। राजनेता उमा भारती, मेनका गांधी, उच्च अधिकारी, विदेशी मित्र, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आदि आये थे। पांच दिन अस्पताल में रहे। उसके बाद कुछ दिन राजस्थान हाउस में रहे थे। 10 दिन के बाद जयपुर लौट आये। जयपुर में भी डॉक्टरों से सलाह ली, उनका भी उपचार चला था।

अलीगढ़ में गुड्डू की धरपकड़ में अलीगढ़ पुलिस प्रशासन लगा हुआ था। उसके घर व रिश्तेदारी में छापे पड़ रहे थे। पुलिस के डर से राजनेता गुड्डू छिपने के लिए भागा-भागा फिर रहा था। अन्ततः पुलिस को लगभग एक महीने में जाकर कामयाबी मिली। गुड्डू देश के तत्कालीन कृषि मंत्री अजीत सिंह के घर में सुरक्षित था। जब पुलिस को पकड़ना होता है सात तालों में बंद को भी पकड़ लेती है, वरना उसके आगे-पीछे न जाने कितने अपराधी सुरक्षित सीना ताने घूमते रहते हैं। गुड्डू ने न जाने अब तक कितने अपराध किये थे। सब की जानकारी होते हुए भी पुलिस चुप थी लेकिन राजेन्द्र सिंह की घटना ने गुड्डू को दर-दर छुपने के लिए मजबूर कर दिया था। अलीगढ़ पुलिस को जहां भी भनक पड़ती, तुरन्त दबिश देती थी।

''कानून के तहत काम करने पर राजनैतिक संरक्षण भी संरक्षण देने से इंकार कर देता है। ऐसा ही गुड्डू के साथ हुआ था। गुड्डू के रासुका के तहत वारन्ट होने से अजीत सिंह का राजनैतिक कवच अब सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ था।''

पुलिस का मकसद चाहे कुछ भी हो, लेकिन पुलिसबल को अपना दमखम भी दिखाना था। बहुत दिन हो गये थे; गुड्डू के कारनामों को दबाते-दबाते। यह मौका मुश्किल से पुलिस के हाथ लगा था। उसे किसी भी तरह से पुलिस रिमान्ड पर मजा चखाने के मन से गिरफ्तारी वारन्ट हाथ में थे। कानून के तहत काम करने पर राजनैतिक संरक्षण भी संरक्षण देने से इंकार कर देता है। ऐसा ही गुड्डू के साथ हुआ था। गुड्डू के रासुका के तहत वारन्ट होने से अजीत सिंह का राजनैतिक कवच अब सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ था। आखिरकार पुलिस के हाथ गुड्डू तक जा पहुंचे। गुड्डू को गिरफ्तार करके पुलिस अलीगढ़ ले आई, वहां राजनैतिक दबाव बना तो ललितपुर जेल भेज दिया। कुल मिला कर तीन-चार महीने के बाद राज्यपाल की अनुशंसा से जमानत हुई।

4

राजेन्द्र सिंह के स्वास्थ्य में सुधार हो चला था। अब वह अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे और कार्यक्रमों में आने-जाने लगे थे। तभी तो 1 से 20 अगस्त तक मारवाड़ के जल-कर्मियों के प्रशिक्षण में पूरे समय मौजूद थे और 1 से 3 अक्टूबर तक संस्था के वार्षिक समारोह के आयोजन में लगे थे। 20-21 अक्टूबर को जयपुर में जल बिरादरी की बैठक थी। 21-22 नवम्बर को जोधपुर में सूखा प्रभावित राज्यों के 50 से भी अधिक स्वयंसेवी संगठनों की कार्यशाला थी। 14 दिसम्बर को विकास अध्ययन संस्थान जयपुर में अकाल मुक्ति एवं राज्य जलनीति पर एक दिवसीय सम्मेलन किया था। इसके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में जा जाकर पूर्ववत् जन जागृति के काम को अन्जाम दे रहे थे। इसी बीच विदेशों की यात्रायें भी बदस्तूर जारी रही थीं।

राजेन्द्र सिंह ने शारीरिक कष्ट होते हुए भी देशभर में जल संरक्षण व देश की जलनीति के विषय में जानकारी देना अपना ध्येय बना लिया था, जो समयानुसार उचित ही था। जन-जन को जल संरक्षण का ज्ञान देना और देश की भावी जलनीति के सम्बन्ध में लोक जागृति के लिए देश के अंचलों में जाकर जल यात्रा का माध्यम ही श्रेयष्कर लगा था। इस पर संस्था के सभी कार्यकर्ताओं के साथ लम्बी बातचीत हुई थी। उसी के अनुसार तैयारी की गई थी। अब वह समय आ गया था, जब देश भर में पहली जल यात्रा शुरू हुई थी।

वह शुभ दिन 23 दिसम्बर था। जब तरुण भारत संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सहयोगी व शुभचिन्तक गांधी समाधि-राजघाट दिल्ली में मौजूद थे। गांधी की समाधि पर प्रकृति के जीवन तत्व जल को संरक्षित व संवर्धित करने का संकल्प लिया था। देश भर में यह संदेश लेकर जन-जन तक पहुंचाने की शक्ति लेकर गांधी समाधि को नमन करते हुए जल यात्रा दल देश की यात्रा पर चल पड़ा था।

"राजेन्द्र सिंह ने शारीरिक कष्ट होते हुए भी देश भर में जल-संरक्षण व देश की जल-नीति के विषय में जानकारी देना अपना ध्येय बना लिया था, जो समयानुसार उचित ही था।"

कदम-दर-कदम आगे बढ़ रहा था। आगे की मंजिल कम हो रही थी। घड़ी की सूई के साथ समय गुजर रहा था। दिन गांव में जन-जन को जल संदेश देते बीतता, अगला दिन नई उमंग के साथ आता और जलयात्रा भी नये क्षेत्र में होती थी। यात्री दल जल संरक्षण का संदेश देने के शुभ कार्य में व्यस्त हो जाता था। दिल्ली से चली जल यात्रा को तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र भीकमपुरा में आते-आते वर्ष 2002 बीत चला था।

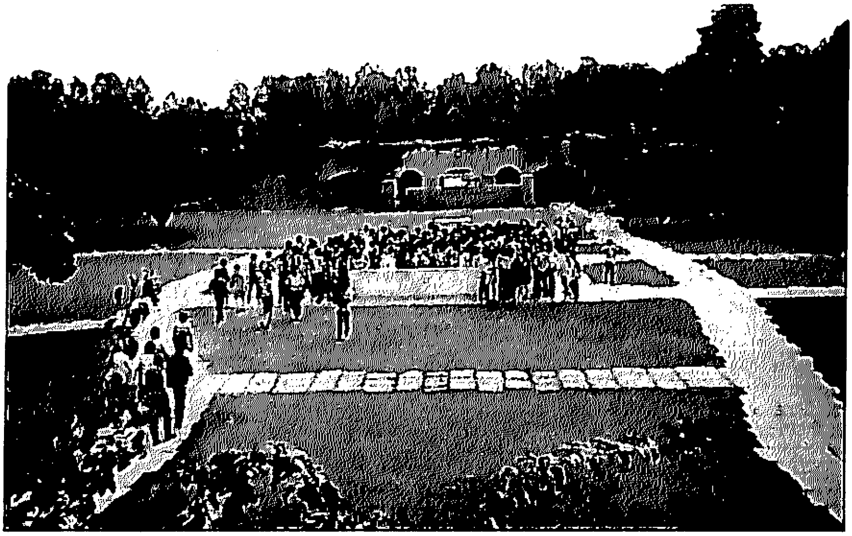

तरुण भारत संघ

उन्नीसवां कदम

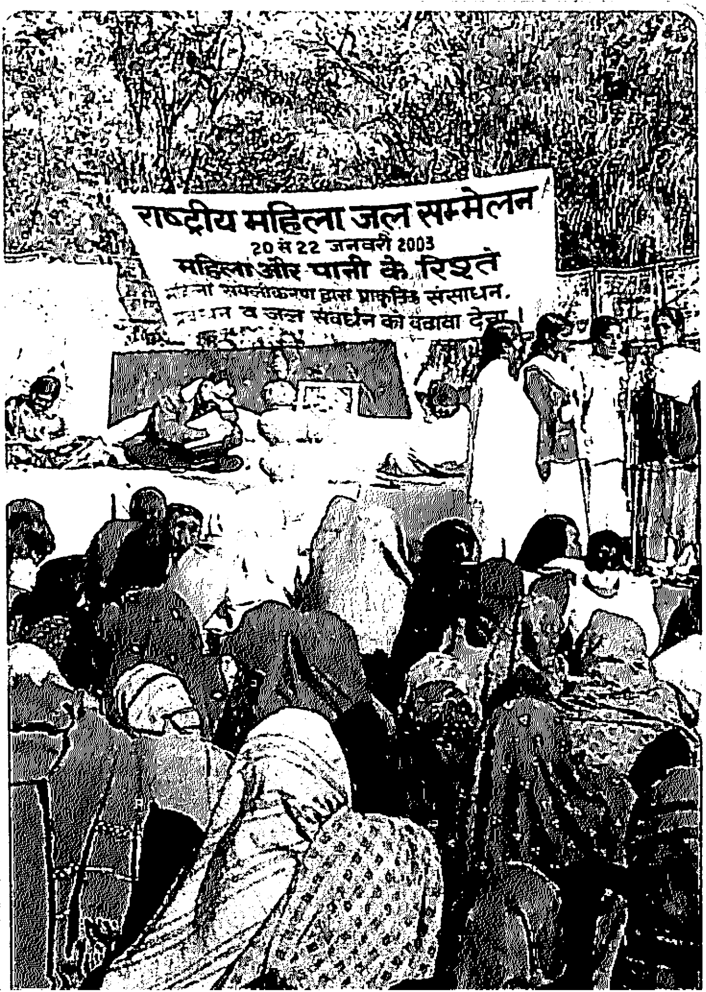

1

दिल्ली से चली जल यात्रा तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में नये साल की पहली तारीख को लाहा का वास गांव में पहुंची थी। जल यात्रा के गांव में पहुंचने पर गांववासियों ने स्वागत किया था। जल यात्रा में देश के जलकर्मी, विशेषज्ञ एवं जल योद्धा आये हुए थे। उन्होंने गांव के उन लोगों के साथ बैठक की जिन्होंने अपने बलबूते पर अपने गांव को पानीदार बनाया था।

''जल संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने और देश के अन्य भागों में जल की कैसी समस्यायें हैं? उनको कैसे हल किया जाता है? इसके लिए एक राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था।''

जल यात्रा में आये देश के अन्य भागों के लोग गांव के कार्य को देख रहे थे और उनके द्वारा किए गये संघर्ष की बातें सुन रहे थे। ग्रामीणजन अपने क्षेत्र में किये गये प्रयासों से सबको अवगत करा रहे थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तरांचल देहरादून से वन्दना शिवा, जयपुर से मनोहर सिंह राठौर, सनी सब्सटीन थे। उनके साथ और भी विद्वज्जन आये थे जिन्होंने अपने विचारों से सबको अवगत कराया था। जल यात्रा का अगला कदम भीकमपुरा में था। जल यात्री गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जलयात्रा का संदेश देते हुए लगभग 3 बजे भीकमपुरा जा पहुंचे थे। तरुण भारत संघ में जलयात्री दल का स्वागत किया गया। अगली सुबह यात्री दल राजस्थान के गांव व शहर में जल संरक्षण का संदेश देने के लिए राज्य की यात्रा पर निकल गया।

तरुण भारत संघ के पदाधिकारी जल संरक्षण कार्य को घर परिवार से लेकर कल-कारखानों के मालिक व देश के हर नागरिक का काम मान रहे थे। इसलिए गांव शहर में हर तबके के साथ संवाद कर रहे थे और खास तौर से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण-संवर्द्धन द्वारा महिला सबलीकरण करने का विचार समाज को दे रहे थे। जल संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने और देश के अन्य भागों में जल की कैसी समस्यायें हैं? उनको कैसे हल किया जाता है और इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है ? इस सब को समझने के लिए एक राष्ट्रीय महिला जल संरक्षण सम्मेलन करने के उद्देश्य से 20-22 जनवरी की तिथि तय की गयी थी।

20 से 22 जनवरी को तरुण भारत संघ के परिसर में राष्ट्रीय महिला जल सम्मेलन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्द्धन द्वारा महिला सबलीकरण को ध्यान में रख कर आयोजित किया गया था जिसमें 26 राज्यों की 1900 महिलाओं ने भाग लिया। राजेन्द्र

सिंह ने सम्मेलन में आई महिलाओं को राजस्थान में पानी और जंगल के संरक्षण में महिलाओं के योगदान को बताया और वर्तमान में भी महिलाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। कार्यक्षेत्र से आई महिलाओं ने भी देश के अन्य भागों से आई महिलाओं को अपने-अपने गांव के काम के बारे में बताया। अन्य प्रान्तों से आई महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्र की जल सम्बन्धी समस्याओं को बताया तथा उनके समाधान भी बताये।

इस सम्मेलन में जल से सम्बन्धित विविध प्रकार की जानकारी मिली जो राष्ट्रीय जल यात्रा के लिए बहुत उपयोगी रही। राजेन्द्र सिंह ने देश के कोने-कोने से आये सम्भागियों से अपील की कि आप अपने क्षेत्रों में जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के काम को प्राथमिकता से करें और गांव-गांव में जाकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए यात्राएं करें। उन्होंने सभी से जल यात्रा के दौरान व आने को कहा तो सभी संभागियों ने ताली बजाकर स्वागत किया और जल यात्रा में अपना हर प्रकार का सहयोग देने के लिए कहा।

इस सम्मेलन में जल संरक्षण के कार्यों में लगे स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ, लेखक, पत्रकार, विदेशी मेहमान आदि थे। विशेष अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय से श्रीमती पुष्पा जैन आई थी। उन्होंने भी जल-संरक्षण में महिलाओं के योगदान को सहारा दिया और राष्ट्रीय जलनीति पर भी अपने विचार व्यक्त किये।

राजेन्द्र सिंह को राष्ट्रीय महिला जल सम्मेलन, राष्ट्र स्तर पर जल से संबंधित बढ़ती जन सामान्य की समस्याओं को समझने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। सम्मेलन के समापन के बाद जल यात्रा राजस्थान के रेगिस्तान में जल संरक्षण का संदेश देती हुई गुजरात की ओर गई। वहां से देश के अन्य भागों में गांव, कस्बे, शहर के लोगों को जल संरक्षण के लिए आह्वान किया और देश की जलनीति की खामियों को बताते हुए देश भर के अंचलों तक गई थी। जल यात्रा के दौरान देश में सतत जन सम्पर्क बढ़ रहा था।

2

तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता बाहर से आये अतिथियों का भी पूरा खयाल रखते थे। संस्था द्वारा किये जा रहे कार्यों को गांव में ले जाकर दिखाना और लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता था। 13 अप्रैल को संस्था का कार्य देखने-समझने के लिए अरुण सिंह दिल्ली से आये थे। अच्छे विद्वान थे। उन्हें तरुण भारत संघ द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी के लिए 17 अप्रैल को बिसूणी गांव ले जाया गया। पहले जल संरक्षण के कार्य दिखाये, उसके बाद स्कूल में आये। तब तक अध्यापक भी आ गये थे और बच्चे भी। बीसूणी स्कूल में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र भी आ गया था। जब समाचार पत्र सामने हो तो हर किसी पढ़े बे-पढ़ों का मन उसे देखने को करने लगता है।

आदमी अपनी रुचि के अनुसार अखबार के पन्ने पलटता है और तमाम सारे पृष्ठों में से कुछ खबरों को ही अच्छी तरह से पढ़कर सन्तुष्टि पा लेता है। उसी से दुनियादारी के विषय में मोटी-मोटी जानकारी हो जाती है। किसी को चौंकाता है तो किसी को प्रसन्न करता है और किसी को बेचैन करता है। इसमें अखबार का दोष नहीं है, वह तो वही लिखता है जो घटना घट रही है।

"बांध के बारे में अब राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं था। बद्रीप्रसाद बेड़ा कौन है? कैसा है? उसका लाहा का वास के बांध से क्या अहित हो रहा है? जिससे उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा था।"

अरुण सिंह मुख्य पृष्ठों को लेकर देख रहे थे। मैं राजस्थान पत्रिका के अलवर संस्करण के पृष्ठ लेकर देखने लगा था। एक कॉलम में पढ़ा कि "लावा का वास संबंधी याचिका मंजूर"। फिर उत्सुकता बढ़ती गई, साथ-साथ बेचैनी भी बढ़ती गई थी। जब तक पूरी खबर को नहीं पढ़ा, बेचैनी बढ़ती रही। बेचैनी का कारण था लाहा का वास के बांध तुड़वाने के लिए बद्रीप्रसाद बेड़ा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी। 16 अप्रैल को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था जिसकी खबर 17 अप्रैल के समाचार पत्र में छपी थी। बांध के बारे में अब राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर

किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं था। बद्रीप्रसाद बेड़ा ने याचिका क्यों दायर की ? ये बेड़ा कौन है? उसका लाहा का वास के बांध से क्या अहित हो रहा है? जिससे उसे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा था।

बेड़ा से संस्था के किसी कार्यकर्ता का दुआ सलाम भी नहीं था और न ही कोई झगड़ा-फसाद था। मुकदमेबाजी तो तभी होती है जब आपस में कोई झगड़ा हो। लेकिन बद्रीप्रसाद बेड़ा के साथ ऐसा कौन सा अन्याय तरुण भारत संघ ने और लाहा का वास के लोगों ने किया था, जिसके कारण यह सब करना आवश्यक हो गया था। खैर! अब उसे जो करना था वह कर दिया था। सबसे पहले मैं और अरुण सिंह थानागाजी गये। वहां से राजेन्द्र सिंह को फोन किया तथा सारी बातों से अवगत कराया। राजेन्द्र सिंह ने जयपुर में जाकर मनोहर सिंह राठौड़ से सलाह लेने और कोई अच्छा वकील करके लाहा का वास बांध को बचाने के लिए पैरवी करने को कहा।

राजेन्द्र सिंह से बातचीत करने के बाद मैंने जयपुर में प्रो. मनोहर सिंह राठौड़ जी से बात की, उन्होंने कहा कि लाहा का वास बांध से संबंधित सब कागज लेकर आ जाओ, यहां किसी वकील से बात करेंगे। दो साल पहले इसी बांध को लेकर जो संघर्ष चला था। उसकी पूरी फाइल तैयार थी। थानागाजी से लाहा का वास गांव गये। ग्रामवासियों को अखबार में छपी खबर के विषय में बताया। फिर संस्था में आये और लाहा का वास प्रकरण की फाइल लेकर जयपुर निकल गये थे। मेरे साथ अरुण सिंह भी मौजूद थे। जयपुर में राठौर साहब से मिले। उन्होंने अपने एक परिचित वकील का फोन नम्बर दिया और कहा कि मैं उनसे कह दूंगा, जब वह समय दें, मिल लेना। हमने ऐसा ही किया।

मैं और अरुण जी उनके बताये हुए पते पर वकील के घर पर गये। सब बातें बताईं। उनको जो कुछ और भी जानकारी चाहिए थी, वह सब जुटाई और उनको दी गई। वकालतनामा तैयार किया गया। लाहा के वास के लोगों को बुलाकर वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराये गये।

न्यायालय से नकल ली और उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की गई। लाहा का वास बांध को बचाने के लिए सभी उपलब्ध दस्तावेजों को देखा-समझा और जो उपयुक्त लगा; उसे वकील ने अपने पास रखा था। उससे उच्च न्यायालय के लिए जवाब तैयार किया गया और न्यायालय में पेश कर दिया। न्यायालय ने बांध बचाने के लिए वकील की याचिका को स्वीकार कर लिया और उस पर आगे की तारीख दे दी।

इसी बीच कुछ मित्रों ने वरिष्ठ वकीलों से सलाह लेने की बात कही तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम वकीलों में शुमार केजरीवाल एक अच्छे वकील थे, उनसे समय मांगा और मिले। मिलने वालों में हम पांच व्यक्ति थे- मनोहर सिंह राठौर, अरुण सिंह, पृथ्वीराज सिंह, सतेन्द्र सिंह और कन्हैया लाल, काफी देर बातें हुईं। वकील साहब ने अपने वरिष्ठतम साथियों को भी साथ में बैठाया, जिसमें दो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे। वकील साहब ने लाहा का वास बांध से संबंधित रूपरेखा को समझ कर पैरवी करने में रुचि दिखाई। अपने जूनियर साथी को भी इस काम में नियुक्त किया और एक वकालतनामा भी बनाया था। जयपुर में लाहा का वास बांध को बचाने की कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई थी।

लाहा का वास बांध का लाभ थानागाजी के लोगों को दो साल के समय में अच्छी तरह से समझ आ गया था। अब उन्हें उसके लाभ-हानि के विषय में किसी बड़े विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या विद्वान की राय नहीं चाहिए थी। दो साल का बीता समय अकाल में सुकाल का समय सिद्ध हुआ था। वह सब छोटे से बांध के कारण ही संभव हुआ था। इसीलिए बांध बचाओ समिति की सक्रियता और बढ़ गई थी। लाहा का वास का बांध थानागाजी के आसपास के दस गांवों का बांध हो गया था। तभी तो बांध की मरम्मत के लिए सब गांव के लोग चन्दा इकठ्ठा कर रहे थे, उन्हें क्या पता था कि बांध को तुड़वाने लोग न्यायालय तक भी चले जायेंगे।

बांध को बचाने के हर संभव उपाय क्षेत्र के लोग कर रहे थे। चन्दा इकट्ठा करके लोगों ने बांध की मरम्मत का काम भी चालू कर दिया था। बांध का पानी दो साल में पहली बार सूखा था। लोग बरसात आने से पहले बांध की मरम्मत करने के लिए बेताब थे। जैसा जुनून लोगों में बांध की मरम्मत करने के लिए दिखाई दे रहा था, वैसा तो उसे बनाते समय भी नहीं था। लेकिन प्रशासन ने बांध की मरम्मत के कार्य को जाकर बन्द करा दिया। प्रशासन की मंशा तो पहले से ही ऐसी थी कि किसी प्रकार से लाहा का वास का बांध टूटना चाहिए। चाहे उसे न्यायालय के द्वारा तोड़ा जाये या फिर प्रशासन के द्वारा ही।

"प्रशासन की मंशा तो पहले से ही ऐसी थी कि किसी न किसी प्रकार से लाहा का वास का बांध टूटना चाहिए। चाहे उसे न्यायालय के द्वारा तोड़ा जाये या फिर प्रशासन के द्वारा ही।"

गांव के लोगों ने प्रशासन के लोगों को हर संभव समझाने की अपनी पूरी कोशिश की। लेकिन अलवर व थानागाजी प्रशासन ने गांव में रात-दिन का पहरा लगा दिया। एक जे.ई.एन. और एक सहायक को नियुक्त कर दिया था। गांव के लोग उच्च न्यायालय की वजह से किसी प्रकार का विवाद भी खड़ा करना नहीं चाहते थे। फिर भी जब भी उन्हें मौका मिलता था, वह अपने बांध को मजबूत करने का प्रयास करते थे। किसी प्रकार का विवाद न होते हुए भी एक नये रूप में गांव के पानी को बचाने का विवाद न्यायालय और प्रशासन के बीच में फंस कर रह गया था।

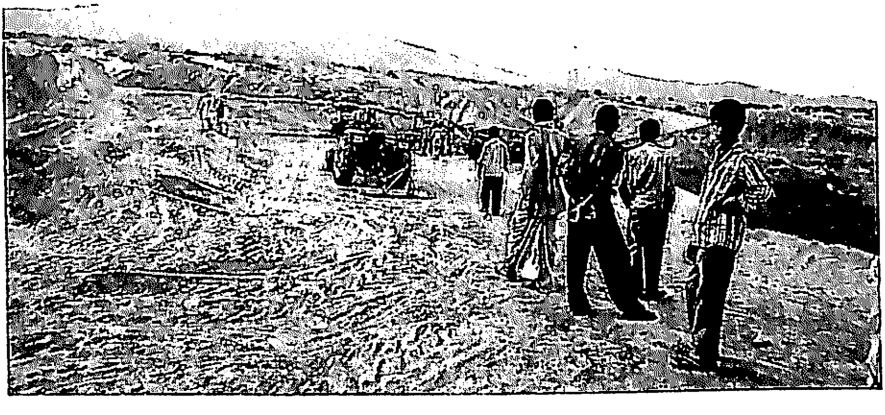

3

तरुण भारत संघ के कार्य सभी गांवों में सही सलामत चल रहे थे। राजेन्द्र सिंह देशभर की जल यात्रा पर थे। अलवर में मानसून पूर्व की वर्षा मध्य जून से ही शुरू हो गई थी। 19 जून को थानागाजी के अरवरी क्षेत्र में पहली वर्षा अच्छी हुई थी। गांव झीरी में सिंचाई विभाग द्वारा बनवाये गये समर-सागर बांध में पहली बार पानी आया था, उसी के साथ वह टूट गया था। उसकी लागत लगभग 2 करोड़ थी। जबकि उसके ऊपर किसी प्रकार से अन्य कार्य भी प्रभावित नहीं हुए थे। इसकी सूचना राजस्थान पत्रिका के अलवर संस्करण अखबार में छोटी सी छपी थी। अलवर के बाहर नहीं गई।

9 जुलाई की रात को थानागाजी में 95 मिमी वर्षा हुई जिससे सरकार द्वारा लाहा का वास के ऊपर के गांवों में अकाल राहत में बनवाये गये जोहड़ टूटते चले गये। उनका पानी एक साथ वेग से लाहा का वास बांध में आया जिससे बांध क्षतिग्रस्त हो गया था। मुझे 10 जुलाई को 11 बजे के लगभग जयपुर में कृषि भवन में एक मीटिंग में मालूम हुआ था कि लाहा का वास बांध रात में तेज वर्षा के कारण टूट गया था। मुझे सुनते ही एक झटका सा लगा। अगले ही पल नजरअंदाज करते हुए चाय पीने लगा था।

चाय लेकर मीटिंग हाल में गया, वहां मनोहर सिंह राठौर और अम्बुज किशोर भी थे। मैंने दोनों से कहा कि मुझे एक व्यक्ति ने अभी-अभी बताया है कि लाहा का वास बांध टूट गया है। बांध के टूटने की बात सुनते ही राठौर साहब चौंक गए। कहा सच! किसने कहा ? मैंने कहा कि वहीं के एक आदमी ने कहा है। वह भी इसी मीटिंग में आया है। मुझे मीटिंग में बैठना अच्छा नहीं लगा। मैंने राठौर साहब से कहा कि लाहा का वास देख कर आते हैं कि कैसे क्या हुआ ? उन्होंने कहा, "ठीक है, अभी जाओ मुझे भी फोन से बताना।"

"आदमी तो आदमी है हर परिस्थिति का सामना करना उसकी फितरत में है। वह जिन्दगी के हर दुख को सहन करता हुआ जीता और सदैव प्रयत्नशील रहता है।"

मैं और अम्बुज दोनों लाहा का वास बांध को देखने के लिए मोटरसाइकिल से चल दिये थे। गांव में जाकर देखा, सुना कि वह सब सरकार के अकाल राहत कार्यों के कारण हुआ है लेकिन रेडियो- टेलीविजन पर खबर दी गई कि तरुण भारत संघ द्वारा बनवाया गया बांध भड़भड़ा कर टूट गया। दस दिन पहले दो करोड़ की लागत से बना सिंचाई विभाग का बांध जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के

आधार पर प्रशिक्षित लोगों द्वारा बनाया गया था, वह कैसे टूट गया? उसमें क्या कमी रही? जबकि उसको बनाने के लिए नीचे से ऊ पर तक के प्रशासन तंत्र की देख-रेख थी। उसका टूटने का किसे दुख और किसे खुशी थी? कोई पूछने वाला नहीं था।

लाहा का वास का बांध का दुख इतना था कि हर ग्रामवासी अपने बेटे के मरने की पीड़ा के समान समझ रहा था। दो साल में ही उसने लोगों को अपने होने का पूरा अहसास करा दिया था। तभी गांव में घुसते ही मातम जैसा लगा था। फिर भी आदमी तो आदमी है, हर परिस्थिति का सामना करना उसकी फितरत में है। वह जिन्दगी के हर दुख को सहन करता हुआ जीता है। ऐसे भी भाव महसूस हो रहे थे।

जब गांव के लोग अपने टूटे बांध को दिखाने के लिए हमारे साथ-साथ चल रहे थे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बनाये गये जोहड़ों के टूटने से बांध में आये पानी के कारण हमारा बांध टूटा था। उन्हें विश्वास था कि अप्रैल के महीने में अगर सरकार के लोग हमें बांध का काम करने देते तो हम अपने बांध को बहुत मजबूत कर देते। फिर चाहे बीस जोहड़ क्यों न टूटते, हमारा बांध नहीं टूटता।

× × ×

यह बांध खुशी लेकर बना था। इसके पानी से हम और आसपास के गांवों के लोग खुश थे। अब वह टूट गया है तो सरकार के लोग खुश हैं। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है। यह ऐसे समय टूटा था जब तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर भी कोई वाहन नहीं था। नीचे के क्षेत्रों में भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सरकार हमें काम करने दे तो हम अभी भी दस दिन में ठीक कर देंगे। गांव के लोगों के मन में ऐसा विश्वास था। परन्तु समाचार माध्यमों के जरिये लोक अभिक्रम को इस प्रकार बदनाम किया गया जिससे सहयोग करने वाली संस्था की लोक हंसाई हो और लोक अभिक्रम पर अंकुश लगे।

"अब तो सरकार के लोग खुश हैं। यह बांध खुशी लेकर ही बना था, इसने सबको खुशी दी। इसके पानी से हम और आसपास के गांवों के लोग खुश थे।"

जब बांध टूट गया और उच्च न्यायालय ने दोनों ओर से की गई याचिकाओं से संबंधित सरकार से जानकारी चाही तो उनके द्वारा पेश किये गये जवाब को देखते हुए न्यायालय ने दिनांक 29.8.2003 को केस डिसमिस कर दिया। इस सब से गांव के अभिक्रम को ठेस पहुंची थी जो ठीक नहीं है।

4

संस्था के कार्य ठीक प्रकार से चल रहे थे। राजेन्द्र सिंह अपनी जल यात्रा में लगे हुये थे। अगस्त के महीने में कुछ जल कर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा था। ब्रिटिश एम्बेसी से ब्रिटिश हाई कमीशन कार्यालय से फोन था। उन्होंने राजेन्द्र सिंह के संबंध में जानकारी चाही तो उन्हें बताया गया कि वह जल यात्रा में है और मोबाइल नम्बर दे दिया गया था। राजेन्द्र सिंह से उन्होंने बातें कीं और तरुण भारत संघ कार्यक्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम के लिये समय तय किया था।

"आगन्तुकों को क्षेत्र का भ्रमण कराया। उन्हें कार्यक्षेत्र में भ्रमण करना अच्छा लगा। तभी तो वह भांवता के सांकड़ा बांध में भरे पानी को देख कर आनन्दित हो गये थे। उनमें से दो-तीन सदस्य तो अपने कपड़े उतार कर कूद भी गये और खूब देर तक तैरे भी थे। उन्हें अच्छा लगा था।"

राजेन्द्र सिंह को जल यात्रा में से समय निकालना संभव नहीं था। इसलिए कन्हैया लाल का नाम बता दिया और भ्रमण की तारीखें निश्चित कर दीं। सब तय होने के बाद राजेन्द्र सिंह ने आश्रम में फोन द्वारा सूचित कर दिया। कुछ दिन बाद ब्रिटिश हाई कमीशन कार्यालय से, भ्रमण कार्यक्रम का विवरण सहित पत्र मिला। जैसा

राजेन्द्र सिंह ने बताया था, उसी के अनुसार पूरा कार्यक्रम बना था। निश्चित समय तिथि पर ब्रिटिश हाई कमीशन के सदस्य तरुण भारत संघ कार्यक्षेत्र में आ गये थे।

कन्हैया लाल जी ने पूर्व तय कार्यक्रम के अनुसार आगन्तुकों को क्षेत्र का भ्रमण कराया। उन्हें कार्यक्षेत्र में भ्रमण करना अच्छा लगा। तभी तो वह भांवता के सांकड़ा बांध में भरे पानी को देख कर एक साथ आनन्दित हो गये थे। उनमें से दो-तीन सदस्य तो अपने कपड़े उतार कर कूद भी गये और खूब देर तक तैरे भी थे।

यह काम लोक आधारित काम था। इसमें सरकार के किसी विभाग का सहयोग नहीं था। ब्रिटिश हाई कमीशन के सदस्यों ने गांव के लोगों से भी बातचीत की थी। एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के बाद ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग चले गए थे।

× × ×

अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह में तरुण आश्रम परिसर में जल भागीरथी फाउन्डेशन के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण चल रहा था। उसमें पृथ्वीराज सिंह ने सहज रूप से कहा कि मुझे जोधपुर जाना है वहां ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग आ रहे हैं। शायद प्रिन्स चार्ल्स आएं, ऐसी जानकारी है। तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं ने इसे एक सामान्य बात माना कि जोधपुर के राजघराने के अपने सम्बन्ध हैं, एक-दूसरे के यहां आते-जाते ही हैं। यह सब बड़े लोगों के काम हैं। वैसे भी बाहर से आने वाला जोधपुर-जैसलमेर तो जाता ही है।

अक्टूबर के महीने में ब्रिटिश हाई कमीशन कार्यालय से अवगत हुआ कि तरुण भारत संघ के कार्यक्षेत्र में प्रिंस चार्ल्स का कार्यक्रम है। इसे किसी को बताने की अभी जल्दी न करें, गोपनीय रखें। इस बीच दो तीन चार बार ब्रिटिश दूतावास से लोग आये। प्रिंस का राजस्थान कार्यक्रम का पत्र भी आ गया था। राजस्थान में सबसे पहले 3.11.2003 को तरुण भारत संघ के काम को देखने का कार्यक्रम था। फिर तिलोनियां गांव में जाना था। शाम को जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह जी से मिलना था। अगले दिन जोधपुर का कार्यक्रम था।

प्रिंस चार्ल्स के आने की सूचना संस्था के पदाधिकारियों ने 30 अक्टूबर को सार्वजनिक की थी। अगले दिन अलवर के समाचार पत्रों में छपी खबर से जन सामान्य को जानकारी मिली कि अलवर के एक छोटे से गांव भांवता में लंदन का राजकुमार आ रहा है। भांवता गांव में 25 अक्टूबर से ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से और आने-जाने के रास्तों की मरम्मत के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था। गांव वाले भी अपना पूरा सहयोग कर रहे थे। उन्हें अच्छा लग रहा था कि आज हमारे गांव में दुनिया पर राज करने वाले राजपरिवार का सदस्य आ रहा है।

तय की गई तिथि का समय पल-पल कम ही होता है। अगस्त से 3 नवम्बर तक की गतिविधियों को विराम देते हुए वह क्षण भी आ गया जिसका भांवता में एकत्र जन समुदाय

इन्तजार कर रहा था। जयपुर की ओर से आसमान के रास्ते दो हैलीकॉप्टर आते दिखाई दिये थे। हैलीकॉप्टर के लिए जगह निश्चित थी।

दो हेलीपैड बने हुए थे। जिन पर अंग्रेजी भाषा का शब्द एच लिखा हुआ था। वह एक संकेत चिह्न था। दोनों हैलीकॉप्टर बारी-बारी से जमीन पर आये। एक हैलीकॉप्टर से सुरक्षा दस्ते के बीच प्रिंस चार्ल्स उतरे तथा दूसरे से विदेशी मीडिया के लोग थे। कुछ लोग दिल्ली से ब्रिटिश दूतावास से आये थे। अलवर प्रशासन के लोगों ने भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की थी। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा प्रिंस के साथ-साथ रहने के लिए कुछ परिचय कार्ड दिये गये थे। जिनके पास वह कार्ड थे, सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को जाने दिया था।

प्रिंस चार्ल्स का हैलीकॉप्टर से उतरते ही स्वागत किया गया। राजेन्द्र सिंह, तेजवीर सिंह, डॉ. मनोहर सिंह आदि ने कुछ लोगों का परिचय कराया। गांव के लोगों ने अपने काम को दिखाना शुरू किया तो वह काम दिखाते-दिखाते हुये सांकड़ा बांध पर जा पहुंचे थे। प्रिंस ने अच्छी तरह से लोगों के काम को समझा और सराहना की। वहां प्रिंस ने राजेन्द्र सिंह को साथ लेकर बांध के भराव क्षेत्र में जन समुदाय से अलग टहलते-टहलते जल संरक्षण के विषय में लम्बी बातचीत करते हुए एक चक्कर लगाया था।

प्रिंस के गले में बहुत सी मालायें थी। उन्होंने अपने गले से उतार कर कुछ मालायें राजेन्द्र सिंह के गले में डाल दीं, घूमते-घूमते फिर बांध पर आये, जहां अरवरी संसद सदस्य खड़े थे। प्रिंस का सबके साथ परिचय हुआ। प्रिंस ने सभी सदस्यों से हाथ मिलाते-मिलाते बहुत ही आत्मीयता के साथ बातचीत की। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा था।

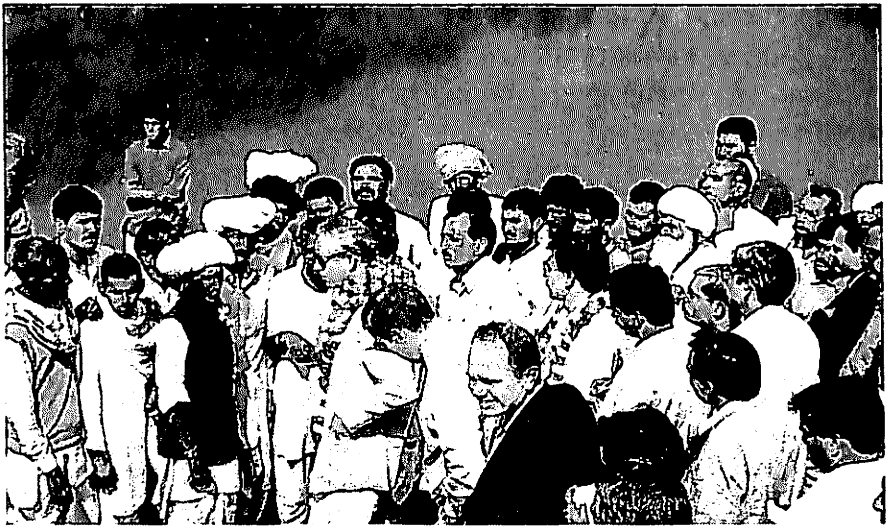

5

सांकड़ा बांध के काम को देखकर प्रिंस गांव के खेतों में बने कुओं के जल स्तर की जानकारी लेते हुए मीटिंग स्थल पर लोगों के बीच आये थे। जहां पूरे क्षेत्र से आया ग्रामीण जन समुदाय था। उनके बीच एक बहुत ही सामान्य सी कुर्सी पर बैठकर लोगों के मन की बातें सुनीं और उनसे बातें भी कीं। यहां किसी प्रकार की बन्दिशें नहीं थीं। प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षाकर्मी खड़े थे। पत्रकार अपनी नोट बुक में प्रिंस और जन समुदाय के लोगों के बीच में होने वाली बातों को लिपिबद्ध करने में लगे थे। फोटोग्राफर भी पीछे नहीं थे। उन्हें जो अच्छा दिखाई देता; वह उसे अपने कैमरे में कैद करने का हर संभव प्रयास करते थे। प्रिंस के साथ आये विदेशी मीडिया के लोग तो इतने सतर्क थे कि प्रिंस की एक-एक भाव भंगिमा की फोटोग्राफी व वीडियो फिल्म के जरिये प्रिंस की यादें अपने साथ ले जाने का जतन कर रहे थे।

"प्रिंस भी लोगों से बातचीत में यही कह रहे थे कि मुझे यहां आकर आपका काम देखकर बहुत ही अच्छा लगा। दुनिया में यह काम और फैले, ऐसा प्रयास करूंगा।"

प्रिंस भी लोगों से बातचीत में बार-बार कह रहे थे कि मुझे यहां आकर आपका काम देखकर बहुत ही अच्छा लगा। दुनिया में यह काम और फैले; ऐसा प्रयास करूंगा। अपने साथ यहां की यादें लेकर जा रहा हूं। अगर फिर कभी भारत आया तो आपके गांव जरूर आऊंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। यह सुन जन समुदाय ने प्रिंस की बातों की स्वीकारोक्ति में जोर से तालियां बजाई। अब समय बहुत हो चला था, ग्रामीणों के काम देखते और बातें करते हुए। समय का पता ही नहीं चला जबकि यहां का मात्र एक घंटे का कार्यक्रम था, दो घंटे बीत चले थे।

राजस्थान के दूसरे भागों में भी जाना था। प्रिंस और ग्रामीण जनों के बीच हो रही बातचीत के सेतु मनोहर सिंह राठौर थे। जिनके माध्यम से प्रिंस और ग्रामीण जन समुदाय आपस में बातचीत करने का आनन्द ले रहे थे। कुर्सी से उठते हुए प्रिंस ने सहज रूप से हाथ जोड़ कर विदा ली।

सभी ने प्रिंस को हैलीपैड तक पहुंचाया। प्रिंस के हैलीकाप्टर में बैठते ही हैलीकॉप्टर की पंखुडियां घूमने लगी थी। सभी लोग पीछे हटने लगे और हैलीकॉप्टर ने ऊपर उठते हुए रवानगी ली थी। प्रिंस भांवता गांव में आये और चले गए। अलवर के इस छोटे से गांव का

"अलवर के इस छोटे से गांव का इतिहास जब कभी लोग पढ़ेंगे तो एक बार अचंभित तो जरूर होंगे कि ऐसा कौन सा बड़ा काम किया था, हमारे बुजुर्गों ने, जिसे देखने के लिए प्रिंस को लंदन से भांवता आना पड़ा था।"

इतिहास जब कभी लोग पढ़ेंगे तो एक बार अचंभित तो जरूर होंगे कि ऐसा कौन सा बड़ा काम किया था, हमारे बुजुर्गों ने, जिसे देखने के लिए प्रिंस को लंदन से भांवता आना पड़ा था। इससे समाज कुछ न कुछ सीखेगा और अच्छा काम करेगा। गांव में अच्छे लोगों का आगमन होगा तो समाज में गति रहेगी।

तरुण भारत संघ के लिए यह वर्ष अपने इतिहास काल में सबसे अच्छा गुजरा था। प्रकृति की रक्षा के लिए जलयात्रा जारी थी। उसे एक वर्ष की समयावधि बीत चुकी थी। उसकी प्रगति से राजेन्द्र सिंह और कार्यकर्ता उत्साहित थे। संस्था के कार्यक्षेत्र में रचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के कार्यक्रम चल रहे थे। अकाल में भी समाज गतिशील था। संस्था द्वारा किये जा रहे सामाजिक काम को देखने के लिए देश के अन्य प्रान्तों से भी राजनैतिक लोग आये थे।

तरुण भारत संघ

बीसवां कदम

1

विदेशी मेहमान स्वीडन से करीना जामलीन-डवलपमेंट मिनिस्टर का तरुण भारत संघ के काम को देखने के लिये एक दिन का समय निकालना अपने आप में महत्वपूर्ण था। वह 21 जनवरी 2004 को संस्था कार्यक्षेत्र में सर्दी के मौसम में आई। उनका यह दिन सुबह से ही बहुत व्यस्त था। पहले कुमारप्पा संस्थान-जयपुर के कार्यक्षेत्र टोंक में गई थी। फिर वहीं से वापसी में अलवर आना था। अलवर के काम देखने के बाद पांच बजे वापस जयपुर भी जाना था। इस सबको देखते हुए समय बहुत कम था। भागदौड़ ज्यादा थी। हम दौसा में सब व्यवस्था करके लील्याँ-गांव में आ गये थे।

लील्याँ गांव में पहुंचे जहां सुबह से ही महिला-पुरुष एनिकट पर जमा थे। सभी खेतिहर लोग थे। अधिकतर लोगों की खेती इसी एनिकट पर थी। किसान वहीं अपने खेतों में पानी लगा रहे थे। महिलायें अपने बच्चों को गोद में लिए हुए आ पहुंची थी। एनिकट के पानी से सरसों की खेती की जा रही थी। सरसों की फसल से खेत भरे हुए थे। चारों ओर सरसों के बसन्ती फूल थे। ऐसा लग रहा था कि जमीन पर बसन्ती चादर बिछी हो। मैं और एम.एस.राठौर जयपुर से पहले लील्या गांव आ गये थे। उन्हें यहां सब कुछ देख कर अच्छा लगा था। एक लाइन में नदी के किनारे दस-बारह इंजन लगे थे। सबके अलग-अलग प्लास्टिक के पाइप थे। कुछ इंजन चल रहे थे, कुछ बंद थे। इंजन की देख-रेख में बड़े-बूढ़े बैठे थे। अपना हुक्का चिलम पी रहे थे। यह सब देख गांव का जीवन सुखद लगता था।

"गांव में पानी आया तो आधुनिक साधन भी कारगर साबित हुये। वरना क्या पहाड़ी पर सरसों के फूल खिल सकते थे? रबी की फसल से भरे खेत अपने पूरे यौवन पर थे। तभी तो राठौर साहब जैसे अर्थशास्त्री आश्चर्यचकित थे।"

गांव में पानी आया तो आधुनिक साधन भी कारगर साबित हुये। वरना, क्या पहाड़ी पर सरसों के फूल खिल सकते थे? रबी की फसल से भरे खेत अपने पूरे यौवन पर थे। तभी तो राठौर साहब जैसे अर्थशास्त्री आश्चर्यचकित थे। वे कभी एनिकट को देखते तो कभी एनिकट के निर्माताओं की ओर देखते। तो कभी दूर-दूर तक फैली गांव की जीवनदायिनी खेती को निहारने लगते थे। फिर भी जिज्ञासा कहां शान्त होने वाली थी? लोगों के पास जाकर अपने तरीके से बातों-बातों में सवाल करते और लोगों के जवाब पाकर ही जिज्ञासा की संतुष्टि करते। उन्हें यह सब करना अच्छा लग रहा था।

हमें दौसा भी आना था, अतिथियों की भोजन व्यवस्था दौसा में थी। मैंने चलने के लिए कहा तो राठौर साहब बोले, "आप जाओ। मैं लोगों से बात करता हूं।" मैं उनकी बात मानकर दौसा चला गया था। डेढ़ बजे के लगभग राजेन्द्र सिंह अतिथियों को लेकर दौसा पहुंचे थे। अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था में जयपुर-दौसा-अलवर की पुलिस तैनात थी। जयपुर से सुरक्षा व्यवस्था तो साथ थी ही। दौसा में भोजन लेकर लील्याँ गांव की ओर चल दिये थे। साढ़े तीन बजे के लगभग हम लील्याँ एनिकट पर पहुंचे। यह एनिकट सरसा नदी पर लोगों ने अपने हाथों से बनाया था।

गांव की खेती-बाड़ी को देखते हुए अतिथिगण एनिकट की ओर चल रहे थे। चारों ओर सरसों के फूलों की महक और बसन्ती रंग, हर किसी का मन मोह लेता था। पगडण्डी पर चलते-चलते पैर रुक जाते थे। नजर भर देखने से मन एक बार खुश हो जाता। कुछ सवालों को भी जगह मिलती तो वे भी बीच-बीच में आ जाते थे। इसके लिए अब राठौर साहब अपने हिसाब से जवाब देने में गांव की ओर से सक्षम थे। एनिकट पर पहुंचते ही गांव वालों ने अतिथियों का स्वागत किया। स्वीडन की विकास मंत्री के हाथ से एनिकट का लोकार्पण कराया। मंत्री जी ने खड़े-खड़े ही लोगों को सम्बोधित किया और विदा ली।

पांच बजे जयपुर पहुंचना था, इसलिए बहुत जल्दी थी। चार बजे अतिथि लील्याँ गांव से चले गए लेकिन अपनी याद एनिकट की पाल पर लिखे शिलालेख के रूप में छोड़ गये। आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि कभी यहां स्वीडन की विकास मंत्री करीना जामलीन आई थीं।

2

राजेन्द्र सिंह की जलयात्रा का असर देश के दक्षिणी भागों में परवान पर था। एक साल पहले दक्षिणी भागों में की गई जलयात्रा वहां की जनता के लिए हितकर हो रही थी। वहां के लोग अब अलवर के छोटे-छोटे गांवों में जल संरक्षण का कार्य देखते और अपने क्षेत्र के जल-संकट का समाधान इसी में तलाशते थे। अलवर के लोगों ने अपने गांव में जल संचय का जो कार्य किया था, यही कार्य अब देश के लिए उपयोगी और अनुकरणीय हो गया था। तभी तो कर्नाटक, महाराष्ट्र के मंत्रीगण गांव-गांव जाकर जल-संरक्षण की विधियों को देखते और लोगों से बातचीत करते थे।

"यह काम और इसके नतीजे स्वयं इतने स्पष्ट हैं कि श्री राजेन्द्र सिंह से और कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं रही। आज का दिन मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए प्रकाश का, दीपावली का दिन है। मैं श्री राजेन्द्र सिंह जी, धन्नाराम जी और अर्जुन बाबा का आभारी हूं। मेरा महाराष्ट्र उनसे कुछ शिक्षा पाकर आगे जरूर बढ़ेगा।"

6 फरवरी 2004 को तरुण भारत संघ के द्वारा किये जा रहे समाज आधारित कार्यों को देखने के लिए महाराष्ट्र के श्रममंत्री डॉ. हेमन्तराव देशमुख भीकमपुरा आये थे। उन्होंने गांव के रजिस्टर में लिखा था कि- "भांवता और कोल्याला के दोनों गांवों के लोगों ने जल संरक्षण का असाधारण काम श्री राजेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में किया है, वह बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है। श्री धन्नाराम जी और अर्जुन बाबा दोनों ग्रामीण नेताओं के निर्देशन में यह काम हो रहा है। वे दोनों गुरु समान हो गये हैं। मैं पिछले चालीस पैंतालीस सालों से सार्वजनिक काम कर रहा हूं। जल संरक्षण की दृष्टि से थोड़ा बहुत काम भी कुछ सालों से कर रहा हूं, तो भी ऐसा कहूं कि इन महानुभावों का काम देखकर मुझे एक नया दृष्टिकोण मिला है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। ग्रामीण भारत के प्रति मेरी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई है। इसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं है।"

ऐसा ही कुछ कर्नाटक के सिंचाई मंत्री डी.आर.पाटिल ने लोगों के काम को देखकर व समझ कर अपने विचार व्यक्त किये थे। यहां के लोगों की जो समय शक्ति अपने काम में लगी थी, उसके प्रत्यक्ष लाभ से वही लाभान्वित हो रहे थे लेकिन प्रेरित दूसरे लोग हो रहे थे।

3

जल संरक्षण के कार्यों को अप्रैल 2004 में राजस्थान प्रदेश के सिंचाई सचिव श्री डी.सी. सावन्त जी ने देखने की जिज्ञासा प्रकट की। यह संस्था के लिए सुखद था, क्योंकि 1985 से वर्ष 2003 तक बीते समय में यह पहला अवसर था जब राजस्थान सरकार का एक उच्च अधिकारी स्व-प्रेरित भावना से तभासं का कार्य देखना चाहता था। वरना अलवर के सिंचाई विभाग की आंखों में तभासं के जल संरक्षण के कार्य किरकिरी बने हुये थे।

श्री डी.सी.सावन्त के अनुरोध पर तभासं के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह, श्री कन्हैयालाल, श्री गोपाल सिंह, श्री जगदीश जी आदि ने भ्रमण कार्यक्रम का समय तय करके सूचित किया। 8 अप्रैल 2004 को श्री सावन्त जी तयशुदा तिथि पर थानागाजी पहुंचे। वहां से संस्था के पदाधिकारियों के साथ सरिस्का गये। सरिस्का में भोजन के उपरान्त उन्होंने क्षेत्रीय भ्रमण किया। गढ़बसई, भांवता, हमीरपुर, माण्डलवास, लील्या, धीरोड़ा के कार्यों को देखा।

"तरुण भारत संघ ने जो काम किया है, इसको और बढ़ाना चाहिए, इसके बढ़ाने से राजस्थान को लाभ होगा। मैं ऐसे पानी के काम करने वाले लोगों को बधाई देता हूं।"

भांवता गांव के रजिस्टर में इस प्रकार से अपनी टिप्पणी लिखी थी कि तरुण भारत संघ के सहयोग से गांवों में किये जा रहे जल संरक्षण-संवर्द्धन के कार्य से मैं बहुत ही प्रभावित हूं। राजस्थान के लिए पानी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसको बढ़ाना, बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तरुण भारत संघ ने जो काम किया है, इसको और बढ़ाना चाहिए, इसके बढ़ाने से राजस्थान को लाभ होगा। मैं ऐसे पानी के काम करने वाले लोगों को बधाई देता हूं। सावन्त जी के साथ महेन्द्र सिंह शेखावत, वरिष्ठ अभियंता, सिंचाई विभाग अलवर भी थे। भ्रमण के दौरान दोनों अधिकारियों ने तरुण भारत संघ के साथ कार्य करने की इच्छा प्रकट की।

तभासं द्वारा किये जा रहे जल संरक्षण के कार्यों में श्री शेखावत जी ने तकनीकी सहयोग करने को कहा। ऐसी कोई भी साइट जो जल संरक्षण के लिए उपयोगी हो, उसमें जन सहयोग का अभाव हो, उस कार्य में अलवर सिंचाई विभाग की तरफ से पूरी मदद करने का आश्वासन दिया।

जुलाई में राजस्थान सरकार ने राज्य में निरन्तर बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण व संवर्द्धन के लिए एक कमेटी का गठन किया। यह कमेटी आई.डी.एस. के पूर्व

निदेशक श्री व्यास की अध्यक्षता में गठित की गई। इसमें जलदाय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग शामिल थे। इस कमेटी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को सदस्य बनाया गया था। कमेटी के द्वारा जल संरक्षण व उपयोग संबंधी कई उप कमेटी बनाई गई थीं जिसमें जल का सिंचाई में किस प्रकार से उपयोग हो। इस कमेटी के अध्यक्ष, तभासं के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह थे। इनकी अध्यक्षता में प्रत्येक माह बैठक की जाती थी। सुझावों को संकलित किया जाता था। इस कमेटी में राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित थे। इसी प्रकार अन्य कमेटी थी, जो अपने से संबंधित बैठकों में सुझाव संकलित करती थी। संकलित सुझाव 'व्यास कमेटी' के नाम से जाने गये थे। व्यास कमेटी को 30 जून, 2005 तक अपनी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को देनी थी जिसके आधार पर राजस्थान की भावी जलनीति में सुधार किया जाना था।

राज्य में प्राकृतिक रूप से सदियों से जल संकट रहा है, फिर भी यहां के समाज ने अपने लिए उपयोगी जल संरक्षण के साधन विकसित किये। राज्य में आधुनिक विकसित खेती, बढ़ती जनसंख्या, विलासी जीवन की बढ़ी प्रवृत्ति के कारण जल का उपयोग बढ़ा है। बढ़ते जल उपयोग को देखते हुए,जल संसाधन दिन-प्रतिदिन घट रहे हैं। नये जल संसाधन भू-जल दोहन को देखते हुए ना के बराबर विकसित हो रहे हैं। जहां कहीं समाज स्वयं अपने अभिक्रम से जल संरक्षण के कार्य करता है, वहां सरकार की ओर से कानूनी टांग अड़ाई जाती रही है, समाज का मनोबल तोड़ा जाता है। इसलिए तरुण भारत संघ ने आज के परिप्रेक्ष्य में भू-जल दोहन से संबंधित दस्तावेज तैयार किया।

राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने 25 फरवरी, 2005 को भू-जल संरक्षण सम्मेलन, जयपुर में किया। राजस्थान जल बिरादरी ने इस कार्य में सरकार को तत्परता से मदद करने के लिए सक्रिय किया और राज्य के सभी इलाकों में भू-जल दोहन के दुष्प्रभावों के प्रति जनता को जागृत किया। तभासं राज्य के घटते भू-जल की समस्याओं को लेकर समाज और न्यायालय द्वारा अपनी बात सरकार के कानों व विभाग में पहुंचाने का प्रयास करता रहा है।

4

देशव्यापी जलयात्रा के अनुभवों से तरुण भारत संघ का जल संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर दायरा बढ़ गया था। तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों का अपना अनुभव जल संरक्षण के काम आ रहा था। जल संरक्षण से लेकर जल प्रदूषण तक की ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो अब हमारे दायरे में नहीं थी। कई गांवों में जहां जल दूषित था, वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। ग्रामीण लोग दूषित जल को बड़ी कंजूसी के साथ पीने में इस्तेमाल करते थे।

राष्ट्रीय जलयात्रा में जल के जो दर्शन हुए, उसके कष्टदायी दृश्यों ने राजेन्द्र सिंह को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से आन्दोलित कर दिया था। जलयात्रा के समाप्त होते ही देश में विभिन्न प्रकार की जल समस्याओं के समाधान की तलाश में राजेन्द्र सिंह ने अपने मित्रों से सतत सम्पर्क बनाये रखा। उनके क्षेत्र में जाकर अपने से जो हो सका, करने का प्रयास किया।

उत्तर प्रदेश व उत्तरांचल में नदी के जल को लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वहां का समाज जूझ रहा था। हिन्डन नदी भी प्रदूषण के कारण उन दिनों चर्चा में थी, जिसके लिए तरुण भारत संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चिन्तित थे और उसे प्रदूषण मुक्त करने में लगे थे।

हिण्डन नदी (उत्तर प्रदेश) अपने उद्‌गम स्थान सहारनपुर से नोएडा तक उद्योगों के विषर्जित दूषित जल से पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुकी है। तभासं के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में नदी प्रदूषण मुक्ति आन्दोलन चलाया गया। आन्दोलन में क्षेत्रीय समाज-सेवियों को सक्रिय किया गया। गांधी शान्ति प्रतिष्ठान (दिल्ली) के श्री रमेश भाई, अरुण तिवारी,कई वकीलों व विशेषज्ञों का सहयोग लेकर राजेन्द्र सिंह ने दो चरणों में नदी के दोनों ओर के 350 से अधिक गांवों में चेतना यात्रा की।

''पूरे नदी क्षेत्र में एक हलचल हुई। सरकार और उद्योगपति भी सक्रिय हुये। विषय-विशेषज्ञों की लेखनी चलने लगी। पत्र-पत्रिकाओं में हिण्डन आई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2005-2006 के बजट में 200 करोड़ का बजट हिण्डन प्रदूषण मुक्ति के लिए रखा।''

हिण्डन नदी को लेकर इस क्षेत्र में यह पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान महसूस किया गया कि

समाज में नदी के प्रति अपनत्व का भाव कम होता जा रहा है। फिर भी समाज के साथ चर्चा जरूरी है। इसलिए पूरे नदी क्षेत्र में यात्रा हुई जिससे सरकार और उद्योगपतियों में समझ पैदा हुई । विषय-विशेषज्ञों की लेखनी चलने लगी। पत्र-पत्रिकाओं में हिण्डन प्रदूषण मुक्ति के लिए लिखा जाने लगा।

तरुण भारत संघ के प्रयासों का ही यह परिणाम था कि हिण्डन जैसी दूषित नदी को प्रदूषण मुक्ति के लिए सरकार सजग हुई थी। उद्योगों पर दबाव बना और 'हिण्डन में दूषित पानी न छोड़ो' के नारे लगे। उद्योगों पर संयंत्र से पानी का शुद्धिकरण करने का दबाव बढ़ा और नदी क्षेत्र के गांवों में संगठन सक्रिय हो गये । जिसका परिणाम हुआ कि गांवों ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया जिससे प्रशासन सक्रिय हो गया और यहां तक कि लोगों ने 2007 के विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की घोषणा कर दी । फलतः राजनैतिक माहौल एकदम गरमा गया और सहारनपुर से नोएडा तक के गांवों के राजनैतिक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से हिण्डन प्रदूषण मुक्ति के लिए कार्यरत हो गए।

5

तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों को देश भर में जलयात्रा करते हुए एक लम्बा समय हो गया था। अब जल यात्रा का समापन एक ऐसे स्थान पर करना था जहां से नयी शक्ति मिले और जल संकट की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा स्थान सब से अधिक उपयुक्त चित्रकूट ही लगा था। इसलिए पूर्वी भारत में जलयात्रा के बाद, समापन की प्रक्रिया चित्रकूट में सम्पन्न हुई थी।

जनवरी 2003 से शुरू की गई जल साक्षरता यात्रा देश के 26 राज्यों में की गई। यात्रा का समापन समारोह 19-20 मई, 2004 सर्वोदय आश्रम, चित्रकूट में किया गया। इस सम्मेलन में उत्तरी व पूर्वी भारत की यात्राओं का वर्णन हुआ। उत्तर प्रदेश में केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए आह्वान किया गया। बिहार, झारखण्ड, असम, बंगाल, नेपाल व बांग्लादेश की नदियों के विषय में गहन चर्चायें हुईं।

राष्ट्रीय जलयात्रा के दौरान हजारों सभा, शिविर, सम्मेलन हुए। जन साधारण से लेकर देश के जलविशेषज्ञों के विचार सुने-समझे। जल संबंधी समस्याओं से ग्रसित समाज के दर्शन किये,जो इस जल यात्रा का सबसे बड़ा सबक था। उसकी जो भी तस्वीर देखी थी, उसे भी समाज को बताना था कि भारत के ग्रामीण अंचल और शहरों में जल के कैसे-कैसे संकट हैं ? उनके निदान में क्या-क्या हो रहा है? इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इन सवालों के जवाब तो वर्तमान में हमारी सत्ताधारी सरकारों के पास नहीं हैं। ऐसी स्थिति में समाज को अपने जल को बचाने के लिए कुछ तो करना ही चाहिये। यही एक उपाय ठीक लगता है। इसलिए 25-26 जून 2004 को एक राष्ट्रीय जल सम्मेलन करने का तय किया गया।

25-26 जून, 2004 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय जल यात्रा के अनुभवों पर खुली चर्चा की गई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सदस्यों ने अपनी-अपनी समस्या और उसके समाधान के तरीके से उपस्थित जनों को अवगत कराया। सम्मेलन में पूर्व केन्द्रीय सरकार के द्वारा बनाई गई जल नीति 2002 की खामियों पर गम्भीर चर्चा हुई और सम्मेलन में आये सुझावों से वर्तमान केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया गया। नदी जोड़ परियोजना के लागू करने से पहले वैकल्पिक उपायों पर गहनता से विचार करना तथा सभी नदी घाटी क्षेत्रों का पर्यावरणीय एवं जैविक विविधता के आधार पर अध्ययन करना आदि सुझाव दिये गये।

“हमारा भारत देश दुनिया में अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के लिए अपनी तरह का अनोखा देश है, जिसमें हर प्रकार की जलवायु विद्यमान है। उसके संरक्षण, संवर्द्धन का सवाल अब देश के सामने है।”

हमारा भारत देश दुनिया में अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के लिए अपनी तरह का अनोखा देश है, जिसमें हर प्रकार की जलवायु विद्यमान है। उसके संरक्षण, संवर्द्धन का सवाल अब देश के सामने है। देश का जो भी वातावरण अब बना हुआ है, वह सब हमारी भूल कहें या गलती; उसी का परिणाम है। इसको और बढ़ाने में सरकार ने भी आग में घी डालने का काम किया है। सरकार ने ऐसी पर्यावरण नीतियों को अंजाम दिया है जो पर्यावरण को बिगाड़ने में सहायक सिद्ध हुई हैं। नई नीति के लिए भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही थी। यह सब देखते हुए तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने भारत सरकार की नई नीति पर 25 अक्टूबर को पहल करने का मन बनाया था।

अक्टूबर 2004 में पर्यावरण नीति का प्रारूप इकोनॉमिक अफेयर मंत्रालय ने तैयार किया और तीन नवम्बर तक जनता के सुझाव मांगे गये। इस प्रारूप की सूचना इंटरनेट पर अंग्रेजी में दी गई, जबकि 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। 2 प्रतिशत से कम लोग अभी भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और 3 प्रतिशत से भी कम जनता अंग्रेजी जानती है। ऐसी हालत में जनता के सुझाव सरकार तक कैसे पहुंचते? अतः तरुण भारत संघ ने पर्यावरण नीति को लेकर व्यापक पैमाने पर देश भर में जन संवाद शुरू किया जिसमें देश की स्वयं सेवी संस्थाओं, सरकारी अधिकारी व विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों से पर्यावरण नीति के प्रारूप पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद सरकार को जनता के सुझावों से अवगत कराया गया।

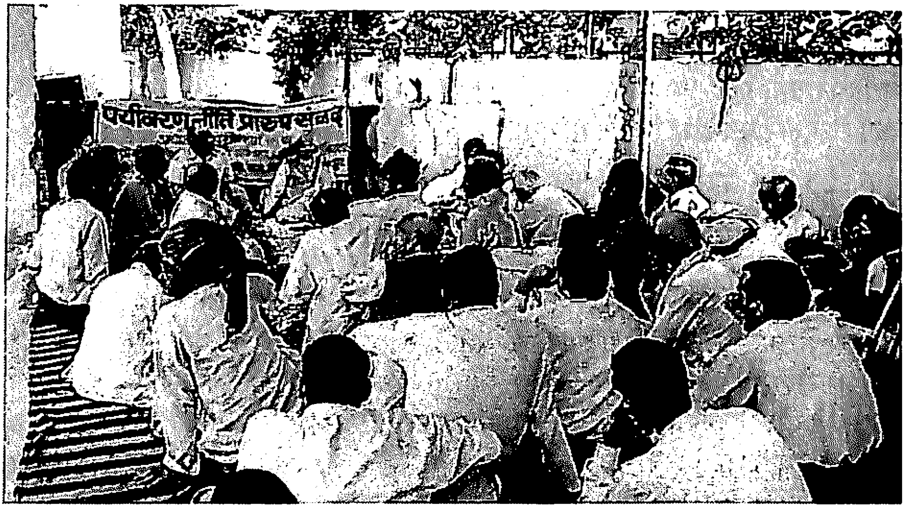

तरुण भारत संघ

इक्कीसवां कदम

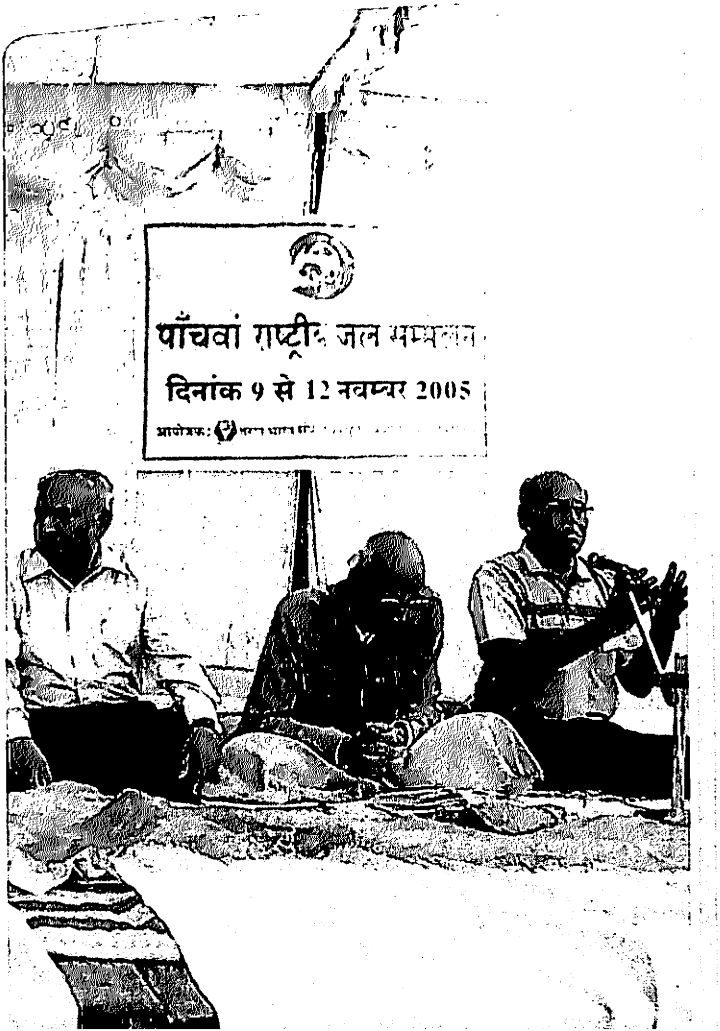

1

अक्टूबर 2005 संस्था के कार्यों के साथ-साथ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्राम सभाओं के सम्मान के महीने के रूप में रहा था। संस्था ने सबसे पहले अपने उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया था, जिन्होंने भीकमपुरा कार्यक्षेत्र में बीस साल पहले कार्यक्षेत्र चुन कर कार्य शुरू किया था। केदार श्रीमाल और हनुमान जाट को दो अक्टूबर के मौके पर सम्मानित किया गया था।

इस महीने में संस्था के पदाधिकारियों ने दो अक्टूबर को ग्राम सभा सम्मेलन में तीन ग्राम सभाओं को सम्मानित किया था जिन्होंने जल संरक्षण के अच्छे रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित किया था। अरवरी क्षेत्र के 30 स्कूलों के छः सौ बच्चों को खेल प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार दिये गये। चार अक्टूबर को राजेन्द्र सिंह को बजाज पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए सार्वजनिक घोषणा हुई थी जिसे लेने राजेन्द्र सिंह 4 नवम्बर को मुम्बई गये थे। 16 अक्टूबर को भोपाल में मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री बलराम जाखड़ ने तरुण भारत संघ की तीन महिला कार्यकर्ता छोटी, दरबी और नर्मदा को 'ओजस्विनी' पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह सब समाज में कार्य करने के लिए प्रेरित करने और सदैव उत्साहित करने के लिए सम्मान था।

"जल की समस्यायें अब सीधे-सीधे आदमी... गरीब, किसान को संकट में डाल रही हैं। अब हमारे देश का पानी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में पहुंचेगा। इससे देश को बचाना वर्तमान समय की मांग है।"

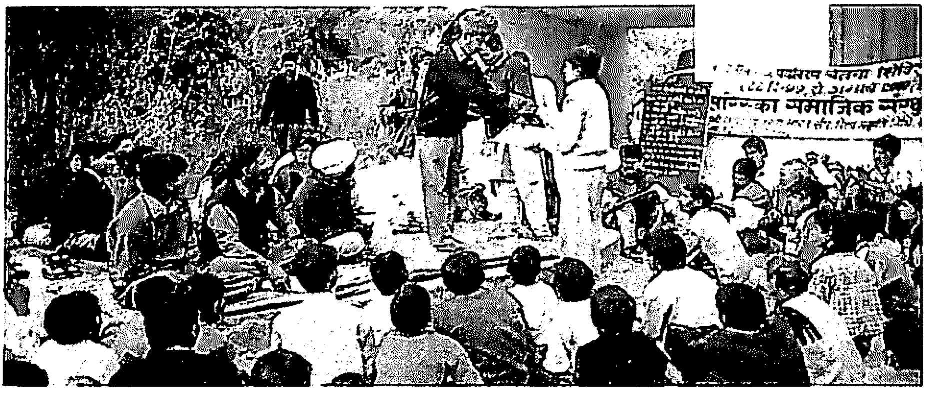

2

इस वर्ष जल-संरक्षण, जल-नीति, नदी-जोड़ परियोजना और जल का निजीकरण जैसे विषयों को लेकर देश में जल साक्षरता को प्राथमिकता देते हुए अभियान चलाया, जिससे देश के अन्य भागों में जल-संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा मिला। देश के विभिन्न इलाकों में जाकर राजनैतिक, सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यमों से जल-संवाद चलाया गया।

जल पैरवी की कोशिशों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तरुण भारत संघ द्वारा राष्ट्रीय जलनीति को जनोन्मुखी व जल जरूरत पूरा करने वाली बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर सुझाव दिये गये थे। जिनके बिन्दु निम्नवत् थेः

- जल-नीति जनोन्मुखी हो।
- जल पर मालिकाना हक जनता का हो।
- जल के निजीकरण से भारतीय समाज में होने वाली समस्याओं से जनता को आगाह करना।
- जल-संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ाने पर जोर देना।
- नदी जोड़ योजना को शुरू करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 9 से 12 नवम्बर 2005 को एक जल सम्मेलन करने का मन बनाया गया और इसके लिए देशभर से जल बिरादरी के सदस्यों को आमंत्रित किया गया।

जल बिरादरी का जल सम्मेलन दिनांक 9 से 12 नवम्बर तक तरुण भारत संघ, भीकमपुरा में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में छः देशों और 22 राज्यों के लगभग 1500 महिला-पुरुषों ने भाग लिया था। सम्मेलन में देश और राज्यों की जल नीति पर भी संवाद हुए। सभी विचारों को समाहित करते हुए जल संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास के लिए एक कार्ययोजना तय की गई जिसे भीकमपुरा घोषणा पत्र के नाम से जाना गया।

'भीकमपुरा जल घोषणा-पत्र'

1. जल बिरादरी सर्वसम्मति से जल के व्यवसायीकरण तथा निजीकरण का विरोध करती है और ऐसी व्यवस्था लागू करने की सरकार की नीयत के विरोध में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का प्रण लेती है।

2. जल बिरादरी की स्पष्ट राय है कि वर्तमान जलनीति पानी के व्यवसायीकरण और निजीकरण का रास्ता खोलती है जो कि समाज को पानी के मालिकाना हक से बेदखल करेगा। नदी जोड़ परियोजना भारत के लोगों, खेतों तथा प्रकृति की प्रत्येक इकाई को पानी नहीं पिला सकती, बल्कि यह परियोजना पानी की वर्तमान सामुदायिक जल प्रबंधन व्यवस्था को तोड़कर पानी की कमी और वर्तमान जलनीति तथा नदीजोड़ परियोजना का विरोध करे। बिरादरी का विश्वास है कि समुदाय आधारित जल प्रबन्धन ही इसका एकमात्र व सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। पानी को मूल आवश्यकता बनाने भर से काम नहीं चलेगा, पानी पर समाज के हक को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
3. जल बिरादरी मांग करती है कि सरकार प्रस्तावित लाभार्थी एवं भागीदारों को नदीजोड़ परियोजना की विस्तृत एवं छोटी से छोटी जानकारी मुहैय्या कराये। जब तक सरकार नदी जोड़ मसले पर जनमत प्राप्त नहीं करती, तब तक जल बिरादरी इस परियोजना के क्रियान्वयन को लागू नहीं होने देने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
4. जल प्रदूषण नियंत्रण के मोर्चे पर पूरे देश में नकारा साबित होते सरकारी तंत्र को लेकर जल बिरादरी चिंतित है, अतः बिरादरी मांग करती है कि सरकार जल प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करे। यदि वर्तमान कानून प्रभावी नहीं हों, तो नए प्रभावी कानून बनें और उचित निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित हो।
5. सरकार व बाजार द्वारा समाज, संस्था व व्यक्तियों द्वारा उठाए जा रहे रचनात्मक कदमों की उपेक्षा की जा रही है। बिरादरी मानती है कि इससे सभी स्तर पर और सभी प्रकार के जल विवाद बढ़ रहे हैं। नदी जोड़ ऐसे विवाद और बढ़ायेगा। यह समय है कि सभी अपने स्वार्थ त्याग कर अन्याय के प्रतिकार के लिए एकजुट हों। एकजुटता से ही सभी का अस्तित्व बचेगा। इस विचार को कार्यरूप देने के लिए बिरादरी पूरे देश में जल साक्षरता मिशन इकाइयों के गठन की पहल करेगी। यह मिशन छोटी जल संरचनाओं के निर्माण समेत जल से जुड़े सभी पहलुओं के प्रति संबंधित जनों की समझ बनाने व प्रेरित का काम करेगा।

यह सम्मेलन दो स्तर पर आयोजित किया गया था। एक तो राष्ट्रीय जल बिरादरी की कार्यकारिणी की बैठक थी। बैठक में नव गठित जल बिरादरी को सक्रिय करने पर विचार और भावी रणनीति व नियम भी बनाये गये। दूसरा, दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गहन चिंतन करना था।

जल की समस्यायें अब सीधे-सीधे आम आदमी, गरीब, किसान...तथा गांव-शहर सभी को संकट में डाल रही हैं। अब हमारे देश का पानी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में पहुंचने लगा है, इससे देश को बचाना वर्तमान समय की मांग है। नदी जोड़ परीयोजना देश की दुर्दशा कर देगी, नदियों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। नदियों के नष्ट होने से हमारी संस्कृति भी नष्ट होगी। ऐसे अनेक खतरे अभी तत्काल नजर आ रहे थे। इन पर सरकार के साथ तुरन्त संवाद करना शुरू किया गया था। क्योंकि सरकारी दृष्टिकोण इसे प्रोत्साहन और अधिक योजनाबद्ध तरीके से प्रभावित कर रहा है। इसलिए देश की केन्द्रीय सरकार के साथ और राज्यों की सरकारों के साथ सतत संवाद की जरूरत महसूस की गई थी।

सबसे पहले भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, दिल्ली के साथ राजेन्द्र सिंह की कई दौर की बातचीत के बाद जल साक्षरता संबंधित मुद्दे युवा कार्यक्रमों की प्राथमिकता बन सके। नेहरू युवा केन्द्र, संगठन ने वर्ष 2006 के अपने कार्यक्रमों में जल संरक्षण को खास तवज्जो दी थी। तरुण भारत संघ के राजेन्द्र सिंह ने दिल्ली, पटना, रतलाम आदि में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में भाग लेकर पूरा सहयोग किया था।

तरुण भारत संघ ने युवा वर्ग को जल संरक्षण कार्य की समझ विकसित करने में पूरा सहयोग दिया। युवा वर्ग ने दो दिन से लेकर दो माह तक संस्था के कार्यक्षेत्र में रहकर अपने-अपने अध्ययन किये हैं। उनके अध्ययन में संस्था के सभी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पूरा सहयोग किया। गांव में उन्हें कहीं रहना पड़ा, तो उसके लिए व्यवस्था की। जो जानकारी चाहिए थी, उसे उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास किया, जिससे उनके अध्ययन में कोई बाधा न आये। यह सब इतनी रुचि से करना होता है कि युवा वर्ग के मन में भी गांव की मिट्टी के साथ एक लगाव हो जाये। यह सब काम अपने आप स्वत: चलते रहते थे। संस्था के कार्यों में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं था।

तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान की सरकारों द्वारा राजेन्द्र सिंह को जल-नीति बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति में रखा गया था। सभी समितियों में उन्होंने सामाजिक हित के पहलुओं पर स्पष्टता से विचार दिए। ऐसे मसौदों को नीतियों में जुड़वाने का प्रयास भी किया। राज्य सरकारों के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के द्वारा तभासं द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी के लिए क्षेत्र में किए गए शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रमों में तरुण भारत संघ ने बराबर सहयोग किया। कार्य की दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से भी सहयोग किया।

राज्य सरकारों के निमंत्रणों पर उनके कार्यक्रम में भाग लिया। जल समस्या, समाधान, समाज की सहभागिता बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर राजेन्द्र सिंह की पूरे भारत में संवाद बनाने की पुरजोर कोशिश जारी है।

पानी के कार्यों में रुचि रखने वाली संस्थाओं ने वैचारिक स्पष्टता के लिए तरुण भारत संघ के कार्यों को देखा, समझा। ग्रामवासियों से बातें कर जानकारी ली। अपने क्षेत्र में तभासं के पदाधिकारियों को बुलाया। संस्था के कार्यों को देखने-समझने के लिए चाहे एक व्यक्ति आया हो या समूह में आये हों, संस्था के कार्यकर्ताओं ने पूरा समय दिया। व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने व समझने के जिज्ञासु-जनों से संवाद जारी रखने की प्रक्रिया को कभी बाधित नहीं होने दिया।

जल संरक्षण कार्यों में औद्योगिक घरानों ने भी रुचि ली। तरुण भारत संघ के कार्यों को देखा। गांवों में जाकर ग्रामीणों के साथ विचार-विमर्श करके जल-संरक्षण के कार्य शुरू किये। डालमिया परिवार ने तो राजस्थान में अपने पैतृक गांव चिड़ावा में बरसाती पानी को संगृहीत करने के लिए मकान की छत पर बरसने वाले पानी को टांके से जोड़ा है। वहां करीब 500 से अधिक टांके बनवाये हैं। स्थानीय समाज के लिए यह शुभ संकेत है।

राष्ट्रीय जल बिरादरी के जल सम्मेलन में जो मुद्दे उभर कर आये थे; उनकी जानकारी आम जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए तत्काल कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है। जल का निजीकरण सबसे ज्वलंत सवाल है कि इससे समाज को अवगत कराना अपना धर्म और कर्म दोनों ही है। इसलिए 16 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक जल साक्षरता अभियान राजस्थान और हरियाणा के 13 जिलों में चलाया गया। राजस्थान के अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा और हरियाणा के भिवानी, हिसार, रोहतक, महेन्द्रगढ़, झज्झर, रेवाड़ी तथा गुड़गांव जिलों के विद्यालयों, महाविद्यालयों और ग्रामसभाओं के साथ बैठक की गई जिनमें लाखों विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा आमजनों के बीच जल साक्षरता का संदेश पहुंचाया गया।

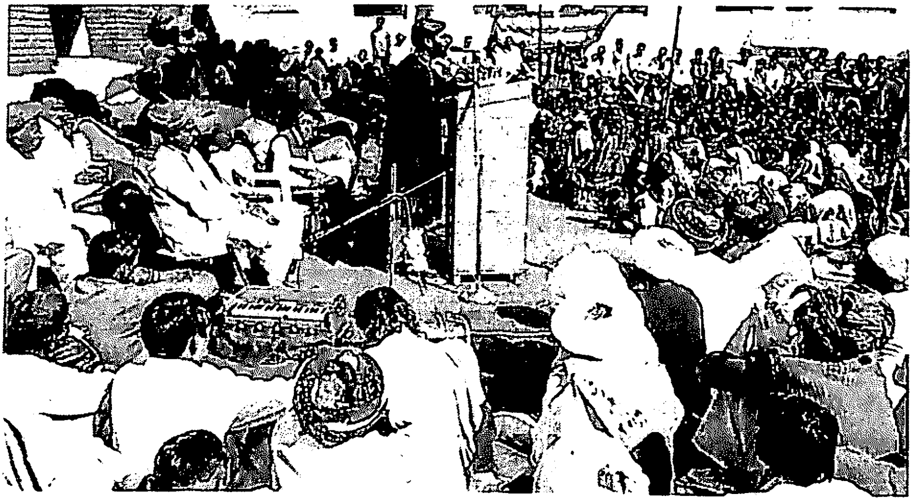

3

'जल जमात पदयात्रा' का निर्णय 13 नवम्बर को श्री सिद्धराज ढड्ढा जी की अध्यक्षता में तभासं की कार्यकर्ता बैठक में लिया गया था। जल जमात पदयात्रा के लिए 19 दिसम्बर का दिन तय किया गया। इसी तारीख को गांधी जी मुल्क के बंटवारे के वक्त ग्राम घासेड़ा मेवात (हरियाणा) में आये थे। लोगों से भारत में रहने का आह्वान किया था। मेवात जल जमात पदयात्रा के अवसर पर ग्राम घासेड़ा स्कूल में जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसान, अध्यापक, छात्र, हरियाणा राज्य के सरकारी अधिकारी, स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे।

जल सम्मेलन के बाद अतिथियों की अगुवाई में ग्राम घासेड़ा में 19 दिसम्बर को जल जमात पदयात्रा की शुरुआत हुई। यह यात्रा 45 किमी लम्बे रास्ते से ग्राम, कस्बे, शहरों में जल साक्षरता का संदेश देती हुई 25 दिसम्बर को राजस्थान के अलवर-तिजारा के हसनपुर गांव में पहुंची। वहां आम सभा हुई, जिसे क्षेत्र के लोगों ने और बाहर से आये मेहमानों ने संबोधित किया।

जल जमात पदयात्रा का मकसद मेवात क्षेत्र में लोगों को जल के प्रति जागरूक करना तथा यह संदेश पहुंचाना था कि अब समय आ गया है कि अपने पानी का संरक्षण करना हर व्यक्ति का पहला काम हो। पानी को ऐसे संरक्षित किया जाये ताकि उसका सामूहिक तौर पर लम्बे समय तक उपयोग किया जा सके। केन्द्रीय व राज्य की जल नीति की जानकारी भी दी गई। जल के निजीकरण के संबंध में भी बताया गया।

राजस्थान में बढ़ते भूजल दोहन, घटते जल स्रोतों को देखते हुए एक भूजल अधिनियम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। चारों ओर जल की त्राहि-त्राहि है, तो दूसरी तरफ जल के अत्यधिक दोहन से भूजल-स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा है। तभासं ने इस संदर्भ में पहल करते हुए राजस्थान सरकार को अवगत कराया था।

जयपुर में बढ़ते शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है।

"जयपुर में बढ़ते शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों पर आबादी का दबाव बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप गांवों का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है या फिर पानी के लिए गांव और शहरों में कशमकश चल रही है। बीसलपुर बांध के पानी को लेकर ग्यारह लोगों को पुलिस की गोली खानी पड़ी, फिर भी पानी नहीं मिला।"

परिणामस्वरूप गांवों का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है या फिर पानी के लिए गांव और शहरों में कशमकश चल रही है। बीसलपुर बांध के पानी को लेकर ग्यारह लोगों को पुलिस की गोली खानी पड़ी, फिर भी पानी नहीं मिला। यह पानी पर हक और मांग-आपूर्ति में आये असन्तुलन का झगड़ा है। पानी बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है और मांग अधिक है। इन सब तथ्यों पर विचार करने के लिए तभासं के अध्यक्ष व जल बिरादरी ने मिलकर प्रदेश भर में जल पंचायतों के माध्यम से जन सुनवाई का अभियान चलाया था। माचवां में बिल्डरों और ग्रामीणों के साथ संवाद हुआ। मेवाड़ की स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ घटते भूजल पर विचार-विमर्श किया गया।

तिलोनियां में ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों के साथ वैचारिक मंथन किया गया। डिग्गी जाट धर्मशाला में जल-पंचायत सम्मेलन किया गया तो भांवता में जल संरक्षण सभा का आयोजन किया गया था। मारवाड़ में जल संरक्षण सभायें की गईं तो शेखावाटी में जल-पंचायत सम्मेलन किया, थार व हाड़ौती में भी जल-पंचायत की गई। नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों का सघन रूप से क्रियान्वयन किया गया था। नदी घाटी के जन जागृति के काम देश-दुनिया के लिए जाने-पहचाने जाने लगे थे। तभी तो अरवरी जैसे नदी क्षेत्र के संगठनों की लोकप्रियता बढ़ी थी।

4

तरुण भारत संघ के लिए वर्ष 2005 विशेष उपलब्धि का वर्ष रहा था। 20 वर्षों में किये गये कार्यों को सरकारी व राजनीतिक स्तर पर पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा जाने लगा था। जिस 'जल की आवाज' को तभासं 20 वर्षों से गांव की गलियों, चौपालों, कस्बे, शहरों की सड़कों पर चिल्ला-चिल्ला कर समाज के बीच कहता आया था, वही आवाज एक दिसम्बर को संसद में भी गूंजी।

सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली लोक सभा कार्यालय से मिस्टर राव का फोन आया था। उन्होंने राजेन्द्र सिंह के बारे में जानना चाहा तो मैंने मोबाइल नं. दे दिया था। उन्होंने भी अपना नंबर लिखाया था। मैंने राजेन्द्र सिंह का नंबर मिलाया तो वह लग गया था। लोक सभा कार्यालय से आया संदेश राजेन्द्र सिंह को बता दिया। राजेन्द्र सिंह को वह फोन नम्बर भी लिखा दिए जो मिस्टर राव ने लिखाये थे। लोकसभा कार्यालय से राजेन्द्र सिंह के मोबाइल पर संपर्क हुआ होगा या राजेन्द्र सिंह ने सम्पर्क किया था, मालूम नहीं। लेकिन दोनों के बीच बातचीत हो गई थी।

''जिस जल आवाज़ को तभासं 20 वर्षों से गांव की गलियों, चौपालों, कस्बे, शहरों की सड़कों पर चिल्ला-चिल्ला कर समाज के बीच कहता आया था, वही आवाज एक दिसम्बर को संसद में भी गूंजी।''

राजेन्द्र सिंह से पूछने पर पता चला कि लोक सभाध्यक्ष माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में जल संकट समाधान के लिए एक समिति बनी है। संसद में समिति की ओर से 1 दिसम्बर को 'जल संरक्षण की समस्या और समाधान' एवं 'जल संरक्षण के लिए प्रभावी ग्रामीण स्तर की तकनीकी के अनुभव' विषय पर लिखित वक्तव्य देना है। भाषण का कार्यक्रम था। राजेन्द्र सिंह ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। उसके बाद प्रस्तुति का समय 1 दिसम्बर निश्चित था ही। इसलिए राजेन्द्र सिंह ने देश में बढ़ती जल समस्याओं के कारण और जल संरक्षण के उपाय पर लेख लिख कर भेज दिया। लोक सभा कार्यालय में लेख का अंग्रेजी और हिंदी में एक भाषण की पुस्तिका बना दी गई थी।

1 दिसम्बर 2005 तरुण भारत संघ के लिए शुभ दिन था, जब तरुण भारत संघ के राजेन्द्र सिंह लोक सभा के सभागार में देश में बढ़ती जल समस्या और समाधान पर अपने जल संरक्षण के अनुभवों की प्रस्तुति देने के लिए सही समय पर पहुंच गये थे। दिल्ली से

श्री अरुण तिवारी और जयपुर से श्री मनोहर सिंह राठौर साथ थे। सभा में आये सभी सदस्यों को तरुण भारत संघ द्वारा तैयार की गई पाठ्य सामग्री दी गई। राजेन्द्र सिंह ने लगभग एक घंटे में जल से संबंधित अपने अनुभवों का पावर प्रजेन्टेशन किया था। सभी ने बड़े धैर्य से सुना और सराहा था। सवाल-जवाब भी हुये। फोटोग्राफी भी हुई।

लोक सभा सभागार में राजेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये भाषण के कुछ अंश, झलकियां, घटनाक्रम:

सम्माननीय अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी, राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन, श्रीमती मार्गेट अल्वा और हाल में बैठे हुए सम्माननीय संसद सदस्यों, अधिकारियों, भाइयों और बहनों।

हम जानते हैं कि जब भी हमारे देश पर कोई बुरा वक्त आया है तब हमारी संसद ने बहुत मुस्तैदी से उस बुरे वक्त को ठीक करने की कोशिशें इतिहास में की हैं। जब हमारे पास अनाज की कमी थी तब हमारी संसद ने अनाज की ऐसी व्यवस्था बनायी जिससे हमारा देश अनाज के मामले में स्वावलंबी बन सका। हमने अनाज तो खूब पैदा किया लेकिन अनाज के बाद की पूरी यात्रा को देखें तो पायेंगे कि धरती के नीचे का और धरती के ऊपर का पानी पता नहीं कहां चला गया ? उस वक्त हमारी संसद और हमारी सरकारों ने अनाज पैदा करने के लिए जो भी कोशिशें हो सकती थीं, वे कीं। इसके तहत एक फूड सिक्योरिटी एक्ट भी बनाया गया जिससे कोई भूखा न रहे।

लेकिन आज हमारी धरती का पेट खाली है और बहुत सारे लोग भी प्यासे हैं। हमारी धरती और खेती बहुत जगह प्यासी है।

मुझे लगता है कि हमारी संसद को वाटर सिक्योरिटी एक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे इस बारे में मालूम नहीं,लेकिन शायद ऐसा होगा क्योंकि हमारी संसद ने हमेशा इस देश की भलाई के लिए काम किया है। हमारी संसद आज सोच रही होगी कि इस देश में कोई प्यासा न रहे, कोई प्यासा न मरे इसलिए जरूर ये कोशिशें होंगी। इन सारी कोशिशों से हम अपने समाज को जिम्मेदार बना सकते हैं ? मुझे लगता है कि पिछले 30-40 सालों में हमने समाज को एक तरफ और राज्य को दूसरी तरफ किया। लेकिन अब राज्य और समाज कैसे इन जिम्मेदारियों को मिलकर बांटकर काम कर सकते हैं, यह आज सबसे बड़ी चुनौती है। ...

''हमारी संसद आज सोच रही होगी कि इस देश में कोई प्यासा न रहे, कोई प्यासा न मरे इसलिए जरूर ये कोशिशें होंगी। इन सारी कोशिशों से हम अपने समाज को जिम्मेदार बना सकते हैं?''

मैं आपको आज के इस मौके पर एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहता हूं जहां सबसे कम बारिश होती है तथा जहां का समाज 1980 के दशक में उजड़ कर शहरों की मलिन और झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए चला गया था। उस समाज ने कैसे वापस लौटकर अपनी धरती को

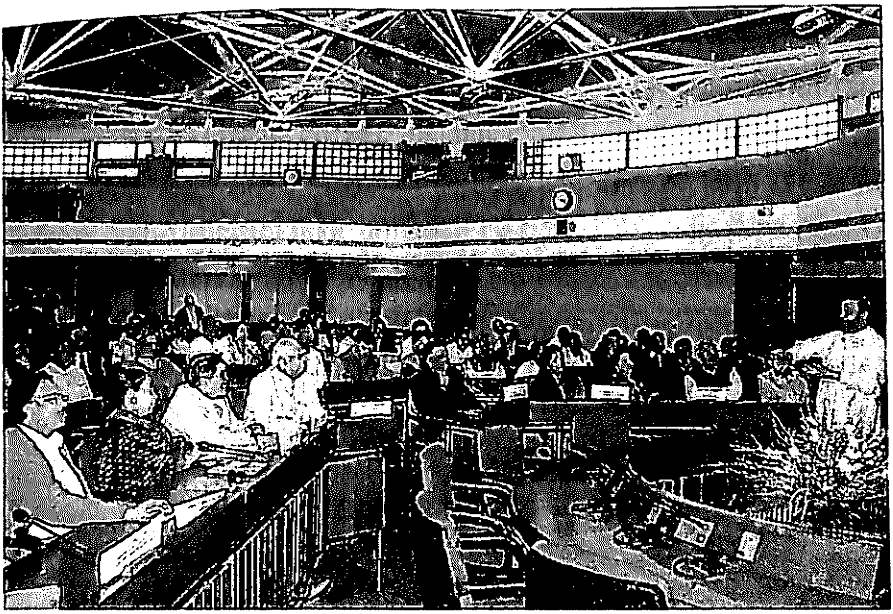

हरा-भरा किया और कैसे अपनी जिंदगी को हरा-भरा किया, ऐसी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं।

एक जमाना था, जब जैसलमेर जैसा शहर, जहां दुनिया में सबसे कम बारिश होती है, वह शहर अपने इलाके के पानी पर ही जिन्दा रहा था। यह शहर बहुत से देशों जैसे काबुल, कंधार, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि के व्यापार का रास्ता था। वहां के व्यापारी और ऊंट, आज इस देश में हैं। उससे ज्यादा ऊंट कैसे अपने पानी पर जिन्दा थे, जैसलमेर में कहां से पानी आता था और कैसे वह समाज अपने स्वयं के पानी पर जिन्दा रहता था? इसे जरा हम देखें।....

टांके का पानी पीने वाला व्यक्ति दिल्ली और मुम्बई में रहने वाले व्यक्ति की तरह बीमार नहीं होता, जो बोतल का पानी दूध के भाव पर खरीदकर पीता है। शहर का आदमी इस पानी को पीकर अपने को बड़ा समझता है। पानी का जो दर्शन था, वह दर्शन केवल जरूरत पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जीवन के आनन्द को जोड़कर देखने वाला दर्शन था। उसके कारण उस गरीब प्रदेश में जिसके पास कुछ नहीं था, वहां भी पानी का स्थान इतने सुन्दर ढंग से बनाया गया था ताकि कोई उसे दूषित न कर सके। इसलिए वहां पानी के जितने भी स्रोत हैं, वे सभी तीर्थ स्थान की तरह दिखते हैं।...

राजस्थान में टांके के पानी को 'पालरा' कहते हैं। कई जगह बहते हुए पानी को शुद्ध कहा जाता है लेकिन राजस्थान का समाज ऐसा था जिसका पानी का दर्शन बहुत गहरा है। उनका कहना है कि केवल बहता हुआ पानी ही पवित्र नहीं होता बल्कि इकट्ठा पानी भी पवित्र होता है। वो पानी उतना ही पवित्र है, उतना ही अच्छा है जितना बहता पानी। यह राजस्थान का दर्शन है।...

"राजस्थान का समाज ऐसा था जिसका पानी का दर्शन बहुत गहरा है। उनका कहना है कि केवल बहता हुआ पानी ही पवित्र नहीं होता बल्कि इकट्ठा पानी भी पवित्र होता है। वो पानी उतना ही पवित्र है, उतना ही अच्छा है जितना बहता पानी। यह राजस्थान का दर्शन है।"

हम लोग पानी पीते हैं और बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। मुझे लगता है कि पिछले 90-100 सालों में जिन्होंने हमारे पानी को बदनाम किया, उनके वहां वैसे सूरज की सीधी गरमी भी नहीं थी और हवाएं भी नहीं थीं, जो पानी को शुद्ध करती हों। इसलिए जिन्होंने इस राज्य के टांके बदनाम किए, उनके वहां की परिस्थितियां अलग थीं।...

मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने एक बार भी समाज को नहीं कहा कि पानी का इंतजाम तुम्हें खुद करना है। हमारे इलाके में ये सब चीजें अपने आप

हुईं क्योंकि हमने उनसे कहा कि तुम खुद पानी का इंतजाम कर सकते हो। जब सरकार करेगी, तब करेगी। सरकार के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, तभी हमारे इलाके में पानी का काम हुआ।...

हमारे महामहिम आदरणीय श्रद्धेय श्री के. आर. नारायणन गांव वालों को शाबासी देने और नदी को जीवित होते हुए देखने के लिए पधारे थे।...

जब हमने काम शुरू किया था, तब 80-81 फुट तक सारे कुएं सूखे हुए थे और हमारे भांवता गांव के लोग दिल्ली की आजादपुर मण्डी में पलदारी का काम करते थे। श्री अनिल अग्रवाल हमारे मित्र थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने हमारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और पानी का क्या प्रभाव रहा, क्या इम्पैक्ट रहा, इस पर अध्ययन किया था। वर्ष 1988 में गांव में काम शुरू हुआ और वर्ष 1994 में बहुत पानी ऊपर आ गया, 45 फुट पानी आ गया था। इससे पहले यह पूरी तरह सूखा हुआ था। उन्होंने कहा था कि पानी का काम इस सैंचुरी में सबसे ज्यादा जरूरी और कॉस्टवाइज तथा सबसे ज्यादा बैनिफिटेड है।...

हिन्दुस्तान में जो अनपढ़ समाज है, उसमें पानी की सेंस अभी भी बहुत ज्यादा है और जहां उनको पानी बहता दिखता है, उसकी पवित्रता के लिए उसे साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए उनके अंदर अभी भी संस्कार हैं। अरवरी छोटी नदी है। हमीरपुर गांव की धापा माई कहती है, यह अरवरी नहीं, गंगा नदी है। अरवरी नदी के किनारे अरवरी माता की मूर्ति बना दी है। इसका बहुत फायदा हुआ। पानी जीवन है। जीवन को ठीक चलाने के लिए हमें जंगल और जमीन का संरक्षण करना था इसलिए हमने ऐसे कानून बनाए।...

हमारे समाज ने अपने हाथों से काम किया था, जब कोई समाज रचना का काम करता है, तो फिर अपने हक को मरने नहीं देता। 72 गांवों की ग्राम सभाओं ने मिल कर 'अरवरी नदी संसद' बनाई और यह संसद तय करती है कि उस इलाके में कैसी खेती होगी और ज्यादा पानी वाली कोई खेती नहीं की जाएगी। जितना पानी हमें दिया जाएगा, उससे कम पानी उपयोग करेंगे। यदि कोई ज्यादा पानी का उपयोग करता है तो उसे अगली फसल के लिए कम पानी दिया जाता है। अगर हम अनुशासित होकर पानी का काम नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी को पानी नहीं दे पाएंगे।

अन्त में, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस पानी के काम में सरकार जितनी दिक्कतें खड़ी कर सकती थीं, वह उन्होंने की। इसमें हम लोगों को बहुत दिक्कतें आयीं। जब कभी मौका होगा तब मैं आपसे इस संबंध में और बातें बताऊंगा। बस ये सीधे काम के तरीके हैं, जो बहुत सिम्पल तरीके से बने हुए हैं। ये काम समाज के ज्ञान और ताकत से हुए। ये काम उनके निर्णयों से चल रहे हैं।

Mr. Speaker : We shall take leave now.

We are very grateful to Shri Rajendra Singh. His lecture was very instructive and was an eye opener for people like me. The presence of my hon. colleagues gives a lot of hope and expectation. I hope this issue will be raised in parliament and we should take up this matter. Shri Rajendra Singh, I thank you very much for your wonderful lecture.

तरुण भारत संघ

बाईसवां कदम

1

वर्ष 2005 के देशव्यापी अनुभव के आधार पर यह तो विदित हो ही गया था कि हमारे देश में पानी की नई समस्या खड़ी की जा रही है। विदेशी हमारे पानी के नीतिकार-सलाहकार बन रहे हैं। इसलिए वर्ष 2006 को तरुण भारत संघ ने जल साक्षरता वर्ष घोषित किया था और 1 जनवरी से जल साक्षरता वर्ष में ''जल स्वराज से ग्राम स्वराज'' का संदेश गांव-गांव देना था। इस जल अभियान का उद्देश्य, जल संकट से जनता को अवगत कराना था।

पूरे देश में जल साक्षरता का संदेश पहुंचाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा था। संस्था के कार्य-क्षेत्र में गांव-गांव में यह संदेश पदयात्राओं द्वारा और विद्यालयों में छात्रों-अध्यापकों के बीच जा-जाकर प्रस्तुति दी गई थी जिससे जल साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा मिल रहा था। इसके अलावा संस्था में आने वाले मेहमानों को भी जल साक्षरता के बारे में विस्तार से बताया जाता था। उनसे भी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करने के लिए कहा जाता था।

राजस्थान सरकार ने भी जल अभियान को दो चरणों में करना तय किया था। जल अभियान 10 दिसम्बर 2005 को मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था जो 31 दिसम्बर तक चला था। दूसरा चरण 16 मई से 15 जून तक चला था। इस अभियान में भी तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला अलवर की थानागाजी, राजगढ़, तिजारा तहसीलों में पूरा सहयोग दिया था। साथ ही साथ राजस्थान जलबिरादरी के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन के साथ मिलकर जल-अभियान को जन-जन का अभियान बनाने में मदद की थी।

जल अभियान के दूसरे चरण में 16 मई को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे अलवर के गांव जिन्दौली में गई हुई थी। उनकी सभा में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने तरुण भारत संघ द्वारा बनवाये जा रहे तरुण जल विद्यापीठ के भवन को लेकर आपत्ति की थी। भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर ही मुख्यमंत्री ने जिलाधीश को पाबन्द किया था। उसके तहत16 मई की रात्रि 10 बजे के लगभग तिजारा के एस.डी.एम और तहसीलदार जटमालियर गांव पहुंचे थे। जल विद्यापीठ का निर्माणाधीन काम पहले से ही रुका हुआ था, जनवरी में ही प्रशासन ने रुकवा दिया था। संस्था के कार्यकर्ता, तहसीलदार, विकास अधिकारी और सरपंच से मिलकर अपने प्रामाणिक कागजी साक्ष्य दे दिये थे और

बातचीत चल रही थी। 3 जुलाई को किशनगढ़वास में सिंचाई मंत्री श्री सांवरलाल जाट के आगमन पर फिर से तरुण जल विद्यापीठ भवन को तुड़वाने की बात आगे आई। जाट ने बिना कुछ जाने-समझे अपने स्वभाव के अनुसार उसे तुड़वाने का आदेश दे दिया था।

तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधीश अलवर से इस संबंध में संपर्क किया था। जयपुर में मुख्य सचिव से भी संपर्क किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होगी जो जल विद्यापीठ का भवन तोड़ा जाये। सारे प्रामाणिक साक्ष्यों के होते हुए और जिलाधीश व मुख्य सचिव के आश्वासन के बावजूद भी अतिक्रमण कह कर 13 जुलाई को तरुण जल विद्यापीठ का भवन तुड़वा दिया गया। 13 जुलाई को करीब पांच सौ सुरक्षाकर्मियों के जाप्ते में जे.सी.बी. मशीन के द्वारा तरुण जल विद्यापीठ भवन को तोड़ा गया। समाचार माध्यमों के द्वारा तरुण भारत संघ का अतिक्रमण बताकर प्रचारित किया गया था। जबकि इससे पहले तरुण भारत संघ ने शिक्षा विकास के लिए 35 भवनों का निर्माण करके सरकार व समाज को समर्पित किये थे। जिनमें राजस्थान सरकार द्वारा संचालित शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं। वह भी संस्था की जमीन पर नहीं थे, सब विद्यालय भवन गांव के द्वारा बताई हुई जमीनों पर ही थे। गांव के ही थे।

"13 जुलाई को तरुण जल विद्यापीठ भवन को तोड़ा गया। समाचार माध्यमों के द्वारा तरुण भारत संघ का अतिक्रमण बताकर प्रचारित किया गया था। जबकि इससे पहले तरुण भारत संघ ने शिक्षा विकास के लिए 35 भवनों का निर्माण करके सरकार व समाज को समर्पित किये थे।"

ऐसा ही विद्यालय तरुण जल विद्यापीठ था। इससे ही ऐसी रंजिश क्यों ? जबकि सरकार के साथ ऐसा किसी प्रकार का विवाद नहीं था, न अतिक्रमण था, न गैर कानूनी था। फिर किस कारण तरुण जल विद्यापीठ का भवन तोड़ा गया ?

2

जून के अन्तिम सप्ताह में तरुण भारत संघ ने अपने कार्यक्षेत्र में जल संरक्षण के कार्यों को दिखाने के लिए केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी को आमंत्रित किया था। उनकी भी स्वीकृति आ गई थी। मंत्री जी के आगमन के लिए तैयारी चल रही थी। केन्द्रीय भू जल बोर्ड से भी सम्पर्क बना हुआ था। वे किस साइट पर आ रहे हैं? उसकी लोकेशन क्या है? वहां क्या दिखाना है? वहां और क्या-क्या है? साइट का नाम क्या है? साइट पर कैसे पहुंचा जायेगा? आदि जानकारियों से केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को अवगत करा दिया गया था। मंत्री जी के आगमन की तिथियां तय हो गई थीं। 15 जुलाई का आगमन था। पूरे दिन का कार्यक्रम क्षेत्र के गांवों में था।

ग्राम नांगलदासा में जल संरक्षण के लिए बना चौखण्डी वाला एनिकट का लोकार्पण करना और ग्राम श्यालूता में नये एनिकट का शिलान्यास करना था। दौसा के सर्किट हाउस में दोपहर का भोजन और कुछ देर आराम करना तय था। 5 बजे दौसा से चल कर जयपुर पहुंचना था। जयपुर में रात्रि भोजन करने के बाद जैसलमेर के लिए जाना था। यह सब जानकारी तरुण भारत संघ के कार्यालय से सरकारी अधिकारियों को दे दी गई थी।

15 जुलाई को सुबह 8 बजे हवाई अड्डे पर अगवानी के लिए श्री राजेन्द्र सिंह, श्री एम.एस.राठौर, श्री अरुण तिवारी, केन्द्रीय भू जल बोर्ड, जयपुर कार्यालय के अधिकारीगण और राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे। हवाई जहाज कुछ देर से पहुंचा था। मंत्री जी हवाई अड्डे से बाहर आये, उपस्थित लोगों ने मंत्री जी का स्वागत किया। वहां से खासा कोठी गये, कुछ देर आराम किया और अलवर के नांगलदासा गांव के लिए चल दिये थे।

ग्राम नांगलदासा में अलवर प्रशासन व सुरक्षा बल भी पहुंच गया था। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री माननीय प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज जी का कार्यक्रम सरसा नदी पर बने चौखण्डी वाला एनिकट के जलग्रहण क्षेत्र में रखा था। मंत्री जी को सौ किलोमीटर का रास्ता तय करना शायद इतना कष्टदायी न रहा हो जितना चार किलोमीटर का रास्ता कष्टदायी रहा था। गाड़ी बदलते-बदलाते मंत्री जी चौखण्डी बांध पर पहुंचे। कुछ पल सभा स्थल के मंच पर बैठे और फिर एनिकट के लोकार्पण की रस्म निभाने के लिए उठ खड़े हुए थे।

नदी के दूसरे किनारे पर चौखण्डी बांध के लोकार्पण का शिलालेख लगा हुआ था। शिलालेख पर मेरून कलर का कपड़ा लगा हुआ था। दूसरी ओर नीले रंग के बड़े बैनर पर "चौखण्डी बांध पर माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री सैफुद्दीन सोज का स्वागत" लिखा हुआ था। मंत्री जी चौखण्डी एनिकट का लोकार्पण करने के लिए एनिकट की हैडवाल की ओर चल पड़े। उनके साथ राजेन्द्र सिंह, गांव के लोग और प्रशासनिक अधिकारी तथा सुरक्षाकर्मी चल रहे थे। एनिकट हैडवाल की लम्बाई तीन सौ फुट से अधिक थी। इसलिए उसे देखने का भरपूर समय था। एनिकट में वर्षा का पानी भरा हुआ था। जिस उद्देश्य के लिए गांव के लोगों ने एनिकट का निर्माण किया था। वह सभी तरह से पूरा हो रहा था। ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं था जो इस प्रकार के काम के लाभ को नहीं जानता था।

इस एनिकट को देखकर यह भी कहने वाला कोई नहीं था कि एनिकट टैक्नीकली गलत है। आज भारत सरकार के केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ आये थे तो राजस्थान सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर थे और अलवर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। एनिकट को बनाने वाले अनपढ़ ग्रामीण भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने एक-एक पत्थर को अपने हाथों से चुन-चुन कर एनिकट का स्वरूप दिया था। आज अपने सिर पर सफेद, लाल, हरा साफा बांध कर मंत्री जी का स्वागत करने में तल्लीन नजर आ रहे थे। महिलायें भी अपनी वेशभूषा में थी और बच्चे भी आये थे जो इधर-उधर भाग दौड़ कर रहे थे।

माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री सैफुद्दीन सोज ने नदी के अन्तिम छोर पर पहुंच कर राजेन्द्र सिंह के इशारे पर मेरून रंग का कपड़ा हटाया, जिस पर लिखा थाः

"चौखण्डी एनिकट का लोकार्पण" माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री सैफुद्दीन सोज के कर-कमलों द्वारा आज दिनांक 15 जुलाई, 2006 को समाज के लिए समर्पित।

शिलालेख पर एनिकट निर्माण की कुल लागत लिखी हुई थी। तरुण भारत संघ और ग्रामवासियों के सहयोग का विवरण भी लिखा हुआ था। यह देख मंत्री जी को अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि गांव ने इस काम में अपना एक-तिहाई का हिस्सा दिया है, यह बड़ी बात है।

लोकार्पण की प्रक्रिया को पूरा करके एक नजर एनिकट की पाल पर खड़े होकर मंत्री जी ने पानी और भराव क्षेत्र को देखा। राजेन्द्र सिंह और कन्हैयालाल ने सरसा नदी के नक्शे को लेकर पूरे जलग्रहण क्षेत्र के बारे में बताया। उसके बाद सभा स्थल पर आये। सभा में ग्रामवासियों ने विधिवत् रूप से मंत्री जी का स्वागत किया। पूरे क्षेत्र के बारे में बताते हुए एनिकट निर्माण के विषय में जानकारी दी गई थी। गांव के लोगों ने मंत्री जी के आगमन पर किसी वस्तु की कोई बड़ी मांग नहीं की थी, बस! एक स्कूल और सड़क के लिए जरूर कहा था। लोग बिजली की सबसे पहले मांग रखते हैं, लेकिन यहां बिजली को बड़े लोगों के लिए बताकर उसकी मांग को छोड़ दिया था। लाहा का वास क्षेत्र के लोगों ने भी अपने बांध को बनाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति चाही थी, पैसा नहीं।

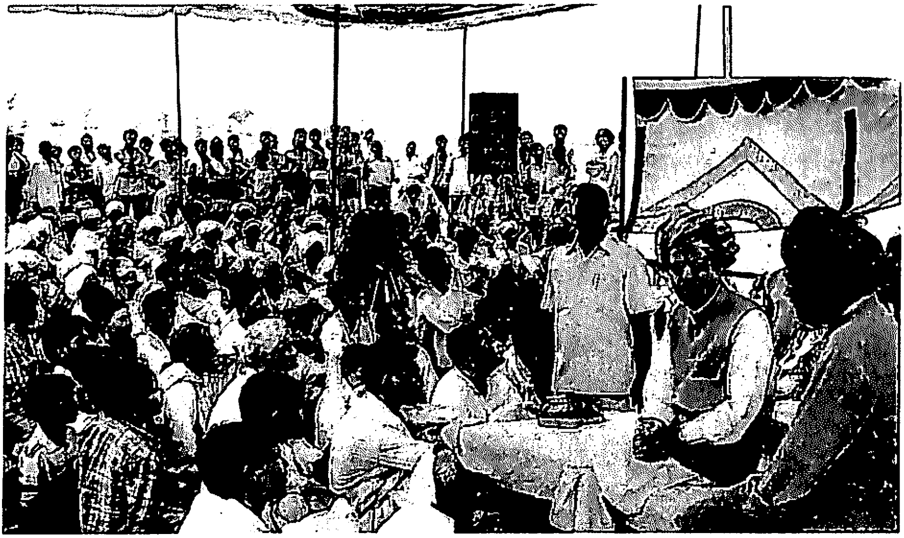

ग्रामीण क्षेत्र से आये लोगों के विचारों को सुनकर केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने सभा में उपस्थित लोगों के समक्ष अपने विचार इस प्रकार रखे कि "मैं यहां आकर बहुत ही प्रसन्न हूं। मैंने यहां आकर जो सीखा है, समझा है और देखा है, वह दिल्ली में नहीं था। दिल्ली में हम जल-संरक्षण की बहुत बातें करते हैं। पर सच्चाई यह है कि जल संकट बढ़ रहा है। देश में अधिकतर राज्यों के हालात बहुत खराब हैं। वे पानी को धरती के नीचे से निकाल रहे हैं। लेकिन धरती के अन्दर पानी कैसे बढ़े, यह एक बड़ा सोचनीय प्रश्न देश के सामने है।

"मैं यहां आकर बहुत ही प्रसन्न हूं। मैंने यहां आकर जो सीखा है, समझा है और देखा है, वह दिल्ली में नहीं था।"

आज जब मैंने यहां आने के लिए कार्यालय के लोगों के साथ कार्यक्रम बनाया तो सभी अधिकारी आश्चर्य कर रहे थे कि आप कहां जा रहे हैं? 22 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग है। यहां आपका रहना बहुत जरूरी है। आपके बिना तो कुछ निर्णय नहीं हो सकता। ऊपर से बरसात का मौसम है। मालूम नहीं रास्ते कैसे हैं? अगर आपको जाना ही है तो 22 तारीख के बाद या बरसात के बाद जाना। ऐसा हमारे अधिकारी कह रहे थे लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि मैंने यहां आकर अपना और उनका कितना बड़ा काम कर दिया है।

मैंने आपका काम देखा, आपके विचार सुने। एक भाई ने अपने पानी को रोक कर पूरे गांव के जीवन की समृद्धि का जो वर्णन किया, वह बहुत बड़ी बात है। आप अपने पानी को स्वयं के परिश्रम और सबके सहयोग से बचाना चाहते हैं और बचा रहे हैं। आपकी जरूरतें भी ज्यादा नहीं हैं, जैसा कि अर्जुन भाई ने कहा कि बिजली बड़े लोगों के काम की चीज है, हमें बिजली नहीं चाहिये, हमें लड़कियों के लिए स्कूल और आने-जाने के लिए सड़क चाहिये। आपकी ये दोनों मांगें वाजिब हैं। आपकी सड़क तो मैंने देख ही ली है।

स्कूल, सड़क, बिजली आदि का काम राज्य सरकार का होता है। मैं वसुंधरा जी को यहां से जाते ही पत्र लिखूंगा। वे हमारी छोटी बहिन हैं। जब वह दिल्ली में राज्यसभा की सदस्य थी, तब हम मिलते थे। वे इस काम को जरूर करायेंगी। ऐसी मैं आशा करता हूं। मुझे यहां आकर आपसे जो ज्ञान मिला है, वह मैं लेकर जा रहा हूं। 22 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग है। उसमें यहां के काम का जिक्र करूंगा।

आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि पूरे देश में जल के काम करने वाले 30 लोगों को चिह्नित कर कमेटी बनाई है जिसमें राजस्थान से राजेन्द्र सिंह को लिया है। इस कमेटी की सलाह के अनुसार देश में जल संरक्षण के काम किये जायेंगे। सभी ने जोर से तालियां बजाईं। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी के आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए

आभार व्यक्त किया और मंत्री जी को विदा किया। मंत्री जी का आगमन इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात थी। गांव नांगलदासा, श्यालूता के अलावा पूरे इलाके के ग्रामवासियों को अच्छा लगा था। श्यालूता में नया काम शुरू किया था जिसका भूमि-पूजन मंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया था।

मंत्री जी नांगलदासा से चलकर दौसा सर्किट हाउस आये। वहां उनके भोजन और आराम की व्यवस्था थी। सरकारी अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मियों ने भी भोजन किया और कुछ देर आराम कर जयपुर के लिए रवानगी ली थी।

मंत्री जी का आगमन ऐसे समय था जबकि एक दिन पहले ही अलवर प्रशासन ने तरुण भारत संघ द्वारा निर्मित 'तरुण जल विद्यापीठ' भवन का विध्वंस किया था और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता में यह फैलाया गया था कि तरुण भारत संघ का खेल खत्म। खेल क्या था और खत्म कैसे हुआ? ये सब तो वही जानते होंगे जिन्होंने इस पत्र में लिखा या लिखवाया था। मुझे तो ऐसा लगा था कि मंत्री जी के आने पर समाचार पत्रों में लिखने के लिए जैसे उन लोगों की कलम ही रुक गई और जुबान भी बन्द हो गई, जिन लोगों ने तरुण जल विद्यापीठ के निर्मित भवन को तुड़वाने का दुस्साहस किया था।

तरुण भारत संघ के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ-साथ जागृति के भी कार्य सतत जारी रहे। दो अक्टूबर को ग्राम सभा सम्मेलन हुआ जिसमें तभासं कार्यक्षेत्र के ग्राम सभा के सदस्य आये थे। इस अवसर पर 'अरवरी संसद' पुस्तक का विमोचन हुआ जिसमें पन्द्रह अधिवेशनों की कार्यवाही थी। लोक को संगठित करके गांव के अच्छे काम को लोगों के सामने लाने वाली अपने ढंग की अलग पुस्तक थी। लोक अभिक्रम से ओतप्रोत ऐसी पुस्तकों को आज आगे लाने की जरूरत है।

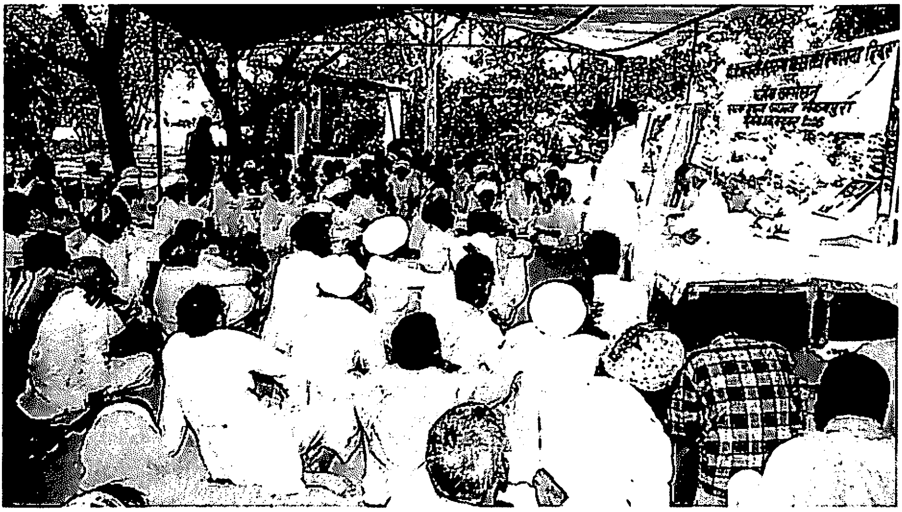

3

नवम्बर-दिसम्बर के महीने एक प्रकार से तरुण भारत संघ के कार्यों के मूल्यांकन के महीने थे। अनुदात्री संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने स्तर से परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है। सीडा द्वारा संचालित परियोजना का तीन स्तरों पर मूल्यांकन किया गया।

1. संस्था के लेखों का निरीक्षण

सीडा ने अपनी परियोजना के लेखा संबन्धी मूल्यांकन के लिए दिल्ली की ठाकुर नाथ एण्ड कम्पनी को नियुक्त किया था, जिसके तीन प्रतिनिधियों ने 6 से 8 नवम्बर तक संस्था में रह कर वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक तीन वर्ष के लेखों को देखा, समझा। वैसे तो संस्था के लेखे प्रति वर्ष अशोक एण्ड एसोसिएट, जयपुर द्वारा जांचे जाते हैं। जांचे गए लेखों की प्रति अनुदात्री संस्था को भेज दी जाती है लेकिन अनुदात्री संस्था अपनी परियोजना के लिए स्वतंत्र लेखा निरीक्षक नियुक्त कर सकती है। इसमें तरुण भारत संघ को कभी किसी प्रकार की कोई आपति नहीं हुई। संस्था के लेखा विभाग के कार्यकर्ताओं ने लेखा निरीक्षकों को पूरा सहयोग दिया।

2. सीडा के प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण

सीडा के काउन्सलर हैड श्री कार्लगुस्ताफ सविन्सन व परियोजना प्रोग्राम प्रबन्धक श्री रमेश मुकल्ला ने 26 से 28 नवम्बर तक तरुण भारत संघ द्वारा परियोजना के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों को ग्रामीण अंचलों में जा-जा कर देखा, समझा और लोगों के बीच जाकर उनकी बात को सुना। ग्रामीणों के परिश्रम की प्रशंसा की। 26 नवम्बर को मांडलवास और राड़ा गांव के कार्य देखे। मांडलवास गांव के भौमिया बाबा वाले बांध में जमा जल राशि को देख कर सीडा के प्रतिनिधि खुश थे। गांव की कार्य पद्धति को गांव के लोगों से समझा। इस मौके पर सी.सी एफ श्री सोमशेखर जी ने अतिथियों को सरिस्का के विषय में जानकारी दी। मांडलवास के काम देखने के बाद राड़ा गांव के कार्य देखने के लिए गए, अंधेरा हो चुका था। गांव में एक जवान महिला की मौत होने के कारण बिना किसी औपचारिकता के कार्य देख कर देर रात को राड़ा गांव से ही वापिस होना पड़ा। रात्रि होने पर देवरी गांव के कार्यक्रम छोड़ दिए थे।

27 नवम्बर को अरवरी जल ग्रहण क्षेत्र में गए, सांवत्सर और कालैड़ के काम देखे। सांवत्सर में पानी के रिचार्ज की प्रक्रिया के प्राकृतिक रूप में प्रत्यक्ष देख सीडा के

प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए। कालैड़ में सिद्ध सागर देखा। यह अरवरी नदी पर अलवर जिले का अन्तिम गांव है। अरवरी के ही किनारे अरवरी सांसदों के साथ बैठक की गई। अरवरी सांसदों ने अरवरी के किनारे सीडा के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और संसद के विषय में जानकारी दी। कार्लगुस्ताफ को सांसदों से नदी संरक्षण के संबंध में बातचीत करना अच्छा लगा और नये काम देखने के लिए चल दिए।

"देवरी गांव के लिए सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ही दुर्गम रास्ता है। ऐसे क्षेत्र में कार्य करना सीडा के प्रतिनिधियों को अच्छा लगा।"

तरुण भारत संघ के नए केन्द्र कुण्डाल, अजबगढ़ में भोजन किया और देवरी के कार्य देखने चले गए, रास्ता काफी लम्बा था फिर भी सीडा के प्रतिनिधि गए। देवरी गांव के लिए सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है।

बहुत ही दुर्गम रास्ता है। ऐसे क्षेत्र में कार्य करना सीडा के प्रतिनिधियों को अच्छा लगा। चाहे रास्ते के कारण उन्हें कितनी भी परेशानी क्यों न हुई हो परन्तु देवरी के काम और लोगों से बातचीत करके खुश थे।

28 नवम्बर को तरुण भारत संघ में कार्यकर्ता और राजस्थान जल बिरादरी के सदस्यों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें राजस्थान जल बिरादरी के अध्यक्ष श्री एम.एस. राठौड़ ने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से बताया। राजस्थान के अन्य भागों से आए जल बिरादरी के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में पानी की समस्या और समाधान के लिए किए गए कार्यों के विषय में भी बताया। चार घंटे की चर्चा में विस्तृत जानकारियों का आदान-प्रदान हुआ।

भोजन और चाय के बाद वी.आर.सी. सेंटर और तरुण जल विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। उसके बाद लाहा का वास में फुटा वाला बांध का लोकार्पण करते हुए आस-पास के गांवों के प्रतिनिधियों से कुछ बातचीत हुई और डा. जी.डी. अग्रवाल जी के साथ-साथ बांध की पाल पर घूमते हुए कार्य का अवलोकन किया। बाद में अतिथि दिल्ली चले गए।

3. सीडा द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन

सीडा ने अपनी ओर से परियोजना का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कराने के लिए दमन सिंह को नियुक्त किया था। दमन सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की सुपुत्री हैं। उन्हें विशेष सुरक्षा व्यवस्था में रहना पड़ता है। दिल्ली से बाहर कहीं जाती हैं तो सुरक्षा के विशेष इन्तजाम करने होते हैं। इसी वजह से दमन सिंह पिछले एक साल से इस कार्य को टाल रही थीं। तरुण भारत संघ में कब और कैसे जाया जाए? आखिरकार उन्होंने अपनी मनःस्थिति बना कर निर्णय कर लिया कि दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में भीकमपुरा जाना है। इसलिए 28 नवम्बर 2006 को दमन सिंह की सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी के. प्रभात नायर ने जयपुर कार्यालय में मुझसे टेलीफोन से सम्पर्क किया था।

दमन सिंह 2 दिसम्बर से 6 दिसम्बर तक के लिए आ रही थीं। नायर जी 29 नवम्बर को रात्रि में तरुण भारत संघ आ गए थे। 30 नवम्बर को सुबह 10 बजे के आसपास अलवर के प्रशासनिक अधिकारी भी आ गये थे। उनके साथ सुरक्षा को लेकर दो-तीन घंटे बातचीत हुई और तरुण आश्रम परिसर का सुरक्षा की दृष्टि से मौका मुआयना किया गया। सब व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी अलवर प्रशासन को दी गई। नायर जी दिल्ली चले गए, उनके साथी आश्रम में ही रहे और दूसरे साथी भी दिल्ली से एक दिसम्बर को सुबह भीकमपुरा पहुँच गये थे। अलवर प्रशासन के अधिकारियों के साथ सुरक्षा बल भी पहुंच गया था। सुरक्षा बलों ने अपने तौर-तरीकों से तरुण भारत संघ को अपने कब्जे में कर लिया था।

संस्था के कार्यकर्ताओं को भी गुलाबी रंग के पास जारी किये गये थे। संस्था के व्यवस्थापक और सी.आई.डी. के अधिकारी मनोज कुमार सोनी के संयुक्त हस्ताक्षरों से परिचय-कार्ड दिये गये।

दो दिसम्बर दोपहर को दमन सिंह का कार्यक्रम गढ़बसई में रखा गया। गढ़बसई में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बल तैनात कर दिया गया था। सही समय पर पहुंच कर दमनसिंह ने गढ़बसई के काम देखे और लोगों की बात सुनीं-समझीं। गांववासियों ने अपने गांव की ओर से दमन सिंह का स्वागत किया। 2 बजे के आसपास दमन सिंह तभासं पहुंची थीं। दोपहर का भोजन करने के बाद कुछ देर आराम किया और शाम चार बजे के लगभग गोपालपुरा गांव में कार्य देखने के लिए चली गई थीं। गांव के लोगों ने अपने काम को दिखाया और बातचीत भी की। आश्रम में आई चाय ली और आश्रम में घूमकर देखा। अलवर एस.पी. भी संस्था में आए, व्यवस्थाएं देखीं और दमन सिंह से भी मिले।

तीन दिसम्बर को अरवरी क्षेत्र के भांवता, डूमोली, खाराटा गांव के काम देखे-समझे। महिला-पुरुषों से बातचीत की, सभी को अच्छा लगा। दोनों गांव के काम देखने के लिए दमन सिंह को बहुत पैदल चलना पड़ा था। फिर भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। सभी सुरक्षा कर्मी भी सुरक्षा करते हुए पैदल चल रहे थे। शायद इस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था करने का पहला अवसर उन्हें मिला हो। चार दिसम्बर को सरसा, भगाणी-तिलदेह, नदी क्षेत्रों के गांव नांगलदासा, माण्डलवास में जाकर कार्यों को देख वे खुश थीं। ग्राम नांगलदासा में बंजारा जाति की महिलाओं ने प्रधानमंत्री की बेटी को अपने बीच में पाकर अपने को धन्य समझा और अपने रीति-रिवाज, लोक परम्परानुसार अपनी मेहमान का स्वागत किया।

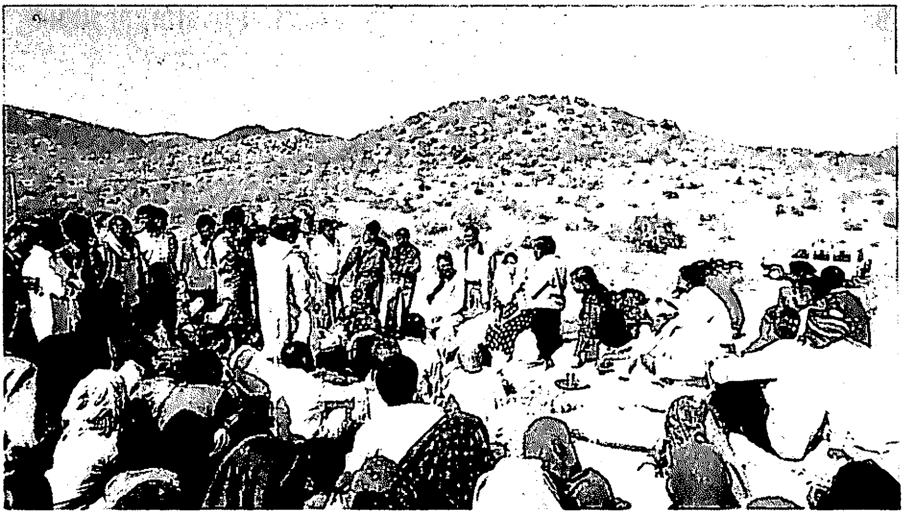

5 दिसंबर को सरिस्का के कार्यों को लेकर अच्छी चर्चा हुई। हनुमान मंदिर और पाण्डुपोल देखा। वहां से चल कर सिल्ली बेरी एनिकट देखा, सिल्ली बेरी जंगलात चौकी पर जंगलात अधिकारियों ने अभयारण्य के विषय में जानकारी दी तथा अतिथियों को चाय नाश्ता भी दिया। कुछ देर प्राकृतिक सौंदर्य देख वापसी की। सपोकला वन चौकी पर गये। वहां बघेरे ने नील गाय के बच्चे का शिकार किया था। शिकार हुए बच्चे की करुण आवाजें सुनाई दे रही थीं। हम सब बिना किसी आहट के बिल्कुल शान्त वातावरण में देखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन दिखाई नहीं दिया था। भय मिश्रित आनन्द का अनुभव लिए वापिस भीकमपुरा आ गये थे। शाम 5 बजे से 7 बजे तक दो घंटे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग हुई। जल संरक्षण, जंगल संरक्षण, सरिस्का संरक्षण और सरिस्का के विषय में बातचीत हुई। अरवरी संसद को मजबूती देने और सक्रियता को बनाए रखने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? इसी प्रकार जल बिरादरी के विषय में भी बातचीत हुई थी। इस मीटिंग में राजेन्द्र सिंह, कन्हैया लाल, जगदीश गुर्जर, गोपाल सिंह, श्रवण शर्मा, छोटे लाल मीणा, देवयानी, राजनारायण, मीना सिंह, मुरारीलाल आदि सभी के साथ अच्छी बातचीत हुई।

"मैंने यहां एक बहुत बड़ी बात यह देखी कि सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोगों का स्वागत किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोगों का कहीं भी इस तरह का स्वागत होता नहीं देखा। जबकि ये लोग रात-दिन, सर्दी, धूप, गर्मी सहते हुए सुरक्षा में लगे रहते हैं।"

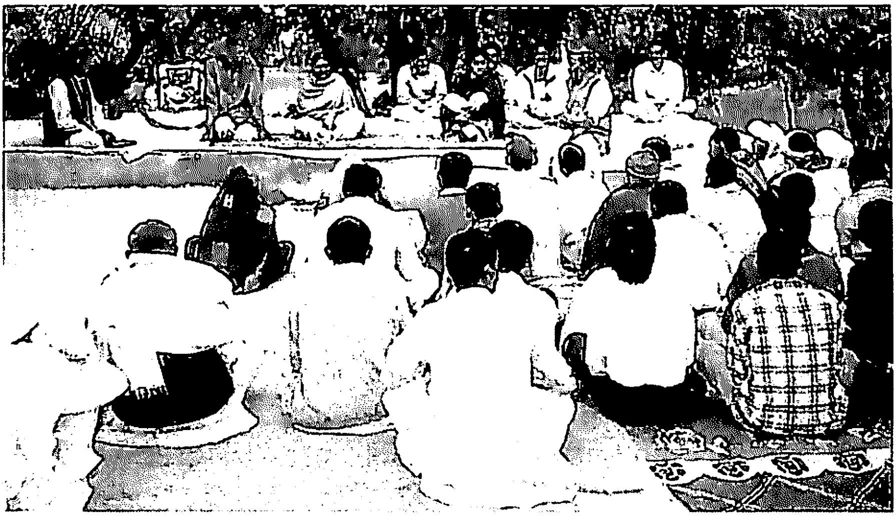

6 दिसम्बर को दमन सिंह का दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। भीकमपुरा क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री की बेटी को अपने बीच पाकर अपने आप को धन्य समझते हुए स्वागत किया। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में मौजूदा लोगों को बुलाया था। भीकमपुरा से महिला समूह की सदस्य, संस्था के पदाधिकारियों ने सबसे पहले सुरक्षा अधिकारियों का स्वागत किया। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में ही दमन सिंह ने तरुण भारत संघ के कार्यों को गांव-गांव जाकर देखा-समझा था। बाद में गांव के सम्माननीय लोगों ने दमन सिंह का अपनी परम्परानुसार स्वागत किया।

संस्था के महामंत्री श्री कन्हैया लाल, गोपालपुरा के वयोवृद्ध मांगू बाबा, सूरतगढ़ के सुमेर सिंह, बाछड़ी के पेमाराम वकील साहब, भीकमपुरा से ज्ञानचन्द गुप्ता संरपच, महिला समूह की सदस्याओं ने स्वागत किया। दमन सिंह ने इस मौके पर अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा कि मैंने यहां एक बहुत बड़ी बात यह देखी कि सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोगों का स्वागत किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोगों का स्वागत कहीं भी इस तरह से होता हुआ नहीं देखा। जबकि ये लोग रात-दिन, सर्दी, धूप, गर्मी, वर्षा सहते हुए सुरक्षा में लगे रहते हैं। मैं 12 साल पहले भी भीकमपुरा आई थी। 15 दिन रही थी, गांव में भी गई थी। संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ सीखने-सिखाने का कार्य किया था। इन लोगों के कार्य और व्यवहार वैसे के वैसे ही हैं जैसे 12 साल पहले थे। बस, इन लोगों के बाल सफेद जरूर हुए हैं। यहां आकर अच्छा लगा। 12 साल पहले को देखते हुए काफी बदलाव आया है। आशा करती हूं कि भविष्य में और अच्छा होगा।

इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुईं। रास्ते में तिजारा जट मालियर गांव में गईं, जहां संस्था का उपकेन्द्र है। केन्द्र पर अक्टूबर 2005 से तरुण जल विद्यापीठ के लिए भवन निर्माण हो रहा था। लेकिन यहां की राजनीति ने कार्य को रुकवा दिया। संस्था के कार्यकर्ता भवन निर्माण में आई रुकावटों के कारणों की कागजी कार्यवाही में लगे हुए थे। 13 जुलाई को बिना किसी जानकारी के तरुण जल विद्यापीठ को मुख्यमंत्री स्तर से तुड़वा दिया गया। दमन सिंह ने सामाजिक कार्यों में आने वाली बाधाओं को भी समझा और सरकार की सोच व मंशा के भी दर्शन एक साथ किए। तरुण जल विद्यापीठ का विध्वंस देखकर वे निमली गांव में गई जहां संस्था ने अपनी जमीन पर नया भवन बनाया है। वहीं वी.आर.सी. सूचना केन्द्र की दूसरी इकाई लगी है जिसका दमन सिंह के कर-कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। नये केन्द्र पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भोजन किया। 12 साल पुरानी यादों को ताजा करते हुए सभी को प्रसन्नता हुई। दमन सिंह को बड़े सहज भाव से दिल्ली के लिए सभी ने विदा किया। तरुण भारत संघ के इतिहास में इस तरह की मूल्यांकन प्रक्रिया अच्छी रही जिसमें राजस्थान के सरकारी तंत्र ने भी संस्था व उसके कार्य क्षेत्र में अपने तौर तरीकों से मूल्यांकन किया।

तरुण भारत संघ

तेईसवां कदम

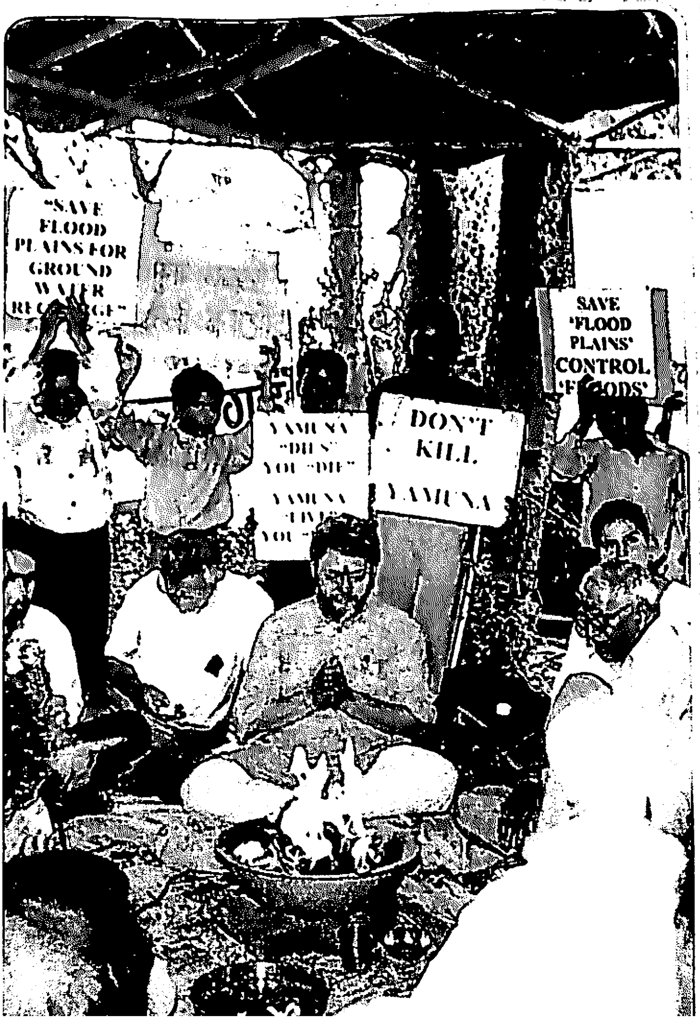

1

सृष्टि रचना में प्रकृति द्वारा रचे गये प्राकृतिक संसाधन जीव जगत के लिए पूर्णतः उपयोगी होते हैं। प्राकृतिक रूप में जीवन जीने के लिए किसी प्रकार का मूल्य नहीं चुकाना होता है। स्वच्छंद भाव से प्रकृतिमय होकर जीव जगत जीवन जीता आया है।

''जब से मानव सभ्यताएं विकसित हुईं तभी से उसने लोभ-वृत्ति के कारण अपनी जननी प्रकृति पर ही अपना आधिपत्य करना शुरू कर दिया।''

प्रकृति ने अपनी रचना में मनुष्य के अन्दर अन्य जीवधारियों से इत्तर अलग ही मन, बुद्धि और लोभ के भाव को जागृत किया है। उसी भाव के कारण मनुष्य देव और दैत्य के भाव को अपनाकर जीवन जीता आ रहा है। जब से मानव सभ्यताएं विकसित हुईं तभी से उसने लोभ-वृत्ति के कारण अपनी जननी प्रकृति पर ही अपना आधिपत्य करना शुरू कर दिया। एक ऐसा भी समय आया जब प्रकृति ने अपने संरक्षण के लिए लोभ-लालच से मुक्त विवेकशील मनुष्य को आगे बढ़ाया जिसने अपनी मन बुद्धि से समाज को नेतृत्व प्रदान किया। मनुष्य को प्रकृतिमय बनाने के लिए समाज को उन्मुख किया।

हमारे धार्मिक और प्रेरणा स्रोत शास्त्रों में अनेक दृष्टान्त हैं। जब भी प्रकृति पर मनुष्य ने अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है तो उसके विरुद्ध मनुष्य जाति की ही एक शक्ति ऐसी भी सामने आयी है जिसने आधिपत्य करने वाले का समूल भाव, विचार और शक्ति क्षीण कर प्रकृति की रक्षा की है और मनुष्य ने देव पद को सुशोभित किया है।

वर्तमान समय आर्थिक युग का माना जा रहा है। आर्थिक युग के चलते समाज में लालच की वृत्ति बढ़ती जा रही है। लालच के कारण आम आदमी, नेतृत्व और शासन की दशा एक जैसी नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ रहे है। सब कुछ बिकाऊ है : जल, जंगल, जमीन, नदी, झरने और पहाड़। आज प्राकृतिक संसाधनों के खरीददार असंख्य हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के मोल-भाव बढ़ रहे हैं। मोल -भाव के चलते व्यक्ति, नेतृत्व और शासन जीवनदायी प्रकृति के अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बेच रहे हैं। बेचने वाले अपने प्राकृतिक संसाधनों को समय रहते अतिशीघ्र बेचना चाहते हैं और खरीदने वालों में उनसे भी ज्यादा व्याकुलता नजर आ रही है। वे किसी भी कीमत पर प्राकृतिक संसाधनों

को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की इस खरीद फरोख्त में प्रकृति असहाय नजर आ रही है।

यमुना हमारे देश के लिए प्रकृति प्रदत्त उपहार है। यह किसी व्यक्ति, समाज या शासन द्वारा निर्मित नहीं है। प्रकृति ने अपनी रचना में यमुना को हिमालय की गोद में रचा है। यमुना अविरल भाव से बहती रही है। इसके किनारे न जाने कितनी सभ्यताएं पनपी और विलुप्त हुईं। आज यमुना को भी प्राकृतिक संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, जीवनदायिनी के रूप में नहीं। तभी तो उसके अविरल स्वच्छंद वेग को तटबन्धों द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है। साथ ही मल-मूत्र की गन्दगी से अपवित्र किया जा रहा है। यमुना को महत्ता और पवित्रता से अलग करके एक संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

"मोल -भाव के चलते व्यक्ति, नेतृत्व और शासन जीवनदायी प्रकृति के अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बेच रहे हैं। बेचने वाले अपने प्राकृतिक संसाधनों को समय रहते अतिशीघ्र बेचना चाहते हैं और खरीदने वालों में उनसे भी ज्यादा व्याकुलता नजर आ रही है। वे किसी भी कीमत पर प्राकृतिक संसाधनों को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की इस खरीद फरोख्त में प्रकृति असहाय नजर आ रही है।"

यमुना के दोनों किनारों पर गगनचुम्बी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। होटल, हॉस्टल, मॉल आदि तरह-तरह के सीमेन्ट व कंकरीट के जंगल खड़े किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए यमुना के वक्ष स्थल पर खेलगांव जैसे विशाल आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवनों का निर्माण किया जा रहा है। यह सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है जहां केन्द्र और राज्य सरकार का वर्चस्व है और देश के लिए नियम-कानून बनाने वाली संसद है तथा देश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय भी मौजूद है। यमुना संरक्षण के कानून बने हुए हैं जिसमें यमुना का संरक्षण निहित है और कानूनों की पालना के लिए उच्च व उच्चतम न्यायालय हैं। फिर भी आज यमुना मनुष्य की दया-कृपा की मोहताज बन कर रह गई है।

लोक कल्याणकारी कही जाने वाली सरकारें अपने-अपने तरीके से प्राकृतिक रूप से जीव-जगत् की हितकारी यमुना की हत्या करने में लगी हैं। दिल्ली का अपना समाज विकास की चमक में चुंधिया गया है। उसके जीवन में यमुना का कोई महत्व नहीं रह गया है, वह यमुना की हत्या होते हुए देख रहा हैं और भविष्य के दिग्भ्रमित स्वप्न देख मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा हैं। ऐसी स्थिति में समाज प्रकृति के साथ क्रूरता ही

“जब समाज के संचालक वर्ग में लालच बढ़ रहा हो और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, ऐसे में समाज और राज की दशा दिशाहीन ही होती है। सजग समाज और राज अपने जीवनदायी प्रकृति के द्वारा दिये गये प्राकृतिक संसाधनों का सहजतापूर्वक उपयोग करता है और उनके संरक्षण के लिए सदैव तत्पर भी रहता है लेकिन दिल्ली में इसके उलट देखा गया।”

करेगा। जब समाज के संचालक वर्ग में लालच बढ़ रहा हो और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, ऐसे में समाज और राज की दशा दिशाहीन ही होती है। सजग समाज और राज अपने जीवनदायी प्रकृति के द्वारा दिये गये प्राकृतिक संसाधनों का सहजतापूर्वक उपयोग करता है और उनके संरक्षण के लिए सदैव तत्पर भी रहता है लेकिन दिल्ली में इसके उलट देखा गया। वहां भौतिक जीवन की भागदौड़ में प्रकृति की अनुपम कृति यमुना दिखाई नहीं देती है।

इन सब परिस्थितियों में दिल्ली के समाज और सरकार की मनःस्थिति को देखते हुए तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह के मन में यमुना को बचाने और उसका महत्व समझाने की दृष्टि से कार्य करने के भाव जागृत हुए। अतः राजेन्द्र सिंह ने अपने ग्रामीण सामाजिक जीवन से निकल कर दिल्ली में रहते हुए यमुना के लिए कार्य करना अपना कर्तव्य माना। जनवरी 2007 से दिल्ली में ही यमुना के किनारे रह कर उन्होंने कार्य को अन्जाम देना शुरू किया।

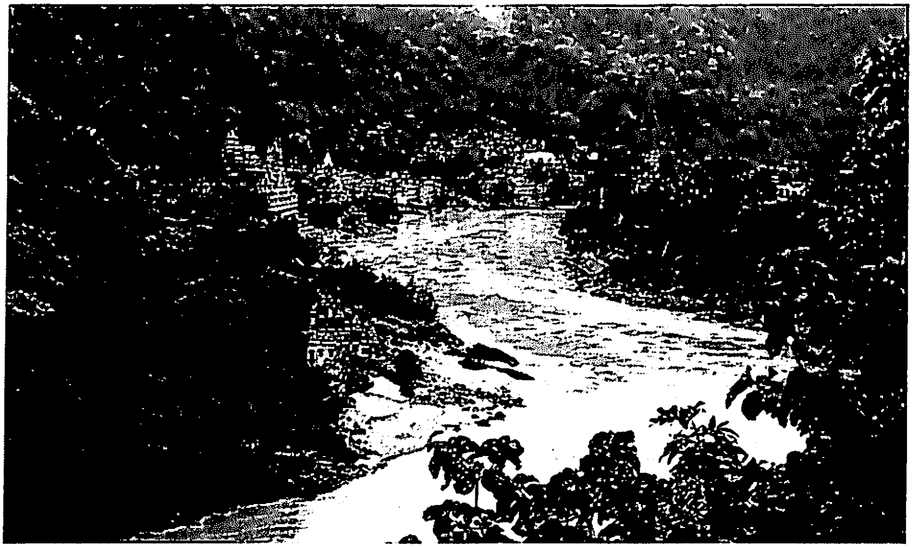

2

वर्ष 2007 के प्रथम महीने से लेकर अप्रैल तक देश की जल समस्या और समाधान के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार आयोजित किये गये जिनमें जल का उपयोग, जल साक्षरता और जल सत्याग्रह मुख्य थे। इन सेमिनारों में आम आदमी से लेकर राजनेता, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, विधिवेत्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, अध्ययनरत युवा वर्ग आदि सभी सम्मिलित रहे।

27 -30 जनवरी 2007 को 'जल जोड़ो' राष्ट्रीय जल सम्मेलन गांधी दर्शन, राजघाट, दिल्ली में किया गया जिसमें देश भर से जल चिन्तकों, विशेषज्ञों, विधिवेत्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देश भर से आए जल प्रेमी, अपने-अपने क्षेत्रों से पानी के नमूने लेकर आए थे जिसे पीकर समाज अपनी मौत को शनैः-शनैःआमन्त्रित करता है। अपने-अपने क्षेत्रों में जल के प्रदूषण और जल की बढ़ती हुई समस्याओं के समाधान के ऊपर फोकस रहा।

22 मार्च, अंतरराष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर गांधी स्मृति में बिड़ला हाउस, दिल्ली में जल साक्षरता के लिए एक बैठक रखी गई। बैठक स्थल वही स्थान था जहाँ गांधी जी रहा करते थे। बैठक की अध्यक्षता राधा भट्ट ने की और मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ थे।

''सत्याग्रह शताब्दी वर्ष : हमारा लक्ष्य 'जल साक्षरता से जल स्वराज-जल स्वराज से ग्राम स्वराज' था।''

हमारा लक्ष्य 'जल साक्षरता से जल स्वराज-जल स्वराज से ग्राम स्वराज' था। जल बिरादरी दिल्ली के रमेश शर्मा के गीत 'नदियां धीरे बहो.......' से सभा का प्रारम्भ हुआ। गांधी स्मृति की संचालिका डॉ. सविता सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और स्वागत भाषण भी दिया। जल की बढ़ती समस्याओं के समाधान में समाज का मालिकाना हक कैसे कायम हो?

देश की जलनीति कैसे प्रभावी बने और सरकार को किस प्रकार से जल के काम को आगे बढ़ाने के कारगर उपाय करने चाहिए, इन सबको लेकर राजेन्द्र सिंह ने गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन शताब्दी वर्ष में जल साक्षरता अभियान को देश के भू-सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्य करने की जरूरत पर जोर दिया।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने बैठक में अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा कि देश में जल की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। हमें किफायत से काम करना होगा, भू-जल वृद्धि के अपने पारम्परिक और आधुनिक तौर-तरीके भी अपनाने होंगे, जिससे धरती का जल स्तर बढ़े। हमें अपनी जीवन पद्धति में जल के उपयोग के विषय में भी सोचना पड़ेगा। सरकार ने इस वर्ष जल साक्षरता वर्ष घोषित ही नहीं किया है, बल्कि गांवों में रोजगार ग्रामीण गारन्टी योजना के तहत जल संरक्षण के लिए देशव्यापी योजनाएं भी बनाई हैं और उन्हें क्रियान्वित कराया गया है।

राधा भट्ट ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जब तक सरकार स्वयं मालिक बन कर रहेगी, तब तक समाज क्यों साथ दे? समाज को मालिक बनाने के लिए उसको अधिकार देने की जरूरत है। वैसे तो तभासं ने सन् 2006 में ही जल साक्षरता वर्ष मनाया और वर्ष भर कार्यक्षेत्र अलवर व देश में जल साक्षरता के कार्यक्रम किये जबकि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2007 को जल साक्षरता वर्ष घोषित किया।

3

18 अप्रैल का दिन भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में अपना महत्व रखता है। इस दिन गांधी जी ने बिहार प्रांत के चम्पारन क्षेत्र में किसानों की समस्या को लेकर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को भारतीय समाज की वस्तुस्थिति को समझाने का प्रयास किया था। वही आगे चलकर 'सत्याग्रह' शब्द अपने में पूर्ण संदेश वाहक बन गया और देश की आज़ादी में सत्याग्रह आन्दोलन के नाम से भी विख्यात हुआ जिससे ब्रिटिश हुकुमत भयभीत ही नहीं हुई बल्कि उसे भारत की सत्ता को छोड़ना पड़ा।

''सत्य के साथ आग्रह 'सत्याग्रह' अपने में पूर्ण संदेश वाहक शब्द बन गया और देश की आज़ादी में सत्याग्रह आन्दोलन नाम से भी विख्यात हुआ।''

जल बिरादरी ने वर्ष 2007 को 'जल सत्याग्रह' वर्ष घोषित किया और 18 अप्रैल को गांधी स्मृति, (बिड़ला हाउस) दिल्ली में 'जल सत्याग्रह' सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन की शुरुआत गांधी जी के प्रार्थना स्थल से प्रसिद्ध विचारक श्री एन. सुब्बाराव जी की सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। सम्मेलन का प्रथम सत्र भू-जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रखा गया था। इस सत्र के मुख्य अतिथि माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ थे, हिन्दुस्तान टाइम्स की प्रधान सम्पादिका श्रीमती मृणाल पाण्डे और यू. एन. डी. पी. से श्रीमती मैक्सीन थी। सम्मेलन की शुरुआत भू-जल के प्रतीक तीन घट धरती-पृथ्वी-भूमि में अतिथियों द्वारा जल भर कर की गई। सम्मेलन में देश के कोने-कोने से आये जल बिरादरी के सदस्यों ने अपने विचार रखे।

मुख्य अतिथियों में श्रीमती मृणाल पाण्डे ने 'नीर और नारी' के रिश्ते के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। मैक्सीन ने भारत और दुनिया के संदर्भ में अपने विचारों से लाभान्वित लोगों को किया। जल सत्याग्रहियों का मान बढ़ाते हुए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि आज देश में जल संरक्षण करना हर नागरिक का दायित्व है। सरकार इस कार्य में नई योजनाओं के माध्यम से पूरा सहयोग करेगी। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य जल सत्याग्रह है तो जहां भी जल सत्याग्रह करने की जरूरत होगी। मैं आपके साथ हूं। जल की कमी हमारे मुल्क में बढ़ती हुई समस्या तो है ही; यह दुनिया की ज्वलंत समस्याओं में से एक है। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे।

दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद जी थे। सत्र का उन्होंने प्रारम्भ 'धरती' के प्रतीक घट में जल डालकर किया। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने सम्मेलन की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से बताया। जल सत्याग्रह के संबंध में राजेन्द्र सिंह ने अपनी बात को मंत्री महोदय के समक्ष रखा तो मंत्री जी का एक ही जवाब था कि हम आपकी सारी बात मान रहे हैं। आप लोग तो हमारा ही काम कर रहे हैं। इसमें 'सत्याग्रह' करने की क्या जरूरत है ? हमने आपके कहने से ही 'ग्राम विकास आन्दोलन' कार्यक्रम चलाया है जबकि सरकारें 'आन्दोलन' शब्द से डरती हैं। आप हमें देश हित में सुझाव दीजिए, हम उन्हें जरूर लागू करेंगे। अगर हमें देश हित में नीतियों में भी परिवर्तन करना पड़े तो अवश्य करेंगे, 'सत्याग्रह' करने की जरूरत नहीं हैं। 'सत्याग्रह' शब्द से आज़ाद भारत के केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी थोड़े विचलित दिखाई दिए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि 'सत्याग्रह' सत्ता के विरुद्ध कदम है।

''आप लोग तो हमारा ही काम कर रहे हैं। इसमें 'सत्याग्रह' करने की क्या जरूरत है ? हमने आपके कहने से ही 'ग्राम विकास आन्दोलन' कार्यक्रम चलाया है जबकि सरकारें 'आन्दोलन' शब्द से डरती हैं। आप हमें देश हित में सुझाव दीजिए, हम उन्हें जरूर लागू करेंगे।''

मंत्री जी ने सम्मेलन में आए सभी लोगों की हौंसला अफजाई की और ग्रामीण विकास कार्यों में हर सम्भव सहयोग देने के लिए कहा। सम्मेलन के अन्त में 'जल सत्याग्रह यात्रा' के साथ चल कर यात्रा का शुभारंभ किया।

4

जनवरी 2006 में राजस्थान सरकार ने अलवर व अन्य जिलों में पानी का दोहन करने वाली 23 बड़ी शराब कम्पनियों को लाइसेन्स जारी किए व जमीने दी, जबकि तिजारा क्षेत्र पहले से ही कम पानी का क्षेत्र है और सरकार के भू-जल बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार भी कम पानी का क्षेत्र घोषित है।

तरुण भारत संघ ने तिजारा क्षेत्र में जन जागृति पैदा की और जल संरक्षण के कार्य किये जिससे जल स्तर में सुधार हुआ। लेकिन सरकार की नीतियों के चलते अब इसी पानी के दोहन के लिए बड़ी कम्पनियां आ रही हैं तो तरुण भारत संघ ने इन कम्पनियों का विरोध करना शुरू किया। चूंकि भाजपा की सरकार थी इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रतिक्रिया स्वरूप शिकायत की और कहा कि संस्था ने सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। मुख्य मंत्री ने तुरन्त जांच के आदेश दिए। जांच अधिकारियों ने तरुण भारत संघ द्वारा निर्मित तरुण जल विद्यापीठ के कार्य को तुरन्त रुकवा दिया।

3 जुलाई को किशनगढ़- बास में सांवरलाल जाट की बैठक में फिर से प्रश्न उठा तो जाट ने तरुण जल विद्यापीठ तुड़वाने के लिए सरकारी तंत्र पर बहुत दबाव डाला। सरकारी तंत्र नेताओं के इशारे पर नाचता है। वही नाच तरुण जल विद्यापीठ को तुड़वाने में देखा गया।

जिलाधीश अलवर ने आनन-फानन में बिल्डिंग तोड़ने के दस्ते व बल का बन्दोबस्त करके 13 जुलाई को तरुण जल विद्यापीठ को तोड़ने के लिए भेज दिया और संस्था के कार्यकर्ताओं की प्रार्थना पर कोई अमल न करते हुए भवन को तुड़वाया दिया। जलविद्यापीठ की बिल्डिंग को अतिक्रमण बताकर संस्था के पदाधिकारियों को बदनाम किया गया। जबकि संस्था ने शिक्षा के विकास के लिए अपने साधनों से 35 स्कूल बनाकर समाज को सौंपे हैं, उन भवनों में सरकारी स्कूल चल रहे हैं। वे सभी स्कूल गांव की जमीन पर थे। ऐसे ही तरुण जल विद्यापीठ के लिए भवन बन रहा था, जिसमें अलवर और राज्य के बच्चे ही शिक्षा पाते। तरुण जल विद्यापीठ किसी निजी कार्य के लिए नहीं था। जल विद्यापीठ के भवन में सरकार का पैसा हो या विदेशी समाज सेवी संस्थाओं का, लेकिन संस्था के पास तो समाज के विकास के लिए ही था।

संस्था पिछले 23 सालों से सामाजिक विकास के कार्यों में लगी हुई है। फिर भी सरकार और सरकारी तंत्र संस्था के कार्य को सराहने के बजाय तोड़ने में जुट गया। किसी

भी दल की सरकार रही हो, तरुण भारत संघ की वैचारिक लड़ाई के चलते ऐसी रुकावटें तो हमेशा आती रही हैं। भवन तोड़ने के पीछे सरकार की मंशा तिजारा से ही संस्था को हटाना था। न संस्था रहेगी और न शराब की कम्पनियों का विरोध होगा। कम्पनियों के लिए खुला निर्विरोध वातावरण मिलेगा।

> **"नवम्बर 2006 में संस्था ने सभी दस्तावेज जुटा कर उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका दायर की, जिसे न्यायालय ने स्वीकारते हुए सम्बन्धित पार्टियों को नोटिस भिजवा दिए, अभी न्यायालय में प्रक्रिया चालू है।"**

संस्था के पदाधिरियों ने इस विषय पर अपने सभी साथियों से विचार-विमर्श किया। सभी की राय में अब न्यायालय जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। नवम्बर 2006 में संस्था ने सभी दस्तावेज जुटा कर उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका दायर की। न्यायालय ने याचिका को स्वीकारते हुए पार्टियों को नोटिस भिजवा दिये, न्यायालय में प्रक्रिया चालू हैं। संस्था के पदाधिकारियों ने तय किया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय भी जाना पड़ेगा तो जायेंगे। पानी का संरक्षण करना, पानी की लूट को रोकना मूल उद्देश्य है। संस्था पानी के मुद्दे पर समाज के साथ रही है और भविष्य में भी संघर्षरत रहेगी।

5

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलने वाली हिण्डन नदी के दोनों ओर बसे गांवों ने नदी प्रदूषण को लेकर आन्दोलन तेज कर दिया है। इस आन्दोलन की शुरुआत नवम्बर 2004 में हुई थी। तरुण भारत संघ के तत्वावधान में हिण्ड़न जल बिरादरी का गठन किया गया था। गांवों में बैठकें आयोजित की गईं। संगठन बनाएं गये। स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया गया। नये कार्यकर्ता चुने गये। प्रशिक्षण प्रक्रिया चलाई और जिम्मेदारी सौंपी गई।

"नदी प्रदूषण के कारण प्राणघातक बीमारियां ही नहीं हो रही, यह एक सामाजिक बुराई भी बन चुकी है।"

हिण्डन का आन्दोलन सक्रिय रूप में कुछ गांवों में अपना असर दिखा रहा है। गांवों में जहां सबसे अधिक नदी प्रदूषण से लोग प्रभावित हुए हैं, वहां के लोग आगे आए हैं। उन्होंने अपने गांव में प्रदूषण करने वाले उद्योगों के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया है। उद्योगों के कारण ही नदी प्रदूषित हुई है। नदी प्रदूषण कैसे बन्द हो? इसके लिए उद्योगपतियों से मिल और ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को चालू करने के लिए कहा। जिन उद्योगों में प्लान्ट नहीं थे, उन्हें भी लगाने चाहिए और जिनमें बन्द पड़े हैं, उन्हें चालू

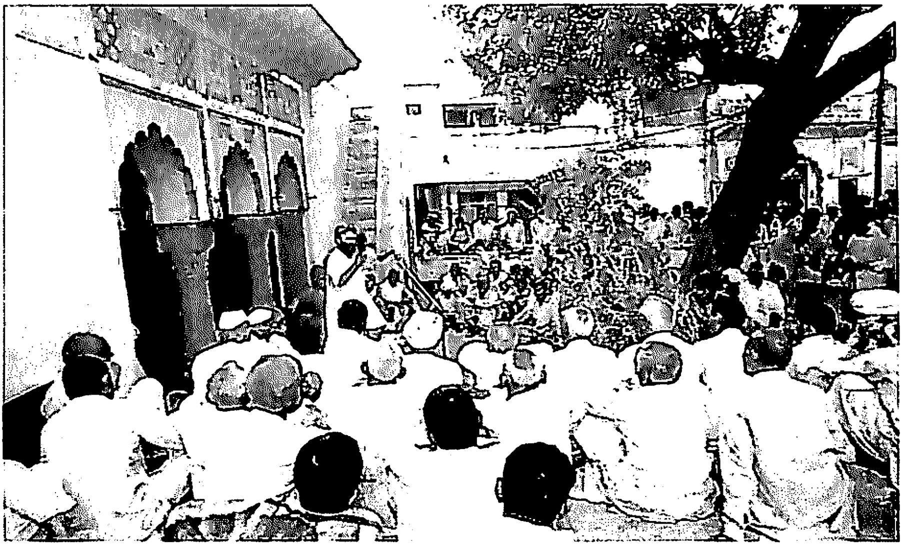

करना चाहिए। इतना ही नहीं पी.एस.आई. देहरादून की संस्था द्वारा नदी के प्रदूषित जल की लेबोरेट्री में जांच कराई गई।

गांव में महिला, पुरुष, बच्चों में नदी प्रदूषण के कारण तरह-तरह की प्राणघातक बीमारी ही नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। नदी किनारे बसे गांवों में हजारों युवाओं को बिना संगिनी के ही जीवन यापन करना पड़ रहा है। इन गांवों में अपनी लड़की देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है।

अब आलम यह है कि नदी प्रदूषण से प्रभावित गांवों ने सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। फरवरी 2007 में लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया कि हम अपने बच्चों को पोलियो की दवा नहीं पिलाएंगे। चालीस गांवों में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का बहिष्कार हुआ। 26 मार्च 2007 को भी ऐसा ही संकल्प प्रभावित गांवों ने लिया जिससे सरकारी तंत्र भी हिला और राजनीति भी। उत्तर प्रदेश के अप्रैल में होने वाले चुनावों की सरगर्मी जनवरी-फरवरी से ही शुरू हो गई थी। हिण्डन के प्रभावित गांवों में इस बार चुनावों के बहिष्कार की सुगबुगाहट होनी शुरू हुई थी। 30 जनवरी को गांधी दर्शन दिल्ली में हिण्डन के प्रभावित गांवों के लोगों ने अपने गावों के पानी को गांधी जी की मूर्ति के आगे रखते हुए संकल्प लिया था। हम अब की बार चुनावों का बहिष्कार करेंगे।

इस संकल्प की पूर्णाहुति 26 मार्च को गांव-गांव में संकल्प के साथ चैत्र मास के नवरात्रों में की गई। गांव-गांव में सभाएं आयोजित की गईं। मीडिया में चुनाव बहिष्कार की खबरें आने से सरकारी तंत्र भी सतर्क हुआ। कलेक्टर, एस.पी., एस डी.एम. और तहसीलदार आदि को गांवों में जायजा लेने जाना पड़ा।

6

मई से जुलाई तक यमुना के उद्गम स्थल यमुनोत्री से लेकर गंगा-यमुना संगम इलाहाबाद तक यमुना के दोनों किनारों पर तीन चरणों में यमुना के लिए अध्ययन यात्राएं की गईं जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से यमुना की व्यथा कथा सुनी-समझी और अपने अनुभव से विवेचनात्मक स्थिति लोगों के सामने रखी। यमुना क्षेत्र के समाज के साथ संवाद किया गया जिसमें गांवों के किसान-मजदूर, मछुआरे, व्यापारी व उद्योगपति, बुद्धिजीवी, विषय विशेषज्ञ, शोधकर्ता थे। इसके अलावा सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और राजनैतिक लोगों के साथ भी शासन यमुना के विषय में व्यापक संवाद किया गया। प्राकृतिक रूप से जीव-जगत् को पोषित करने वाली यमुना के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई।

यमुना के किनारे पांच हजार वर्ष पूर्व स्वयं पाण्डवों ने अपने पुरुषार्थ से 'इन्द्रप्रस्थ' नामक शहर महाभारत काल में बसाया था जहां से उनका स्वतंत्र राज-काज चला था। कालान्तर में इन्द्रप्रस्थ का नाम दिल्ली हुआ। यहां कई महान् सम्राटों का शासन काल रहा। दिल्ली के आकर्षण ने हमेशा राज सत्ता को अपनी तरफ आकर्षित किया है। मुगल बादशाह शाहजहां ने भी यमुना के किनारे लाल पत्थर का किला बनाया था जिसे 'लालकिला' नाम की पहचान मिली और यहीं से लम्बे समय तक देश का राज चला।

"यमुना के किनारे पांच हजार वर्ष पूर्व 'इन्द्रप्रस्थ' नामक शहर महाभारत काल में स्वयं पाण्डवों ने अपने पुरुषार्थ से बसाया था जहाँ से उनका स्वतंत्र राज-काज चला था। कालान्तर में इन्द्रप्रस्थ का नाम दिल्ली हुआ।"

आज वही यमुना नाले में तब्दील हो गई है। फिर यमुना स्वच्छता के नाम पर 'यमुना एक्शन प्लान' बना और कर्ज लेकर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया लेकिन यमुना नदी और गन्दा नाला बनती गई। 22 कि.मी. लम्बी 2 से 5 कि.मी. चौड़ाई में अपने निर्मल जल से भू-जल भण्डारों को भरती-बहती जाती यमुना अब दोनों तरफ तटबंधों से बांध दी गई है और अब होटल, होस्टल, मॉल आदि तरह-तरह के सीमेन्ट व कंकरीट के जंगल में तब्दील की जा रही है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गांव, कस्बों और नगरों से गुजरने वाली नदियां भी इसी हश्र की शिकार होंगी। ऐसी स्थितियों से बचने हेतु यमुना माँ सबको आवाज दे रही है। हम सब यमुना की आवाज सुनें और यमुना को बचाने में जुटें।

दिल्ली को पानीदार बनाने वाली यमुना प्रकृति प्रदत्त है। इस सत्य को स्वीकारने का सरकार से आग्रह करते हैं। हम सब दिल्ली और दिल्ली देहात के लोग आज देश भर की सभी नदियों को शुद्ध-सदानीरा, हरी-भरी, अविरल बहाने हेतु आज़ाद बनाने का यमुना जल के साथ संकल्प लेते है। इसी भाव से यमुना के बहाव क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य किया गया लेकिन लोक कल्याणकारी सरकारों के नुमाइंदों ने वृक्षारोपण का कार्य बन्द करा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि लगाये गये पौधे भी उखाड़ दिए।

सन् 2010 में होने वाले विश्वस्तर के राष्ट्रमण्डल के खेलों के लिए यमुना के तटबन्ध को चुन कर खिलाड़ियों की आवासीय व्यवस्था के लिए अधिग्रहण कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है जिसका नामकरण खेलगांव हुआ है।

निर्माण कार्य और अन्य बहुउद्देश्यीय विकास के नाम पर यमुना बहाव क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण की गई है। यमुना के बहाव क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए एक नारा दिया कि 'खेल गांव तो कहीं और बनेंगे, यमुना में तो पेड़ लगेंगे'। इसके लिए दिल्ली क्षेत्र में बहती यमुना के बहाव क्षेत्र में पंचवटी लगाने का कार्य किया जायेगा।

7

1 अगस्त से यमुना के किनारे बैठ कर 'यमुना सत्याग्रह' का आह्वान किया। यमुना सत्याग्रह में दिल्ली की कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का अच्छा सहयोग मिलने लगा। धीरे-धीरे दिल्ली व दिल्ली से बाहर के प्रकृति प्रेमियों का सहयोग बढ़ता गया। यमुना के विषय में तरह-तरह के अध्ययन किये जाने लगे। उनका विश्लेषण-विवेचन-तथ्यात्मक-तर्कसंगत रूप से सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये गये। लेकिन सरकारी अधिकारियों को यह सब तथ्यात्मक साक्ष्य फिजूल की बातें लगीं और विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करने के अलावा उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया।

एक दिन जब एक सत्याग्रही ने बीस-पच्चीस फीट गहरे कुएं में बैठ कर सत्याग्रह अनशन करना शुरू दिया। यह खबर मीडिया तक पहुंची फिर पूरा मीडिया खेलगांव में पहुंचा और यमुना में हो रहे अतिक्रमण को अपनी आँखों से देख-समझ कर खबर देने लगा।

यह खबर इतनी प्रभावी बनी कि इसका सीधा प्रसारण सत्याग्रह स्थल से ही किया जाने लगा जिससे सरकारी और राजनैतिक तंत्र में हलचल शुरू हुई। राजेन्द्र सिंह को दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का बुलावा आया। उप राज्यपाल और उपाध्यक्ष का बुलावा आया। यमुना के संरक्षण के लिए सत्याग्रह प्रतिनिधिमंडल ने सबसे बातें कीं। यमुना की वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया। लेकिन विकास की गोली के अलावा सभी सुझाव गले से नीचे नहीं जा रहे थे। उपराज्यपाल ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, समझा और यमुना में खेलगांव के अलावा आगे निर्माण कार्य नहीं करने का वायदा किया और इसे निभाया भी। हेलीपैड का काम रोक दिया। नये मॉल, होटल नहीं बनेंगे, ऐसा विश्वास दिलाया।

खेलगांव का काम रोकने में उपराज्यपाल ने अपनी मजबूरी बताई। हमने विनम्रतापूर्वक भारत की कैबिनेट से मिलने का आग्रह किया। सबसे पहले मानव संसाधन मंत्री जी ने अच्छे से सुना और कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी होनी चाहिए थी। आपने मुझे इसका सत्य और खतरा बताया। हम इस पर पूरी कोर कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। 12 नवम्बर को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में अर्जुन सिंह, शिवराज पाटील, जयपाल रेड्डी, अंबिका सोनी, मणिशंकर अय्यर के अलावा नौ मंत्री और थे। दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। करीब डेढ़ घंटे तक यमुना नदी का सत्य

सब ने सुना। सुनने के बाद कहा कि यह जानकारी हमें पहले पता होती तो यहां खेलगांव नहीं बनता। आपने देर से बताया। सत्याग्रहियों ने कहा 'गलती का जब पता चले, तभी से रोकना चाहिए।' सभी आश्वासन लेकर आये 'काम रोकेंगे'।

यमुना खादर में दिल्ली के भूजल का भण्डार है। दिल्ली हेतु जल की जरूरत पूरी करने में इसका बड़ा योगदान है। इसका पर्यावरणीय अध्ययन करने वाली संस्था नीरी ने दिल्ली सरकार को चार जगह सुझाई थीं। दिल्ली सरकार को केवल यमुना खादर ही दिखाई दिया। दूसरी कोई जगह न तो देखी और ना ही कॉमनवेल्थ खेल समिति को दिखाई, अक्षरधाम के पीछे बना बंधा अवैधानिक है, पर्यावरण के कानूनों की अवहेलना करके बनाया गया है। स्वयं अक्षरधाम मन्दिर गलत बना है। अब वर्तमान सरकार ऐसी गलती क्यों करना चाहती है ? अक्षरधाम बन गया है, इसलिए इसमें खेल गांव बनाना चाहिए, यह बहुत ही गलत कदम है। इसे तुरन्त रोकें।

सबसे दुखद बात यह है कि खेलगांव बनाने का ठेका विदेशी कम्पनी को दिया गया। यह कम्पनी सारे गलत काम करने में विशेषज्ञ है। इसे विकास के नाम पर विनाश में महारत हासिल है। हम सब सत्याग्रही विकास के ही कार्य करते हैं। हम किसी तरह का भी प्राकृतिक या मानवीय विनाश नहीं चाहते। सरकार ने हमारे लगाए पेड़ पौधे उखाड़ कर सीमेन्ट-कंकरीट का जंगल बनाना चालू किया लेकिन सत्याग्रहियों ने किसी काम में बाधा नहीं पैदा की। बस! सत्याग्रह स्थल पर रात-दिन बैठे रहे। जो भी हमारे पास सरकारी, गैर-सरकारी, पत्रकार लोग आए, उन्हें यमुना हत्या रोकने का अहसास

कराया। जिसे सत्याग्रह की बात का अहसास हुआ, उसने हमारे साथ जुड़ने की जिज्ञासा प्रकट की और साथ आकर यमुना सत्याग्रही बने।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह ने सत्याग्रह स्थल पर आकर यमुना खादर क्षेत्र में पदयात्रा कर सत्याग्रहियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि यमुना की रक्षा के लिए मैं आपके साथ हूं। अगर मुझे बड़ी-बड़ी मशीनों को रुकवाने के लिए यमुना की धरती पर मशीनों के आगे लेटना पड़े तो सबसे पहले मैं लेटूंगा। केन्द्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिज़ तो अचानक सत्याग्रह स्थल पर आए, जमीन पर बिछी चादर पर बैठ गये। उन्होंने यमुना सत्याग्रह का समर्थन ही नहीं किया बल्कि सार्वजनिक रूप में अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब यहां अक्षरधाम मन्दिर बनाने की अनुमति हमने ही दी थी।

कांग्रेस के केन्द्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी ने दो बार राजेन्द्र सिंह को आमंत्रित किया। राजेन्द्र सिंह ने श्री राहुल गांधी के साथ यमुना संरक्षण के विषय में लम्बी बातचीत की और कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने भी यमुना की जानकारी और जल संरक्षण के विषय में राजेन्द्र सिंह को आमंत्रित किया था। राजेन्द्र सिंह गये और अपने विचारों से महामहिम को भी अवगत कराया। सरकारी स्तर पर किये गये राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधान मंत्री जी से मिलना हुआ। सम्मेलनों में यमुना की बात प्रधान मंत्री जी तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। पक्ष-विपक्ष के राजनैतिक लोगों के साथ संवाद जारी रहा।

8

तरुण भारत संघ में गांधी जयन्ती पर होने वाले वार्षिक उत्सव 'ग्राम सभा सम्मेलन' का आयोजन भी यमुना सत्याग्रह स्थल पर ही हुआ जिसमें राजस्थान जल बिरादरी के प्रतिनिधि, अरवरी संसद के सदस्य और तरुण भारत संघ कार्य क्षेत्र की ग्रामसभाओं के सदस्य बड़ी संख्या में पहुंचे थे। यमुना और राजस्थान की भौगोलिक पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए यमुना सत्याग्रह का समर्थन किया गया।

30-31 अक्टूबर 2007 को जल बिरादरी का राष्ट्रीय सम्मेलन यमुना के ही किनारे सम्पन्न हुआ था। यमुना के किनारे देशभर के जल प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, नदी, झील सरोवर और पर्यावरण की रक्षा में जुटे जल बिरादरी के योद्धाओं ने समय-समय पर देश के कोने-कोने से दिल्ली पहुंच कर हौसला बढ़ाया।

1 से 11 दिसम्बर तक यमुना जल ग्रहण क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में पदयात्राएं की गईं। इस यात्रा में दिल्ली क्षेत्र के ग्रामीण जन, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, तरुण भारत संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जन जागृति का अभियान चलाया। इस अभियान में समाज के हर वर्ग से संवाद किया गया और यमुना का महत्व जन-जन तक पहुँचाने के प्रयास किये गये। जनवरी-फरवरी 2008 में यमुना सत्याग्रह स्थल पर कई बड़ी बैठकें हुईं।

यमुना के बहाव क्षेत्र को सरकारी अतिक्रमणकारियों के चुंगल से बचाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। 3 फरवरी 2008 में न्यायाधीशों ने मौके पर ही पहुँचकर यमुना की स्थिति का मुआयना किया। यह देश में पहली बार हुआ था। जबकि न्यायाधीश अपने स्तर से किसी वस्तुस्थिति को देखने समझने के लिए जायें खुद, लेकिन यमुना के प्रवाह स्थल ने न्यायाधीशों को देखने-समझने के लिए मजबूर कर दिया। यमुना की स्थिति को विधिवत् यमुना के किनारे समझाया गया। न्यायालय ने यमुना की सब दास्तान को सुन समझ कर अपना निर्णय एक साल तक सुरक्षित रखा। एक साल बाद 5 दिसम्बर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया कि कॉमनवेल्थ और देश के आपसी हितों को देखते हुए, कॉमन वेल्थविलेज के काम को यथावत चालू रखा जाए लेकिन आगे कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। जैसा कि पहले ही अर्जुन सिंह के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट रूप से वही बाते सामने आई थीं, लेकिन न्यायालय के निर्णय से और स्पष्ट हो गई।

अगस्त 2008 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना के जल ग्रहण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यमुना के जल बहाव क्षेत्र को हरित- पट्टी के लिए घोषणा की है तथा भविष्य में यमुना जल ग्रहण क्षेत्र में सरकारी स्तर पर किसी प्रकार के निर्माण न करने की वचनबद्धता जताई है। इस प्रकार नदी संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि तरुण भारत संघ के प्रयासों से मिली। इस कामयाबी में जल बिरादरी की सहयोगी संस्थाओं का सहयोग रहा है।

जब समाज जागता है, तब बहुत से काम अपने आप शुरू हो जाते हैं। यमुना सत्याग्रह, जो यमुना के सत्य को समझ कर सरकार को यमुना का सत्य समझाने का आग्रह रहा है, सत्याग्रही इसमें सफल हुए हैं। सत्याग्रहियों ने सरकार के सभी स्तरों पर जा जाकर यह समझाया है कि यमुना खादर बचाना जरूरी है। दोनों पार्टियों के उच्च नेता सत्याग्रह में आए। उन्होंने यमुना का सत्य जाना। अब उनका जमीर जो करेगा, वही ये करेंगे। यमुना सत्याग्रह सभी राजनेताओं के जमीर को जगाने हेतु प्रयासरत रहा। इस दिशा में विद्यार्थी, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, प्रकृति प्रेमी सत्याग्रह में प्रतिदिन शामिल होते रहे हैं। सत्याग्रहियों का यमुना किनारे बैठना, नदी को मरने से बचाना, नदी पुनर्जन्म हेतु कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना, काम करने-जुटने का संकल्प सत्यतापूर्ण बनता गया।

''जब समाज जागता है, तब बहुत से काम अपने आप शुरू हो जाते हैं। यमुना सत्याग्रह जो यमुना के सत्य को समझ कर सरकार को यमुना का सत्य समझाने का आग्रह रहा है, सत्याग्रही इसमें सफल हुए हैं।''

9

सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में बाघ और वनवासी लोग सदियों से रहते आ रहे थे, लेकिन सरिस्का में बाघों का खत्म होना मानवीय दखल का कारण माना गया। मानवीय दखल किस प्रकार का है? इसकी कोई तर्कसंगत विवेचना नहीं हुई। सीधे-सीधे अभयारण्य में रहने वाले लोगों पर निशाना साधा गया। सरिस्का में बाघ कैसे आएं ? इसके लिए बाघ परियोजना में बसे अट्ठाईस गांवों के विस्थापन का सवाल खड़ा हुआ। कहा गया कि सरिस्का को बाघों से दोबारा आबाद करने के लिए क्षेत्र में मानवीय दखल पर रोक नहीं लगने से बाघ पुनर्वास योजना अधर में अटकी है।

''बाघों का खत्म होना मानवीय दखल का कारण माना गया। मानवीय दखल किस प्रकार का है? इसकी कोई तर्कसंगत विवेचना नहीं हुई।''

बाघों के गायब होने और अवैध शिकार पर वर्ष 2003 में काफी हल्ला मचा था , लेकिन तब जंगलात विभाग सोता रहा। जब सरिस्का बाघ विहीन हो गया, तब जाकर नींद खुली। शिकारी शिकार कर चुका था। कौन था? शिकार की घटना कब घटी, कुछ अता-पता नहीं। प्रति वर्ष मई में वन्य जीवों की गणना की जाती थी। उसमें 17-18 बाघ होने की घोषणा सरिस्का अभयारण्य के अधिकारी करते थे। वर्ष 2004 की गणना में 18 बाघ होने की सार्वजानिक घोषणा की गई थी। जनवरी 2005 में सरिस्का में बाघ न होने के समाचारों ने देश के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि वन्य जीवों की सुरक्षा में लगा तंत्र क्या कर रहा था?

विभागीय स्तर पर, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित जांच कमेटियों द्वारा अपनी-अपनी जांच में सरिस्का को बाघविहीन बताया। इतने पर भी यह अफवाह फैलायी जाने लगी कि बाघ पहाड़ों पर ऊपर चले गये हैं। खैर ! सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य से सबके देखते बाघ विलुप्त हो गये। किसी को कानोंकान भनक भी नहीं लगी,जबकि 250-300 अधिकारी, कर्मचारियों की फौज उसकी रक्षा-सुरक्षा में लगी थी। यह कोई छोटी घटना नहीं थी। यह प्रकृति के विनाश के लिए मानवीय कुकृत्य था। इस घटना से देश-विदेश के प्रकृतिप्रेमियों को बड़ा आघात पहुंचा था। संसार से वन्यजीवों की प्रजातियां कैसे विलुप्त होती हैं, सरिस्का इसका जीता-जागता उदाहरण बना।

राज्य सरकार ने सरिस्का में बाघों को बसाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया और केन्द्र ने विशेष अध्ययन दल भेजा। दल और टास्कफोर्स की रिपोर्ट में सरिस्का क्षेत्र में

मानवी दखल कम करने के लिए और सुरक्षा तंत्र मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही इस क्षेत्र को बाघों से आबाद करने की योजना बनाई गई।

सरिस्का में 26 गांव हैं। फिलहाल सरकार ने इनमें से चार गांवों का ही विस्थापन कार्य शुरू किया। इनमें किरास्का, कांकवाड़ी, उमरी व भगानी शामिल है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया जनवरी 2006 से शुरू कर दी थी। विस्थापन की प्रक्रिया को समझने के लिए संस्था का एक शिष्टमण्डल अप्रैल में सरिस्का बाघ परियोजना के मुख्यालय पर सी.सी.एफ.श्री सोम शेखर से मिला। सोम शेखर जी ने विस्तार से पूरी विस्थापन की परियोजना को समझाया था। सरिस्का में बाघों के पुनर्वास के लिए केन्द्र ने विस्थापित प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपये देने का फैसला लिया है। इसके लिए 19 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। जहां सरकारी जमीन है वहां पर बसाने की भी व्यवस्था की गई है।

× × ×

बाघ परियोजना से गांवों के विस्थापन के संबंध में जिलाधीश अलवर की अध्यक्षता में बनी कमेटी में तरुण भारत संघ भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। संस्था के सदस्यों ने समय-समय पर सरिस्का की विस्थापन प्रक्रिया में अपने सुझावों से अवगत कराया। प्रथम चरण के चार गांवों में से दो गांवों का पुनर्वास बड़ोद की रून्ध में शुरू किया गया। संस्था के सदस्यों का मानना था कि पहले किरास्का और उमरी गांवों को ही लें। लेकिन बाघ परियोजना के अधिकारियों ने भगाणी और कांकवाड़ी को ही चुना। संस्था सदस्यों ने सरिस्का से पूर्व में हुए विस्थापित गांवों के विषय में विस्तार से समझाया कि इस विस्थापन में पूर्व में बरती लापरवाही दुबारा से नहीं दोहराई जाए तथा विस्थापित होने वाले गांववासियों को सरकारी स्तर से क्या योजना है? उसका विस्तार से अध्ययन किया। योजना को ग्रामवासियों के अनुकूल देखते हुए सरकार और ग्रामवासियों का साथ दिया।

सरकारी स्तर पर तीन वर्ष तक चली प्रक्रिया के तहत भगाणी और कांकवाडी गांव को ही विस्थापित किया जा सका। दोनों गांवों में कुल मिलाकर 180 परिवार हैं, जिसमें से 125 परिवारों का पुनर्वास किया गया। भगाणी गांव के 21 परिवार और कांकवाडी गांव के 104 परिवार हैं। उनके लिए मकान, खेती की जमीन, पानी, बिजली आदि की सुविधाएं दी गयी हैं। बच्चों के लिए स्कूल, सामुदायिक भवन, आने-जाने के रास्ते व साधन उपलब्ध हैं। देवी-देवताओं के लिए पर्याप्त जगह, रोजगार के अवसर हैं। सरिस्का के वनवासियों को देवनगर में बसाया जाना देश में पूर्व में हुए पुनर्वासों को

''संस्था के सदस्यों का मानना था कि वे पहले किरास्का और उमरी गांव को ही लें। लेकिन बाघ परियोजना के अधिकारियों ने भगानी और कांकवाड़ी को ही चुना।''

देखते हुए अब तक के सबसे अच्छे पुनर्वासों में मान सकते हैं। हालांकि इस प्रकार के विस्थापन और पुनर्वास में बाघ परियोजना के अधिकारी और कर्मचारियों को काफी परेशानियां हुई हैं।

यह पुनर्वास सभी विभागों के समन्वयी प्रयासों से सम्भव हुआ है क्योंकि यह प्रयास करना जरूरी था। राजनैतिक कारणों और परियोजना के ढुलमुल नीति से कांकवाड़ी के लोगों के पुनर्वास में एक वर्ष से अधिक समय लगा। इस पुनर्वास में कांकवाड़ी गांव के लोगों के रिश्तेदारों के द्वारा भी समझाइश का कार्य हुआ, तब जाकर लोग तैयार हुए थे। अब वन विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार की पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए।

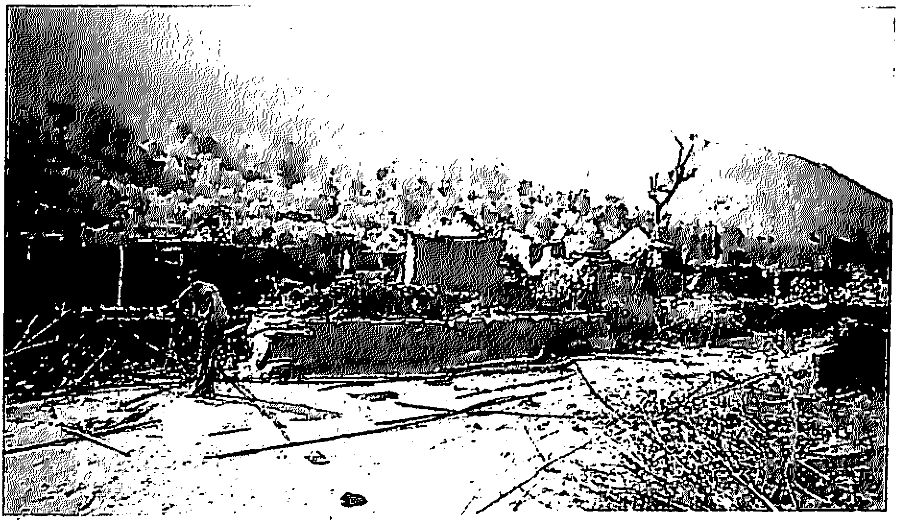

तरुण भारत संघ

चौबीसवां कदम

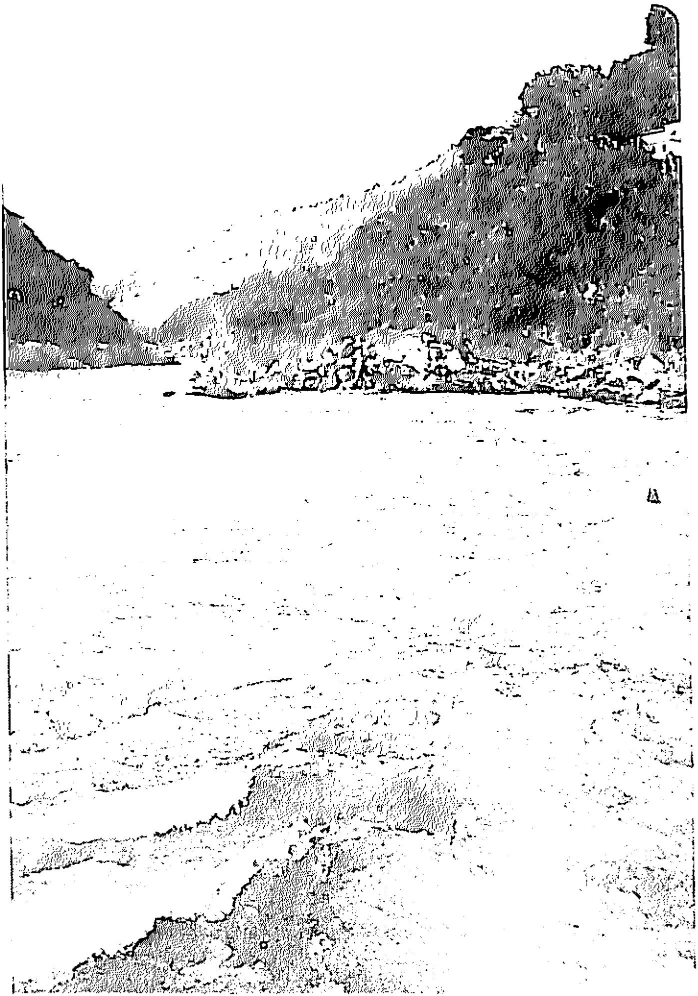

1

आज नदियों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह काम प्रकृति स्वयं ही करती है। जहां जिस नदी को जुड़ना है, वह स्वयं जुड़ जाती है। जैसे गंगा-यमुना एक ही पर्वत हिमालय से निकलती है और अलग-अलग रास्ते में होते हुए इलाहाबाद में मिल जाती है। नदियों को कोई व्यक्ति, कम्पनी नहीं जोड़े, बल्कि यह काम स्वयं प्रकृति ही करेगी।

भारत की शुद्ध-सदानीरा नदियां अभी तक प्रदूषण और शोषण की मार झेल रहीं हैं। अब नई बड़ी मार रीयल स्टेट ने विविध रूपों में शुरू की है। कहीं मन्दिर तो कहीं गुरुद्वारे, मस्जिद बनाकर धर्म संस्कृति की दुहाई देकर कब्जे हो रहे हैं, तो कहीं खेलगांव, मेट्रो डिपो, मॉल-होटल, हवाई अड्डे, रिवर व्यू विकास के नाम पर नदियों का विनाश और कब्जे देश भर में प्रारम्भ हो गये हैं। देश का कोई शहर ऐसा नहीं है, जो यह कह सके कि हमने नदियों को बचाया है। हमारे गांव में आज भी कह सकते हैं कि हमने मरी-सूखी अरवरी को सजल किया।

नदी सत्याग्रही की नजर में नदियों को बचाने में राज-समाज की साझी और अलग-अलग भूमिकायें हैं। नदियों को शुद्ध-सदानीरा बनाने में गरीब-अमीर, हिन्दू-मुस्लिम, सिक्ख-ईसाई आदि सब की साझी और समान भूमिका है। इसी तरह राज-समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन राज और राज्य संचालक वर्ग की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि नदियों को गंदी बनाकर मारने वाला काम राज्य ने ही करवाया। इस गलत काम को रुकवाने की जिम्मेदारी भी राज्य की है।

2

राजस्थान में 11 फरवरी से 15 फरवरी तक लूनी नदी जल ग्रहण क्षेत्र बाड़मेर, पाली में लूनी नदी बचाने और संरक्षण के लिए जन-जागृति पदयात्रा की गई थी। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि लूनी नदी के किनारे लगे उद्योगों के कारण नदी व नदी क्षेत्र के प्रदूषित भूजल के प्रति लोगों को जागरूक करना था। उद्योगपति इस दिशा में सोच भी नहीं रहे कि नदी के प्रदूषित जल से क्षेत्र की जनता का क्या हाल है? वे तो अपने उद्योग को चलाने के लिए हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में किसी प्रकार के जल शुद्धिकरण के संयंत्र नहीं लगाये हैं। अगर किसी ने कुछ कोशिश की है, तो वे पूर्णरूप से खराब हैं, अनुपयोगी हैं। नदी क्षेत्र का पानी इस तरह दूषित हो चुका है कि न तो वह खेती के लिए उपयोगी है और न पशुओं के लिए ही। आदमी के लिए उपयोगी होने की तो बात तो बहुत दूर की है। फिर भी आदमी को जिन्दा रहने के लिए तो पानी चाहिए, जहर के रूप में ही क्यों न हो। वह हर परिस्थिति में जिन्दा रहने के प्रयास करता है। इसी सोच के साथ लूनी नदी क्षेत्र के ग्रामवासी जहर रूपी पानी को पीकर जिन्दा हैं।

तरुण भारत संघ के अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं ने पूरी लूनी नदी क्षेत्र में पांच दिनों तक पदयात्रा की थी। इस यात्रा में गांव के लोगों के साथ संवाद, स्थानीय प्रशासन के साथ संवाद और उद्यमियों के लिए आह्वान किया। उनके सामने उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिन्डन नदी का उदाहरण दिया गया कि वहां की जनता ने किस प्रकार दो साल तक लगातार संघर्ष किया। सरकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। गन्ना मिलों के सामने धरना प्रदर्शन किया। ताले डाले गये और उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी गई। यह सब गांव के संगठन से हुआ।

हिन्डन के दोनों किनारों पर चार सौ से अधिक गांव बसे हैं। लेकिन 60 गांव ऐसे थे जो बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपना संगठन बनाया और जनवरी 2007 को सरकारी पोलियो अभियान का बहिष्कार किया, जिससे सरकारी तंत्र जगा। उसने हिन्डन के किनारे उद्योगों को सचेत किया।

"जनता की शक्ति का आखिरी हथियार संगठन और श्रमदान ही होता है।"

सभी उद्योगों में अब पानी का शुद्धिकरण किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में तो वहां से अधिक जल प्रदूषण हो रहा है। आप लोग इसके लिए आवाज उठाएं, तभी ये उद्यमी आपकी आवाज सुनेंगे। इस

प्रकार के संवाद से क्षेत्र की जनता में जान आई, सभी ने इसके लिए संगठन बना कर एकजुटता के साथ लूनी नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए कहा। सरकार को भी लिखा, लेकिन सरकार और उद्यमियों के कान पर जूं तक नही रेंगी।

जनता की शक्ति का आखिरी हथियार संगठन और श्रमदान ही होता है। एक दिन बाड़मेर के पांच हजार से अधिक लोगों ने अपने तगारी-फावड़े उठाये और औद्योगिक इकाइयों को रोकने के लिए लूनी नदी में ही बांध बनाना शुरू कर दिया। बाड़मेर में लूनी नदी के लोक अभिक्रम की भनक जब विधान सभा में मुख्यमंत्री के कान में पड़ी, तो तुरन्त वहीं से आदेश जारी कर दिये गए कि सभी प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बन्द किया जाए। लोक शक्ति और श्रमदान का परिणाम सुखद रहा। कुछ उद्योगों में खराब पड़े ट्रीटमेन्ट प्लान्ट दोबारा चालू किये गये। कुछ में नये लगे। सरकारी तंत्र भी सतर्क हुआ है और राज्य सरकार ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है। जन शक्ति को अहसास हो गया कि संगठन में शक्ति है जनशक्ति आगे सरकार, प्रशासन और उद्यमियों को भी झुकना पड़ता है।

3

उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने गंगा एक्सप्रेस हाईवे बनाने की एक बड़ी योजना बनाई है। गंगा एक्सप्रेस हाईवे की लम्बाई 1000 किलो मीटर और चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर, ऊंचाई 7.5 मीटर होगी। इस हाईवे में उत्तर प्रदेश की 40 हजार एकड़ उपजाऊ जमीन जायेगी। यह हाईवे नोएडा से नरायणपुर (बलिया) तक गंगा के बायें किनारे से जायेगा, जिसमें 20 जनपदों की जमीन जा रही है। सरकार इस हाईवे को बाढ़ नियंत्रण के रूप में देख रही है। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने इस योजना का प्रारूप विश्व बैंक के इशारे पर तैयार किया है।

गंगा एक्सप्रेस हाईवे इतनी भयावह योजना है कि इससे गंगा और गंगा के मैदानी क्षेत्र की खेती पूरी तरह खत्म हो जायेगी। आजीविका और रोजगार के साधन खत्म होंगे। जनता में लूटपाट बढ़ेगी, गंगा का प्रवाह क्षेत्र तटबन्धों के द्वारा अवरुद्ध होगा जिससे बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ सकता है।

गंगा भारत की संस्कृति है, जिसका जल अमृत्व लिए हुए है। अब विकास के दौर में गंगा जैसी पवित्र नदियां सिर्फ आदमी के दुष्कृत्य व मल को बहाने का साधन बनती जा रही हैं। गंगा को जगह-जगह बांध कर वेग-विहीन बना दिया गया है जिससे उसमें अपने को ही शुद्ध करने की क्षमता नहीं रही है। कानपुर में गंगा का हाल-बेहाल है। उसके जल का आचमन करने को मन नहीं करता। हमारे विकासशील युग की ऐसी देन है कि जिसमें नदियों की हत्या हो रही है।

"गंगा भारत की संस्कृति है, जिसका जल अमृत्व लिए हुए है। अब विकास के दौर में गंगा जैसी पवित्र नदियां सिर्फ आदमी के दुष्कृत्य व मल को बहाने का साधन बनती जा रही हैं।"

इस योजना पर कार्य करने के लिए 16-17 दिसम्बर 2007 को विकास अध्ययन संस्थान जयपुर में आयोजित गोष्ठी में विचार उभर कर सामने आया कि गंगा एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर काम करने की तत्काल जरूरत है क्योंकि 8 जनवरी को बलिया में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। उससे पहले कम से कम एक वाहन यात्रा बतौर सर्वे नोएडा से बलिया तक कर ली जाए। इस यात्रा में समाज कर्मियों और पत्रकारों से मिला जाए जिससे इस भयावह योजना के बारे में जनता के बीच में हलचल हो, लेकिन राजेन्द्र सिंह को इस यात्रा से पहले कुछ स्थानों पर जैसे -कानपुर, इलाहाबाद और बनारस में

जाना चाहिए। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने इसे स्वीकार किया और जनवरी के प्रथम सप्ताह में गंगा संरक्षण अभियान शुरू हो गया।

इलाहाबाद, कानपुर और बनारस में गंगा को लेकर प्रेसवार्ता और संगोष्ठी हुई। लोगों में भी गंगा का अपना महत्व है। कानपुर के लोगों को चाहे गंगा का महत्व न हो लेकिन इलाहाबाद और वाराणसी की पहचान ही गंगा है। इन दोनों जगह लोगों ने राजेन्द्र सिंह को सुना और समाचार पत्रों ने खूब छापा, जिसका परिणाम यह हुआ कि मायावती को गंगा एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास स्थान बदल कर नोएडा करना पड़ा।

दूसरी अध्ययन यात्रा तुरन्त शुरू की गई। ग्रेटर नोएडा से नारायणपुर गांव (बलिया) तक 8 जनवरी से 15 जनवरी तक वाहन यात्रा की गई। ग्रेटर नोएडा, बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फरूखाबाद, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर आदि स्थानों पर वहां के बुद्धिजीवी वर्ग से मिले, मीडिया कर्मियों के साथ अच्छी बात हुई और अखबारों व टी. वी. पर खूब खबरें आईं जिससे गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास 15 जनवरी को मुख्यमंत्री अपने जन्म दिन पर लखनऊ में ही करेंगी। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? इस गंगा एक्सप्रेस हाईवे के शिलान्यास की। जो बार-बार स्थान बदला जा रहा था।

ऐसा लगा, मायावती इस परियोजना को लेकर बहुत उतावली हैं। जबकि परियोजना से संबंधित बहुत से अध्ययन होने बाकी थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परियोजना से क्या लाभ होंगे और क्या हानि ? लाभ-हानि का आंकलन किये बिना ही

उद्योगपति जे. पी. के नाम टेंडर भी दे दिया गया। जबकि उस आदमी की इतनी हस्ती नहीं है कि वह इतनी बड़ी परियोजना को ले सके। सरकारी तंत्र और उद्योगपति की मिलीभगत के कारण किसानों की जमीन और गंगा का बहाव क्षेत्र हमेशा के लिए अस्तित्वहीन हो जायेगा। गंगा की छाती पर हाई-वे निर्माण को लेकर तरुण भारत संघ संघर्षशील और सक्रियता के साथ कार्यरत रहा है।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नदियों का निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ जन आन्दोलनों को गति प्रदान करने में तरुण भारत संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पूरी तरह से लगे हुए हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड की नदियों को बचाने हेतु आन्दोलनरत समूह/संगठन को पूरा सहयोग दिया है। उनके द्वारा आयोजित नदी संरक्षण के कार्यक्रमों में भाग लेकर उत्साह बढ़ाया है।

उत्तराखण्ड में गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हाल यह है कि छोटी-छोटी जल धाराओं को रोक कर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है जिसके कारण वहां का प्राकृतिक जीवन और प्रकृति दोनों ही नष्ट होने के कगार पर पहुंच गये हैं। जो घाटी युगों-युगों से गंगा को प्रवाहित करने में अपना योगदान करती थीं। आज वह सूख गई है जिससे गंगा में आने वाला पानी कम पड़ता जा रहा है। वैसे तो टिहरी बांध ने ही गंगा का गला घोट दिया है। जो कुछ सांसें चल रही थीं, अब घाटी में पैदा होने वाली छोटी-छोटी बिजली परियोजनाएं बन्द करने में लगी हैं।

4

गंगा के प्रवाह के प्रति चिन्तित तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष श्री जी. डी. अग्रवाल जी ने भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट धाम में रामनवमी, 14 अप्रैल 2008 को संकल्प किया कि - "मैं संकल्प करता हूँ कि कोई अनहोनी ही न घट जाये तो मैं उत्तर काशी तक भागीरथी गंगा जी की धारा को अविरल-निर्बाध रखे जाने के हित में गंगा-दशहरा 13 जून 2008 से आमरण अनशन करूंगा। प्रभु मुझे अपने संकल्प पर दृढ़ रहने की शक्ति दे।" उनका मानना है कि -

"भारतीय संस्कृति एवं चिन्तन में भागीरथी गंगा जी और उनकी संसार में अद्वितीय पाप-विमोचिनी, स्वास्थ्यवर्धिनी पवित्रता में आस्था से दुनिया भली-भाँति परिचित हैं।"

भारतीय संस्कृति एवं चिन्तन में गंगा जी के अद्वितीय जल, पाप-विमोचिनी, स्वास्थ्यवर्धिनी आस्था से दुनिया भली-भाँति परिचित है। पिछले कुछ वर्षों में जल-विद्युत परियोजनाओं द्वारा अन्य नदियों की भाँति ही, गंगा जी के प्रवाह की अविरलता को भंग कर, इस आस्था-स्रोत को छिन्न- भिन्न किया जा रहा है। अभी भी मनेरी से नीचे गंगा जी की धारा लम्बी दूरी और लम्बे समय तक जल विहीन रहती है। आगे चल कर शायद पूरी गंगा जी की यही स्थिति हो जाये। कम से कम उद्गम स्थल से उत्तरकाशी नगरी तक तो भागीरथी की धारा को आस्थावान हिन्दुओं और भारतीय संस्कृति के लिए अविरल निर्बाध छोड़ दिया जाना चाहिए।

चिन्ता की बात यह है कि प्रबुद्ध व्यक्तियों के मन की पीड़ा को आज विकास के दानव दबा रहे हैं। विकास ने सबको बहरा, गूंगा, अन्धा बनाकर रख दिया है जिससे हमारी संवेदनाओं का हनन हो रहा है। प्रकृति की रक्षक गंगा के अस्तित्व को जानबूझ खत्म किया जा रहा है। यही स्थिति रही तो भारत के भविष्य के लिए यह सबसे बड़ा संकट होगा। भविष्य के संकट को भांपते हुए ही तरुण भारत संघ की पूरी शक्ति एक बार गंगा को प्राकृतिक रूप में प्रवाहित रहने के लिए लगने लगी। तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष द्वारा 13 जून से 'आमरण अनशन' करने के संकल्प से नदी संरक्षण के कार्य में गति आई है।

तरुण भारत संघ के द्वारा नदी संरक्षण के लिए कार्य करने की पृष्ठभूमि तो पिछले 15 साल से चल रही थी तब अरवरी नदी को सरकार और व्यापार से बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 'इंटरनेशनल रिवर फाउण्डेशन, आस्ट्रेलिया ने अरवरी संरक्षण कार्य के लिए

पुरस्कार इन्टरनेशनल थीसिस रिवर प्राइज 2004 के लिए स्पेशल कमोन्डेशन अवार्ड से अरवरी नदी मॉडल के नाम से तरुण भारत संघ के कार्य को दुनिया में जाना गया। अरवरी नदी संरक्षण कार्य से मिला रास्ता, आज नदी गंगा के संरक्षण तक आ पहुंचा।

अरवरी नदी राजस्थान की तहसील थानागाजी के पश्चिम-दक्षिण में है। नदी में बरसात के दिनों में ही पानी के दर्शन होते थे। उसके जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य किये गये। नदी में पानी बहने लगा, जीवजन्तु भी आए, सरकारी तंत्र और व्यापारी भी आए, नदी जल को लेकर सरकार और समाज में अपनी-अपनी हकदारी के लिए संघर्ष शुरू हुए। नये सवाल खड़े हुए कि आखिरकार पानी किसका? उसका उत्तर तलाशते-तलाशते पवित्र पावनी गंगा के किनारे तक आ पहुंचे।

मई -जून के महीने में गंगा के किनारे रहने वाले समाज से सम्पर्क किया गया। पहाड़ों में गंगा घाटी का समाज और भारत का आध्यात्मिक जगत निवास करता है। भारत का हिमालय देव भूमि के नाम से लोक मानस में समाहित है। गंगा की पीड़ा और दुर्दशा को समझने वाले लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। सभी के विचारों और अनुभवों को साथ लेकर गंगा को बचाने के लिए 12 जून को ही सब लोग उत्तरकाशी पहुंच गये थे। डॉ. जी.डी. अग्रवाल के 'आमरण अनशन' का दिन 13 जून भी आ गया। सुबह गंगा के किनारे मणिकणिका घाट पर हवन पूजा के साथ अनशन शुरू हुआ। गंगा की चिन्ता करने वाले कई लोग अनशन में सहयोगी बने। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों ही अनशनरत थे।

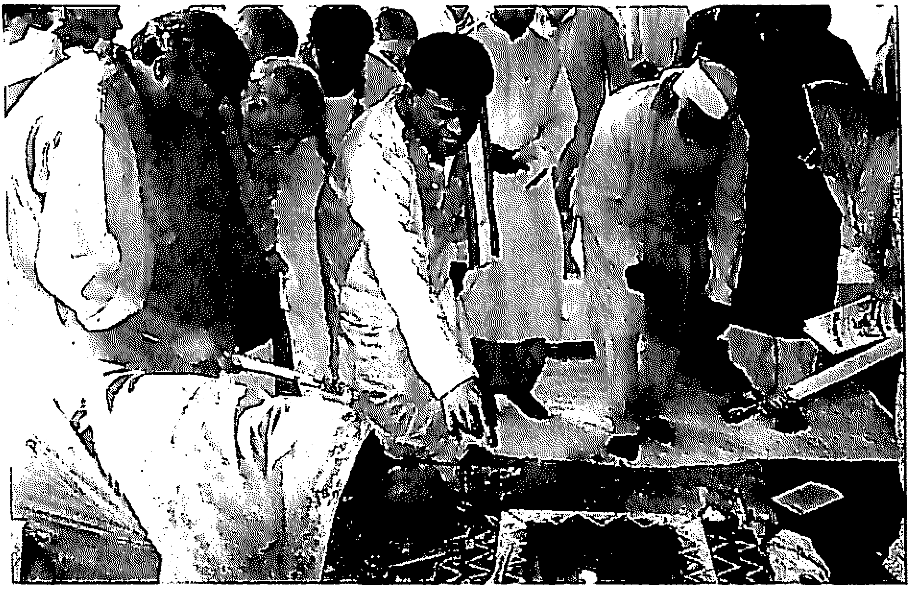

5

जनता की अपील गंगा बचाओ सत्याग्रह : क्या करें हम !

भारत सरकार ने गंगा का प्रदूषण रोकने की आवश्यकता को तो पहचाना है और एक्शन प्लान जैसी विशाल योजना कार्यान्वित की है, लेकिन बांध और सुरंगों के निर्माण से गंगा के स्वास्थ्य के ही नष्ट हो जाने को नहीं पहचाना। बहुत आवश्यकता है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाये और गंगा जी का नदी स्वरूप बनाये रखा जाये।

हम सभी भारतवासी नदियों को ईश्वर तुल्य मानते हैं, इसलिए सभी नदियों को प्रतीक स्वरुप गंगा कहते हैं। गंगा सम्पूर्ण भारत वासियों का जीवन है। अपने जीवन में जन्म से मरण तक सारे संस्कार हम भागीरथी -गंगा के साथ ही करना चाहते हैं। जीवन के आखिरी वक्त में दो बूँद 'गंगा जल' जरूर मुंह में डालते हैं। हर घर में एक कांच की शीशी में गंगा मौजूद रहती है।

हम दुनिया में कहते हैं, गंगा का पानी बिगड़ता नहीं। यही दुनिया की शुद्धतम नदी है। इसका जल सड़ता नहीं है, लेकिन हमारी करतूतों ने गंगा को नष्ट करने का षड्यंत्र किया है। श्री गुरुदास अग्रवाल जी के जमीर ने जो कहा वह उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी आहुति गंगा को बचाने हेतु है। हम भी गंगा को बचाने के लिए प्रारम्भ किये गये इस यज्ञ में अपना योगदान सुनिश्चित कर करोड़ों लोगों के जीवन, जमीर, आस्था और आध्यात्म को अनवरतता देने के लिए कुछ निर्णय कर सकते हैं।

'गंगा बचाओ' सत्याग्रह कैसे पूरा होगा? इसे सफल बनाने हेतु तीन तरफा प्रयास करने होंगे, एक-देश भर के लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिखना शुरू करें। दो-अपने क्षेत्र की नदी पर ही बैठक, 13 जून को नदी दिवस मनाएं और उस दिन उपवास रखें। उपवास के समय गंगा की शुद्धता, पवित्रता हेतु शिक्षण और रचना का काम भी उस दिन शुरू करें। सभी गंगा प्रेमियों को 'गंगा बचाओ' संकल्प पूरा करने हेतु अपनी नदी का जल साथ लेकर उत्तरकाशी प्रस्थान करना चाहिए। 22 जून से पहले उत्तरकाशी पहुंचे, उस दिन देश भर के आये लोगों के साथ चर्चा का विषय 'भविष्य की रणनीति' तैयार करने का काम किया जाए। देश के प्रधानमंत्री व अन्य नेताओं जैसे श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्री बी. सी. खंडूरी आदि से मिलें। उन्हें भागीरथी की दुर्दशा दिखाने व करोड़ों लोगों की आस्था का वास्ता देकर भागीरथी पर चल रहे कामों को रूकवाने की बात करें।

साधु-सन्तों की बड़ी ताकत है। उन्हें भी हम इस महायज्ञ में जोड़ने की कोशिश करें तथा वाचक अपनी कथाओं में गंगा को बचाने का आह्वान करें। हमारी संस्थाएं और संगठन गंगा को बचाने के संकल्प को पूरा करने में एकजुट हो जाएं। गंगा बचाने का संकल्प करने से देश भर की नदियां बच जाएंगी। धरती पर हरियाली तथा नदियों की शुद्धता व सदानीरापन लौट आयेगा।

पत्रकार मित्रों को भी नदी पर साथ ले जाएं। वे उस नदी के अतिक्रमण, जल शोषण-प्रदूषण रोकने हेतु लिखें। भागीरथी-गंगा का रिश्ता भी उस नदी के साथ जोड़कर लिखें तो समाज का गंगा से प्रत्यक्ष जुड़ाव बढ़ेगा। गंगा राज-समाज और ऋषि की साझी है। समाज के लिए गंगा जीविका, जीवन, जमीर है। तीर्थ, आस्था-अध्यात्म भी है। गंगोत्री हमारी आस्था का प्रतीक है। हम श्रद्धापूर्वक गंगोत्री दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जब हमारी आस्था की प्रतीक गंगा ही नष्ट की जा रही हो, तो गंगोत्री दर्शन को जाने का क्या औचित्य? ऐसे में गंगोत्री न जाकर क्यों न उत्तरकाशी से ही गंगा दर्शन किये बिना ही लौटें?

भारत के प्रधानमंत्री को लिखें कि 'गंगोत्री से उत्तरकाशी' तक अब भारत सरकार या उत्तराखण्ड सरकार भागीरथी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें। मनेरी भाली बैराज का फाटक खोल दें। यही बात उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री लिखकर स्वयं उत्तरकाशी पहुंचकर गुरुदास अग्रवाल को सौंप दें। अन्यथा 22 जून के बाद कठिन निर्णय हो सकते हैं।

6

आमरण अनशन की खबर अखबार, रेडियो, टी. वी. चैनलों के माध्यम से जनता के बीच जाने लगी। साधु-सन्त समाज भी गंगा के कार्य में जुटने लगा। तो दूसरी ओर हिन्दूवादी संगठनों के लोग भी सक्रिय हुए। अनशन स्थल पर पहुंच कर अपना-अपना समर्थन देने लगे। इस सब से राजनीति भी अछूती नहीं रही। विश्व हिन्दू परिषद् भी अलग से अपना राग अलापने लगी। उसके नेता हरिद्वार में बाबा रामदेव के आश्रम में साधु-सन्त समाज की बैठकों में जुट गये।

ऐसा लग रहा था कि गंगा को बचाने के लिए भारतीय जन साधारण और आध्यात्मिक जगत एक साथ है। परन्तु ऐसा नहीं था। आध्यात्मिक जगत में भी राजनीति व्याप्त थी। खैर! चाहे जो भी रहा हो लेकिन डा. जी. डी. अग्रवाल के 'आमरण अनशन' से राज्य सरकार ने गंगा के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए सोचना शुरू कर दिया और 19 जून को राज्य सरकार द्वारा संचालित दो परियोजना बन्द कर दी गईं, जो उत्तरकाशी के ऊपरी भाग में चालू थीं।

सरकार के कदम और अग्रवाल जी के अनशन के प्रभाव से कुछ लोगों को पीड़ा भी हुई, उनके सपने अधर में लटकते दिखे। उन्होंने बौखलाहट में 21 जून को अनशन स्थल पर भारी हंगामा किया, जो स्वाभाविक था। पहले से इस सबका आभास भी था कि स्वार्थ के वशीभूत लोग कुछ भी कर सकते हैं। आमरण अनशन का कार्य जितना लांछित था। वह तो राज्य सरकार ने स्वीकार करते हुए बन्द कर दिया था। अब केन्द्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना एन. टी. पी. सी. को बन्द कराने की बारी थी। जिसके लिए केन्द्र सरकार को लक्ष्य मान कर दिल्ली में अनशन शुरू कर दिया।

30 जून तक अनशनरत डा. जी. डी. अग्रवाल ने केन्द्र सरकार से अपनी परियोजना को बन्द कराने के लिए अनुरोध किया। साथ ही प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए सुझाव भी दिये। प्रधानमंत्री ने गंगा को संरक्षित रखने के लिए पर्यावरणीय अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें तरुण भारत संघ के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने सदस्य के रूप में सुझाव दिये।

गंगा का कार्य अभी खत्म नहीं हुआ था। दिल्ली के बाल भवन में 28-29 जुलाई तक राष्ट्रीय नदी संरक्षण सम्मेलन में गंगा संरक्षण के लिए नई सोच, नई दिशा बनी। क्यों न भारत की आत्मा गंगा नदी भी राष्ट्रीय ध्वज, पशु-बाघ, पक्षी-मोर, आदि प्रतीकों की भाँति 'एक राष्ट्रीय नदी' के रूप में संवैधानिक तौर पर मान्य एवम् संरक्षित

हो। साथ ही प्रत्येक प्रदेश भी अपनी एक मुख्य नदी को 'प्रादेशिक नदी' के रूप में घोषित एवं संरक्षित करें।

इसी सोच के साथ अगला कदम गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए उठाया गया। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए आए विचार को क्रियान्वित करने के हेतु 'गंगा सेवा अभियान' का गठन हुआ जिसमें स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती के मार्गदर्शन में गंगा सेवा अभियान के संयोजक का कार्यभार राजेन्द्र सिंह को सौपा गया। अगस्त से अक्टूबर 2008 तक की समयावधि में हरिद्वार से गंगा सागर तक साधु-संत समाज के मठों में जाकर गंगा की स्थिति को समझाया।

''अगला कदम गंगाजी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए उठाया, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए आए विचार को क्रियान्वित करने के लिए 'गंगा सेवा अभियान' का गठन किया।''

साथ ही साथ गंगा के दोनों किनारे के जन समुदाय को गंगा से जुड़ने के लिए आह्वान किया। सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं में जाकर गंगा की अविरलता और शुद्धिकरण के लिए संवाद चलाया। स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालयों में छात्रों और प्राध्यापकों के बीच में गंगा को लेकर लम्बी चर्चा हुई। सतत् संवाद से गंगोत्री से गंगासागर तक गंगा संरक्षण का अभियान चलाया।

गंगा बेसिन में और गंगा के किनारे के समाज ने एकजुटता दिखाई जिससे गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए आवाज उठने लगी। साधु-संत, समाज, पर्यावरणविद्, प्रबुद्धजन, पण्डा, मल्लाह के संगठन बने। सब अपने-अपने स्तर से गंगा को बचाने के लिए संकल्पबद्ध दिखाई दिये। चर्चा, बैठक, यात्रा, पदयात्रा, बड़े शिविर, सम्मेलन होने लगे । बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार के मठों से आध्यात्म की चिंगारी निकलने लगी। गंगा में सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले नगरों में साधु-सन्त समाज पहुंचा और लोगों को सचेत करने का प्रयास किया बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, गया और गंगासागर तक साधु-सन्त जुड़ा। इस सब में तरुण भारत संघ के अध्यक्ष ने रात-दिन एक करते हुए अपने राष्ट्रीय जल बिरादरी के मित्रों के सहयोग से भरसक प्रयास किये।

गंगा सेवा अभियान के सदस्य गंगा की स्वतंत्रता के लिए तीन महीने के अनुभवों को समाहित करते हुए स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जगद्गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में 16 अक्टूबर 2008 को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन जी से मिले। प्रधानमंत्री से गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का अनुरोध किया। गंगा सेवा अभियान के सदस्यों ने अपने अनुभवों को बताया। प्रधानमंत्री के साथ सकारात्मक बात हुई।

प्रधानमंत्री ने गंगा के अस्तित्व को बनाये और बचाये रखने के लिए हिन्दू, मस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के विद्वानों से सलाह-मशविरा किया। राजनैतिक पहलुओं को देखते,

समझते अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा की और 4 नवंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने जल संसाधन मंत्री, वन और पर्यावरण मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री की उपस्थिति में 'गंगा को राष्ट्रीय नदी'घोषित किया। जिन राज्यों में गंगा बहती है, उनके मुख्यमंत्रियों की सदस्यता वाली गंगाघटी प्राधिकरण बनाने का निर्णय भी सुनाया।

प्रधानमंत्री ने गंगा को विशेष बताते हुए कहा- यह गंगा प्रत्येक भारतीय के मन-मानस और हृदय में भावना, श्रद्धा और आस्था का स्थान रखती है। इसलिए इसे शुद्ध और सदानीरा बनाने का एक आदर्श मॉडल बनाने हेतु नया संस्थागत ढांचा तैयार करना चाहिए। इस हेतु टुकड़ों में कुछ चुनिंदा शहरों में प्रदूषण मुक्ति के हुए कार्यों के स्थान पर पूरी नदी में ऊपर से नीचे तक गंगा की एक पारिस्थितिकी और भूसांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए इसकी एक ही पहचान बनाने बाबत हमें पर्यावरणीय जल प्रवाह और शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। गंगा घाटी प्राधिकरण के अधिकार और कार्यक्षेत्र राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं संबन्धित केन्द्रीय मंत्रियों से चर्चा करके तय किये जायेंगे।

प्रधानमंत्री के कदम को भारत की जनता ने सभी दृष्टिकोण से सराहा। सभी धर्मों का सहयोग एवं गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए राजनैतिक लोगों का एकमत होना, साधु-सन्त समाज व भारतीय जनता की गंगा के प्रति धार्मिक आध्यत्मिक आस्था की जीत हुई। देश के प्रबुद्धजनों, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने वर्तमान परिस्थितियों में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिये जाने पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की।

7

गंगा सेवा अभियान के माध्यम से जल बिरादरी ने गंगा को एक राष्ट्रीय नदी के रूप में संवैधानिक मान्यता व संरक्षण देने की मांग केन्द्र सरकार के सामने रखी थी। जल बिरादरी व अन्य संस्थाओं के पिछले एक वर्ष के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।

गंगा केवल हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र नहीं बल्कि गंगा दुनिया में भारत की अस्मिता की पहचान भी है। यह सबकी है, पूरी दुनिया की है। गंगा के किनारे जुटने वाले कुंभ में सभी का स्वागत होता है। गंगा किनारे न कोई हिन्दू होता है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न अमीर, न गरीब, न राजा, न प्रजा। यहां तो सभी गंगा की संतान होते हैं। गंगा के प्रति श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने आये श्रद्धालु, भक्त होते हैं। गंगा नदी का पानी विश्व की सभी नदियों के पानी से अलग, अमृतमयी है। इस तथ्य को अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने स्वीकारा है। गंगा केवल एक नदी नहीं है। 'गंगा' भारतीय संस्कृति की महाधारा है। गंगा जल, केवल जल नहीं, रोग नाशक अमृत जल है।

किन्तु जो गंगा कभी दूसरों को जीवन देती थी, वह आज जीवन लेने वाली बन गई है। जिसे युगों-युगों तक अमृत धारा कहा गया, वह खुद आज एक मृतधारा हो गई। उसका जल इतना विषैला हो गया है कि बीमारी व प्राण लेने वाली बन गई है। गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। तट के सभी शहरों व गांवों का कचरा, शोचालयों का मल, कारखानों का कचरा व उत्सर्जन गंगा में बहाया जाने लगा है। गोमुख से गंगा सागर तक प्रदूषण बढ़ रहा है। गंगा में 29 मिलियन लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिरता है। गंगा जल अब आचमन करने योग्य ही नहीं रहा। इसका गंदला जल देखकर स्नान करने की इच्छा मर जाती है।

गंगा के आस-पास भूजल के शोषण की बढ़ी हुई रफ्तार ने भी गंगा का पेट खाली किया है। गंगा को समृद्ध करने वाली सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, तमसा, गोमती, सई और सरयू आदि भी अब जलाभाव व प्रदूषण की शिकार हैं।

आज समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि गंगा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या हम खुद ? इतनी बड़ी आस्था वाले भारत देश में गंगा की यह दुर्दशा क्यों? गंगा आज समाज से प्रश्न कर रही है। जवाब दीजिए कि गंगा मानव प्रदत्त पाप धोने कहां जाये?

क्या इस सबका कारण समाज व सरकार की बदलती मानसिकता, नदियों के प्रति उपेक्षा और उदासीनता व नदियों को कमाई का साधन मान लेना है?

गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराना मात्र ही हमारा उद्देश्य नहीं था, बल्कि गंगा को पुनः अमृतमयी बनाना है। इसके लिए राष्ट्रीय जल बिरादरी ने पांच सूत्रीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है।

"गंगा को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कराना मात्र ही हमारा उद्देश्य नहीं था बल्कि गंगा को पुनः अमृतमयी बनाना है। इसके लिए राष्ट्रीय जल बिरादरी ने पांच सूत्रीय कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है।"

तरुण भारत संघ के अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर जन आन्दोलन बनाने के लिए गंगा बेसिन क्षेत्र में जल कुंभ सम्मेलनों का आयोजन किया। चम्बल नदी के बेसिन केलादेवी के खजुरा गांव में 6-7 सितम्बर 2008 को आयोजित जल कुंभ में गंगा जन जागृति अभियान की अच्छी शुरुआत हुई। खजुरा जल कुंभ में पांच हजार लोगों ने दो दिन तक भाग लिया। इस सम्मेलन में देश भर से जल,नदी और गंगा रक्षक आये थे। सुंदर पहाड़ियों से घिरा खजुरा गांव पांच दिन तक राज्य और राष्ट्रीय समाचारों में खबर बना।

केन्द्रीय मंत्रालयों के उच्च अधिकारी, देश के स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, लेखक,पत्रकार, ग्रामीण लोगों के साथ देश के प्रबुद्धजन उपस्थित हुए। सभी ने गंगा संरक्षण के साथ-साथ अपने प्रान्त की नदियों को संरक्षित, सुरक्षित रखने के लिए अभियान चलाने का संकल्प लिया। साथ ही खजुरा जैसे सम्मेलन करने के लिए भी वचनबद्ध हुए।

दूसरा जल कुम्भ सम्मेलन राजस्थान के ही अलवर जिले में तरुण भारत संघ मुख्यालय पर 2-3 अक्टूबर को आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भी राष्ट्रीय स्तर के प्रबुद्धजन आये। इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि सभी धर्मों के अनुयाइयों ने भाग लिया और अपने-अपने धर्म में जल वर्णित जल के महत्व को बताया। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिल कर गंगा और गंगा जैसी सभी नदियों को बचाने के लिए देश में जन आन्दोलन चलाने का संकल्प लिया।

इसी प्रकार से गंगा बेसिन क्षेत्र उत्तराखण्ड, उत्तर सम्भागियों की महत्ती भूमिका पर जोर दिया। वैसे तो गंगा की चिन्ता विश्व के लोगों की चिन्ता की अहम भूमिका है, लेकिन भारत और भारत में भी इन दस प्रांतों की तो एक प्रकार से बाध्यता ही है। क्योंकि गंगा में विश्व की आस्था और आत्मा है। गंगा सुरक्षित है, तो भारत का भविष्य भी उज्जवल है। उत्तरी भारत के सभी प्रान्तों में गंगा अभियान को लेकर तरुण भारत संघ के पदाधिकारी और कार्यकता लगे हुए हैं। हर प्रांत में गंगा संरक्षण के लिए अभियान चलाये गये साथ ही साथ केन्द्र सरकार के साथ सभी स्तरों पर गंगा संरक्षण के लिए संवाद प्रक्रिया भी चलती गई।

8

गंगा सम्मान संवाद यात्रा

तरुण भारत संघ की सहयोगी संस्था जल बिरादरी ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित होने से अपने कार्य की इतिश्री नहीं की है, बल्कि अपने अगले कार्यक्रम के लिए कुछ मुद्दे तय कर कार्ययोजना बनाई। 14 नवम्बर 2008 को हरिद्वार से गंगा सागर तक गंगा-सम्मान संवाद यात्रा शुरू की गई। तटवासियों को गंगा के राष्ट्रीय नदी घोषित करने की जानकारी देना मुख्य कार्य समझा। गंगा के शुद्धिकरण के लिए आपके क्षेत्र में किस प्रकार के कार्य करने की जरूरत है। गंगा को प्रदूषित करने वाले कौन से कारण हैं? अभी तक प्रदूषण बन्द कराने के लिए क्षेत्रीय जनता ने क्या उपाय किये हैं? आगे क्या हो सकता है?

गंगा को पवित्र रखने के लिए क्षेत्रीय जनता प्रयासरत दिखाई दी, लेकिन गंगा के विषय में किसी भी प्रकार की सरकारी स्तर पर ठोस नीति-नियम और कानून के अभाव में सभी प्रयास बेअसर दिखाई दिये। गंगा को प्रदूषित करने के लिए सबसे अधिक तटवर्ती शहरों के गन्दे नालों द्वारा छोड़ा गया पानी है और दूसरे गन्ना मिल, पेपर मिल, शराब उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि बहुत से कल कारखाने हैं।

अधजली लाश को प्रवाहित करना, गंगा के जलीय जीव जन्तुओं का शिकार करना तथा प्रदूषित जल के कारण स्वतः मरना, गंगा क्षेत्र को बाधित करना, मन्दिरों व भक्त जनों द्वारा फूल व अन्य पूजा के कचरे गंगा में डालना, सरकार द्वारा किये गये अधूरे प्रयास, मुख्यतः कारण सामने आये जिनसे गंगा प्रदूषित हो रही है। राजनेता, प्रशासन, उद्योगपति की तिकड़ी के आगे गंगा के शुद्धिकरण के प्रयास सफल होना संभव नहीं दिखता।

समाज में गंगा को शुद्ध करने के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर रहा। जिससे सीधे-सीधे आम आदमी भी प्रदूषणकर्ता के विरुद्ध आवाज उठा सके और प्रदूषणकर्ता को दण्ड दिलवा सके। तरुण भारत संघ व जल बिरादरी का यह भी प्रयास रहा कि क्षेत्रीय जनता गंगा को प्रदूषण मुक्ति के लिए अपने सुझावों से प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, जिलाधीश को जरूर अवगत कराएं ताकि उनके क्षेत्र में

"समाज में गंगा को शुद्ध करने के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर रहा। जिससे सीधे-सीधे आम आदमी भी प्रदूषणकर्ता के विरुद्ध आवाज उठा सके और प्रदूषणकर्ता को दण्ड दिलवा सके।"

गंगा प्रदूषण मुक्ति के लिए बनने वाली कार्य योजनाओं में उनके सुझाव आ सकें। एक महीने की गंगा सम्मान संवाद यात्रा में लोगों के सुझावों को संकलित करते हुए अपनी ओर से दस्तावेज तैयार कर 21 दिसम्बर 2008 को प्रधानमंत्री को डाक व ई-मेल द्वारा सौंपा दिया गया।

यात्रा के दौरान संवाद प्रक्रिया

भारतीय एकता,अखण्डता, आत्मा, सभ्यता संस्कृति का दूसरा नाम गंगा है। इसलिए यह भारत की मां कहलाती है। अभी तक पांच राज्य उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल इसे बांधों, झीलों बैराजों में कैद करके अपनी मरजी से मैला ढोने वाली मालगाड़ी के तौर पर इसका उपयोग करते रहे हैं। अब सभी मिलकर गंगा की आजादी हेतु गंगा घाटी प्राधिकरण बना रहे हैं। अब सभी राज्य मिलकर गंगा को राष्ट्रीय नदी मानकर इसका हक और आजादी प्रदान करेंगे।

सबसे पहले गंगा का नाड़ी तंत्र ठीक करना होगा। इसकी नाड़ियों में शुद्ध जल बहे, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। नाड़ी में अवरोध आने पर हृदय कट जाता है, फेल हो जाता है। अपना काम करना छोड़ देता है। इसलिए मृत्यु हो जाती है।

हमारे इन्जीनियरों द्वारा तटबंध, बंध 'बैराज' डाइवर्जन चैनल बनाये गए। हृदय की चिकित्सा के लिए कभी-कभी जैसे चिकित्सक कुछ करता है, वैसा ही इन्जीनियर गंगा के साथ करते हैं, ऐसा ये बातचीत में बोलते हैं कि ये भूल जाते हैं कि नाड़ी चिकित्सा की सावधानी, नदी चिकित्सा में वे नहीं रखते। इसलिए ये बंध फेल होकर कोसी बाढ़ की तरह लोगों को डुबाते हैं। कोसी तटबंध बाढ़ मुक्ति के नाम पर बना था लेकिन आज सबसे बड़ी बाढ़ का आमंत्रण बन गया है।

"पानी प्रलय और जीवन दोनों देता है। यही पानी प्रलय बन जाता है, जो प्राण भी बचाता है। प्राण बचाने वाला; प्रलय लाने वाला नहीं बने, यह ध्यान गंगा के तट वासियों को रखना है।"

पानी प्रलय और जीवन दोनों देता है। यही पानी प्रलय बन जाता है, जो प्राण भी बचाता है। प्राण बचाने वाला; प्रलय लाने वाला नहीं बने, यह ध्यान गंगा के तट वासियों को रखना है। यह तभी सम्भव होगा जब हम पर्यावरण प्रवाह को ध्यान में रखकर गंगा के प्रवाह को जारी रखेंगे।

गंगा भूमि को किसी दूसरे काम में नहीं लेकर केवल गंगा जीव पालने हेतु प्राकृतिक घास व पेड़-पौधे, इसके दोनों तरफ उगायें। गंगा जीव बचाने के लिए गंगा जलचर उद्यान बनाए जाएं। सीमेन्ट-कंकरीट के जंगल गंगा भूमि से हटें। गंगा भूमि सबके लिए प्राणदायिनी पोषक-पालक रूप में उपलब्ध रहे। मानव

मलमूत्र गंगा में नही जावे। पंचायत व नगरपालिकाएं अपने गंदे मल-जल या किसी भी प्रकार के प्रदूषणकारी तत्व को इसमें नहीं आने दें।

हर वर्ष माघ माह में गंगा किनारे इकट्ठे होकर समाज संकल्पित होवें। गंगा के साथ अनुशासित व्यवहार करे। छः वर्ष में हरिद्वार में हिमालयी गंगा की नैसर्गिक प्रवाह की गंगा न्याय नीति बनाएं। इसी तरह संगम इलाहाबाद से जुड़कर गंगा की 'मैदानी न्याय नीति' बनाएं। इस प्रक्रिया को अर्द्ध कुंभ नाम दे सकते हैं, लेकिन इसमें लिए गए निर्णयों को गंगा घाटी प्राधिकरण अपने निर्णय मानकर पालन करेगा तो भारतीय समाज गंगा से जुड़कर अपनी एकता, अखंडता की रक्षा करने वाली गंगा से जुड़ जायेगा। कुंभ की अपनी सार्वभौमिकता है। इसका सम्मान करते हुए पुनः इस अवसर को गंगा न्याय नीति निर्माण हेतु अच्छा अवसर मानकर योजना बनायें।

12 वर्ष बाद गंगा न्याय नीति को पुनःमूल्यांकन करके पुनर्जीवित, प्रतिष्ठित या नये दस्तूर बनाने का काम किया जाये। इसे कुंभ कह सकते हैं। यह प्रक्रिया गंगा किनारे सदियों से चलती आयी है। यह गंगा के लिए समाज के दायित्व का अहसास कराने के लिए सरल-सहज तरीका बन सकता है। समाज -सरकार और संतों को गंगा शुद्धि हेतु जोड़ने वाला एवं गंगा के पर्यावरण प्रवाह को बनाने वाला बन सकता है। इसी मौके पर समाज गंगा भूमि पर कब्जे नहीं करें, ऐसा संकल्प भी ले सकते हैं।

गंगा शुद्धि या पुनःजीवन के काम में समाज भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु गंगा उत्सवों अर्द्धकुंभ और कुंभ को साधन बनाना चाहिए। इस अवसर पर लोग गंगा में आस्था के साथ आते हैं। भारतीय मानस पर आस्थाओं का असर ज्यादा होता है। आस्थाएं मानव मन को संवेदनाशील बनाकर साझे वर्तमान और भविष्य को सुधारने में जुट जाती हैं। गंगा से जन जुड़े तभी गंगा स्वच्छ बनेगी। जन को जोड़े बिना गंगा केवल दण्ड या प्रदूषण दण्ड से ठीक करना संभव नहीं है।

जोड़ो गंगा जोड़ो, शुद्ध जल धाराएं, गंगा से जन मन प्राण जोड़ो।
गंदे नाले गंगा से दूर मोड़ो।
गंगा को अविरल-निर्मल बहाओ। गंगा का पर्यावरण प्रवाह बनाओ।
गंगा भूमि या जल पर मत कुछ सजाओ।
गंगा से प्रदूषण, उद्योग और कब्जे हटाओ।
गंगा से संवाद बनाओ, गंगा को चाहिए सबका श्रम और समयदान।
जलशोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण रोके।
गंगा का करें सम्मान।

वर्ष 2008 को एक नजर मुड़कर देखने पर लगता है कि तरुण भारत संघ ने देश भर की स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर नदी संरक्षण की दिशा में जो संकल्प किया था,

उसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ता साफ हुआ है। सोच में परिपक्वता और विचारों की समग्रता के साथ तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना है, जिसे आज की विकासशील सरकारें भी स्वीकर करती हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना के जल ग्रहण क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यमुना के जल बहाव क्षेत्र को हरित पट्टी के लिए घोषणा की है तथा भविष्य में यमुना के जल ग्रहण क्षेत्र में सरकारी स्तर पर किसी प्रकार के निर्माण न करने की वचनबद्धता जताई है। इस प्रकार नदी संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि तरुण भारत संघ के प्रयासों से मिली है। इसी प्रकार नवम्बर 2008 से गंगा संरक्षण अभियान में तरुण भारत संघ को बड़ी सफलता मिली। गंगा को राष्ट्रीय नदी होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस कामयाबी में जल बिरादरी की सहयोगी संस्थाओं का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है।

गंगा, यमुना के अलावा देश भर की नदी के संरक्षण के लिए जो भी अभियान चला; उससे राज सत्ता की सोच में परिवर्तन होता दिखाई दिया है। विकास की नगरी दिल्ली में यमुना को लेकर संवेदना जागी है तो उत्तर प्रदेश में गोमती को लेकर मायावती सरकार की भावना उमड़ी है तथा सई, सरयू, रामगंगा, गण्डक आदि नदी घाटियों में जनता का सोया राम जगा है। राजस्थान में लूनी नदी को लेकर राज्य सरकार सजग हुई तो मुम्बई में मिठी नदी को लेकर जनता आन्दोलनरत है। बिहार का बुरा हाल है, लेकिन लोग इसके खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं और कोसी की मुक्ति की मांग कर रहें हैं।

देश के अधिकांश भागों में नदी संरक्षण के अभियान तेज हुए हैं। वर्ष 2008 नदी संरक्षण वर्ष घोषित किया गया था। उसके अनुसार देश की नदियों के संरक्षण के लिए

काम हुआ। नदी संरक्षण का बड़ा काम है और वर्तमान युग की जरूरत है। इसलिए देश में सजगता और जागरूकता की बहुत जरूरत है।

आज नदियों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह काम प्रकृति स्वयं ही करती है। जहां जिस नदी को जुड़ना है वह जुड़ जाती है। जैसे गंगा-यमुना एक ही पर्वत हिमालय से निकलती है। इलाहाबाद में फिर मिलती हैं। नदियों को कोई व्यक्ति, कम्पनी नहीं जोड़े, बल्कि यह कार्य स्वयं प्रकृति ही करेगी। नदियों की शुद्धता, धरती की हरियाली और उद्योगों की शुद्ध जल निकासी से, नदियों से कब्जे हटाकर नदियों को आज़ाद रख सकते हैं। नदियों को बेचें नहीं, बचायें। मिल-जुल कर साथ चलेंगे तो ही नदियां बचेंगी। नदियों से समाज जुड़े। समाज का मन-मानस नदियों से जुड़ेगा, तभी नदियां बचेंगी। इसी हेतु नदी सत्याग्रह की जरूरत है।

नदियों में स्थाई विनाश का काम दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी में सन् 2000 से शुरू हुआ था। नदी बहाव क्षेत्र में पहले अक्षरधाम मन्दिर बना, फिर कॉमनवैल्थ खेल गांव, मैट्रो स्टेशन। भारत सरकार की मौन स्वीकृति करा रही है। भारत सरकार के वैज्ञानिक, राजनेता, अधिकारी, व्यापारी, पुजारी सब जानते हैं। नदियों को खत्म होने से समाज बेपानी हो जायेगा। ये सब अपने निजी स्वार्थ हेतु नदियों को खत्म कर रहे हैं।

समाज नदियों के बारे में मौन है। मरती बेपानी नदियों को देख रहे हैं। हम विद्यार्थी, शिक्षक, किसान मौन हैं। क्या नदियों को बचाने हेतु खड़े क्यों नहीं हुए? जहां कहीं नदियों की आवाज है, वहां हम अपनी आवाज इसमें क्यों नहीं जोड़ रहे हैं?

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नदियों की कीमत जानती हैं। हमें और हमारी सरकारें क्या पानी की कीमत नहीं जानती हैं? इसीलिए नदियों के पानी के भण्डार खादर को विदेशी कम्पनियों को निर्माण हेतु बेचने के ठेके दे रही हैं। सरकारें नदियों की लूट और प्रदूषण क्यों नहीं रोक रही हैं? नदियों को नष्ट होने का 'सत्य' हम जानते हैं। इसलिए बचाने हेतु आग्रह कर रहे हैं। यही हमारा सत्याग्रह है। अब पूरी नदियों का सत्य हमें जानना है। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी वैज्ञानिकों के एक दल के साथ इस सत्य को जानने के लिए नदी सत्याग्रह तैयारी हेतु निम्न कार्यक्रम तय किये -

1. **देश की नदियों से समाज को जोड़ने के तरीके खोजना है।**
2. **विकास के नाम पर नदियों के हो रहे विनाश को रोकने का मन-मानस तैयार करने की संभावना तलाशना।**
3. **राजनेताओं, अधिकारियों तथा वैज्ञानिकों का मन-मानस प्रकृतिमय बनाने की विधियों पर चर्चा करना।**
4. **नदियों को शुद्ध-सदानीरा बनाने हेतु राज, समाज के मन-मानस को अनुकूल बनाना।**

5. नदियों की भू-सांस्कृतिक संरचनाओं, जैविक विविधता का सम्मान करते हुए, नदी की अपनी स्वतंत्रता व प्राकृतिक सत्ता को सरकारी मान्यता दिलाने की जरूरत का अहसास कराना है।
6. शिक्षार्थियों-शोधार्थियों को प्रकृति से सीखने की दृष्टि बनाना, हमारे साझे भविष्य का विनाश रोक कर ये समृद्धि का रास्ता अपनाएं।

नदी संरक्षण के नाम पर सरकार सब नदियों को बेच कर नदियों का चेहरा सुधारने की बात कर रही है। इसे तत्काल प्रभाव से रोकना है। इसलिए नदियों के विनाश कार्य को रोकने की सबसे पहले जरूरत है। नदी सत्याग्रह में सहयोगी जल, नदी, पर्यावरण, भूविज्ञान, समाज कार्य की समझ रखने वाले तथा संरक्षण के साथ-साथ प्रकृति प्रेमी, विकास प्रेमी और किसान, मजदूर, मल्लाह भी रहेंगे। विकास का विनाश रोकने वाले तथा संरक्षण के साथ विकास कार्यों में प्रकृति को पुनर्जीवित बनाकर, उजड़े समाज की लाचारी, बेकारी दूर करके पुनर्वास और समृद्धि कायम करने वाले समाजकर्मी भी सहयोगी रहेंगे।

नदी से मां जैसा व्यवहार करने वाले भाई-बहिन जल को मानव अधिकार और जीवन का आधार मानने वाले शिक्षक भी शामिल रहेंगे। हमने अपने देश के सभी नदी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को भी इस कार्य में जुड़ने की प्रार्थना की। सरकार के साथ नदी संरक्षण का स्वराज संवाद चलाने की गुहार है। इससे धरती की हरियाली, नदियों की शुद्धता और सदानीरा बनाने की चेतना जगानी है। इस साझे कार्य में हम सब जुटें।

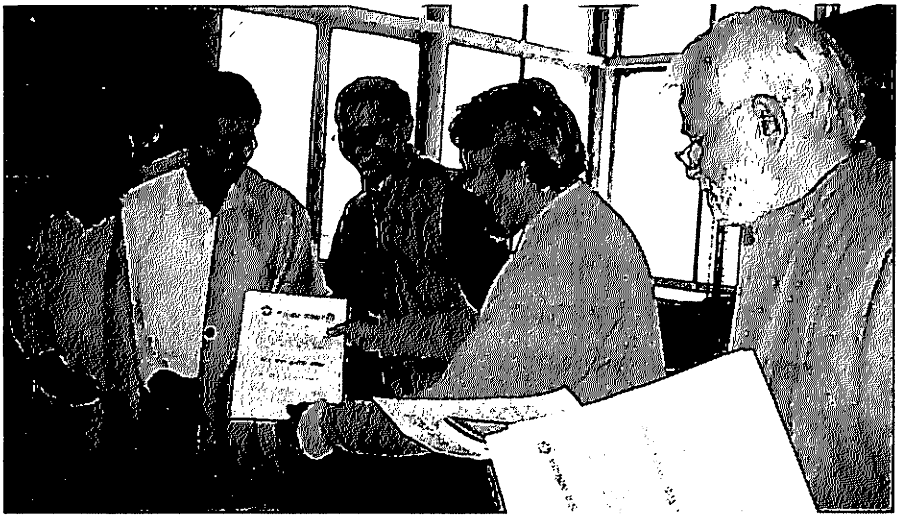

तरुण भारत संघ

पच्चीसवां कदम

1

वर्ष 2008 गंगा सेवा में बीत गया। बीते वर्ष को नदी संरक्षण के रूप में घोषित किया था जो हर प्रकार से आशापूर्ण रहा और आगे भी उसी दिशा में कार्य करने के लिए रास्ता दिखाता हुआ चला गया। नये वर्ष ने बीते वर्ष के दिखाये रास्ते पर ही चलना श्रेयष्कर समझा और अपना हर पल गंगा सेवा में लगाने की प्रतिबद्धता दिखाई। संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदम से कुछ राहत तो दिखाई देती थी लेकिन आत्मसन्तोष नहीं था।

गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बाद भी गंगा के अस्तित्व से खिलवाड़ दिखाई दे रहा था। क्योंकि उत्तरकासी के नीचे लोहारी-नागपाला परियोजना का कार्य यथावत चालू था। अगर सरकार की मनसा नेक होती तो पहले वह एन.टी.पी.सी. की परियोजना को बन्द करती बाद में गंगा को 'राष्ट्रीय नदी' घोषित करती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केन्द्र सरकार ने गंगा को राजनैतिक मुदूदा मानकर उसका निराकरण राजनैतिक तरीके से किया था। जबकि तरुण भारत संघ व जल बिरादरी की सहयोगी संस्थाओं और जन मानस का मनतव्य था कि गंगा घाटी को देश के पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाए। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा चलने वाली सभी बिजली परियोजनाओं को तुरन्त प्रभाव से बन्द कर गंगा की पवित्रता, अविरलता और निर्मलता को बरकरार बनाये रखा जाए। गंगा के प्राकृतिक और नैसर्गिक मार्ग को विकास के नाम पर अवरूद्ध न किया जाये।

''गंगा को बांधों में बांधना अथवा तटबन्धों में सीमित करना अत्यन्त अशास्त्रीय एवं धर्मविरुद्ध है।''

संस्था के उपाध्यक्ष डॉ. जी.डी. अग्रवाल जी ने 14 जनवरी मकरसंक्रान्ति को दिल्ली में पुनः आमरण अनशन शुरू कर दिया। गंगा के संरक्षण के लिए देशव्यापी अभियान चला और साधु-सन्तों के द्वारा भी सरकार पर दवाव बनाया गया। देश की चारो पीठों के जगदुरु शंकराचार्यों द्वारा गंगा को बचाने के लिए जनता के बीच संदेश प्रसारित किये गये। शारदापीठ और श्रीज्योतिर्मठ के जगदुरू शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती जी महाराज ने गंगा को बांधों में बांधना अथवा तटबन्धों में सीमित करना अत्यन्त अशास्त्रीय एवं धर्मविरूद्ध बताया। श्री जगदगुरू शंकराचार्य महासमतनन दक्षिणायन श्री शारदा पीठ श्रीगिरि जी ने गोमुख से हरिद्वार तक गंगा के प्राकृतिक प्रवाह को बचाए व बनाये रखने का संदेश जनता को दिया। ऐसा ही संदेश गोवर्धन मठ, पुरी के शंकराचार्य जगदुरू श्री निश्चलानन्द जी ने गंगा की पवित्रा के संबंध में दिया था।

2

भारत सरकार के लोहारी-नागपाला परियोजना को लेकर गंगा रक्षक मूक और शान्त नहीं रहे। उन्होंने 28-30 जनवरी 2009 को अंहिसा मंडप गांधी दर्शन नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया। गंगा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जोधपुर रियासत के पूर्व महाराजा गजसिंह ने पं. मदन मोहन मालवीय के प्रयास और तत्कालीन भारतीय महाराजाओं की पहल पर पांच नवम्बर 1914 को हुए गंगा समझौते एवं शासनादेश का जिक्र करते हुए, इस संबंध में सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा।

प्रस्ताव पर 1914 में हुए समझौते के हस्ताक्षरकर्ता महाराजाओं के उत्तराधिकारियों में अन्य प्रमुख महाराजा बीकानेर रविराज सिंह, टिहरी नरेश मनुजेन्द्र शाह के साथ-साथ 400 से अधिक उपस्थित प्रतिभागियों ने हस्ताक्षर कर सहमति जताई। अन्य प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताओं में राजनेता दिग्विजय सिंह, तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह, एम.सी. मेहता, गंगा के लिए समर्पित प्रो. वीरभद्र मिश्र, पर्यावरणविद प्रो.जी.डी. अग्रवाल, सुनीता नारायण, नीलेश देसाई, विजय प्रताप, अनिल गौतम, मातृ सदन के स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज, गांधी शान्ती प्रतिष्ठान की अध्यक्षा राधा भटट्, रमेश शर्मा, राष्ट्रीय जल बिरादरी के संयोजक प्रो. एम.एस. राठौर, तभासं के महामंत्री कन्हैया लाल गुर्जर थे। इस सम्मेलन में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की निदेशिका डा. सविता सिंह ने विशिष्ट सहयोगी भूमिका निभाई।

तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह के संचालन में हुए इस आयोजन में पारित प्रस्ताव में गंगा को बांधने और इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं को सिरे से नकारा गया। पर्यावरण विज्ञान केन्द्र की निदेशक सुनीता नारायण ने इस सोच को भूल बताया कि बांधों से हम नदियों को बांध सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सोच को बदलने की जरूरत है। यह जमीनी काम और राजनीति में नई सोच के जरिये ही हो सकता है। राजनेताओं को इस नजरिये से सोचना चाहिए।

"बिजली तो अन्य स्त्रोतों से भी हासिल की जा सकती है, लेकिन गंगा के प्रति लोगों की आस्था का कोई विकल्प नहीं। चन्द मेगावाट बिजली के लिए यदि कोई सरकार गंगा के प्रति लोगों की भावना का अनादर करती, तो यह ठीक नहीं।"

मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा- बिजली तो अन्य स्त्रोतों से भी हासिल की जा सकती है, लेकिन

गंगा के प्रति लोगों की आस्था का कोई विकल्प नहीं। चन्द मेगावाट बिजली के लिए यदि कोई सरकार गंगा के प्रति लोगों की भावना का अनादर करती है, तो यह ठीक नहीं। मेरा नजरिया साफ है कि राष्ट्र की भावनाओं की तुलना चन्द मेगावाट से नहीं की जा सकती। इसके लिए कोई समझौता करने की जरूरत नहीं।

उन्होंने कहा कि गंगा कार्य योजना के जरिए राजीव गांधी जी ने गंगा के शुद्धिकरण का जो सपना देखा था ... वह अभी अधूरा है। केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर इसके लिए योजना पर संकल्प के साथ काम करना चाहिए।

सम्मेलन के दूसरे दिन लोहारी-नागपाला परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे प्रो. जी.डी. अग्रवाल ने गंगा सम्मेलन में पहुंचकर बतौर मुख्य अतिथि गुस्सा जताया। उन्होंने कहा कि गंगा को लेकर सरकार और संतों की दोहरी नीति नहीं चल सकती। लोग नदियों से बिजली और सिंचाई की बात करते हैं। कोई चाहे कितना ही भूखा क्यों न हो क्या रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अपनी मां को बेच सकता है ? प्राण रहे या जाये..... मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि जब तक हम स्पष्ट निर्णय नहीं लेंगे तब तक लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता।

28-30 जनवरी 2009 को नई दिल्ली स्थित गांधी दर्शन में चले 'गंगा सम्मेलन' के सम्पन्न होने के बाद जल बिरादरी के देश भर के पानी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी की पुण्य तिथि पर 'गंगा उपवास' करने का निर्णय किया। इस अवसर पर यह भी निर्णय हुआ कि पानी और जमीन कब्जाने में लगी व्यावसायिक ताकतों के संरक्षण में लगी सरकारों को आगाह किया जाय और जनहित के मुद्दों पर सत्ता को अनुकूल बनाने के लिए मुहिम छेड़ी जाये। इस दिशा में जल बिरादरी द्वारा देश के अन्य संगठनों के साथ मिलकर पर्यावरण स्वराज घोषणा पत्र अभियान शुरू करने का निर्णय भी लिया गया।

तरुण भारत संघ और जल बिरादरी के सयुक्त तत्वावधान में गांधी दर्शन स्थल पर आयोजित गंगा सम्मेलन के दूसरे दिन देश भर से करीब 200 पानी रक्षक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और गंगा संरक्षण हेतु तीन सूत्री प्रस्ताव पारित हुए।

1. राष्ट्रीयनदी के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि उसका सतत् नैसर्गिक प्रवाह सुनिश्चित किया जाये। टिहरी से पूर्व गंगा मार्ग पर अभी अवरोध नहीं है, अतः प्रारम्भिक कदम के रूप में अभी तत्काल 2500 किलोमीटर लम्बी गंगा धारा में कम से कम 125 किलामीटर शुरूआती प्रवाह मार्ग गंगोत्री से धरासूं को बिना छेड़छाड़ नैसर्गिक रूप में बनाये रखा जाये।
2. गंगा नदी भूमि पर बढ़ता अतिक्रमण रोका जाये। गंगा और सहायक धाराओं की नदी भूमि का भू-उपयोग किसी भी परिस्थिति में क्रमशः अन्य उपयोग और मालिकाना हेतु रूपान्तरित एवं हस्तान्तरित करना अवैध माना जाये। नदियों का डम्प एरिया के तौर पर इस्तेमाल करना बंद हो।

3. एक ओर जल शोधन संयंत्र मानकों के अनुकूल शोधन नहीं कर रहे हैं, और दूसरी ओर नदियों के प्रवाह में कमी का संकट हैं। अतः गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु जरूरी है कि उपयोग के पश्चात छोड़ा गया किसी भी प्रकार का शोधित-अशोधित जल गंगा व उसकी सहायक धाराओं में डालना पूरी तरह प्रतिबंधित हो। ऐसे जल को शोधन के बाद अनुकुलूतानुसार खेती, बागवानी और उद्योगों में पुनः उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

सम्मेलन में उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर सभी संबंधित विभागों व पदाधिकारियों को भेजने का निर्णय लिया गया।

लोहारी-नागपाला परियोजना को रद्द करने में केन्द्र सरकार के ढुलमुल रवईये के कारण डॉ जी.डी. अग्रवाल को 14 जनवरी से दोबारा आमरण अनशन के लिए दिल्ली में हिन्दु महा सभा भवन में अनशन पर बैठना पड़ा। अनशनरत डॉ जी.डी. अग्रवाल को एक महीने से अधिक समय गंगा के अस्तित्व को बचाये रखने के लिए केन्द्र सरकार की संवेदनाओं को जगाने में लगा। 19 फरवरी को डॉ. जी.डी. अग्रवाल के नाम भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग नई दिल्ली से डी.सी. श्रीवास्तव निदेशक, भारत सरकार के हस्ताक्षरों का पत्र मिला।

पत्र में उन सभी बातों का उल्लेख था जिन को लेकर डॉ. अग्रवाल अनशन कर रहे थे। 'भागीरथी नदी पर लोहारी नागपाला बॉध परियोजना का कार्य तुरन्त रोक दिया गया है इसलिए प्रार्थना है कि आप अनशन को तुरन्त रोक दें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।' डी.सी. श्रीवास्तव निदेशक, भारत सरकार के पत्र को देख, सोच विचार कर तथा अपने मित्रों से सलाह मशवरा किया और गंगा ज्ञान आयोग के सदस्यों की सलाह से डॉ. अग्रवाल ने अनशन तोड़ा।

3

लोकसभा चुनाव-2009 जनादेश उसी गठबन्धन दलों को मिला जिसने गंगा को राष्ट्रीय नदी' घोषित किया, इससे स्पष्ट हो गया है कि देश में गंगा रक्षा की चाहत और उसके लिए काम करने वालों के प्रति देश की जनता ने कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार उसी रूप में दिया जैसी आपेक्षा की गई थी। जनता राज का प्रतिबिम्ब होती है अगर राज जनता की आशा और आस्था का सम्मान करता है तो जनता जनार्दन अपने अगुओं को पलक पावड़े बीछा देती है, नेता-राजनेता बना देती है। जैसा कि गंगा के राष्ट्रीय नदी घोषित होने पर अल्पमत सरकार बहुमत से पुनः विजय श्री का जनादेश लेकर सत्तासीन हुई।

"जनता राज का प्रतिबिम्ब होती है। अगर राज जनता की आशा और आस्था का सम्मान करता है तो जनता जनार्धन अपने अगुओं को पलक पावड़े बीछा देती है, नेता-राजनेता बना देती है।"

देश में गंगा रक्षा की चाहत और उसके लिए काम करने वालों के मन में अगाध श्रद्धा व प्रेम मौजूद है। अब हमारी जबाबदेही बनती है कि हम लगन और तत्परता के साथ लगें। अब तक राजनैतिक पार्टियां ही अपना घोषणा पत्र और उम्मीदवार वोटरों पर थोपती थीं। अब जनता जनहित के मुदद्दों पर संकल्प न करने वाले उम्मीदवारों का बहिष्कार करें। जनता सत्ता के समक्ष याचक नहीं, बल्कि निर्णायक की भूमिका में सामने आये। गंगा रक्षा के लिए किये गये प्रयासों से कुछ अच्छे परिणाम आए हैं, आगे हम अपने प्रयासों को और तेज करना है पहले सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया... गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के गठन की घोषणा की। बाद में गंगा के मार्ग में खड़े अवरोधों को रोका और भविष्य में भागीरथी पर किसी नई परियोजना को शुरू न करने का मार्गदर्शक फैसला लिया।

28 अप्रैल 2009 को न्यायपालिका भी चेती। उसने कहा जो सभी को पानी पिला सके उसे ही सरकार चलाने का हक है। 18 मई 2009 को नैनीताल हाईकोर्ट ने शासन के फैसले पर अपने द्वारा दिए गए स्थगनादेश को वापस ले लिया। इससे उत्तरकाशी के ऊपर संबंधित जलविद्युत परियोजनाओं का काम पुनः रूक गया है। यह गंगा रक्षकों की बड़ी जीत है।

4

25 मई 2009 आज प्रातः अरवरी नदी पुनर्जीवित से संरक्षण चेतना यात्रा शुरू हुई है। यह यात्रा जल बचाने, अनुशाषित होकर जल से उपयोग करने का शिक्षण करेगी। यह शिक्षण करने वाले तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता जिन्होंने समाज के पसीने से बनाये पानी को सहेज कर सात नदियां पिछले 25 वर्षों में जीवित की हैं। सातों नदियों का जल गोमुख जाकर भागीरथी को 29 मई को समर्पित किया। वहां से चलकर गंगा के दोनों छोरों के बीच 'गहमर' में गंगा दशहरे के दिन 2 जून को देश भर से आये हजारों लोग गंगा सम्मेलन के रूप में मिलें।

यह यात्रा जल संरक्षण और अनुशाषित उपयोग पर सरकार और समाज का ध्यान आकृष्ट करने वाली चेतना यात्रा थी। गंगा जल हमें अपनी शुद्धता के साथ प्राप्त हो सके ऐसी राष्ट्रीय नदी बनवाना लक्ष्य है। इसलिए गंगा के साथ समाज को जोड़ना है। पुनर्जीवित नदियों से शुरू होने वाली यह यात्रा पूरी गंगा को पुनर्जीवित करना चाहती है।

गंगा देश के 43 प्रतिशत भू-भाग में फैली है। राजस्थान का बड़ा हिस्सा गंगा का हिस्सा है। हम कम वर्षा वाले होने के बावजूद अपना ज्यादातर शुद्ध वर्षा जल अपनी मां को दे रहे हैं। हमारी पुनर्जीवित सातों नदियां गंगा मां को प्रदूषण मुक्त जल देती हैं। चम्बल का सारा पानी हम गंगा को भेंट करते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान से गंगा प्राधिकरण सीख ले सकता है। जैसे राजस्थान की अरवरी, भगाणी, रूपारेल,सरसा, जहाजवाली,,साबी और महेश्वारा सात नदियों में हुआ है। यह स्थाई प्रभाव तभी तक होगा, जब तक यहां का समाज अपने बचाये जल को अनुशाषित होकर उपयोग करेगा।

''नदी केवल जीविका और जीवन ही नहीं है। ये हमारे जीवन का उच्चभाव भी है। जीवन का उच्चभाव का आदर्श प्रकृति से लेन-देन सम्मानजनक और बराबरी के साथ करना चाहिए।''

खेती, उद्योग, जीवन पद्धति में बढ़ती घरेलू जल खपत संकट को बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार को इसके विरुद्ध अपने प्रदेश में कम जल की खपत को बढ़ावा देना चाहिए। जहां ऐसा होता है। वहां नदियों के पास भू-जल स्तर ऊपर आने से नदियां में जल स्राव बढ़कर नदियों को पुनर्जीवित कर देता है। अति जल शोषण करेंगे तो सातों नदियां भी सूख सकती हैं। यहां का समाज जो आज पानीदार है, वह बेपानी बन सकता है। हम पानीदार राजस्थानी गलता जी के

जल को तथा अरवरी, भगाणी, रूपारेल, साबी, जहाजवाली और महेश्वरा नदियों का जल गोमुख से ले जाकर गंगा को समर्पित करेंगे।

तरुण भारत संघ, समाज को नदियों से केवल मां कहकर जल लेना ही नहीं सिखाता, धरती माता को जल देकर नदी को शुद्ध-सदानीरा बनाने के भाव को सम्मानित करने हेतु पिछले 25 साल से जल संरक्षण किया है। नदी केवल जीविका और जीवन ही नहीं है। ये हमारे जीवन का उच्चभाव भी है। जीवन का उच्चभाव का आदर्श प्रकृति से लेन-देन सम्मानजनक और बराबरी के साथ करना चाहिए। प्रकृति अपना मन और शरीर ही है। नदियां हमारी धमनियां हैं। इन्हें शुद्ध रखने से ही हमारा जीवन सम्भव है। गंगा सागर से नावं यात्रा, गोमुख से 'वाहन यात्रा' गंगा किनारे पंडों, मछुआरों, किसानों से संवाद करते हुए, गंगा सम्मेलन में गंगा दशहरा के दिन दो जून 2009 को दोनों यात्राएं गहमर में पहुंची।

5

गहमर गंगा घोषणा-पत्र

गंगा प्रवाह मार्ग के मध्यबिन्दु क्षेत्र होने के साथ ही एशिया का सबसे बड़ी आबादी वाले गांव होने के कारण गहमर 'गाजीपुर उत्तर प्रदेश' की अपनी एक महत्ता है। इसी को दृष्टिगत रखकर राष्ट्रीय जल बिरादरी ने वर्ष 2008-09 में गंगा पुनर्जीवन के लिए हुए प्रयासों से मिली जीत का उत्सव मनाने व आगे के कदम तय करने के लिए गहमर गांव को चुना। गंगा दशहरा से शुरू हुए दो दिवसीय गंगा सम्मेलन '2-3 जनू 2009' के दौरान विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के बाद सम्मेलन जिन निष्कर्षों पर पहुंचा, उन्हें सर्वसम्मति से दसमूत्रीय 'गहमर घोषणा-पत्र' के रूप में पारित किया गया।

1. गंगा दशहरा के दिन को गंगोत्सव के रूप में मनाने की जो पहल इस वर्ष गहमर से हुई है, उसे नियमित आयोजन का रूप दिया जायेगा। अगले वर्ष से किनारे की सभी जल बिरादरी ईकाइयां दशहरा को 'नदी उत्सव' के रूप में मानयेगी।
2. गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के गठन और राष्ट्रीय नदी घोषणा के बाद की नई परिस्थितियों में जरुरी है कि गंगा का समाज अब राष्ट्रीय नदी के प्रति जबावदेह बने और इसके लिए सरकार को सहयोग करे। इस दृष्टि से गंगा के पूरे प्रवाह में एक लोक ढांचे के रूप में गंगा जल बिरादरी का गठन कर जमीनी तंत्र विकसित किया जायेगा।
3. गंगा जल बिरादरी का स्वरूप राष्ट्रीय होगा। ग्राम पंचायत इकाई इसकी पहली व जमीनी इकाई होगी।
4. ग्राम पंचायत स्तर से शुरू हुआ ढांचा आगे भू-सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए अपने गठन का क्षेत्र तय करेगा। तदनुसार सम्मेलन ने गंगा प्रवाह मार्ग को सात भू-सांस्कृतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है :

हिमालय क्षेत्र-गोमुख से हरिद्वार, तराई क्षेत्र- हरिद्वार से हरदोई, मध्य गंगा क्षेत्र- हरदोई से बलिया, बाढ़ क्षेत्र- बलिया से फरक्का, फरक्का क्षेत्र- फरक्का से हावड़ा, गंगा सागर क्षेत्र- हावड़ा से गंगासागर। प्रत्येक भू-सांस्कृतिक क्षेत्र में गंगा जल बिरादरी की भिन्न-भिन्न इकाइयां होगी लेकिन इकाई एक-दूसरे से जुड़ी रहेगी।

5. गहमर गांव में प्रथम 'ग्रामीण गंगा जल बिरादरी' गठित करने का निर्णय लिया गया। तत्काल प्रभाव से इकाई गठित कर ली गई।
6. गहमर गांव गंगा संरक्षण में गांवों की भूमिका का 'मॉडल गांव' के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया।
7. गंगा में कटान, प्रदूषण, शोषण एक बड़ी समस्या है। कोई गांव गंगा में जाने वाले अवजल व कजरे, अपने गांव में पानी की कमी और बर्बादी तथा गंगा में होते अप्राकृतिक कटान को कैसे रोक सकते है, गहमर गांव इस दिशा में कार्य कर एक आदर्श प्रस्तुत करने में पहल करेगा।
8. गंगा सम्मेलन ने 'गंगा जनादेश' में अंतिम रूप देते हुए उसके सभी 27 बिन्दुओं को संबंधित सरकारों, जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत करने तथा जन साधारण को उनके प्रति जानकारी, जागृति व उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जमीनी जुड़ाव की यात्राओं का दौर चलाया जायेगा।
9. विभिन्न भू-सांस्कृतिक क्षेत्र गंगा जल बिरादरी इकाइयां अपने क्षेत्र विशेष में गंगा को दुष्प्रभावित करने तथा गंगा का दुष्प्रभाव बढ़ाने वाले स्थानीय कारकों की पहचान कर उनके स्थानीय समाधान प्रस्तुत करेंगी।
10. गंगा जल बिरादरी गंगा प्रवाह मार्ग के संसदीय क्षेत्रों के लोक सभा सदस्यों और प्रमुख गंगा कार्यकर्ताओं का एक साझा मंच तैयार कराने के लिए प्रेरक और उत्प्रेरक की भूमिका अदा करेगी।

गंगा सम्मेलन नदियों के अप्राकृतिक जोड़ के स्थान पर लोगों को नदियों से जोड़ने की मुहिम चलायेगा। सरकार को भी इस दिशा में काम करना होगा, तभी राष्ट्रीय नदी के प्रति सभी अपनी जबावदेही समझकर गंगा पुनर्जीवन के काम में आपस में जुड़ सकेंगे।

6

6-8 जुलाई 2009 को तरुण भारत संघ, भीकमपुरा थानागाजी में तीन दिवसीय 'बदलाव भू- जलीय परिवेश एवं इसके पर्यावरणीय प्रभाव' पर राष्ट्रीय सेमीनार का सम्पन्न हुआ। सेमीनार में देश भर से भू-जलीय वैज्ञानिक वरिष्ठ इंजीनियर, ''तकनीशियन, सरकारी अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं कई विश्वविद्यालयों के छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सेमिनार में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा 68 पेपर प्रस्तुत किये गए। इसके साथ ही सरकार-समाज -स्वैच्छिक संगठनों की जल संवर्धन में भूमिका पर संवाद किया गया। सेमिनार में छः मुख्य मुददों पर गहन चर्चा हुई।

''बदलाव भू-जलीय परिवेश एवं इसके पर्यावरणीय प्रभाव' पर राष्ट्रीय सेमीनार का समापन हुआ।''

1. पिछले 50 वर्षों में भारतीय भूजलीय परिवेश में आए बदलाव।
2. भूमि के बदलते उपयोग एवं उसके ग्रामीण/शहरी विकास पर प्रभाव।
3. जल उपयोग-दोहन के पर्यावरणीय प्रभाव।
4. भारतीय नदियों की वर्तमान स्थिति एवं उनके संरक्षण हेतु किये जा रहे कार्य।
5. भू-जल संरक्षण, संवर्धन हेतु नई तकनीकों का उपयोग।
6. समाज-सरकार-निजी स्तर-स्वैच्छिक संगठन स्तर पर जल संरक्षण-संवर्धन हेतु किए गए प्रयास।

सेमिनार में समाज को आगे बढ़कर वर्षा जल को सहेजने पर जोर डाला गया। राष्ट्रीय नदियों पर हो रहे अतिक्रमण, प्रदूषण, अतिदोहन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। राजनेताओं को आगे बढ़कर अपने क्षेत्र में बह रही नदियों का लोक-संगठन बनाकर उनके संरक्षण हेतु कार्य करने की जरूरत बताई गई। सेमिनार में तरुण भारत संघ के जल संरक्षण के कार्य को सराहा गया और समयसिद्ध समुदायिक अनुभव बताया गया।

सेमिनार में आए सभी संभागियों ने 7 जुलाई को तरुण भारत संघ द्वारा किये गए जल संरक्षण-सवंर्धन कार्यों का अवलोकन किया।

सेमिनार के अन्तिम सत्र में जो निम्निलिखित प्रमुख बिन्दुओं पर आम-सहमति बनी :

1. प्रत्येक गांव का अपना एक स्वच्छ -सुरक्षित जल प्रबन्धन होना चाहिए।

2. परम्परागत जल संरक्षण विधियों को फिर से जीवित करना होगा।
3. जल अति-दोहन रोकने के लिए नए-कड़े नियमबनाने की आवश्यकता महसूस की गई।
4. 'फोटो रेमिडियेशन' तकनीक से फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित जल को साफ करने में मदद मिल सकती है।
5. जल संरक्षण में किये गए अच्छे प्रयासों को प्रचारित करने की आवश्यकता है।
6. वैज्ञानिकों, तकनीशियनों को समाज से अधिक संवाद बनाने की आवश्यकता है, तभी समाज की जरुरत के आधार पर ही तकनीकों का आविष्कार-उपयोग किया जा सकेगा।
7. राजस्थान के सामुदायिक जल प्रबन्धन के अनुभवों से सीखकर काम किया जाये।

सेमिनार में जियोलोजिकल सोशायटी आफ इण्डिया के सचिव एस. दास लिखित पुस्तक ड्रिंकिंग वाटर एण्ड फूड सिक्योरिटि इन हार्ड रॉक एरिया का राजेन्द्र सिंह द्वारा विमोचन किया गया।

जियोलोजिकल सोशायटी आफ इण्डिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सेमिनार करने का अपने इतिहास काल में पहला मौका था। जो तीन दिवसीय सेमिनार के रूप में सम्पन्न हुआ।

7

वर्ष 2009 की गर्मी के तेवर माह मार्च से ही चढ़ने लगे थे। चालीस-पचास साल के रिकार्डों को तोड़ते हुए गर्मी ने दस्तक दी थी और अप्रैल आते-आते गर्मी के प्रकोप ने पिछली सदी के सभी रिकार्ड तोड़ दिये। मई-जून में सूरज ने आग बरसाई तो गांव के लोगों को लगा कि अब की बार अच्छी बरसात होगी। ऐसी ही भविष्यवाणी हमारे मौसम विभाग के वैज्ञानिक कर रहे थे कि बीस-पच्चीस जून तक देश के सभी भागों में मानसून सक्रिय हो जायेगा। इसी आशा में जून का महीना बीत रहा था।

आधा जून आने पर ग्रामीण जनों की निगाहें आसमान की ओर देखने लगी, कि कहीं बादल दिखाई दें। रेडियो, टी.वी., अखब्रार, के जरिये मौसम विभाग के विशेषज्ञ रोज वर्षा के आंकड़े बताते थे। देश और राज्य की सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था को मद्दे नजर रखते हुए विशेषज्ञों की राय के अनुसार कृषि की पैदावार के आंकडे भी प्रसारित प्रचारित कर दिये। जबकि समूचे उत्तर भारत में खरीफ की फसल बुवाई के नाम पर धरती में एक दाना तक नहीं पड़ा था। देश का किसान वर्षा के आगमन की चिन्ता में आसमान की ओर देखता हुआ नजर आ रहा था।

मानसून के आगमन की सूचनाओं से थोड़ी सी आशा होती थी कि देर से ही सही मानसून आ तो रहा है। उसी के अनुसार किसान अपनी खेती को तैयार कर रहा था। लेकिन अब की बार मानसूनी हवाओं ने समुद्री तटों को ही तर किया। कहीं-कहीं भारी बरसात करता हुआ शान्त हो गया तो कहीं तबाही का मंजर बनकर रह गया था। लेकिन हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी उन्होंने जून के अन्तिम सप्ताह में भी फिर से मानसून के सक्रिय होने की सम्भावनाओं को प्रचारित प्रसारित रखा और बताया गया कि महा जून में जो वर्षा काल था उससे घबड़ाने और चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है। जून के महीने में होने वाली बरसात मात्र नौ प्रतिशत कम हुई है। इससे देश की कृषि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के कृषि मंत्रालाय और वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्तियों में देश में अच्छी पैदावार के आंकड़े प्रस्तुत किये।

आज का युग विज्ञान का युग है इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा देश भी विज्ञान के क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की नई बुलन्दियों को छूता नजर आ रहा है और हमारे वैज्ञानिकों का अब दुनिया लौहा मानने लगी है। ऐसा रोज समाचारों के माध्यम से सुनने को मिलता है। ऐसी खब्ररों से दिल वाग-वाग होता है। सुनने में अच्छा लगता है। फिर भी

हमारी कृषि व्यवस्था अभी प्रकृति के अंग रूप में ही फलती फूलती है और भारतीय जनजीवन को दानी पानी मिलाता है।

वर्ष 2009 के मानसून को देखते हुए लगता है कि समूचे देश का अर्थ तंत्र चरमरा गया है। देश का अधिकांश भाग सूखा की चपेट में हैं। खाद्यान और चारे पानी की कमी से कृषि आधारित जीवन तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो ही रहा है लेकिन शहरी जीवन भी अकाल में मंहगाई बढ़ने से हतप्रद है। खाद्य सामग्री के दाम बेतहासा बढ़े हैं, बढ़ती कीमतों का प्रभाव उसके दैनिक जीवन में साफ दिखाई देता है। ऊपर से पीने के पानी की अव्यवस्था ने जीवन जीना और भी दूभर कर दिया है। पानी की चिन्ता में हमारे प्रधानमंत्री भी चिन्तित दिखाई दिए। तभी तो पहली बार 62वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को लालकिले के प्राचीर से देश की जनता को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 'जल बचाओ' का नारा देकर यह स्पष्ट करना चाहा कि कम वर्षा, जल की बढ़ती मांग व घटती उपलब्धता के कारण यदि हम समय रहते हुए सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में पानी के बुरे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी ओर भूमिगत जल के तेजी से इस्तेमाल व इसकी प्राकृतिक भरपाई न हो पाने के कारण जल स्तर तेजी से कम होता जा रहा है।

18 अगस्त को पर्यावरण से संबंधित राज्यों के पर्यावरण एवं वन मंत्रियों का दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पानी की बढ़ती समस्या पर चिन्ता जाहिर की। राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने और उसके नैसर्गिकता, अविरलता को बनाये रखने की वचनबद्धता दोहराई। साथ ही देश की अन्य बड़ी नदियों के विषय में भी राष्ट्रीय नदी गंगा के समान ही प्रदूषण मुक्त करने का आश्वासन दिया।

पानी संकट के प्रति केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की संवेदनाएं जगी हैं। उन्हें अहसास हो गया है कि अगर सही मायने में विकास करना है तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन-शोषण करके नहीं बल्कि उनका संरक्षण संवर्द्धन करके किया जा सकता है। देश के वित्तमंत्री के अनुसार इस वर्ष के मानसून में 26 प्रतिशत कम वर्षा का आंकलन हुआ जिसका असर खरीफ की फसल पर 20 प्रतिशत कम पैदावार का अनुमान लगाया गया। जबकि अकाल प्रभावित राज्यों की वर्षा न होने के कारण स्थति बहुत ही बदतर हो गई है। राजस्थान के छोटे से छोटे जोहड़, नाड़ी और ताल तलैया अभी तक पानी के अभाव में सूखे पड़े हैं। बड़े बांधों के पानी पर बड़े कस्बे ,शहर, महा नगर आश्रित हैं जबकि अक्टूबर तक राज्य के सभी बांध खाली हैं। पेयजल की बढ़ती समस्या से राज्य सरकार और जनता दोनों ही चिन्तित नजर आ रहे हैं। अगर अक्टूबर के महीने के अन्त में राज्य के छोटे बड़े तालाब, बांध पानी से भर जाते हैं तो इसे प्रकृति का करिश्माई उपकार ही माना जायेगा।

8

तरुण भारत संघ के परिसर में राष्ट्रीय जल बिरादरी के तत्वाधान में आयोजित तीन दिवसीय '10-12 सितम्बर' राष्ट्रीय नदी जल सम्मेलन का उदघाटन सत्र में सीडा के प्रमुख क्लेयस जॉन ने भारत में नदियों के संरक्षण पर आमजन की भागीदारी को आवश्यक बताया। जॉन ने स्टॉकहोम में नदियों को स्वच्छ करने के अनुभवों पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत में नदियों की स्थिति पर स्वयं सेवी समाज की चिन्ता अच्छी पहल है। हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि जल प्रदूषण न हो।

तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि विकास के नाम पर कानून कायदों को ताक पर रख हमने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। जल प्रदूषण बीमारियों का कारण बन रहा है। प्राकृतिक जलस्रोत खत्म होते जा रहे हैं। हमने तट बन्धों पर अतिक्रमण कर प्राकृतिक जल प्रवाह को रोक दिया। फलस्वरूप कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी आपदाओं की मार पड़ रही है। हमें इस प्रवाह को फिर से ढूंढकर जलस्रोतों को जीवित करना होगा।

गंगा जल बिरादरी के संयोजक अरुण तिवारी ने नदियों सहित देश के तमाम जल स्रोतों की भूमि के चिन्हिकरण की आवश्यकता जताई। नदी सम्मेलन में आये देशभर के प्रकृति प्रमियों ने अपने राज्यों नदियों के चित्र प्रस्तुत किए गए। इसमें झाड़खण्ड से घनश्याम, यू.पी. से अरविन्द कुशवाह, प्रदीप शुक्ला, एस. राजू, दिल्ली से राहुल, कुलदीप व पंकज, हरियाणा से इब्राहिम खां, महाराष्ट से आनंद कपूर, विभा पटेल व नरेन्द्र चुंग ने प्रस्तुति दी। सुबोध शर्मा ने आजादी संकल्प यात्रा के अनुभव बताए।

"हम नहीं चेते तो तमाम जल स्रोत खत्म हो जायेंगे और जीवनचक्र गड़बड़ा जाएगा।"

अध्यक्षीय संबोधन में अमृतलाल बेगड़ ने कहा कि यदि अब भी हम नहीं चेते तो तमाम जल स्रोत खत्म हो जायेंगे और जीवनचक्र गड़बड़ा जाएगा।

सम्मेलन के दूसरे दिन के मुख्य अतिथि के रूप में जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह जी ने इस बात पर चिन्ता जताई कि पानी को पूजने वाला भारत विरासत से मिली सोच को भूलकर नदियों व भूमिगत जल को प्रदूषित करने में जुटा है। इस भूल के दुष्प्रणाम नई-नई महामारियों व प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आ रहे हैं। उन्होंने आवाहन किया कि नदी को पुनर्जीवित कर दुनिया में पानी के ज्ञान की मिशाल बना राजस्थान नदी संरक्षण

की मिशाल बने। राजस्थान में सूखा पड़ने के बाबजूद किसान निराश नहीं होते, यहां के लोग संघर्षशील हैं। हम नदियों के पुनर्जीवन के लिए भी संघर्ष करेंगे। अलवर जिले में हुए पानी के काम का अनुसरण करते हुए देश की अन्य नदियों को भी पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

''राजस्थान में सूखा पड़ने के बाबजूद किसान निराश नहीं होते, यहां के लोग संघर्षशील हैं। हम नदियों के पुनर्जीवन के लिए भी संघर्ष करेंगे।''

सम्मेलन के तीसरे और आखरी दिन के मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। श्री दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले गांव गढ़बसई पहुंचकर तरुण भारत संघ और ग्राम समुदाय गढ़बसई के द्वारा बनाए गुरुसागर एनीकट का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर उनकी पत्नी श्रीमती आशा सिंह साथ थीं। लोकार्पण समारोह को सम्बोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पेयजल किल्लत जैसी समस्याओं के निराकरण में जन भागीदारी सबसे जरूरी है। भारत में सबसे बड़ी समस्या सेवा प्रदाता तंत्र में खामी और सतही पानी की बर्बादी है। इससे निजात जन जागरण एवं जन भागीदारी से पाई जा सकती है। अमरीकी अंतरीक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारत में पानी का सबसे ज्यादा अपव्यय हो रहा है। वर्ष में केवल 25 से 50 दिन बरसने वाले वर्षा के पानी का संरक्षण नहीं किया जा सका तो जल संकट से निपटना भी मुश्किल रहेगा।

गढ़बसई से चल कर तरुण भारत संघ परिसर में आये। जल बिरादरी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि केन्द्र का पैसा जनता तक नहीं पहुंचने के कारण कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती है। देश में व्यवस्था की कमी है न कि धन की। जब तक गांव की व्यवस्था गांव के हाथ में नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। नरेगा के तहत आ रहे हजारों करोड़ रुपयों का फायदा उन लोगों को मिल रहा है जो लोग पात्रता में शामिल ही नहीं हैं। जल का अधिक दोहन व पुनर्भरण नहीं करना खतरनाक है। नदियों के शुद्धिकरण के लिए प्रकृति के अनुकूल प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने जल प्रबन्धन पर जोर देते हुए कहा कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में उपयोग के लिए बरसाती पानी का संरक्षण आवश्यक है। यह सब जनता के जागरूक होने से ही संभव होगा।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यों में नदी घाटी विकास प्राधिकरण गठित करने के गम्भीरता से प्रयास करेगी। विशेषकर जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण की सोच रखती है। इस सम्मेलन में गंगा के विकास के लिए बने प्राधिकरण में विभिन्न राज्यों की भागीदारी आदि के संबंध में आए सुझावों पर गहनता से विचार किया जाएगा। सिंह ने जल संरक्षण में जुटे संगठनों का एक

मंच स्थापित करने, जल बिरादरी के सदस्यों का फेडरेशन बनाने और साझा कार्यक्रम तैयार कर नदियों को पुनर्जीवत करने के जन आन्दोलन को मुर्तरूप देने की बात भी कही।

राजेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार समाज को नदियों से जोड़ने के लिए सहभागी बने। जल बिरादरी ने प्रदेश के 19 जिलों सहित देश के 24 राज्यों में नदियों को अतिक्रमण मुक्त करवाने और जल प्रदूषण रोकने के लिए बने कार्यक्रम पर अमल करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के तमाम कार्य जन सहभागिता से ही हुए हैं। उम्मीद है कि सोच में बदलाव से हम फिर से देश को पानीदार बना सकेंगे। राजेन्द्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से यह साफ हो गया है कि अब नदियों के जोड़ की सोच पर काम नहीं होगा। यह प्रकृति से छेड़छाड नहीं करने की सोच दर्शाने वाला बयान है।

समापन समारोह में नर्मदा बचाओ आन्दोलन के प्रणेता अमृतलाल बेगड़, गांधी प्रतिष्ठान शान्ती प्रतिष्ठान दिल्ली की अध्यक्षा राधा भटट्, घनश्याम भाई, अरुण तिवारी, पाली से आए महावीर सिंह, पूना से आई वीना पाटोल, अरावली इस्टीटूयूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्र मोहम्मद तौफिक, प्रशांत, व्याख्याता विश्वास गुप्ता सहित अन्य ने भी विचार व्यक्त किये।

"अलवर जिले में जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के तमाम कार्य जन सहभागिता से ही हुए हैं। उम्मीद है कि सोच में बदलाव से हम फिर से देश को पानीदार बना सकेंगे"

नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने और विकास के लिए राष्ट्रीय जल बिरादरी के संयोजक श्री मनोहर सिंह राठौर ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें नदियों का चिन्हिकरण कर उनके बहाव क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करने, चारागाह व नदियों की जमीन पर वन विकास, भूजल प्रदूषण रोकने के लिए कानून को प्रभावी क्रियान्वयन करने, जैविक प्रकिया से अपशिष्ट उत्पादों को नष्ट करने अथवा उनके नए उत्पाद तैयार करने न्यूनतम भूजल स्तर बनाए रखने के लिए मानक तय कर उनकी पालना और नदियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में सहयोग की मांग की गई है। इन बिन्दुओं पर एक साल में काम नहीं होने पर जन आन्दोलन की चेतावनी दी गई है।

सम्मेलन समापन कर श्री दिग्विजय सिंह का अगला कार्यक्रम भगाणी तिलदेह नदी जलग्रहण क्षेत्र का अवलोकन करना था। करीब पांच बजे भीकमपुरा से चल कर भगाणी तिलदेह नदी को देखा वहीं पर अरावली इस्टीटूयूट ऑफ मैनेजमेंट जोधपुर के डेढ़ सौ विद्याथियों को जल प्रबन्धन का सैद्धान्तिक व प्रायोगिक ज्ञान दिया गया। करीब सवा तीन घंटे तक भविष्य में प्रबन्धकों ने जल और जमीन को बचाने की जरूरत, उस पर किए जा रहे काम को समझा और अपने सुझाव भी दिए।

श्री दिग्विजय सिंह नदी किनारे विद्यार्थियों को देश के परिपेक्ष में विकास और प्रबन्धन का पाठ पढ़ा कर वहीं से अलवर होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

2 अक्टूबर को तरुण भारत संघ परिसर में संस्था का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था को ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते 25 साल पूरे हुए। बीते समय में संस्था द्वारा जन सहभागिता से समाज उपयोगी किए गये कार्यों की समीक्षा की गई तथा भावी योजना की रूपरेखा पर ग्रामसभा सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया। मौलिक शिशौदिया द्वारा संस्था के 25 वर्षों के कार्यों का समीक्षात्मक मुल्यांकन 'रिस्टोरिंग लाईफ एण्ड होप टू बैरेन लैण्ड' प्रतिवेदन तैयार किया गया था। जिसे ग्रामीण समाज को समर्पित किया।

5 अक्टूबर को राष्ट्रीय नदी गंगा प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तीन राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित हुए तथा संबंधित सदस्यगणों ने भाग लिया। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भी प्राधिकरण द्वारा गठित कमेटी के सलाहकार सदस्य के रूप में मनोनीत किये गये हैं। यह बैठक पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य मुद्दे राष्ट्रीय नदी गंगा के नैसर्गिक अस्तित्व, अविरलता, स्वच्छता और गंगा बेसिन क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति पर चर्चा की गई।

गंगा नदी घाटी क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं, नदी जोड़ परियोजना पर चर्चा हुई। नदी जोड़ परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरणीय, आर्थिक और विकास की दृष्टि में अव्यावहारिक मानते हुए नकार दिया। राष्ट्रीय नदी गंगा के शुद्धिकरण की कार्ययोजना और आर्थिक संसाधनों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। गंगा शुद्धिकरण के लिए 15000 करोड़ का अनुमानत: खर्च का प्रस्ताव पारित हुआ। देश की अन्य बड़ी नदियों में हो रहे प्रदूषण पर भी चिन्ता जताई गई।

राजस्थान में जल दोहन करने वाली 23 शराब कम्पनियों के खिलाफ तरुण भारत संघ ने वर्ष 2006 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय में सुनवाई हुई, सरकार और शराब कम्पनियों से जवाब-तलब हुए। अन्तत: सरकार ने अक्टूबर 2009 में 23 में से 14 कम्पनियों के पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थगित कर दिये।

9

तरुण भारत संघ को इस बात की खुशी और आत्मसंतोष है कि 25 वर्षो से जल संरक्षण के काम को हर प्रकार से सरकार और प्रशासन तंत्र ने स्वीकार किया है। चाहे वह जल संरक्षण के लिए जोहड़ तलाब बनाने के काम हो या फिर जल संरक्षण के लिए जल चेतना अभियान चलाने के कार्य। सभी को जन सहभागिता से करने की आवश्यकता महसूस की है और इस दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए हैं। केन्द्र और राज्यों की जल नीति की खामियों को लेकर तरुण भारत संघ ने अभियान चलाया तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी अपनी-अपनी जल नीति को जनोन्मुखी बनाने के प्रयास किये। देश में जहां कहीं जल को व्यापार की वस्तु मान कर नीजि हाथों में दिया गया, उसके खिलाफ आन्दोलन हुए। आन्दोलनों का असर जल को नीजिकरण के कुचक्र से बचाने का प्रयास किया तो सफलता भी मिली और रोक भी लगी।

"तरुण भारत संघ को इस बात की खुशी और आत्मसंतोष है कि 25 वर्षो से जल संरक्षण के काम को हर प्रकार से सरकार और प्रशासन तंत्र ने स्वीकार किया है।"

नदियों का नीजिकरण, प्रदूषणमुक्ति के अभियान और बहाव क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए पूरे देश में जन साधारण से लेकर राजनीति के गलियारों तक जन जागरण और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तार्किक दृष्टिकोण से अपनी बात कही। राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री, केन्द्र सरकार केबिनेट स्तरीय मंत्रियों, उच्च प्रशासनिक तंत्र को तथ्यात्मक दस्तावेजों के माध्यम से जल संरक्षण के लिए विभिन्न आयामों को लेकर संवाद प्रक्रिया में सतत् भागीदारी दर्ज कराई और जन समुदाय के हितों के लिए अपनी बात कही। जल संरक्षण के लिए कोर्ट कचेहरी से लेकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी जाकर अपनी बात कही। माननीय न्यायालयों ने जनहित के लिए अपने दृष्टिकोण और न्याय व्यवस्था में जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए व्यवस्थाऐं दी। हाल ही में हुए चुनावों में सर्वोच्चय न्यायालय ने कहा था कि वोट उसी को मिलना चाहिए जो जनता को पानी पिला सके व जल संरक्षण का कार्य किया हो। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले को बदल कर गंगा के प्राकृतिक बहाव की रक्षा करके भारतीय जल दर्शन का उदद्धरण प्रस्तुस्त किया। प्रकृति के नियमानुसार नदियां सागर को परिपूरित करती हैं और सागर अपना जल बरसा कर उनका पालन-पोषण करता है, उनके जीवन की रक्षा करता है। देश की नदियों की नैसर्गिकता को बचाने के लिए तरुण भारत संघ के प्रयास जारी हैं।

तरुण भारत संघ
पच्चीस साल का सफर

समीक्षा

तरुण भारत संघ का पच्चीस साल का सफर-पिछले पच्चीस वर्षों में पच्चीस कदम चलने के लिए हर कदम, काम का अपना एक महत्व है। कौन सा कदम धीमा रहा? कौन सा तेज? कौन सा कदम लड़खड़ाया? कौन सा कदम उखड़ा? और कौन सा स्थायित्व लिए सदैव प्रयत्नशील रहा? यह बताना मुश्किल होगा। क्योंकि समय परिस्थितियों के चलते प्रत्येक कदम अपनी जगह स्थायित्व लिए प्रयत्नशील रहा है। वरना पच्चीस साल का इतिहास पच्चीस कदम चलने की बजाय पहले ही किसी भी मोड़ पर पूरा हो जाता।

तरुण भारत संघ ने बीते पच्चीस सालों में ग्रामीण क्षेत्र के समाज में सामाजिक कार्य करते हुए गुजारे। बीते हुए वर्षों में समाज के विकास के लिए संस्था के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सदैव प्रयत्नशील रहे जिन्होंने समयानुसार समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किये। उनका लाभ ग्रामीण जनता को मिला। समाज की समस्या चाहे सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक विकास, प्राकृतिक प्रकोप, नीतिगत रही हों या संघर्षशील संस्था ग्रामीण समाज के साथ हमेशा साथ रही। सामाजिक ग्रामीण जीवनशैली में समस्यायें अनन्त होते हुए संस्था ने अपने स्तर से जो कुछ समाज हित में अच्छा हो सका, पूरा प्रयास किया। समाज ने संस्था के प्रयासों को स्वीकारा और सामाजिक समस्याओं का निराकरण करते हुए विकासोन्मुख हुआ।

तरुण भारत संघ के आगे परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों न रही हों, उसने ग्रामीण जीवन के साथ मिलकर उनका सामना किया। पीड़ित समाज को खुशियां दी। पीड़ित समाज की खुशियां तरुण भारत संघ का संबल बनीं। संस्था के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के कार्यानुभव के आधार पर वैचारिक व तार्किक दृष्टिकोण में व्यापकता आई। तभी तो ग्रामीण जीवन से देश-दुनिया की बढ़ती समस्याओं के समाधान के रूप में देखने, समझने और कार्यशीलता के कारण तरुण भारत संघ का कार्य ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर पूरा देश कार्यक्षेत्र हो गया है।

संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता देश के अन्य भागों में जा-जाकर भीकमपुरा ग्रामीण कार्यक्षेत्र के अनुभव समाज के बीच बताते हैं। देश के ग्रामीण जीवन में विदेशी हस्तक्षेप के बढ़ते प्रयासों को रोकने के लिए भी भरसक प्रयास हो रहे हैं। संस्था के पदाधिकारी विदेशों में भी जाकर अपने कार्यक्षेत्र के अनुभव बताते हैं। विदेशियों को अपनी-अपनी नीतियों में सुधार के लिए भी कहने से नहीं चूकते। जहां सलाह की जरूरत होती है, वहां समाज उपयोगी उचित सलाह भी देते हैं। राज्य-देश-विदेश की नीतियों में वैचारिक दृष्टिकोण में आम आदमी केन्द्र में रहता है।

संस्था के प्रयासों से समाज की बदलती हुई तस्वीर किसी से छुपी नहीं रही है। चाहे सात समन्दर से आये विदेशी मेहमान हों या देश के प्रथम नागरिक महामहिम। राजनैतिक स्तर के लोग हों या सत्ताधारी राजनेता, देश-विदेश की स्वैच्छिक संस्थायें हों या देश-विदेशों का सरकारी तंत्र। साधु-संन्यासी हों या राजा-महाराजा, देश-दुनिया के औद्योगिक जगत् के उद्योगपति हों या जंगल में रहने वाले वनवासी खेतिहर किसान। देश-विदेशों के विषय विशेषज्ञ हों या फिर विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थी एवं शोधार्थी या फिर लेखक व पत्रकार। सभी ने अपने तौर-तरीके से और वैचारिक दृष्टिकोण के साथ अपनी जरूरत के मुताबिक तरुण भारत संघ के ग्रामीण विकास के कार्यों को देखने-समझने की कोशिश की है। तरुण भारत संघ के पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता और ग्रामीणजन आगन्तुओं की इच्छानुसार उनके कार्यों में हर संभव मदद करते हैं।

तरुण भारत संघ के ग्रामीण जीवन के कार्यकाल (पच्चीस साल) में हुए समाज में बदलाव की प्रक्रिया को देखने-समझने के लिए निम्नवत मानदण्ड के आधार-बिन्दु हैं। सामाजिक स्तर पर, (सामाजिक रीति-रिवाज, सामाजिक कुप्रथायें) ग्रामीण जीवन उपयोगी अनिवार्य सुविधायें, रोजगार,मुख्य व्यवसाय, कुटीर उद्योग सामाजिक स्तर पर- समाज में क्षेत्रीय त्यौहार, मेला, व्रत, तीर्थ, धार्मिकता आदि के प्रति प्रवृत्ति बढ़ी है। सामाजिक रीति-रिवाज में एक -दूसरे का सहयोग करने की प्रवृत्ति कम हुई है। समाज में मान -सम्मान की भावना भी कम हुई है।

अभी समाज जाति प्रथा के अनुसार ही कच्चे रिश्तों में जुड़ता है। समाज में पच्चीस साल पहले के मुकाबले में बाल विवाह कम हुये हैं। अब अधिकांशत: 12-18 साल के लड़का-लड़की की शादी होती है। अभी जन जागृति की जरूरत है। मृत्युभोज में बहुत बड़े स्तर पर खर्च कम हुआ है। कर्ज से भी मुक्ति मिली है।

अब एक-दूसरे को ताने भी नहीं देते हैं कि तेरा बाबा, दादा, दादी भूखे -प्यासे चिल्लाते हैं। कोई दबाव भी नहीं डालता है और न ही सुनने में आता है कि किसी ने पन्द्रह बीस साल बाद अपने स्वर्गीय परिजनों का नुक्ता किया हो। ग्रामीण समाज में झाड़-फूंक, टोने-टोटके में भी कमी आई है। वरना पहले दिल्ली तक के लोग इस क्षेत्र में आते थे। अधिकांशत: गांव के महाजन शहरों में पलायन कर गये, इसके भी चलते महाजनी प्रथा भी काफी कम हुई है। गांव का आदमी बैंक से जुड़ने की कोशिश करता है।

ग्रामीण जीवन में उपयोगी अनिवार्य सुविधाओं के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची-पक्की सड़क सुविधाओं का बढ़ावा हुआ है। यातायात के निजी स्तर के साधन बढ़े हैं। गांव में मोटर साइकिल और जीप आदि बढ़ी है। यातायात के साधनों के बढ़ने से डीजल पंप भी क्षेत्र की जरूरत के अनुसार बढ़े हैं। अकेले थानागाजी में एक जगह अब तीन डीजल पंप हैं। एक प्रतापगढ़ में है। बड़े गांव में भी कहीं-कहीं मिल जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली भी पहुंची और टेलीफोन, मोबाईल सेवा भी गांव स्तर पर पहुंची है लेकिन अभी बिजली जैसी सुविधाओं का लाभ समाज को निरंतर नहीं मिल पाता है। अधिकतर ऐसी सुविधायें लापरवाही के कारण खराब ही रहती है।

सरकारी स्तर की स्वास्थ्य सेवायें तो नहीं बढ़ी हैं जो पच्चीस साल पहले थी, वहीं हैं। हां, क्षेत्र में कुछ दवाई की दुकान और कुछ प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले लड़कों ने अपने स्तर से स्वास्थ्य सेवायें देना शुरू किया है। इससे जान माल का खतरा बना रहता है। पशु अस्पताल भी नहीं बढ़े हैं लेकिन पशु सेवक जरूर बढ़े हैं जिन्हें संस्था ने प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की थी।

पूरे क्षेत्र में शिक्षा का विकास हुआ है, सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी। जिन गांवों में तरुण भारत संघ शिक्षण कार्य करता था। आज वहां सरकार द्वारा व्यवस्था है या स्वैच्छिक संस्थाओं की व्यवस्था है। तरुण भारत संघ ने प्रारम्भ में जिन गांवों में स्कूल व्यवस्थायें प्रारम्भ की थीं, उन सभी गांवों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है। गोविन्दपुरा, रायपुरा और भाल गांव को देखकर खुशी होती है। अब गोविन्दपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय है जो 21 मई 1992 से शुरू हुआ जिसमें 2008-2009 तक के सत्र तक **156 बच्चों** का प्रवेश हो चुका है।

वर्तमान में **41 बच्चे** हैं जिनमें **26 लड़के** और **15 लड़कियां** हैं। इसी प्रकार रायपुरा में 21 जनवरी 1989 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है

जिसमें **2008-2009** सत्र तक **163 बच्चों** का प्रवेश हो चुका है। वर्तमान में **58 बच्चे** हैं जिनमें **35 लड़के** और **23 लड़कियां** हैं। जिस गांव के लोगों ने शुरू-शुरू में संस्था के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भगा दिया था, आज उस भाल गांव में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता है। इस गांव में 1996 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय शुरू हुआ। अभी तक **166 बच्चों** का प्रवेश हुआ है। **2008-2009** के सत्र में स्कूल में **57 बच्चों** का नामांकन है जिनमें **24 लड़के** और **33 लड़कियां** हैं।

अन्य गांवों की स्थिति भी सन्तोषजनक है। संस्था ने पैंतीस शिक्षा केन्द्रों को सरकारी व्यवस्थाओं से वर्ष 2003 में जोड़ दिया था। शिक्षा के प्रति संस्था के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सतत प्रयासरत हैं। बैंक तो नहीं बढ़े, बैंक सुविधायें जरूर बढ़ी हैं। छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए गांव का आम आदमी बैंक तक जाता है। गांव में भी ब्याज पर लेन-देन होता है।

रोजगार के नाम पर वही कच्ची सड़क व जोहड़ पर निर्माण के काम होते रहे थे लेकिन अब वही काम ट्रैक्टर व बड़ी मशीनें कर रही हैं। सरकारी स्तर से स्कूल बिल्डिंग निर्माण का काम भी हुआ है जिसमें गांव को कुछ रोजगार मिला। गांव के रास्ते सुधरने के कारण भी रोजगार मिला है। क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ने के कारण सरकारी नौकरियों में भी वृद्धि हुई है। एस.सी. व एस.टी. के युवाओं को सरकारी नौकरियों का फायदा हुआ है। स्वैच्छिक संस्थाओं के बढ़ने के कारण भी कुछ लोगों के लिए रोजगार मिला है।

ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय खेती ही है। आज के समय में खेती की तरफ लोगों का अधिक ध्यान गया है। बेकार पड़ी जमीन में भी काश्त होने लगी है। फिर भी जनसंख्या वृद्धि के कारण जमीन से आज के जमाने में गुजर करना कठिन होता है। जमीन की जोत कम होने से प्रत्येक परिवार अपने साधन नहीं रख सकता है।

दूसरे ट्रैक्टर और डीजल इंजन के द्वारा खर्च अधिक आता है। इससे दूसरे काम भी करने जरूरी हो चले हैं। सब्जी की फसलें होने से भी ग्रामीण जीवन यापन में सुधार हुआ है। दुग्ध उत्पादन में ऐसी अधिक बढ़ोत्तरी तो नहीं हुई है लेकिन गांव का दुग्ध अब शहरों में जाने लगा है और गांव में दही, छाछ, घी दर्शन मात्र के लिए ही रह गये हैं।

कुटीर उद्योग के नाम पर मार्बल की मूर्तियों का धंधा बढ़ा है। खेती में मशीनीकरण का उपयोग बढ़ने के कारण चर्म उद्योग भी कम हुआ है। गांव में लुहारी

व बढ़ई आदि के उद्योग बहुत ही प्रभावित हुए हैं या यूं कहें कि खत्म से हो गये हैं। आटा चक्की बढ़ी है। इसके अलावा गांव के जाति विशेष के काम भी कम हुये हैं, जो गांव में फसली काम थे। बाजारू प्रथा के बढ़ने से गांव के परम्परागत छोटे-छोटे धंधे भी प्रभावित हुये हैं जिससे गांव की सामलाती जीवन पद्धति प्रभावित हुई है।

पच्चीस साल के सफर में कुछ सामाजिक परम्परायें कम हुईं। कुछ बाजार के बढ़ते देखते ही देखते कालग्रसित हुई हैं। समय के साथ-साथ परम्परायें ही प्रभावित नहीं हुईं। समाज में प्रभावी कुप्रथाओं पर भी अंकुश लगा है। दूसरी ओर समाज द्वारा भूली-बिसराई गई परम्परायें दुबारा से अपनाई जाने लगी हैं। आज उनकी उपयोगिता जीवन-मरण का सवाल बन कर सभी के सामने हैं।

जल संरक्षण में जोहड़ का अपना महत्व है। जब तक उसमें पानी रहता है, जीव-जगत को तृप्त करता है। सूर्यदेव को तृप्त करता है। धरती का पेट भरता है और चारों ओर के वातावरण को शुद्ध करता है। जब समय परिवर्तनशील है तो लोगों का रहन-सहन भी परिवर्तनशील बना रहेगा। बस! उसे पहचानने और उसके अनुसार जीवन पद्धति बना कर जीवन बसर करने की आवश्यकता हमेशा-हमेशा बनी रहेगी। यही समय की मांग होती है। समय के साथ-साथ समाज की परम्परायें, सभ्यतायें और संस्कृतियां भी बदलती रहती हैं। उन्हें अपने लिए बचाये रखना समाज का दायित्व है।

तरुण भारत संघ
सामाजिक कार्य और भावी योजना

तरुण भारत संघ को ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते 25 वर्ष हो गये। बीते वर्षों में संस्था जिन उद्देश्यों के साथ समाज के बीच पहुंची थी उन्हें केन्द्र में रखते हुए कार्य किए। बीते समय की परिस्थितियों को देखते हुए संस्था द्वारा किए गये कार्य ग्रामीण समाज के लिए स्वावलम्बन की दिशा में स्थायीत्व प्रदान करते दिखाई दिए। ग्रामीण समाज में किए गये विकासोन्मुखी कार्यों के अनुभवों से जो दिशा मिली उनसे देश-दुनिया की परिस्थियों को समझने के लिए विचारों में परिपक्कता आई, आत्मविश्वास बना और तार्किक विश्लेषण के साथ अपनी बात कहने के लिए बल मिला।

समय के साथ-साथ समाज को विकासोन्मुखी होने के लिए उसकी आवश्यकताओं में भी बदलाव आता रहता है। 25 वर्ष पहले समाज को प्राकृतिक प्रकोप और सरकार की उदासीनता के चलते असहाय रहना मुख्य कारण था। आज ग्रामीण क्षेत्र के समाज की प्राथमिकता तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। समाज की बदलती आवश्यकताओं के कारण समाज के स्वावलंबी भाव को बनाए रखने के लिए उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होगा।

आज ग्रामीण जन भी देश दुनिया की जानकारी पल भर में चाहता है। आधुनिक तकनीकी उसके पास है। रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए ग्रामीण युवाओं की प्राथमिकता है। खेती में लगा ग्रामीण जन अच्छी खेती की जानकारी, आर्थिक साधन और अच्छी पशुपालन पद्धतियों की आवश्यकता महसूस करता है। अतः गांव में ऐसे छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जो ग्रामीणों के लिए कुछ धनोपार्जन के लिए हितकर हो। ऐसे ही कुछ कार्य महिलाओं के लिए होने चाहिए जिनसे उनके लिए आर्थिक सम्बल मिल सके। गांव में सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे ग्रामीण जनों को समय रहते हुए उसका लाभ मिले। नरेगा जैसी योजनाओं को ग्रामीण समाज में किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाये जिससे गांव का हर नागरिक लाभान्वित हो, इस पर ग्रामीणजनों के साथ गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने की बहुत जरूरत है।

आज का समय आर्थिक रूप से बढ़ती विषमताओं का है। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली आर्थिक उथल-पुथल का असर हमारे देश पर भी पड़ता है जिससे देश में रोजगार के साधन प्रभावित होते हैं और गरीब जनता पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए

सरकार की विकास नीतियों पर भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं सरकार की नीतियों, योजनाओं, परियोजनाओं से देश की आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है या विकास के नाम पर बड़ी-बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू करने और आर्थिक सम्पन्नता लाने का सब्ज़बाग दिखाने के बावजूद सब कुछ छिनता तो नहीं जा रहा है। ऐसा देखने में आ रहा है कि सरकार विकास की नीतियों में प्राकृतिक संसाधनों को बेचती जा रही है और निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी आमंत्रित कर रही हैं। इन सभी विकास के मुददों को वैचाारिक विश्लेषण और दूर दृष्टि के साथ देखना होगा कि हमारी सरकारें विकास के रास्ते देश को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। इन सब में जागरूकता और संघर्षशीलता की जरूरत होती है। इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता को सजग रहना होगा।

नई दिल्ली से भांवता-कोल्याला पधारे संसदीय समिति के सदस्य, राजेन्द्र सिंह और अरवरी ग्रामवासियों के साथ

सफर कदम-दर-कदम

अरवरी क्षेत्र की हरियाली-खुशहाली से प्रफुल्लित राष्ट्रीय महिला आयोग की तत्कालीन सदस्या पूर्णिमा अडवाणी

यूएनडीपी के एशिया महाद्वीप के प्रतिनिधि श्री हाफिज पाशा एवं साथ में भारतीय प्रतिनिधि नीरा वोरा
ग्राम नीमी के ग्रामवासियों से परिचर्चा करते हुए

सफर कदम-दर-कदम

अरवरी ग्रामीणों के साथ जिला चित्रदुर्ग के स्वामी शिवमूर्ति शिवाचार्य तथा तत्कालीन
जल संसाधन मंत्री (कर्नाटक) एच.के. पाटिल

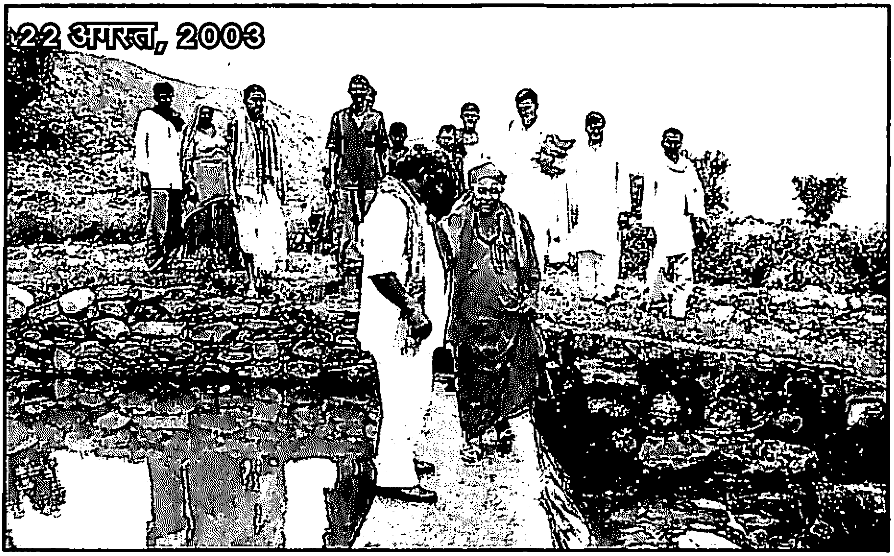

मोहम्मद आसिफ डी.ए.सी.ए.ए.आर. अफगानिस्तान के साथ राजेन्द्र सिंह

सफर कदम-दर-कदम

पूर्व महाराजा श्री गजसिंह (जोधपुर) अरवरी क्षेत्र व सरसा नदी क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हुए

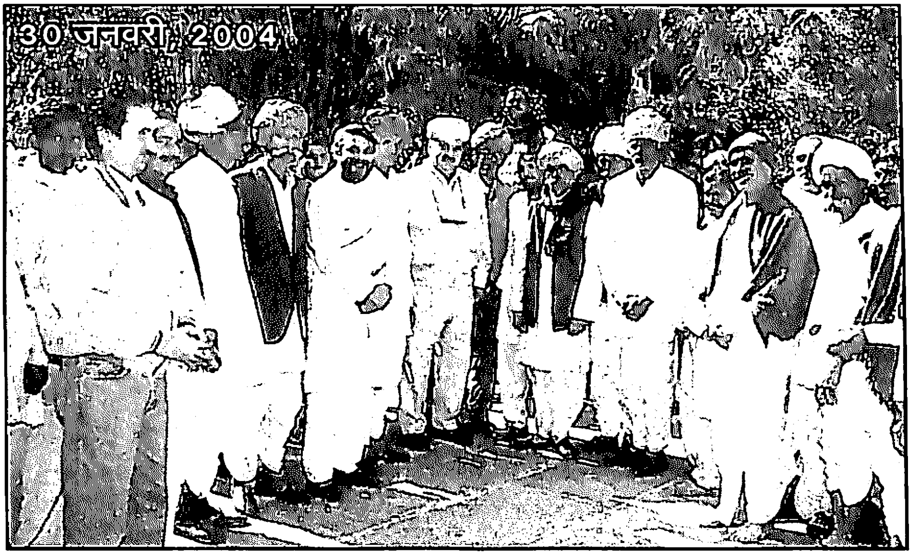

डा. हेमन्त राव देशमुख, श्रम मन्त्री (महाराष्ट्र) का अरवरी सांसदों द्वारा अभिनन्दन

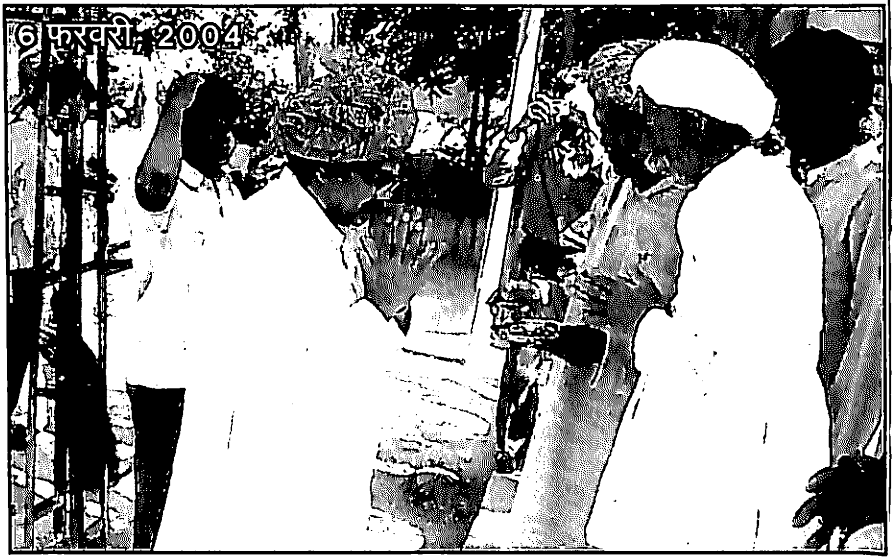

सफर कदम-दर-कदम

श्री देवी प्रसाद मिश्रा, पर्यटन एवं आबकारी मंत्री (उड़ीसा) का सम्मान करते हुए अरवरी सांसद

समाज का दायित्व

जल संरक्षण में जोहड़ का अपना महत्व है। जब तक उसमें पानी रहता है, जीव-जगत को तृप्त करता है। सूर्यदेव को तृप्त करता है। धरती का पेट भरता है और चारों ओर के वातावरण को शुद्ध करता है। जब समय परिवर्तनशील है तो लोगों का रहन-सहन भी परिवर्तनशील बना रहेगा। बस! उसे पहचानने और उसके अनुसार जीवन पद्धति बना कर जीवन बसर करने की आवश्यकता हमेशा-हमेशा बनी रहेगी। यही समय की मांग होती है। समय के साथ-साथ समाज की परम्परायें, सभ्यतायें और संस्कृतियां भी बदलती रहती हैं। उन्हें अपने लिए बचाये रखना समाज का दायित्व है।

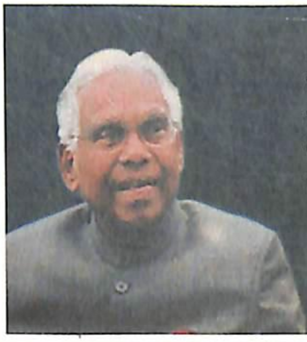

आज से १५० साल पहले शायद ही कोई सरकारी जल वितरण योजना रही हो। पर भारत में वर्षाजल संचय पर आधारित जल व्यवस्था की एक मज़बूत और समय-सिद्ध परम्परा थी। आज के समय में वर्षा जल का एक जन आन्दोलन सरकारी कोशिशों का सम्पूरक हो सकता है।
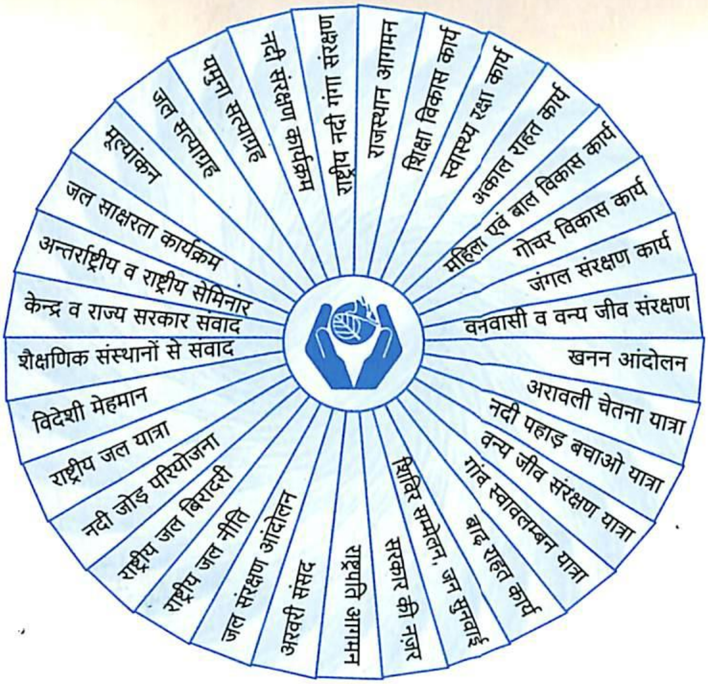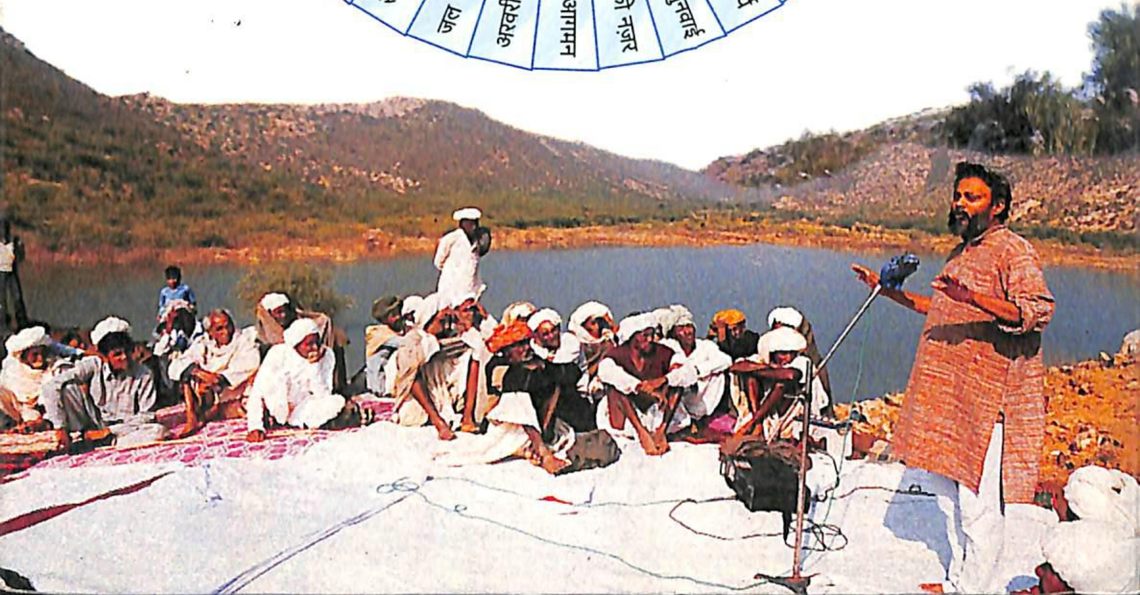
– कोचेरिल रामन नारायणन,
भारत के राष्ट्रपति
२६ जनवरी, २०००